FOR REFERNCE ONLY.

तुर्दश माला, खंड 5, अंक 5

मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2004
16 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. LB 025
Block 'S'
Acc No ... 57 ...
Dated..... 25/7/05 ...

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

मंगलवार 7 दिसम्बर 2004 / 16 अग्रहायण, 1926 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

*****

कॉलम	पंक्ति	
367	786 के पश्चात् पढ़िए –	" (ग) और (घ): उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता"

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 5, मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2004/16 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 82	1–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 83 से 100	32–99
अतारांकित प्रश्न संख्या 920 से 1149	100–510
सभा पटल पर रखे गए पत्र	511–515
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	516
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
उत्तर-पूर्व परिषद को पुन: सक्रिय बनाना	
श्री पी.आर. किन्डिया	516–518
समिति के लिए निर्वाचन	
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	518
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2004-2005	518
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004—*पुर:स्थापित*	519–522
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग	
अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण	522–523
श्री अर्जुन सिंह	522–523
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) तहलका मामले में कुछ नेताओं के विरुद्ध मामले दर्ज करने में सीबीआई द्वारा कथित रूप से बदले की भावना से कार्य करने के बारे में	523–526
(दो) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में	544–545

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	549–556
(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए एक स्थायी मजदूरी बोर्ड बनाने या छठा वेतन आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता	
श्री अजय माकन	549–550
(दो) आंध्र प्रदेश में भीषण सूखे के कारण राज्य के किसानों और कृषि कर्मकारों द्वारा बीमा किस्त का भुगतान न किये जाने से व्यपगत हो चुकी बीमा पालिसियों के नवीकरण की आवश्यकता	
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	550–551
(तीन) हैदराबाद में दिलकशनगर और अमीरपेट के बीच एक ऊपरिपुल के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अंजन कुमार यादव	551
(चार) राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता	
श्री दुष्यंत सिंह	551–552
(पांच) मध्य प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति को बढ़ाकर राज्य में विद्युत की कमी की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता	
डा. सत्यनारायण जटिया	552
(छह) कर्नाटक के बेल्लारी जिले में सिरूगुप्पा चीनी मिल को पुनः चालू करने और कामगारों की बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. करूणाकर रेड्डी	552–553
(सात) मध्य प्रदेश के इंदौर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण में सुधार किये जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	553–554
(आठ) राजनीतिक दलों और श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल/बंद पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अदालती हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्या का समाधान करने के लिए विधेयक लाए जाने की आवश्यकता	
श्री सातांश्री चटर्जी	554
(नौ) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की सवायजपुर तहसील में ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम के अंतर्गत नहर की मरम्मत का कार्य आरंभ किये जाने की आवश्यकता	
श्री इलियास आजमी	554–555
(दस) झारखंड के बोकारो जिले में दामोदर नदी पर खेतको और कथारा के बीच पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री टेकलाल महतो	555

विषय	कॉलम
(ग्यारह) दूरदर्शन पर बंगला के स्थानीय दर्शकों के लाभ के लिए पश्चिम बंगाल के बागमुंडी में एलपीटी सेंटर का उन्नयन करने या पुरुलिया जिले के अजध्या हिल में एक एचपीटी सेंटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
श्री बीर सिंह महतो	555–556
(बारह) पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोनारपुर तथा केनिंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण और केनिंग टाउन रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं वाले एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	556
प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2004	556–571
विचार करने के लिए प्रस्ताव	557
श्री रामजीलाल सुमन	557
श्री पी. चिदम्बरम	557, 558–559, 566–570
श्री के.एस. राव	559–562
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	562–566
खंड 2 से 23 और 1	571
पारित करने के लिए प्रस्ताव	571
प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2004	572–591
विचार करने के लिए प्रस्ताव	572
श्री बची सिंह रावत ''बचदा''	572–575, 589–590
श्री पी. चिदम्बरम	572, 586–589
श्री अविनाश राय खन्ना	575–576
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	576–577
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	577–579
श्री के.एस. राव	579–582
प्रो. रासा सिंह रावत	582–586
खंड 2 से 23 और 1	590
पारित करने के लिए प्रस्ताव	591

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
सरकार की विदेश नीति	591–660
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	591–597
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय	597–602
श्री के.एस. राव	602–606
श्री रूपचंद पाल	606–611
श्री मोहन सिंह	611–615
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	615–623
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	623–629
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	629–632
श्री तथागत सत्पथी	632–637
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	637–645
श्री खारबेल स्वाईं	645–648
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	648–652
श्री असादुद्दीन ओवेसी	652–658
श्री बिक्रम केशरी देव	658–660
अनुबंध I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	661–662
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	662–668
अनुबंध II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	669–670
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	669–670

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2004/16 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 81, श्री सुग्रीव सिंह।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): अध्यक्ष महोदय, बिहार में खाद, बीज का *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जानते हैं कि यह प्रश्न काल है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुग्रीव सिंह के प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

जनगणना रिपोर्ट पर विवाद

+
***81. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री के. सुब्बारायण:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वर्ष 1990-2001 की जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रकाशित रिपोर्ट से यह पता चलता है कि देश में कुछ समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किन-किन कारणों से हुआ है;

(घ) क्या धर्म-वार आंकड़े प्रकाशित करने की प्रक्रिया वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट में भी अपनाई गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या धर्म-वार आंकड़े प्रकाशित करते समय रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां पाई गई थीं;

(छ) यदि हां, तो क्या देश में कुछ समुदायों की जनसंख्या के संबंध में प्रकाशित गलत आंकड़ों के लिए सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस त्रुटि के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किये जा रहे हैं?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावीत): (क) से (ज) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान। अभी तक जनगणना 2001 पर आधारित कई रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं, धर्म के आंकड़ों से संबंधित रिपोर्ट 6 सितम्बर, 2004 को जारी की गई थी।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। विभिन्न धार्मिक समुदायों की असमायोजित तथा समायोजित वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:

सारणी

दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)
1991-2001

धार्मिक समुदाय	असमायोजित	समायोजित
हिन्दू	20.3	20.0
मुसलमान	36.0	29.3
ईसाई	22.6	22.1
सिक्ख	18.2	16.9
बौद्ध	24.5	23.2
जैन	26.0	26.0

9 सितम्बर, 2004 को जारी की गई रिपोर्ट में समायोजित वृद्धि दरों को जोड़ा गया था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जनसंख्या की इस वृद्धि को सांख्यिकीय तौर पर प्रजननता और मृत्यु दर से जोड़कर देखा जा सकता है।

(घ) और (ङ) धर्म से संबंधित 1991 की रिपोर्ट में धार्मिक समुदायों की जनसंख्या के आंकड़े और उनकी वृद्धि दरें दी गई थी। धर्म से संबंधित 2001 की जनगणना रिपोर्टों में उक्त के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं अर्थात् बच्चों की जनसंख्या, साक्षरता और कर्मियों एवं उनकी श्रेणियों सहित जनसंख्या के प्रतिवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं।

(च) रिपोर्ट में कोई विसंगतियां नहीं थीं सिवाय इसके कि 6 सितम्बर, 2004 को जारी रिपोर्ट में रिपोर्ट के संक्षिप्त विश्लेषण में दिए गए वृद्धि दर के आंकड़ों में यह नहीं बताया गया था कि ये असमायोजित आंकड़ों पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट में पाद टिप्पणी सहित विभिन्न धर्मिक समुदायों की जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े दिये गये हैं और यह उल्लेख किया गया है कि असम में 1981 में एवं जम्मू और कश्मीर में 1991 में कोई जनगणना नहीं की गई थी। इसमें 1961 से 2001 तक की जनगणनाओं की जनसंख्या के समानुपात भी दिए गए हैं रिपोर्ट में समायोजित वृद्धि दरों को दर्शाने के लिए इसके संक्षिप्त विश्लेषण के सुसंगत पैरा में 9 सितम्बर, 2004 को संशोधन किया गया था। इसी दौरान रिपोर्ट में एक सारणी के द्वारा असमायोजित और समायोजित वृद्धि दरों को जोड़ा गया ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे।

(छ) और (ज) आन्तरिक जांच की गई है गलती हुई है। संबंधित प्राधिकारियों को उचित चेतावनी जारी की जा रही है। भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को यह दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जब कभी फारमेट या विश्लेषण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे आवश्यक तकनीकी सचेतना को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए इसका पुनरीक्षण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के विचलन का सुस्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि आंकड़े प्रयोक्ताओं को आंकड़ों में किसी प्रकार की भ्रांति न हो और वे आंकड़ों की गलत व्याख्या न कर पाएं।

श्री सुग्रीव सिंह: अध्यक्ष महोदय, देश में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है। यह देखा गया है कि जहां महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं, वहां जनसंख्या में वृद्धि कम हैं। यह जानकारी है कि लिट्रेसी के अभाव में जनसंख्या में वृद्धि होती है। देश में महिलाएं जितनी पढ़ी-लिखी होंगी, जनसंख्या वृद्धि उतनी कम होगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में सरकार की तरफ से कुछ उपाय किये गये हैं?

श्री माणिकराव होडल्या गावित: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब उत्तर के भाग (क) में दिया गया है। अभी तक जनगणना 2001 पर आधारित कई रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं, धर्म के आंकड़ों से संबंधित रिपोर्ट 6 सितम्बर, 2004 को जारी की गई थी। उत्तर के भाग (ख) और (ग) में विभिन्न धार्मिक समुदायों की असमायोजित तथा समायोजित वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं। हिन्दु—असमायोजित 20.3 और समायोजित 20.0 है। मुसलमान—असमायोजित 36.0 और समायोजित 29.3 है। ईसाई—असमायोजित 22.6 और समायोजित 22.1 है। ...*(व्यवधान)* ये फाइनल आंकड़े हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपके द्वारा दिए गए विवरण में पहले से ही हैं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित: सिक्ख—असमायोजित 18.2 और समायोजित 16.9 है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोदी, मुझे समझ में नहीं आया कि आप किस हैसियत से हस्तक्षेप कर रहे हैं। यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित: बौद्ध—असमायोजित 24.5 और समायोजित 23.2 है। जैन—असमायोजित 26.0 और समायोजित 26.0 है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप सिर्फ विवरण से पढ़ रहे हैं। क्या उससे उन्हें मदद मिल रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछें और स्पष्ट प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री सुग्रीव सिंह: अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या की गणना करने में अधिकारियों ने भूल की है। यह देखा गया है कि उन्होंने गणना ठीक से नहीं की। यह जातियों के साथ धोखा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने गणना करने में भूल की है, क्या उनके खिलाफ कुछ स्ट्रिन्जैन्ट एक्शन लिए गए हैं?

श्री माणिकराव होडल्या गावित: मैंने पहले ही बता दिया है कि 6 सितम्बर को आंकड़े प्रकाशित किये थे, वे थोड़े से असमायोजित आंकड़े थे। इसके लिए मैंने स्टेटमेंट दिया कि समुचित फाइनल आंकड़े यहां दिये हैं और आर.बी.आई. को आंकड़े डिक्लेअर करने का अधिकार है और भारत सरकार को गैजेट में प्रकाशित करने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें जिस किसी ने गड़बड़ की है,

...*(व्यवधान)*

श्री माणिकराव होडल्या गावित: सर, मैं बताता हूं, ये जो अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ गलती की है, ऐसा नहीं है। इसकी इंक्वायरी होम सैक्रेटरी ने की है। उनको कहा गया है कि जनगणना का काम सर्वसाधारण रूप से हुआ है। वृद्धि दर निकाल देने की जो गलती हुई थी, वह प्रशासन की किसी गलत मंशा से नहीं हुई थी, वहां अभी आगे कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके बारे में जांच-पड़ताल की गई है। गृह सचिव ने जांच-पड़ताल की है और यह देखा गया है कि इसमें गलती हुई है। इसलिए जो अधिकारी हैं, वे अब यहां नहीं हैं। वे अपने कैडर में वापस गये हैं और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का हमने तय किया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री के. सुब्बारायण: अध्यक्ष महोदय, जनगणना आयुक्त ने वर्ष 1991-2000 के दौरान मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर की घोषणा करते समय बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने वर्ष 1991 के आंकड़ों की तुलना वर्ष 2001 से की है। क्या सिर्फ तथ्यों पर आधारित मूल्यांकन के रूप में जनगणना की गई है? यदि ऐसा है, तो क्या प्रारूप में उचित कालम है?

श्री शिवराज वि. पाटील: उनके पास इसका एक तरीका है। वे सूचना एकत्र करते हैं और उसके बाद वे सूचना का विश्लेषण करते हैं। जो विश्लेषण किया जाता है या निष्कर्ष निकाला जाता है उसे सरकार को सौंपा जाता है ताकि नीतियां बनाई जा सकें। यह प्रक्रिया है जिसका कई वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है। उनके पास इसके लिए कालम होता है और वे इसका विश्लेषण करते हैं। वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इन निष्कर्षों को जनता को तथा सरकार के उपयोग के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. एम. रामदास—उपस्थित नहीं।

श्री रामदास आठवले: महोदय, लेकिन मैं यहां हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही पुनीत मामला है। संसद की सभा पुनीत है।

श्री राजेन गोहेन: महोदय, पिछले जनगणना रिपोर्ट में दिखाई गई देश की जनसंख्या वृद्धि धर्म के आधार पर कराई गई थी। यह निश्चय ही खतरनाक एवं चिंताजनक है।

इसके पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, मैं इस सभा की जानकारी के लिए अपने असम राज्य में आंकड़ों और कतिपय समुदायों में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत को उद्धृत करना चाहूंगा। राज्य सरकार की रिपोर्टों के अनुसार मेरे राज्य में 23 जिलों में से छः जिलों में कुछ समुदायों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

धुबरी जिले में, हिन्दू जनसंख्या की तुलना में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 22.83 प्रतिशत बढ़ गई है जिसमें 5.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह हिन्दुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से पांच गुणा ज्यादा है।

गोलपाड़ा जिले में, हिन्दू जनसंख्या में 17.88 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि कुल वृद्धि 35.74 प्रतिशत हुई है जोकि 200 प्रतिशत से ज्यादा है।

नागांव में जोकि मेरा जिला है, हिन्दु जनसंख्या में 12.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि कुल वृद्धि 32.12 प्रतिशत हुई है। यह वृद्धि 250 प्रतिशत से ज्यादा है।

अब, मैं माननीय मंत्री से इन समुदायों के जनसंख्या में वृद्धि के कारणों के बारे में जानना चाहता हूं और क्या यह बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण है या कोई अन्य कारण है। यदि यह घुसपैठ के कारण है तो मंत्रालय ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, कई कारण हैं एक कारण उच्च प्रजनन दर है, दूसरा मृत्यु दर है और तीसरा कारण अप्रवासन है। कुछ हद तक यह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। लेकिन यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें लोग रहते हैं और वे जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं। यह कई चीजों पर निर्भर करता है।

श्री अजय चक्रवर्ती: मेरा प्रश्न जनगणना रिपोर्ट में प्रकाशित जनसंख्या के बारे में सूचना से संबंधित है जिसे इस राष्ट्र के समक्ष सार्वजनिक किया गया था। कुछ कर्मचारियों ने कुछ पक्षों की गलत रिपोर्ट दी जो सही नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अजय चक्रवर्ती: माननीय गृह मंत्री ने पहले ही प्रश्न का जवाब दे दिया है। सरकार उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने जनगणना की गलत रिपोर्ट दी है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल: अध्यक्ष महोदय, उत्तर में दिए गए आंकड़ों का अवलोकन करने के बाद यह पता चलता है कि देश में कुछ समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण और इन समुदायों के लिए समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि देश में अन्य समुदायों के हितों की रक्षा हो सके और जनसंख्या में संतुलन को बनाए रखा जा सके।

श्री शिवराज वि. पाटील: एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि किसी समुदाय के लोगों की जनसंख्या कम है तो उनकी जनसंख्या में छोटी वृद्धि भी बड़ा प्रतिशत दिखाई देगी। यदि किसी समुदाय के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है तो जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि भी प्रतिशत की दृष्टि से कम होती है। इसलिए, कभी-कभी ये प्रतिशत गुमराह करते हैं। यदि हमें तथ्यों को समझना है तो हमें किसी विशेष समुदाय के लोगों की संख्या में वास्तविक वृद्धि पर ध्यान देना होगा।

जहां तक समान नागरिक संहिता का संबंध है, मैं नहीं समझता कि समान नागरिक संहिता का इस प्रश्न से कोई लेना-देना है। फिर भी, मैं कहना चाहूंगा कि भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मजदूर यूनियनों से संबंधित संविदा श्रम कानून, कृषि से संबंधित कानून, माध्यम से संबंधित कानून और अन्य कानून हिन्दुओं और मुसलमानों पर एक समान लागू होते हैं। स्वीय विधि (पर्सनल ला), विवाह विधि ही समान नहीं है। इसे समझना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: लेकिन इस्लामिक देश में परिवार नियोजन कानून माना जाता है। *...(व्यवधान)* सबके लिए एक कानून होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इस बात को अध्यक्षपीठ पर छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री अडसूल को प्रश्न पूछने के लिए समय दिया है जो आप ही की पार्टी के हैं। अब, श्री रामदास आठवले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले जो बोलेंगे वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो नियमों के अंतर्गत कई तरीके हैं। आप उन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो कई अन्य तरीके उपलब्ध हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: सारे देश के लिए एक कानून होना चाहिए। सरकार के इस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम वॉक-आउट करते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

(इस समय श्री मोहन रावले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: श्री खारवेनथन, कृपया आप बैठिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, क्या आप अपना प्रश्न पूछेंगे अथवा नहीं?

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले: मैं अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन का उल्लेख किया गया है। उसी तरह लिंगायत और पारसी जो विदेश में धर्म हैं, लिंगायत और पारसी धर्म को भी इसमें लेने की आवश्यकता है। उसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए और दूसरा सवाल मेरा यह है कि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राईब्स की जो पोपुलेशन है, उनके आंकड़े भी हमें देने चाहिए और तीसरा सवाल यह है कि अपनी पोपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है कि वन फैमिली वन चाइल्ड होना चाहए। अगर हमें अपने देश की पोपुलेशन को रोकना है और मुसलमानों की पोपुलेशन की बढ़त ज्यादा नहीं है, हिन्दुओं की ज्यादा बढ़ रही है तो पूरी पोपुलेशन को कम करना हमारे देश के हित के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए क्या सरकार 'वन फैमिली-वन चाइल्ड' कानून बनाने के लिए कोई विचार कर रही है या नहीं?

श्री शिवराज वि. पाटील: जो मूल प्रश्न है, वह रिपोर्टिंग में हुई एक मिसटेक के बारे में है। उसके साथ यहां कई पूरक प्रश्न जोड़े जा रहे हैं। जैसे कामन सिविल कोड की बात कही गई, तो इस सवाल का भी मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका जवाब देना है तो वह विधि मंत्रालय को देना है। आपने जो जाति या धर्म के बारे में पूछा है कि इसके आंकड़े हैं या नहीं या इस पर भी आप विचार कर रहे हैं या नहीं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल एक प्रश्न के लिए, यदि आप आधा घंटा ले लेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: यह जो प्रक्रिया है, यह किसी जाति या धर्म को बांटने वाली नहीं है। एस.सी. और एस.टी. के लोग किस जाति या धर्म में हैं, इसके बारे में जो पुराने जमाने से प्रक्रिया चली आ रही है, वही लागू है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती अनुराधा चौधरी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: और किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। श्रीमती अनुराधा चौधरी के प्रश्न को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको मेरी ओर से मौका नहीं मिलेगा। पहले, कृपया आप बैठिए। मैंने एक माननीय सदस्य का नाम पुकारा है। आपको बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करने का प्रयत्न न करें।

[हिन्दी]

श्रीमती अनुराधा चौधरी: अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी का जवाब सुना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जिन धार्मिक समुदायों का जनसंख्या प्रतिशत कम हो रहा है, क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहूंगी कि हमारे पड़ोसी देशों के जो लोग हमारे देश में कई बरसों से बसे हुए हैं, क्या उनको भी जनगणना में शामिल किया गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैंने पहले भी यह बताने की कोशिश की है कि हम प्रतिशत के हिसाब से अगर जाएंगे तो हमारा जो मत बनेगा, वह सही नहीं बनेगा। अगर छोटी संख्या के आधार पर हम प्रतिशत की ओर देखेंगे तो वह बड़ा नजर आता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। बड़ी संख्या के आधार पर अगर प्रतिशत की ओर देखेंगे तो वह प्रतिशत कम नजर आता है। इसलिए प्रतिशत पर ध्यान रखना और यह कहना कि संख्या बहुत बढ़ रही है या बहुत कम हो रही है, यह अनुचित होगा। मैंने पहले भी यह बताने की कोशिश की है और फिर इसे दोहराना चाहता हूं। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि पड़ोसी देशों से आए हुए लोगों का क्या हम जनगणना में समावेश करते हैं या नहीं, तो जो यहां के बाशिंदे हैं, उनको शामिल करते हैं और जो यहां के बाशिंदे नहीं हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। कृपया व्यवधान डालने की इस आदत को छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: मान्यवर, मूल प्रश्न के भाग 'च' और 'छ' के उत्तर में बताया गया है कि आंतरिक जांच की गई और उसमें गलतियां पाई गई हैं। देश में खासकर झारखंड प्रदेश में जनगणना के समय वहां के अनुसूचित जनजाति के लोग जो अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए पलायन कर गए थे इसलिए उनको शामिल नहीं किया जा सका। इसी तरह से झारखंड के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में गणकों द्वारा नहीं जाने के कारण अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या में कमी हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि यह सही है तो क्या सरकार झारखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की पुन: जनगणना कराने का विचार रखती है?

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, हमें ये चार आंकड़े पूरे देश के संदर्भ में लेने हैं। अलग-अलग प्रांतों के संदर्भ में भी अगर लेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि झारखंड में रहने वाले लोग जो रोजगार या अन्य सिलसिले में अन्य प्रदेशों में गए हैं, उनकी वहां गणना हो जाती है। इसलिए किसी प्रांत के संबंध में कम या ज्यादा हो सकता है। अगर उसको दुरुस्त करने की जरूरत है तो बाद में किस प्रकार यह दुरुस्त किया जाए, उस पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तूफानी सरोज। यदि आप इच्छुक हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में कुछ अनुशासन होना चाहिए। श्री सरोज, आप इससे संबंधित एक प्रश्न पूछिए। यदि आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं तो कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष जी, जनगणना में जो बढ़ोत्तरी हो रही है, उस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शहरों की अपेक्षा गांवों में जनसंख्या बढ़ोत्तरी बड़े पैमाने पर हुई है और उसका मूल कारण अशिक्षा रहा है। क्या सरकार गांव में योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्यक्रम इस विषय में चलाने जा रही है?

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष जी, यह जो जनगणना होती है, उसका एक उद्देश्य यह होता है कि किस प्रांत के किस हिस्से में शिक्षा का स्तर नीचे है या ऊपर है और साथ ही यह भी देखना होता है कि उनकी बेकारी और बेरोजगारी किस किस्म की है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हम काम करते हैं। ये आंकड़े जो आये हैं उन पर ध्यान रखते हुए, सरकार की ओर से विचार होगा कि किस प्रकार की हमारी शिक्षा-नीति, रोजगार-नीति और कृषि-नीति होनी चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हमने भी आपको स्लिप दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, मेरे पास 22 नाम हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि एक प्रश्न पर एक घंटे तक चर्चा चले? कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन: माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में अनेक लोग ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक के साथ न्याय करने का प्रयत्न करूंगा। मैं प्रत्येक दल के एक से अधिक सदस्य को मौका नहीं दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष जी, बीजेपी के 138 सांसद हैं, उनके हिसाब से आप हमें चांस नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष जी, यह कोई तरीका नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्वश्चन आवर में टाइम का कोई कमिटमेंट नहीं होता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, हमारे दल के 138 सदस्य हैं और आप हमारी संख्या के अनुसार हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल समय बर्बाद कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री खारवेनथन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मोदी जी, मुझे उन्हें कितने मौके देने चाहिए? यह कोई तरीका नहीं है। मैंने आपसे सुझाव नहीं मांगा है। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के कई लोग धर्मान्तरण करके मुसलमान और ईसाई बन गए हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनगणना में उन्हें मुसलमानों और ईसाइयों की सूची में शामिल किया गया है अथवा हिन्दुओं की सूची में।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? कोई भी सदस्य इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया है। कृपया इसे दोबारा पूछिए।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के कई लोग धर्मान्तरण करके मुसलमान और ईसाई बन गए हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जनगणना में उन्हें मुसलमानों और ईसाइयों की सूची में शामिल किया गया है 'अथवा हिन्दुओं की सूची में।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, इसके लिए कुछ कानून हैं और उन कानूनों के आधार पर उन्हें या तो हिन्दू समुदाय अथवा मुस्लिम समुदाय में शामिल किया जाता है। अब कानून में यह उपबंध है कि धर्मान्तरण के बाद भी उन्हें अनुसूचित जातियों अथवा हिन्दू समुदाय में शामिल किया जा सकता है और यही किया गया है।

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इससे संबंधित एक प्रश्न है और मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या यह सही है कि कुल जनसंख्या में हिन्दू जनसंख्या जो 1961 में 83.4 प्रतिशत थी, घटकर वर्ष 2001 में 80.4 प्रतिशत हो गई है? मुस्लिम जनसंख्या का हिस्सा बढ़ा है जो 1961 में 10.7 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2001 में 13.4 प्रतिशत हो गया है। हिन्दू जनसंख्या 36.6 करोड़ से बढ़कर 82.6 करोड़ हो गई है और इसमें 46 करोड़ की वृद्धि हुई है। 40 वर्ष की अवधि में मुस्लिम जनसंख्या 4.7 करोड़ से बढ़कर 13.8 करोड़ हो गई है अर्थात् इसमें 9.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। क्या यह सही है अथवा नहीं?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, आंकड़ों में मुस्लिम जनसंख्या में कई प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है। किंतु हमें यह समझना चाहिए कि यह सूचना कुछ गलत तथ्यों के आधार पर दी गई है। जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर की जनगणना को हिसाब में नहीं लिया क्योंकि जम्मू-कश्मीर तथा असम में जनगणना नहीं हुई थी। इसलिए यह वृद्धि हुई है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैंने सितम्बर, 2004 की रिपोर्ट को उद्धृत किया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: किंतु जो गलती हुई थी और जिसके कारण यह प्रश्न हमारे सामने आया है, वह ठीक कर ली गई है। जब उन आंकड़ों को शामिल किया गया तो प्रतिशत घट गया। इसके अतिरिक्त, मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि कई बार प्रतिशतता में वृद्धि भ्रामक होती है। यदि जनसंख्या कम होगी तो प्रतिशतता में अधिक वृद्धि होगी और यदि जनसंख्या अधिक होगी तो प्रतिशतता में कम वृद्धि होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया थोड़ा धैर्य रखें। मैं प्रत्येक को समायोजित करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, मैं आपका आदेश मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मानते हैं लेकिन देर से मानते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जाना चाहता हूं कि जो जनगणना होती है उसमें भारत सरकार के अपने कर्मचारी नहीं होते हैं, राज्य सरकारों के कर्मचारी

और खासकर शिक्षक वर्ग से जनगणा कराई जाती है। राज्य सरकारों ने जनगणना का भी राजनीतिकरण कर दिया है। किसी प्रखंड में जनसंख्या को घटा देना, किसी प्रखंड में जनसंख्या को बढ़ा देना, राज्य सरकारों की परम्परा सी बनी हुई है। इस बारे में शिकायतें भी की गयी हैं। मैं आपको बिहार के मसरख प्रखंड के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूं। उसमें अगले साल की जनगणना में जहां 1 लाख 72 हजार की जनसंख्या थी, इस बार वहां 1 लाख 52 हजार, यानी 20 लाख जनसंख्या घटा दी गयी है। वहीं सोनपुर प्रखंड में अगले वर्ष से 15 हजार जनसंख्या बढ़ा दी गयी है। पटना के लोगों को सोनपुर में जोड़ा गया है। सोनपुर के विधायक ने लिखित तौर पर शिकायत की है। आपने भी अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि त्रुटियां हुई हैं। जहां ऐसी स्पैसिफिक शिकायतें हैं वहां आप जांच कराकर, जहां जनसंख्या घटायी गयी हैं, वहां पर जनसंख्या बढ़ाएं और जहां जनसंख्या बढ़ायी गयी हैं वहां उसको काटकर सही जनसंख्या कर लें। क्या ऐसी कोई प्रक्रिया आप शुरू करना चाहते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: जैसा कि आप कह रहे हैं, ऐसा कहीं हुआ ही नहीं होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। लेकिन इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, इसको देखना पड़ेगा। अगर एक जिले के लोग काम करने के लिए दूसरी जगह चले गये होंगे तो उनकी जनसंख्या भी कम होती है। ऐसा ही एक प्रश्न और आया था, उसको भी किस प्रकार से दुरुस्त करना है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, यह देखना पड़ेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा, यह क्या उत्तर हुआ?

श्री शिवराज वि. पाटील: प्रभुनाथ जी, मुश्किल यह है कि आप अपने सवाल पर ध्यान दे रहे हैं, मेरे जवाब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। आपने पूछा कि हम इस पर क्या करने जा रहे हैं, मैंने कहा कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, उनका हल किस प्रकार से हो, इस पर विचार करके कदम उठाएंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुशीला केरकेटा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय सदस्य को अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने दें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला केरकेटा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से झारखंड के बारे में जानना चाहती हूं। जनगणना में हिंदू-मुस्लिम-सिक्ख-इसाई, सभी को स्थान दिया गया है, लेकिन हमारी सरना जाति के भाइयों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, जिसके कारण हमारे सरना भाइयों ने जनगणना का बहिष्कार किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार दुबारा से जनगणना कराना चाहती है? दूसरा, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि जिस स्टेट में भी लोग चले जाते हैं वहां पर उनकी जनगणना की जाती है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली शहर में झारखंड के करीब डेढ़ लाख लोग रहते हैं लेकिन यहां पर उनको जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही यहां पर हाई-कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि दिल्ली सरकार में हमारे अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। इसके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैंने इसका जवाब पहले भी दिया है। जहां तक पूरे देश का सवाल है, उसमें कोई अन्तर नहीं आता। देश में किसी एक प्रान्त के लोगों की जनगणना हुई है—चाहे शेडयूल्ड कास्ट्स के हों या शेडयूल्ड ट्राइब्स के हों, प्रान्त की दृष्टि से जरूर उनकी जनगणना होती है। अभी माननीय सदस्यों ने दिल्ली का जो प्रश्न उठाया है, हम उसे हल करने में लगे हैं और हल कर लेंगे।

उग्रवादियों/कट्टरपंथियों के साथ वार्ता

*82. **श्री संतोष गंगवार:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न भागों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी/कट्टरपंथी संगठनों के साथ वार्ता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 में अब तक ऐसे संगठनों के साथ हुई वार्ताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक संगठनों द्वारा कौन-सी विशेष मांगें की गई हैं; और

(घ) इस मामले में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और ऐसी वार्ताओं के अब तक क्या परिणाम निकले?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान। भारत सरकार ऐसे किसी भी ग्रुप के साथ वार्ता करने की इच्छुक है जो हिंसा त्यागने के लिए तैयार हो।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर के सभी ग्रुपों और विभिन्न विचारधारा वाले लोगों के साथ सतत आधार पर वार्ता आगे बढ़ाने के प्रति दृढ़-संकल्प है। सरकार ने मौलवी अब्बास अंसारी की अगुवाई में आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के साथ 22.01.2004 और 27.3.2004 को वार्ता के दो दौर आयोजित किये थे। इसके बाद भारत सरकार के वार्ताकार के स्तर पर और बाद में जम्मू और कश्मीर में समाज के विभिन्न वर्गों और विशेष रूप से राजनीतिक दलों, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक और बुद्धिजीवी ग्रुपों शिक्षाविदों एवं स्वयंसेवी एजेंसियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्री ने विचार-विमर्श किया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में युद्ध स्थिति का निलंबन और युद्ध विराम विभिन्न ग्रुपों के साथ वार्ता करके किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 83 भी इससे संबंधित है। अगर आप चाहें तो उसे इसके साथ मिला दें। *...(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, जब से नई सरकार आई है, देश के अन्दर आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। अकेले जम्मू-कश्मीर में ही 44 से अधिक बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और 400 से अधिक जवान और अन्य लोग मारे गए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन जम्मू-कश्मीर जा रहे थे, उससे एक दिन पहले हमला हुआ। मैं इस ओर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। यह बात भी स्पष्ट है कि सैलानियों की संख्या में कमी आई है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उसके बारे में आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि सरकार को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। मैंने यह सवाल किया था कि आतंकवादी संगठनों के साथ क्या बातचीत हुई है, उसका क्या ब्यौरा है। उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वार्ताकार ने जम्मू-कश्मीर समाज के विभिन्न वर्गों और विशेष रूप से उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक और बुद्धिजीवी ग्रुपों से बातचीत की। ऐसा लगता है कि वहां आतंकवादी ही सुरक्षित हैं, बाकी सब असुरक्षित हैं इसलिए उनकी चर्चा और चिन्ता हो रही है। उत्तर की पहली लाइन में यह जवाब दिया है कि 20.1.2004 और 27.3.2004 को वार्ता के दो दौर हुए। उसके बाद जब से नई सरकार बनी है कोई वार्ता का दौर नहीं हुआ, उल्टे हुर्रियत कह रही है कि कश्मीर को विवादित माने तभी बातचीत होगी। हुर्रियत यह कह रही है कि हम प्रधानमंत्री के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस विषय में लंबी चर्चा हो जिससे सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि इस्लामाबाद में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री गए थे और वहां पहली बार एक ऐसा दस्तावेज सामने आया था जिसे लोगों ने पसन्द किया था। 6 जनवरी 2004 को एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी हुआ था जो पूरे तरीके से स्पष्ट और परिभाषित था जिसमें दोनों देशों के बीच मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने की बात कही गई थी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, जिस का उसमें जिक्र न हो। इस हिसाब से इस बात को किया गया था। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बताएं कि क्या 6 जनवरी 2004 को जो प्रेस वक्तव्य जारी किया गया था, उसे आधार बना कर बातचीत करेंगे या मनमाने तरीके से बातचीत करेंगे? देश का हित सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर की परिस्थिति सुधर गई है। 60 परसैंट इनफिल्ट्रेशन कम हुआ है। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां रोज लोग मारे जा रहे हैं। पिछले दिनों सोपोर और पुलवामा में कई लोग मारे गए और यहां तालियां बजायी जा रही हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, जो यहां तालियां बजाएंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तालियां बजाना उनका फंडामेंटल राइट है।

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताने जा रहा हूं कि 2002 में वहां कितनी घटनाएं हुईं? मैं सम्माननीय सदस्य मोहन सिंह और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि यह प्रश्न सदन के सामने आने का उन्होंने मौका दिया जिसके कारण हम उसका जवाब दे सके। मैं कहना चाहता हूं कि 2002 में एक दिन में ही 11 इनसिडैंट्स होते थे, 2003 में इनकी संख्या 9 हो गई और 2004 में इनकी संख्या सिर्फ 6 हो गई। यह इस बात को बताता है कि इनफिल्ट्रेशन कम हुआ है, इनसिडैंट्स कम हुए हैं। किलिंग की संख्या के बारे में मेरे पास सूचना है। मैं सारी इनफर्मेशन पढ़ कर बता सकता हूं। मैं सम्माननीय सदस्यों के लिए यह इनफर्मेशन प्रिन्ट करके लाया हूं जिन्हें आपके हाथ में देना चाहता हूं। 2001 से 2004 तक इनसिडैंट्स की संख्या कम हो गई

है, सिक्योरिटी फोर्सिज की किलिंग की संख्या कम हो गई है, सिविलियन की किलिंग की संख्या कम हो गई है टैरेरिस्ट्स की संख्या कम हुई है, मैं ये सारे आंकड़े बताने की बजाय सभी माननीय सदस्यों को प्रिंटिटेड फौर्म हाथ में देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि प्रश्न थोड़ा लम्बा हो गया था, इसलिए उनके प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि किस बात पर सरकार विचार कर रही है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग वहां जाते हैं तो वहां के चुने हुये लोगों से, एम.पीज, एम.एल.एज. से, जिला परिषद् के सदस्यों से, म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के सदस्यों से, प्रोफैसर्स, वकील, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स से चर्चा करते हैं। वहां की अलग-अलग पार्टियां हैं, उनके लीडर्स से चर्चा की है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि चर्चा में क्या आया? चर्चा में यह प्रश्न आया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं किंतु आपके पास उत्तर सुनने का धैर्य नहीं है।

[हिन्दी]

आप लोग मंत्री थे।

श्री शिवराज वि. पाटील: चर्चा में यह आया है कि वहां की आर्थिक हालत सुधरनी चाहिए, वहां का इनफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिये, वहां शिक्षा का प्रबंध अच्छा होना चाहिए, वहां की हैल्थ के बारे में सुविधायें मिलनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म और पिलग्रीमेजेस के लिए कदम उठाने चाहिए। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद ही प्रधानमंत्री जी वहां गये थे तो न सिर्फ 24,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया बल्कि इन सारी चीजों का प्लान दिया गया है। ये सारी बातें चर्चा का विषय रहे हैं। हम लोग इसी ढंग से काम कर रहे हैं। अगर वहां किसी पार्टी के सदस्य को बात करने में दिक्कत है तो जब उन्हें सहूलियत होगी, तब हम बात करेंगे। लेकिन जो दूसरे लोग बात करने के लिए तैयार हैं, जो चुने हुये लोग हैं, उनसे बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं और उनसे बात कर भी रहे हैं।

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें पूछ रहा हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि 6 जनवरी, 2004 को प्रैस वक्तव्य हुआ, उसके संदर्भ में मुख्य आधार पर क्या होगा, दूसरे, मैं केवल यह कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

"राजग सरकार द्वारा यथानिर्णीत सभी नागरिकों के लिए बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र लागू करने हेतु सरकार इस पर और संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए समेकित कमान बनाने पर विचार कर रही है।"

[हिन्दी]

क्योंकि माओवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पाइंट्स पर मंत्री जी का क्या विचार है और वे कब तक लागू करना चाहते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कल बताया था कि जो हमारी नीति है और आज भी बताया है कि जो प्रैस में आया होगा, वह एग्जैक्टली क्या है, इस पर कहां जोर दे रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। जिस परिस्थिति पर बोल रहे हैं, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो लोग टैरेरिस्ट एक्टीविटीज में लगे हुए हैं, उन्हें हम अपना भाई समझकर चले हैं, जो गलत रास्ते पर गये हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। हम उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि उनके साथ सामाजिक अन्याय हुआ हो तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कानून है जिसका हम उपयोग करेंगे। अगर कानून स्ट्रिजैंट है, ड्रैकोनियन लगता है, उसे दुरुस्त करके उसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा हमारी फोर्सेज हैं, स्टेट पुलिस है, पैरा-मिलिट्री फोर्सेज हैं या आर्मी के लोग हैं, उन्हें पूरी सहूलियतें और इक्विपमेंट्स देकर, मालूमात देकर उनकी मदद से जो इनोसैंट लोग हैं, उनकी जान-माल और उनकी रैपुटेशन की हिफाजत करेंगे। यह हमारा दृष्टिकोण है।

जहां तक यूनिफाइड कमांड फॉर नार्दर्न ऐरिया का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस स्टेट में ऐसे हादसे हो रहे हैं, वहां अलग-अलग स्टेट्स के लिए यूनिफाइड हैडक्वार्टर्स की योजना बनाई है। यूनिफाइड हैडक्वार्टर्स का मतलब यह है कि अगर वहां आर्मी है, पैरा-मिलिट्री फोर्सेज हैं, या पुलिस फोर्स है, और इनके जो आफिसर्स हैं, तथा चुने हुए प्रतिनिधि आपस में बैठकर यह नीति बनायेंगे कि किस प्रकार से आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है, उस पर कदम उठायेंगे। स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी और यहां से हम उसे फोर्सेज भेजकर मदद करेंगे, मालूमात देकर मदद करेंगे और यदि किसी और चीज की जरूरत होगी, तो वह भी करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप वायलेंस बंद कैसे करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दो नम्बर पर उनका नाम है। आप सप्लीमेंटरी चाहते हैं तो हम मौका देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बृज किशोर त्रिपाठी के प्रश्न को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, अब पूर्वोत्तर में स्थिति खतरनाक और संवेदनशील हो गई है। 30 सितंबर, 2004 तक करीब 816 हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं और 350 नागरिक मारे गए हैं। गत दो माह के भीतर घटी घटनाओं की संख्या के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है। माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि विभिन्न गुटों के साथ सम्पन्न वार्ता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में युद्ध स्थिति का निलंबन और युद्ध विराम संभव हो पाया है। लेकिन उन्होंने उन गुटों का नाम नहीं दिया है जिनके साथ युद्ध विराम हुआ है। वे कौन से गुट हैं जिन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की है, माननीय मंत्री ने अपने विवरण में इस बात का उल्लेख नहीं किया है। उन्हें हमें उन गुटों के बारे में सूचना देनी चाहिए जिन्होंने वास्तव में युद्ध विराम करने की घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सरकार मणिपुर के संबंध में पूर्ण रूप से विरोधाभाषी बयान दे रही है। जब माननीय गृह मंत्री गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को वापस लेने का विरोध कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में उनसे मिलने आए समूहों को आश्वस्त किया है कि इस सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को वापस ले लिया जाएगा। इसलिए सरकार मणिपुर के संबंध में विरोधाभासी वक्तव्य जारी कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का वास्तविक रवैया क्या है। जहां तक मणिपुर का संबंध है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को वापस कर रहे हैं या नहीं।

जहां तक कश्मीर का संबंध है, मेरा संक्षिप्त प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी मदद करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उपरोक्त बात अधिकांशत: पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। जम्मू-कश्मीर के संबंध में, क्या ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस वार्ता के बारे में सरकार के समक्ष कुछ शर्तें रख रही है? क्या वे यह शर्त रख रहे हैं कि पहले उन्हें पाकिस्तान के साथ वार्ता करनी चाहिए और तब वे सरकार के साथ वार्ता करेंगे? इसलिए, वास्तविक रवैया क्या है? क्या वे कोई पूर्व शर्त रख रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। कृपया संक्षिप्त में प्रश्न पूछें। बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के कुछ गुट हमारे देश का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का विरोध कर रहे हैं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के कुछ घटक इस चीज का विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री बृज किशोर त्रिपाठी, यह तो अनुपूरक से ज्यादा है। यह ठीक नहीं है। कृपया बताइए कि यदि आप मुझे सहयोग नहीं करेंगे तो क्या किया जा सकता है? आप सब सम्माननीय वरिष्ठ सांसद हैं। बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

हां, मंत्री महोदय, आप कृपया जारी रखें।

श्री शिवराज वि. पाटील: प्रश्न के तीन भाग हैं। पहला भाग पूर्वोत्तर राज्यों के उन संगठनों से संबंधित है जिनके साथ सरकार वार्ता कर रही है। एन.एस.सी.एन. (आई-एम) उन संगठनों में से एक है जिनके साथ सरकार बातचीत कर रही है और पिछले सात वर्षों से वहां शांति है। अब, बोडो संगठन भी हमारे साथ वार्ता कर रहे हैं, कई अन्य संगठन हैं, मैं आपको उन संगठनों का नाम दे सकता हूं जो हमारे साथ वार्ता करने के इच्छुक हैं और जिनके साथ हमने क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए वार्ता की है।

अब जहां तक अधिनियम का संबंध है, आपने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के संबंध में प्रश्न पूछा है। कृपया आप उन बातों पर न जाएं जो आप मीडिया के विभिन्न माध्यमों में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पढ़ते या देखते हैं। आप उन विवरणों पर ध्यान दें जो सभा पटल पर रखे जाते हैं या जो सरकार द्वारा प्रमाणित हैं क्योंकि कभी-कभी, आप जानते हैं, किसी अखबार में कुछ भाग प्रकाशित किया जाता है और कुछ भाग नहीं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आपको सरकार का रवैया स्पष्ट करना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं वही कह रहा हूं। कृपया मुझे सुनने के लिए आप धैर्य रखें। मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री वहां गए थे। वे उनसे मिले। तब मणिपुर से एक शिष्टमंडल वहां आया था, वे माननीय प्रधान मंत्री से मिले थे और वे गृह मंत्री से भी मिले थे।

उन्होंने कहा कि वह जंगली कानून का और उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हमने कहा कि हमें कानून के प्रावधानों पर नजर रखने के लिए एक समिति नियुक्त करनी होगी और कानून से कैसे निपटा जाए इस बारे में सुझाव देना होगा। क्या यह कानून से जंगली प्रावधानों को हटाना पर्याप्त था या कानून का निरसन आवश्यक था। हमने कहा कि उन सब चीजों पर समिति विचार करेगी। समिति गठित कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अन्य चार सदस्य इस पर विचार कर रहे हैं। उनके द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हम देखेंगे कि क्या किया जाना है। जहां तक हिरासत का संबंध है, यह उनके प्रश्न का तीसरा भाग है। इस प्रश्न के तीन भाग हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री किरिप चालिहा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 83 आईडेंटीकल है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे भी ले लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री किरिप चालिहा का नाम पुकारा है। मैं किसी भी अन्य माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं, मुझे खेद है, आपके सहयोग के बिना, मैं सभा का संचालन नहीं कर सकता।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री चालिहा, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, आम धारणा जरूरी नहीं है कि वह सही हो। मैं वर्तमान गृह मंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर में सही दिशा में पहल की है। वास्तव में मेरे दूसरी तरफ के कुछ साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बावजूद पूर्वोत्तर में कई सकारात्मक घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस पार्टी और सरकार द्वारा उग्रवादी स्थिति का कोई राजनीतिकरण नहीं किया गया जबकि पूर्व की सरकार द्वारा ऐसे प्रयास किये गए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। असम में किसी निजी व्यक्ति द्वारा उल्फा उग्रवादियों के साथ वार्ता की पहल की गई। यह बात अखबारों में आई है। यह विश्वास करने के कई कारण हैं कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई पहल का वांछित परिणाम नहीं मिल सकता। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार किसी आधिकारिक माध्यम, आई.बी. या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से उल्फा के साथ बातचीत करने की कोई पहल कर रही है ताकि वार्ता उचित तरीके से हो सके ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल एक प्रश्न है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, केवल एक प्रश्न है और मैं बहुत संक्षेप में उत्तर दूंगा।

सरकार की नीति हिंसा का त्याग करने वाले लोगों से बातचीत करने की है। जब भी हमें कहीं से किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन से यह जानकारी मिलती है कि वे बातचीत के इच्छुक हैं और यदि वह जानकारी विश्वसनीय होती है तो हम इस बातचीत को सुनिश्चित करने के लिए आगे कदम उठाते हैं।

जहां तक 'उल्फा' का संबंध है, हमारी असम्बद्ध व्यक्तियों से बातचीत हुई है। यदि यह जानकारी हमें ऐसी लगती है कि हम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आगे कदम उठा सकते हैं, तो हम आगे कदम उठायेंगे। लेकिन हम यह कह चुके हैं कि हम बिना शर्तों के बातचीत करना चाहते हैं और यही बात दूसरी ओर से भी होनी चाहिए। एक और शर्त है और वह है हिंसा का त्याग करने की।

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक, आप अच्छे वक्ता हैं। कृपया संक्षिप्त और सारगर्भित प्रश्न कीजिए।

श्री हरिन पाठक: मैंने अपनी बात सदैव बहुत संक्षेप में कही हैं।

[हिन्दी]

महोदय, यह प्रश्न देश की आन्तरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मैंने मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ा है। उसे पढ़कर मुझे लगता है कि सरकार इसका उत्तर देने और इस पर अमल करने के प्रति जितनी संजीदा होनी चाहिए, उतनी नहीं है।

महोदय, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रश्न के 'ग' भाग में पूछा गया है कि ''ऐसे प्रत्येक संगठनों द्वारा कौन-सी विशेष मांगें की गई हैं;''

[अनुवाद]

मुझे खेद है, श्री त्रिपाठी जी ने ठीक ही कहा है कि किसी खास मांग का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि ऐसी मांग की गई है या नहीं। कम से कम गृह मंत्री जी को इस सम्माननीय सभा को यह बताना चाहिए कि कोई मांग की गयी थी अथवा नहीं की गयी थी। इसलिए, सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। मेरा अनुपूरक प्रश्न बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है और मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

महोदय, हमारे सामने कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं और हमने देखा है कि कई राज्य सरकारों ने जहां आपकी सरकारें हैं, उन्होंने हिंसा न छोड़ने वाले गुटों के साथ बातचीत करने का काम शुरू किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को यह ज्ञात है कि देश के विभिन्न भागों में, देश के अन्य राज्यों में, हिंसा न छोड़ने वाले गुटों अथवा संगठनों के साथ राज्य सरकारें बात कर रही हैं, यदि यह भारत सरकार को ज्ञात है, तो क्या सरकार इस निर्णय और इस नीति से सहमत है?

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, मैंने अभी बताया कि हम आतंकवाद का सामना अपने देश में किस प्रकार करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि केवल हथियार के आधार पर, फौज के आधार पर, पुलिस के आधार पर, उन पर गोलियां चलाकर, उनका खून बहाकर करना है, तो यह बात सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह आपके प्रश्न को सुन रहे हैं और जब वह उत्तर दे रहे हैं तो आप टोका-टाकी कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: उत्तर यह है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनकी बातों में सुधार करना जारी नहीं रख सकते। यह कोई तरीका नहीं होता।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: मैंने यह नहीं पूछा है। मैं जवाब चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रश्न पूछने के कई तरीके हैं। केवल दस मिनट शेष हैं और कम से कम, 20 सदस्य अपने अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, हमारा जो दृष्टिकोण है, आप पूछना चाहते हैं कि क्या हम उन लोगों से बात करने जा रहे हैं, जिनका विश्वास हथियार और आतंकवाद पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब सरकार में थे तो आपने जिन लोगों के साथ बात की, उनका विश्वास हथियार पर था, मगर आपने बात की। मैंने गलती की, ऐसा कहने नहीं जा रहा हूं, मैं यह कहने जा रहा हूं कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग करने की जरूरत है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मगर हम शक्ति का उपयोग पहले नहीं करेंगे। हम पहले बात करेंगे, आर्थिक सुधार करेंगे और सामाजिक न्याय देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो नागालैंड में बात की *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: क्या सरकार हिंसा करने वालों से बात करती है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के निर्णय का समर्थन कर रही है अथवा नहीं। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं स्पेसिफिक रिप्लाई दे रहा हूं, आप मेरा रिप्लाई खत्म होने के बाद बोलिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अठावले जी, आप बैठ जाइए, आप अभी तक मिनिस्टर नहीं बने हैं। पाटील जी, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्री रामदास आठवले, कृपया मुझे उत्तर देने दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया बैठ जाइए। केवल आठ मिनट शेष हैं और 20 सदस्य अपने अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उन्हें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे हे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए, मैं उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर प्रत्येक सदस्य उठकर इस तरह से मंत्री जी की बातों में व्यवधान उत्पन्न करेगा तो यह कैसे संभव होगा? जब मंत्री जी जवाब दे रहे हों तो कोई बीच में नहीं बोल सकता।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: प्रो. मल्होत्रा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। यदि आप बार-बार व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा *...(व्यवधान)* मैं यह कह रहा हूं कि हम जानते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष की शरण ले ली है। हम उन्हें इस प्रकार के दृष्टिकोण को छोड़ने के लिए कह रहे हैं हम उनसे यह कहना चाह रहे हैं कि हथियारों और खून-खराबे से बहुत कम परिणाम मिलेगा लेकिन बातचीत से, वार्ता से, विकास से कई उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। हम यही सब प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: उत्तर बहुत स्पष्ट है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भारत सरकार हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से बातचीत करने के लिए इच्छुक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सुश्री महबूबा मुफ्ती। जो सुश्री महबूबा मुफ्ती कहेंगी उसे ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सुश्री महबूबा मुफ्ती: सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहूंगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के लिए हमारे पास केवल 60 मिनट हैं और अब हम दूसरे प्रश्न पर हैं।

...(व्यवधान)

सुश्री महबूबा मुफ्ती: अभी किसी ने उल्लेख किया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए थे, उसी दिन कश्मीर में एक फिदाइन अटेक हुआ था। लेकिन वह यह बताना भूल गये। फिदाइन अटेक के बावजूद 40 हजार से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण सुनने के लिए आए थे।

[अनुवाद]

मेरा मेरा प्रश्न यह है कि राजग सरकार के दौरान पहले ही बिना शर्त दो दौर की बातचीत की जा चुकी है।

[हिन्दी]

पहले डिप्टी प्राइम मिस्टर श्री एल.के. आडवाणी जी और हुर्रियत के बीच में, और जो हुर्रियत के एक्टिंग चैयरमैन हैं, उन्होंने यह दावा किया कि पहले दो राउंड ऑफ टाक्स में यह एग्री हुआ था कि थर्ड राउंड ऑफ टाक्स के पहले एनडीए सरकार उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए इजाजत देगी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

हुर्रियत के कार्यकारी अध्यक्ष ने यह दावा किया था कि वह वहां जायेंगे और आतंकवादी नेताओं को मनाने का प्रयास करेंगे कि वह हिंसा का त्याग कर दें और वे किसी प्रकार के युद्ध विराम के लिए सहमत हों। अब जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सत्ता में है वह हर किस्म के लोगों के साथ डायलॉग करें और कश्मीर का माहौल सुधारे। हुर्रियत के नेताओं ने अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार राजग सरकार की नीति के अनुसार चलने की इच्छुक है और उन्हें पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए तैयार है। यदि वे हिंसा कम कर पाते हैं तो मैं समझती हूं हम काफी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: हाल ही में, मैं जम्मू कश्मीर में था और मैं मुख्यमंत्री के साथ था। प्रेस मीटिंग में मुझसे यह पूछा गया था कि यदि वे जाना चाहेंगे तो क्या उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जायेगी। मान लीजिए, वे लोक प्रतिनिधियों को छोड़ अन्य लोगों से बात करना चाहते हैं। वे लोगों के नेताओं, माननीय प्रधान मंत्री और सरकार के अन्य मंत्रियों से बाचीत करना चाहते हैं। हमें इस पर आपत्ति नहीं है।

हम यह कह चुके हैं कि यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आप वहां जा सकते हैं आपको उचित तरीके से आवेदन करना होगा और हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और हम निर्णय लेंगे। बात यह है कि इस विवाद का समाधान जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों और भारत के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के बीच करना होगा। यह मुख्य बात है।

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहम्मद सलीम—बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित प्रश्न पूछिए, और कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं इनके साथ पूरी तरह सम्बद्ध हूं कि गोली से नहीं, बोली से ही मामला हल होगा, चाहे वह कश्मीर में हो, चाहे वह नार्थ ईस्ट में हो या दूसरे हिस्सों में हो और अगर कोई अपने को यह प्रमाणित करना चाहे कि वह आपसे ज्यादा पवित्र है तो यह तो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हमारा अंदेशा यह है कि इससे पहले भी ऐसे कई जैस्चर्स और सिगनल्स भारत सरकार की तरफ से ऐसे गिरोहों को दिये गये हैं, चाहे वे कश्मीर में हों, चाहे वह नार्थ ईस्ट में हों, चाहे दूसरी जगह पर हों, लेकिन हमेशा यह देखा गया है कि कहीं न कहीं आगे जाकर मामला बिगड़ जाता है तो मैं गृह मंत्री से स्पेसिफिक एश्योरेंस चाहता हूं कि उन्होंने जो विकास की बात कही, इकोनोमिक डवलपमेंट की बात कही, सोशल रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही तो क्या सरकार एक प्लान ऑफ एक्शन और रोड मैप बनाएगी कि जिस तरह से डॉयलॉग चलते रहेंगे, उसी तरह से वहां की जनता की जो समस्या है, जिनको ये मिलिटेंट्स और एक्स्ट्रीमिस्ट्स कैश करते हैं, उनको भी हल करने के लिए साइमलटेनियसली प्रक्रिया जारी रहेगी और उसे एक लॉजिकल कन्क्लूजन तक ले जाया जायेगा, नहीं तो पिछले 2-3 राउंड्स पिछली सरकार के दौर में ऐसे हुए हैं कि सिगनल्स एण्ड जेस्चर्स दिये गये हैं, लेकिन उसको लॉजिकल टर्मिनेशन तक ले जाने में सरकार सफल नहीं हुई है।

श्री शिवराज वि. पाटील: हम यही करने जा रहे हैं, हम आपके हर लफ्ज को अपनायेंगे और उस पर अमल करेंगे और वही करने जा रहे हैं। जो 24 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया है, वह उसी के लिए है। नार्थ ईस्ट में जो रेलवे बनाने का, सड़क बनाने का, पावर हाउसेज बनाने का, वहां की सिटीज को बढ़ाने का, वहां की यूनिवर्सिटीज को सैण्ट्रल यूनिवर्सिटीज बनाने का कदम उसी दिशा में उठाया हुआ कदम है।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्लाह: धन्यवाद, महोदय। मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहूंगा तथा बहुत ही तर्कयुक्त बात कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री उमर अब्दुल्लाह: इस प्रश्न के भागों में से एक भाग आतंकवादियों से बातचीत करने के बारे में है। आपसी विश्वास कायम करने संबंधी उपाय खोजने तथा आतंकवादियों के साथ बातचीत करने का मुद्दा काफी हद तक सरकार की आत्मसमर्पण नीति से संबंधित है। क्या माननीय गृह मंत्री को हाल ही में जम्मू कश्मीर में उजागर हुए घोटाले की जानकारी है जहां झूठे आत्मसमर्पण किये गये, जहां बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के वायदों के बहाने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया गया? उन्हें आतंकवादियों जैसी वर्दी, आतंकवादियों जैसे कपड़े पहनाए जा रहे थे, उनके हाथों में बन्दूकें थमाई जा रही थी और तब रोजगार के वायदे किये गये थे। उनकी जिंदगी पर यह काला धब्बा हमेशा के लिए लग गया। उन्हें आतंकवादियों के रूप में जाना जाएगा न कि बेरोजगार युवकों के रूप में।

क्या सरकार इस बात की छानबीन करेगी। जांच करेगी तथा दोषियों को यथासम्भव कड़े से कड़ा दंड देगी?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि जो कुछ घटित हुआ है इसकी छानबीन होनी चाहिए। हम निश्चित ही राज्य सरकार को इसकी तहकीकात करने के लिए

कहेंगे तथा यदि इसकी छानबीन करना केन्द्र सरकार के लिए आवश्यक हुआ तो हम इसकी तहकीकात करवायेंगे।

लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यदि हम आर्थिक पैकेज दे रहे हैं, यदि हम 24,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं, हमको भीख नहीं चाहिए तो भगवान के लिए इसे इस तरीके से प्रस्तुत न करें। यदि केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लोगों को तथा सरकार को धनराशि दी जाती है, तो यह भीख नहीं है। आप इस धनराशि के हकदार हैं। हम भीख नहीं दे रहे हैं। आप अपना हिस्सा ले रहे हैं। भगवान के लिए, यह बात न कहते रहें तथा साथ ही यह न कहें कि यदि आर्थिक विकास नहीं हो रहा है और यदि बेरोजगारी है, यदि कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें गुमराह न किया जाए। ये बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस वाले अपनी तरफ ले गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके बैठने और कहने के बजाय प्रश्न करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो दोनों सदनों ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन लोक सभा और राज्य सभा में पास किया था और जिसमें आप सब भी शामिल थे, आप उससे बाउंड हैं या नहीं और उससे बाहर तो नहीं जायेंगे और अगर जायेंगे तो क्या सदन की अवहेलना होगी? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, 'सभी विकल्प खुले हैं' और आपने वहां पर यह कहा कि एनी लिमिट हम वहां पर जम्मू-कश्मीर में ऑटोनोमी देने के लिए तैयार हैं तो क्या यह देश के लिए घातक नहीं है? आप वहां पर आतंकवादियों से बातचीत करते हुए हिंसा छोड़कर उनको भाई मानेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि हम ज्योग्राफिकल और टैरीटोरियल एडजस्टमेंट करने के फेवर में नहीं हैं, वह बिल्कुल क्लियरली कहा है। दूसरी बात हमने कही है कि ऑटोनोमी की जो बात है, कुछ भाई कहते हैं, वहां की नेशनल कांफ्रेंस के भाई कहते हैं कि आप सैपरेट स्टेट मांगने वालों के साथ बात करते हैं, ऑटोनोमी मांगने वालों के साथ बात नहीं करते हैं। हमने उनको यही कहा है कि आटोनॉमी के बारे में हम बात करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब हमने यह नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा और हमने भी नहीं कहा, आटोनॉमी का मतलब है कि जो मांगा है, वह दिया जा रहा है या जो मांगा है, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, यह दोनों भी नहीं है। आटोनॉमी पर कोई बात करनी चाहिए, तो वह बात भी की जा सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल का समय पूरा हो गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें। श्री रामकृपाल यादव, आप आकर मुझसे मेरे कक्ष में मिलें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर में आतंकवाद

***83. श्री थावरचंद गेहलोत:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 के दौरान आज की तिथि तक राज्यवार हुई आतंकवादी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन घटनाओं में प्रत्येक में अनुमानत: कितने नागरिक, सुरक्षाकर्मी तथा आतंकवादी मारे गये और कितनी संपत्ति की क्षति हुई;

(घ) ऐसी घटनाओं में शामिल संगठन कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या ऐसी गतिविधियों में लिप्त उग्रवादी समूहों की सहायता आई.एस.आई. और बांग्लादेश द्वारा की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अमेरिका और अन्य देशों ने इन गतिविधियों को समाप्त करने में अपनी मदद की पेशकश की है;

(ज) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) मंत्री जी द्वारा स्थिति का जायजा लेने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये दौरों का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) चालू वर्ष (15.11.2004 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल मिलाकर हिंसा में कमी आई है और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। 2004 के दौरान (15 नवम्बर तक) घटी घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य का नाम	घटनाओं की संख्या	मारे गए सुरक्षा कार्मिकों की संख्या	मारे गये उग्रवादियों की संख्या	मारे गए सिविलियनों की संख्या
असम	229	14	1	188
मेघालय	42	8	-	12
त्रिपुरा	192	32	17	60
अरुणाचल प्रदेश	36	-	4	4
नागालैंड	167	-	-	39
मिजोरम	2	-	-	-
मणिपुर	273	28	3	48
कुल	941	82	25	351

ऐसी घटनाओं में क्षतिग्रस्त संपत्ति का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) ऐसी घटनाओं में शामिल प्रमुख उग्रवादी ग्रुप हैं: असम के युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी), मेघालय के हेन्नियूट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच एन एल सी) और अचिक नेशनल वोलंटियर काउंसिल (ए एन वी सी), नागालैंड में नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड के दोनों गुट तथा अरुणाचल प्रदेश के तीरण और चांगलांग क्षेत्रों में भी [एन एस सी एन (आई एम) और (के)], मणिपुर में मैतेई अलगाववादी ग्रुप और त्रिपुरा में आल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (ए टी टी एफ) और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा।

(ङ) और (च) बांग्लादेश में भारत के विद्रोही ग्रुपों की गतिविधियों और शिविरों के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पाक आई एस आई, पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को सामग्री और संभार तंत्र की सहायता प्रदान कर रहा है।

(छ) और (ज) सरकार को ऐसे कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों द्वारा पैदा की गई स्थिति से निपटने में हमारे सुरक्षा बल सक्षम हैं। देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्थाओं में अलग-अलग और विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है।

(झ) केन्द्रीय गृह मंत्री ने 4 से 6 सितम्बर, 2004 तक मेघालय और मणिपुर का दौरा किया था। उन्होंने अक्तूबर, 2004 के पहले हफ्ते में नागालैंड और असम का भी दौरा किया था।

(ञ) सरकार की नीति बातचीत करना, विकास करना, सामाजिक न्याय दिलाना, सही प्रकार के कानूनों का होना तथा पुलिस/सुरक्षा बलों को आधुनिक, मजबूत बनाना, बलों की सहायता से उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटना, समाज के निर्दोष लोगों के जान-माल तथा उनकी शारीरिक रूप से रक्षा करना है।

[अनुवाद]

दसवीं पास युवाओं को शिक्षकों द्वारा शिक्षक पद दिया जाना

***84. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालयों में नियमित शिक्षक अपने पद दसवीं पास युवाओं को आगे अल्प वेतन पर सौंप देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या यह भी देखने में आया है कि प्राथमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले 60 प्रतिशत से अधिक बच्चे स्थायी साक्षरता प्राप्त नहीं कर पाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या स्थिति को सुधारने के लिए कोई उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों के नियमित शिक्षकों के संबंध में ऐसा कोई मामला केन्द्र सरकार की जानकारी में नहीं आया है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय अधिकांशत: राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य द्वारा संचालित किये जाते हैं। प्रश्न में उल्लिखित किसी प्रकार की अनियमितता होने की स्थिति में उस पर संबंधित राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ग) प्राथमिक स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में 'स्थायी साक्षरता' का निर्धारण करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(घ) 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों की उपस्थिति तथा अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिनमें स्कूलों का सामुदायिक स्वामित्व, विकेन्द्रीकृत प्रबंधन, समुदाय के प्रति जवाबदेही तथा समुदाय द्वारा मॉनीटरिंग, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अतिरिक्त शिक्षकों का प्रावधान करना शामिल है।

आयातित स्क्रैप के कारण उत्पन्न सुरक्षा खतरा

***85. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयातित स्क्रैप में हुए विस्फोट के कारण देश में राज्यवार कितने लोग मारे गये;

(ख) पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न खतरे के मद्देनजर देश में स्क्रैप के रूप में आने वाले जीवित गोला-बारूद के पूरे मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) आयातित लौह स्क्रैप को उतारते समय मैसर्स भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि., गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) फैक्टरी के परिसर के अंदर 30.9.2004 को हुए विस्फोट में 10 व्यक्ति मारे गए और 8 घायल हो गए। इसके अतिरिक्त, 20.10.2004 को इंडो पावर सर्विस रोलिंग फैक्टरी नवगांव (भावनगर), गुजरात में लौह स्क्रैप में हुए विस्फोट में दो व्यक्ति मारे गए थे और तीन अन्य घायल हो गए।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि., गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपये और घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 25,000 रुपए का भुगतान किया है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 20.10.2004 को हुई घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कई उपचारात्मक उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई सलाह भी शामिल है कि (क) पुलिस सतर्कता तेज करने और स्क्रैप से शैल/रॉकिटों, यदि कोई हो, को छांटने के लिए स्टील और लौह फैक्टरियों में पड़े स्क्रैप की आवश्यक जांच की जाए, (ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि फैक्टरी मालिकों द्वारा सड़क और नदी के किनारे रॉकिटों, मोर्टारों और शैलों को न फेंका जाए, और (ग) स्टील और लौह फैक्टरियों के परिसरों में पड़े स्क्रैप की वास्तविक जांच करने के लिए जब भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी चाहें, उनकी सहायता की जाए। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से भी अनुरोध किया गया है कि वे शैलों/रॉकिटों का पता लगाने और बरामद किए गए शैलों/रॉकिटों का निपटान करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की यथा-संभव सहायता करने के लिए अपने फील्ड संगठनों को निर्देश जारी करें। सरकार ने भी धात्विक स्क्रैप और अपशिष्ट के आयात के लिए कतिपय नए दिशानिर्देश और प्रक्रिया निर्धारित की है।

विदेशी विश्वविद्यालय

*86. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को अनुमति देने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना हैं;

(घ) देश में शिक्षा में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत में सम्बद्ध केन्द्र स्थापित करने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों के अनेक आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश में विद्यमान विदेशी विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध केन्द्रों द्वारा दी जा रही उपाधियों की गुणवत्ता और वसूल किए जा रहे भारी शुल्क के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो नए आवेदनों को स्वीकृत करने से संबंधित ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सावधानियां बरती जा रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश देने के संबंध में एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के परिणामस्वरूप उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के प्रभावित होने वाले सम्पूर्ण मुद्दों के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी सिफारिश सौंपने का अनुरोध किया जाएगा।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को परिषद द्वारा अधिसूचित विनियमों के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों से अभी तक 36 आवेदन विचारार्थ प्राप्त हुए हैं।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

बिजली की प्रति व्यक्ति मांग और आपूर्ति

*87. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विभिन्न स्रोत से उपलब्ध विद्युत का प्रति व्यक्ति मांग और उत्पादन में दर्ज अंतर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सेन्ट्रल पूल से प्रत्येक राज्य को कुल कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई है;

(ग) क्या आगामी पांच वर्षों के दौरान उपभोग और उत्पादन का अंतर समाप्त होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ङ) विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है;

(च) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष हेतु निधियों के आवंटन में कमी की गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद): (क) (1) प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत के संगणन की पुरानी पद्धति के अनुसार कुल उत्पादित विद्युत को मध्यवर्ष जनसंख्या से भाग देने से पूर्व पारेषण और वितरण हानियों, अतिरिक्त खपत आदि को अलग कर दिया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात्, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए राज्यवर रूप से प्रति व्यक्ति विद्युत खपत एवं विद्युत उत्पादन के बीच अंतर विवरण* 1(क), 1(ख) और 1(ग) में दर्शाए गए हैं।

(2) भारत में 2001-02 से अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र पद्धति के अनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत का पता लगाने के लिए टर्मिनल में तैयार संपूर्ण विद्युत की गणना की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई विद्युत की मात्रा को खपत की गई विद्युत माना जाता है। अत: इस परिभाषा के अनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत और प्रतिव्यक्ति विद्युत उत्पादन के बीच कोई अंतर नहीं है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान नई परिभाषा के अनुसार राज्यवार प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत/विद्युत उत्पादन के ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं।

*शुद्धि करने वाला विवरण I(क), (ख), (ग) और विवरण-II मंत्री महोदय द्वारा दि. 21.12.2004 को सभा पटल पर रखे गये।

(3) यद्यपि, प्रश्न के विषय के मद्देनजर पिछले तीन वर्षों, अर्थात्, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान प्रति व्यक्ति विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को दर्शाते हुए राज्यवार आंकड़े तैयार कर लिए गए हैं और विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

(ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केंद्रों से आहरित वैद्युत ऊर्जा के ब्यौरे विवरण-IV के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) अगले 5 वर्षों के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को क्रमिक रूप से कम किए जाने तथा वर्ष 2012 में 11वीं योजना के अंत तक इस अंतर को पूरी तरह से दूर किए जाने की संभावना है। प्रति व्यक्ति विद्युत मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं-

* 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 41,110 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया हैं। 11वीं योजना में 60,000 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें 11वीं योजना में आरंभ किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम कार्रवाई पहले ही कर ली गई है।
* नई चालू की गई यूनिटों का शीघ्र प्रचालन तथा थर्मल यूनिटों में संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) में समग्र वृद्धि।
* विद्युत उत्पादन के इष्टतम उपयोग तथा अंत:क्षेत्रीय विद्युत पारेषण के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना।
* विद्युत वितरण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने कुल पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने तथा विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक अर्थक्षमता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया है।
* मांग पक्ष प्रबंधन, उर्जा दक्षता और संरक्षण संबंधी उपाय।
* पुरानी एवं अकुशल विद्युत उत्पादन यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीरण के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ब्याजगत सब्सिडी के साथ ऋण का वितरण।

(ङ) अखिल भारतीय आधार पर वैद्युत ऊर्जा की वार्षिक वृद्धि दर नीचे बताई गई है-

वर्ष	वार्षिक % बढ़ोत्तरी
2001-02	3.2
2002-03	2.9
2003-04	6.1

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण-I(क)

वर्ष 2001-02 के लिए प्रतिव्यक्ति विद्युत उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के बीच राज्यवार अंतर (पुरानी परिभाषा के अनुसार)

राज्य/यूटी का नाम	प्रति व्यक्ति उत्पादन कि.वा.घं.	प्रति व्यक्ति खपत कि .वा.घं.	प्रति व्यक्ति उत्पादन व खपत में अंतर कि.वा.घं.
1	2	3	4
हरियाणा	924.37	532.90	391.47
हिमाचल प्रदेश	540.35	397.66	142.69
जम्मू व कश्मीर	604.33	292.82	311.51

1	2	3	4
पंजाब	1253.27	835.69	417.58
राजस्थान	517.41	284.71	232.69
उत्तर प्रदेश	311.28	189.02	122.26
उत्तरांचल	418.24	284.05	134.19
चंडीगढ़	637.01	815.45	-178.43
दिल्ली	1341.61	696.54	645.07
उप जोड़	530.16	316.13	214.02
गुजरात	1094.23	817.18	277.05
मध्य प्रदेश	495.48	273.04	222.44
छत्तीसगढ़	622.90	394.51	228.39
महाराष्ट्र	851.24	507.90	343.34
गोवा	1806.01	1067.89	738.13
दमन व दीव	7388.06	4622.88	2765.19
दादरा व नगर हवेली	3993.39	3722.13	271.26
उप जोड़	804.03	513.45	290.58
आंध्र प्रदेश	699.74	494.13	205.60
कर्नाटक	638.03	427.76	210.27
केरल	424.73	280.80	143.94
तमिलनाडु	782.12	623.25	158.88
लक्षद्वीप	331.00	1624.87	-1293.87
पांडिचेरी	1676.61	290.50	1386.11
उप जोड़	673.04	488.81	184.23
बिहार	76.13	36.29	39.84
झारखंड	517.66	363.67	153.99
उड़ीसा	546.40	324.55	221.84
पश्चिम बंगाल	343.07	218.10	124.96
अंडमान व निकोबार	319.44	253.19	66.25
सिक्किम	222.11	224.22	-2.11
उप जोड़	298.34	185.94	112.40

1	2	3	4
असम	159.17	99.42	59.75
मणिपुर	198.28	69.43	128.85
मेघालय	354.06	235.35	118.71
नागालैंड	129.85	57.19	72.66
त्रिपुरा	208.72	108.75	99.97
अरुणाचल प्रदेश	155.10	68.33	86.77
मिजोरम	277.08	147.09	129.99
उप जोड़	178.50	104.49	74.00
कुल (अखिल भारत)	557.95	360.97	196.97

विवरण I(ख)

वर्ष 2002-03 के लिए प्रतिव्यक्ति विद्युत उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के बीच राज्यवार अंतर
(पुरानी परिभाषा के अनुसार)

राज्य/यूटी का नाम	प्रति व्यक्ति उत्पादन कि.वा.घं.	प्रति व्यक्ति खपत कि .वा.घं.	प्रति व्यक्ति उत्पादन व खपत में अंतर कि.वा.घं.
1	2	3	4
हरियाणा	997.08	580.05	417.04
हिमाचल प्रदेश	598.71	420.38	178.33
जम्मू व कश्मीर	592.41	316.42	275.99
पंजाब	1227.39	870.39	357.00
राजस्थान	566.14	290.91	275.24
उत्तर प्रदेश	316.13	187.73	128.40
उत्तरांचल	472.08	311.68	160.40
चंडीगढ़	648.46	858.82	-210.36
दिल्ली	1426.17	739.00	687.17
उप जोड़	550.65	326.35	224.30

1	2	3	4
गुजरात	1192.87	837.99	354.88
मध्य प्रदेश	520.35	278.16	242.19
छत्तीसगढ़	675.86	515.80	160.06
महाराष्ट्र	848.02	538.53	309.49
गोवा	1842.70	1160.60	682.10
दमन व दीव	7375.94	4830.71	2545.23
दादरा व नगर हवेली	4135.15	4078.70	56.46
उप जोड़	835.61	543.83	291.78
आंध्र प्रदेश	672.64	468.02	204.62
कर्नाटक	611.16	462.80	148.36
केरल	377.54	284.53	93.01
तमिलनाडु	815.26	645.44	169.62
लक्षद्वीप	348.17	1605.16	-1256.99
पांडिचेरी	1761.24	303.83	1457.41
उप जोड़	660.32	494.80	165.52
बिहार	77.78	44.91	32.87
झारखंड	461.68	310.01	151.67
उड़ीसा	463.64	345.97	117.68
पश्चिम बंगाल	358.38	224.57	133.81
अंडमान व निकोबार	375.14	292.54	82.59
सिक्किम	216.83	130.84	86.00
उप जोड़	284.39	188.22	96.17
असम	159.97	105.54	54.44
मणिपुर	206.37	72.88	133.49
मेघालय	335.86	300.84	35.02
नागालैंड	139.11	61.42	77.69
त्रिपुरा	227.26	111.34	115.92

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	132.45	70.72	61.73
मिजोरम	299.85	162.25	137.60
उप जोड़	180.29	113.72	66.57
कुल (अखिल भारत)	565.42	373.00	192.42

विवरण I(ग)

वर्ष 2003-04 के लिए प्रतिव्यक्ति विद्युत उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के बीच राज्यवार अंतर
(पुरानी परिभाषा के अनुसार)

राज्य/यूटी का नाम	प्रति व्यक्ति उत्पादन कि.वा.घं.	प्रति व्यक्ति खपत कि.वा.घं.	प्रति व्यक्ति उत्पादन व खपत में अंतर कि.वा.घं.
1	2	3	4
हरियाणा	937.44	618.98	318.46
हिमाचल प्रदेश	753.00	445.45	307.55
जम्मू व कश्मीर	647.46	327.04	320.42
पंजाब	1300.64	902.76	397.88
राजस्थान	538.95	294.08	244.87
उत्तर प्रदेश	299.63	188.83	110.80
उत्तरांचल	831.68	342.05	489.63
चंडीगढ़	878.90	853.34	25.56
दिल्ली	1542.04	796.85	745.19
उप जोड़	558.97	336.85	222.12
गुजरात	1175.23	917.96	257.27
मध्य प्रदेश	478.78	283.54	191.24
छत्तीसगढ़	677.66	404.51	273.15
महाराष्ट्र	878.57	559.35	319.22
गोवा	2178.47	1067.35	1111.12
दमन व दीव	7037.98	5428.11	1609.87
दादरा व नगर हवेली	7496.78	6631.49	865.29
उप जोड़	837.20	563.43	273.77

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	718.84	495.30	223.54
कर्नाटक	646.26	481.73	160.53
केरल	386.20	291.11	95.09
तमिलनाडु	866.43	677.37	189.06
लक्षद्वीप	1133.75	296.25	837.50
पांडिचेरी	184.16	1828.55	15.61
उप जोड़	699.34	519.27	180.07
बिहार	70.01	44.85	25.16
झारखंड	558.76	394.87	163.7
उड़ीसा	688.79	373.45	315.34
पश्चिम बंगाल	400.13	237.47	162.66
अंडमान व निकोबार	420.29	301.89	118.40
सिक्किम	707.07	323.69	383.38
उप जोड़	344.58	207.41	137.17
असम	160.08	105.34	54.74
मणिपुर	218.37	70.55	147.82
मेघालय	416.02	332.37	83.65
नागालैंड	155.91	65.47	90.44
त्रिपुरा	263.65	125.34	138.31
अरुणाचल प्रदेश	224.64	110.33	114.31
मिजोरम	300.76	140.28	160.48
उप जोड़	192.33	117.27	75.06
कुल (अखिल भारत)	590.42	390.03	200.39

विवरण II

नई परिभाषा के अनुसार राज्य-वार प्रति व्यक्ति खपत/उत्पादन का ब्यौरा

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	प्रति व्यक्ति खपत/उत्पादन		
	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
चंडीगढ़	637.01	648.46	676.90
दिल्ली	1341.61	1426.17	1542.04
हरियाणा	924.37	997.08	937.44
हिमाचल प्रदेश	540.35	598.71	753.00
जम्मू और कश्मीर	604.33	592.41	647.46
पंजाब	1253.27	1227.39	1300.64
राजस्थान	517.41	566.14	538.64
उत्तर प्रदेश	311.28	316.13	299.63
उत्तरांचल	412.72	468.70	825.10
छत्तीसगढ़	622.90	675.86	677.66
गुजरात	1094.23	1192.87	1175.23
मध्य प्रदेश	495.48	520.35	474.78
महाराष्ट्र	851.24	848.02	878.57
दमन और दीव	7388.06	7375.94	7037.98
दादर नगर हवेली	3993.39	4135.15	7496.78
गोवा	1806.01	1842.76	2178.47
आंध्र प्रदेश	699.74	672.64	718.84
कर्नाटक	638.03	611.16	642.26
केरल	424.73	377.54	386.20
तमिलनाडु	782.12	815.26	866.43
पांडिचेरी	1676.61	1761.24	1844.16
लक्षद्वीप	331.00	348.17	1133.75
बिहार	81.50	81.55	75.44

1	2	3	4
झारखंड	521.09	467.70	564.26
उड़ीसा	550.02	470.18	695.42
पश्चिम बंगाल	351.10	366.50	410.19
अंडमान और निकोबार	319.44	375.14	420.29
सिक्किम	230.47	246.87	765.68
आंध्र प्रदेश	155.10	132.45	224.64
असम	159.17	159.97	160.08
मणिपुर	198.28	206.37	218.37
मेघालय	354.06	335.86	416.02
मिजोरम	277.08	299.85	300.76
नागालैंड	129.85	139.11	155.91
त्रिपुरा	208.72	227.26	263.65
अखिल भारत	559.18	566.69	592.00

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रिड स्तर पर राज्यवार प्रति व्यक्ति विद्युत मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर

(सभी आंकड़े मि.यू. में)

	2001-02					2002-03					2003-04				
राज्य/प्रणाली	जनसंख्या	मांग	आपूर्ति	अधिशेष/ कमी(-)	प्रति व्यक्ति कमी कि.वा.घं.	जनसंख्या	मांग	आपूर्ति	अधिशेष/ कमी(-)	प्रति व्यक्ति कमी कि.वा.घं.	जनसंख्या	मांग	आपूर्ति	अधिशेष/ कमी(-)	प्रति व्यक्ति कमी कि.वा.घं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
चंडीगढ़	0.92	110	1108	-2	-2.2	0.94	1146	1141	-5	-5.3	0.96	1088	1087	-1	-.10
दिल्ली	14.07	19350	18741	-609	-43.3	14.49	19946	19567	-379	-26.2	14.94	20440	20160	-280	-18.7
हरियाणा	21.40	18138	17839	-299	-14.0	21.74	20298	196.88	-610	-28.1	22.14	20733	19779	-964	-43.5
हिमाचल प्रदेश	6.13	3293	3206	-87	-14.2	6.20	3427	3341	-86	-13.9	6.26	3439	3424	-15	-2.4
जम्मू व कश्मीर	10.22	6635	5899	-736	-72.0	10.51	7243	6327	-916	-87.2	10.81	7105	6780	-325	-30.1
पंजाब	24.55	28780	27577	-1203	-49.0	24.86	30082	28313	1-769	-71.2	25.20	31420	30520	-900	-35.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
राजस्थान	57.33	24745	24495	-250	-4.4	58.43	25917	253.82	-535	-9.2	59.63	26611	26486	-125	-2.1
उत्तर प्रदेश	176.86	48232	43345	-4787	-27.1	171.70	44777	36789	-7988	-46.5	175.27	46552	40399	-6153	-35.1
उत्तरांचल*	-	-	-	-	-	8.71	3774	3670	0	0.0	8.86	4197	4108	-89	-10.0
उ. क्षे.	311.48	150383	142410	-7973	-25.6	317.58	156610	144218	-12392	-39.0	324.07	161595	152743	-8852	-27.3
छत्तीसगढ़	20.93	8054	7825	-229	-10.9	21.41	9868	9561	-307.	-14.3	21.83	10147	9876	-271	-12.4
गुजरात	51.66	536.93	47530	-6163	-119.3	52.40	60176	53316	-6859	-130.09	52.85	57171	50292	-6879	-130.2
मध्य प्रदेश	61.10	31013	26333	4780	-78.2	62.39	31705	26493	-5212	-83.5	63.69	32744	28417	-4327	-67.9
महाराष्ट्र	97.78	80489	73438	-7051	-72.1	99.20	87152	75472	-11680	-117.7	100.67	87933	78966	-8967	-89.1
दमन व दीव[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	633	633	0	0.0
दादरा व नगर हवेली[6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	1073	1073	0	0.0
गोवा	1.36	1767	1767	0	0.0	1.40	1845	1845	0	0.0	1.44	1979	1979	0	0.0
प. क्षे.	232.83	175016	156793	18223	78.3	236.80	190745	166687	-24058	-101.6	240.88	191680	171236	-20444	-84.9
आंध्र प्रदेश	76.01	483.94	44302	-4092	-53.8	77.15	47258	44049	-3209	-41.6	78.12	48080	46680	-1400	-17.9
कर्नाटक	53.19	32556	28493	-4063	-76.4	53.85	32249	29084	-3165	-58.8	54.54	36153	31145	-5008	-91.8
केरल	31.97	13334	12349	-985	-30.8	32.36	13628	12693	-935	-28.9	32.71	12995	12498	-497	-15.2
तमिलनाडु	63.40	46232	42951	-3281	-51.8	63.10	46262	43476	-2786	-44.2	63.75	45665	45042	-623	-9.8
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	0.99	1228	1228	0	0.0	1.01	1479	1479	0	0.0
लक्षद्वीप	0.06	-	-	-	0.0	0.06	0	0	0	0.0	0.06	0	0	0	0.0
द. क्षे.	224.63	140516	128095	-12421	-55.3	227.51	140625	130530	-10095	-44.4	230.19	144372	136844	-7528	-32.7
बिहार	111.48	13530	13148	-382	-3.4	85.58	8096	7422	-674	-7.9	87.16	7588	5878	-1710	-19.6
झारखंड	-	-	-	-	-	27.66	5471	5410	0	0.0	28.11	7493	7294	-199	-7.1
उड़ीसा	36.97	12328	12318	-10	-0.3	37.46	13393	13087	-306	-8.2	37.94	13610	13375	-235	-6.2
प. बंगाल	80.78	24830	24731	-99	-1.2	81.99	23693	24341	-352	-4.3	83.12	26286	25740	-546	-6.6
अंडमान व निकोबार	0.36	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.37	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.38	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
सिक्किम	0.55	-	-	-	-	0.56	-	-	-	-	0.56	-	-	-	-
पू. क्षे.	230.14	50687	50197	-490	-2.1	233.62	51653	50260	-1393	-6.0	237.27	54977	52287	-2690	-11.3
अरुणाचल प्रदेश	1.10	136.3	134.6	-1.7	-1.5	1.12	162.4	161.4	-1	-0.9	1.13	177	175	-2	-1.8
असम	26.85	3450.5	3425.2	-25.3	-0.9	27.37	3458	3349	-109	-4.0	27.85	3527	3321	-206	-7.4
मणिपुर	2.43	456.5	440.6	1-5.9	-6.5	2.45	487.4	483.4	-4	1.6	2.49	480	469	-11	-4.4
मेघालय	2.34	700.1	705	4.9	2.1	2.37	949.2	947.2	-2	-0.8	2.40	1151	1076	-75	-31.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मिजोरम	0.90	284.5	278.5	-6.0	-6.7	0.91	294.7	292.7	-2	-2.2	0.93	283	276	-7	-7.5
नागालैंड	2.05	260.1	258.4	-1.7	-0.8	2.06	290.1	289.1	-1	-0.5	2.08	306	300	-6	-2.9
त्रिपुरा	3.20	647.1	612.6	-34.5	-10.8	3.26	708.3	672.3	-36	-11.0	3.31	716	671	-45	-13.6
उ.पू.क्षे.	38.87	5935.1	5854.9	-80.2	-2.1	39.54	6350.1	6195.1	-155	-3.9	40.19	6640	6288	-352	-8.8
अखिल भारत	1037.95	522537	483350	-39187	-37.8	1055.05	545983.1	497890.1	-48093	-45.6	1072.60	559264	519264	519398	-39866

नोट: *2001-02 के दौरान सूचना के संबंध में उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल, बिहार में झारखंड और तमिलनाडु में पांडिचेरी शामिल है।

(\$) वर्ष 2001-02 और 2002-03 में गुजरात में दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली के आंकड़े शामिल हैं और वर्ष 2003-04 (अप्रैल-अगस्त, 2003 तक) के आंकड़े भी गुजरात में शामिल हैं।

(**) जनसंख्या मिलियन में एम यू - मिलियन कि.वा.घं.

उ.न.—उपलब्ध नहीं

विवरण IV

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रों से आहरित विद्युत के ब्यौरे

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)			
चंडीगढ़	1054	1056	1363
दिल्ली	15517	15941	16844
हरियाणा	12076	11882	11526
हिमाचल प्रदेश	1888	2033	1855
जम्मू और कश्मीर	4967	5785	5545
पंजाब	10233	11099	12160
राजस्थान	13518	11515	12009
उत्तर प्रदेश	21040	16005	19913
यूपीसीएल	*	3016	2209
कुल (उत्तर क्षेत्र)	80293	78332	83424
पश्चिमी क्षेत्र (डब्लूआर)			
छत्तीसगढ़	858	2992	2884
गुजरात	12378	11773	11116

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	12859	11051	10972
महाराष्ट्र	15168	15957	16039
गोवा	1219	1806	1828
दमन और दीव + दादर नगर हवेली	2281	2484	2700
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	44763	46053	45539
दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)			
आंध्र प्रदेश	9648	11836	14990
कर्नाटक	7149	8016	7757
केरल	5211	6288	6061
तमिलनाडु	13309	14037	17242
पांडिचेरी	1268	1364	1469
गोवा	578	653	734
कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	37163	42194	48253
पूर्वी क्षेत्र (ईआर)			
बिहार	11780	5640	5331
डीवीसी	1380	540	1111
झारखंड	$	5759	6175
उड़ीसा	2990	5862	6588
पश्चिम बंगाल	5576	4002	7114
सिक्किम	72	75	366
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	21798	21878	26685
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)			
अरुणाचल प्रदेश	113	140	155
असम	1761	1597	2693
मणिपुर	436	480	466
मेघालय	135	370	556

1	2	3	4
मिजोरम	265	279	261
नागालैंड	253	284	295
त्रिपुरा	312	340	162
कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	3275	3490	4588
कुल अखिल भारत	187292	191957	208489

*उत्तर प्रदेश में शामिल

$बिहार में शामिल

नोट: ऊपर दिये गये आंकड़ों में संयुक्त मालिकाने वाली और केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों से आपूर्ति की गई विद्युत में शामिल है।

औषधों का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलना

***88. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी की आवश्यकता के मद्देनजर भेषज कंपनियों के लाभ को सीमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सूचीबद्ध फार्मूलेशनों के लाभ को कम करने के संबंध में भी कोई समिति नियुक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की संभावना है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और उसके बाद राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के ध्यान में आई ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो औषधियों के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल रही हैं;

(छ) उक्त अवधि के दौरान लिए गए अधिक मूल्य को वसूलने सहित प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ज) क्या सरकार का विचार औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 में संशोधन करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ङ) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या (सी) 3668/2003 पर सर्वोच्च न्यायालय के मत के आलोक में मूल्य नियंत्रण (ट्रेज मार्जिन सहित) के विस्तार की जांच करने और उचित मूल्यों पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए उपाय सुझाने हेतु संयुक्त सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दी है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एन पी पी ए) की अगस्त 1997 में शुरुआत से नवम्बर, 2004 तक 246 कंपनियों के विरुद्ध मांग उठाई गई है। इनमें से मोटे तौर पर 67% यानि 165 कंपनियों ने आंशिक या पूर्ण रूप से देय राशि का भुगतान किया है। अब तक लगभग 80 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं।

(ज) और (झ) वर्तमान में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में संशोधन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर

***89. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2003 में राज्य सरकारों से प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या के संबंध में प्राप्त रिपोर्टें अपूर्ण और सत्य से परे थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त सूचना के संदर्भ में तथ्यों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) छह से चौदह वर्ष के आयु वर्ग में प्रवेश योग्य कुल बच्चों में से उन बच्चों का प्रतिशत कितना है जो देश के प्रत्येक राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं और प्रत्येक राज्य में अलग-अलग प्राथमिक विद्यालयों में अनुमानित कमी कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) प्राथमिक स्कूल स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या के संबंध में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 2002-03 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नामांकन आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई प्राथमिक स्कूल स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की राज्य-वार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ङ) छह से चौदह वर्ष के आयु-वर्ग में कुल बच्चों में से 2002-03 के दौरान प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा-1 से 8 में नामांकित बच्चों की राज्यवार प्रतिशतता का अनुपात सकल नामांकन अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है और उसे विवरण-I पर दर्शाया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित सातवें अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, 2002-03 के दौरान उन बस्तियों की राज्यवार संख्या विवरण-II में दी गई है जहां प्राथमिक स्कूल नहीं हैं।

विवरण I

2002-03 के दौरान प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों की राज्य-वार संख्या और प्रारंभिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्कूल स्तर (1-5) पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या	प्रारंभिक स्तर पर (1-8) पर सकल नामांकन अनुपात (6-14 वर्ष)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1108559	83.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	15588	91.68
3.	असम	792617	73.85
4.	बिहार	2309497	56.31
5.	छत्तीसगढ़*	–	91.80
6.	गोवा	717	104.87
7.	गुजरात	359253	98.12
8.	हरियाणा	31486	75.74
9.	हिमाचल प्रदेश	20423	111.41
10.	जम्मू और कश्मीर	65006	75.25
11.	झारखंड*	–	59.09
12.	कर्नाटक	285628	96.18
13.	केरल	0	97.69
14.	मध्य प्रदेश	882404	83.26
15.	महाराष्ट्र	392107	98.70
16.	मणिपुर	18145	120.98
17.	मेघालय	61305	92.93
18.	मिजोरम	26543	109.33
19.	नागालैंड	25266	53.30
20.	उड़ीसा	591289	85.61
21.	पंजाब	121424	66.42
22.	राजस्थान	1356305	82.33
23.	सिक्किम	13863	99.16
24.	तमिलनाडु	225595	109.13
25.	त्रिपुरा	53013	102.33
26.	उत्तर प्रदेश	1047702	75.27
27.	उत्तरांचल*	–	96.76
28.	पश्चिम बंगाल	1019673	85.82
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	195	107.90

1	2	3	4
30.	चंडीगढ़	5821	73.39
31.	दादरा और नगर हवेली	1663	109.91
32.	दमन और दीव	0	109.93
33.	दिल्ली	36450	90.51
34.	लक्षद्वीप	0	108.71
35.	पांडिचेरी	0	117.80
	भारत	10831555	82.51

*पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या उनके संबंधित मूल राज्यों के साथ दर्शाई गई है।

नोट: कुछ राज्यों में सकल नामांकन अनुपात अधिक आयु तथा कम आयु नामांकन के कारण 100 से अधिक हो सकता है।

विवरण II

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित सातवें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार 2002-03 के दौरान उन बस्तियों की संख्या जहां प्राथमिक स्कूल नहीं हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बस्तियों की कुल संख्या	उन बस्तियों की संख्या जो प्राथमिक स्कूल के अंतर्गत शामिल की गई हैं*	उन बस्तियों की संख्या जहां प्राथमिक स्कूल नहीं हैं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	66528	6247	4053
2.	अरुणाचल प्रदेश	4200	2168	2032
3.	असम	67138	56622	10516
4.	बिहार	73030	64935	8095
5.	छत्तीसगढ़	37933	34346	3587
6.	गोवा	711	646	65
7.	गुजरात	33258	31136	2122
8.	हरियाणा	8839	8123	716
9.	हिमाचल प्रदेश	35844	26877	8967
10.	जम्मू-कश्मीर	20877	16409	4468
11.	झारखंड	48465	37399	11066
12.	कर्नाटक	51853	45845	6008
13.	केरल	6664	5295	1369
14.	मध्य प्रदेश	85149	75949	9200
15.	महाराष्ट्र	77800	70929	6871

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	3819	3034	785
17.	मेघालय	7277	6219	1058
18.	मिजोरम	746	674	72
19.	नागालैंड	1478	1398	80
20.	उड़ीसा	89682	74370	15312
21.	पंजाब	14726	13763	963
22.	राजस्थान	81014	64678	16336
23.	सिक्किम	1390	1083	307
24.	तमिलनाडु	53980	47763	6217
25.	त्रिपुरा	7556	5732	1824
26.	उत्तर प्रदेश	208932	183772	25160
27.	उत्तरांचल*	25206	21193	4013
28.	पश्चिम बंगाल	115685	106757	8928
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	673	430	243
30.	चंडीगढ़	23	20	3
31.	दादरा और नगर हवेली	460	394	66
32.	दमन और दीव	82	71	11
33.	दिल्ली	179	179	0
34.	लक्षद्वीप	7	7	0
35.	पांडिचेरी	187	172	15
	भारत	1231391	1070863	160528

*शामिल की गई बस्ती में और 1 कि.मी. की दूरी के अंदर के प्राथमिक स्कूल।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय

***90. श्री पी. राजेन्द्रन:**
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार केन्द्रीय/राज्यीय/मानिद/मुक्त विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2003-2004 और 2004-05 के दौरान और आज तक प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ग) गत दशक के दौरान आरंभ हुए विश्वविद्यालय और मानिद विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मानिद विश्वविद्यालयों को आरंभ करने के पीछे इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिया है कि इस प्रकार प्रवेश और नियुक्तियों पर से राज्य का नियंत्रण समाप्त हो जाता है; और

(ङ) इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आरंभ किये गये उन मानिद विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जो राज्यों द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के अनुसार छात्रों को प्रवेश देते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) इस समय देश में कुल 315 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 18 केन्द्रीय, 195 राज्य, 92 समविश्वविद्यालय तथा 10 मुक्त विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 (30 नवम्बर, 2004 तक) के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर सरकार द्वारा किया गया व्यय विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विवरण-*III* में दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 1991 से 146 केन्द्रीय/राज्य/सम/मुक्त विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा की ऐसी संस्था को जो ऐतिहासिक या अन्य कारणों से विश्वविद्यालय नहीं हैं, परन्तु जो केन्द्र सरकार द्वारा घोषित विश्वविद्यालय की तरह विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्य कर रही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है। किसी 'सम विश्वविद्यालय' को शैक्षिक स्वतंत्रता तथा अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। सम-विश्वविद्यालयों में प्रवेश तथा नियुक्तियां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर तैयार नियमों तथा विनियमों के अनुसार की जाती हैं।

(ङ) सम-विश्वविद्यालयों में प्रवेश, केन्द्रीय एजेंसी या समविश्वविद्यालय द्वारा स्वयं आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर दिये जाते हैं, जबकि स्वायत्त कालेजों में छात्रों को प्रवेश संबंधित राज्य सरकारों की नीति के अनुसार दिया जाता है।

विवरण I

30 नवम्बर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे केन्द्रीय/राज्य/सम/मुक्त विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विश्वविद्यालयों की संख्या				
		केन्द्रीय	राज्य	सम	मुक्त	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2	13	5	1	21
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1	–	–	1
3.	असम	2	3	1	–	6
4.	बिहार	–	11	1	1	13
5.	छत्तीसगढ़	–	5	–	–	5
6.	गोवा	–	1	–	–	1
7.	गुजरात	–	12	3	1	16
8.	हरियाणा	–	5	3	–	8
9.	हिमाचल प्रदेश	–	4	1	–	5

1	2	3	4	5	6	7
10.	जम्मू व कश्मीर	–	4	1	–	5
11.	झारखंड	–	4	3	–	7
12.	कर्नाटक	–	13	6	1	20
13.	केरल	–	7	1	–	8
14.	मध्य प्रदेश	–	13	3	1	17
15.	महाराष्ट्र	1	17	16	1	35
16.	मणिपुर	1	1	–	–	2
17.	मेघालय	1	–	–	–	1
18.	मिजोरम	1	–	–	–	1
19.	नागालैंड	1	–	–	–	1
20.	उड़ीसा	–	9	2	–	11
21.	पंजाब	–	5	2	–	7
22.	राजस्थान	–	11	7	1	19
23.	सिक्किम	–	1	–	–	1
24.	तमिलनाडु	–	16	15	1	32
25.	त्रिपुरा	–	1	–	–	1
26.	उत्तर प्रदेश	3	19	8	1	31
27.	उत्तरांचल	–	5	2	–	7
28.	प. बंगाल	1	12	2	1	16
29.	चंडीगढ़	–	1	1	–	2
30.	दिल्ली	4	1	9	–	14
31.	पांडिचेरी	1	–	–	–	1
	कुल	18	195	92	10	315

विवरण II

वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 (30 नवम्बर 2004 तक) के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर सरकार द्वारा किया गया व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	किया गया व्यय	
		2003-04	2004-05 (30 नवंबर 04 तक)
1.	असम विश्वविद्यालय	1940.45	661.72
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय	2134.99	560.53
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	5336.30	2334.48
4.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	47.25	209.60
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय	13532.86	9281.81
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	1659.28	1554.01
7.	जामिया मिलिया इस्लामिया	5223.45	3947.13
8.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	7159.59	5305.99
9.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	188.03	221.95
10.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	5683.15	2508.10
11.	मिजोरम विश्वविद्यालय	743.60	646.87
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय	6422.85	–
13.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	1507.42	1086.91
14.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	15691.21	11516.70
15.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	18291.99	12201.79
16.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	712.15	140.22
17.	विश्वभारती	5220.80	3000.10

विवरण III

वर्ष 1991 से कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों की वर्षवार संख्या

क्र.सं.	वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या				
		केन्द्रीय	सम	मुक्त	राज्य*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	1991	–	2	1		3
2.	1992	–	1	–		1

1	2	3	4	5	6	7
3.	1993	1	3	–		4
4.	1994	3	2	1		6
5.	1995	–	2	–		2
6.	1996	1	1	1		3
7.	1997	2	–	1		3
8.	1998	–	–	1		1
9.	1999	–	2	–		2
10.	2000	–	5	–		5
11.	2001	1	6	–		7
12.	2002	–	25	1		26
13.	2003	–	9	–		9
14.	2004 (अब तक)	–	6	–		6
	कुल	8	64	6	68	78+68

*नोट: वर्ष 1991 से विभिन्न निकायों द्वारा स्थापित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त 78 केन्द्रीय/सम/मुक्त विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में उक्त अवधि के दौरान 68 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।

निजी महाविद्यालयों में नामांकन और शुल्क ढांचा विनियमित करने हेतु कानून

*91. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री सुरेश अंगाड़ि:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों में नामांकन और शुल्क ढांचा विनियमित करने हेतु कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) कुछ राज्य सरकारों ने निजी स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक महाविद्यालयों में दाखिले और शुल्क ढांचे को विनियमित करने हेतु एक केन्द्रीय कानून बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। सभी संबंधितों के साथ बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रारंभ में, इस संबंध में परामर्श के लिए 10 और 11 जनवरी, 2005 को राज्यों के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई है।

[हिन्दी]

महानगरों में सुविधाएं

*92. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों में सुविधाओं के विकास के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तर्ज पर महानगरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) सरकार ने वर्ष 1993-94 में, सन् 1991 की जनगणना के अनुसार चार मिलियन तथा इससे अधिक की आबादी वाले पांच (5) शहरों (दिल्ली को छोड़कर) की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक योजना बनाई थी। इन पांच शहरों में बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नै, कोलकाता तथा मुम्बई शामिल हैं। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 25 : 25 के अनुपात में धनराशि दी जाती है तथा शेष 50% राशि वित्तीय संस्थानों से जुटाई जाती है। सांस्थानिक वित्त के बदले में कार्यान्वयन एजेंसियों के आंतरिक संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है। वर्ष 1993-94 से अब तक इस योजना के तहत 1183.36 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

इस योजना के स्वीकार्य घटक निम्नलिखित हैं:

1. शहरी सीमा प्रांतों का विकास;
2. शहरी नवीकरण;
3. विशेषकर शहरी गरीबों के लिए किफायती लागत पर सुविधा संपन्न भूमि तथा भू-स्थलों/आवासों का प्रावधान बढ़ाना;
4. स्लम सुधार तथा पुनर्वास परियोजनाएं;
5. परिवहन गत्यवरोधों को दूर करने के लिए महानगरीय क्षेत्रों के भीतर मुख्य/उप-मुख्य मार्गों को बनाना/सुधारना/चौड़ा करना;
6. मेगा शहरों के चारों ओर रिंग रोड/बाहरी रिंग रोड तथा बाई-पास बनाना;
7. ''ट्रक टर्मिनलों'' का निर्माण तथा विकास या विस्तार;
8. शहर में जल आपूर्ति तथा सीवरेज एवं जल निकास प्रणाली में सुधार;
9. शहरों में ठोस कचरा निपटान योजनाएं तथा कूड़े-कचरे (बायोडीग्रेडेबल हिस्सा) को खाद में बदलने के लिए शहरी कचरा कम्पोस्टिंग संयंत्रों की स्थापना;
10. पर्यावरणीय सुधार तथा सफाई और शहर के सौंदर्यीकरण की योजनाएं;
11. विशाल वाणिज्यिक तथा व्यापार परिसरों और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों, विश्व व्यापार एवं प्रदर्शनी केन्द्रों तथा ऐसे ही अन्य स्थानों का निर्माण बशर्ते वे वित्तीय एवं वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हों;
12. कामकाजी महिला होस्टलों, पर्यटक परिसरों इत्यादि जैसे भवनों का निर्माण।

[अनुवाद]

जनजातियों पर अत्याचार

***93. श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में जनजातीय लोगों पर किये जा रहे घोर अत्याचारों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी गंभीर घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी राज्य से जनजातीय लोगों पर पुलिस अत्याचार की किसी घटना की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति गंभीर अपराधों के क्रमश: कुल 1498, 3427 और 3600 मामले सूचित किए गए थे। वर्ष 2000-2002 की अवधि के दौरान गंभीर अपराधों के राज्य-वार और अपराध शीर्ष-वार ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जनजातीय लोगों के प्रति पुलिस अत्याचारों की घटनाओं की सूचनाएं मिली हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, तीन वर्षों की उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से मिली पुलिस अत्याचारों के मामलों की संख्या विवरण-II पर दिए गए विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण I

वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति हुए गंभीर अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4	45	17	2	0	0	1	83	152
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	4	2	0	0	0	8
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	6	10	1	0	0	0	15	33
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	9	48	24	5	0	0	4	24	114
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	8	1	0	0	0	0	0	9
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1	2	0	0	0	0	0	3
10.	कर्नाटक	6	3	2	0	0	0	0	50	61
11.	केरल	2	7	28	1	0	0	2	7	47
12.	मध्य प्रदेश	22	217	244	26	0	1	12	146	668
13.	महाराष्ट्र	0	14	26	1	1	0	3	13	58
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	1	1	0	0	2
16.	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	1
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	1	40	6	1	0	0	0	90	138
19.	पंजाब	0	1	2	2	0	0	0	1	6
20.	राजस्थान	9	39	38	2	0	0	10	54	152
21.	सिक्किम	1	2	0	0	0	0	0	0	3
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24.	उत्तर प्रदेश	3	13	3	3	1	0	0	11	34
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0		0	0	0
	कुल (राज्य)	59	447	403	48	5	2	32	498	1494
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	3	3
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	कुल (अखिल भारत)	59	447	403	48	5	2	32	502	1498

स्रोत: मासिक अपराध आंकड़े और भारत में अपराध संबंधी प्रकाशित आंकड़े।

वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति हुए गंभीर अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	चोट पहुंचाना	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4	21	5	0	0	1	106	129	266
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	5	7	0	0	1	18	0	35
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	4	1	0	0	0	5	10	21
5.	छत्तीसगढ़	18	87	5	1	7	1	63	6	188
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	7	23	6	12	33	5	47	90	223
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	2	2
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	20	22	6	0	4	64	28	20	164
12.	कर्नाटक	1	2	0	0	0	1	21	204	229
13.	केरल	4	23	0	0	0	0	20	14	61
14.	मध्य प्रदेश	28	238	14	0	3	7	195	243	728
15.	महाराष्ट्र	6	60	4	0	0	3	14	41	128
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	2	1	1	0	1	5	0	10
19.	नागालैंड	46	6	5	2	24	0	17	0	100
20.	उड़ीसा	4	28	6	0	2	4	124	153	321
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	14	45	7	0	0	14	88	665	833
23.	सिक्किम	6	0	0	0	0	0	0	0	6
24.	तमिलनाडु	0	2	0	0	0	3	2	2	9
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	3	3	0	0	0	3	2	75	86
27.	उत्तरांचल	1	1	0	0	0	0	1	9	12
28.	पश्चिम बंगाल	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	कुल (राज्य)	167	573	67	16	73	108	756	1664	3424
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	कुल (अखिल भारत)	167	573	67	16	73	108	756	1667	3427

भारत में अपराध

वर्ष 2002 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति हुए गंभीर अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	चोट पहुंचाना	अनु. जाति/ अनु. जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	24	5	0	0	2	88	134	256
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	10	0	1	0	15	0	30
3.	असम	6	2	2	0	2	0	11	0	23
4.	बिहार	5	5	0	0	0	0	3	6	19
5.	छत्तीसगढ़	12	67	4	0	0	10	47	101	241
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	16	18	4	18	28	3	81	97	265
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11.	झारखण्ड	11	13	7	0	1	0	9	40	81
12.	कर्नाटक	8	5	1	2	–	1	22	134	173
13.	केरल	1	21	0	0	0	0	26	35	83
14.	मध्य प्रदेश	49	312	16	1	6	1	290	310	995
15.	महाराष्ट्र	10	48	6	0	1	5	22	53	145
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	1	1	0	0	0	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मिजोरम	4	9	1	2	5	7	12	0	40
19.	नागालैंड	38	8	2	13	13	0	20	0	94
20.	उड़ीसा	10	14	2	1	4	4	75	189	299
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	10	39	6	0	1	14	58	667	795
23.	सिक्कम	0	2	1	0	0	0	7	0	10
24.	तमिलनाडु	0	1	0	0	0	0	2	3	6
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	4	0	0	0	0	0	0	23	27
27.	उत्तरांचल	1	0	0	0	0	0	0	2	3
28.	पश्चिम बंगाल	0	4	0	0	0	0	0	6	10
	कुल (राज्य)	189	596	69	37	62	58	788	1800	3599
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0	0	0	1
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	कुल (अखिल भारत)	189	597	69	37	62	58	788	1800	3600

स्रोत: भारत में अपराध संबंधी आंकड़े

विवरण II

जनजातियों पर पुलिस अत्याचारों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2000	2001	2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	उ.न.	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखण्ड	उ.न.	1	शून्य
12.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
13.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	2	शून्य	शून्य
15.	महाराष्ट्र	22	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	3
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	शून्य	2	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तरांचल	उ.न.	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमन और दीव	शून्य	प्रा.न.	शून्य
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: प्रा.न. का अर्थ है आंकड़े प्राप्त नहीं।

उ.न. का अर्थ है आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं क्योंकि राज्य मौजूदा नहीं थे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

***94. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का उद्देश्य गरीबों और शिक्षा से अन्यथा वंचित लोगों को शिक्षा प्रदान करना है;

(ख) क्या सरकार को देश के निजी कोचिंग संस्थानों और मुक्त विद्यालय के कर्मचारियों के बीच सांठ-गांठ के कारण इसमें हो रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अनियमितताओं को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान का उद्देश्य स्कूल स्तर पर सतत तथा प्रगतिशील शिक्षा हेतु अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान इच्छुक विद्यार्थियों को मुक्त बुनियादी शिक्षा, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा तथा जीवन समृद्धि कार्यक्रमों के माध्यम से सतत शिक्षा हेतु अवसर प्रदान करता है।

(ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2003-2004 के दौरान परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल करने जैसी घटनाओं सहित विभिन्न अनियमितताओं हेतु 60 अध्ययन केन्द्रों के प्रत्यायन रद्द कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान अपनी विवरणिकाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को यह सलाह देता रहा है कि वे केवल प्राधिकृत संस्थानों/अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से ही प्रवेश प्राप्त करें। बड़े पैमाने पर नकल करने तथा अन्य अनुचित तरीके अपनाए जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2003-2004 से प्रत्यायित संस्थाओं/अध्ययन केन्द्रों के स्थान पर केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा सरकारी स्कूलों को परीक्षा केन्द्रों के रूप में घोषित किया जाता है।

[अनुवाद]

औषध संबंधी अनुसंधान और विकास पर माशेलकर समिति की सिफारिशें

***95. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज फर्मों ने सरकार से औचित्यपूर्ण मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है और औषध संबंधी अनुसंधान और विकास पर माशेलकर समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) डा. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता वाली भेषज अनुसंधान एवं विकास समिति की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी, 2002 में सरकार द्वारा घोषित भेषज नीति, 2002 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक भेषज अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पी आर डी एस एफ) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पी आर डी एस एफ के समुपयोजन के प्रशासन हेतु प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी डी बी) की तर्ज पर औषध विकास संवर्धन बोर्ड का गठन किया है और इस प्रयोजन हेतु 10वीं योजना में 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार

*96. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अवैध मानव व्यापार में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) क्या 'यूनिसेफ' ने हाल ही में कोलम्बो में हुई अपनी बैठक में यह बताया है कि सरकार द्वारा यौन व्यापार को रोकने हेतु किये गये प्रयासों के बावजूद बांग्लादेश एवं नेपाल से आए कम से कम पांच लाख दक्षिण एशियाई लड़के-लड़कियां भारत में देह-व्यापार के कार्य में लिप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैठक में दिए गए सुझाव/की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बांग्लादेश और नेपाल से लड़कियों और महिलाओं के अवैध व्यापार को रोकने हेतु कोई योजना बनायी है जिन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(च) ऐसे अवैध मानव व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान कितने यौन कर्मियों को मुक्त कराया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) इस विषय पर विभिन्न अध्ययन एवं सर्वेक्षण तथा रिपोर्टें उपलब्ध हैं, तथापि इनमें से कोई भी रिपोर्ट पूरे भारत के संबंध में नहीं है। अत:, इन रिपोर्टों से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ये सारे काम चोरी-छिपे किये जाते हैं।

(ख) यूनिफेम की रिपोर्ट ए.डी.बी., यूनिफेम, ह्यूमन' राइट्स वॉच तथा न्यूज सेन्टर (यूनिसेफ) आदि की रिपोर्टों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में अवैध व्यापार पीड़ित बांग्लादेशी एवं नेपाली बालक-बालिकाओं की संख्या का अनुमानित आंकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुमान-आधारित होने के कारण इससे अवैध व्यापार पीड़ितों की संख्या के विषय में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

(ग) उक्त बैठक में की गयी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक यौन-शोषण एवं यौन दुर्व्यवहार हेतु महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम के विषय में संबंधित सरकारों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इस बैठक में यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार से मुक्ति पाने के बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और दक्षिण एशिया क्षेत्र में इन अधिकारों के उल्लंघन को बिल्कुल भी सहन न करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग अनुशंसाएं करने वाला निकाय है तथा यह निकाय बांग्लादेश से असहाय बालिकाओं एवं महिलाओं की तस्करी को रोकने संबंधी किसी योजना को न तो तैयार करता है और न ही ऐसी किसी योजना का क्रियान्वयन करता है। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग ने असम के करीमगंज में सामूहिक बलात्कार के मामले में जांच की। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख अनुशंसा यह है कि सीमा पार से महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण पाना अकेले सीमा सुरक्षा बल के वश की बात नहीं है। राज्य पुलिस, केन्द्रीय आसूचना अभिकरणों, सिविल प्रशासन तथा इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को इस समस्या के समाधान हेतु एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस विषय में सफलता प्राप्त करने हेतु सरकारी स्तर पर बांग्लादेश और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार हैं:

(1) भारत-बांग्लादेश की सीमा संबंधी कार्य पूरा किया जाए, (2) अवैध देह-व्यापारियों और दलालों के विरुद्ध कड़े कानून बनाए जाएं तथा दलालों और अभिकर्ताओं की विस्तृत सूची तैयार की जाए, (3) छुड़ाई गई महिलाओं को उनके माता-पिता/सगे-संबंधियों से मिलाने के पूर्व, उन्हें रखने के लिए अल्पावास गृहों की स्थापना की जाए, (4) छुड़ाई गई महिलाओं को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा सीमावर्ती क्षेत्र

के प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला डेस्क स्थापित की जाए। सीमापार से अवैध व्यापार के मामलों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) भारत ने महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम संबंधी दक्षेस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कन्वेंशन की पुष्टि की है। इस कन्वेंशन में सीमापार से अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिए तंत्र एवं परिचालनात्मक विवरणों की परिकल्पना की गई है।

(छ) इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जनजातियों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा

*97. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
श्री मणी शंकर सुब्बा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जनजातियों संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है और वह व्यापक सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस मसौदा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या जनजातियों के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति को अधिकांश जनजातीय प्रतिनिधि निकायों का विशेषकर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में, समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा एक पुनरीक्षित राष्ट्रीय जनजातीय नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो सार्वजनिक राय जानने के लिए परिचालित किए गए नये मसौदा, यदि कोई है, ब्यौरा क्या है; और

(च) अब तक नई नीति तैयार करने के लिए कार्यों के परिणाम क्या निकले?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी हां।

(ख) मसौदा नीति की कुछ मुख्य विशेषताऐं निम्नलिखित अनुसार हैं :

1. जनजातीय समुदायों की विशिष्ट संस्कृति से छेड़छाड़ किए बिना अनुसूचित जनजातियों के त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास की ओर समन्वित और संगठित प्रयासों पर बल देना।
2. महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए जनजातीय समुदायों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
3. जनजातीय संस्कृति में प्रतिष्ठापित समृद्ध पारंपरिक प्रथाओं एवं विवेक का प्रलेखीकरण सुनिश्चित करना और भावी पीढ़ियों के लिए उसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।
4. सभी उपयुक्त उपायों से जनजातीय समुदायों में गरीबी, खराब स्वास्थ्य स्थितियों, उपयुक्त पोषण की कमी, सफाई और पर्यावरण स्वास्थ्य विज्ञान की समस्याओं को दूर करना।
5. विस्थापनों के कारण जनजातियों की मुसीबतों को कम करने के लिए एक मजबूत और कारगर राहत एवं पुनर्वास प्रणाली उपलब्ध कराना।

(ग) से (च) मंत्रालय में देश के विभिन्न भागों से जनजातीय प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसी दौरान जनजातियों के लिए एक अतिरिक्त राष्ट्रीय नीति का मसौदा परिचालित किया गया है। मंत्रालय विभिन्न विचारों और सुझावों के विश्लेषण की कार्यवाही कर रहा है। मसौदा नीति पर व्यापक सार्वजनिक बहस के लिए मंत्रालय विभिन्न स्थानों पर चार क्षेत्रीय सेमिनार और एक राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन कर रहा है। एक ऐसा ही क्षेत्रीय सेमिनार 18-19 नवम्बर 2004 को शिमला में आयोजित किया गया है। इसी प्रकार मंत्रालय अभी राष्ट्रीय जनजाति नीति को अन्तिम रुप देने की प्रक्रिया में है।

शहरी विकास संबंधी नई नीति

*98. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों में उपलब्ध नई प्रौद्योगिकी के मद्देनजर शहरी विकास के संबंध में एक नई नीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की मौजूदा नीतियां, शहरी विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रतिबंध/रोक नहीं लगाती हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

***99. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम धीमी गति से चलाया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्यक्रम मे तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) एक गांव को विद्युतीकृत का दर्जा देने के लिए क्या न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार 5 वर्षों में घरेलू विद्युतीकरण पूरा किया जाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यनीति तैयार की गई है, जिसमें निम्न परिकल्पना की गई है :

(1) 33/11 केवी सब-स्टेशनों वाले रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बैंक बोन (आरईडीबी) का सृजन, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में कम-से-कम एक सब-स्टेशन हो, जो राज्य पारेषण प्रणाली के नेटवर्क से जुड़ा हो।

(2) प्रत्येक गांव में कम-से-कम एक वितरण ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) तैयार करना।

(3) ग्रामीण वितरण ट्रांसफार्मरों से गैर-विद्युतीकृत परिवारों का विद्युतीकरण।

(4) ऐसे गांवों के लिए विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन प्रणाली, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो संभव नहीं है अथवा किफायती नहीं है।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 18,000 गांवों और 9वीं पंचवर्षीय योजना में 11,500 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना में 100000 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यनीति, जैसा कि भाग (क) में उल्लिखित है, को ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए तैयार किया गया है।

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार-

"किसी भी गांव को विद्युतीकृत घोषित तभी किया जाएगा यदि-

(1) वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें जैसी आधारभूत अवसंरचना बसे हुए स्थान और दलित बस्ती/हैमलेट जहां यह विद्यमान है, में प्रदान कर दी गई हो। (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है,

(2) विद्युत सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों आदि में प्रदान कर दी गयी हो, और

(3) विद्युतकृत घरों की संख्या गांव में घरों की कुल संख्या का न्यूनतम 10% होना चाहिए।

उपरोक्त परिभाषा वर्ष 2004-05 से प्रभावी हो गई है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों को लाभ

***100. श्री सीताराम सिंह: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे निर्धनतम व्यक्ति केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का लाभ किस प्रकार उठाते हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना सामुदायिक समूहों की स्थापना और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देती है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं और बच्चों के विकास में किस प्रकार से सहायक है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से

अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 1.12.1997 से कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों से (1) नौवीं कक्षा तक पढ़े लिखे व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहन देकर तथा (2) सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोग सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी आधारित रोजगार के जरिए लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इस स्कीम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्य द्वारा 75 : 25 अनुपात में किया जाता है।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना समुदाय सशक्तीकरण की बुनियाद पर निर्भर करती है। ऊपर से नीचे की तरफ कार्यान्वयन की पारंपरिक विधि की बजाए यह कार्यक्रम समुदाय संगठनों तथा संरचनाओं की स्थापना तथा उन्हें प्रोत्साहित करने पर जोर देता है ताकि स्थानीय विकास के लिए सहायक और सहज प्रणाली मुहैया की जा सके। इस प्रयोजन के लिए लक्ष्य क्षेत्रों में परिवेश समूहों (एनएचजी), परिवेश समितियों (एनएचसी) और समुदाय विकास समितियों (सीडीएस) जैसे समुदाय संगठनों की स्थापना की जाती है। लाभार्थियों की पहचान, आवेदन तैयार करने, वसूली की निगरानी और उपयोगी परियोजनाओं की पहचान करने सहित कार्यक्रम के लिए आवश्यक अन्य सहायता सामान्यत: मुहैया कराने के प्रयोजन से समुदाय विकास समितियां (सीडीएस) मुख्य बिन्दु हैं।

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) घटक के तहत शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) के जरिए शहरी गरीब महिला समूहों को लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम लगाने में सहायता देने के लिए एक विशेष प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास समूह शहरी गरीब महिलाओं के ऐसे समूह हैं जिन्हें उद्यमशील कार्यकलाप करने हेतु उनके कौशल उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और लघु उद्यम लगाने के लिए बैंकों के जरिए वित्तीय सहायता भी मुहैया की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास महिला समूह 1.25 लाख रु. की सब्सिडी अथवा परियोजना लागत का 50% इनमें जो भी कम हो, के भी हकदार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास समूह अपने उद्यमशील कार्यकलापों के अतिरिक्त थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटियों भी स्थापित कर सकते है और और अधिकतम 1000/- रुपये प्रति सदस्य की दर से आवर्ती कोष के रूप में 25,000/ रूप के एकमुश्त अनुदान के भी हकदार हैं। स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी देने हेतु महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का विशेष प्रावधान है।

उड़ीसा में घाटे में चल रहे उद्योग

920. श्री परसुराम माझी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा स्थित एक सरकारी उद्यम, 'उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड' घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनी कब से घाटे में चल रही है तथा उसके द्वारा उठाए गए घाटों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन घाटों के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (ओडीसीएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह कंपनी 1985-86 तथा 1987-88 की अवधि को छोड़कर वर्ष 1982-83 से घाटे में चल रही है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	घाटा/लाभ (लाख रु. में)	
1	2	
1982-83	(-)	22.60
1983-84	(-)	27.37
1984-85	(-)	13.22
1985-86	(+)	0.77
1986-87	(-)	13.07
1987-88	(-)	1.15
1988-89	(-)	27.59
1989-90	(-)	31.12
1990-91	(-)	58.21
1991-92	(-)	49.97
1992-93	(-)	74.06
1993-94	(-)	67.75
1995-96	(-)	70.57

1		2
1996-97	(-)	107.66
1997-98	(-)	70.76
1998-99	(-)	94.62
1999-2000	(-)	106.25
2000-2001	(-)	100.50
2001-2002	(-)	114.57
2002-2003	(-)	24.50*

* अनंतिम। लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) कंपनी के आवर्ती घाटों के लिए उत्तरदायी कुछ कारणों में ये शामिल हैं—अद्यतन प्रौद्योगिकी की कमी, कम क्षमता समुपयोजन, वित्तीय संसाधनों की कमी आदि।

(घ) बी आई एफ आर ने कंपनी के परिसमापन की सिफारिश की है। परिसमापक की नियुक्ति हेतु मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों हेतु वित्तीय पैकेज

921. श्री. बी. विनोद कुमार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की उन इस्पात इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना से ही घाटे में चल रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा घाटे में चल रही इकाइयों की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की इन इकाइयों की स्थिति सुधारने हेतु उन्हें कोई वित्तीय पैकेज दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में स्थित इकाइयों का विशेष उल्लेख करते हुए तत्संबंधी इकाईवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेल को अपनी सहायक कम्पनियों नामत: इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) तथा महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लि. (एमईएल) सहित हानि हुई। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल) को भी हानि हुई।

(ख) सरकार हानि उठा रही इकाइयों के निष्पादन में सुधार करने के लिए समय-समय पर वित्तीय पुनर्संरचना करने, सरकारी ऋण प्रदान करने, गारंटी देने आदि जैसे विभिन्न कदम जो इन इकाइयों की आवश्यकता के अनुरूप थे, उठाए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जहां तक आंध्र प्रदेश में स्थापित इकाइयों का संबंध है, केवल आर आई एन एल ही एकमात्र इकाई इस राज्य में स्थापित है। आर आई एन एल और अन्य इकाइयों को दिए गए वित्तीय पैकेजों का विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल):

चूंकि इस इकाई को हानि हो रही थी, अत: स्थिति में सुधार करने के लिए आज तक दो वित्तीय पैकेज दिए गए हैं। पहला पुनर्संरचना पैकेज वर्ष 1993 में दिया गया जिसमें 2639 करोड़ रुपए के भारत सरकार के ऋण को साम्या में परिवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1507 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। दूसरी पूंजीगत पुनर्संरचना 1998 में किया गया जिसमें 1333 करोड़ रुपए को तरजीह पूंजी में परिवर्तित किया गया।

स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल):

फरवरी, 2000 में, सेल के वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना के लिए सरकार ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया:-

(1) सेल को प्रदत्त इस्पात विकास निधि से दिए गए 5073 करोड़ रुपए और भारत सरकार से 381 करोड़ रुपए के अग्रिम ऋण को माफ करके सेल की वित्तीय पुनर्संरचना।

(2) सेल द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के बाजार से लिए गए 1500 करोड़ रुपए के ऋण के लिए 50% ब्याज इमदाद के साथ सरकारी गारंटी का प्रावधान करना।

(3) 1990-2000 के दौरान सेल द्वारा लिए गए 1500 करोड़ रुपए के सरकार के ऋण और उस पर ब्याज (पहले से मंजूरशुदा 500 करोड़ रुपए सहित) के लिए प्रावधान।

(4) मौजूदा कर्मचारियों की नौकरियों को संरक्षित करते हुए निम्नलिखित गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की स्वत्वहरण संबंधी प्रक्रिया शुरू करना;

(i) बोकारो, दुर्गापुर तथा राउरकेला स्थित विद्युत संयंत्र

(ii) भिलाई इस्पात संयंत्र का ऑक्सीजन संयंत्र-2

(iii) सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), सेलम

(iv) मिश्र इस्पात संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर

(v) विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी), भद्रावती

(च) राउरकेला स्थित उर्वरक संयंत्र

[*भिलाई स्थित निजी विद्युत संयंत्र-II के स्वत्वहरण को तदोपरान्त दिनांक 12.03.2001 को आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा शामिल किया गया।]

(5) सेल को इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के पुनरुद्धार के लिए किसी भी संयुक्त उद्यम में अपेक्षित कम शेयरधारिता रखने के लिए अनुमति देना।

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को):

सरकार/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने इस्को के लिए 881 करोड़ रुपए के पुनर्स्थापन पैकेज का अनुमोदन करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 341 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय, इस्को के कुल्टी कारखाने में वी आर एस के लिए 185.28 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा बर्नपुर खानों और इस्को की कोयला खानों एवं खदानों में वी आर एस के लिए 354.72 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। सरकार द्वारा अनुमोदित यह पुनर्स्थापना पैकेज कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कुल्टी कारखाने में वी आर एस लागू करने के लिए सरकार ने 186 करोड़ रुपए के अनुदान की भी व्यवस्था की है। इस्पात विकास निधि के 44.68 करोड़ रुपए के ऋण तथा संयुक्त उद्यम समिति के 18.49 करोड़ रुपए के बकायों को भी माफ कर दिया गया है। वर्ष 2003-2004 से वर्ष 2007-2008 की पांच वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल सरकार लगभग 116 करोड़ रुपए की रॉयल्टी तथा उपकर आदि तथा बिक्री कर, बिजली शुल्क में छूट के कारण पिछली देयताओं को भी माफ कर दिया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार

922. श्री मिलिन्द देवरा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने से संबंधित रिपोर्ट की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समाज के असुरक्षित वर्गों के लोगों पर हो रहे अत्याचार के अधिकांश मामलों को समाज की उपेक्षा के कारण गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी; और

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से संविधान के अनुच्छेद 15 का अनुपालन नहीं हो सका है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने का काम सौंपा था। इस अधिकारी ने अब विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचारों से संबंधित कानूनों और विनियामक उपायों को कार्यान्वित करने वाले पुलिस और सिविल कार्मिकों के लिए तीन स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों की वार्षिक कार्यशालायें आयोजित करना, जिले में अत्याचार के मामलों को निपटाने के लिए अलग से विशेष अदालतें स्थापित करना और अत्याचार तथा छूआछूत की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाना शामिल हैं। इन सिफारिशों पर केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इन सिफारिशों पर विचार करें और उचित कार्रवाई करें।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों के मामलों पर कार्रवाई न किए जाने के लिए किसी एक कारक को नहीं माना जा सकता है। गवाहों की अनुपस्थिति, गवाह का मुकर जाना, जांच और विचारण में विलम्ब आदि ऐसे कारण हो सकते हैं, जिनके आधार पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई नहीं हो पाती है।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 15 का अनुपालन किया गया है।

[हिन्दी]

गैस क्रेकर परियोजना, असम

923. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान रिलायन्स गैस क्रेकर के लिए समझौते के संबंध में असम में असम छात्र संघ के नेतृत्व में हाल में हुए छात्र आन्दोलनों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे संबंधित मुद्दे कौन से हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) असम में गैस क्रेकर परियोजना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) अखिल असम छात्र संघ समय-समय पर असम समझौते को लागू करने के लिए पुरजोर आन्दोलन करता रहा है। चूंकि परियोजना के लिए रियायती दर पर फीड स्टाफ/गैस की सप्लाई के लिए पर्याप्त राशि की राजसहायता अपेक्षित थी, इसलिए असम गैस क्रेकर परियोजना को लागू करने के लिए कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करना उपयुक्त समझा गया था। गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) से परियोजना की व्यवहार्यता के संबंध में उनके विचार मांगे गए थे और क्या वे उस परियोजना को शुरू कर सकते हैं। गेल के विचार प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने केन्द्र/राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त रियायतें मांगी हैं। उन्होंने परियोजना हेतु अतिरिक्त गैस/फीड स्टॉफ की सप्लाई के लिए भी अनुरोध किया है। पहले से सहमत रियायतों/याचित अतिरिक्त रियायतों के आधार पर उन्होंने परियोजना को कार्यान्वित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

[अनुवाद]

मेजिया विद्युत परियोजना के विस्थापितों को रोजगार

924. श्री सुनील खां: क्या विद्युत मंत्री दिनांक 27 फरवरी 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1545 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेजिया विद्युत परियोजना, पश्चिम बंगाल के 520 विस्थापित लोगों में से अब तक सिर्फ 242 लोगों को ही एम. टी. एस. पी. द्वारा भर्ती किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा एमटीवीएस द्वारा परियोजना के शेष विस्थापित लोगों की शीघ्र भर्ती करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) शेष विस्थापित लोगों को कब तक भर्ती किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं, 1247 व्यक्तियों को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है।

(ख) और (ग) शेष 273 विस्थापितों में से, 253 आवेदकों के बारे में सत्यापन रिपोर्ट संबंधित जिला अधिकारियों से प्राप्त हो गई है तथा उन्हें रोजगार के पैनल में शामिल कर लिया गया है। परियोजनाओं में अकुशल ग्रुप ''डी'' श्रेणी रिक्तियां होने पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा।

पेटेंट प्रणाली की दवाओं का मूल्य

925. श्री अधीर चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भारत की जनता औषधि मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत नई दवाओं को सस्ते मूल्यों पर खरीदने से वंचित न रहे;

(ख) क्या पेटेंट प्रणाली के अंतर्गत पहले से विनिर्मित दवाएं भारत की आम जनता को पहले वाले मूल्यों पर ही मिलती रहेंगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) समय-समय पर घोषित औषध नीतियों में, गुणवत्ता वाली औषधों की उचित मूल्यों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाती है। औषधियों के पेटेंटों को पेटेंट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत कवर किया जाता है। सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त शक्तियां, पेटेंट वाली औषधियों के मामले में भी लागू होती हैं।

बांग्लादेश में उग्रवादी प्रशिक्षण शिविर

926. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के गृह सचिव के सितंबर, 2004 में ढाका के दौरे के दौरान बांग्लादेश सरकार को बांग्लादेश में चल रहे उग्रवादी प्रशिक्षण शिविरों तथा भगोड़े उग्रवादी नेता की नवीनतम सूची सौंपी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बांग्लादेश की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उग्रवाद को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) बंगलादेश में अप्रैल, 2004 में आयोजित सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ)-बांग्लादेश राइफल (बी डी आर) की बैठक के दौरान बांग्लादेश के क्षेत्र में चल रहे भारतीय विद्रोही ग्रुपों (आई आई जी एस) के शिविरों की एक सूची बांग्लादेश को सौंपी गई थी। सितम्बर, 2004 में ढाका में गृह सचिव स्तर की वार्ता में इस मुद्दे को फिर से उठाया गया था। बंगलादेश सरकार ने भारत जैसे मित्र देश के हितों के प्रतिकूल गतिविधियां चलाने के लिए भारतीय विदोही ग्रुपों द्वारा बंगलादेश क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति न देने की अपनी नीति की पुन: पुष्टि की है। दोनों पक्ष निकट रूप से सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर घनिष्ठ तालमेल के कार्य करने के लिए सहमत हुए।

(ग) सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों में सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना, विद्रोह-विरोधी अभियानों के लिए सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई करना, विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत विद्रोही गुटों को गैरकानूनी संगठन घोषित करना, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित करना, राज्य सरकार को सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल हैं। राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों स्तरों पर परिस्थितियों की नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है। सरकार ने उग्रवादी ग्रुपों के सामने हिंसा का रास्ता छोड़ने और भारत के कानून के ढांचे में रहकर अपनी मांगों का शांतिपूर्ण समाधान करने हेतु खुला प्रस्ताव भी रखा है।

कोलकात्ता मेगा सिटी प्रोजेक्ट

927. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान कोलकाता मेगा सिटी प्रोजेक्ट हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। मंत्रालय में पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता मेगा शहर परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, कोलकाता को मेगा शहरों में अवसंरचना विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत इसके अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1993-1994 से कोलकाता मेगा शहर को 274.25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें वर्ष 2004-05 के लिए 46.17 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता भी शामिल है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार कोलकाता मेगा शहर की राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति ने अभी तक 1118.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 122 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें से 75 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। 37 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है तथा 10 परियोजनाओं पर कार्य अभी शुरू किया जाना है।

[हिन्दी]

शहरी विकास योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

928. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झारखंड और गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजी गई शहरी विकास से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें इन प्रत्येक योजना के तहत विकसित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इन पर कितनी लागत आने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है और विलंब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान

वर्ष के दौरान विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत झारखंड और गुजरात सरकार से प्राप्त परियोजनाएं/प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-

(1) छोटे एवं मझोले कस्बों का समन्वित विकास (आई डी एस एम टी) झारखंड और गुजरात राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाएं/प्रस्ताव तथा अनुमोदित परियोजना लागत तथा दी गई केन्द्रीय सहायता का कस्बा वार विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जिन नगरों का विकास किया जाना है उनसे प्राप्त प्रस्तावों की परियोजना लागत तथा इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त के लिए प्रस्तावित धनराशि विवरण-II में दी गई है।

(2) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्यू एस पी)-पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य के लिए कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान झारखंड सरकार द्वारा 8 योजनाएं भिजवाई गई हैं जिनके विवरण संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। इन 8 योजनाओं में से 5 योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन दे दिया गया है और शेष तीन योजनाओं के संबंध में आवश्यक संशोधनों के लिए राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गई हैं।

गुजरात राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 32 योजनाएं अनुमोदित की गई थीं। वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा 19 योजनाएं भेजी गई हैं। इन 19 योजनाओं में से 10 योजनाएं तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित कर दी गई हैं। 8 योजनाएं अपेक्षित संशोधन के लिए राज्य सरकार को लौटा दी गई हैं तथा एक योजना की जांच की जा रही है। इन योजनाओं का विवरण संलग्न विवरण-IV पर दिया गया है।

(ग) कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती क्योंकि संबंधित राज्य सरकार द्वारा बराबर राज्य अंश मुहैया कराना, पहले रिलीज की गई राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना और केन्द्र सरकार सहायता का अपना हिस्सा रिलीज कर सके, इसके लिए केन्द्र सरकार को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का अनुमोदन भेजना होता है।

विवरण I

आईडीएसएमटी योजना के तहत झारखंड तथा गुजरात के लिए पिछले 3 वर्षों (2001-02 से 2003-04) के दौरान और वर्तमान वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव और रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/कस्बा का नाम	योजना में शामिल करने का वर्ष	परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता				योग
				2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड								
1.	हजारी बाग	2002-03	967.55	75.00				75.00
	उप योग		967.55	75.00				75.00
गुजरात								
1.	बारदोली	1996-97	231.85	30.00	30.00			
2.	दकोर	1998-99	104.4	32.00	32.00			
3.	कोदिनार	2001-02	146.7	33.00	33.00			
4.	धानकनेर	2001-02	226.74	45.00	45.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	लिम्बड़ी	2001-02	215.45	45.00			45.00	90.00
6.	धुंधका	2001-02	219.65	45.00			45.00	90.00
7.	खेड़ा	2001-02	211.36	45.00			45.00	90.00
8.	प्रांतिज	2001-02	212.74	45.00			45.00	90.00
9.	काडी	2001-02	343.41	30.00	43.60			73.60
10.	बगासारा	2001-02	207.42	40.00	5.00		45.00	90.00
11.	खंभालिया	2001-02	209.75	40.00	5.00			45.00
12.	मनसा	2002-03	172.32		32.00		58.00	90.00
13.	बालासीनोर	2002-03	211.04		45.00			45.00
14.	वीजापुर	2002-03	211.61		25.00	20.00		45.00
15.	थानगढ़	2002-03	219.63		45.00			45.00
16.	वादनगर	2002-04	278.43			45.00		45.00
17.	अम्बाजी	1997-98	87.06			14.75		14.75
18.	गांधीधाम	2000-01	603.04			140.00		140.00
19.	कापडवंज	2000-01	227.01			60.00		60.00
20.	जम्बूसार	2003-04	225.76			45.00		45.00
21.	खेरालू	2003-04	203.14			24.00	24.00	48.00
22.	गरलयाधार	2003-04	153.81			24.00		24.00
23.	वापी	2003-04	197.13			44.00		44.00
24.	छोटा उदेपुर	2003-04	107.94			24.00		24.00
25.	शिहोर	2003-04	203.09			45.00	45.00	90.00
26.	हलोल	2003-04	200.00			45.00		45.00
27.	मंगरोल	2003-04	209.86			25.00	20.00	45.00
28.	जसदान	2003-04	200.20			25.00	20.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	लूनावाडा	2003-04	210.95			25.00	20.00	45.00
30.	राजुला	2003-04	200.68			25.00	20.00	45.00
31.	धारी	2003-04	195.53			25.00	19.00	44.00
32.	गधाड़ा	2003-04	201.63			25.00	20.00	45.00
33.	कलोल	2003-04	88.61			10.00	11.00	21.00
34.	जामजोधपुर	2003-04	205.02			25.00	20.00	45.00
35.	सलाया	2003-04	127.75			15.00	9.00	24.00
36.	थराड	2003-04	113.70			15.00	9.00	24.00
37.	तलाजा	2003-04	150.03			15.00	9.00	24.00
38.	देवगढ़बरिया	2003-04	91.59			10.00	12.00	22.00
39.	कुटियाना	2003-04	118.49			15.00	9.00	24.00
40.	खादब्रह्मा	2003-04	98.95			15.00	8.75	23.75
41.	धरमपुर	2003-04	103.04			15.00	9.00	24.00
42.	चनास्मा	2003-04	131.31			15.00	9.00	24.00
43.	तलोडा	2003-04	106.43			15.00	9.00	24.00
44.	ऊना	1999-2000	216.04				60.00	60.00
45.	उमरेठ	1999-2000	216.81				60.00	60.00
46.	ढोलका	1999-2000	183.95				62.40	62.40
47.	धरांगगढ़रा	2000-01	336.27				102.000	102.00
48.	राजपिपला	2004-05	219.41				45.00	45.00
49.	व्यारा	2004-05	229.56				45.00	45.00
50.	राधनपुर	2004-05	204.12				45.00	45.00
51.	मानवदार	2004-05	207.00				36.85	36.85
	उप योग		9810.47	430.00	200.60	845.75	1042.00	2518.35
	कुल योग		10777.96	505.00	200.60	845.75	1042.00	2593.35

विवरण-II

छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास (आईडीएसएमटी)

झारखंड और गुजरात राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव जिनके संबंध में केन्द्रीय सहायता जारी करने की कार्रवाई चल रही है

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/कस्बे का नाम	परियोजना लागत	प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
झारखंड				
1	मांगों	503.35	98.15	मूल्यांकन रिपोर्ट 11.3.04 को राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति को भेजी गई थी। राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति का अनुमोदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।
	उप योग	503.35	98.25	
गुजरात				
1.	हलवाड़	126.37	24.00	वर्ष 2004-05 में प्राप्त किए गए सभी प्रस्तावों को 29.9.04 की राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने इस वर्ष 1042.00 लाख रु. के संपूर्ण केन्द्रीय सहायता नियतन का उपयोग कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा बराबर की अतिरिक्त राज्य अंश राशि मुहैया कराए जाने की शर्त पर इन कस्बों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने के संबंध में विचार किया जाएगा।
2.	रानवाव	102.91	24.00	
3.	करजन	125.91	24.00	
4.	जाफराबाद	109.85	24.00	
5.	हारिज	132.23	24.00	
6.	लाठी	99.46	23.75	
7.	छलाला	100.04	24.00	
8.	सोनगढ़	120.14	24.00	
9.	आदित्याना	120.36	24.00	
10.	बंतवा	102.96	24.00	
11.	नवसारी	587.82	93.50	
	उपयोग	1728.05	333.25	
	कुल योग	2231.4	431.40	

विवरण-III

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

राज्य: झारखंड

30.11.2004 की स्थिति अनुसार
(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	1991 की जनगणना के अनुसार आबादी	स्वीकृत तिथि/माह/वर्ष	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	मार्च 2004 तक किया गया व्यय
क. स्वीकृत परियोजनाएं							
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	**सी पी एच ई ई ओ में संवीक्षाधीन स्कीमें**						
क्रं सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परि.लागत	टिप्पणियां		
1.	दुग्धा	बोकारो	15204	215.63	जांच हो गई है, अनुमोदन हेतु भेजा गया है।		
2.	हुसैनाबाद	दलतोनगंज	17294	277.45	जांच हो गई है, अनुमोदन हेतु भेजा गया है।		
3.	मनोहरपुर	पश्चिम सिंघभोट	9947	152.00	जांच हो गई है, अनुमोदन हेतु भेजा गया है।		
4.	बसुकिनाथ	दुमका	11988	553.77	जांच हो गई है, अनुमोदन हेतु भेजा गया है।		
5.	मेरू	हजारीबाग	6434	72.85	जांच हो गई है, अनुमोदन हेतु भेजा गया है।		
			60867	1271.70			
ग. राज्य को वापस की गई स्कीमें							
1.	गलफरबाड़ी	धनबाद	15507	330.13	10.11.2004 को संशोधन हेतु भेजी गई		
2.	पंचेत	धनबाद	14289	238.22	10.11.2004 को संशोधन हेतु भेजी गई		
3.	बालीयारपुर	धनबाद	9513	186.03	10.11.2004 को संशोधन हेतु भेजी गई		
			39309	754.38			

विवरण-4

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

राज्य: गुजरात

क. स्वीकृत परियोजनाएं

30.11.2004 की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी (1991 की जनगणना	स्वीकृति तिथि/माह/वर्ष	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि	सितम्बर, 2004 तक किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दामनगर*	अमरेली	13946	फरवरी, 2002	59.35	-	38.83
2.	लाठी	अमरेली	16545	फरवरी, 2002	43.20	464.34	28.56

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बेयत*	जामनगर	4891	फरवरी, 2002	54.95	(2001-2002)	34.91
4.	बाबरा*	अमरेली	14541	फरवरी, 2002	93.68	664.47	73.11
5.	संतरामपुर	पंचमहल	13921	फरवरी, 2002	68.88	(2002-2003)	55.57
6.	पलियाड	भावनगर	8316	फरवरी, 2002	29.25	918.08	20.92
7.	लालपुर	जामनगर	11542	जुलाई, 2002	30.28	(2003-04)	26.09
8.	पदधारी	राजकोट	7122	जुलाई, 2002	170.85		117.72
9.	चोटिला*	सुरेन्द्रनगर	11635	अगस्त, 2002	81.84		64.83
10.	रनपुर*	अहमदाबाद	11786	अगस्त, 2002	43.97		41.96
11.	मंडल	अहमदाबाद	10217	अगस्त, 2002	77.37		80.10
12.	वधई*	डांग्स	4947	सितंबर, 2002	54.63		39.06
13	बोदेली	वदोदरा	8621	सितंबर, 2002	59.38		46.63
14.	हारिज	पाटन	16636	अक्तूबर, 2002	93.04		49.05
15.	छनसमा	पाटन	16214	अक्तूबर, 2002	79.67		58.97
16.	देलवाड़ा	जूनागढ़	9120	जनवरी, 2003	124.14		6.72
17.	अंबाजी	बानसकंथा	10673	जनवरी, 2003	395.81		339.60
18.	कनादर	बानसकंथा	9029	जनवरी, 2003	140.19		108.55
19.	छापी	बानसकंथा	5716	जनवरी, 2002	106.60		73.72
20.	विंछिया	राजकोट	9459	जनवरी, 2003	44.27		37.55
21.	जेतलसर	राजकोट	11309	जनवरी, 2003	44.88		22.05
22.	दिग्विजयग्राम	जामनगर	8195	जनवरी, 2003	118.71		7.48
23.	सिक्का	जामनगर	13594	जनवरी, 2003	196.03		26.34
24.	वारतेज	भावनगर	8187	जनवरी, 2003	66.09		52.24
25.	शिवराजपुर*	पंचमहल	5133	जनवरी, 2003	37.08		23.80
26.	सोनगढ़	भावनगर	5670	जनवरी, 2003	40.84		19.89
27.	सिंगरवा	अहमदाबाद	7733	फरवरी, 2003	103.70		10.86
28.	तलाला	जूनागढ़	14376	फरवरी, 2003	199.21		41.36

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	नानदेज	अहमदाबाद	6878	दिसंबर, 2003	69.86		8.47
30.	वासो	खेड़ा	12199	जनवरी, 2004	103.72		0.00
31.	कठवाल	खेड़ा	14152	जनवरी, 2004	98.86		0.00
32.	पाली	खेड़ा	14902	जनवरी, 2004	178.35		0.00
		कुल	337205		3108.68	2046.89	1554.94

*राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीमें
#राज्य सरकार द्वारा अंशत: शुरू की गई स्कीमें

ख. सीपीएचईईओ में संवीक्षाधीन स्कीमें

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परियोजना लागत	टिप्पणियां
1.	मालपुर	सबरकांथा	5325	79.13	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
2.	कटपर	भावनगर	7088	59.61	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
3.	जाफराबाद	अमरेली	17539	503.97	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
4.	वनसडा	नवसारी	9728	126.75	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
5.	सारूबुजरंग	नवसारी	6899	55.46	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
6.	देवसर	नवसारी	7626	126.20	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
7.	उमरग्राम	बलसाद	15481	31.19	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
8.	महुवर	नवसारी	8129	66.65	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
9.	पविजेतपुर	वदोदरा	6466	68.80	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
10.	उमराला	भावनगर	9091	53.41	जांच हो गई है। अनुमोदन हेतु भेजी गई है।
11.	तलाजा	भावनगर	17965	321.42	जांच हो गई है। 3.11.04 को टिप्पणियां भेजी गई हैं।
12.	गरियाधर	भावनगर	19723	532.30	जांच हो गई है। 3.11.04 को टिप्पणियां भेजी गई हैं।
13.	मेघराज	सावरकंथा	8287	113.60	जांच हो गई है। अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही हैं।
14.	बेछाराजी	मेहसाना	8177	152.75	जांच हो गई है। 3.11.04 को टिप्पणियां भेजी गई हैं।
15.	लखतर	सुरेन्द्रनाग	11139	110.00	जांच हो गई है। 3.11.04 को टिप्पणियां भेजी गई हैं।
16.	पटदी	सुरेन्द्रनाग	14098	314.54	जांच हो गई है। 3.11.04 को टिप्पणियां भेजी गई हैं।
17.	खारागोदा	सुरेन्द्रनाग	10034	222.88	जांच हो गई है। 3.11.04 को टिप्पणियां भेजी गई हैं।
18	थराड	बांसकंथा	18053	167.80	जांच हो गई है। राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
19.	टंकारा	राजकोट	7790	61.90	जांच हो गई है। राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
			2086 38	3168.36	

[अनुवाद]

अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस के लिए वर्दी

929. श्री कैलाश मेघवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों के कर्मचारियों को सशस्त्र बलों/अर्द्ध सैनिक बलों/पुलिस की वर्दियां पहनने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सुरक्षा एजेन्सियों के कर्मचारियों द्वारा उक्त वर्दियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) यह मंत्रालय राज्य सरकारों को सलाह देता रहा है कि जो व्यक्ति सेना/अर्द्ध सैनिक बलों से मिलती-जुलती वर्दियां पहनते हैं उनके विरुद्ध कानून के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सशस्त्र बलों/अर्द्ध-सैनिक बलों जैसी वर्दियां पहनते हैं उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 140, 170, 171 और 416 तथा शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 6 के तहत अभियोग चलाने के लिए प्रावधान हैं।

दिल्ली में सड़कों की स्थिति

930. श्री कैलाश बैठा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सड़कों की स्थिति मात्र दो दिनों की ही भारी वर्षा के पश्चात् दयनीय हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि संविदागत दायित्वों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के सामानों का प्रयोग हो;

(ग) क्या सड़क लेखा परीक्षा करने हेतु किसी स्वतंत्र एजेन्सी को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आर.के. पुरम और नेहरू नगर की मुख्य और सहायक सड़कों को पुन: बनाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इन सड़कों को कब तक पुन: बनाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), दिल्ली नगर निगम (दिननि) ने यह सूचित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन सड़कों की हालत संतोषजनक है और उसके लिए प्रयोग की गई सामग्रियां संविदा शर्तों के अनुसार हैं। तथापि, बरसात के दौरान बहुत तेज वर्षा और पानी के जमा होने के कारण बने गड्ढों की तत्काल मरम्मत कर दी जाती है।

(ग) और (घ) विभिन्न एजेंसियों के लिए सड़क लेखापरीक्षा के बारे में स्थिति इस प्रकार है:-

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी): नोएडा टौल ब्रिज कं.लि. से की गई लेखा परीक्षा

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए): केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली को गुणता आश्वासन एजेंसी तीसरा पक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

लोक निर्माण विभाग(पीडब्लूडी): सी आर आर आई, नई दिल्ली और आईआईटी, रुड़की को समय-समय पर सड़क लेखा परीक्षा करने के लिए तैनात किया जाता है।

दिल्ली नगर निगम (दि.ननि): 50 लाख रु. और उससे अधिक लागत की सड़कों के बारे में तीसरे पक्ष द्वारा जांच का प्रावधान पहले से है।

(ङ) और (च) लोक निर्माण विभाग ने यह सूचित किया है कि रिंग रोड से सटे सेक्टर-12 और 13 तथा अफ्रीका एवेन्यू से सटे सेक्टर 2 और 3 में सेवा सड़कें पुन: बिछाने का कार्य चल रहा है और इसके फरवरी, 2005 तक पूरा होने की संभावना है, नेहरू प्लेस का कार्य मार्च, 2005 में पूरा किया जाना है।

दिल्ली नगर निगर द्वारा अवैध निर्माण गिराया जाना

931. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री दिनांक 6 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 273 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष एक डी.डी.ए. पार्क में विद्यालय के निर्माण को रोकने के लिए दिए गए न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण पर 20,000 रुपये तथा दिल्ली नगर निगम पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करने हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या उच्चतम न्यायालय ने विद्यालयों को विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु पार्कों का आवंटन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पहले भी कुछ आदेश पारित किया था; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम से अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तथापि, सूचना शीघ्र एकत्र करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में तमिल विभाग

932. श्री पी. मोहन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है जिनके पास अलग तमिल विभाग हैं;

(ख) क्या सभी विश्वविद्यालयों में तमिल विभाग खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, केवल एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय नामत: पांडिचेरी विश्वविद्यालय का ही अलग तमिल विभाग है। छ: केन्द्रीय विश्वविद्यालयों—पांडिचेरी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय और विश्वभारती में तमिल भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

अलग तमिल विभाग की स्थापना के लिए किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार विजिटर का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित हो।

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात

933. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात क्या है;

(ख) क्या सभी केन्द्रीय विद्यालय इस अनुपात का पालन करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सामान्यत: अनुपात 1 : 45 (लगभग) है।

(ख) और (ग) प्रवेश हेतु अधिक मांग तथा स्थानांतरण प्रमाणपत्र वाले मामलों में कक्षा की क्षमता से अधिक प्रवेश देने की अनिवार्यता के कारण सभी केन्द्रीय विद्यालय इस अनुपात का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं।

सौर ड्रायर्स

934. श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंगूर से नानुन्का बेदाना बनाने और सब्जियां सुखाने हेतु सौर ड्रायर्स का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो प्रति घंटे कितने टन की 'ड्राइंग' क्षमता है और प्रति टन अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सौर ड्रायर्स के प्रयोग को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसान इकाई पर आने वाली लागत का वहन कर सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सौर शुष्ककों का विकास किया गया है और ये किशमिश (मुनक्का-बेदाना) बनाने के लिए अंगूर सहित विभिन्न सब्जियों और फलों को सुखाने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हैं ये देश के कुछ क्षेत्रों में प्रचालन में हैं।

(ख) कैबिनेट प्रकार के सौर शुष्कक छोटे आकारों में उपलब्ध हैं जो प्रति बैच क्षमता 5 कि.ग्रा. से 100 कि.ग्रा. के बीच के हैं। सुखाई जाने वाली सामग्री की आरंभिक नमी की मात्रा पर निर्भर करते हुए सौर शुष्कन की अवधि प्रति बैच 20 से 24 धूप वाले घंटों के बीच होती है। एक विशिष्ट 50 कि.ग्रा. प्रति बैच क्षमता कैबिनेट शुष्कक की लागत 60,000/- रु. से 70,000/- रु. के बीच है (प्रति टन प्रति बैच क्षमता 12 से 14 लाख रु. तक)। देश में बड़ी क्षमता वाली औद्योगिक सौर शुष्कन प्रणालियां भी उपलब्ध हैं जो पारंपरिक ईधनों के साथ काम करती हैं। उनकी लागत 7.5 लाख रु. प्रति टन प्रति बैच क्षमता है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा सूचना के प्रसार और कुछ प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से देश में सौर शुष्ककों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्रालय की एक उदार ऋण योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक सौर शुष्कन परियोजनाएं थी, ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं। मंत्रालय द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के विकास और विद्यमान प्रौद्योगिकियों में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की भी सहायता की जा रही है।

(घ) और (ङ) इस पर विचार करते हुए कि कंट्रोल्ड सौर शुष्कन, खुली धूप शुष्कन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है जिससे किशमिश बनाने के लिए अंगूर को सुखाने हेतु किसानों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है, इसलिए किसानों के लिए सौर शुष्ककों की लागत वहनीय है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं जिनसे किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि 50 कि.ग्रा. प्रति बैच क्षमता के सौर शुष्कक की 60,000 रु. से 7,000 रु. तक की लागत की वसूली किसान द्वारा लगभग तीन वर्षों में की जा सकती है।

[हिन्दी]

बिना ठेके के एन.डी.एम.सी. की पार्किंग

935. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 सितंबर, 2004 के हिन्दुस्तान में "एन.डी.एम.सी. पार्किंग विदाउट कॉन्ट्रेक्ट" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार की सच्चाई क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा सरकार को इससे कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 31 अगस्त, 2004 को अपने मौजूदा कॉनट्रैक्टों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् 97 पार्किंग स्थलों के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5 अगस्त, 2004 को निविदाएं आमंत्रित की थीं। प्राप्त बोली के आधार पर बोली लगाने में सफल रहे व्यक्तियों को 1 सितम्बर, 2004 से 71 पार्किंग-स्थल आबंटित कर दिए। शेष 26 पार्किंग स्थलों को मौजूदा कॉन्ट्रेक्टों की अवधि समाप्त होने पर तत्काल आबंटित नहीं किया जा सका क्योंकि बोली कम लगाई गई थी और बोली लगाने वाले कुछ सफल व्यक्तियों द्वारा जमानत की राशि जमा कराने सहित अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं। इन्हें नई निविदाएं आमंत्रित करने/बातचीत करने तथा दो पार्किंग-स्थलों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए स्थगन के समाप्त होने के पश्चात्, 15 सितम्बर, 2004 और 2 नवम्बर, 2004 के बीच आबंटित कर दिया गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा 1 सितम्बर, 2004 और और उस तारीख के बीच की अवधि में जब बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों को उन स्थलों का कब्जा दिया गया था, अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पार्किंग शुल्क लिए जाने को रोकने हेतु इन 26 अनावंटित पार्किंग स्थलों पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे।

(घ) उच्च दरों पर उपयुक्त पार्किंग-स्थलों का आबंटन करने और उन नौ बोली लगाने वालों की बयाना राशि को जब्त करने से, जो जमानत की राशि जमा नहीं करा सके, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के राजस्व में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

निजी कंपनियों द्वारा उर्वरक और औषधियों का आयात

936. श्री मोहन रावले: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन उर्वरकों, औषधियों और रसायनों के आयात के संबंध में कुछ निजी पार्टियों/फर्मों के प्रति उदार रुख अपनाया है जिनकी बिक्री/संवितरण सरकार के द्वारा किया जाता था; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी निजी पार्टियों/फर्मों की संख्या कितनी रही है जिन्हें उक्त वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई थी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) उर्वरकों, औषध और रसायनों के आयात की अनुमति लागू आयात नीति के अनुसार दी जाती है। औषधों के मामले में आयात, औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार किया जाता है और नारकोटिक औषध और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों, यदि लागू हो, पर आधारित होता है। यूरिया उर्वरक का आयात प्रतिबन्धित है और केवल राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से ही अनुमत्य है।

(ख) उपर्युक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्कृष्ट संभाव्यता वाले महाविद्यालयों को अनुदान

937. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्कृष्ट संभाव्यता महाविद्यालय योजना (सी.वी.ई.) के अधीन महाविद्यालयों का चयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक राज्य-वार विशेषकर हरियाणा में उक्त योजना के अधीन कितने महाविद्यालयों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं योजना अवधि के दौरान कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर देश भर के उपयुक्त कालेजों को उत्कृष्टता की संभावना वाले कालेजों के रूप में अभिनिर्धारित करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है।

(ग) प्रथम चरण में 47 कालेजों का चयन किया गया है। चयनित कालेजों की (राज्यवार) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इस स्कीम के तहत हरियाणा राज्य से एम.एल.एन. कालेज, यमुनानगर, हरियाणा का चयन किया गया है।

विवरण

प्रथम चरण में उत्कृष्ट संभाव्यता वाले महाविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु उत्कृष्ट संभाव्यता महाविद्यालय हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य (कोड सं.)	क्र. सं.	विश्वविद्यालय	क्र .सं.	महाविद्यालय का नाम (कोड सं.)	280 में से दिये गये अंक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश (1)	1	उस्मानिया	1	उस्मानिया विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय, कोटि, हैदराबाद (1)	161
				2	निजाम कालेज, हैदराबाद (2)	185
				3	सेंट फ्रांसिस महिला कालेज, बेगमपेट, हैदराबाद (3)	153

1	2	3	4	5	6	7
		2	श्री वेंकेटश्वरा	4	जवाहर भारती कालेज, कवाली (8)	140
		3	काकातिया विश्वविद्यालय	5	विश्वविद्यालय कला और विज्ञान कालेज, सूबेदार, हनामकोंडा, वारंगल-506001 (11)	159
		4	नागार्जुन विश्वविद्यालय	6	आन्ध्रा लोयला कॉलेज, विजयवाडा (12)	152
2.	बिहार (4)	5	पटना विश्वविद्यालय	7	पटना वीमेन्स कालेज, पटना (22)	145
		6	मगध विश्वविद्यालय	8	ए एन कालेज, पटना (26)	164
3.	दिल्ली (5)	7	दिल्ली विश्वविद्यालय	9	गार्गी कालेज, दिल्ली-110049 (29)	153
				10	श्री वेंकटेश्वरा कालेज, दिल्ली (30)	149
4	गोवा (6)	8	गोवा विश्वविद्यालय	11	सेंट जेवियर कालेज, मापुसागोआ (33)	160
5	हरियाणा (8)	9	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	12	एम एल एन कालेज, यमुना नगर (44)	174
6	कर्नाटक (12)	10	बंगलौर विश्वविद्यालय	13	सेंट जोसेफ कला एवं विज्ञान महाविद्यालय (66)	147
				14	ज्योति निवास कालेज, बंगलौर (68)	164
		11	बंगलौर विश्वविद्यालय	15	एस डी एम कालेज, उजीर (73)	145
7	केरल (13)	12	केरल विश्वविद्यालय	16	यूनिवर्सिटी कालेज, तिरूवनंतपुरम (78)	161
				17	मार इवोनियस कालेज, तिरूवनंतपुरम (79)	145
		13	कालीकट विश्वविद्यालय	18	फारूक कालेज, फारोक (81)	146
		14	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	19	सी एम एस कालेज, कोट्टायम (84)	184
				20	सेंट बर्चमैन कालेज, चगनचेरी (85)	160
				21	सेक्रेड हार्ट कालेजा, थेवरा (86)	156
8	मध्य प्रदेश (14)	15	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	22	गवर्नमेंट साइंस कालेज, जबलपुर (स्वायत्त) (94)	196
				23	गवर्नमेंट एम.एच. कालेज ऑफ होम साइंस फॉर वूमेन, जबलपुर (स्वायत्त) (95)	162

1	2	3	4	5	6	7
9	महाराष्ट्र (15)	16	मुम्बई विश्वविद्यालय	24	विनायक गणेशवर्ज कला और वाणिज्य कालेज, मुम्बई (101)	166
		17	नागपुर विश्वविद्यालय	25	श्री शिवाजी एजुकेशन सोसायटी, अमरावती साइंस कालेज, नागपुर (105)	165
		18	पुणे विश्वविद्यालय	26	सेंट मीरा कालेज फार गर्ल्स (106)	162
				27	ब्रिहन महाराष्ट्र वाणिज्य कॉलेज, पुणे (107)	193
				28	के आर टी आर्ट बी एच कॉमर्स और ए एम साईंस कालेज, नासिक (108)	156
		19	डा. बी ए मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	29	श्री छत्रपति शिवाजी कालेज, उमेरगा, जिला उस्मानाबाद (112)	156
		20	अमरावती विश्वविद्यालय	30	विद्याभारती महाविद्यालय, अमरावती (118)	164
		21	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	31	के सी ई सोसायटी एम जे कालेज, जलगांव (119)	164
		22	एस आर टी एम विश्वविद्यालय	32	यशवंत महाविद्यालय, नांदेड (123)	146
10	उड़ीसा (20)	23	उत्कल विश्वविद्यालय	33	रविनशॉ स्वायत्त महाविद्यालय, कटक (135)	160
		24	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	34	राजकीय स्वायत्त महाविद्यालय भवानीपटना (140)	179
				35	जी एम कालेज सम्बलपुर (141)	141
11	राजस्थान (23)	25	राजस्थान विश्वविद्यालय	36	एस एस जैन सुबोध पी जी कालेज, जयपुर (156)	144
12	तमिलनाडु (24)	26	मद्रास विश्वविद्यालय	37	इथिराज कालेज फॉर वूमेन, चेन्नई-600105 (163)	193
				38	लायला कालेज, नंगमबक्कम, मद्रास-600059 (164)	239
		27	मदुरै कामराज	39	लेडी डॉक कालेज, मदुरै (169)	233
				40	अय्या नदार जमाकी अम्मल कालेज (170)	198
				41	फातिमा कॉलेज, मदुरै (171)	225
		28	भारतीयर विश्वविद्यालय	42	पी एस जी कला और विज्ञान कालेज, कोयम्बटूर (172)	175
		29	भारतीदासन विश्वविद्यालय	43	सेंट जोसेफ कालेज (स्यायत्त) तिरूचिरापल्ली (175)	240

1	2	3	4	5	6	7
		30	मनोनमानियम सुन्दरनर	44	सेंट जेवियर कॉलेज, पलायामकोताई (180)	206
13	उत्तर प्रदेश (25)	31	डा. बी.आर. अंबेडकर	45	आर बी एस कालेज, आगरा (187)	168
				46	सेंट जोन्स कॉलेज, आगरा (188)	141
14	प. बंगाल (26)	32	कलकत्ता विश्वविद्यालय	47	प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता, 86/1, कालेज स्ट्रीट-700073 (198)	162

उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियां

938. श्री राजेन गोहेन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उल्फा/एन डी एफ बी/एन एस सी एन और अन्य उग्रवादी ग्रुपों द्वारा विदेशों में बड़े पैमाने पर परिसम्पत्तियों की खरीद की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समूहों द्वारा खरीदी गई ऐसी परिसंपत्तियों के ब्यौरे का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) उल्फा/एन डी एफ बी/एन एस सी एन द्वारा विदेशों में परिसंपत्तियों और संपत्तियों की खरीद के संबंध में सरकार की जानकारी में कोई पुष्ट सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये सवाल ही नहीं उठते।

(घ) सरकार ने उग्रवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सेना और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना, विद्रोह-विरोधी अभियान चलाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना, सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना और उग्रवादी संगठनों "विधि विरुद्ध संगठन" घोषित करना शामिल हैं। सरकार ने सभी उग्रवादी गुटों को हिंसा का मार्ग छोड़ने और संविधान के दायरे अन्दर वार्ता के लिए आगे आने का भी निमंत्रण दिया है।

भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान

939. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 24.8.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3873 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली से संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां।

एकत्र की गई सूचना के अनुसार, भारतीय आयोजना और प्रबन्धन संस्थान, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत शैक्षिक सोसाइटी है और यह एम बी ए और बी बी ए कार्यक्रम आयोजित कर रही है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं है।

दिल्ली में पार्कों की स्थिति

940. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में करोड़ों रुपए खर्च करने और पर्याप्त कामगार/कर्मचारी होने के बावजूद डी.डी.ए., एम.सी.डी., एन.डी.एम.सी., और सी.पी.डब्लू.डी. के पार्कों की स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन पार्कों की स्थिति को सुधार कर दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन पार्कों की स्थिति में कब तक सुधार लाये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी); दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह बताया है कि संबंधित एजेंसियों के अन्तर्गत आने वाले पार्कों/गार्डनों का रखरखाव सामान्यत: संतोषजनक ढंग से किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह सूचित किया है कि नेताजी नगर, नानकपुरा, पुष्प विहार इत्यादि जैसी कुछ रिहायशी कालोनियों में पानी की कमी के कारण अभी तक बागवानी कार्य आरंभ नहीं किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी उल्लेख किया है कि ऐसे कुछेक पार्कों में सुधार किए जाने की जरूरत है, जहां पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली जल बोर्ड के समीपवर्ती शोधन संयंत्र से शोधन उपरान्त अपशिष्ट जल (एफ्लुएंट) का उपयोग कर रहा है। शोधन उपरान्त अपशिष्ट जल को अन्य जोनों में ले जाने की सम्भावना का भी पता लगाया जा रहा है। पार्कों का रखरखाव किया जाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें आगे सुधार किए जाने की गुंजाइश होती है। पार्कों को यथासम्भव सर्वोत्तम स्थिति में बनाए रखने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

दंड प्रक्रिया संहिता

941. श्री सुरेश चन्देल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आरोपित राजनीतिकों के मामलों की प्रतिदिन सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस विषय में कब तक अंतिम निर्णय के लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

योजना और वास्तुकला विद्यालय में रैगिंग

942. श्री बालेश्वर यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 2004 में नई दिल्ली स्थित योजना और वास्तुकला विद्यालय (एस.पी.ए.) के परिसर में हुई अशिष्ट रैगिंग के बारे में प्राप्त शिकायतों के संबंध में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो शिकायत में किन-किन मुख्य बातों का खुलासा किया गया है; और

(ग) सरकार ने इस आधार पर क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) शिकायतकर्ता ने अपनी लिखित शिकायत में शारीरिक उत्पीड़न करने और गाली तथा गन्दी भाषा का प्रयोग करने एवं गन्दी हरकतें करने का आरोप लगाया था।

(ग) सरकार ने योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली में कथित रैगिंग के मामले की जांच के लिए एक दो सदस्यीय जांच दल गठित किया। उनके निष्कर्षों के आधार पर योजना और वास्तुकला विद्यालय के प्राधिकारियों को उनके स्कूल के परिसर और छात्रावासों में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति भविष्य में सावधान और सतर्क रहना चाहिए। उन्हें विद्यार्थियों की बैठक बुलानी चाहिए जहां इस शर्मनाक घटना पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उन्हें शपथ दिलाई जानी चाहिए कि स्कूल में दुबारा ऐसी घटना न घटे। तदनुसार स्कूल ने सरकार के निर्देश का पालन किया है।

[हिन्दी]

टी.बी. की दवाइयों के लिए यू.पी.डी.पी.एल. को वित्तीय पैकेज

943. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री 6.7.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 183 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश ड्रग फार्मास्युटिकल लिमिटेड (यूपीडीपीएल) के पुनर्वास के लिए बी आई एफ आर योजना के अधीन ऋणदाताओं को दस करोड़ रु. की अदायगी कब की गई थी;

(ख) इतने सारे ऋणदाताओं को भुगतान करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा धनराशि के कानून के अनुसार उचित प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार यू पी डी पी एल के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने बैंकों के बकाये, सांविधिक बकाये तथा अन्य जरूरी देयताओं के एकमुश्त भुगतान हेतु दस करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरों का विकास

944. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है;

(घ) क्या इस कार्य के लिए विश्व बैंक वित्तीय सहायता दे रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फार्म हाऊसों में समारोह

945. **श्री विजय कृष्ण: क्या शहरी विकास मंत्री** 11.3.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3021 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सहायक राजस्व न्यायालय, हौजखास (दिल्ली) द्वारा फार्म हाउसों के मालिकों को समारोह करने से मना किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि समारोह न करने के आदेश के बावजूद फार्म हाऊस के मालिक स्थानीय पुलिस और संबंधित बी.डी.ओ. की सांठगांठ से फार्म हाउसों में समारोह कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में हो रहे दुरूपयोग और कृषि भूमि का अन्यत्र प्रयोग को रोकने के लिए डी एल आर अधिनियम, 1954 के अधीन क्या कार्रवाई करने का है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

लघु एवं मध्यम नगरों के समेकित विकास संबंधी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को जारी निधियां

946. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु एवं मध्यम नगरों के समेकित विकास संबंधी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को कितनी निधियां जारी की गईं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को लघु एवं मध्यय नगरों के समेकित विकास संबंधी योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह में वृद्धि करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या लघु एवं मध्यम नगरों के समेकित विकास संबंधी योजना के अंतर्गत सहायता मांगने वाली नगर परिषदों के लिए कम्प्यूटरीकृत शहरी मानचित्रण तैयार करना अनिवार्य कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो भारत में लघु और मध्यम नगरों के शहरी मानचित्रण का कार्य आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्र प्रायोजित छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी) योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)
2001-02	653.60
2002-03	1038.25
2003-04	834.00
2004-05 (30.11.2004 तक)	1075.26

(ख) और (ग) जी हां। 9वीं योजना में 275.00 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की तुलना में 10वीं योजना के दौरान सरकार ने आईडीएसएमटी योजना के तहत 1304.64 करोड़ रु. का बढ़ा हुआ परिव्यय दिया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दादरा और नगर हवेली में जनजातीय लोगों पर अत्याचार

947. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दादरा और नागर हवेली के जनजातीय लोग राजस्व प्राधिकारियों की मिलीभगत से भू-स्वामी की मृत्यु होने के बाद अवैध रूप से भूमियों को बेचने के परिणामस्वरूप भूमिहीन हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या क्षेत्र में निवास कर रहे गैर-जनजातीय लोगों द्वारा अस्थाई विवाह के माध्यम से जनजातीय लड़कियों का शोषण किया जा रहा है और उनकी गरीबी के कारण इनका दैहिक शोषण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने महिलाओं की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही अनुवर्ती कार्यवाही क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग की गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि के साथ 27.9.2004 को सिलवासा में हुई बैठक के दौरान यह आरोप लगाया गया कि बाहरी व्यक्ति जनजातीय लड़कियों का शोषण कर रहे हैं और जनजातीय लोगों की भूमि को बेचे जाने के आरोप हैं। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जांच करने पर ये आरोप सही नहीं पाए गए हैं।

रेलगाड़ियों की आवश्यकता

948. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा प्रथम चरण के लिए अपेक्षित रेलगाड़ियों की संख्या प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या डी एम आर सी द्वारा अपेक्षित रेलगाड़ियों का देश में भी निर्माण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) कितने देश डी एम आर सी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली रेलगाड़ियों का निर्माण करते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) फेज-1 के लिए ली जाने वाली 60 रेलों में से डी एम आर सी द्वारा अब तक 30 रेलें ले ली गई है।

(ग) और (घ) अब तक ली गई रेलों में से 15 कोरिया में निर्मित की गई और शेष 15 बीईएमएल, बंगलौर में जोड़ी/ निर्मित की गई।

(ङ) ऐसी चार रेलें इस समय प्रचालन में हैं। शेष प्रचालन में लाने से पूर्व के परीक्षण, चालू करने तथा सेवा परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

विभिन्न समुदायों की जनांकिकीय स्थिति

949. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न समुदायों के संबंध में 2001 की जनसंख्या के चयनित आंकड़ों के आधार पर बांग्लादेश के समीपवर्ती क्षेत्रों की जनांकिकीय स्थिति में आए परिवर्तनों पर ध्यान दिया गया है;

(ख) 2001 की जनगणना से बांग्लादेश से पलायन करके आए लोगों की पहचान करने में किस सीमा तक मदद मिली है;

(ग) क्या सरकार को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की सही व विश्वसनीय संख्या का अनुमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं, महोदय।

(ख) जनगणना अवैध आप्रवासन की पहचान करने के लिए नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) अवैध तौर पर आए बांग्लादेशियों आप्रवासियों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है।

मुंबई का विकास और उन्नयन

950. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी मुम्बई यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार की यह योजना है कि मुम्बई को मलिन बस्ती रहित विश्वभर में चमकते हुए शंघाई शहर की तरह बनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं और रूपरेखा क्या है और इस योजना पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है;

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) मुंबई में धारावी स्लमों के पुनर्वास का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजा गया है जिसे योजना आयोग से परामर्श करके तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जाति आधारित जनगणना

951. **प्रो. चन्द्र कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में सम्पन्न हुई जनगणना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में जाति के संबंध में कोई कॉलम नहीं था;

(ख) यदि हां, तो क्या 1952 से देश में कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को उनकी बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए कौन से मानदंड बनाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जाति आधारित जनगणना कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर स्वतन्त्रता के पश्चात् की गई जनगणनाओं में अलग से किसी व्यक्ति की जाति, जनजाति या नस्ल के बारे में जानकारी एकत्र नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में आश्रमों तथा छात्रावासों का निर्माण

952. **श्री काशीराम राणा:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री अजीत जोगी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान राज्यों से जनजातीय क्षेत्रों में राज्यवार आश्रमों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. खिन्डिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	आश्रम स्कूल योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव		लड़कों/लड़कियों के लिए छात्रावास योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव	
		मांगी गयी धनराशि (लाख रुपये में)	की गयी कार्रवाई	मांगी गयी धनराशि (लाख रुपये में)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	231.00	(क) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।	454.43	(क), (ख), (ग) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/ सूचना मांगी गयी है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	20.50	मामला निपटा दिया गया है।
3.	छत्तीसगढ़	3693.58	(क), (ग) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।	750.85	(ग) और (च) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/ सूचना मांगी गयी है।
4.	गुजरात	398.93	मामला निपटा दिया गया है।	67.60	अनुदान जारी कर दिया गया है।
5.	हिमाचल प्रदेश	-	-	50.50	(क) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।
6.	झारखण्ड	393.72	(ग) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।	310.42	(क) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/ सूचना मांगी गयी है।
7.	कर्नाटक	300.00	(क), (ग) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।	150.00	(क) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/ सूचना मांगी गयी है।

1	2	3	4	5	6
8.	पंजाब विश्वविद्यालय	-	-	65.12	अनुदान जारी कर दिया गया है।
9.	केरल	601.07	(क) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/ सूचना मांगी गयी है।	-	-
10.	मध्य प्रदेश	300.00	अनुदान जारी कर दिया गया है।	300.00	अनुदान जारी कर दिया गया है।
11.	मेघालय	-	-	27.50	(क), (ग) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।
12.	नागालैण्ड	-	-	4.31	(ग) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।
13.	उड़ीसा	-	-	6.00	(घ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/ सूचना मांगी गयी है।
14.	राजस्थान	-	-	309.145	(क), (ग) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।
15.	त्रिपुरा	-	-	40.00	(क), (ख), (ग) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।
16.	तमिलनाडु	32.65	(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।	92.22	(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।

1	2	3	4	5	6
17.	उत्तर प्रदेश	7.60	(क) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/ सूचना मांगी गयी है।	-	-
18.	उत्तरांचल	284.93	(घ) और (छ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/ सूचना मांगी गयी है।	-	-
19.	प. बंगाल	-	-	5.60	(क) और (ङ) पर दर्शाए गए कारणों से प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी गयी है।

क. पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होना।

ख. मुफ्त जमीन न प्राप्त होना।

ग. के.लो.नि.वि./लो.नि. के प्रचलित दरों के अनुसार लागत का प्राक्कलन प्राप्त न होना।

घ. राज्य के बजट में मैचिंग शेयर उपलब्ध न होना।

ङ. पूर्व में जारी किए जा चुके अनुदान का भौतिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध न होना।

च. सीटों की संख्या उपलब्ध न होना।

छ. छात्रावासों/आश्रम विद्यालयों की लागत का निर्धारण राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना है।

[हिन्दी]

जाली नोट

953. श्री महेश कनोडीया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 के दौरान देश में जाली नोटों के चलन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में जाली नोटों के चलन एवं मुद्रण को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003 में (जनवरी से अगस्त तक) जाली भारतीय मुद्रा के परिचालन के 847 मामलों की तुलना में वर्ष 2004 में (जनवरी से अगस्त तक) इनकी संख्या में कमी हुई है और ऐसे मामलों की संख्या घटकर 647 रह गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने देश में जाली भारतीय मुद्रा नोटों के परिचालन और मुद्रण की रोकथाम करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें जाली मुद्रा की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सतर्कता बढ़ाए जाना, जाली मुद्रा नोटों से संबंधित मामलों की छानबीन करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक विशेष यूनिट की स्थापना करना, उच्च मूल्य वर्ग के नोटों में विशेष सुरक्षा चिह्न शामिल करना और जनता के लाभ के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा विशेषताओं संबंधी सूचना का प्रसार करना शामिल है। एक उच्च स्तरीय समिति ने भारतीय बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षा चिह्न शामिल करने की सिफारिश की है जिससे जालसाजी करना अत्यंत कठिन हो जाएगा।

लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट की आपूर्ति और उत्पादन

954. श्री मनोज कुमार: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भावनाथपुर लाइम स्टोन खानों में लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया और बोकारो इस्पात संयंत्र को आपूर्ति की गई;

(ख) क्या उक्त खानों ने बोकारो इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त अन्य निजी पार्टियों को भी लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट की आपूर्ति करने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भावनाथपुर लाइम स्टोन खानों में लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट के उत्पादन पर कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ङ) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा अन्य स्रोतों से अलग-अलग से किन दरों पर लाइम स्टोन और डोलोमाइट खरीद की जा रही है; और

(च) बोकारो इस्पात संयंत्र के भावनाथपुर लाइम स्टोन खानों से कम मात्रा में कच्चा माल खरीदने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) भावनाथपुर चूना पत्थर खानों और इसके पास की तुलसीदमार डोलोमाइट खानों से पिछले पांच वर्षों के दौरान चूना-पत्थर और डोलोमाइट के उत्पादन और बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) को की गई आपूर्ति निम्नानुसार है:

(मीट्रिक टन)

वर्ष	चूना पत्थर		डोलोमाइट	
	उत्पादन	बीएसएल को आपूर्ति	उत्पादन	बीएसएल को आपूर्ति
1999-2000	68	77	256	266
2000-2001	121	107	286	284
2001-2002	78	59	128	84
2002-2003	79	102	216	256
2003-2004	83	67	289	248

(ख) और (ग) भावनाथपुर और तुलसीदमार खानों ने किसी निजी पार्टी को चूना-पत्थर या डोलोमाइट की आपूर्ति का प्रस्ताव नहीं दिया है।

(घ) और (ङ) यह जानकारी देना सेल के वाणिज्यिक हित में नहीं है क्योंकि इससे संयंत्र को निजी क्षेत्र की तुलना में नुकसान होगा।

(च) भावनाथपुर के चूना-पत्थर निक्षेप में कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) की मात्रा 41% से 44% तक तथा सिलिका की मात्रा 6% से 8% तक है। तथापि, प्रौद्योगिक-आर्थिक कारणों से इस्पात संयंत्रों को अच्छी गुणवत्ता वाले चूना-पत्थर जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 46% से अधिक तथा सिलिका की मात्रा 5% से कम हो, की आवश्यकता है, जो भावनाथपुर चूना-पत्थर निक्षेप में उपलब्ध नहीं है।

पंजीकृत सहकारिताओं का गठन

955. श्री राजेश पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनधिकृत कालोनियों को अधिसूचित करने हेतु प्रथम उपाय के रूप में पंजीकृत सहकारिताओं का गठन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सहकारिताओं के गठन के संबंध में माननीय न्यायालय के सुझाव पर कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 8487/2003 "पंजाबी बाग कोऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य" में दिनांक 29.9.2004 के आदेश द्वारा यह सुझाव दिया कि अनधिकृत कालोनियों को अधिसूचित करने के लिए कम से कम एक प्रारंभिक कार्य के रूप में उन्हें यह बताया जाये कि उन्हें पंजीकृत कोआपरेटिव सोसायटियों का गठन करना चाहिए तथा निर्मित भवन वाले प्लाटों एवं खाली प्लाटों को दिखाते हुए अनधिकृत कालोनियों का मौजूदा भू-विन्यास (ले-आऊट) प्रस्तुत करना चाहिए।

(ग) से (ङ) दिल्ली सरकार ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार नियमितिकरण के लिए विचार करने हेतु उन अनधिकृत कालोनियों, जो 31.3.2002 को

अस्तित्व में थीं, के रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों/रेजीडेन्ट सोसायटियों/रेजीडेन्ट कोआपरेटिव सोसायटियों के दिनांक 30.12.2004 तक स्थान/साइट प्लान इत्यादि के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख समाचारपत्रों में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। तथापि, सोसायटियों/एसोसिएशनों द्वारा ऐसे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से उन्हें नियमितिकरण का कोई अधिकार या कोई वचनबद्धता नहीं मिलेगी।

पावरग्रिड कार्पोरेशन

956. डा. चिन्ता मोहन:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का देश के कतिपय संगठनों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने इन अन्य अतिरिक्त सेवाओं के लिए निधियों की आवश्यकता का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इसके स्रोत क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने एण्ड-टू-एण्ड बैण्डविड्थ प्रदान करने के लिए जनवरी, 2001 में दूरसंचार विभाग से इनफ्रैस्टक्चर प्रोवाइडर-2 लाइसेंस प्राप्त किया है और इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए मई, 2003 में आईएसपी श्रेणी 'क' लाइसेंस भी प्राप्त किया है। विभिन्न ग्राहकों को टेलिकाम सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिसमें निजी/सहकारी क्षेत्र में विभिन्न मुख्य टेलीकाम कम्पनी जैसे विदेश संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), भारती, हच, दक्ष, कनवरजी, एचसीएल इनफीनिट, रिलायन्स टेलीकाम लिमिटेड, नैशनल इनफारमेटिक सेन्टर (एनआईसी), ईआरएनईटी आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) "पीजीसीआईएल" के लिए बैकबोन टेलीकाम नेटवर्क की स्थापना" हेतु विश्व बैंक और पीजीसीआईएल के आंतरिक संसाधनों द्वारा 934.23 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश में कमी

957. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में इसकी शुरूआत से अब तक पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि किए जाने के बावजूद छात्रों की संख्या तेजी से घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों तथा नामांकित छात्रों की संख्या का वर्ष-वार एवं पाठ्यक्रम-वार ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्याल ने वर्ष 2002-03 से अपने पाठ्यक्रम आरंभ किए थे। विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश संबंधी एक विवरण संलग्न विवरण के रूप में दिए गए हैं।

हालांकि, छात्रों के प्रवेश में कोई कमी नहीं आई है। तथापि, यह सत्य है कि छात्रों के प्रवेश की संख्या में विश्वविद्यालय द्वारा अभी आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में कुछ पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कमी आई है।

विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई करने के अतिरिक्त परिसर में पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना जैसे छात्रावास, अध्यापकों और स्टाफ के लिए आवास के निर्माण एवं अन्य सुविधाओं हेतु कदम उठाए हैं। अंतरिम उपाय के रूप में विश्वविद्यालय ने बालक-बालिकाओं हेतु अलग-अलग छात्रावास चलाने के लिए परिसर किराए पर लिए हैं तथा अध्यापन एवं अध्ययन में कोई व्यवधान न आए यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अतिथि संकाय को आमंत्रित किया है। स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के अलावा विश्वविद्यालय ने प्रवेश के समय छात्रों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क में भी कमी की है। विभिन्न पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में सेमिनार/कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।

विवरण

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के संबंध में विवरण

वर्ष 2002		वर्ष 2003		वर्ष 2004	
पाठ्यक्रम	दाखिल छात्र	पाठ्यक्रम	दाखिल छात्र	पाठ्यक्रम	दाखिल छात्र
एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य)	16	एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य)	9	एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य)	4
एम.ए. अहिंसा एण्ड पीस स्टडीज	14	एम.ए. अहिंसा एण्ड पीस स्टडीज	2	एम.ए. अहिंसा एण्ड पीस स्टडीज	2
		एम.ए. वुमेन स्टडीज	10	एम.ए. वुमेन स्टडीज	3
		एम.ए. ट्रांस्लेशन टेक्नालॉजी	11	एम.ए. ट्रांस्लेशन टेक्नालॉजी	4
				एम.ए. मास मीडिया एण्ड कम्यूनीकेशन	8
				एम.फिल. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य)	9
				एम.फिल. अहिंसा एण्ड पीस स्टडीज	9
				एम.फिल. ट्रांस्लेशन टेक्नालॉजी	2
कुल	30	कुल	32	कुल	41

औषधियों के मूल्य पर विवाद

958. श्री सुकदेव पासवान: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण के मुद्दे पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली के कतिपय स्थानों का सौंदर्यीकरण

959. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली के कुछ स्थानों का सौंदर्यकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए उनके द्वारा लगातार कई परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में यमुना पुश्ता क्षेत्र में प्राकृतिक दृश्य (लैंडस्केप) तथा मनोरंजनात्मक विकास, लगभग 157 एकड़ तथा 690 एकड़ में क्रमश: यमुना एवं अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का विकास, आस्था कुंज (नेहरू प्लेस) के रूप में डिस्ट्रिक्ट पार्क का विकास इत्यादि शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भी दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए कई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। वर्ष 2003-04 तथा 2002-03 में परियोजनाओं तथा प्रत्येक स्कीम के लिए स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य के लिए 2003-04 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली को प्रकाशवान करना (आईटीडीसी) (डेस्ट. डेव.)	37.40
2.	दिल्ली गेट, लाल किले के सामने एम ई एस द्वारा खाली प्लाट का विकास (केलोनिवि) (डेस्ट, डेव.)	68.36
3.	कुतुब मीनार को प्रकाशवान करना (आईटीसीडी) (डेस्ट. डेव.)	75.47
4.	जयप्रकाश नारायण स्मारक पुस्तकालय (बिड़ला मंदिर के सामने), नई दिल्ली के लिए परिसर के विकास हेतु भूमि का आबंटन/अंतरण (डेस्ट. डेव.)	194.34
5.	लाल किले पर ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनी का उन्नयन (आईटीडीसी) (डेस्ट. डेव.)	38.00
6.	दिल्ली में आधुनिक टैक्सी स्टैंडों का विकास (आईटीडीसी) (डेस्ट. डेव.)	13.50
7.	पुराना किला, नई दिल्ली में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनी का उन्नयन (आईटीडीसी) (डेस्ट. डेव.)	300.00
8.	लाल किला, दिल्ली में टेरीटोरियल आर्मी द्वारा खाली किए गए क्षेत्र में पार्किंग और भू-दृश्यांकन का विकास (केलोनिवि) (डेस्ट. डेव.)	102.48
9.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक पुस्तकालय (बिड़ला मंदिर के सामने) नई दिल्ली के लिए परिसर के विकास हेतु विन्यास योजना की स्वीकृति (डेस्ट. डेव.)	0.92 (91,543.00)
10.	भैरों मार्ग, नई दिल्ली से लगे पुराना किले के चारों तरफ के क्षेत्र का विकास (केलोनिवि) (डेस्ट. डेव.)	136.00

1	2	3
11.	यमुना नदी किला-गेट ग्रेन टूरिस्ट काम्पलेक्स का विकास (डेस्ट. डेव.)	500.00
12.	ग्रामीण पर्यटन के तहत दिल्ली में गांव नंगली राजापुर का विकास (आईटीडीसी) (डेस्ट. डेव.)	36.30
13.	ग्रामीण पर्यटन के तहत कोटला मुबारकपुर गांव (नई दिल्ली) का विकास (आईटीडीसी) (डेस्ट. डेव.)	9.78
14.	बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली के सामने टूरिस्ट काम्पलेक्स का विकास (केलोनिवि) (डेस्ट. डेव.)	247.15
15.	सिटी ब्यूटीफुल अद्भुत भारत की अद्भुत राजधानी-सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच के ट्रैक से लगी भूमि का हरित विकास (आईटीडीसी) (डेस्ट. डेव.)	500.00
16.	स्मारक सर्किट के तहत दिल्ली के महत्वपूर्ण स्मारकों का एकीकृत विकास-634.44 करोड़ रुपये	
	(1) कुतुब परिसर के सामने पर्यावरणीय सुधार	187.00
	(2) दिल्ली में किला राय पिथौड़ा दीवार (संजय वन) का विकास	328.75
	(3) निला गुम्बद और खान-ए-खानम स्मारक को प्रकाशवान करना	33.52
	(4) रेलवे लाइन और हुमायूं मकबरे, नई दिल्ली के बीच के क्षेत्र पर बाड़ लगाना और विकास कार्य (आईटीडीसी) (टूरिस्ट सर्किट)	87.17
17.	लाल किला पेटी मार्किट, नई दिल्ली के निकट टी-5, आर्मी द्वारा खाली किए गए क्षेत्र का विकास (केलोनिवि) (टूरिस्ट सर्किट)	420.15
	कुल	3316.29

विवरण II

वर्ष 2002-2003 में दिल्ली राज्य के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाएं/योजनाएं

(लाख रुपये)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत की गई राशि
1.	राजघाट का पुनरुद्धार-सिटी वाल की सफाई/मरम्मत	3.95
2.	लाल किला में ट्यूबवैल इलैक्ट्रिक पंप की स्थापना	2.54
3.	चाय घर का उन्नयन-विद्युत कार्य	11.21
4.	चाय घर का उन्नयन-सिविल कार्य	33.09
5.	लाल किला के पिछवाड़े में शोचालय एवं पार्किंग	49.40
6.	लाल किला के अग्रभाग को प्रकाशवान करना	38.01
7.	लाल किला के शेष पिछवाड़े को प्रकाशवान करना	16.76
8.	लाल किला के सामने लॉन का विकास	300.34
9.	दिल्ली हाट में विकलांग व्यक्तियों के लिए रैम्प एवं शौचालय का प्रावधान	8.00
	कुल	463.30

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए निधियां

960. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री सुनील खां:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रत्येक राज्य विशेष रूप से पश्चिम बंगाल को राजसहायता तथा ऋण के रूप में कुल कितनी राशि जारी की गई; और

(ख) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान दिनांक 31.10.2004 तक जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सब्सिडी) का राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और इन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिए जाने की आशा है।

विवरण

दिनांक 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सब्सिडी) का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय वित्तीय सहायता (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.486
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.661
3.	असम	0.205
4.	बिहार	0.056
5.	छत्तीसगढ़	0.718
6.	गोवा	0.000
7.	गुजरात	0.453
8.	हरियाणा	0.122
9.	हिमाचल प्रदेश	10.889
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.726
11.	झारखंड	0.012
12.	कर्नाटक	2.465
13.	केरल	0.191
14.	मध्य प्रदेश	0.149
15.	महाराष्ट्र	2.134
16.	मणिपुर	0.790
17.	मेघालय	1.873
18.	मिजोरम	2.968
19.	नागालैंड	0.669
20.	उड़ीसा	0.416
21.	पंजाब	0.206
22.	राजस्थान	1.901
23.	सिक्किम	0.371
24.	तमिलनाडु	4.461
25.	त्रिपुरा	10.749
26.	उत्तर प्रदेश	4.481
27.	उत्तरांचल	0.345
28.	पश्चिम बंगाल	1.363
29.	अंडमान एवं निकोबार	0.000
30.	चंडीगढ़	0.000
31.	दादर एवं नागर हवेली	0.000
32.	दमन एवं दीव	0.000
33.	दिल्ली	0.355
34.	लक्षद्वीप	0.000
35.	पांडिचेरी	0.081
36.	अन्य	13.034
	कुल	64.329

आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए मानदण्ड

961. **श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्योरा क्या है;

(ख) प्रत्येक इकाई के लिए कितने छात्रों और अध्यापकों की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध हैं;

(घ) आंगनवाड़ी में अध्यापक बनने के लिए क्या योग्यता है; और

(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत अध्यापकों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) आई.सी.डी.एस. स्कीम में यह प्रावधान है कि शहरी/ग्रामीण परियोजना में औसतन 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र और जनजातीय परियोजना में 700 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र होगा। इस मानदण्ड में, जहां कहीं आवश्यक हो, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा एक सहायिका द्वारा संचालित किया जाता है। आई.सी.डी.एस. स्कीम के अन्तर्गत उपेक्षित वर्गों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक आंगनवाड़ी केन्द्र में लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की कोई उच्च या निम्न सीमा नहीं है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में अध्यापक नहीं होते हैं, क्योंकि शाला-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को देने का प्रावधान है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा स्वयं ही दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना का विस्तार

962. **श्री रामचन्द्र पासवान :**
श्री रमाकान्त यादव:

क्या **रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने केन्द्र सरकार से बाढ़ प्रभावित शहरी गरीब लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना का इन लोगों तक विस्तार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में नए संकायों की स्थापना

963. **श्री अनन्त नायक:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न विश्वविद्यालयों में नए संकाय शुरू करने हेतु वर्तमान वित्तीय स्थिति, आवश्यकता तथा संभावना की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में अध्यापन, अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक योजना अवधि के प्रारंभ में इन विश्वविद्यालयों में विजिटिंग समितियां भेजकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) में शामिल किए गए राज्य विश्वविद्यालय समेत विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। इन समितियों की सिफारिशों पर नए संकाय शुरू करने सहित विभिन्न विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए निधियां आवंटित की जाती हैं। ये समितियां पिछली योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा भी करती हैं और शिक्षण तथा अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में सुझाव भी देती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास शिक्षण, अनुसंधान के मानदंडों तथा अन्य विकास कार्यकलापों में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं हैं। इनमें विशेष सहायता कार्यक्रम, दीर्घ तथा लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि के लिए आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता शामिल है। योजनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

जम्मू और कश्मीर के शहरों के विकास हेतु वित्तीय सहायता

964. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शहरों/नगरों के विकास के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान शहरों/नगरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार अनुमोदित/अस्वीकार की गई/लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार

965. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री भालचन्द्र यादव:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री पंकज चौधरी:
श्री पारसनाथ यादव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री सुनील खां:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बन्द/रुग्ण उर्वरक इककों का पुनरुद्धार करने तथा इन्हें प्राकृतिक गैस आधारित इकाइयों में बदलने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(घ) दुर्गापुर, बरौनी, सिंदरी कारखानों तथा अन्य बन्द उर्वरक एककों का पुनरुद्धार कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, बाजार मांग और प्रोद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बन्द पड़े हुए उर्वरक उपक्रमों के पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने का कार्य उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि. (पी.डी.आई.एल.) को सौंपा गया है।

(ग) से (ङ) बन्द पड़ी उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार पर होने वाला व्यय और समय सीमा अन्य बातों के साथ-साथ पी.डी.आई.एल. की रिपोर्ट पर आधारित होगा।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग/प्रबंधन संस्थान

966. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे सरकारी/निजी तकनीकी तथा प्रबंधन संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव इन संस्थानों को अनुदान देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त संस्थानों में नामांकित छात्राओं/छात्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) इनमें से अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि. वर्गों का क्या प्रतिशत है;

(च) क्या सभी संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/यू.जी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कितने नए संस्थानों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी/निजी तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों की राज्यवार कुल संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 'अनुसंधान संवर्धन स्कीम', 'आधुनिकीकरण और अप्रचलनों के उन्मूलन की योजना', 'संकाय विकास स्कीम', 'गेट छात्रवृत्तियों' और 'स्नातकोत्तर अनुदानों' के अंतर्गत तकनीकी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(च) और (छ) सभी अनुमोदित संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2004-2005 के दौरान 89 नई इंजीनियरी डिग्री संस्थाओं और 82 नई एम बी ए पाठ्यक्रम संस्थाओं को अनुमोदित किया गया है।

विवरण

2004-05 तक सरकारी/निजी तकनीकी और प्रबंधन संस्थाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डिग्री इंजीनियरी		डिग्री फार्मेसी		डिग्री होटल प्रबंधन और भोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी		डिग्री वास्तुकला/कला		एमबीए		एमसीए	
		निजी	सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सम विश्वविद्यालय	निजी	सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सम विश्वविद्यालय	निजी	सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सम विश्वविद्यालय	निजी	सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय/ सम विश्वविद्यालय	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केन्द्र	1. मध्य प्रदेश	48	14	42	5	1	1	2	2	29	12	40	5
	2. छत्तीसगढ़	8	6	1	3	0	0	0	1	2	3	5	3
	3. गुजरात	20	17	24	2	1	0	4	2	21	4	16	8
	कुल	76	37	67	10	2	1	6	5	52	19	61	16
पूर्व	1. मिजोरम	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. सिक्किम	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	3. पश्चिम बंगाल	34	18	2	0	2	0	0	0	10	6	3	9
	4. त्रिपुरा	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	5. मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. असम	0	3	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2
	9. मणिपुर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	10. नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. उड़ीसा	33	7	13	1	2	0	1	1	20	6	29	4
	12. झारखंड	4	5	0	1	1	0	1	0	4	2	0	3
	कुल	72	38	17	3	5	0	2	1	35	20	34	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर	1. बिहार	4	5	0	1	0	0	0	1	5	7	0	6
	2. उत्तर प्रदेश	64	22	27	0	4	0	3	1	92	23	89	16
	3. उत्तरांचल	4	5	4	0	3	0	0	0	9	4	9	3
	कुल	72	32	31	1	7	0	3	2	106	34	98	25
उत्तर-पश्चिम	1. चंडीगढ़	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1
	2. हरियाणा	31	7	12	2	1	0	1	1	17	6	25	4
	3. जम्मू व कश्मीर	3	3	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1
	4. नई दिल्ली	8	6	3	2	2	1	3	3	26	4	13	1
	5. पंजाब	34	11	14	4	2	0	5	2	21	4	34	4
	6. राजस्थान	36	8	19	1	3	0	1	1	21	9	13	3
	7. हिमाचल प्रदेश	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	115	41	48	10	8	1	10	9	88	25	86	14
दक्षिण	1. आंध्र प्रदेश	232	8	52	0	1	0	5	0	195	23	259	17
	2. पांडिचेरी	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1	5	1
	3. तमिलनाडु	233	20	36	1	1	0	12	0	130	18	195	17
	कुल	470	29	88	2	2	0	17	0	326	42	459	35
दक्षिण पश्चिम	1. कर्नाटक	103	15	55	2	20	0	8	6	72	15	79	6
	2. केरल	55	34	19	3	2	0	1	3	22	6	22	13
	कुल	158	49	74	5	22	0	9	9	94	21	101	19
पश्चिम	1. महाराष्ट्र	135	22	63	10	9	1	32	6	113	13	55	6
	2. गोवा	2	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1
	3. दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	137	23	63	11	9	1	32	8	114	14	55	7
	कुल योग	1100	249	388	42	55	3	79	34	815	175	894	136

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत संभावना

967. डा. अरूण कुमार शर्मा:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नदियों की जल विद्युत संभावना की कुल अधिष्ठापित नदी वार क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु सर्वेक्षण तथा डी.पी.आर. तैयारी के विभिन्न चरणों के ब्यौरे सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 50,000 मेगावाट जल विद्युत राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबद्ध राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों की तिथियों सहित निर्माणाधीन सुबांसिरी, तिपाईमुख तथा सियांग विद्युत परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) वर्ष 1978 से 87 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कराए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहचान की गई नदी/बेसिन वार जल विद्युत स्थापित क्षमता का विवरण निम्नलिखित है:

नदी/बेसिन	स्कीमों की संख्या	स्थापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
दिहांग-दिबांग	28	25032
लुहित	11	7456
सुबांसिरी	25	13767
ऊपरी ब्रह्मपुत्र	19	1203
कामेंग	34	3896
कलांग (कापिली)	16	924
निचली ब्रह्मपुत्र	1	14
बराक	60	6679
कुल	194	58971

(ख) सरकार द्वारा शुरू किए गए 50,000 मे.वा. जल विद्युत पहल के अधीन 47,930 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता वाली 162 जल विद्युत स्कीम की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30,416 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता के साथ 62 जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं जिनका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	राज्य	स्कीमों की संख्या	स्थापित क्षमता
1.	अरुणाचल प्रदेश	42	27,293
2.	मणिपुर	3	362
3.	मेघालय	11	931
4.	मिजोरम	3	1,500
5.	नागालैंड	3	330
	कुल	62	30,416

निम्न टैरिफ स्कीमों (पहले वर्ष 2.50 प्रति यूनिट से कम) के अधीन कुल 22,382 मे.वा. की 25 स्कीमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना की तैयारी के लिए चुनी गई। इस समय 62 स्कीमों में से 5 स्कीमें नामश: भरेली-1 (1120 मे.वा.), भरेली-2 (600 मे.वा.), कपक लेचक (160 मे.वा.), तलोंग (300 मे.वा.) एवं कामेंग बांध (600 मे.वा.) 11वीं योजना के दौरान लाभ के लिए अनंतिम रूप से पहचान की गई।

(ग) सुबानसिरी, तिपाईमुख एवं सियांग जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत है:

परियोजना का नाम	स्थिति
1	2
सुबानसिरी निम्न जल विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.)	मुख्य सिविल कार्य सौंप दिया गया है।
तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मे.वा.)	मणिपुर सरकार के साथ 9.1.2003 को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना पर आगे कार्रवाई करना संभव होगा यदि सुरक्षा,

1	2
	बाढ़ नियंत्रण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग का विपथन की अप्रत्यक्ष लागत विद्युत टैरिफ को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए परियोजना लागत में शामिल न की जाए।
सियांग निम्न परियोजना (1600 मे.वा.)	सी.ई.ए. द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदान की गई।
सियांग ऊपरी परियोजना (1600 मे.वा.)	चरण-1 की गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
सियांग इंटरमीडिएट जल विद्युत परियोजना	चरण-1 की गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
सियांग मध्य जल विद्युत परियोजना (1000 मे.वा.)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।

[हिन्दी]

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र

968. **श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':**
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री नीतीश कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले कुल बच्चों में 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा झारखण्ड से हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 2003 तक बिहार राज्य में 6 से 14 वर्ष को आयु समूह के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 7.46 लाख है परंतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आंकड़ों के अनुसार बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 29.80 लाख है;

(ग) यदि हां, तो बिहार राज्य सरकार द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या के बारे में भेजी गई सूचना में भारी अंतर के क्या कारण हैं;

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या के साथ इन आंकड़ों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ङ) बिहार राज्य में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्य में बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या से निपटने के लिए बिहार की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता के स्वरूप और मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। इस मंत्रालय को स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के संबंध में बिहार से कोई डाटा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में बिहार सरकार को इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक क्रमश: 302 करोड़ रु. तथा 28 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट

969. **श्री देविदास पिंगले:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को की 2005 की वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट में पूर्ण विकास सूची के लिए शिक्षा में भारत को 127 में 106वां स्थान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने यह भी कहा है कि भारत में अशिक्षित वयस्कों का प्रतिशत 33% है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4.1% शिक्षा पर खर्च किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार शिक्षा हेतु आबंटन बढ़ाने तथा 2015 तक सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यूनेस्को ने 2005 के लिए अपनी वैश्विक रिपोर्ट में भारत के संबंध में 2001-02 के शैक्षिक आंकड़ों का उपयोग किया है। भारत सरकार द्वारा विगत तीन/चार वर्षों के दौरान की गई नई पहलों के प्रभावों को इस रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) विगत चार वर्षों के लिए शिक्षा पर कुल व्यय, सकल घरेलू उत्पाद और इसकी प्रतिशतता निम्नानुसार हैं:

(करोड़ में)

वर्ष	शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय	आधार वर्ष, 1993-94 के वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (कारक लागत पर)	सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शिक्षा पर सरकारी व्यय की प्रतिशतता
1999-2000	74816.09	1761838	4.25
2000-01	82486.43	1902998	4.33
2001-02	79865.70	2090957 पी	3.82
2002-03	89220.45 (आर.ई.)	2249493 क्यू	3.97

पी : अस्थायी अनुमान
आर.ई. : संशोधित अनुमान
क्यू : त्वरित अनुमान
स्रोत: चयनित शिक्षा सांख्यिकी 2002-03

(च) जी, हां।

[अनुवाद]

ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत शहरों के चयन के लिए मानदंड

970. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत शहरों के चयन के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न शहरों में जल और जल-मल व्ययन निपटान प्रणाली में सुधार हेतु राज्य सरकारों से स्वीकृति हेतु विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित अब तक स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) लंबित/अस्वीकृत प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत किसी राज्य सरकार विशेष रूप से कर्नाटक सरकार द्वारा अधिक राशि की मांग की गई है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्र प्रायोजित वर्तमान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे नगर (श्रेणी-IV, V और VI के रूप में वर्गीकृत) जिनमें प्रतिदिन 70 लीटर से कम प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति की जा रही है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु पात्र हैं।

प्राथमिकता के आधार पर नगरों का चयन शहरी जल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति (एस एल एस सी) द्वारा निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है:

(1) बहुत कम प्रति व्यक्ति आपूर्ति;

(2) बहुत दूर या गहरे जल स्रोत;

(3) सूखा प्रवण क्षेत्र;

(4) जल स्रोत में लवणता, फ्लोराइड, लौहांश की अधिकता;

(5) जल से होने वाली बीमारियों का अधिक खतरा।

(ख) से (घ) जल आपूर्ति और सीवेज डिस्पोजल प्रणाली में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीवरेज परियोजनाओं के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता नहीं दी जाती है तथा राज्य बजटीय संसाधनों से इन्हें कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को लौटा दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान के दौरान अब तक ए यू डब्ल्यू एस पी के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की राजस्थान राज्य सहित राज्यवार सूची विवरण-I में दी गई है।

(ङ) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त उन परियोजना प्रस्तावों की सूची, जिन पर ए यू डब्ल्यू एस पी के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु विचार नहीं किया जा सका तथा जिन्हें राज्यों को लौटा दिया गया था, विवरण-II में दी गई है। विचाराधीन लंबित स्कीमों की राज्यवार सूची विवरण-III में दी गई है।

(च) परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है; तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, ए यू डब्ल्यू एस पी के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता, राज्यों द्वारा पूर्व वर्षों में उनको जारी की गई केन्द्रीय धनराशि हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, राज्यों द्वारा राज्य अंश का प्रावधान करना तथा राज्यों द्वारा तिमाही वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना। इस संबंध में कोई समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

(छ) और (ज) इस मंत्रालय को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ए यू डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत और धनराशि प्रदान करने हेतु कर्नाटक सहित किसी भी राज्य सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

30.11.2004 की स्थिति के अनुसार

शहरी विकास मंत्रालय

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 से अब तक अनुमोदित स्कीमें	
		संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	4365.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	496.62
3.	असम	6	2818.72
4.	बिहार	15	2389.13
5.	छत्तीसगढ़	24	2398.76
6.	गोवा	2	301.22
7.	गुजरात	32	3108.68
8.	हरियाणा	12	2990.42
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1482.49
10.	जम्मू तथा कश्मीर	1	867.80
11.	झारखण्ड	–	–
12.	कर्नाटक	13	6472.05
13.	केरल	7	2336.74
14.	मध्य प्रदेश	45	5938.88

1	2	3	4
15.	महाराष्ट्र	8	2823.56
16.	मणिपुर	9	1218.53
17.	मेघालय	–	–
18.	मिजोरम	1	186.28
19.	नागालैण्ड	–	–
20.	उड़ीसा	9	2102.74
21.	पंजाब	2	201.84
22.	राजस्थान	26	4984.21
23.	सिक्किम	1	335.88
24.	तमिलनाडु	36	4604.10
25.	त्रिपुरा	4	1120.91
26.	उत्तर प्रदेश	177	14149.00
27.	उत्तरांचल	8	1326.44
28.	पश्चिम बंगाल	11	2077.09
	योग	476	71097.94

विवरण-II

30.11.2004 की स्थिति के अनुसार

शहरी विकास मंत्रालय

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्यों को लौटाई गई स्कीमें	
		संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	–	–
4.	बिहार	–	–
5.	छत्तीसगढ़	4	647.14
6.	गोवा	1	6.04
7.	गुजरात	7	4448.75
8.	हरियाणा	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–
10.	जम्मू तथा कश्मीर	7	3068.28
11.	झारखण्ड	–	–
12.	कर्नाटक	–	–
13.	केरल	2	455.00
14.	मध्य प्रदेश	11	1750.53
15.	महाराष्ट्र	3	373.01
16.	मणिपुर	–	–
17.	मेघालय	–	–
18.	मिजोरम	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–
20.	उड़ीसा	–	–
21.	पंजाब	1	82.06
22.	राजस्थान	5	673.56
23.	सिक्किम	–	–
24.	तमिलनाडु	1	131.00
25.	त्रिपुरा	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	14	753.99
27.	उत्तरांचल	1	37.80
28.	पश्चिम बंगाल	1	114.45
	योग	58	12541.61

विवरण-III

30.11.2004 की स्थिति के अनुसार

शहरी विकास मंत्रालय

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लंबित स्कीमें और जो विचार के अग्रिम स्तर पर हैं	
		संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	4	4034.28
4.	बिहार	7	1068.04
5.	छत्तीसगढ़	1	74.40
6.	गोवा	1	551.18
7.	गुजरात	19	3168.36
8.	हरियाणा	4	1013.46
9.	हिमाचल प्रदेश	4	427.38
10.	जम्मू तथा कश्मीर	16	6442.49
11.	झारखण्ड	5	1271.69
12.	कर्नाटक	5	1890.30
13.	केरल	1	294.26
14.	मध्य प्रदेश	11	2001.68
15.	महाराष्ट्र	10	5465.53
16.	मणिपुर	–	–
17.	मेघालय	–	–
18.	मिजोरम	–	–
19.	नागालैंड	1	1260.27
20.	उड़ीसा	2	641.19
21.	पंजाब	6	722.99
22.	राजस्थान	12	4167.13
23.	सिक्किम	1	300.22
24.	तमिलनाडु	9	709.05
25.	त्रिपुरा	1	620.00
26.	उत्तर प्रदेश	4	291.31
27.	उत्तरांचल	2	498.44
28.	पश्चिम बंगाल	2	132.11
	योग	128	37045.76

राउरकेला इस्पात संयंत्र

971. श्री भर्तृहरि महताब: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के राउरकेला इस्पात संयंत्र का वर्तमान उत्पादन/लाभ/हानि के अनुपात का ब्योरा क्या है;

(ख) इस समय संयंत्र में कार्यरत कुल श्रमशक्ति कितनी है;

(ग) क्या सरकार उक्त संयंत्र के विस्तार पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) के मौजूदा उत्पादन तथा लाभ/हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	विक्रेय इस्पात उत्पादन (हजार टन)	निवल लाभ/हानि (करोड़ रुपए)
2003-04	1575	(-) 109
2004-05 (अप्रैल-सितंबर, 04)	690	252

(ख) 1.11.2004 की स्थिति के अनुसार राउरकेला इस्पात संयंत्र की कुल जनशक्ति 23524 है।

(ग) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिटिमेड (सेल) की वर्ष 2012 की निगमित योजना के तहत 4600 करोड़ रुपए

के निवेश से राउरकेला इस्पात संयंत्र की क्षमता को 16.71 लाख टन वार्षिक से बढ़ाकर 25.5 लाख टन करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति अपराध के मामले

972. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 में आज तक दिल्ली में महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों के कितने मामले सामने आए हैं और उन मामलों का ब्योरा क्या है जिनमें अपराधी को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे अपराध विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बलात्कारियों को सजा और मुक्त अपराधियों के संबंध में ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड का उपबंध करने हेतु किसी अधिनियम में संशोधन करने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) 1 जनवरी और 15 नवम्बर, 2004 के बीच सूचित किए गए महिलाओं के प्रति अपराधों के ब्योरे और उन मामलों की संख्या जिनमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, नीचे दर्शाए गए हैं:

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या	सुलझाए गए मामलों की संख्या (जिनमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है)
1.	दहेज-मृत्यु	114	104
2.	बलात्कार	491	461
3.	महिलाओं का उत्पीड़न	539	482
4.	भारतीय दंड संहिता-406 (दहेज से संबंधित)	10	4
5.	498-क (पति या सास-ससुर द्वारा की गई क्रूरता)	1105	470
6.	दहेज-निषेध अधिनियम	10	7
7.	महिलाओं का अपहरण/व्यपहरण	767	242
8.	छेड़छाड़	1977	1970

(ख) महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने हेतु विशेष रूप से उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं: (क) महिला के प्रति अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना, (ख) सभी नौ पुलिस जिलों में रेप क्राइसिस इंटरवेन्शन सेंटर की स्थापना करना, (ग) बलात्कार के मामलों की जांच-पड़ताल में महिला पुलिस अधिकारी को सहयोजित करना, (घ) महिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में विशेष न्यायालयों का गठन करना, (ङ) गैर-सरकारी संगठनों के साथ तालमेल रखना, (च) सादे कपड़ों में स्टाफ की नियुक्ति करना, और (छ) समर्पित टेलिफोन हेल्पलाइन शुरू करना।

(ग) 2001, 2002, 2003 और 2004 (30 नवम्बर तक) के दौरान दोषसिद्ध हुए बलात्कारियों और बरी हुए अभियुक्तों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	दोषसिद्ध		बरी हुए	
	मामले	व्यक्ति	मामले	व्यक्ति
2001	93	116	421	580
2002	93	136	398	444
2003	114	121	403	456
2004 (30 नवम्बर तक)	98	100	346	488

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अवैध निर्माण

973. श्री वीर सिंह महतो: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में प्राइवेट बिल्डरों, एस्टेट एजेंटों और प्रापर्टी डीलरों द्वारा अवैध निर्माण की गतिविधियों को सख्ती से रोकने हेतु बनाया गया विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास भेज दिया गया है और उनके पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शहरी भूमि अधिनियम के निरसन के बाद इस विधेयक की अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. और विकलांग व्यक्तियों को दुकान, स्टाल एवं पार्किंग स्थलों का आवंटन

974. श्री लालमणि प्रसाद: क्या गृह मंत्री 17.8.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2776 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि अगस्त, 2003 और अगस्त, 2004 के बीच इसे "आल इंडिया एसोसिएशन फार एस सी/एस टी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमेंट" से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, दिल्ली नगर निगम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मार्फत एसोसिएशन से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए दुकान, स्टाल, खोखों (केओस्क) एवं पार्किंग-स्थलों के आवंटन में आरक्षण से संबंधित है। दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार किया गया है परन्तु उसे स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया क्योंकि दुकानों, स्टालों, खोखों (किओस्क) और पार्किंग-स्थलों का आबंटन सर्वाधिक बोली लगाने वालों को निविदाओं के आधार पर किया जाता है। तथापि, "पब्लिक काल बूथों" "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर शारीरिक रूप से विकलांग केवल उन व्यक्तियों को आवंटित किए जाते हैं जिनकी विकलांगता 40% या इससे अधिक होती है।

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

975. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान को एक "मशन मोड" के रूप में कार्यान्वयन के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने संसाधनों की कमी के कारण योजना के कार्यान्वयन में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में राज्यों की किस तरह से मदद करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) गोवा को छोड़कर सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को पहले से ही सही रूप में कार्यान्वित कर रहे हैं। 28 अक्तूबर, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को जोरदार ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता को दोहराया गया।

(ग) और (घ) कुछेक राज्यों ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र राज्य हिस्सेदारी के वर्तमान 75:25 अनुपात की पद्धति में संशोधन करने की आवश्यकता व्यक्त की है। केंद्र-राज्य निधियन पद्धति का निर्धारण, योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद

976. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद सहित केंद्रीय शिक्षण सस्थानों के प्रत्येक श्रेणी में कितने स्वीकृत पद हैं;

(ख) इन पदों में से अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए कितने पद आरक्षित हैं;

(ग) आरक्षित और सामान्य पदों के श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) क्या कुछ आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में केंद्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रत्येक वर्ग में संस्वीकृत पदों की संख्या	इन पदों में से अनु.जा., अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या	आरक्षित तथा सामान्य वर्ग के रिक्त पदों की वर्गवार संख्या	सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों द्वारा भरे गये आरक्षित पद	यदि कोई हों, तो उनका ब्यौरा तथा कारण	रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
(1) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों संबंधी सूचना					
प्रोफेसर : 475 सहायक प्रोफेसर : 803 लेक्चरर : 1560	आरक्षण आदेश केवल लेक्चरर के पद तक ही लागू होते हैं। आरक्षण भारत सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जाता है।	प्रोफेसर : 186 सहायक प्रोफेसर: 252 लेक्चरर : 418	शून्य	लागू नहीं होता	रिक्त पदों को भरने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।
(2) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों की स्टाफ संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना 2003-04					
लेक्चरर : 1140 सीनियर लेक्चरर : 1107 रीडर: 1783 प्रोफेसर: 1261 अन्य: 985 (स्कूल शिक्षक)	शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों में अ.जा. तथा अ. ज.जा. को क्रमश: 15% तथा 7.5% आरक्षण दिया जाता है। भारत सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों/कालेजों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले शिक्षण पदों में लेक्चरर के पद तक आरक्षण प्रदान किया जाता है।	लेक्चरर: 712 रीडर: 609 प्रोफेसर: 486 अन्य: 55 (स्कूल शिक्षक)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी एक स्थाई समिति दाखिले तथा शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों में भर्ती संबंधी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मानीटरन करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनु.जा./अ.ज.जा. सैल के गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये सैल आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।

1	2	3	4	5	6
(3) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलाजी संबंधी सूचना					
समूह क : 53 समूह ख : 30 समूह ग : 105 समूह घ : 38	भारत सरकार के आरक्षण आदेशों तथा दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।	समूह क : 13 समूह ख : 12 समूह ग : 17 समूह घ : 11	शून्य	लागू नहीं होता	मंत्रालय ने निदेशक के पद को भरने के उपाय किए हैं। प्रोफेसरों के दो पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
(4-क) नवोदय विद्यालय समिति संबंधी सूचना					
निदेशक: 1 प्रोफेसर: 15 सहायक प्रोफेसर: 26 लैक्चरर : 23 गैर-शिक्षण : 212	शिक्षण पद में लैक्चरर पद तक ही आरक्षण दिया जाता है।	प्रोफेसर : 8 सहायक प्रोफेसर: 5 लैक्चरर : 4 गैर-शिक्षण : 24	शून्य	लागू नहीं होता	रिक्त पदों को भरने संबंधी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
(4-ख) नवोदय विद्यालयों के संबंध में सूचना					
प्रिंसीपल: 494 वाइस- प्रिंसीपल : 291 शिक्षण पद : 9656 गैर-शिक्षण पद : 7501	प्रिंसीपल : 198 वाइस प्रिंसीपल : 64 शिक्षण पद : 4588 गैर-शिक्षण पद : 3712	प्रिंसीपल : 157 वाइस प्रिंसीपल : 35 शिक्षण पद : 568 गैर-शिक्षण पद : 2618	शून्य	लागू नहीं होता	रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान प्रक्रियाधीन है।
(5) केन्द्रीय विद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय/जोनल कार्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में सूचना					
सभी वर्ग : 44859	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।	सभी वर्ग : 4669	शून्य	लागू नहीं होता	रिक्तियों का होना तथा उनको भरना एक सतत् प्रक्रिया है। शिक्षकों को अंशकालिक/संविदा आधार पर नियुक्त करने की योजना है।

अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा-उपग्रह से विश्वविद्यालयों/विद्यालयों को जोड़ना

977. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी विश्वविद्यालयों/विद्यालयों को शिक्षा-उपग्रह से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने संस्थाओं की बड़ी संख्या होने के कारण शिक्षा उपग्रह से देश के विश्वविद्यालयों/स्कूलों को चरणों में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इन्हें दो प्रकार से जोड़ा जाता है एक राष्ट्रीय माध्यम से दूसरा पांच क्षेत्रीय बीमों के माध्यम से। राष्ट्रीय बीमें के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक संस्थाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करने हेतु पहचान कर ली गई है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के स्कूल शिक्षा मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्कूल शिक्षा के लिए क्षेत्रीय बीमों का कारगर ढंग से प्रयोग करें।

उर्वरक संयंत्रों का विस्तार

978. श्री अखिलाश राय खन्ना: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक संयंत्रों की उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने हेतु उनके विस्तार की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के लिए सामान्यत: किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। उद्यमी देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त किया जाए। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक पूंजी व्यय करने से पहले सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इसके अलावा, यूरिया की नई, विस्तारित तथा समस्या निवारण संबंधी परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उर्वरक विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होती है जो जनवरी, 2004 में अधिसूचित यूरिया की नई, विस्तारित तथा समस्या निवारण संबंधी परियोजनाओं में किए गए निवेश के लिए मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार फीडस्टॉक और ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर आधारित होनी चाहिए। सरकार को प्रस्तुत ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड (एचएफसी) से नामरूप इकाइयों को पृथक करके बनाई गई एक नई कंपनी ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) असम में नामरूप स्थित अपने संयंत्रों में 525.47 करोड़ रुपए की अनुमोदित पूर्णता लागत से प्रमुख पुनरुद्धार कर रही है ताकि इन इकाइयों के यूरिया उत्पादन को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 5.55 लाख टन किया जा सके। यह परियोजना पूर्णत: सरकार द्वारा वित्तपोषित है और अभी तक सरकार ने बीवीएफसीएल को इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बजटीय सहायता के रूप में 521.02 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्ष 2004-05 में इस परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

विवरण

उर्वरक विभाग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत यूरिया परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समितियों के नाम	प्रस्तावित स्थल	अनुमोदित पूंजी लागत (करोड़ रु.)	परिकल्पित उत्पादन		अतिरिक्त यूरिया उपलब्धता का वर्ष
				उत्पाद	क्षमता (लाख (एमटीपीए)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) (तृतीय चरण अमोनिया यूरिया विस्तार परियोजना)	हजीरा, गुजरात	1750	यूरिया	10.56	2007-08
2.	आईजीएफएल, जगदीशपुर (समस्या निवारण करना संबंधी परियोजना)	जगदीशपुर (उ.प्र.)	875	यूरिया	6.56	2006-07
3.	टीसीएल, बबराला (समस्या निवारण संबंधी परियोजना)	बबराला (उ.प्र.)	140	यूरिया	2.90	2005-06
4.	आईजीएफएल, जगदीशपुर विस्तार परियोजना	जगदीशपुर (उ.प्र.)	1693	यूरिया	11.385	2007-08

1	2	3	4	5	6	7
5.	इफको (समस्या निवारण संबंधी परियोजनाएं)	आंवला और फूलपुर	अनुपलब्ध	यूरिया	3.50	अनुपलब्ध
6.	आरसीएफ (थाल-3 विस्तार परियोजना)	थाल महाराष्ट्र	1841	यूरिया	10.56	अनुपलब्ध

देश में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	स्थान	उत्पाद	अनुमोदित समापन लागत (करोड़ रु.)	पुनरुद्धार के बाद क्षमता (टीपीए (लाख में)	स्थापित माह/वर्ष
1.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन (बीवीएफसी) के नामरूप स्थित संयंत्रों का पुनरुद्धार	नामरूप, असम	यूरिया	525.47	5.55	इकाई-1 और 3 की स्थापना मार्च, 2002 में हुई थी। इकाई-2 के दिसंबर, 2004 तक प्रारंभ होने की आशा है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए एडीबी ऋण

979. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
श्री मुन्शी राम:
श्री फुरकान अंसारी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार ऐसी कितनी विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके लिए एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने हाल ही में ऋण स्वीकृत किए हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम और उनकी संख्या कितनी है जहां इन परियोजनाओं को इस ऋण राशि से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) एशियाई विकास बैंक द्वारा उक्त ऋण पर कितनी ब्याज दर प्रभारित की जाएगी; और

(घ) ऋण पर कुल ब्याज कितना है और सरकार का उक्त ऋण का भुगतान किस तरह से करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक (ए.बी.डी.) ने देश में गत 5 वर्षों के दौरान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण मंजूर किया है:

क्र.सं.	परियोजना	ऋण सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य	ऋण राशि (मिलियन में यू.एस.डी.)	ब्याज दर	पुनर्भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विद्युत पारेषण सुधार परियोजना	1764-आईएनडी	पीजीसीआईएल	विभिन्न राज्य	250	लंदन इंटर बैंक आफर रेट (लाईबोर) पर 60 बेसिस	ये ऋण 5 वर्षों की छूट अवधि सहित 15 वर्षों

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	विद्युत सेक्टर वितरण परियोजना	1968-आईएनडी	पीएफसी	विभिन्न राज्य	150	प्वाइंट्स पर लाईबोर प्रतिदिन आधार पर घटता बढ़ता है। लाईबोर का वर्तमान दर लगभग 1.8% वार्षिक है।	की अवधि में की जानी है।
3.	गुजरात विद्युत सेक्टर विकास परियोजना	1803-आईएनडी	जीईबी	गुजरात	150		
	गुजरात विद्युत सेक्टर विकास परियोजना	1804-आईएनडी			200		
4.	म.प्र. विद्युत सेक्टर विकास परियोजना	1868-आईएनडी	एमपीएसईबी	मध्य प्रदेश	150		
	म.प्र. विद्युत सेक्टर विकास परियोजना	1869-आईएनडी			200		
5.	असम विद्युत सेक्टर विकास परियोजना	2036-आईएनडी	एएसईबी	असम	150		
	असम विद्युत सेक्टर विकास परियोजना	2037-आईएनडी			100		

[अनुवाद]

आयातित इस्पात स्क्रैप में बम

980. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपनी घरेलू खपत और निर्यात के लिए लौह और इस्पात का उत्पादन करने हेतु आयातित लौह और इस्पात के स्क्रैप पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान पृथक-पृथक कुल कितना स्क्रैप आयात किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आयातित स्क्रैप से देश में कई स्थानों पर विस्फोट हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इससे देश को कितनी क्षति हुई और घायलों एवं मृतकों को कितना मुआवजा दिया गया;

(छ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और इस त्रुटि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) विद्युत चाप भट्टियों और प्रेरण भट्टी

प्रक्रिया के जरिए देश में अपरिष्कृत इस्पात का पर्याप्त उत्पादन किया जाता है। ये इकाइयां अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में स्क्रैप अथवा स्पंज लोहे का प्रयोग करती हैं। स्थानीय रूप से सृजित स्क्रैप की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय इस्पात उद्योग की इस महत्वपूर्ण धात्विक आदान की पूर्ति के लिए विश्व बाजार पर निर्भरता बढ़ी है।

(ग) अप्रैल, 04 से अगस्त, 04 के दौरान लोहे और इस्पात स्क्रैप के आयात का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

अप्रैल, 04 से अगस्त, 04	
मात्रा (हजार टन)	मूल्य
783.7	1066.76 करोड़ रुपए

वर्तमान रुख के आधार पर आशा है कि 2004-05 के दौरान लगभग 15 लाख टन स्क्रैप का आयात किया जाएगा।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि 30.9.2004 को मैसर्स भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लिमिटेड, गाजियाबाद में एक विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट उस समय हुआ जब स्क्रैप को ट्रक से उतारने के बाद एक मैग्नेटिक क्रेन स्क्रैप के ढेर से उठाने के बाद उसे रिलीज करने वाली थी। तदोपरान्त उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि में राकेट आयरन शैल आदि बरामद किए गए। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्यों में भी बम्ब शैल युक्त स्क्रैप बरामद किया गया।

(च) विस्फोट में 10 व्यक्ति मारे गए और 8 घायल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स भूषण स्टील ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1-1 लाख रुपए और दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को 2,500-25,000 रुपए का भुगतान किया है।

(छ) और (ज) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्क्रैप के विदेशी सप्लायर को हालांकि दण्ड देने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि, इस प्रकार के प्राणघातक स्क्रैप का आयात करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मैसर्स भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

आयातित यूरिया का मूल्य

981. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि आयातित यूरिया हमारे देश में उत्पादित यूरिया से सस्ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) यूरिया उत्पादक इकाइयां विभिन्न प्रकार के फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती हैं। उत्पादकों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला प्रमुख फीडस्टॉक, गैस, नेफ्था और एफ.ओ./एल.एस.एच.एस. हैं। नवीनतम उपलब्ध सूचना के आधार पर समूह औसत रियायत दरें 1992 के पूर्व की गैस आधारित इकाइयों के मामले में प्रति मी. टन 5520 रुपए से लेकर 1992 के पूर्व की नेफ्था इकाइयों के लिए प्रति मी. टन 12823 रुपए तक अलग-अलग हैं। सम्पूर्ण भारित औसत प्रति मी. टन 8591 रुपए है। जिसकी तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान आयातित यूरिया का भारित औसत लागत एवं भाड़ा मूल्य लगभग 10650 रुपए प्रति मी. टन बैठता है।

कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में विधान

982. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री पी. मोहन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने हेतु प्रत्येक सरकारी विभाग/संगठन में पृथक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विषय पर विधेयक तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने विशाखा मामले 1997 के अपने निर्णय में कार्य-स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किये थे।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'कार्य-स्थलों पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (निवारण एवं निराकरण) विधेयक, 2004' नामक विधेयक का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किये हैं कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्येक संगठन में उपयुक्त शिकायत निराकरण तंत्र बनाया जाये।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'कार्य-स्थलों पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (निवारण एवं निराकरण) विधेयक, 2004' नामक विधेयक का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में कार्य-स्थलों पर अथवा नियोजन के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण तथा निराकरण का प्रावधान है। विधेयक का यह प्रारूप विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पवन चक्कियों की स्थापना

983. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय तमिलनाडु में कुल कितनी पवन चक्कियां हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य के लिए स्वीकृत पवन चक्कियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चक्कियों के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) तमिलनाडु राज्य में अब तक 1640 मेगावाट की समग्र पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) और (ग) पवन विद्युत परियोजनाएं वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में निजी निवेश के माध्यम से स्थापित की जाती हैं और मंत्रालय द्वारा किसी राज्य के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है। इन परियोजनाओं को संबंधित विद्युत बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्थल पर पवन संसाधन की उपलब्धता सहित तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए अनुमति दी जाती है। अप्रैल-अक्तूबर 2004 के दौरान तमिलनाडु में 277 मेगावाट की कुल पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

डी डी ए द्वारा पेट्रोल पम्पों का स्थानांतरण

984. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि पेट्रोल पंपों के स्थानांतरण हेतु बड़ी संख्या में आवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डी डी ए द्वारा कितने पेट्रोल पंपों को स्थानांतरित किया गया और उन स्थानों के नाम और ब्योरा क्या है;

(घ) क्या डी डी ए ने पेट्रोल पंपों को स्थानांतरित करने संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन किया है;

(ङ) यदि हां, तो पूर्व की नीति और नयी नीति में क्या अंतर है;

(च) नई नीति कब से प्रभावी की गयी है;

(छ) क्या डी डी ए ने पेट्रोल पंपों के स्थानांतरण हेतु प्राप्त अनुरोधों के लिए कोई वरीयता सूची बनायी है;

(ज) यदि हां, तो स्थानांतरण के लिए उसकी नीति में बदलाव की तिथि के दिन कितने मामले लंबित थे;

(झ) क्या नीति में बदलाव से पूर्व प्राप्त आवेदनों के मामले में नयी नीति प्रभावी होगी; और

(ञ) यदि हां, तो इस संबंध में डी डी ए की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ञ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि समय-समय पर विभिन्न कारणों के आधार पर पेट्रोल पम्पों के स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए आवेदनों को इससे संबंधित प्रचलित नीति के तहत निपटाया गया। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.6.2003 को अनुमोदित नवीनतम नीति के अनुसार अब स्थानांतरण केवल तभी किया जायेगा यदि प्रश्नगत भूमि का उपयोग किसी नियोजित परियोजना/योजना के लिए किया

जा रहा हो जिसके लिए प्रत्यक्षत: पेट्रोल पम्प को बंद करने की आवश्यकता हो। किसी अन्य आधार पर कोई स्थानांतरण नहीं किया जाएगा तथा वैकल्पिक स्थानों का आवंटन कम्प्यूटरीकृत ड्रा के जरिए किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.6.2003 को यह निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प के स्थानों को अब नीलामी के जरिए बेचा जाएगा।

उपर्युक्त निर्णय के पहले प्रचलित नीति यह थी कि केवल वैसे स्थानांतरण प्रस्तावों पर विचार किया जाता था जो अपरिहार्य परिस्थितियों यथा यातायात का बंद होना, फ्लाई ओवरों का निर्माण इत्यादि के कारण आवश्यक थे। तेल कंपनियों द्वारा तेल उद्योग की बैठक में सभी पुष्टिकारक दस्तावेजों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

स्थानांतरण के लिए सभी अनुरोधों/प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रचलित नीति के आलोक में विचार किया जा रहा है। नयी नीति को लागू किये जाने के पहले से लंबित स्थानांतरण के किसी भी आवेदन को भी नयी नीति के अनुसार निपटाया जायेगा। अत: इस प्रकार स्थानांतरण के लिए प्राप्त अनुरोधों के संबंध में कोई वरीयता-सूची नहीं रखी जा रही है।

वर्तमान में पी वी सी मार्केट, टिकरीकलां, बिंदापुर तथा सेक्टर-10 द्वारका के स्थानों से संबंधित तीन अनुरोध विचाराधीन हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों में स्थानांतरित किये गये पेट्रोल पंप की संख्या तथा उनके ब्योरे विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्र.सं.	तेल कंपनी/एजेंसी का नाम कारण	स्थानांतरण की तारीख	कहां से	स्थानांतरित स्थल
1.	मे. एक्सचेंज स्टोर मे. एचपीसीलि/ डीएमआरसी परियोजना	20.12.2001	एक्सचेंज स्टोर शामनाथ मार्ग	शास्त्री पार्क, शाहदरा
2.	मे. गी के सर्विस स्टेशन/ मे. आईबीपी कंपनी लि. डीएमआरसी परियोजना	9.8.2002	जीटी रोड, शाहदरा	पुराने न्यायालय के निकट शाहदरा जी टी रोड, सीलमपुर, दिल्ली
3.	धौला कुआं सर्विस स्टेशन/ मे. एचपीसी लि./ फ्लाईओवर परियोजना	18.10.2002	धौला कुआं क्रासिंग	डिसट्रिक्ट पार्क धौला कुआं
4.	मे. संजीव फिलिंग स्टेशन/ मे. आई.ओ.सी.लि./ डीएमआरसी परियोजना	17.12.2002	आईडिल ट्रक पार्किंग मजून का टिल्ला	आइडिल ट्रक पार्किंग मजून का टिल्ला (दूसरा स्थान)

[हिन्दी]

चंशाल-शिमला-सोलन जलापूर्ति योजना

985. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल सरकार ने राज्य में पेयजल और सिंचाई के लिए बहु-उद्देश्यीय चंशाल-शिमला-सोलन जलापूर्ति योजना की स्वीकृति और इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक सम्पूर्ण और व्यापक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्व भूमि अतिक्रमण

986. श्री मनोरंजन भक्त: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भिन्न-भिन्न समय में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के बावजूद अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 1978-पूर्व के अतिक्रमणकारियों द्वारा बड़ी संख्या में राजस्व भूमि के अतिक्रमण को नियमित करने के संबंध में स्वीकृति देना और लाइसेंस जारी किया जाना लंबित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन 1978-पूर्व अतिक्रमण राजस्व भूमि को विनियमित किए जाने हेतु क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 31 दिसम्बर, 1978 को या उससे पहले राजस्व भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए वर्ष 1987 में एक योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय के भीतर उक्त अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए कुल 15165 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 7212 मामले पात्र पाए गए और उनकी भूमि नियमित कर दी गई और उन्हें लाइसेंस जारी कर दिए गए। शेष मामले पात्र नहीं पाए गए और उनके दावे रद्द कर दिए गए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तटीय सुरक्षा

987. श्री पी. करूणाकरन:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तटीय क्षेत्र में निगरानी और गश्ती के मौजूद ढांचे को मजबूत करने के लिए केरल और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) तटीय क्षेत्रों में निगरानी करने और गश्त लगाने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक योजना तैयार करने के लिए केरल और गुजरात सहित तटीय राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तटीय राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों में तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए भवनों का निर्माण करना, सुग्राही क्षेत्रों में जांच-चौकियां और बाह्य चौकियां स्थापित करना, समुद्रवर्ती-कार्यों में प्रशिक्षित कार्मिकों से युक्त नौसैनिक पुलिस का गठन करना, तट पर गश्त लगाने के लिए पोतों और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना शामिल है। चूंकि इसमें बहुत अधिक वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं, इसलिए तटीय राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाना संभव होगा जब सरकार द्वारा तटीय सुरक्षा की प्रस्तावित योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन कर दिया जाएगा।

कोंकणी भाषा के लिए वित्तीय सहायता

988. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकणी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस भाषा के विकास के लिए कितना वार्षिक अनुदान प्रदान किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (सी आई आई एल) और इसके प्रादेशिक भाषा केन्द्र (आर एल सी) कोंकणी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के संवर्धन संबंधी कार्य को देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास और संवर्धन संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी आई आई एल) और प्रादेशिक भाषा केन्द्रों (आर एल सी) को अनुदान जारी किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सी आई आई एल ने कोंकणी भाषा के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है और निम्नलिखित अनुसार अनुदान जारी किए हैं:

वर्ष	जारी किए गए अनुदान
2001-02	27,907 रु.
2002-03	78,468 रु.
2003-04	1,81,279 रु.

पुलिस आयोग की सिफारिशें

989. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने अभी तक कितने पुलिस आयोग गठित किये हैं;

(ख) प्रत्येक आयोग की सिफारिशें क्या थी;

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार पुलिस बल के लिए किसी राष्ट्रीय स्तर के निकाय के गठन की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) भारत सरकार ने नवम्बर, 1977 में श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग नामक एक पुलिस आयोग का गठन किया था।

(ख) और (ग) आयोग ने फरवरी, 1979 से मई, 1981 की अवधि के दौरान आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं जिनमें कई सिफारिशें की गई हैं जिन्हें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। आयोग की रिपोर्टों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जिन कई सिफारिशों को केन्द्र सरकार ने कार्यान्वित किया है उनका संबंध पुलिस कार्मिकों के आवास के लिए और अधिक निधियां प्रदान करने, पुलिस संचार प्रणाली को मजबूत बनाने, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने की योजना के तहत राज्य पुलिस बलों के कंप्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) की स्थापना करने, आई पी एस अधिकारियों के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित करने, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी), समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डी सी पी डब्ल्यू) और लोकनायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं विधि विज्ञान संस्थान (एल एन जे पी एन आई सी एफ एस) के व्यवस्था-तंत्र को सुचारू बनाने, व्यक्तियों को गिरफ्तार करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने आदि से हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जिन कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को राज्य सरकारों ने कार्यान्वित नहीं किया है उनका संबंध राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने, राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के चयन की प्रक्रिया है और उनका कार्यकाल निर्धारित करने तथा पुलिस अधिनियम, 1861 को प्रतिस्थापित करने आदि से है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग और पुलिस सुधारों के लिए इसी तरह की सिफारिशें करने वाले अन्य समितियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की जा रही है।

[हिन्दी]

भारत में पेटेन्ट धारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां

990. श्री रमाकान्त यादव: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेटेन्ट धारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका और यूरोपीय देशों में घातक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के पश्चात् भारतीय बाजार में कदम रख रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में कौन-कौन सी दवा कंपनियां घातक दवाएं बेच रही हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के बौद्धिक संपदा संरक्षण का जन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित चिंताओं के साथ प्रभावी समन्वय है। विभिन्न अधिनियमों जैसे नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटैंश एक्ट, 1986 और औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के जरिए निषिद्ध औषधों का गैर-कानूनी विनिर्माण रोकना सुनिश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

ननों पर हमले

991. श्री पी.सी. थामस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में उपद्रवी तत्वों ने अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ ननों पर हमला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह हमला अथवा तत्संबंधी कोई घटना पुलिस के सामने घटी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला और अल्पसंख्यक आयोग ने इस घटना की जांच करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में आयोग की सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अथनिकल (कोझिकोड शहर के नजदीक), केरल में स्थित मिशनरीज आफ चैरिटी की एक इकाई 'स्नेह भवन' से संबंधित दो ननों पर मम्बूझाकोड, लल्लालम पी.एस., कोझिकोड जिला, केरल में हरिजन कालोनी में कुछ बदमाशों द्वारा 25 सितम्बर, 2004 को हमला किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और राज्य अपराध शाखा द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सूचित किया है कि स्थिति का जायजा लेने के लिए आयोग के एक सदस्य को घटनास्थल का दौरा करने के लिए भेजा गया था। आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए और दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें तत्काल दंडित किया जाए। आयोग ने राज्य सरकार से जांच की विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा है और यह सुझाव दिया है कि इस मुद्दे के कारण आगे आशंकाओं को दूर करने के लिए विभिन्न धर्मों से संबंधित लोगों की एक बैठक बुलाई जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि आयोग ने 'हिन्दू' में 29 सितम्बर, 2004 को प्रकाशित एक समाचार के आधार पर मामले को संज्ञान में लिया और केरल राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। आयोग को यह रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने केरल में ननों पर हुए इस हमले की घटना की जांच नहीं की है।

नागरिकता

992. श्री टी.के. हमजा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंटवारे के समय भारतीय मूल के जो लोग पाकिस्तान में थे उन्हें यदि वे चाहें तो भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नागरिकता प्रदान करने में कोई अड़चन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान। बंटवारे के समय भारतीय मूल के जो व्यक्ति पाकिस्तान में थे उन्हें धारा 5(1)(क) के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊर्जा बचाने की क्षमता

993. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में ऊर्जा के दोहन और ऊर्जा बचत की क्षमता संबंधी कोई रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का मूल्यांकन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना

994. **श्री शिशुपाल एन. पाटले:**
श्री चन्द्रभान सिंह:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना' को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ऐसे कितने विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ङ) क्या उपरोक्त योजना देश में महिला निरक्षरता के उन्मूलन की गारंटी देती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) भारत सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े उन ब्लाकों, जिनमें महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से कम है तथा साक्षरता में स्त्री-पुरुष अंतरराष्ट्रीय औसत से अधिक है, में मुख्यत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर बोर्डिंग सुविधाओं से युक्त 750 आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नामक एक नई योजना अनुमोदित की है।

योजना की लक्षित प्रवृत्ति को देखते हुए, इन आवासीय स्कूलों में कम से कम 75% नामांकन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होगा तथा शेष 25% नामांकन के लिए निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

दसवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के लिए 489 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना की निधियन पद्धति में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 75:25 का होगा।

सुरक्षा बलों के लिए ट्रान्जिट कैम्प

995. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर जैसे आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों के लिए ट्रान्जिट कैम्प स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे ट्रान्जिट कैम्पों और जम्मू स्थित विश्राम गृहों में अधिकारियों के लिए स्थायी टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ इन कैम्पों और अधिकारियों के विश्राम गृहों में संचार का स्थायी प्रबंध करने तथा इस हेतु आवश्यक और मूल सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) सरकार ने जम्मू और कश्मीर और गुवाहाटी में सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) के लिए "ट्रान्जिट कैम्पों" की मंजूरी दी है।

(ख) जम्मू में सीमा सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के "ट्रान्जिट कैम्पों" में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) और (घ) इन ट्रान्जिट कैम्पों में आवश्यक और बुनियादी सुविधाएं प्राधिकृत कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता

996. श्री किरिप चालिहा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी प्रतिष्ठान पूर्वोत्तर राज्यों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के वित्तपोषण की योजना कार्यान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या इस प्रतिष्ठान ने हाल ही में इस योजना में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसके दायरे को बढ़ाया है; और

(घ) यदि हां, तो बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले उन विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है जो इस योजना से लाभान्वित होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राजीव गांधी फाउण्डेशन ने सूचित किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की शिक्षा के निधियन की उनकी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफैड)

997. श्री दुष्यंत सिंह: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफैड) के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और अन्य राज्यों में ट्राइफैड ने कौन-सा विशिष्ट कार्य आरंभ किया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) 2 अप्रैल, 2003 से लागू नए उपनियमों के अनुसार ट्राइफैड का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यों को व्यवसायिक, लोकतांत्रिक और स्वायत पद्धति से जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास हेतु एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए उनके हितों को स्व: सहायता और परस्पर सहयोग के माध्यम से पूरा करना है। अत: ट्राइफैड ने लघु वन उत्पादों के प्रापण और विक्रय के अपने केन्द्र बिन्दु को जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास में परिवर्तित कर दिया है। तथापि, प्रापण गतिविधियों की निगरानी उनके आदेशानुसार ट्राइफेड के जनजातीय विकास सहकारी निगमों और वन विकास निगमों नामक सदस्य संगठनों द्वारा की जा रही है।

(ख) और (ग) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2001-02 के दौरान ट्राइफेड ने राजस्थान से 621.55 लाख रुपये मूल्य के और वर्ष 2002-03 के दौरान 326.38 लाख रुपये मूल्य के लघु वन उत्पाद एवं अधिशेष कृषि उत्पाद खरीदे। 2003-04 के दौरान कोई प्रापण नहीं किया गया। ट्राइफेड के नए उपनियम शुरू किए जाने से पूर्व ट्राइफेड द्वारा अन्य राज्यों में किए गए प्रापण का ब्योरा अनुबंध (क) में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्राइफेड ने विभिन्न राज्यों में जनजातियों को प्रशिक्षण भी दिया है, जिसका ब्यौरा अनुबंध (ख) में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के ग्रामीण अन्न बैंक योजना के अन्तर्गत ट्राइफेड अन्न बैंक स्थापित करने के लिए राज्य के चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियां वितरित कर रहा है। अभी तक आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल एवं महाराष्ट्र में 4858 ग्राम अन्न बैंक स्थापित करने के लिए ट्राइफेड 20.50 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित कर चुका है।

ट्राइफेड अपने 9, महादेव रोड, नई दिल्ली स्थित एकांतित बिक्री केन्द्र ट्राइब्स शाप के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन भी कर रहा है।

9 एवं 10, शिक्षा कम्पलेक्स, प्रीत विहार, नई दिल्ली स्थित अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के गुणवत्ता एवं भण्डारण मानकों इत्यादि के परीक्षण में संलग्न है।

विभिन्न राज्यों में जनजातियों के विकासात्मक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

असम, गुजरात, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना–

(1) 13 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक हस्तशिल्प विकास परियोजना बनायी गयी थी और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी थी। इसके पीछे यह विचार था कि उन राज्यों में जनजातियों का आत्मनिर्भर हस्तशिल्प समूह बनाए जाएं जिससे ट्राइफेड एवं उसके सहयोगी संगठनों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण एवं अन्यों के माध्यम से उनके द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सामग्री को बाजार में स्थान मिले और इस प्रकार कला/शिल्प कार्यों से जनजातीयों को अतिरिक्त रोजगार मिले। उपर्युक्त 4 राज्यों में से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने केवल 4 राज्यों असम, गुजरात, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में ट्राइफेड के हस्तक्षेप पर विचार किया। ट्राइफेड ने परिणामस्वरूप हस्तशिल्प कलाकारों के चयन के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया, उन्हें स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया और उन समूहों का बैंक में खाता खुलवाया। परिणामस्वरूप उपर्युक्त 4 राज्यों में 225 स्वयं सहायता समूह बनाए गए जिसमें 2756 जनजातीय कलाशिल्पी शामिल है। स्वयंसहायता समूह मितव्ययिता एवं साख का कार्य कर रहे हैं और उन्हें हस्तशिल्प क्रियाकलापों की ओर उन्मुख किया जा रहा है जिससे वे इसे अपने पेशे के रूप में अपना सकें। अब स्वयंसहायता समूह के सदस्यों द्वारा कौशल उन्नयन और अभिकल्पना विकास के माध्यम से हस्तक्षेप का दूसरा चरण चल रहा है।

(2) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की वित्तीय सहायता के अन्तर्गत जगदलपुर में सफेद मूसली और आंवला (मिश्रित खेती) की खेती एवं विपणन के रूप में औषधीय पौधों के विकास की प्रदर्शनात्मक परियोजना को साकार रूप दिया गया। 20 क्विंटल सफेद मूसकी का प्रापण किया गया और 3 से 4 एकड़ क्षेत्र में बोया गया। इस खेती से 100 क्विंटल उपज की आशा है। वहां तैनात ट्राइफेड के कर्मचारियों के माध्यम से देखरेख एवं विकास की निगरानी के क्रियाकलाप लगातार जारी है। सफेद मूसली की फसल अच्छी हुई है और वह अब लावनी के चरण में है। इस फसल के कुछ नमूने 2004 में नई दिल्ली के आरोग्य मेले में प्रदर्शित किए गए जिसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इस परियोजना में आदिवासियों को खेती, फसल के लावनी-पूर्व एवं लावनी के उपरान्त प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रकार आसपास के जनजातीय क्षेत्रों तथा समान कृषि जलवायु वाले अन्य राज्यों में भी इसी कृषि प्रथा का प्रसार किया जाएगा।

(3) छत्तीसगढ़ के नरायणपुर जिले के स्वयंसेवी समूहों की दो जनजातीय महिलाओं को कच्ची पहाड़ी घास से झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण दिया गया जिससे जनजातीय महिलाओं द्वारा वांछित कौशल एवं दक्षता हासिल करने के माध्यम से पहाड़ी घास को विपणन योग्य गुणवत्ता प्रदान की जा सके। इसके लिए दिल्ली के बाजार से नरायणपुर में एक प्रशिक्षक भेजा गया जिसने प्रशिक्षण दिया। कच्चे माल के रूप में छत्तीसगढ़ के अभुजमारह क्षेत्र की एक समिति से लगभग 240 क्विंटल पहाड़ी घास बेची गयी। अब तक जनजातीय महिलाओं द्वारा 7000 झाड़ू बनाए जा चुके हैं जिसका विपणन ट्राइफेड द्वारा किया जा रहा है।

(4) ट्राइफेड ने वनों एवं वनों के आसपास रहने वाले जनजातीयों के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी के माध्यम से आय एवं रोजगार सृजन के लिए आई.आई.टी. खड़गपुर के सहयोग से एक परियोजना शुरू की है। इसके लिए साल, सिमकी एवं वन्य पत्तों से दना-पत्तल बनाने के लिए आई.आई.टी. खड़गपुर ने एक गैर-विद्युतीय मशीन विकसित की है। ये मशीनें जो पौधों के सूखे भागों, टहनियों, पत्तियों, रेशों इत्यादि जैसे बायोमास से चलती है, जनजातियों द्वारा अपने घर पर रहकर ही चलायी जा सकती है जहां बिजली नहीं होती या बिजली की कमी होती है।

ट्राइफेड के पास आई.आई.टी. के रिसोर्स व्यक्ति के माध्यम से इन मशीनों को चलाने के लिए पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में 213 प्रशिक्षित जनजातीय लोग हैं। इसके अलावा झारखंड राज्य में इस मशीन के प्रचालन का प्रदर्शन पर्यावरण मेलों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से किया गया है। अब तक ट्राइफेड द्वारा 44 मशीनें खरीदी गई हैं और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात, राज्यों में जनजातियों को वितरित की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसी मशीनों की तैनाती कर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(5) जगदलपुर में ट्राइफेड के औद्योगिक परिसर में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना पर कार्य चल रहा है जहां देश की जनजातियों को वैज्ञानिक संग्रहण, पूर्व एवं उत्तर फसल प्रबंधन, भंडारण, पैकेजिंग, मूल्यवर्धन और लघु वन उत्पादों के विपणन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(6) घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के माध्यम से बड़े बाजारों में जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली में आई.टी.डी.सी. और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के सहयोग से एक शुल्क मुक्त हस्तशिल्प दुकान की स्थापना की गई है।

(7) देश की जनजातियों की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और उनके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक/आर्गेनिक उत्पादों के प्रदर्शन और

विकास हेतु 9, महादेव रोड, नई दिल्ली में जनजातीय उत्पादों की एक विशिष्ट दुकान ट्राइब्स शाप ट्राइफेड द्वारा चलाई जा रही है।

(8) ट्राइफेड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर एण्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी 9 एण्ड 10, सिक्का काम्पलेक्स, प्रीत विहार, दिल्ली से चला रहा है जो जनजातीय उत्पादों की जांच उनके गुणवत्ता मानकीकरण विकास, भंडारण मानदण्ड आदि के कार्य में लगी है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला प्रयोगों, प्रयुक्त/अनुकूली अनुसंधान के जरिए जनजातीय उत्पादों के नए उपयोग खोजने हेतु अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा उनके उपयोगों का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। विकसित जांच प्रणालियों और उपयोगों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का उन्नयन किया जा रहा है।

(9) ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों, उनके उपभोक्ता, क्रेता, विक्रेता, व्यापारियों, संसाधकों, सम्बद्ध विकासीय एजेंसियों की व्यापार निवेशिका के प्रकाशन की प्रक्रिया में है ताकि जनजातीय उत्पादों का विपणन विकास हो सके। इस प्रयास में लगभग 16000 पते राज्यों से एकत्र किए गए हैं जिनका समेकन किया जा रहा है। ट्राइफेड की वेबसाइट निर्माणाधीन है जिसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ताकि इसको एन आई सी एस आई, भारत सरकार द्वारा तैयार कराया जा सके।

(10) राज्यस्तरीय एवं प्राथमिक स्तरीय जनजातीय विकास निगम के अपने उत्पादों यथा मधु, सिकाकाई, रीठा, त्रिफला, रामपत्ता एवं अन्य लघु वन उत्पादों के विपणन के प्रयास को समर्थन देने के लिए ट्राइफेड ने क्रेता-विक्रेता बैठकों के तहत लैम्पस फेडरेशन के प्रतिनिधियों, सरकारी विभागों, क्रेताओं एवं उपभोक्ताओं तथा उद्योग कर्मियों के सहयोग से हितधारियों का समूह बनाने का प्रयास किया है। ऐसी ही एक गतिविधि हाल ही में बंगलौर में 19.11.2004 को की गयी है।

(11) जनजातियों के, विशेषतया महिलाएं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा/स्वास्थ्यकर भोजन के उत्पादन एवं वितरण हेतु एक परियोजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के स्वीकृति हेतु उन्हें प्रस्तुत की गयी है ताकि जनजातीय क्षेत्रों में भुखमरी से होने वाली मौतों एवं कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सके। इस प्रकार की परियोजनाओं पर झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्यों के लिए विचार किया जा रहा है।

अनुबंध (क)

गत तीन वर्षों में ट्राइफेड के द्वारा किए गए प्रापण का राज्यवार ब्यौरा

(मात्रा मीट्रिक टनों में)

(मूल्य लाख रु. में)

राज्य	2001-02						2002-03					
	एमएफपी		एसएपी		कुल		एमएफपी		एसएपी		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	1750.973	165.178	179.225	25.498	1930.198	190.676	5.27	1.69	83.82	16.27	89.09	17.96
बिहार/झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	9737.567	470.15	38.966	1.489	9776.533	471.639	20.166	0.755	0	0	20.17	0.76
गुजरात	0	0	115.336	12.598	115.336	12.598	0	0	68.821	18.27	68.82	18.27
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	33	29.76	33.00	29.76
मध्य प्रदेश	55.818	1.84	3281.094	347.659	3336.912	349.499	0	0	1842.984	218.37	1843.0	218.37
महाराष्ट्र	0.19	0.04	501.53	61.86	501.72	61.9	0	0	50.7	7.59	50.70	7.59
उत्तर पूर्वी राज्य	17.12	22.248	45.931	2.92	63.051	25.168	259.73	28.06	24.45	3.296	284.2	31.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उड़ीसा	100.06	6.789	381.36	42.139	481.42	48.928	0	0	403.21	67.9	403.2	67.90
राजस्थान	66.228	2.85	5173.74	618.7	5239.968	621.55	0	0	2473.11	326.38	2473	326.38
तमिलनाडु	0	0	9.08	0.459	9.08	0.459	0	0	0	0	0.00	0.00
प. बंगाल	0.07	0.08	0	0	0.07	0.08	0	0	0	0	0.00	0.00
ट्राइब्स हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प सम्मान	-	-	-	-	-	25.74	-	-	-	-	-	24.36
कुल	11728.026	669.175	9726.262	1113.322	21454.288	1808.237	285.166	30.505	4980.095	687.836	5265.261	742.701
अनुमानित उत्पादन (अन्नापति प्रमाण पत्र निर्गत करने से)	-	1980.25	-	290.46	-	2270.71	-	1394.46	-	349.16	-	1743.62
कुल	11728.026	2649.425	9726.262	1403.782	21454.288	4078.947	285.166	1424.965	4980.095	1036.996	5265.261	2486

अनुबंध-ख

वर्ष 2000 से 2003-04 की अवधि के दौरान ट्राइफेड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी का विवरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण योजना स्थान	जनजातीय प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण पर खर्च धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5
क.	**1.4.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि**			
1.	नीम बीज का संग्रह एवं संचय	वन चेतना केन्द्र गुजरात	50	10,000
2.	बीज निकालकर तथा धागे निकालकर इमली की इंटे बनाना	बाटेन्गा, जगदलपुर	400	82,388
3.	लाख की खेती	आरकी रांची	36	16,560
4.	औषधीय जड़ी-बूटियों पर कार्यशाला	डिन्डोरी मध्य प्रदेश	75	1,00,000
5.	गम कराया की खेती एवं इसके निचोड़ने, संग्रह एवं प्रसाधन में प्रशिक्षण	छोटाउदयपुर, पाविजेटपुर (बड़ोदा जिला, गुजरात)	50	1,00,000
	कुल		611	3,28,948

1	2	3	4	5
ख.	1.4.2001 से 31.3.2002 की अवधि			
1.	लाख पैदावार एवं बुड लाख वितरण	मान्डला मध्य प्रदेश	126	3,00,000
2.	गम का वैज्ञानिक दोहण	पाडेरू, एटरुन्गाराम, पार्वतीपूरम, आन्ध्र प्रदेश	2477	6,86,000
3.	जनजातीय उत्पादों का संवर्धन एवं विपणन	कन्योझर उड़ीसा	125	51,000
4.	मधु उत्पादन	लाहुनीपारा, सुन्दरगढ़ जिला उड़ीसा	38	80,000
	कुल		1940	11,17,000
ग.	1.4.2002 से 31.3.2003 तक की अवधि			
	शून्य	-	-	-
घ.	1.4.2003 से 31.3.2004 तक की अवधि			
1.	मध्य प्रदेश के जनजातियों को साल एवं सियाली पत्तों से बायोमास ईंधन से संचालित मशीनों द्वारा दोना पत्तल बनाने के कार्य में प्रशिक्षण	मध्य प्रदेश के मान्डला एवं डिन्डोरी जिले	189	19,000
2.	पश्चिमी बंगाल (11 संख्या) एवं छत्तीसगढ़ (13 संख्या) के जनजातियों को साल एवं सियाली पत्तों से बायोमास ईंधन से संचालित मशीनों द्वारा दोना पत्तल बनाने के कार्य में प्रशिक्षण	आई आई टी खड़गपुर	24	11,700
3.	छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवी ग्रुप (24 व्यक्तियों) को पहाड़ी घास से पहाड़ी झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण	नारायणपुर छत्तीसगढ़	24	15,410
	कुल		237	46,110

प्रवेश हेतु अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा

998. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005-2006 में प्रबंधन, अभियांत्रिकी, एम.ए. इत्यादि में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने का आदेश पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त परीक्षा आयोजित कराने से पहले ही उक्त आदेश को वापस लिया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजिज एसोसिएशन से वर्ष 2005-2006 के लिए प्रबंधन कोटा के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर की सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी हां। केन्द्र सरकार ने 2005-06 में इंजीनियरी, वास्तुकला और आयोजना कार्यक्रमों इत्यादि में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 'अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा' आयोजित करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, यथा- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली और केन्द्र सरकार के सभी विनिर्दिष्ट संस्थानों के अवर स्नातक कार्यक्रमों में दाखिला ऊपर उल्लिखित परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा। केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालयों जैसी अन्य सभी शैक्षिक संस्थाओं के पास यह विकल्प होगा कि वे या तो उपर्युक्त परीक्षा में सहभागी बनें अथवा एक सुचारू और पारदर्शी पद्धति से विद्यार्थियों के दाखिले हेतु स्वयं परीक्षा का आयोजन करें।

एमबीए/प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष कार्यक्रमों में दाखिले हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संबंध में भी इसी प्रकार का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार, विद्यार्थियों को अखिल भारतीय आधार पर दाखिला देने वाली सभी विनिर्दिष्ट केन्द्रीय संस्थाओं के पास पांच विनिर्दिष्ट परीक्षाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। सभी केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालयों के पास यह विकल्प होगा कि वे या तो उपर्युक्त परीक्षा में सहभागी बनें अथवा एक सुचारू और पारदर्शी पद्धति से विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु स्वयं प्रवेश परीक्षा का आयोजन करें।

(ङ) से (छ) अखिल भारतीय चिकित्सा और इंजीनियरी कालेज एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने वर्ष 2004-05 में प्रबंधन कोटे के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु 'राष्ट्रीय स्तर की एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। टीएमए पाई बनाम कर्नाटक राज्य और इस्लामिक शिक्षा अकादमी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार किसी राज्य की निजी संस्थाओं में प्रबंधन कोटे की सीटों को राज्य में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। यह परीक्षा या तो राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी या इस उद्देश्यार्थ गठित समिति के पर्यवेक्षण में ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु राज्य में गठित ऐसे कालेजों की एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जाएगी। इस बात के मद्देनजर, अखिल भारतीय चिकित्सा और इंजीनियरी कालेज एसोसिएशन के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

[हिन्दी]

मैट्रो रेल सेवायें शुरू करना

999. **श्री अवतार सिंह भडाना:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फरीदाबाद सहित कतिपय बड़े शहरों में दिल्ली की तर्ज पर मैट्रो रेल सेवायें आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 तक मैट्रो रेल की सुविधा से जुड़ने वाले दिल्ली की सीमा से लगे शहरों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या समय सारिणी निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या कतिपय राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने नोएडा और गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) बंगलौर में मेट्रो रेल सेवाएं शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र सरकार का भी मुंबई में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। फरीदाबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मेट्रो रेल सेवा को दिल्ली के आसपास और पड़ोसी नगरों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण

1000. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मौजूदा विद्युत संयंत्रों/स्टेशनों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिक बनाये जाने वाली विद्युत परियोजनाओं/संयंत्रों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) आधुनिकीकरण के पश्चात् प्रत्येक परियोजना/संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और इसमें कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) दसवीं योजना के दौरान, 9200 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर लगभग 10413 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 106 थर्मल यूनिटों को जीवन विस्तार कार्यों हेतु चिह्नित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के पश्चात्, यूनिटों के किफायती प्रचालनात्मक जीवन में इन यूनिटों की कार्यक्षमता में कुल सुधार के अलावा 10413 मेगावाट से 10747 मेगावाट तक की वृद्धि होने की संभावना है। 57 थर्मल यूनिटों को भी उनकी कार्यक्षमता को सतत् बनाए रखने के लिए 978 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कार्यों हेतु चिह्नित किया गया है। इसके अलावा, 62 वर्तमान जल विद्युत स्टेशनों को 2227 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर 1516.31 मेगावाट की विद्युत का लाभ प्राप्त करने के लिए दसवीं योजना के दौरान नवीकरण, आधुनिकीकरण, आपरेटिंग एवं जीवन विस्तार के कार्यान्वयन हेतु चिह्नित किया गया है।

10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आधुनिकीकृत की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं/संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरे जिसमें उन से होने वाली विद्युत उत्पादन क्षमता और व्यय में वृद्धि भी शामिल हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

10वीं योजना के दौरान जीवन विस्तार हेतु अभिज्ञात ताप विद्युत यूनिटें

क्र.सं.	स्टेशन/यूनिट का नाम	वर्तमान निर्धारित क्षमता (मेगावाट)	अधिकतम उत्पादन (मेगावाट)	एलाईपी के बाद प्रत्याशित क्षमता (मेगावाट)	अतिरिक्त विद्युत उत्पादन (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली						
1.	बदरपुर यूनिट 1-5	705	705	720	15	420
हरियाणा						
2.	पानीपत यूनिट 1, 3 व 5	330	300	330	30	260
3.	फरीदाबाद यूनिट 1-3	165	159	180	21	150

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब						
4.	भटिंडा यूनिट 1-4	440	400	440	40	520
उत्तर प्रदेश						
5.	ओबरा यूनिट 1-13	1482	1335	1550	210	1400
6.	पनकी यूनिट 3-4	210	190	220	30	120
7.	हरदुआगंज यूनिट 1, 3, 4, 5 और 7	325	235	340	105	285
महाराष्ट्र						
8.	नासिक यूनिट 1-2	280	250	280	30	280
9.	पारस यूनिट 2	58	58	62.5	4.5	60
10.	भुसावल यूनिट 1	58	58	62.5	4.5	60
11.	कोराडी यूनिट 1-4	460	440	480	40	480
12.	पारली यूनिट 1-2	60	60	60	0	60
छत्तीसगढ़						
13.	कोरबा (पूर्व) यूनिट 1, 4, 5 और 6	320	280	340	60	240
मध्य प्रदेश						
14.	सतपुड़ा यूनिट 1-5	310.25	300	310.25	10.25	350
15.	अमरकंटक यूनिट 1-4	290	240	300	60	200
गुजरात						
16.	गांधी नगर यूनिट 1-2	240	200	240	40	240
17.	धुवण यूनिट 1-6	534	422	534	112	220
18.	उकाई यूनिट 1-2	240	210	240	30	240
तमिलनाडु						
19.	एन्नौर 1-2	120	100	120	20	100
20.	तूतीकोरिन यूनिट 1-3	630	630	630	0	300

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
21.	विजयवाड़ा 1-2	420	420	420	0	300
22.	कोठागुडम 6-8	325	300	360	60	320
पश्चिम बंगाल						
23.	संथालडीह यूनिट 1-3	360	260	360	100	400
24.	बांडेल यूनिट 1-4	320	260	330	70	340
25.	दुर्गापुर यूनिट 3	140	110	140	30	165
झारखंड						
26.	चंद्रपुरा डीवीसी यूनिट 1-6	750	570	780	210	780
27.	बोकारो यूनिट 1-3	135	0	172.5	172.5	50
28.	पतरातू यूनिट 4-8	430	315	470	155	500
बिहार						
29.	बरौनी यूनिट 4-5	100	0	100	100	200
असम						
30.	चन्द्रपुर यूनिट 1	30	0	30	30	30
31.	नामरुप यूनिट 1	23	23	23	0	30
32.	बोंगईगांव यूनिट 1-2	120	0	120	120	100

10वीं योजना के दौरान आर एंड एम हेतु अभिज्ञात ताप विद्युत यूनिटें

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
राजस्थान				
1.	कोटा	1-5	850	60.97
पंजाब				
2.	रोपड़	1-6	1260	101.64
महाराष्ट्र				
3.	नासिक	3-5	630	48.47
4.	कोराडी	5-7	630	54.35

1	2	3	4	5
5.	चंद्रपुर	1-6	1840	62.21
6.	पारली	3-5	630	31.12
7.	खापरखेड़ा	1-2	420	6.47
8.	भुसावल	2-3	420	24.03
गुजरात				
9.	कच्छ लिग्नाइट	1-2	140	103.7
मध्य प्रदेश				
10.	सिंगरौली	1-7	2000	184.23
11.	विन्ध्याचल	1-6	1260	111.19
छत्तीसगढ़				
12.	कोरबा एसटीपीएस	1-6	2100	109.26
आंध्र प्रदेश				
13.	रामागुंडम	1-6	2100	80.28

10वीं योजना—हाइड्रो आर एंड एम स्कीमों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	स्कीम/एजेंसी	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	लाभ (मेगावाट)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हिमाचल प्रदेश					
1.	बस्सी, एचपीएसईबी	4×15	28.60	66.00	आरएमयू एण्ड एलई
जम्मू व कश्मीर					
2.	सलाल फेज-2, एनएचपीसी	3×115+3×115	87.28	69.00	आर एण्ड एम + आरईएस
3.	लोअर झेलम जे एंड के पीडीसी	3×35	65.19	34.00	आरएम एण्ड यू + आरईएस
4.	चेनानी जे एंड के पीडीसी	5×4.66	23.86	25.63	आरएमयू एण्ड एलई
5.	गांडेरबल, जे एंड के पीडीसी	2×3+2×4.5	28.87	15.00	आरएम एण्ड एलई
6.	संभल सिंध जे एंड के पीडीसी	2×11.3	16.372	3.00	आरएम एण्ड यू

1	2	3	4	5	6
पंजाब					
7.*	शानन फेज-ए पीएसईबी	4×15+1×50	11.35	–	आर एण्ड एम
8.*	पोंग, बीबीएमबी	6×60	17.70	36.00	आरएम एण्ड यू
9.	भाखड़ा एलबी, बीबीएमबी	1×108	97.60	126.00	आरएमयू एण्ड एलई
10.	गंगूवाल, यू-1, बीबीएमबी	1×29.55	51.28 (आईडीसी सहित 6.28)	27.99	आरएम एण्ड एलई+आरईएस
11.	कोटला यूनिट-1, बीबीएमबी	1×29.25	51.28 (आईडीसी सहित 6.28)	28.94	आरएम एण्ड एलई+आरईएस
12.	शानन फेजम्बी पीएसईबी	–	35.95	60.00	आरएम एण्ड एलई (15 मे.वा. यूनिट) + आर एण्ड एम (50 मे.वा.)
13.	यूबीडीसी 1 व 2, पीएसईबी	3×15+3×15.45	7.89	45.00	आरएम एण्ड एलई
14.	देहर, बीबीएमबी	6×165	11.00	–	आर एण्ड एम
15.	आनंदपुर साहिब	4×33.5	3.68	–	आर एण्ड एम
16.	मुकेरियां चरण-1	3×15	6.04	–	आर एण्ड एम
राजस्थान					
17.	जवाहर सागर, आरआरवीयूएनएल	3×33	88.66	–	आर एण्ड एम
18.	राणा प्रताप सागर, आरआरवीयूएनएल	4×43	87.50	–	आर एण्ड एम
उत्तरांचल					
19.	चिबरो, यूजेवीएनएल	4×60	20.90	–	आर एण्ड एम
20.	खोदरी यूजेवीएनएल	4×30	10.50	–	आर एण्ड एम
21.	चिल्ला यूजेवीएनएल	4×36	47.10	–	आर एण्ड एम
22.	पथरी यूजेवीएनएल	3×6.8	28.69	20.40	आरएम एण्ड एलई
23.	कुल्हल यूजेवीएनएल	3×10	21.62	–	आर एण्ड एम
24.	रामगंगा यूजेवीएनएल	3×66	31.65	18.00	आर एण्ड एम + पुनर्स्थापन
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश					
25.	लोअर सिलेरू, एपीजेनको	4×115	8.75	–	आर एण्ड एम
26.	नागार्जुन सागर, एपीजेनको	1×110+ 7×100.8	33.35	–	आर एण्ड एम

1	2	3	4	5	6
27.	अपर सिलेरू एपीजेनको	4×60	4.20	–	आर एण्ड एम
28.	श्रीसेलम, आरबी, एपीजेनको	7×110	16.70	–	आर एण्ड एम
कर्नाटक					
29.*	नागझरी यूनिट 1 व 3, केपीसीएल	2×135	26.12	30.00	आर एम एण्ड यू
30.*	सुपा फेज, केपीसीएल	2×50	2.64	–	आर एण्ड एम
31.*	महात्मा गांधी, वीवीएनएल	4×12+4×18	44.66	139.20	आरएमयू एण्ड एलई
32.*	मुनिराबाद, वीवीएनएल	2×9+1×10.3	3.64	28.30	आरएम एण्ड एली
33.*	मणि बांध, केपीसीएल	2×4.5	1.00	–	आर एण्ड एम
34.*	शिवसमुद्रम, वीवीएनएल	6×3+4×6	68.38	42.00	आरएम एण्ड एलई
35.	भद्रा फेज-2, केपीसीएल	1×2	3.30	2.00	आरएम एण्ड एलई
36.	वराही, केपीसीएल	2×115	2.57	–	आर एण्ड एम
37.	शरावती फेज-ए, केपीसीएल	10×103.5	5.22	–	आर एण्ड एम
केरल					
38.*	पल्लीवसल, केएसईबी	3×5+3×7.5	94.00	37.50	आरएम एण्ड एलई
39.*	सेंगुलम, केएसईबी	4×12	114.00	48.00	आरएम एण्ड एलई
40.*	पन्नियार, केएसईबी	2×15	62.00	30.00	आरएम एण्ड एलई
41.	नेरीमंगलम, केएसईबी	3×15	31.92	54.00	आरएमयू एण्ड एलई
तमिलनाडु					
42.	मेत्तूर बांध, टीएनईबी	4×10	27.37	50.00	आरएमयू एण्ड एलई
43.	पापनासम, टीएनईबी	4×7	22.79	32.00	आरएमयू एण्ड एलई
44.	पाइकारा टीएनईबी	3×6.65+1×11+2×14	26.06	58.95	आरएम एण्ड एलई
45.	शोलयार-1, टीएनईबी	2×35	40.68	84.00	आरएमयू एण्ड एलई
झारखंड					
46.	मैथन, चरम-2, डीवीसी	1×20	42.08	23.20	आरएमयू एण्ड एलई
47.	पंचेट, चरण-1, डीवीसी	1×40	44.96	46.00	आरएमयू एण्ड एलई
उड़ीसा					
48.	हीराकुड-1 (स्विचयार्ड), ओएचपीसी	–	9.85	–	आर एण्ड एम

1	2	3	4	5	6
49.	हीराकुड-1 यूनिट 3 व 4, ओएचपीसी	2×24	126.13	64.00	आरएमयू एण्ड एलई
50.	हीराकुड-2 ओएचपीसी	3×24	125.97	72.00	आरएम एण्ड एलई
पश्चिम बंगाल					
51.	जलढका चरण-1	3×9+2×4	53.67	27.00	आरएम एण्ड एलई चरण (1)+आर एण्ड एवं (चरण-2)
पश्चिमी क्षेत्र					
महाराष्ट्र					
52.*	भिरा टेल रेस, एमएसईबी	2×40	1.60	–	आर एण्ड एम
53.*	तिलारी, एमएसईबी	1×60	4.50	8.20	आरएम एण्ड यू
54.*	कोयला जेनरेशन काम्प्लेक्स, एमएसईबी	4×70+4×80+ 4×80	12.00	–	आर एण्ड एम
55.	कोयना चरण-1 और 2 एमएसईबी	–	88.00 (25.00)	–	आर एण्ड एम
56.	कोयना चरण 3, एमएसईबी	–	25.00	–	आर एण्ड एम
57.	वैतरना, एमएसईबी	1×60	7.00	6.00	आरएम एण्ड यू
58.	कोयना डेम पीएच, एमएसईबी	2×18	20.00	8.00	आरएम एण्ड यू
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
असम					
59.	कोपिली, चरण-1 और 2, नीपको	2×50	36.01	–	आर एण्ड एम
मणिपुर					
60.	लोकतक, एनएचपीसी	3×35	24.50	15.00	आर एण्ड एम
मेघालय					
61.*	उमियम चरण-1 मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड	4×9	81.88	36.00	आरएम एण्ड एलई
62.*	खांगडोंग, नीपको	2×25	4.00	–	आर एण्ड एम
	कुल	9977.50	2227.062	1516.31	

*स्कीम पूरी हो गई है।

संकेताक्षर: आर एण्ड एम-नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, आर एम एंड यू-नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण। आरएम एंड एलई-नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार,-आरएमयू एंड एलई-नवीकरण, आधुनिकीकरण, उच्चीकरण एवं जीवन विस्तार, आर एंड एम + रेस्टोरेशन-नवीकरण एवं आधुनिकीकरण+पुनर्स्थापन, आरएम एंड एलई-नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार+पुनर्स्थापन।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की इकाइयों का बंद किया जाना

1001. **श्री जुएल ओराम:**
श्री मुन्शी राम:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों की सहायक इकाइयों को बंद कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यूनिटवार इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने ऐसी इकाइयों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) क्या सरकार दिनांक 6 सितंबर, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश में इस्पात संयंत्रों को बंद करने अथवा उनका निजीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सहायक कंपनी इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार ने जून, 2002 में एक पुनर्स्थापना प्रस्ताव मंजूर किया था। सरकारी मंजूरी के आधार पर इस्को/सेल ने इस्को की पुनर्स्थापना के लिए एक योजना तैयार की जिसे प्रचालन एजेंसी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को भेज दिया गया। आईडीबीआई ने यह योजना औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दी। बीआईएफआर ने 20.11.2003 को पुनर्स्थापना योजना मंजूर की। सरकार द्वारा मंजूर पुनर्स्थापना पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ इस्को की एक इकाई, कुल्टी कारखाने को बंद करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, इस्को के कुल्टी कारखाने के प्रचालनों को 1.4.2003 से बंद कर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन

1002. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर कतिपय विषयों, विशेषकर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम सामग्री में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पाठ्यक्रम सामग्री को पहले की भांति यथापूर्व स्थिति प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विशेषकर इतिहास और राजनीति विज्ञान की पाठ्यक्रम सामग्री में किये गये परिवर्तनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तनों पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 2001 में स्कूल स्तर पर सभी विषयों का पाठ्यक्रम स्कूल शिक्षा, 2000 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा को ध्यान में रखकर संशोधित किया गया था। जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है, पाठ्यक्रम संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या समय-समय पर संबंधित विश्वविद्यालयों के सांविधिक प्राधिकरणों जैसे शैक्षणिक परिषदों तथा कार्यकारी परिषदों द्वारा संशोधित की जाती है।

(ख) से (घ) हाल ही में सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान) की पाठ्यचर्या तथा स्नातक (आनर्स) इतिहास के पाठ्यक्रमों में कथित रूप से कुछ तोड़-मरोड़ हुई है जिनके परिणामस्वरूप गांधीवादी विचारों तथा व्यवहारों के अध्ययन का महत्व कम हो गया है। सरकार ने इन आरोपों के संबंध में विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है और इस मामले में आगे की कार्रवाई विश्वविद्यालय से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात ही संभव हो पाएगी। जहां तक स्कूल पाठ्यचर्या का संबंध है सरकार द्वारा गठित तीन विख्यात इतिहासकारों के एक पैनल ने यह पाया था कि इतिहास की पुस्तकें पक्षपातपूर्ण, गलत ढंग से लिखी हुई तथा अशुद्धियों से परिपूर्ण थी। इन निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारी समिति ने इतिहास की पहले की पुस्तकों को मौजूदा पाठ्यचर्या के अनुरूप उपयुक्त संशोधनों तथा मामूली सुधारों सहित, जहां कहीं अपेक्षित हो, शैक्षणिक सत्र 2005-2006 से बनाए रखने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

स्व-सहायता समूह

1003. श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने अभी तक राज्यवार कितने 'स्व-सहायता समूह' गठित किये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और इस वर्ष के दौरान इन समूहों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ग) उन योजनाओं का ब्योरा क्या है जिनके अन्तर्गत सरकार इन समूहों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को सहायता प्रदान कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग की स्कीमों के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विभाग की स्कीमों के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती।

(ग) इस विभाग की स्व-सहायता समूहों पर आधारित स्कीमों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण से सम्बन्धित स्कीमों का संकेन्द्रण परिकल्पित है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित स्व-सहायता समूहों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3867
2.	अरुणाचल प्रदेश	263
3.	असम	2400
4.	बिहार	1669
5.	छत्तीसगढ़	2268
6.	गुजरात	5429
7.	हरियाणा	2850
8.	हिमाचल प्रदेश	800
9.	जम्मू-कश्मीर	1250
10.	झारखण्ड	4011
11.	कर्नाटक	5141
12.	केरल	2468
13.	मध्य प्रदेश	6129
14.	महाराष्ट्र	3012
15.	मणिपुर	250
16.	मेघालय	441
17.	मिजोरम	304
18.	नागालैण्ड	600
19.	उड़ीसा	3600
20.	पंजाब	1613
21.	राजस्थान	2600
22.	सिक्किम	550
23.	तमिलनाडु	5421
24.	त्रिपुरा	225
25.	उत्तर प्रदेश	13873
26.	उत्तरांचल	1588
27.	पश्चिम बंगाल	4811
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	143
29.	चण्डीगढ़	97
30.	दादर व नगर हवेली	67
31.	दिल्ली	54
32.	लक्षद्वीप	226
33.	पाण्डिचेरी	300
	कुल	78320

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

1004. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए तैयार की गयी योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य को आवंटित की गयी धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का पूरा-पूरा सदुपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी), उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना स्वीकृत करते हैं और निधीयन करते हैं। अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) के तहत गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे और एनईसी द्वारा सेक्टरवार स्वीकृत परियोजनाओं के ब्योरे विवरण में दिये गये हैं।

(ग) से (च) निधियों के उपयोग की स्थिति और कार्यान्वयन की प्रगति विवरण पर दी गई है। निधियों की न्यून उपयोगिता और कार्यान्वयन लक्ष्यों की न्यून उपलब्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

1. आमतौर से राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां कार्यान्वयन/निष्पादन अभिकरण को अन्तरित करने में बहुत समय लगा देती हैं।
2. लम्बी वर्षा ऋतु के कारण उत्तर पूर्व में काम करने का मौसम देश के शेष भाग की तुलना में सीमित है।
3. कार्यान्वयन/निष्पादन एजेन्सियां परियोजनाएं पूर्ण करने में ज्यादा समय लगाती हैं।

(छ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय राज्य सरकार और क्षेत्रीय निरीक्षण द्वारा परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करता है। तदनुसार राज्य सरकारों को निर्धारित समय के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।

विवरण

एन एल सी पी आर के अन्तर्गत 2001-2002 से 2003-04 के दौरान राज्यवार स्वीकृत परियोजनाएं और जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपयों में राशि)

क्र.सं.	परियोजना	अनुमोदित लागत	जारी की गई राशि			स्थिति
			2001-02	2002-03	20030-04	
1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश						
1.	स्कूल, शिक्षक क्वार्टरों और छात्रावास के अपूर्ण भवन को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता	14.48	5.54	0.00	0.00	चल रही है
2.	1550 प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए फर्नीचर	1.63	1.63	0.00	0.00	पूरी हो गई
3.	आर के मिशन आवासीय स्कूल नारोत्तम नगर, तिरप जिला	12.20	12.20	0.00	0.00	पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7
4.	आर.के. शारदा मिशन बालिका विद्यालय, खोन्सा, नारोत्तम नगर तिरप जिला	3.00	3.00	0.00	0.00	पूरी हो गई
5.	विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय कोलियारंग	0.80	0.80	0.00	0.00	चल रही है
6.	लोअर सुबानसिरी जिला के तहत खले नदी पर भूमि कटाव रोधक कार्य	7.31	0.00	1.00	0.00	चल रही है
7.	डायाबांग जिले में ओल्ड अबाली गांव में आबा नदी बेसिन का उपचार	2.98	0.00	1.00	0.00	चल रही है
8.	जनजातीय ग्रामों का विद्युतीकरण	8.96	4.48	0.00	4.48	चल रही है
9.	झंग से सुलुगंधी (95 कि.मी.) तक पोर्टन ट्रेक का सुधार और रीएलाइनमेंट	2.55	0.00	1.22	1.33	चल रही है
10.	नुरानंग से मागों तक पोर्टर ट्रेक का निर्माण	2.59	0.00	0.00	1.44	चल रही है
11.	डोपारीजो जल संसाधन योजना	3.97	0.00	0.37	0.00	चल रही है
12.	नहारलेगन जल आपूर्ति योजना	11.73	0.00	5.86	0.00	चल रही है
13.	पासीघाट के पर जल आपूर्ति योजना	5.05	1.00	1.00	2.85	चल रही है
14.	रोईंग में जल आपूर्ति योजना	4.05	1.00	1.00	1.83	चल रही है
	कुल	81.30	29.65	11.45	11.93	
असम						
1.	असम मेडिकल कालेज (होप)	20.00	0.00	0.22	3.79	चल रही है
2.	शंकर देव नेत्रालय (उपकरण)	0.82	0.00	0.82	-	पूरी हो गई
3.	शंकर देव नेत्रालय (ओटी)	1.53	0.00	1.53	-	पूरी हो गई
4.	अमरेंग लघु सिंचाई स्कीम, केएडीसी	12.00	6.00	0.00	3.00	चल रही है
5.	वासीलीगढ़ी ईएल आई एस, एन सी पर्वतीय लघु सिंचाई स्कीमें	2.70	2.70	0.00	-	चल रही है
6.	अमगुरी और आने नाला बन्द करने सहित 14वें से 23.15वें तक दीसमोर से सुन्नारी गांव तक ब्रह्मपुत्र डाईक का निर्माण और सुदृढ़ करना	11.51	-	-	5.00	चल रही है
7.	बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (5 सं.) में के, ए जिला असम में धनश्री नदी के भूमि कटाव से विभिन्न स्थानों का बचाव-चरण 1	2.10	2.10	0.00	-	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7
8.	बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (5 सं.) के ए जिला असम में धनश्री नदी के भूमि कटाव से विभिन्न स्थानों का बचाव-खण्ड-2	1.65	1.65	0.00	-	चल रही हैं
9.	बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (5 सं.) में दखारी बाजार से डी सी कोर्ट तक ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से गुवाहाटी शहर का बचाव	3.33	1.20	0.00	2.13	चल रही हैं
10.	बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (5 सं.) में हरीनगर से नवग्रामपुर सी एच 0 एम से सी एच 850 एम तक सुरमा नदी के (अन्तर्राष्ट्रीय सीमा) आर/बी के साथ-साथ क्षेत्र और डाईक हरीनगर भाग-3 का बचाव	3.65	1.50	2.15	-	चल रही हैं
11.	बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (5 सं.) में ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से डिब्रूगढ़ शहर के बचाव के लिए कहाईसपर (स्टोन पर सं. 2) से सुदृढ़ करना	6.55	2.55	2.06	1.64	चल रही हैं
12.	राष्ट्रीय खेल 2005 के लिए गुवाहाटी में बहुउद्देशीय इनडोर हाल के साथ एथलेटिक स्टेडियम परिसर का निर्माण	55.10	-	-	22.00	चल रही हैं
13.	2×50 एमवीए, 220/132 के वी बासी पारा (तेजपुर) सब स्टेशन और एक 132 केवी गुहपुर डीपोटा लाईन	13.71	0.00	1.50	4.00	चल रही हैं
14.	सरूसज्जई सब स्टेशन पर 1×63 एवं 1×50 एम वी ए 20/132 के वी ट्रांसफार्मर का 2×100 एमवीए, 220/132 के वी ट्रांसफार्मर द्वारा वृद्धि	7.80	0.00	0.60	5.00	चल रही हैं
15.	मारयानी में 220/132 केवी 2×50एम वी ए की 2×100 सब स्टेशन में वृद्धि	6.37	2.00	0.00	3.00	चल रही हैं
16.	बी टी पी एस-अगीच सरूसज्जई फीडर लाईन	28.38	-	10.00	-	चल रही हैं
17.	सरूसज्जई सब स्टेशन पर 2×31.5 एमवीए 132/33 के वी ट्रांसफार्मर की स्थापना	5.26	0.00	0.60	2.00	चल रही हैं
18.	तामूलपुर-गोवेश्वर रोड नलबाड़ी	6.88	2.51	2.54	1.83	पूरी हो गई
19.	कुमारीकाटा-जाला रोड नलबाड़ी	16.65	7.04	6.28	3.33	चल रही हैं
20.	कच्चुवाडी-नाओकाटा-पथारीघाट रोड नलबाड़ी और दरंग	5.30	1.06	2.41	1.83	पूरी हो गई
21.	रंगीया गोरेश्वर रोड	0.77	0.00	0.77	-	पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7
22.	हरदत्ता-बीरूदत्ता रोड	1.33	0.00	1.33	-	चल रही है
23.	चारूली-नागरीजुली रोड	0.52	0.00	0.52	-	चल रही है
24.	उदालगुरी-बहराब कुडा रोड दारंग	6.14	4.88	1.26	-	पूरी हो गई
25.	रोटा-उदालगुडी रोड दारंग	8.32	2.44	1.40	4.48	चल रही है
26.	मंगलदाई-भूटीयाचांग रोड दारंग	5.99	0.00	1.21	-	पूरी हो गई
27.	उदालगुडी-तमुलपुरा रोड दारंग	27.24	0.00	1.25	2.53	चल रही है
28.	कुलरी, दारंग पर काजवे	1.00	0.00	0.00	1.00	चल रही है
29.	उदालगुडी-काहीलबाडी रोड	3.87	1.28	0.61	1.98	चल रही है
30.	अम्बा गांव-बारी गांव रोड	2.47	0.00	0.64	-	चल रही है
31.	चमुआपाडा-पुरंगीया रोड	2.47	0.00	0.00	2.47	चल रही है
32.	टंगला-दीओर रोड	3.79	0.00	0.00	3.79	चल रही है
33.	टंगला-भेरगांव रोड	0.65	0.00	0.29	-	चल रही है
34.	टंगला-दीमाकुची रोड	2.51	0.00	1.18	-	चल रही है
35.	उदालगुडी-खारूपेटिया रोड	3.12	0.00	0.00	3.12	चल रही है
36.	बारंगाजुली-खेराबाडी रोड	1.87	0.00	0.36	-	चल रही है
37.	नामती-मसाल पुर रोड नालबाडी	0.31	0.00	0.00	-	चल रही है
38.	टीहू-बारामा रोड नालबाडी	0.64	0.00	0.00	-	चल रही है
39.	कैथलकुच्ची-बारमा सुबनसाता रोड, नार्थकामरू	0.61	0.00	0.00	-	चल रही है
40.	बारपेटा बासबारी रोड, बारपेटा	0.27	0.24	0.00	-	चल रही है
41.	जागुन-खाररंग रोड (11 के एम)	3.04	-	-	1.50	चल रही है
42.	हटीगांव पर आर सी सी पुल4/1-बेटापाडा (1 संख्या)	1.54	-	-	1.00	चल रही है
43.	मंढाकाटा नार्थ गुवाहाटी रोड पर आरसीसी पुल (दो)	2.40	-	-	1.28	चल रही है
44.	एयर पोर्ट रोड के लिए अतिरिक्त सम्पर्क रोड पर आर सी सी पुल (दो)	1.73	-	-	1.24	चल रही है
45.	आर भी सी पुल सं. 2/2 नालबाडी जिला में हरीपुर संसारघाट रोड	2.26	-	-	1.26	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7
46.	आर सी सी पुल सं. 20/1-नालाबाडी जिला में नालाबाडी पल्ला रोड	1.44	-	-	0.74	चल रही हैं
47.	कारबी अंगलांग जिला में डी एल एच एस सड़क पर आर सी सी पुल सं. 42/5 एवं 74/1	1.43	-	-	0.73	चल रही हैं
48.	सिचर जल आपूर्ति	12.30	-	3.59	-	चल रही हैं
49.	हाफलांग जल आपूर्ति स्कीम	1.42	-	-	0.72	चल रही हैं
50.	बहुमंजिला सचिवालय परिसर का निर्माण	69.00	0.00	15.79	-	चल रही हैं
51.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय परिसर कोकराझार	5.00	0.00	2.50	0.00	चल रही हैं
52.	कामाख्या मंदिर का विकास	4.89	0.00	2.00	2.89	चल रही हैं
	कुल	391.63	39.15	65.41	89.28	

मणिपुर

1.	जनजाति गांवों का विद्युतीकरण	11.28	5.64	-	5.64	चल रही हैं
2.	एस डी एन डी-33 के वी डी सी लाईन लिमाखांग से इरोईसेम्बा	4.31	1.00	-	1.00	चल रही हैं
3.	लिमाखांग भारी ईंधन आधारित विद्युत परियोजना का परीक्षण	4.32	4.32	-	-	चल रही हैं
4.	(1) मणिपुर विधायी परिषद (2) मुख्य मंत्री सचिवालय परिषद और (3) स्पीकर का बंगला और एनेक्सी का रेस्टोरेशन	1.60	1.60	-	-	पूरी हो गई
5.	तोसेम में 33 के वी उप स्टेशन का निर्माण	2.54	-	0.76	-	चल रही हैं
6.	नोनी में 33/11 के वी उप स्टेशन का निर्माण	3.82	-	0.88	1.68	चल रही हैं
7.	तमई में 33/11 के वी उप स्टेशन का निर्माण	2.91	-	0.84	-	चल रही हैं
8.	मारम (जिला सेनापति) में 33/11 केवी 2×5 एम वी ए) उप स्टेशन का निर्माण	2.81	-	0.82	1.00	चल रही हैं
9.	सिंहहाट में 33/11 केवी, 2×5 एम वी ए उप स्टेशन का निर्माण	4.10	-	0.88	-	चल रही हैं
10.	रेंगपांग (जिलातामलेंग में 132/33 के वी उप स्टेशन की स्थापना	6.44	-	1.93	-	चल रही हैं

1	2	3	4	5	6	7
11.	एस टी एंड डी-33 के वी डी सी लाईन मोंगसंज्जई से खुमंगलम्पांक तक द्वारा कोगंबा	4.52	-	0.60	-	चल रही है
12.	एस टी एंड डी-33 के वी डी सी लाईन वांगगंग पोखपी से कोगंबा	0.60	-	0.60	-	बन्द कर दी गई
13.	चन्देल मुख्यालय और आस पास के क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	5.64	-	2.82	-	चल रही है
14.	खुग्गा बांध (खुग्गा नदी स्रोत) से चीराचन्द्रपुर शहर के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि जोन-III	8.15	-	1.26	-	चल रही है
15.	कोटे और लोक लाओ नदी स्रोतों से चीराचन्द्रपुर के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि जोन-I	14.17	-	7.08	-	चल रही है
16.	उखरूल जिला मुख्यालय के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	5.29	-	2.65	-	चल रही है
17.	सेनापति जिला मुख्यालय के लिए संयुक्त जल आपूर्ति	4.68	-	3.02	-	चल रही है
18.	तामेंग लांग जिला मुख्यालय के लिए संयुक्त जल आपूर्ति	4.70	-	2.33	-	चल रही है
19.	लानका नदी स्रोत (चुराचन्दर पुर) से बगंमुल पर मौजूदा उपचार संयंत्र का उन्नयन जॉन-II	1.08	-	0.52	-	चल रही है
20.	शिव पुरी खान में 2×1 एम वी ए उप स्टेशन	1.32	-	0.60	0.72	चल रही है
	कुल	94.28	12.56	27.59	10.04	
मेघालय						
1.	अनाजति गांवों का विद्युतीकरण	1.49	0.75	-	0.74	परियोजना पूरी हो गई
2.	समीट-माकनरीयो-मावलत रोड आदि के 0 से 9वें कि.मी. भाग में पासिंग स्थान उपलब्ध कराना	4.93	2.46	-	2.47	परियोजना पूरी हो गई
3.	मशीनुस्त नानचाऊ रोड की 4.75 मी. चौड़ाई की बीच की लेन में विद्यमान पेवमेंट चौड़ा करना, सुदृढ़ करना	7.32	3.66	-	-	चल रही है
4.	बागमारा महेशखोला रोड को सुदृढ़ करना (35 कि.मी. से 74 कि.मी. के कमजोर पेवमेंट को पक्का करना-अलग कि.मी.-15)	1.86	0.93	-	0.93	परियोजना पूरी हो गई
5.	मानगैप-मैरंग रोड (5वें से 24 कि.मी.) पर हार्ड क्रस्ट को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना	4.52	2.26	-	2.26	परियोजना पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7
6.	उप संचारण और वितरण स्कीम मेक्लस्य में विद्युत वितरण के मास्टर योजना	24.00	-	4.28	15.38	चल रही हैं
7.	उप संचारण और वितरण स्कीम टी.डी. स्कीम खेलरित में ट्रांसफार्मर चालू करना	1.64	-	0.80	-	चल रही हैं
8.	उप संचारण और वितरण स्कीम टी डी स्कीम खेलरित में ट्रांसफार्मर चालू करना नेहू में ट्रांसफार्मर चालू करना	2.00	-	2.00	-	परियोजना पूरी हो गई
9.	जोवई जल आपूर्ति स्कीम	15.41	-	0.30	4.00	चल रही हैं
10.	तुरा चरण III जल आपूर्ति परियोजना	21.58	-	0.70	8.00	चल रही हैं
11.	माओफलांग में मार्किट का उन्नयन	1.90	-	0.63	-	चल रही हैं
12.	सरसुजई से बिर्नीहाट तक 132 के वी डी लाईन का निर्माण	9.78	-	-	5.00	चल रही हैं
	कुल	96.43	10.06	8.71	38.78	
मिजोरम						
1.	लंगलेई में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल	7.62	2.00	-	3.62	चल रही हैं
2.	बराबी में एच एफ ओ आधारित 20 एम डब्ल्यू डी जी थर्मल प्लांट	87.29	15.42	42.97	28.90	चल रही हैं
3.	लई स्वायत्त जिला परिषद के लिए बी ए डी पी निधियां का आबंटन	1.00	0.50	0.50	-	परियोजना पूरी हो गई
4.	माध्यमिक विद्यालयों की सुधार परियोजना	12.48	6.24	6.24	-	परियोजना पूरी हो गई
5.	6 जनजातियों गांवों का विद्युतीकरण	0.68	0.34	-	0.34	परियोजना पूरी हो गई
6.	सिविल अस्पताल आईजोल में बाह्यरंग रोगी विभाग ब्लाक का निर्माण	3.71	-	0.22	-	चल रही हैं
7.	थर्मल पावर प्लांट बैराबी से विद्युत निकासना	4.56	-	2.28	1.28	चल रही हैं
8.	उप संचारण और विद्युत लाईनें लुंगलई शहर	8.30	-	2.00	6.30	परियोजना पूरी हो गई
9.	बंगकान से डर्टलैंड रोड का सुधार और चौड़ा करना	6.81	-	0.22	6.59	परियोजना पूरी हो गई
10.	सिविल अस्पताल आईजोल में 6 बिस्तर का आई सी यू	1.42	-	0.61	0.81	परियोजना पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7
11.	मिजोरम विश्वविद्यालय का अवस्थापन विकास (अतिरिक्त)	23.26	-	-	4.59	चल रही है
12.	बांस प्लान्टेशन के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्लाट नं ए डब्ल्यू सरजाल साईफल/सेतला 18 कि.मी.	5.82	-	-	2.50	चल रही है
13.	बांस प्लान्टेशन के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्लाट नं बी दुरलुई सईरम और दुरलई मुआलखांग	6.17	-	-	3.00	चल रही है
14.	चांगटे नदी पर पुल (पी से सी) लई और चकमा ए डी सी	2.55	-	-	1.25	चल रही है
15.	डीलटलांग से चांगटे रोड (लई ए डी सी) पर चांगटेलुई नदी पर पुल	2.03	-	-	1.00	चल रही है
16.	होलावंग बिलपुई छीपर रोड पर वनवा नदी पर पुल	1.46	-	-	0.80	चल रही है
17.	तुई पंग जांगलोग छहलू रोड मारा एडीसी नदी पर पुल	1.14	-	-	0.60	चल रही है
18.	चकमा स्वायत्त जिला परिषद में चंगटे बोरा पंसरी रोड	10.46	-	-	4.00	चल रही है
19.	लई एडी सी में वारटेककई द्वारा लंगटीअंग मामटे रोड	26.65	-	-	6.00	चल रही है
20.	ग्रेटर मिमिट जल आपूर्ति स्कीम	5.77	-	-	2.26	चल रही है
21.	मार्किट भवन का निर्माण-बाजार बैंग मार्किट हनथोयल	0.77	-	-	0.77	चल रही है
22.	मार्किट भवन का निर्माण-बैचल मार्किट छम्पफई	0.34	-	-	0.34	चल रही है
23.	मार्किट भवन का निर्माण-बंगकांग मार्किट आईजोल	0.45	-	-	0.35	चल रही है
24.	मार्किट भवन का निर्माण-चानमारी मार्किट हनथोयल	0.27	-	-	0.27	चल रही है
25.	मार्किट भवन का निर्माण-डावरकान मार्किट सरछीप	0.95	-	-	0.95	चल रही है
26.	मार्किट भवन का निर्माण-मिमिट मार्किट मिमिट	0.41	-	-	0.41	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7
27.	मार्किट भवन का निर्माण-प्रशासन को सुदृढ़ करना	0.34	-	-	-	0.04चल रही हैं
28.	मार्किट भवन का निर्माण-तनहरीस रामरीकांग मार्किट आईजोल	0.36	-	-	0.36	चल रही हैं
29.	राज्य राजधानी परियोजना आईजोल	5.18	-	-	5.18	चल रही हैं
30.	मार्किट भवन का निर्माण बंगलाकान मार्किट कोलासीब	0.25	-	-	0.25	चल रही हैं
	कुल	228.50	24.50	55.04	82.76	चल रही हैं
नागालैण्ड						
1.	पुंगलवा कोहिमा में सैनिक स्कूल	14.07	-	-	2.81	चल रही हैं
2.	राज्य रेफरल हस्पताल दीमापुर	3.00	3.00	0.00	-	चल रही हैं
3.	नागालैंड के जिला हस्पतालों का उन्नयन	14.40	-	-	5.12	चल रही हैं
4.	राज्य रेफरल हस्पताल दीमापुर का पुनरर्धन	35.62	-	-	17.24	चल रही हैं
5.	दीमापुर में धनिरी नदी से बचान	5.11	2.50	2.60	-	पूरी हो गई
6.	झोही लघु सिंचाई परियोजना	1.06	1.06	0.00	-	पूरी हो गई
7.	मोकांग चुंग में खेल हाल का निर्माण	1.94	-	0.25	-	चल रही हैं
8.	4 जनजाति गांमों का विद्युतीकरण	0.70	0.35	0.00	0.35	पूरी हो गई
9.	एसटी एंड डी-10 सं. अतिरिक्त 500 केवीए 11/0.4 केवीएस/एस	0.71	-	0.71	-	पूरी हो गई
10.	एसटी एंड डी-21 सं. अतिरिक्त 200 केवीए 11/0.4 के वी एस/एस	0.94	-	0.94	-	पूरी हो गई
11.	एसटी एंड डी-33 के वी प्रस्तावित लाइनें-गनेश नगर जालुकी	1.05	-	0.00	1.05	चल रही हैं
12.	एसटी एंड डी-33 के वी प्रस्तावित लाइनें नागार्जन मेथा कालोनी	0.19	-	0.19	-	पूरी हो गई
13.	एसटी एंड डी-33 के वी प्रस्तावित लाइनें नागार्जन पावर हाऊस	0.19	-	0.19	-	चल रही हैं
14.	एसटी एंड-33 के वी प्रस्तावित लाइनें निटोफार्म न्यूलैड	0.86	-	0.86	-	पूरी हो गई
15.	एसटी एंड डी-33 के वी प्रस्तावित लाइनें पावर हाऊस मैथा कालोनी	0.19	-	0.19	-	चल रही हैं

1	2	3	4	5	6	7
	एसटी एंड डी-33 के वी प्रस्तावित लाइनें पावर हाऊस पुराना बाजार में	0.28	-	0.28	-	चल रही हैं
17.	एसटी एंड डी-33/11 केवी प्रस्तावित उप स्टेशन-1×1 एमवीए, निहोखु में	0.22	-	0.22	-	चल रही हैं
18.	एसटी एंड डी-33/11 केवी प्रस्तावित उप स्टेशन-1×1 एम वी ए निटोपमर्म	0.22	-	0.00	0.22	चल रही हैं
19.	एसटी एंड डी-33/11 केवी प्रस्तावित उप स्टेशन-मेक्का कालोनी में अतिरिक्त 2×5 एम वी ए	2.01	-	2.01	-	चल रही हैं
20.	एसटी एंड डी-33/11 केवी प्रस्तावित उप स्टेशन 2×5 पावर हाऊस में अतिरिक्त एमवीए	1.65	-	1.65	-	चल रही हैं
21.	एसटी एंड डी-33/11 के वी प्रस्तावित उप स्टेशन जालुकी में 1×1 एमवीए	0.21	-	0.00	0.21	चल रही हैं
22.	एसटी एंड डी-33/11 के वी प्रस्तावित उप स्टेशन 1×1.6 एमवीए न्यूलैंड में	0.23	-	0.23	-	चल रही हैं
23.	एसटी एंड डी-24-100 केवीए को 250 केवी 11/0.4 केवी उप स्टेशन में बदलना	0.74	-	0.74	-	पूरी हो गई
24.	एसटी एंड डी-ओ एच लाईन को भूमिगत लाईन में बदलना	3.90	-	0.59	3.31	चल रही हैं
25.	एसटी एंड डी-कडक्टर साइज का उन्नयन 11 के वी कडक्टर को मिंक और हरे में	0.73	-	0.73	-	चल रही हैं
26.	एसटी एंड डी-एल टी कडक्टर को आक आंट और ए ए सी आस्टर द्वारा	1.02	-	1.02	-	चल रही हैं
27.	23एम डब्ल्यू एचएफओ थर्मल पावर प्लांट दीमापुर	32.00	-	-	18.86	चल रही हैं
28.	मोकोंक चुंग में उप संचारण सिस्टम	6.99	-	3.50	3.49	पूरी हो गई
29.	दीमापुर से गणेश नगर रोड	12.12	-	2.00	-	चल रही हैं
30.	अवाई तोहुक, 14 केएम	6.53	1.50	0.00	2.00	चल रही हैं
31.	तोहुक चौन मुख्यालय चैन लेसोवांगटी 49 के एम	12.20	-	-	2.00	चल रही हैं

1	2	3	4	5	6	7
32.	तोहक चैन खओं वागटी 31 के एम	9.89	1.00	-	-	चल रही हैं
33.	खिपायर अहमदोर सुखानी रोड (तुएनसांग सेमिनार रोड)	16.27	0.00	1.00	-	चल रही हैं
34.	कौपसवर पुंगरो रोड (तुएनसांग सेमिनार रोड)	29.00	1.00	0.00	12.20	चल रही हैं
35.	लम्बांग सिंग से फोमेंहौंग द्वारा चंगबू ई ए सी एच क्यू (मांन सेमिनार रोड)	8.78	0.00	0.60	-	चल रही हैं
36.	मोन नामटोला रोड (मोन सेमिनार रोड)	9.58	1.00	0.41	-	चल रही हैं
37.	डीकूचारे रोड पर हेमिलटन पुल को बदलना	1.60	-	0.40	-	चल रही हैं
38.	टंग-जंक्शन से चैन मोड़ो रोड मोन सेमिनार रोड सेमिनार रोड	15.54	1.50	2.00	2.68	चल रही हैं
39.	मोन और छुई गांवों के लिए जल आपूर्ति स्कीम	3.92	0.00	0.00	1.50	चल रही हैं
	कुल	255.66	12.91	23.31	73.04	
सिक्किम						
1.	(भूमि कटाव रोधी कार्य-6) सरचोक झोरा और स्कूल झोरा लाचुंग एन/सिक्किम पर जे टी डब्ल्यू	0.97	0.45	0.52	-	पूरी हो गई
2.	(भूमि कटाव रोधी कार्य-6) स्कूल परिसर और सिगांरिम लाचुंग एन सिक्किम में लाचुंग चू नदी पर आर टी डब्ल्यू	1.00	0.95	0.05	-	पूरी हो गई
3.	(भूमि कटाव रोधी कार्य-6) आर्मी परिसर लाचुंग 3, सिक्किम के नीचे लाचुंग चूनदी पर आर टी डब्लूय	0.97	0.70	0.27	-	पूरी हो गई
4.	(भूमि कटाव रोधी कार्य-6) फारेस्ट रेस्ट हाऊस के नीचे लाचुंग चू नदी पर आर टी डब्ल्यू एन सिक्किम	0.94	0.50	0.44	-	पूरी हो गई
5.	(भूमि कटाव रोधी कार्य-6) लाचुंग बाजार के नीचे लाचुंग नदी पर आर टी डब्ल्यू एन सिक्किम	0.90	0.20	0.70	-	पूरी हो गई
6.	(भूमि कटाव रोधी कार्य-6) सरचोक के नीचे लाचुंग नदी पर आर टी डब्ल्यू नार्थ सिक्किम	0.71	0.20	0.51	-	पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7
7.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) रंगली खक्कर और खोला के साथ आर टी डब्ल्यू पू सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
8.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) श्री बदमा हटीडंगा क्षेत्र पर ए ई डब्ल्यू और पी डब्ल्यू प. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
9.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) दोजक स्लिप टिनकिटन पर ए ई डब्ल्यू और पी डब्ल्यू प. सिक्किम	0.40	0.20	0.00	0.20	पूरी हो गई
10.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) नामचे शोटक पर एन ई डब्ल्यू और पी डब्ल्यू नार्थ सिक्किम	0.40	0.20	0.00	0.20	पूरी हो गई
11.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) नामचे बरमोक पर चिरीबोटी स्लिप पर ए ई डब्ल्यू और पी डब्ल्यू, प सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
12.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) लेपडांग तासी डिंग पर एईडब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू प. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
13.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) निया ब्रम स्लिप पर एईडब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू, द. सिक्किम	0.26	0.13	0.00	0.13	पूरी हो गई
14.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) पारखा स्लिप पर एईडब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू, पू. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
15.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) रोबक के पास रंगडगं स्लिप पर एईडब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू द. सिक्किम	0.40	0.20	0.00	0.20	पूरी हो गई
16.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) सिलीली स्लिप चिलखोला और रोरंग स्लिप पर एईडब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू, प. सिक्किम	0.50	0.25	0.00	0.25	पूरी हो गई
17.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) 11वें मील बी पी रोड पर टिंगली रमेंग पर एईडब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू, द. सिक्किम	0.50	0.20	0.00	0.25	पूरी हो गई
18.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) तुक्कओर खोहेरी स्लिप पर एएईडब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू द. सिक्किम	0.40	0.20	0.00	0.20	पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7
19.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) लाचिंग स्लिप थोकसम पर एंड्डब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
20.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) बोजोधारी पूर्वी सिक्किम पर जे टी डब्ल्यू	0.30	0.15	0.15	-	पूरी हो गई
21.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) टडाग लफटन झोरा पर जे टी डब्ल्यू, पू. सिक्किम	0.50	0.25	0.25	-	पूरी हो गई
22.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) टरपिन रीनाक क्षेत्र पर जे टी डब्ल्यू और ए ई डब्ल्यू पू. सिक्किम	0.30	0.15	0.15	-	पूरी हो गई
23.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) चदमारी क्षेत्र में जे टी डब्ल्यू, पू. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
24.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) गोसखान झोरा नामची चरण 2 पर जेटी, डब्ल्यू द. सक्किम	0.50	0.25	0.00	0.25	पूरी हो गई
25.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) बाजार क्षेत्र के नीचे लाचेन जे टी डब्ल्यू उ. सिक्किम	0.30	0.15	0.00	0.15	पूरी हो गई
26.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) मलगचगं रंका पर जे टी डब्ल्यू, पू. सिक्किम	0.30	0.15	0.15	-	पूरी हो गई
27.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) रफांग खोला मगान पर जे टी डब्ल्यू, उ. सिक्किम	0.30	0.15	0.00	0.15	पूरी हो गई
28.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) सिगीथांगझोरा नामची पर जे टी डब्ल्यू द. सिक्किम	0.24	0.12	0.00	0.12	पूरी हो गई
29.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) कुमरेग स्लाइड के नीचे आर टी डब्ल्यू एवं ए ई डब्ल्यू पू. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
30.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) अंधेरी खोला के साथ आर टी.डब्ल्यू. एवं पी डब्ल्यू, पू. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
31.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) पेलंग डेंटम पर कालेज खोला के साथ आर टी डब्ल्यू प. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7
32.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) चिचिरे के पास रंगीत नदी के साथ आर टी डब्ल्यू द. सिक्किम	0.40	0.20	0.00	0.20	पूरी हो गई
33.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) रानी खोला के साथ-साथ आर टी डब्ल्यू पू. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
34.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) सिरवानी के नी तोस्ता नदी के साथ-साथ आर टी डब्ल्यू पू. सिक्किम	0.50	0.25	0.25	-	पूरी हो गई
35.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) फिडंग डोजगू तोस्ता नदी के साथ-साथ आर टी डब्ल्यू उ. सिक्किम	0.40	0.20	0.00	0.20	पूरी हो गई
36.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) सेटी खोला नाम टांग के साथ-साथ आर टी डब्ल्यू द. सिक्किम	0.20	0.10	0.00	0.10	पूरी हो गई
37.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) बेला खोला और थरे खोला के साथ-साथ आर टी डब्ल्यू पू. सिक्किम	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
38.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) रंग रंग खोला के साथ-साथ चांगे सेतीफर आर टी डब्ल्यू पू. सिक्किम	0.50	0.25	0.25	-	पूरी हो गई
39.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) डासडा फैक्टरी मानपुर के नीचे रगीट नदी पर आर टी डब्ल्यू द. सिक्कम	0.50	0.25	0.00	0.25	पूरी हो गई
40.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) रंगीत नदी के नीचे ग्यालशिंग प सिक्किम में आर टी डब्ल्यू	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
41.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) रिंगबांग सोरेंग प. सिक्किम में स्टील पुल के नीचे आर ओ डब्ल्यू चरण I	0.40	0.20	0.20	-	पूरी हो गई
42.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) रिंगबांग, सोरेप पर स्टील पुल के नीचे आर टी डब्ल्यू प. सिक्किम चरण II	0.50	0.25	0.25	-	पूरी हो गई
43.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) चोनोनपेरी के नीचे रंगपो खोला पर आर टी डब्ल्यू. पू. सिक्किम	0.50	0.25	0.25	-	पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7
44.	भूमि कटाव रोधी कार्य (37 कार्य) दबुआ दसवां मील मेली रोड के नीचे रंगित नदी पर आर टी डब्ल्यू, द. सिक्किम	0.30	0.15	0.00	0.15	पूरी हो गई
45.	पालजोर स्टेडियम का उन्नयन	15.36	4.50	6.46	4.39	चल रही है
46.	मेली पर 132/66 के वी उप स्टेशन के साथ रंगित से मेली तक 132 के वी एस/सी संचारण लाइन	28.17	5.00	8.04	12.00	चल रही है
47.	मेली में केन्द्रीकृत लोड डिस्पैच केन्द्र	8.49	0.00	1.49	3.00	चल रही है
48.	एस टी और डी-रेफरल अस्पताल के 1×5 एम वी ए, 66/11, के वी ट्रान्सफर द्वारा टडांग में उप स्टेशन में वृद्धि (50 लाख रु.)	0.50	0.50	0.00	-	पूरी हो गई
49.	एस टी और डी-बुलबले पर 2×10 एम वी ए उप स्टेशन का निर्माण और लोअर लागयम एच ई पी से बुलबले से सिक्ले तक 66 के वी डी सी लाइन खींचना	12.97	0.00	3.87	7.00	चल रही है
50.	एस टी और डी-गंगटोक में वी आई पी परिसर को विद्युत आपूर्ति (100 लाख रुपये)	1.00	1.00	0.00	-	पूरी हो गई
51.	म्यॉंग से चुगथंग तक 66 के वी एस/सी संचारण लाईन और चुंगथगं पर ट्रांसफारमर और मयंग में फीडर बे	6.84	-	-	1.50	चल रही है
52.	8 सड़के-कमुक डेन्टम रोड (19 कि.मी.) का कारपेटिंग	2.73	2.00	0.24	0.50	चल रही है
53.	8 सड़कें-स्किप वोक रोड का कारपेटिंग और स्किपवोक रोड पर रंगित नदी पर सस्पेंशन पुल का निर्माण	2.08	-	1.10	0.97	चल रही है
54.	8 सड़के-मामरिंग फोगला रोड (25 कि.मी.) का उन्नयन	2.35	0.00	1.06	1.29	चल रही है
55.	8 सड़के-रागोबला लेग स्लिप रोड का उन्नयन (18 कि.मी.)	2.34	1.00	0.54	0.80	पूरी हो गई
56.	8 सड़के टार्कु-राबोगला (जी एल बी सी) सड़क का उन्नयन (20 कि.मी.)	2.45	1.00	0.63	0.82	पूरी हो गई
57.	रूरल सस्पेंशन फुट पुल का निर्माण (35 नं.)	8.90	2.00	0.00	3.75	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7
58.	म्यासिंग सोरेन रोड (डेन्टम तक) पर तल सुधार/चौड़ा करना, कारपेटिंग और पुल बदलना: (क) पेलिंग डेन्टम रोड (20 किमी) और (ख) कालेज खोला पर विद्यमान बी बी लाल सस्पेंशन पुल को बदलना सिक्किम	12.51	-	-	1.64	चल रही है
59.	रोंगली जल आपूर्ति स्कीम में वृद्धि	1.68	-	0.56	1.12	चल रही है
60.	रंगित नदी से नामची तक पेयजल के लिए बहु स्तरीय पम्पिंग	9.01	-	0.80	-	चल रही है
61.	गंगटोक जल मल परियोजना का विस्तार चरण-I सिक्किम	2.96	-	0.93	2.03	चल रही है
62.	गंगटोक जल मल परियोजना का विस्तार चरण-II सिक्किम	7.00	-	0.26	3.50	चल रही है
63.	गियाल सिंह जल आपूर्ति स्कीम में वृद्धि	7.52	-	-	1.50	चल रही है
64.	डचेली श्मशान भूमि	1.09	-	0.42	0.45	चल रही है
	कुल	156.44	27.50	33.40	49.27	
त्रिपुरा						
1.	फर्नीचर की व्यवस्था के साथ 175 प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण	14.44	7.25	3.44	3.74	चल रही है
2.	25 अपर प्राईमरी स्कूलों की अवसंरचना का उन्नयन	3.69	1.85	0.00	1.49	चल रही है
3.	गोविन्द वल्लभ पंत हस्पताल अगरतला	8.88	5.00	0.00	3.00	चल रही है
4.	जनजाति गांव का विद्युतीकरण	1.44	0.72	0.00	0.00	चल रही है
5.	हालाहाली अम्बासा डांगाबाडी बिलोनिया रोड (173 कि.मी.) का उन्नयन	139.02	8.00	16.11	26.99	चल रही है
6.	धर्म नगर पेय जल आपूर्ति स्कीम	5.49	0.00	2.74	0.00	चल रही है
7.	तेलीमुरा के लिए पय जल आपूर्ति स्कीम	6.21	0.00	3.10	0.00	चल रही है
	कुल	179.17	22.82	25.39	35.22	

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का सेक्टरवार परिव्यय और व्यय

2001-02 के दौरान अनुमोदित परिव्यय और व्यय

क्र.सं.	सेक्टर	परिव्यय	व्यय
1.	कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रम	421.00	2.2411
2.	जल और विद्युत विकास	15884.00	154.0026
3.	उद्योग और खनन	480.00	2.6302
4.	परिवहन और संचार	18355.00	178.1310
5.	जनशक्ति विकास	3772.00	45.2058
6.	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	3543.00	29.9240
7.	सामान्य सेवाएं/वैज्ञानिक सेवाएं	1695.00	8.0862
8.	बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम	850.00	6.50
	कुल	45000.00	426.7209

स्रोत: एन.ई.सी. सचिवालय शिलांग

2002-03 एवं 2003-04 के दौरान अनुमोदित परिव्यय और व्यय

सेक्टर	2002-03		2003-04	
	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
कृषि और सम्बद्ध सेक्टर	11.12	10.5389	19.30	14.28
विद्युत, जल विकास और आर आर ई	54.16	53.86	24.25	24.46
उद्योग पर्यटन और खनिज	7.45	7.2417	8.60	7.96
परिवहन और संचार	264.4545	260.2141	335.58	336.83
चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र	68.1055	68.1055	61.10	57.11
जनशक्ति विकास	12.83	12.1336	14.07	17.63
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	8.50	8.50	11.00	20.10
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	19.90	17.8017	23.50	19.71
सूचना प्रचार और जनसम्पर्क	1.55	1.4674	0.90	0.59
मूल्यांकन और निगरानी कक्ष	1.93	1.65	1.70	1.18
कुल	450.00	441.5129	500.00	499.86

[अनुवाद]

'इण्डिया रिजर्व' बटालियनों का सृजन

1005. श्री ए. साई प्रतापः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 'इण्डिया रिजर्व' की 50 से अधिक बटालियनें सृजित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) इंडिया रिजर्व बटालियनों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अगले पांच वर्षों के लिए अपनी मांगें भेजें। 8 राज्यों ने अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियनों की अपनी मांग का आकलन भेजा है।

चंडीगढ़ को राज्य की राजधानी बनाना

1006. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ को पंजाब अथवा हरियाणा राज्य की राजधानी बनाने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या दोनों राज्यों के द्वारा अपनी-अपनी राजधानी बनाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ विलय किए जाने हेतु इसका द्विभाजन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) इस समय, चंडीगढ़ की संवैधानिक स्थिति बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। भारत सरकार चाहती है कि संबंधित राज्य सरकारें चंडीगढ़ में अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लें तथा वह मामले में मदद करने को तैयार है।

निर्धनों हेतु निःशुल्क शिक्षा

1007. श्री मोहन जेना: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "आल इंडिया एसोसिएशन फॉर एस सी/एस टी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमेंट" ने पूर्वी दिल्ली में निर्धनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क विद्यालय का संचालन करने हेतु भूमि आबंटन के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय और दिल्ली नगर निगम को स्पष्टीकरण दिया है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली नगर निगम द्वारा एसोसिएशन से दिनांक 18.7.2004 से आज की तिथि तक प्राप्त पत्रों के आधार पर उसे भूमि की उपलब्धता की सूचना का ब्यौरा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस एसोसिएशन को कब तक भूमि का आवंटन किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान। इस संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ था। तथापि, शिक्षण संस्थान चलाने के लिए दिल्ली नगर निगम निजी लोगों को भूमि का आबंटन नहीं करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

1008. श्री सूरज सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अग्निशमन सेवाओं के विकास/आधुनिकीकरण हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो जनसंख्या के आधार पर इन सेवाओं का विस्तार और विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आग लगने की घटनाओं में जान-माल की हुई क्षति का राज्यवार ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) नए अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण, अग्निशमन सेवाओं के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद और अग्निशमन कार्मिकों के प्रशिक्षण के जरिए अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करने के लिए राज्यों को निधियों का आवंटन करने हेतु बारहवें वित्त आयोग के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ये ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

सीमा-क्षेत्रों में बाड़ लगाना

1009. श्री सीताराम सिंह:
श्री एस. के. खारवेनथन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि एक सीमा क्षेत्र में राज्यवार कितने किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाई गई है;

(ख) इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) सीमा क्षेत्र में अभी भी राज्यवार कितने किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाया जाना बाकी है; और

(घ) बाड़ लगाने के कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सरकार ने भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ निर्माण का कार्य शुरू किया है। बाड़ निर्माण का कार्य पूरा होने के संभावित निर्धारित समय का राज्य-वार ब्योरा निम्नप्रकार है:

भारत-पाकिस्तान सीमा

राज्य का नाम	सीमा पर अभी तक लगाई जा चुकी बाड़ की लंबाई (कि.मी. में)	सीमा पर लगाई जाने वाली शेष बाड़ की लंबाई (कि.मी. में)	वर्ष, जिसमें कार्य पूरा हो जाने की आशा है।
पंजाब	457	कार्य पूरा कर लिया गया है	–
राजस्थान	1048	कार्य पूरा कर लिया गया है	–
जम्मू और कश्मीर	147*	33	2005
गुजरात	55	255	2005

*जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगा दी गई है।

भारत-बांग्लादेश सीमा

राज्य का नाम	सीमा पर अभी तक लगाई जा चुकी बाड़ की लंबाई (कि.मी. में)	सीमा पर लगाई जाने वाली शेष बाड़ की लंबाई (कि.मी. में)	वर्ष, जिसमें कार्य पूरा हो जाने की आशा है।
पश्चिम बंगाल	1039.63	488.37	2006
असम	153.29	70.52	2006
मेघालय	226.64	172.42	2006
त्रिपुरा	189.26	546.74	2006
मिजोरम	–	400.00	2007

[अनुवाद]

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक कोटा

1010. श्री अर्जुन सेठी:
श्री रामदास आठवले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक कोटा उपलब्ध कराने हेतु एक पैनल गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) इस समय धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में कोटा हेतु पैनल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति के साथ स्थायी समिति को 7 अगस्त, 2004 को पुर्नगठित किया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग अध्यादेश, 2004 के दिनांक 11.11.2004 के प्रख्यापन के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग की स्थापना की गई है जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य है।

समितियों/आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल है।

रसायनों और उर्वरकों की उत्पादन लागत

1011. श्री सुरेश कलमाड़ी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसायनों और उर्वरकों की उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी उत्पादन लागत से ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में रसायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत का पता लगाने का प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह अपने देश में कितना अधिक है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) उर्वरक की उत्पादन लागत प्रयुक्त फीडस्टॉक के प्रकार और फीडस्टॉफ के मूल्य पर निर्भर करती है। फीडस्टॉक की लागत यूरिया की उत्पादन लागत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया भर में यूरिया के उत्पादन में प्राकृतिक गैस सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला फीडस्टॉक है, लेकिन भारत में अनेक यूरिया संयंत्र नेफ्था, ईधन तेल और लो सल्फर हेवी स्टॉक (एलएसएचएस) का प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक गैस की तुलना में महंगे फीडस्टाक का मूल्य भी स्रोत और गंतव्य स्थान के आधार पर अलग-अलग देश में भिन्न भिन्न होता है। भारत में फीडस्टाक की लागत प्रमुख यूरिया निर्यातक देशों की तुलना में अधिक है। भारतीय उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी लागत मध्य पूर्व देशों में गैस की मूल कीमत जो सामान्यत: 1/एमएमबीटीयू अमेरिकी डालर अथवा 1/एमएमबीटीयू अमेरिकी डालर से कम होती है, की तुलना में लगभग 2.2-2.8/एमएमबीटीयू अमेरिकी डालर है। रूस में गैस का मूल्य लगभग 1-1.25/एमएमबीटीयू है। भारत में वैकल्पिक फीड/ईंधन की लागत कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में नेफ्था की सुपुर्दगी लागत लगभग 11-12/एमएमबीटीयू अमेरिकी डालर तथा ईंधन तेल की लागत लगभग 8/एमएमबीटीयू अमेरिकी डालर है। वर्तमान यूरिया इकाइयों के लिए बाजार में यूरिया के मूल्य से कम है।

अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में उर्वरकों की उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, साथ ही ये आंकड़े आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते हैं।

विश्वविद्यालयों को सहायता

1012. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर गुजरात में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की निगरानी कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें कोई अनियमितता पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की (राज्यवार) सूची विवरण में दी गई है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं में मानीटरिंग करने के लिए एक अंतर्निर्मित तंत्र है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 2003-2004 के दौरान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	6
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	दिल्ली	6
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	9
9.	हरियाणा	4
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और कश्मीर	3
12.	झारखंड	4
13.	कर्नाटक	11
14.	केरल	5
15.	मध्य प्रदेश	12
16.	महाराष्ट्र	13
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	1
20.	नागालैंड	1
21.	उड़ीसा	5
22.	पांडिचेरी	1
23.	पंजाब	6
24.	राजस्थान	9
25.	तमिलनाडु	14
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तर प्रदेश	21
28.	उत्तरांचल	4
29.	पश्चिम बंगाल	9

असम रायफल्स को कैंटीन सुविधा

1013. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम रायफल्स द्वारा सेना के समान कैंटीन (सी एस डी) सुविधाएं उपलब्ध कराने की लगातार की जा रही मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सेवारत और सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) इस पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सी एस डी) की सुविधाएं

रक्षा बलों के कार्मिकों को उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के लिए स्वीकार्य नहीं हैं। अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को ये सुविधाएं केवल तभी स्वीकार्य होती हैं जब वे सेना के परिचालन नियंत्रण के अधीन होते हैं। केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों को सी एस डी की सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय के परामर्श से विधिवत विचार किया गया था, परन्तु सीमित संसाधनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण ये सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं करायी जा सकीं। तथापि, कुछ अर्द्ध-सैनिक बलों ने अपने कार्मिकों को यूनिट स्तर पर वैसी ही सुविधाएं देने की व्यवस्था की है। कुछ बलों ने तो अपने सेवानिवृत कार्मिकों को भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करायी है।

पीजीसीएल द्वारा किया गया निवेश

1014. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विचार दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में 5000 करोड़ रुपये का निवेश करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे ऐसे कितने राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) इन राज्यों में विद्युत आपूर्ति में कितना सुधार होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गोवा तथा संघ शासित दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव राज्य आते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (पीजीसीआईएल) तथा समूचे क्षेत्र में विभिन्न पारेषण स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है। पीजीसीआईएल ने इसके साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली के सुधार हेतु कुछ स्कीमों की योजना भी बनाई है; आयोजना की गई स्कीमों के ब्यौरे, इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों के नामों सहित, विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ये पारेषण विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं ग्रिडको सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में बिजली को स्थानांतरित करने, पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्रों से आयातित बिजली के निर्गमन/परिक्षेपण, पश्चिमी क्षेत्रों में स्थापित उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की निकासी तथा लाभान्वित राज्यों को इसके निर्गमन में सुविधा की आयोजना करती हैं।

विवरण

क्र.स.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	लाभान्वित राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	सीपत-II अनुपूरक पारेषण प्रणाली	रु. 739 करोड़	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव
2.	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-II	रु. 30 करोड़	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव
3.	गंधार-II एवं कवास-II विद्युत परियोजना, पारेषण प्रणाली के सहयोग से	रु. 1100 करोड़	महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव
4.	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-II	रु. 4930 करोड़	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव
5.	पूर्व-पश्चिम सुदृढ़ीकरण स्कीम	रु. 690 करोड़	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद

1015. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद के निपटारे के लिए प्रधानमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन दो राज्यों के सीमा क्षेत्रों में व्याप्त तनाव को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार का यह मत है कि यह विवाद मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार विमर्श और आपसी सहमति से सुलझाया जाना है।

यूरिया की उत्पादन लागत

1016. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया की उत्पादन लागत में फीडस्टॉक, ऊर्जा और मजदूरी पूंजी का कितना योगदान है;

(ख) यूरिया की उत्पादन लागत पर बदलते फीडस्टॉक के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में और एक देश से दूसरे देश में भी यूरिया की प्रति टन ईंधन तेल की लागत स्थान-दर-स्थान बदलता है, जिससे उत्पादन की लागत अंतत: प्रभावित होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या अन्य देशों में उत्पाद के बजाए फीडस्टाक में राज सहायता दी जाती है जिससे उर्वरक सस्ता हो जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(छ) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के अंतर्गत यूरिया इकाइयों को दी जा रही रियायत दरें संबंधित समूहों के 31.3.2003 तक यूरिया इकाइयों के प्रतिधारण मूल्यों के औसत पर आधारित हैं। रियायत दरें समूह औसत पर आधारित मिश्रित आंकड़े हैं जिनमें लागत के सभी घटक शामिल हैं और इसमें फीडस्टाक, ऊर्जा, मजदूरी और पूंजी लागत का ब्योरा शामिल नहीं है।

(ख) वर्तमान यूरिया इकाइयां प्राकृतिक गैस, नेफ्था, ईंधन तेल, लो सल्फर हेवी स्टाक (एनएसएचएस) आदि विभिन्न प्रकार के फीडस्टाक का इस्तेमाल करती हैं। प्रयुक्त फीडस्टाक का संघटन भी उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर अलग-अलग होगा। नवीनतम अधिसूचित रियायत दरों के आधार पर यूरिया इकाइयों के विभिन्न समूहों की भारित औसत समूह रियायत दरें नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं:-

समूह	यूरिया की भारित औसत समूह रियायत दर (रुपए/मी. टन)
92-पूर्व गैस	5520
92-उपरांत गैस	7244
92-पूर्व नेफ्था	12823
92-उपरांत नेफ्था	11854
एफओ/एलएसएचएस	10999
मिश्रित फीड	8196
संपूर्ण भारित औसत	8591

(ग) और (घ) यूरिया की सभी उत्पादक इकाइयां यूरिया के उत्पादन के लिए ईंधन तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। ईंधन तेल की लागत इकाई की अवस्थिति, आपूर्ति के स्रोत और लागू करों और शुल्कों के आधार पर अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न होती हैं। तदनुसार, यूरिया की प्रतिटन ईंधन तेल की लागत में भिन्नता होगी। ईंधन तेल की लागत भी स्रोत और गंतव्य स्थान के आधार पर अलग-अलग देश में अलग-अलग होती है।

(ङ) और (च) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

जनगणना पत्रों का गायब होना

1017. श्री उदय सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनगणना आयुक्त के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से वर्ष 2001 की जनगणना रिपोर्ट की प्रतिलिपियां गायब है, जैसाकि दिनांक 9 सितम्बर, 2004 के 'दी स्टेटस्मैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) 6 सितम्बर, 2004 को धर्म से संबंधित रिपोर्ट की सीमित प्रतियां मुद्रित की गई थी। चूंकि संक्षिप्त विश्लेषण में धार्मिक समुदायों की वृद्धि दरों की गणना में त्रुटि हो गई थी इसलिए सभी प्रतियों को वितरित नहीं किया गया। रिपोर्ट में सही वृद्धि दरों के आंकड़ों को समाविष्ट करके इसे 9 सितम्बर, 2004 को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया।

[हिन्दी]

एरिया इन्टेंसिव स्कीम

1018. श्री फुरकान अंसारी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने एरिया इन्टेंसिव स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण और मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु धन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु आवश्यक धन को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्र गहन योजना तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ग) कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं है जिसके तहत निधियों को प्रदान किया जाना है। तथापि न्यूनतम समय में अथवा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर निधियां देने में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है यदि प्रस्ताव हर प्रकार से पूर्ण हैं और योजना के लिए सहायता अनुदान समिति के अनुमोदन के अधीन कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आधारभूत सुविधा संबंधी विकास	मदरसा आधुनिकीकरण	कुल (रु. लाख में)
1.	मध्य प्रदेश	-	449.29	449.28
2.	तमिलनाडु	-	0.72	0.72
3.	चंडीगढ़	-	0.72	0.72
4.	त्रिपुरा	-	45.72	45.72
5.	केरल	-	21.00	21.00
6.	कर्नाटक	-	23.61	23.61
7.	बिहार	-	1282.39	1282.39
8.	असम	-	301.68	301.68
9.	राजस्थान	370.00	-	370.00
10.	उत्तर प्रदेश	2502.69	-	2502.69

*क्रम सं. 1 से 4 तथा 10 पर उल्लिखित प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ये प्रस्ताव हर प्रकार से पूर्ण हैं और शेष प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन प्रस्तावों में कुछ सूचना नहीं दी गई है अथवा उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि लंबित रहने के कारण अपूर्ण है।

अल्पसंख्यक संस्थान

1019. श्री अजीत जोगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संचालित हो रहे तकनीकी और गैर-तकनीकी अल्पसंख्यक संस्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सरकार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में संचालित किए जा रहे तकनीकी तथा गैर-तकनीकी संस्थानों का धर्मवार ब्यौरा नहीं रखती है। तथापि, इस विभाग द्वारा संचालित 'क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम' नामक केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा स्वैच्छिक संगठनों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई जाती है:-

1. जहां कहीं भी आवश्यकता महसूस हो तथा स्कूल मैपिंग अभ्यास के आधार पर व्यवहार्य हो नए प्राथमिक/उच्च विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
2. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक आधारभूत सुविधाओं तथा भौतिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।
3. लड़कियों के लिए बहु-विषयक उच्चतर माध्यमिक आवासीय स्कूल खोलना जहां शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी तथा व्यावसायिक विषय पढ़ाएं जाएंगे।

[अनुवाद]

विद्युत बंटवारे पर समझौता

1020. श्री परसुराम माझी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राज्यीय पन-विद्युत परियोजनाओं के बंटवारे पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच किए गए समझौतों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत बंटवारे संबंधी इन समझौतों की समीक्षा करने हेतु इन राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के बीच अपनी चार अंत:राज्यीय जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत के बंटवारे पर हुए समझौतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. मचकुंद जल विद्युत परियोजना (3 × 17 मे.वा. + 3 × 23 मे.वा. = 120 मे.वा.) :

* मचकुंद एफई (संयुक्त) आंध्र प्रदेश सरकार (तत्कालीन मद्रास) और उड़ीसा सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। परियोजना को 14.1.1945 को उड़ीसा और तत्कालीन मद्रास राज्य द्वारा अंत: राज्यीय समझौते के अनुसार क्रियान्वित किया गया।
* परियोजना की पूंजीगत लागत को 70:30 अनुपात में बांटा गया और इसे आंध्र प्रदेश द्वारा क्रियान्वित किया गया तथा इसका अनुरक्षण एपीजेनको द्वारा किया जा रहा है (पूर्ववर्ति एपीएसईबी)।
* प्रतिवर्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण की लागत का विभाजन दोनों सरकारों द्वारा किसी वर्ष में उपयोग की गई अधिकतम बिजली के अनुपात में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार को दुदूमा फॉल्स पर विकसित विद्युत तथा प्रत्येक चरण में विकसित विद्युत का 50% उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है।
* उड़ीसा सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख से 99 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को अपने 20% विद्युत हिस्से को हस्तांतरित कर दिया।
* उपयुक्त 20% विद्युत हस्तांतरण के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्युतगृह में दर्ज अधिकतम मांग के अनुसार मचकुंद के 20% विद्युत पर 20 रुपये प्रति किलोवाट की दर से भुगतान कर रहा है।
* 30 वर्षों के बाद इस भुगतान में दोनों सरकारों द्वारा परस्पर सहमति से संशोधन किया जा सकता है।
* 99 वर्ष के पश्चात् उड़ीसा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार को अवमूल्यन पश्चात् पूंजीगत लागत के समानुपाती हिस्से का भुगतान कर अपने 20% हिस्से को वापस ले सकता है।

अनुपूरक समझौता

* आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों द्वारा 15 दिसंबर, 1978 को हैदराबाद में निष्पन्न समझौता 1 अप्रैल, 1979 को लागू हो गया।
* इस समझौते के अंतर्गत आंध्र प्रदेश द्वारा उड़ीसा को दी जाने वाली बिजली कुल उत्पादित बिजली की 20% तक होगी। किसी भी हालत में उड़ीसा द्वारा आहरित

किया जाने वाला विद्युत वर्ष के दौरान मचकुंद में तैयार विद्युत में से इसके 30% के हिस्से समेत 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

* उड़ीसा 30% से अधिक तथा उत्पादित ऊर्जा के 50% से कम विद्युत आहरण करने पर 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से क्षतिपूर्ति करेगा।

* दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा मचकुंद विद्युतगृह के विद्युत उत्पादन में से अपने हिस्से से अधिक विद्युत आहरण करने पर इसका भुगतान दोनों राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा तय दर पर किया जाएगा।

* इस दर में मौजूदा केन्द्रीय आबकारी शुल्क शामिल नहीं है तथा भारत सरकार द्वारा लगाए गए ऐसे करों एवं देयताओं का भुगतान भी उड़ीसा करेगा।

2. बालीमेला डेम टो जल विद्युत परियोजना (2 × 30 मे.वा.): 10 जून, 1992 को बालीमेला डैम टो विद्युत गृह को क्रियान्वित करने के लिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच निष्पन्न समझौते के अनुसार परियोजना के लाभों को उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश द्वारा बराबर हिस्से में बांटने का प्रस्ताव है।

3. जलापूत डैम टो एचईपी (3 × 6 मे.वा. 18 मे.वा.): परियोजना के विद्युत लाभ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश द्वारा बराबर हिस्सों में बांटा जाना प्रस्तावित है।

4. लोअर मचकुंद (2 × 10 मे. वा. = 20 मे. वा.): परियोजना के विद्युत लाभ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश द्वारा बराबर हिस्सों में बांटा जाना प्रस्तावित है।

(ख) जी नहीं। विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इन राज्यों से इनके विद्युत विभाजन समझौतों की समीक्षा करने के आशय को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हैं। किन्तु ऐसी सूचना है कि मचकुंद एचईपी में उड़ीसा के 20% हिस्से की पुनर्बहाली से संबंधित कुछ मामले दोनों राज्यों के बीच विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मानवाधिकार संबंधी लेखों हेतु पुरस्कार

1021. श्री कैलाश मेघवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संबंधी लेखों हेतु पुरस्कार देने की कोई योजना तैयार की है अथवा प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यह पुरस्कार किस भाषा-वर्ग में देने की योजना बनाई गई है; और

(घ) अब तक कितने लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने वर्ष 1998 में "हिन्दी में मानवाधिकार पर सृजनात्मक लेखन के लिए पुरस्कार योजना" नामक एक पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकार के विभिन्न विषयों पर हिन्दी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करना और देश में मानवाधिकारों के बारे में और अधिक जागरुकता पैदा करने में सहायता करना है। दूसरी भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी में लिखी गई कृतियों का हिन्दी अनुवाद संबंधी कार्य करने के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी लेखक जो भारतीय नागरिक हो यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र है। यह पुरस्कार केवल मूल कृतियों या हिन्दी भाषा में उनके अनुवाद के लिए ही दिया जाता है। इस योजना के तहत अब तक सत्रह लेखकों को पुरष्कृत किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ध्वज

1022. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से व्यक्तिगत और राजनैतिक लाभ हेतु तिरंगे के उपयोग और तिरस्कार को रोकने हेतु व्यापक राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा है;

(ग) क्या सरकार ने ध्वज-संहिता को अंतिम रुप प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रुप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता

1023. श्री मोहन रावले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं अक्तूबर, 2004 तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य केन्द्रीय शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने स्कूलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्जी स्कूल अपने आपको देश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त बता कर जनता को धोखा दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने स्कूल प्रबंधनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय स्तर पर तीन परीक्षा बोर्ड है अर्थात केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद (सी.आई.एस.सी.ई.) तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एन.आई.ओ.एस.), जो स्कूलों की सम्बद्धता/ मान्यता प्रदान करते हैं। अक्तूबर, 2004 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या इस प्रकार है:-

	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तूबर, 2004 तक
सी.बी.एस.ई (जुलाई-जून)	841	1016	1063	191
सी.आई.एस.सी.ई. (अप्रैल-मार्च)	115	135	97	97
एन.आई.ओ.एस. (अगस्त-जुलाई)	569	779	364	176

(ख) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार गैर-सम्बद्ध स्कूलों द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नाम उपयोग करने से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोषी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करता है और उनकी सम्बद्धता की स्थिति को स्थानीय समाचार-पत्रों में अधिसूचित करता है। पिछले तीन वर्षों से ऐसे 21 स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ऐसे मामलों की संख्या की एक राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

स्कूलों का वर्षवार विवरण (गैर-संबद्ध स्कूल जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है)

वर्ष	मामलों की संख्या	राज्य	
1	2	3	
2001-02	07	हरियाणा	02
		पश्चिम बंगाल	01
		मध्य प्रदेश	01
		दिल्ली	02
		बिहार	01
2002-03	03	बिहार	02
		पश्चिम बंगाल	01
2003-04	07	उत्तर प्रदेश	01
		हरियाणा	02
		गुजरात	01
		मध्य प्रदेश	01
		राजस्थान	01
		पंजाब	01
2004-05	04	चंडीगढ़	01
		उत्तर प्रदेश	03
कुल	21		

[अनुवाद]

एस.सी.एफ. को एस.सी.ओ. में बदलना

1024. श्री पवन कुमार बंसल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य चण्डीगढ़ प्रशासन ने दुकान-सह-फ्लैट (एस सी एफ) को दुकान-सह-कार्यालय (एस सी ओ) में बदलने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्कीम का ब्यौरा क्या है और कुल कितने दुकान-सह-फ्लैटों पर यह योजना लागू होती है तथा निर्माण में कितना परिवर्तन करने की अनुमति है और इसका परिवर्त्तन-प्रभार कितना है;

(ग) ऐसे परिवर्तन हेतु आवेदन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे परिवर्तन के पश्चात् ऐसे परिसरों का गेस्ट हाऊस, लोज, रेस्तरां आदि के रूप में प्रयोग किया जा सकता हैं;

(ङ) यदि हां, तो द्वितीय तल को आवास योग्य बनाने के लिए 9 फुट तक ऊंचा करने की अनुमति नहीं देने के क्या कारण हैं;

(च) शहर में विभिन्न श्रेणियों के भवनों की स्वीकार्य कुल ऊंचाई कितनी है;

(छ) क्या प्रशासन ने जगह के अधिकतम उपयोग हेतु सभी वाणिज्यिक भवनों की ऊंचाई 35 फुट करने की इच्छा का विचार किया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह योजना सामान्य प्रकृति की है और यह विशेष रुप से दुकान-सह-फ्लैट (एस.सी.एफ.)/शापिंग केन्द्र की किसी पंक्ति विशेष पर लागू नहीं है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

1. कि स्थल (साइट) पर निर्मित इमारत की प्रथम और द्वितीय मंजिल को कार्यालय के प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किए जाने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित परिवर्तन प्रभारों का भुगतान किया जाए।
2. कि जिस अंतरिती (ट्रांसफरी) को दुकान-सह-फ्लैट हस्तांतरित किया गया हो वही इस परिवर्तन के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।
3. कि भवन की प्रथम एवं द्वितीय मंजिल के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था दुकान-सह-कार्यालय के लिए निर्धारित वास्तुशिल्पीय नियंत्रकों के अनुसार दुकान के सामने से की जाएगी। अन्यथा अंतरिती (ट्रांसफरी) सीढ़ियों और अन्य आंतरिक परिवर्तनों की प्रस्तावित पोजीशनों को दर्शाते हुए संशोधित योजनाएं प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामलों में परिवर्तन संशोधित योजनाओं की मंजूरी मिलने पर ही प्रभावी होगा।
4. इमारत के बाहरी अग्रभाग में कोई बदलाव या किसी भी प्रकार के अतिरिक्त निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2000/- रु. प्रति वर्ग गज के परिवर्तन प्रभार की अदायगी करके दुकान-सह-फ्लैट को दुकान-सह-कार्यालय में परिवर्तित किया जा सकता है।

(ग) अभी तक 20 आवेदकों ने ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन किया है जिनमें से 17 को अनुमति दे दी गई है।

(घ) दुकान-सह-कार्यालय की ऊपरी मंजिलों को कतिपय शर्तों के साथ इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल में लाने की अनुमति दी जाती है।

(ङ) प्रशासन की शहरी और वास्तुशिल्पीय नियंत्रण समीक्षा समिति ने इस मामले पर विचार किया है इस कारण इसे न्यायसंगत नहीं पाया कि विभिन्न वास्तुशिल्पीय नियंत्रकों में निर्धारित मौजूदा ऊंचाई के भीतर 3 मंजिलों के निर्माण की व्यवस्था भवन नियम/भवन उप-नियमों में पहले से ही मौजूद है।

(च) विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए शहर में अनुमत्य कुल ऊंचाई व्यावसायिक भवनों के मामले में शापिंग केन्द्र विशेष के लिए प्रयोजनीय वास्तुशिल्पीय, नियंत्रणों के अनुसार बदलती है और शर्त यह है कि एक ही पंक्ति में सभी स्थलों की ऊंचाई एक समान हो। आवासीय, संस्थागत और व्यवसायिक भवनों के मामले में अधिकतम ऊंचाई वह होगी जो फ्रेम कंट्रोल/वास्तुशिल्पीय नियंत्रण/जोनिंग प्लान में विनिर्दिष्ट की गई हो।

(छ) और (ज) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ङ) में पहले ही बताया गया है, प्रशासन और वास्तुशिल्पीय नियंत्रण समीक्षा समिति ने, जिसने मुद्दे पर विचार किया था, ऊंचाई बढ़ाना न्यायोचित नहीं समझा। इसके अतिरिक्त, क्योंकि शहर (फेस-1 सेक्टर) के अधिकांश वी 4 सेक्टर बाजार पूरी तरह विकसित हैं और स्थल विशेष की

समग्र ऊंचाई में किसी भी प्रकार की छूट देने से एक समान स्ट्रीट की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह शहर की मूलभूत वास्तुशिल्पीय विशेषता के भी प्रतिकूल होगा जहां पर पांक्तिबद्ध दुकानों की योजना बनाई गई है और गगनचुंबी इमारतें सीधी और समान ऊंचाई वाली हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया ठेका

1025. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण पश्चिम दिल्ली में द्वारका उप-नगर में मधुविहार से डाबड़ी क्रासिंग तक नाली को ढकने के लिए कुछ निजी पार्टियों को ठेका दिया था; और

(ख) यदि हां तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह ठेका किस तारीख को दिया गया था और परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि आर डी 6184 से 3841 कर (लगभग चेनेज) के बीच द्वारका में मधु विहार से डाबरी क्रासिंग तक नाले को ढकने तथा इस स्टेन्डर्ड क्रास सेक्शन के अनुसार 45 मीटर मार्गाधिकार सड़क के निर्माण का ठेका 22.10.2000 को दिया गया था। नाले के ऊपर इस सड़क के एक वाहन मार्ग को मार्च, 2005 तक पूरा किया जाना है तथा दूसरे वाहन मार्ग को मार्च, 2006 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

अवैध ढांचों एवं अतिक्रमण को हटाना

1026. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अवैध ढांचों के निर्माण तथा नये अतिक्रमणों को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट कदम उठाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बारे में तथा अतिक्रमणों एवं अनधिकृत ढांचों को हटाने में असफल रहे अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने उनसे अवैध ढांचों तथा अतिक्रमणों की रोकथाम के लिए विशेष उपाय करने के लिए कहा है। इस संबंध में डीडीए द्वारा किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. डीडीए से संबंधित भूमि की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से सूचीबद्ध करना।
2. रिकार्ड के लिए डीडीए से संबंधित अतिक्रमित/खाली भूमि की विडियोग्राफी करना।
3. अतिक्रमण हटाने के बाद खाली भूमि पर बाड़ करना।
4. डीडीए भूमि की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना।
5. भूमि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कार्मिकों की सूची मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गई है।

विशिष्ट मामलों में उचित जांच और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके अतिक्रमण और अनधिकृत ढांचों की रोकथाम में असफल रहे अथवा असफल रहने वाले कार्मिकों की जवाबदेही और जिम्मेदारी डीडीए द्वारा समय-समय पर तय की जाती है।

[अनुवाद]

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा क्षेत्रीय योजना 2001 तैयार किया जाना

1027. श्री रामसेवक सिंह:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दिल्ली पर जनसंख्या का बोझ कम करने हेतु वर्ष 1989 में तैयार की गयी "क्षेत्रीय योजना, 2001" के बारे में स्थिति रिपोर्ट क्या हैं;

(ख) उपरोक्त योजना में प्रस्तावित दिल्ली के आबादी भार को अपनी और खींचने वाले पांच क्षेत्रों यथा पटियाला (पंजाब), हिसार (हरियाणा), बरेली (उत्तर प्रदेश), ग्वालियर (मध्य प्रदेश) और कोटा (राजस्थान) को विकसित करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट क्या है;

(ग) उपरोक्त योजना हेतु वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है;

(घ) क्या सरकार का विचार मैगनेट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्वालियर, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थायें और सरकारी कार्यालय स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आज की तिथि के अनुसार कितनी संस्थाओं को भूमि/भूखंड आबंटित किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) ने यह सूचित किया है कि क्षेत्रीय योजना-2001 मे प्राथमिकता आधार पर विकास के लिए 6 दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र नगरों तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों की पहचान की गई है। इस योजना में पर्याप्त अवस्थापना और सेवाओं का प्रावधान करके इन केन्द्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ताकि संभावित बाहर जा रही आबादी को बाहर जाने से हतोत्साहित किया जा सके तथा दिल्ली की सीमा में रह रहे प्रवासियों को आकर्षित किया जा सके और उन्हें खपाया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता और सेवाएं संबंधित राज्य सरकारों तथा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों की चुनिन्दा परियोजनाओं के लिए ऋण के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना का विकास भी करता है। बोर्ड ने नवंबर, 2004 तक 6810.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तथा 3458.28 करोड़ रुपये के कुल ऋण घटक पर रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोगों तथा परिवहन सुविधाओं, विद्युत, सड़कों, पुलों आदि परियोजनाओं में सुधार लाने हेतु 183 अवस्थापना विकास परियोजनाएं अनुमोदित की है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना का विकास करता है। पटियाला, हिसार, बरेली, ग्वालियर और कोटा पांच काउन्टर मेग्नेट क्षेत्रों के विकास संबंधी ब्यौरा, जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण सहायता प्रदान की है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर सहित काउन्टर मेग्नेट क्षेत्रों में विख्यात संस्थान और सरकारी कार्यालय स्थापित करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लिया जाता है।

विवरण

काउंटर मेग्नेट क्षेत्र में नगरों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत	एनसीआरपीबी द्वारा स्वीकृत/प्रदत्त ऋण	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	व्यय (सितंबर, 04 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	एकीकृत नगर क्षेत्र का विकास, ग्वालियर (म.प्र.)	40.00	31.00 (31.00)	9.00	47.79*
2.	132 के वी ए सब-स्टेशन, ग्वालियर (म.प्र.)	16.00	12.00(12.00)	4.00	16.48
3.	6 लेन एरियल रोड का निर्माण, ग्वालियर	48.00	36.00(36.00)	12.00	42.48
4.	एकीकृत विकास स्कीम, श्रीनाथपुरम, कोटा (राजस्थान)	35.71	2.00(2.00)	33.71	9.37
5.	युआईटी/आर एच बी/मेडिकल कालेज की नई निर्मित कालोनियों में पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्य फीडर	6.83	3.70(0.00)	3.13	0.00
6.	सेक्ट सिंह टिकरी वाला नगर और करहारी फार्म शहरी संपदा का विस्तार, फेज-III, पटियाला पंजाब	18.78	1.00(1.00)	17.78	4.40**

1	2	3	4	5	6
7.	पटियाला में जल आपूर्ति का विस्तार एवं वृद्धि करना, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन	59.93	44.95(18.11)	14.98	17.71
8.	एकीकृत नगर क्षेत्र विकास परियोजना, पटियाला, पंजाब	66.24	49.68(28.80)	16.56	31.16
9.	रिहायशी और परिवहन नगर स्कीम, बरेली	339.31	20.00(20.00)	319.31	91.83
10.	जल आपूर्ति की वृद्धि और विकास तथा सीवरेज स्कीम, हिसार, हरियाणा	15.93	11.95(2.20)	3.98	1.51

राज्य सरकार द्वारा वहन की गई भूमि लागत में वृद्धि हो जाने के कारण परियोजना की अतिरिक्त लागत।
*राज्य सरकार द्वारा कार्य के विचारार्थ विषय में परिवर्तन के साथ।

[अनुवाद]

ग्राम सभा भूमि से अतिक्रमण हटाना

1028. श्री विजय कृष्ण: क्या **शहरी विकास मंत्री** 13.3.2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 2274 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ग्राम सभा की भूमि से वारंट प्राप्त किये बिना/तामिल किये बिना कितने अतिक्रमणों को हटाया गया?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उर्जा क्षेत्र के कार्यकरण की समीक्षा

1029. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऊर्जा क्षेत्र के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समीक्षा से किसी का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार ने कमियों को दूर करने तथा ऊर्जा क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) विद्युत क्षेत्र के कार्य प्रणाली की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। विद्युत की कमियां, उच्च कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीसी) हानियों के कारण यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति और टैरिफ ढांचे में असंतुलन आदि प्रमुख समस्याएं हैं।

विद्युत क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10वीं योजना में 41,110 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गयी है। रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के सुधार के संबंध में राज्यों के साथ करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनमें सहमति वाले सुधार कार्य के एजेंडें पर राज्यों द्वारा संतोषजनक प्रगति किए जाने पर उन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता देने की परिकल्पना है। राज्यों को त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत निधियां अन्य के साथ-साथ तकनीकी हानियां कम करने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने, अनुदान के जरिए प्रोत्साहन प्रदान करने और नकद हानियों में कमी करने आदी के लिए अभिज्ञात वितरण क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रदान की जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय रा.वि. बोर्डों के विगत के ऋणों को त्रिपक्षीय करारों के अंतर्गत प्रत्याभूत कर दिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए उदार ढांचा तैयार करने के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति उद्योग के विभिन्न घटकों में प्रवेश की बाधाओं को कम करता है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने और क्रमिक रूप से क्षमता सुधार का अनुमान है। इससें विद्युत चोरी को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों की भी व्यवस्था है।

उत्पादन कंपनियों/यूटिलिटियों तथा उपभोक्ताओं समेत सभी स्टेकहोल्डरों के पारदर्शी तरीके से विचार जानने के पश्चात् विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार राज्य विनियामक आयोग द्वारा फुटकर बिक्री के लिए टैरिफ निर्धारित की जाती है।

शरणार्थियों की स्थिति पर समझौता

1030. श्री पी. मोहन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में दूसरे देशों से शरणार्थियों का आना अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो देश में शरण पा रहे विदेशी शरणार्थियों की स्थिति के संबंध में 1951 के सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में शरण पा रहे विदेशी शरणार्थियों की देश-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003 में पंजीकृत शरणार्थियों की संख्या में 5,556 शरणार्थियों की वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि मुख्य रुप से पहले से पंजीकृत शरणार्थियों के उन बच्चों के पंजीकरण के कारण हुई है जो वयस्क हो गए हैं। केवल कुछ ही अतिरिक्त शरणार्थी आए हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत शरणार्थियों का राष्ट्र-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है;

(1) श्रीलंका के शरणार्थियों को उनके वापस जाने तक राहत सहायता प्रदान की जाती है; और

(2) महामहिम दलाई लामा के साथ जो शरणार्थी 1959 में भारत आये थे उनके पुनर्वास का काम पूरा हो गया है।

विवरण

31.12.2003 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत शरणार्थियों (देश-वार) की संख्या (पाकिस्तान शरणार्थियों को छोड़कर)

देश	पंजीकृत शरणार्थियों की संख्या
1	2
अफगानिस्तान	12,250
बांग्लादेश	1,363
चीन	2
ईरान	25
ईराक	3
मलेशिया	2
म्यांमार	725
सोमालिया	55
श्रीलंका	59,862
राज्यविहीन	56,690
राज्य विहीन (हजोंग/चकमा)	37,591
जोड़	1,68,568

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं में परिवर्तन

1031. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अनुसूचित जन जातियों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं को सामूहिक रूप से लाभकारी बनाकर उनमें व्यापक परिवर्तन करने के लिए बल दे रही है;

(ख) यदि हां, तो योजनाएं कौन-कौन सी है;

(ग) इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में चयनित जिलों/क्षेत्रों के नाम क्या है; और

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान इन योजनाओं पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) मंत्रालय की योजनाएं दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में शून्य आधारित बजट पर आधारित थी और इसके परिणामस्वरूप जनजातीय उपयोजना के विशेष केन्द्रीय सहायता और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन भी निधियों की निर्मुक्ति और उपयोग हेतु दिशानिर्देशों में व्यापक परिवर्तन किए गए। संशोधित दिशानिर्देशों में समुदाय आधारित

आय सृजन गतिविधियों और जनजातिय क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना के सृजन पर बल गया है।

(ग) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता 21 जनजातीय राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को उपलब्ध कराई गई है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान सभी जनजातीय उपयोजना राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, और नागालैंड को दिया गया है।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन 497.00 करोड़ रुपये तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन 330.00 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय प्रस्तावित है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

1032. श्री संतोष गंगवार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पुन: बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गया है। तथापि, इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय लिए आने के संबंध में कोई निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को अभी पूरा किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश के लंबित ऊर्जा प्रस्ताव

1033. श्री सुरेश चन्देल: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश के विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा परियोजना प्रस्तावों के ब्यौरे, जिन्हें मंत्रालय के अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त किया गया है, विवरण में दिए गए हैं। राज्य से स्पष्टीकरण/संशोधित प्रस्तावों के प्राप्त होने पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और तकनीकी-अर्थिक व्यहार्यता, संबंधित कार्यक्रमों में निहित प्रावधानों के अनुसार शर्तों को पूरा करने तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाएगी।

विवरण

विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत मंत्रालय में प्राप्त हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	प्रस्ताव
1	2
1. दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण	
1.	जिला चम्बा की पांगी घाटी में साच गांव के लिए 900 कि.वा. की लघु पनबिजली परियोजना
2.	जिला किन्नौर में कुन्नू-छरंग के लिए 500 कि.वा. की लघु पनबिजली परियोजना
3.	जिला लाहोल एवं स्पीति में 3 लघु पनबिजली परियोजना अर्थात् सिस्सु में 2×400 कि.वा. बिलिंग में 2×200 कि.वा. सन्सा में 2×200 कि.वा.
4.	चम्बा जिले में पांगी घाटी में सायचू के लिए 200 कि.वा. की लघु पनबिजली परियोजना
2. लघु पनबिजली	
5.	बागरोड-सिद्धत, जिला कांगड़ा में 1100 कि.वा. की लघु पनबिजली परियोजना
6.	सराहन, शिमला में 30 कि.वा. की लघु पनबिजली परियोजना

1	2
3. सौर तापीय	
7.	शिमला में एक सौर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव
4. ऊर्जा पार्क	
8.	लिंगथी, जिला लाहौल एवं स्पीति में एक जिला स्तरीय ऊर्जा पार्क का प्रस्ताव
9.	पांडोह, जिला मंडी में एक राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क का प्रस्ताव

[अनुवाद]

बायो-डीजल संयंत्र

1034. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने बायो-डीजल संयंत्र हैं;

(ख) बायो-डीजल उत्पादन के संबंध में देश में क्या तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या बायो-डीजल अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक उपयोगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके उत्पादन एवं प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए कोई नियमित वाणिज्यिक संयंत्र नहीं है। तथापि गुजरात ओलियो कैमि. लिमि. जिला भरोच और लुबरीजोल इंडिया लिमि. बम्बई ने मांग आधार पर बायोडीजल उत्पादन करने हेतु बताया है।

(ख) अन्य के साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून, इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) (आरएंडडी), फरीदाबाद तथा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीसीई), दिल्ली इस समय बायोडीजल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थान बायोडीजल के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने में भी समर्थ हो सकते हैं।

(ग) और (घ) बायोडीजल को स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में समझा जाता है जिसमें पेट्रोलियम डीजल ईंधन के समान गुण हैं और विद्यमान इंजिनों में बिना किसी संशोधन के 20% तक बायोडीजल में मिश्रित किया जा सकता है। बायोडीजल से उत्सर्जन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के आक्साइड पेट्रोलियम डीजल ईंधन की तुलना में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त बायोडिजल अक्षय, अविषाक्त और बायोडिग्रेडेबल है। उत्पादन और ऑटोमोटिव क्षेत्र में डीजल के साथ मिश्रण के रुप में बायोडीजल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने बायोडीजल पर एक राष्ट्रीय मिशन का गठन किया है जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयारी के अंतर्गत है और जनवरी, 2005 तक इस मिशन के शुरू होने की आशा की जाती है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बायोडीजल के उत्पादन और प्रयोग पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीय कोटा

1035. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) ने अपने द्वारा आबंटित की जाने वाली भूमि में अनिवासी भारतीय कोटा शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके साथ कोई निबंधन एवं शर्तें जोड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेना अधिनियम

1036. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री खारबेल स्वाईं:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री बची सिंह रावत 'बचदा':
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सुरेश कलमाडी:
प्रो. एम. रामदास:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मणिपुर में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम को हटाने की मांग करने वाले गुटों के नेताओं से बातचीत शुरु की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) मणिपुर से "अपुन्बा लुप" नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 1 नवम्बर, 2004 को प्रधानमंत्री से और 2 नवम्बर, 2004 को गृह मंत्री मिला।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को निरस्त करने के लिए अपनी मांग को दोहराया।

(ग) सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है और उसे अपनी रिपोर्ट छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। असम राइफल्स द्वारा कांगला फोर्ट को खाली कर दिया गया है और राष्ट्रीय विरासत के रुप में उसके विकास के लिए उसे राज्य सरकार को सौंप दिया है। सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के विरुद्ध समन्वित अभियान चलाने के लिए राज्य में एक एकीकृत मुख्यालय की भी स्थापना की गई है।

रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन

1037. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक के सामाजिक संगठनों तथा जन प्रतिनिधियों से "सासूल रेलवे स्टेशन" का नाम "थारालाबालू रेलवे स्टेशन" करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) "सासलू रेलवे स्टेशन" का नाम बदलकर "थारालाबालर रेलवे स्टेशन" करने के संबंध में कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

समेकित बाल विकास योजना

1038. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसका आशय सभी प्रकार के शोषणों से बच्चों को मुक्त कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का उद्देश्य पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ सेवाओं, शाला-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा आदि की समेकित सेवाएं प्रदान करके वंचित वर्गों के बच्चों (0-6 वर्ष), तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं का सर्वांगीण विकास करना है। इस समय यह स्कीम देश भर की 5652 परियोजनाओं में स्वीकृत है, जिनमें से 5274 परियोजनाएं दिनांक 31.8.2004 तक की स्थिति के अनुसार परिचालित हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 6.74 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 456.11 लाख लाभार्थियों, जिनमें लगभग 379.94 लाख बच्चे (0-6 वर्ष) तथा लगभग 76.17 लाख गर्भवती एवं शिशुवती माताएं शामिल हैं, को सेवाएं प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.4.2004 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दिया था कि 30.6.2004 तक सभी स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों को परिचालित किया जाए। दिनांक 7.10.2004 के अपने अगले आदेश में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्देश दोहराया कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं/केन्द्रों को पूर्णत: परिचालित किया जाए। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सभी स्वीकृत परियोजनाओं एवं केन्द्रों को परिचालित करें।

औषधियों का मूल्य

1039. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्लाइपेजिड तथा डेवस्ट्रोप्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड आधारित संपाकों का मूल्य क्या निर्धारित किया है;

(ख) क्या इस संपाक की मूल्य, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के द्वारा क्रियान्वित की जा चुकी है तथा अभी भी इसके उत्पादकों को राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का संरक्षण प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनपीपीए के उत्पादकों तथा अधिकारियों के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एनपीपीए) सूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य संशोधित/निर्धारित करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और मूल्यों के संशोधन/निर्धारण की अधिसूचनाएं सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाती हैं। उपलब्ध अभिलेखों और ग्लाइपेजिड तथा डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड के सूत्रयोगों के प्रमुख विनिर्माताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार डीपीसीओ, 1995 के उपबंधों के अनुरूप कीमतों का अनुपालन किया जा रहा है। इन औषधों पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतों में कोई उल्लंघन अब तक एन पी पी ए की जानकारी में नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

1040. श्री ब्रजेश पाठक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु अनुमति दी गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत तथा खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 101 केन्द्रीय विद्यालय (सिविल/रक्षा परियोजना क्षेत्र) खोलने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदन दिया गया था। इन स्थानों के नाम विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) अनुमोदित 101 स्कूलों में से वर्ष 2003-03 से 2004-05 (विवरण-II में 99 केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए आदेश जारी किए गए थे। परंतु 86 केन्द्रीय विद्यालय कार्य करना आरंभ कर चुके हैं तथा शेष 13 केन्द्रीय विद्यालयों ने (विवरण-III संबंधित जिला प्रशासन से अपेक्षित अस्थायी भवन और बुनियादी सुविधाएं न मिलने के कारण कार्य करना आरंभ नहीं किया है। 2 केन्द्रीय विद्यालय अर्थात् एक बिजनौर (उत्तर प्रदेश) तथा इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में खोलने के आदेश उपर्युक्त कारणों से जारी नहीं किए जा सके।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान संस्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों के नामों को दर्शाने वाली सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	राज्य	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	सैज (कुल्लू)	हिमाचल प्रदेश	परियोजना
2.	रोइंग	अरुणाचल	सिविल
3.	आई आई टी, गुवाहाटी	असम	सिविल
4.	बारपेटा	असम	सिविल
5.	डिब्रूगढ़	असम	सिविल
6.	लखीमपुर	असम	सिविल
7.	मांगलदोई	असम	सिविल
8.	आर आर एल जोरहाट	असम	सिविल
9.	बक्सर	बिहार	सिविल
10.	बेतिया	बिहार	सिविल
11.	हाजीपुर	बिहार	सिविल
12.	मशरख	बिहार	सिविल
13.	मोतिहारी	बिहार	सिविल

1	2	3	4
14.	रायपुर नं. 2	छत्तीसगढ़	सिविल
15.	जशपुर	छत्तीसगढ़	सिविल
16.	बेलाडिला, दांतेवाड़ा	छत्तीसगढ़	सिविल
17.	दीव	दमन व दीव	सिविल
18.	सेक्टर 22, रोहिणी	दिल्ली	सिविल
19.	सेक्टर 25, रोहिणी	दिल्ली	सिविल
20.	द्वारका	दिल्ली	सिविल
21.	नरेला	दिल्ली	सिविल
22.	वसंतकुंज	दिल्ली	सिविल
23.	द्वारका	गुजरात	सिविल
24.	जैतपुर	गुजरात	सिविल
25.	नं. 3 फरीदाबाद	हरियाणा	सिविल
26.	नं. 2 गुड़गांव	हरियाणा	सिविल
27.	हरसिंहपुरा, करनाल	हरियाणा	सिविल
28.	आई टी बी पी, रेकोंगपिओ	हिमाचल प्रदेश	सिविल
29.	अनंतनाग	जम्मू व कश्मीर	सिविल
30.	पहलगांव	जम्मू व कश्मीर	सिविल
31.	जांस्कर	जम्मू व कश्मीर	सिविल
32.	कारगिल	जम्मू व कश्मीर	सिविल
33.	नूब्रा	जम्मू व कश्मीर	सिविल
34.	चुसूल	जम्मू व कश्मीर	सिविल
35.	हीरा नगर	जम्मू व कश्मीर	सिविल
36.	कठुआ	जम्मू व कश्मीर	सिविल
37.	बदरवाह	जम्मू व कश्मीर	सिविल
38.	चेनानी एट कुद	जम्मू व कश्मीर	सिविल
39.	धनबाद	झारखंड	सिविल
40.	सूर्दा, घाटशिला	झारखंड	सिविल
41.	एच ई सी रांची	झारखंड	सिविल
42.	कावारत्ती	लक्षद्वीप	सिविल
43.	नं. 3 भोपाल	मध्य प्रदेश	सिविल
44.	मांडला	मध्य प्रदेश	सिविल
45.	लुंगलेई	मिजोरम	सिविल
46.	नं. 4 भुवनेश्वर	उड़ीसा	सिविल
47.	बी एस एफ पोखरन	राजस्थान	सिविल
48.	रामेश्वरम	तमिलनाडु	सिविल
49.	भीमताल, नेनीताल	उत्तरांचल	सिविल
50.	कौसानी, अल्मोड़ा	उत्तरांचल	सिविल
51.	ग्वालदाम, चमौली	उत्तरांचल	सिविल
52.	ऋषिकेश, हरिद्वार	उत्तरांचल	सिविल
53.	पौड़ी गढ़वाल	उत्तरांचल	सिविल
54.	आई आई आई टी, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	सिविल
55.	रक्षा विहार, कानपुर	उत्तर प्रदेश	रक्षा
56.	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	रक्षा
57.	सी आर पी एफ लखनऊ	उत्तर प्रदेश	रक्षा
58.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	रक्षा
59.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	सिविल
60.	देवरिया	उत्तर प्रदेश	सिविल
61.	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	सिविल
62.	कुर्सियोंग	प. बंगाल	सिविल
63.	मोरवी	गुजरात	सिविल
64.	राजगढ़ी, जिला उत्तरकाशी	उत्तरांचल	सिविल
65.	गंगापुर सिटी	राजस्थान	सिविल
66.	गुलमर्ग (तनमार्ग)	जम्मू व कश्मीर	सिविल
67.	आगुतमुनि रूद्रप्रयाग	उत्तरांचल	सिविल

1	2	3	4
68.	सौरखंड, टिहरी	उत्तरांचल	सिविल
69.	गोपेश्वर, चमोली	उत्तरांचल	सिविल
70.	आई टी बी पी मिरथी, पिथौरागढ़	उत्तरांचल	सिविल
71.	लोहाघाट, चम्पावत	उत्तरांचल	सिविल
72.	करौली	राजस्थान	सिविल
73.	एडाकट्टूवायल	केरल	सिविल
74.	मदुरै नं 2	तमिलनाडु	सिविल
75.	रीवा नं. 2	मध्य प्रदेश	सिविल
76.	सागर नं. 3	मध्य प्रदेश	सिविल
77.	शाजापुर	मध्य प्रदेश	सिविल
78.	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	सिविल
79.	मुरादाबाद नं. 2	उत्तर प्रदेश	सिविल
80.	चांदपुर, बिजनौर	उत्तर प्रदेश	सिविल
81.	इंदिराप्वाइंट, कैम्पबैल बे	अंडमान व निकोबार द्वीप	सिविल
82.	म्याऊँ	अरूणाचल	सिविल
83.	नवादा	बिहार	सिविल
84.	छपरा	बिहार	सिविल
85.	गोपालगंज	बिहार	सिविल
86.	खोंसा	अरूणाचल प्रदेश	सिविल
87.	भूरकुण्डा	झारखंड	सिविल
88.	दरभंगा	बिहार	सिविल
89.	बरौनी	बिहार	सिविल
90.	रक्सौल जिला पूर्वी चम्पारन	बिहार	सिविल
91.	माधेपुरा	बिहार	सिविल
92.	पुर्णिया	बिहार	सिविल
93.	बांका	बिहार	सिविल
94.	पटना नं. 3	बिहार	सिविल
95.	आरा	बिहार	सिविल
96.	सिवान	बिहार	सिविल
97.	एस टी पी एस, सूरतगढ़	राजस्थान	परियोजना
98.	सुबनसीरी, धीमाजी	असम	परियोजना
99.	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	सिविल
100.	इंदिरापुरम, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	सिविल
101.	तेहरान	ईरान	सिविल (स्व वित्तपोषण के आधार पर)

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान संस्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों के नामों को दर्शाने वाली सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	राज्य	क्षेत्र
1	2	3	4
2002-03			
1.	सैंज (कुल्लू)	हिमाचल प्रदेश	परियोजना
2003-04			
1.	रोइंग	अरुणाचल	सिविल
2.	आई आई टी, गुवाहाटी	असम	सिविल
3.	बारपेटा	असम	सिविल
4.	डिब्रूगढ़	असम	सिविल
5.	लखीमपुर	असम	सिविल
6.	मांगलदोई	असम	सिविल
7.	आर आर एल जोरहाट	असम	सिविल
8.	बक्सर	बिहार	सिविल
9	बेतिया	बिहार	सिविल
10.	हाजीपुर	बिहार	सिविल
11.	मशरख	बिहार	सिविल

1	2	3	4
12.	मोतिहारी	बिहार	सिविल
13.	रायपुर नं. 2	छत्तीसगढ़	सिविल
14.	जशपुर	छत्तीसगढ़	सिविल
15.	बेलाडिला, दांतेवाड़ा	छत्तीसगढ़	सिविल
16.	दीव	दमन व दीव	सिविल
17.	सेक्टर 22, रोहिणी	दिल्ली	सिविल
18.	सेक्टर 25, रोहिणी	दिल्ली	सिविल
19.	द्वारका	दिल्ली	सिविल
20.	नरेला	दिल्ली	सिविल
21.	वसंतकुंज	दिल्ली	सिविल
22.	द्वारका	गुजरात	सिविल
23.	जैतपुर	गुजरात	सिविल
24.	नं. 3 फरीदाबाद	हरियाणा	सिविल
25.	नं. 2 गुड़गांव	हरियाणा	सिविल
26.	हरसिंहपुरा, करनाल	हरियाणा	सिविल
27.	आई टी बी पी, रेकोंगपिओ	हिमाचल प्रदेश	सिविल
28.	अनंतनाग	जम्मू व कश्मीर	सिविल
29.	पहलगांव	जम्मू व कश्मीर	सिविल
30.	जांस्कर	जम्मू व कश्मीर	सिविल
31.	कारगिल	जम्मू व कश्मीर	सिविल
32.	नूब्रा	जम्मू व कश्मीर	सिविल
33.	चुसूल	जम्मू व कश्मीर	सिविल
34.	हीरा नगर	जम्मू व कश्मीर	सिविल
35.	कठुआ	जम्मू व कश्मीर	सिविल
36.	बदरवाह	जम्मू व कश्मीर	सिविल
37.	चेनानी एट कुद	जम्मू व कश्मीर	सिविल
38.	धनबाद	झारखंड	सिविल
39.	सूर्दा, घाटशिला	झारखंड	सिविल
40.	एच ई सी रांची	झारखंड	सिविल
41.	कावारत्ती	लक्षद्वीप	सिविल
42.	नं. 3 भोपाल	मध्य प्रदेश	सिविल
43.	मांडला	मध्य प्रदेश	सिविल
44.	लुंगलेई	मिजोरम	सिविल
45.	नं. 4 भुवनेश्वर	उड़ीसा	सिविल
46.	बी एस एफ पोखरन	राजस्थान	सिविल
47.	रामेश्वरम	तमिलनाडु	सिविल
48.	भीमताल, नैनीताल	उत्तरांचल	सिविल
49.	कौसानी, अल्मोड़ा	उत्तरांचल	सिविल
50.	ग्वालदाम, चमौली	उत्तरांचल	सिविल
51.	ऋषिकेश, हरिद्वार	उत्तरांचल	सिविल
52.	पौड़ी गढ़वाल	उत्तरांचल	सिविल
53.	आई आई आई टी, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	सिविल
54.	रक्षा विहार, कानपुर	उत्तर प्रदेश	रक्षा
55.	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	रक्षा
56.	सी आर पी एफ लखनऊ	उत्तर प्रदेश	रक्षा
57.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	रक्षा
58.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	सिविल
59.	देवरिया	उत्तर प्रदेश	सिविल
60.	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	सिविल
61.	कुर्सियोंग	प. बंगाल	सिविल
62.	मोरवी	गुजरात	सिविल
63.	राजगढ़ी, जिला उत्तरकाशी	उत्तरांचल	सिविल
64.	गंगापुर सिटी	राजस्थान	सिविल
65.	एसटीपीएस, सूरतगढ़	राजस्थान	परियोजना
66.	सुबनसीरी, धीमाजी	असम	परियोजना

1	2	3	4
2004-05			
1.	गुलमर्ग (तनमार्ग)	जम्मू व कश्मीर	सिविल
2.	आगुतमुनि रूद्रप्रयाग	उत्तरांचल	सिविल
3	सौरखंड, टिहरी	उत्तरांचल	सिविल
4.	गोपेश्वर, चमोली	उत्तरांचल	सिविल
5.	आई टी बी पी मिरथी, पिथौरागढ़	उत्तरांचल	सिविल
6.	लोहाघाट, चम्पावत	उत्तरांचल	सिविल
7.	करौली	राजस्थान	सिविल
8.	एडाकट्टूवायल	केरल	सिविल
9.	मदुरै नं. 2	तमिलनाडु	सिविल
10.	रीवा नं. 2	मध्य प्रदेश	सिविल
11.	सागर नं. 3	मध्य प्रदेश	सिविल
12.	शाजापुर	मध्य प्रदेश	सिविल
13.	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	सिविल
14.	मुरादाबाद नं. 2	उत्तर प्रदेश	सिविल
15.	चांदपुर, बिजनौर	उत्तर प्रदेश	सिविल
16.	इंदिराप्वाइंट, कैम्पबैल बे	अंडमान व निकोबार द्वीप	सिविल
17.	म्याऊँ	अरूणाचल	सिविल
18.	नवादा	बिहार	सिविल
19.	छपरा	बिहार	सिविल
20.	गोपालगंज	बिहार	सिविल
21.	खोंसा	अरूणाचल प्रदेश	सिविल
22.	भूरकुण्डा	झारखंड	सिविल
23.	दरभंगा	बिहार	सिविल
24.	बरौनी	बिहार	सिविल
25.	रक्सौल जिला पूर्वी चम्पारन	बिहार	सिविल
26.	मधेपुरा	बिहार	सिविल
27.	पुर्णिया	बिहार	सिविल
28.	बांका	बिहार	सिविल
29.	पटना नं. 3	बिहार	सिविल
30.	आरा	बिहार	सिविल
31.	सिवान	बिहार	सिविल
32	तेहरान	ईरान	सिविल (स्व वित्तपोषण के आधार पर)

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान खोले गये उन केन्द्रीय विद्यालयों के नामों को दर्शाने वाली सूची जो कार्य नहीं कर रहे

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	राज्य	क्षेत्र
2002-03	-	-	-
2003-04			
1.	मोरवी	गुजरात	सिविल
2004-05			
2.	गोपेश्वर, चमोली	उत्तरांचल	सिविल
3.	इडाकट्टुवायल	तमिलनाडु	सिविल
4.	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	सिविल
5.	मुरादाबाद नं. 2	उत्तर प्रदेश	सिविल
6.	चांदपुर, बिजनौर	उत्तर प्रदेश	सिविल
7.	नवादा	बिहार	सिविल
8.	पटना नं. 3	बिहार	सिविल
9.	पुर्णिया	बिहार	सिविल
10.	आरा	बिहार	सिविल
11.	मधेपुरा	बिहार	सिविल
12.	रक्सौल	बिहार	सिविल
13.	इंदिरा प्वाइंट, कैम्पबैल बे	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सिविल

[अनुवाद]

आतंकवाद से निपटने के लिए कानून

1041. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आतंकवाद या देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली अन्य गतिविधियों से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गृह मंत्रालय ने अन्य विभागों के साथ कई बैठकें की थी तथा देश में साम्प्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए एक कानून तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा), 2002 को निरस्त किए जाने के परिणामस्वरूप और आतंकवाद, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति और विश्वव्यापी स्तर पर भी, गंभीर खतरा बना हुआ है, के विरुद्ध लड़ाई में समझौता न करने से सरकार के दृढ़ निश्चय को ध्यान में रखते हुए, विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया गया था ताकि विभिन्न स्वरूप के आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कतिपय उपबंधों को शामिल किया जा सके। इस संबंध में 21.9.2004 को एक अध्यादेश अर्थात् विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004 प्रख्यापित किया गया था।

(ख) से (घ) सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाए जाने हेतु एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस विधेयक पर व्यापक परामर्श के पश्चात् उसे आगामी बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

लाटरी की बिक्री

1042. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से केरल में कुछ राज्यों की लाटरी टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का अनुरोध किया है क्योंकि कतिपय राज्य सरकारों द्वारा आयोजित ये लाटरियां ठेकेदारों द्वारा इस बारे में केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर चलायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गए ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) केरल सरकार ने संघ सरकार से कतिपय राज्यों द्वारा आयोजित आन-लाइन/पेपर लाटरियों को निषिद्ध करने तथा केरल में इन लाटरी टिकटों की बिक्री को अस्थाई रूप से रोकने का अनुरोध किया था। केरल सरकार ने यह आरोप लगाया है कि लाटरियां (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करके ये लाटरियां आयोजित की जा रही हैं। यह मामला संबंधित राज्यों के साथ उठाया गया था और उन्होंने इन आरोपों का जोरदार ढंग से विरोध किया है। दूसरी ओर, एक राज्य ने तो केरल सरकार के केरल राज्य लाटरियां और आन-लाइन लाटरियां (विनियमन) नियम, 2003 के उपबन्धों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। संघ सरकार, शीर्ष न्यायालय के अभिनिर्णय की प्रतीक्षा कर रही है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी/गोदामों के भवनों का निर्माण

1043. श्री राजेन गोहेन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को जवाहर रोजगार योजना के चालीस प्रतिशत तथा अन्य शीर्षों से साठ प्रतिशत धनराशि आंगनबाड़ी केन्द्रों/गोदामों के भवनों के निर्माण पर खर्च करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आंगनबाड़ी केन्द्र और गोदामों के भवनों का देश के प्रत्येक राज्य में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य के जिलों में निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा गोदामों की संख्या कितनी है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ङ) आई.सी.डी.एस. स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि आंगनवाड़ियां चलाने के लिए भवन स्थानीय समुदाय द्वारा बिना किराया लिए प्रदान किए जाएंगे। जहां कहीं भी सार्वजनिक/सामुदायिक भवन (पंचायत घर, स्कूल भवन आदि) उपलब्ध हैं, वहां ऐसे भवनों का प्रयोग आंगनवाड़ी चलाने के लिए किया जा सकता है। जहां कोई सार्वजनिक भवन उपलब्ध नहीं है और स्थानीय समुदाय भी आंगनवाड़ी के लिए भवन उपलब्ध कराने में असमर्थ है, वहां उपयुक्त भवन किराए पर लेने का प्रावधान भी स्कीम में मौजूद है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 1990 में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए थे कि वे आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए धनराशि जवाहर रोजगार योजना जैसी रोजगार सृजन स्कीमों में से प्रदान करें।

विशेष मामले के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में निर्माण हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों की राज्य-वार संख्या विवरण-I में दर्शायी गई है। विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस.-III परियोजना में भी आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का प्रावधान है। निर्माण हेतु स्वीकृत ऐसे आंगनवाड़ी भवनों की राज्य-वार संख्या विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण-I

पूर्वोत्तर राज्यों में निर्माण हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	निर्माण हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	1520
2.	असम	11830
3.	मणिपुर	1970
4.	मेघालय	1090
5.	मिजोरम	640
6.	नागालैण्ड	1020
7.	त्रिपुरा	1800
8.	सिक्किम	130
	कुल	20,000

विवरण-II

विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजना के अंतर्गत निर्माण हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	निर्माण हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	4548
2.	राजस्थान	3333
3.	महाराष्ट्र	4453
4.	केरल	1600
5.	तमिलनाडु	82
6.	मध्य प्रदेश	1445
7.	छत्तीसगढ़	405
8.	बिहार	1430
9.	झारखण्ड	581
10.	उत्तरांचल	950
11.	उड़ीसा	1863
12.	गुजरात	800
13.	हरियाणा	408
14.	जम्मू व कश्मीर	425
15.	कर्नाटक	650
16.	पंजाब	500
17.	पश्चिम बंगाल	983
18.	आंध्र प्रदेश	8816
	कुल	33,272

[अनुवाद]

धर्माचार्य की गिरफ्तारी

1044. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव:
श्री के.पी. पलनिसामी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कांची शंकराचार्य श्री जयेन्द्र सरस्वती की गिरफ्तारी के बारे में तथ्य मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान। तमिलनाडु सरकार से तथ्य मंगाए गए थे।

(ख) तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, श्री वर्धराजा पेरुमल मंदिर, कांचीपुरम के प्रबंधक श्री शंकर रामन की हत्या के संबंध में विष्णु कांची पुलिस स्टेशन में 3.9.2004 को हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था और विशेष जांच दल द्वारा इसकी जांच शुरु की गई। जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से हत्या की साजिश में श्री जयेन्द्र सरस्वती स्वामीगल के लिप्त होने का पता चला। उन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस की सहायता से 11 नवम्बर, 2004 को 2200 बजे महबूबनगर जिले में महबूबनगर से गिरफ्तार किया गया था। जांच से यह भी पता चला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 324 और 307 के तहत चेन्नई सिटी ई 5 पट्टीनमपक्कम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य मामले में श्री जयेन्द्र सरस्वती स्वामीगल लिप्त थे जिसमें 20.9.2002 को श्री राधाकृष्णन उनकी पत्नी और उनके नौकर को जान से मारने का प्रयास किया गया था।

महाराष्ट्र द्वारा धनराशि का उपयोग

1045. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **शहरी विकास मंत्री** 28.4.2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 3945 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्संबंधी सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना के कब तक एकत्रित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ स्कीमों के संबंध में सूचना महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त होनी थी। यह अब प्राप्त हो गई है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण और सामंजस्य की आवश्यकता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण और सामंजस्य प्राप्त हो जाने के बाद संसदीय आश्वासन का उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

इस्पात संबंधी राष्ट्रीय नीति

1046. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने और मामले की जांच करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) सरकार द्वारा तैयार की गई मसौदा राष्ट्रीय नीति (एनएसपी) पर आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) द्वारा विचार किया गया था। इस समिति द्वारा इच्छा व्यक्त की गई कि मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति की जांच मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति द्वारा की जाए और जनता की राय प्राप्त करने के लिए इसे इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाए।

साइबर अपराध अनुसंधान विकास एकक

1047. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में साइबर अपराध अनुसंधान और विकास एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस कार्य में कुछ सहायता प्रदान कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश को इन एककों से मिलने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन राज्यों तथा विशेषकर आंध्र प्रदेश में उन स्थानों की पहचान की है जहां पर इन एककों के स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा में निवेश

1048. डा. एम. जगन्नाथ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा में और अधिक निवेश करने पर विचार कर रही है और उसने निगमित क्षेत्र से सहायता करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा संबंधी इस राष्ट्रीय मिशन के बारे में निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1980 (1992 में यथासंशोधित) में यह परिकल्पना की गई है कि "सामाजिक कार्यकर्ता समूह सहित गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयास को समुचित प्रबंधन के अधीन प्रोत्साहित किया जाएगा तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए स्थापित संस्थाओं की स्थापना रोकने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।" सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा पर सरकारी खर्च कल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% तक करने का वायदा किया गया है जिसमें से कम से कम आधी राशि चरणबद्ध ढंग से प्राथमिक एवं माध्यमिक क्षेत्र पर खर्च की जा रही है।

शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए व्यक्तियों एवं निगमों, केंद्र एवं राज्य सरकारों, अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों से दान/अंशदान/धर्मस्व राशि प्राप्त करने के लिए भारत शिक्षा कोष की पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापना की गई है।

यद्यपि प्राथमिक से लेकर उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा तक शिक्षा क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है तथापि, भारत शिक्षा कोष जैसी पहलों के प्रति प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं है।

दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों को नियमित करना

1049. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री के.एस. राव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत या उससे अधिक उद्योगों वाले क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को नियमित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय के कब तक लागू किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को नियमित करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस समय राजधानी में चल रही प्रदूषणकारी और गैर-प्रदूषणकारी इकाइयों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(च) प्रदूषणकारी/गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों का पता लगाने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(छ) क्या सरकार ने दिल्ली के वर्ष 2001 के मास्टर प्लान को संशोधित करने का भी निर्णय लिया है;

(ज) यदि हां, तो मास्टर प्लान में किये जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या कुछ योजनाकारों/वास्तुकारों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा क्या आशंकायें जतायी गयी हैं; और

(ट) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ट) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार ने दिनांक 4.11.2004 को दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11-क के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक सूचना जारी की है उसमें यह कहा है कि वह दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 में इस आशय का एक समर्थकारी प्रावधान शामिल करना चाहती है कि न्यूनतम 4 हेक्टेयर सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेंद्रण वाले गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लाट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। दिनांक 4.11.2004 की यह सार्वजनिक सूचना एक

विवरण के रूप में संलग्न है। जनता की आपत्तियां तथा सुझाव मांगने संबंधी सांविधिक प्रावधान का अनुपालन करके दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन किए जाते हैं और अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व इन आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जाता है।

विवरण

भारत का राजपत्र

असाधारण

सं. 963] *भाग-2-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)*

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 5, 2004/कार्तिक 14, 1926

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2004

का.आ. 1246(अ).-दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उन्हें इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकता है। आपत्ति अथवा सुझाव भेजने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी भिजवाएं।

उपांतरण

दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) ''समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र'' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है-

''न्यूनतम 4 हेक्टे. सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लाट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित भू-स्वामी एजेंसी/सोसाइटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो:

(i) इसमें कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रख-रखाव के लिए सोसाइटी का गठन अनिवार्य होगा।

(iii) केवल गैर-खतरनाक और गैर-हानिकर उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जाएगी।

(iv) परिसर स्तर पर फ्लोर एरिया और औद्योगिक गतिविधि 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(v) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे-

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाता है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध करायी जानी है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदीवारी के फ्रन्ट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी.) उपलब्ध कराया जाएगा।

* सी ई टी पी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार तथा निम्नलिखित की तैयारी के लिए कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

(i) पम्पिंग स्टेशनों, भण्डारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ii) दिल्ली नगर निगम मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(vi) पार्कों/ग्रीन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(vii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे:

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटस, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियां, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्चे पर किया जाएगा। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बन्द कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।''

[सं. के.13011/5/2000-डी डी आई बी]
एस. मुखर्जी, अवर सचिव

शरणार्थियों का पुनर्वास

1050. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार से अपर्याप्त सहायता मिलने के कारण राज्य में रह रहे शरणार्थियों के आधे अधूरे पुनर्वास से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर समस्या पैदा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके पुनर्वास हेतु जल्दी कार्यवाही करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए कालोनियों के आधारभूत ढांचे का विकास करने, भूमि का अधिग्रहण करने और आर्थिक सहायता देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से जुलाई, 2004 में 5010.60 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया गया था कि विस्थापित व्यक्तियों को समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है। उन्हें अब पूरी तरह से मुख्य धारा में जोड़ दिया गया है और अब वे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सामान्य विकास योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

भेषज क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया व्यय

1051. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य हेतु कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ भेषज उपक्रमों को रुग्ण घोषित करके उन्हें बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित दवाओं को अब विदेशी मुद्रा खर्च करके आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में दवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भेषजीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर एंड डी पर उनके द्वारा किए गए खर्च के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.

1999 से 2001-2002	1374 लाख रुपए
2002-2003 और 2003-04 (अनंतिम)	789 लाख रुपए

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.

2001-02	123.90 लाख रुपए
2002-03	114.11 लाख रुपए
2003-04 (अनंतिम)	120.00 लाख रुपए

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.

2000-01 और 2001-02	30.74 लाख रुपए
2002-03 और 2003-04	36.42 लाख रुपए

विभाग निजी क्षेत्र के भेषज सेक्टर द्वारा आर एंड डी पर किए गए खर्च के ब्यौरे को समेकित नहीं करता है।

(ख) सभी पांच पी एस यूज नामत: इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आईडीपीएल), बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल), स्मिथ स्टनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि. (एसएसपीएल), बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल) और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) बीआईएफआर को संदर्भित किए गए थे और रुग्ण घोषित किए गए थे। बीआईएल और एसएसपीएल बंद कर दिए गए हैं।

(ग) विद्यमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार कुछ रसायन जो आई टी सी (एचएस) के अध्याय 28 और 29 के अंतर्गत जो प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं, को छोड़कर अन्य सभी रसायन, पीएसयूज द्वारा विनिर्मित दवाइयों सहित आयात के लिए अनुमत्य हैं।

(घ) समय-समय पर यथा संशोधित औषध नीति में उचित कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता की औषधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली

1052. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू शैक्षिक सत्र के दौरान राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली शुरू की गई है;

(ख) क्या शाम वाली पाली में अधिक प्राइवेट छात्र दाखिल किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों विशेषकर केरल के विद्यालयों में दाखिले की भारी मांग तथा देश में के.वी.एस./ एन.वी.एस. में दाखिला पाने वाले छात्रों की भारी भीड़ के कारण एक अन्य पाली शुरू की है;

(ङ) क्या सरकार को दूसरी पाली में और कक्षाएं शुरू करने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है;

(च) यदि हां, तो क्या अगले शैक्षिक वर्ष में इस पर सकारात्मक रूप से विचार किये जाने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पाली के लिए दाखिले केन्द्रीय विद्यालय संगठन दाखिला दिशा-निर्देशों में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों के लिए प्राथमिकताओं के अनुसार किए जाते हैं।

(घ) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने पत्तोम, अट्टूर तथा केरल राज्य में केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 कालीकट में दूसरी पाली आरंभ की है।

(ङ) से (ज) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय विद्यालयों में, जब भी आवश्यक होगा, दूसरी पाली खोलने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

उन केन्द्रीय विद्यालयों के नामों की सूची जिनमें चालू शैक्षिक सत्र (2004-05) के दौरान दूसरी पाली संस्वीकृत की गई है

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	दिल्ली	1.	न्यू फ्रेंडस सेंटर
		2.	ए जी सी आर कालोनी
		3.	नं. 3 दिल्ली कैन्ट
		4.	ए एफ एस तुगलकाबाद
		5.	सेक्टर 8 आर.के. पुरम
		6.	एंड्रयूज गंज
		7.	पुष्प विहार
		8.	गोल मार्किट
		9.	विकासपुरी

1	2	3	4
		10.	जनकपुरी
		11.	दिल्ली कैंट नं. 1
		12.	दिल्ली कैंट नं. 2
		13.	सेक्टर 8 रोहिणी
		14.	द्वारका
		15.	लारेंस रोड
2.	कर्नाटक	1.	बेलगाम कैंट
3.	मध्य प्रदेश	1.	नं. 3. भोपाल
		2.	नं. 1 इंदौर
		3.	छिंदवाड़ा
4.	झारखंड	1.	हिनू रांची
5.	उड़ीसा	1.	नं. 1 भुवनेश्वर
6.	हरियाणा	1.	रोहतक
7.	चंडीगढ़	1.	सेक्टर-47 चंडीगढ़
8.	केरल	1.	पट्टोम, त्रिवेन्द्रम
		2.	नं. 1 कालीकट
		3.	अदूर
9.	उत्तरांचल	1.	आई आई पी देहरादून
10.	राजस्थान	1.	नं. 5 जयपुर
11.	उत्तर प्रदेश	1.	गोमती नगर
		2.	मनौरी, इलाहाबाद
		3.	नं. 2 चकेरी
		4.	नोएडा
		5.	वी.के.वी. गाजियाबाद
		6.	बलिया
12.	महाराष्ट्र	1.	ए एफ एस थाने
		2.	कोलीवाडा
		3.	9 बी आर डी पुणे
		4.	ओझर
		5.	औरंगाबाद
13.	बिहार	1.	कंकड़बाग, पटना
		2.	बेली रोड
		3.	दानापुर
		4.	मुजफ्फरपुर

कम्प्यूटर प्रणाली का विकास

1053. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला और बाल विकास विभाग ने कम्प्यूटर आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों, स्वीकृत परियोजना, नई योजनाओं, रिपोर्ट आदि की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। गैर-सरकारी संगठनों को सहायतानुदान, बजटीय आबंटनों एवं व्यय के विश्लेषण जैसे कतिपय कार्यकलापों/स्कीमों के प्रबोधन के लिए साफ्टवेयर पैकेजों को विकसित कर लिया गया है तथा उनका उपयोग किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

1054. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री जुएल ओराम:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के कारण (इस्पात संयंत्रवार) कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संयंत्रवार कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सभी विस्थापित व्यक्तियों का कब तक पुनर्वास कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य

1055. श्री मुनव्वर हसन:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री अधीर चौधरी:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ड्रग माफिया के नेटवर्क पर काबू पाने हेतु कोई योजना बनी रही है जैसाकि दिनांक 24 सितम्बर, 2004 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में दिए गए तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब दवाओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य लागू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर कब तक निर्णय लिए जाने तथा इसे लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) विभिन्न श्रेणियों की उन दवाओं के क्या नाम हैं जिनके डी पी सी ओ 1995 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य का उल्लंघन कर अधिकतम खुदरा मूल्य हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (छ) रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री के साथ हुए एक बैठक में इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस के प्रतिनिधि दवाओं के वर्तमान दर को 31 मार्च, 2005 तक बरकरार रखने के लिए स्वेच्छा से सहमत हुए। एक और प्रमुख संघ इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से अपील की कि वे स्पेसिफाइड ब्रांडेड जेनेरिक्स (जिनमें मुनाफा काफी ज्यादा है) के मूल्य समान ब्रांडेड उत्पादों के मूल्य की तुलना में स्वेच्छा से 20% घटा दें। दवाओं के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 1995) के पैरा 14 और 15 के प्रावधानों के तहत मुद्रित किए जाते हैं। डी पी सी ओ, 95 के प्रावधानों के अंतर्गत सूचीबद्ध और गैर-अनुसूचीबद्ध दोनों सूत्रयोगों के मूल्य ''खुदरा मूल्य..... से अधिक नहीं, स्थानीय कर अतिरिक्त'' के रूप में मुद्रित होता है। समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि डी पी सी ओ, 1995 में सभी दवाओं के खुदरा मूल्य सभी करों सहित मुद्रित करने के लिए संशोधन किए जाएं। समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, तथापि, राज्यों/स्थानीय प्राधिकारों के स्थानीय करों की दरों और प्रकार में असमानता के चलते कोई उचित हल नहीं ढूंढ़ा जा सकता है। जब कभी पाया जाता है कि डी पी सी ओ, 1995 के अंतर्गत निर्धारित मूल्यों का उल्लंघन हुआ है, राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एनपीपीए) अधिक प्रभारित राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

गन्ने की खोई से जैव उर्वरक का उत्पादन

1056. श्री देविदास पिंगले:
श्री शिशुपाल एन. पाटले:
श्री पारसनाथ यादव:
श्री मुन्शी राम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को गन्ने की खोई से जैव खाद बनाने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गन्ने की खोई को जैव खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में कितना समय लगने की संभावना है;

(घ) यह जैव खाद किन कृषि क्षेत्रों के लिए लाभप्रद साबित होगी;

(ङ) क्या इस खाद का प्रयोग गन्ने के उत्पादन में किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके लिए खाद बनाने में कुल कितनी लागत आने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खोई को खाद में परिवर्तित करने की कोई विशिष्ट वानस्पतिक खाद प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की है। गन्ने की मिलों द्वारा खोई के अधिकतम भाग का प्रयोग उनके बायलरों के लिए किया जा रहा है; शेष खोई का प्रयोग पेपर मिलों, आदि जैसे अन्य उद्योगों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आदित्य सोलर दुकानें खोलना

1057. श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में लोगों को पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराने हेतु आदित्य सोलर दुकान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए स्थानों का चयन करने हेतु क्या मानदंड हैं और ये दुकानें किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी दुकानों की स्थापना हेतु कोई अनुदान प्रदान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसी कितनी दुकानें खोले जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न नगरों व शहरों में आदित्य सौर दुकान नामक फुटकर बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को आसानी से अक्षय ऊर्जा उत्पाद और कारगर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन दुकानों से विभिन्न अक्षय ऊर्जा उत्पादों पर सूचनाएं भी प्राप्त होती है। इस समय कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रमुख रूप से राज्य अक्षय ऊर्जा एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) दुकानों की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है और मंत्रालय को अनुशंसा की जाती है। प्रत्येक राज्य में कार्यशील आदित्य और दुकानों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी हां। योजना के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) राज्य सरकारों/एजेंसियों के स्वामित्व वाली आदित्य और दुकानों की स्थापना के लिए प्रति दुकान 5.00 लाख रु. तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता तथा दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 50,000 रु. का आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित की जा रही दुकानों के लिए प्रति आदित्य सौर दुकान 50,000 रु. का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रति दुकान 50,000 रुपये की राशि, अधिकतम 10.00 लाख रु., आदित्य दुकानों के प्रचार के लिए प्रत्येक राज्य एजेंसी को उपलब्ध कराई जा सकती है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोली जाने वाली संभावित दुकानों की संख्या राज्य एजेंसियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देने तथा अनुशंसा करने पर निर्भर करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में 4, गुजरात में 11 और आंध्र प्रदेश में 9 आदित्य सौर दुकानें स्थापनाधीन हैं।

विवरण

प्रत्येक राज्य में स्थापित आदित्य और सौर दुकानों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	आदित्य सौर दुकानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	बिहार	1

1	2	3
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	4
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	1
10.	केरल	3
11.	मध्य प्रदेश	1
12.	महाराष्ट्र	6
13.	मणिपुर	1
14.	मिजोरम	1
15.	नागालैंड	2
16.	उड़ीसा	2
17.	पंजाब	2
18.	राजस्थान	2
19.	सिक्किम	1
20.	तमिलनाडु	3
21.	त्रिपुरा	2
22.	उत्तर प्रदेश	6
23.	उत्तरांचल	5
24.	पश्चिम बंगाल	4
25.	दिल्ली	1
26.	पांडिचेरी	1
	कुल	73

एनटीपीसी द्वारा विद्युत परियोजना की स्थापना

1058. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने नबीनगर स्थित भारतीय रेल बिजली कंपनी पर प्रबंधन नियंत्रण हेतु इक्विटी भागीदारी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी का विचार रेलवे को विद्युत आपूर्ति करने हेतु स्वतंत्र रूप से परियोजना स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) माननीय रेल मंत्री और विद्युत मंत्री के बीच दिनांक 2 जनवरी, 2002 को हुई बैठक में यह सहमति हुई थी कि रेलवे, विद्युत की जरूरत को पूरा करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में 1000 मेगा वाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना कर सकता है। तद्नुसार दिनांक 18.2.2002 को रेलवे और एन.टी.पी.सी. के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था जिसमें सहमति हुई थी कि रेलवे और एन.टी.पी.सी. के पास संयुक्त उद्यम की क्रमश: 51% तथा 49% की इक्विटी होगी और संयुक्त उद्यम (जे.बी.सी.) के प्रबंधन का नियंत्रण एन.टी.पी.सी. के पास रहेगा। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) की दिनांक 13.2.2004 की अपनी बैठक में जे.बी.सी. के गठन के प्रस्ताव और 1000 मेगावाट (4 × 250 मेगावाट) के नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में रेलवे और एन.टी.पी.सी. के निवेश का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) रेलवे को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र रूप से परियोजना की स्थापना करने का एन.टी.पी.सी. के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में उद्योग खोलना

1059. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री गुरूदास कामत:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ख) इन उद्योगों में कितने मजदूर कार्यरत हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इन उद्योगों को बंद करने का आदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन उद्योगों को बचाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है; और

(ङ) इस आर्थिक कार्यकलापों/उद्योगों को एनसीआर के किन-किन और कितने शहरों में स्थानांतरित किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने यह सूचित किया है कि दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों के संबंध में कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 1985 की 4677-एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिल्ली में रिहायश/गैर-नियोजित क्षेत्रों में दिनांक 1.8.1990 को या उसके बाद बनी औद्योगिक इकाईयों को चरणबद्ध ढंग से बंद करने का निदेश दिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि वह इन आदेशों को कार्यान्वित कर रही है।

(ङ) दिनांक 23.1.1989 से लागू क्षेत्रीय योजना-2001 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निम्नलिखित शहरों/कस्बों की प्राथमिकता आधार पर अभिप्रेरित विकास करने के लिए पहचान की गई थी:

दिल्ली महानगर क्षेत्र (डीएमए) कस्बे	क्षेत्रीय केन्द्र
लोनी सहित गाजियाबाद	मेरठ
नोएडा	हापुड़
फरीदाबाद	बुलंदशहर-खुर्जा काम्पलेक्स
गुड़गांव	पलवल
बहादुरगढ़	पानीपत
कुंडली	रोहतक
	रेवाड़ी-धारूहेड़ा-भिवाडी काम्पलेक्स अलवर

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

1060. **श्री वीर सिंह महतो:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् कितने गैर-सरकारी संगठनों को जनजातीय कार्य निष्पन्न करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और किन-किन संगठनों को कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इन संगठनों के कार्यों की जांच और निगरानी हेतु एक गैर-सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना हेतु प्रयास किए जा रहे हैं/किए गए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान निधिक गैर-सरकारी संगठनों के नाम और उन्हें दी गई धनराशि मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई हैं। वर्ष 2004-05 (31 अक्टूबर, 2004 तक) निधिक गैर-सरकारी संगठनों के नाम और उन्हें दी गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) अनुदान ग्राही संगठनों के कार्यकलापों की निगरानी राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है। मंत्रालय ने निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है और राज्यों से ग्राम/जिला और राज्य स्तर की निगरानी समितियां गठित करने के लिए कहा गया है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3
1.	आशीर्वाद शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, ए-7, अमित एपार्टमेंट, फेज-1, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.)	3,00,915
2.	अन्नपूर्णा शिक्षा समिति, मुकाम एवं पोस्ट-सिमोनखापरा, जिला-मंडला (म.प्र.)	7,12,790
3.	अनुगृह आदिवासी एजूकेशन ट्रस्ट, मुकाम/पोस्ट-वादवा, जिला-दाहोद (गुजरात)	3,65,569
4.	अरण्यक, मुकाम-तालमूल सासन, पोस्ट-तालमूल, जिला-आंगुल (उड़ीसा)	90,990
5.	अरूण इंस्टीट्यूट आफ रूरल अफेयर्स, मुकाम-अश्वखोला, पोस्ट-कारामूल, जिला-ढेंकानाल (उड़ीसा)	5,19,660
6.	एसोसिएशन फार वालंटरी एक्शन, दीमापुर, जिला-पुरी (उड़ीसा)	5,81,760
7.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, जिला-टोंक (राजस्थान)	27,30,000
8.	बापूजी इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, गड्डामानुगू, जिला-कृष्णा (आंध्र प्रदेश)	7,27,515
9.	भारत सेवाश्रम संघ, नर्मदा (गुजरात)	7,17,170
10.	भारत सेवाश्रम संघ, कुनोर यूनिट, जिला-उत्तरी दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल)	3,84,300
11.	भारत सेवाश्रम संघ, औरंगाबाद, जिला-मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	6,97,900
12.	भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, जिला-मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	13,26,140
13.	भारत सेवाश्रम संघ, वाया-बोलपुर, जिला-बीरभूमि (पश्चिम बंगाल)	15,68,522
14.	भारत सेवाश्रम संघ, श्रीनिवासपुरी (दिल्ली)	2,91,000
15.	भारत सेवाश्रम संघ, दुर्गापुर, जिला-बर्दवान (पश्चिम बंगाल)	2,10,870
16.	भारत सेवाश्रम संघ, बेरहामपुर, जिला-मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	2,27,925
17.	भारत सेवाश्रम संघ, घाकसोले, जिला-मालदा (पश्चिम बंगाल)	5,94,153
18.	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम-बाराजुरी, वाया-घाटशिला, जिला ईस्ट सिंहभूमि (झारखण्ड)	43,60,374
19.	भारत सेवाश्रम संघ, शाहपुर, जिला-मालदा (पश्चिम बंगाल)	7,32,600
20.	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम-कुसुरिया, पोस्ट-पृथ्वीनगर, जिला-नाडिया (पश्चिम बंगाल)	17,24,792
21.	भारत सेवाश्रम संघ, नावासारी (गुजरात)	5,35,700
22.	भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी, रीवर्स मीट रोड, जमशेदपुर (झारखण्ड)	59,23,933
23.	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम एवं पोस्ट-तेवर, जिला-दक्षिण दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल)	6,49,499

1	2	3
24.	भारती एजूकेशन ट्रस्ट, पाथापल्ली, जिला-कोलार (कर्नाटक)	5,04,810
25.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन (नई दिल्ली)	71,77,454
26.	विकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1बी, लालबाजार, कोलकता	3,90,877
27.	बिरसा मुण्डा एजूकेशन सेंटर, ग्राम-क्रांति, पोस्ट-क्रांतिहाट, जिला-जलपाईगुरी (प. बं.)	9,86,670
28.	बुद्धिस्ट कलचरल प्रीजरवेशन सोसायटी, अपर गाम्पा, जिला-वेस्ट कामांग (अरूणाचल प्रदेश)	13,91,701
29.	सेंटर फार रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस, वांगबाल, जिला-थाउबाल (मणिपुर)	3,32,640
30.	काउंसिल फार ट्राइबल एण्ड रूरल डेवलपमेंट, 420, शहीद नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	94,711
31.	डा. अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी, नालकुडूरे, जिला-देवानगिरि (कर्नाटक)	4,41,540
32.	डा. अम्बेडकर मिशन, ग्राम-धोपाटारी, जिला-कामरूप (असम)	6,64,168
33.	डा. अम्बेडकर स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, चुराचांदपुर (मणिपुर)	11,47,563
34.	ग्राम अभ्युदय सोसायटी फार इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, कोटा स्ट्रीट, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	15,09,129
35.	गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, गुर्जर कालोनी, डोडा (जम्मू-कश्मीर)	24,23,777
36.	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, पोस्ट बाक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड, मंडली, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)	17,34,768
37.	इनरेका, रायपीपला, टिम्बापाडा, डेडियापाड़ा, जिला-नर्मदा (गुजरात)	7,45,38
38.	इंस्टीट्यूट आफ सोशल डेवलपमेंट फार वीकर सेक्शन, कछार रोड, इम्फाल (मणिपुर)	2,27,160
39.	इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलास्फी एण्ड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला-लाहौल एवं स्पीति (हिमाचल प्रदेश)	4,63,410
40.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति, साहबगंज, फैजाबाद (उ.प्र.)	3,90,870
41.	जनहिता, वात्सल्य काम्पलेक्स, वात्सल्यपुरी, नेल्लोर	1,06,200
42.	जीयार एजूकेशन ट्रस्ट, गंगामहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	6,77,160
43.	लामडान सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर)	10,78,088
44.	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, उज्जैन (मध्य प्रदेश)	5,19,660
45.	महिला ग्रामीण उत्थान समिति, दीवान निवास, पिथौरागढ़ (उत्तरांचल)	5,73,660
46.	मणिपुर बार्डर एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, चन्देल (मणिपुर)	1,55,160
47.	माता अमृतानंद मयी मठ, पालीपल्ली, कोल्लाम (केरल)	8,56,260
48.	मिजोरम हिमेथाई एशोसिएशन, अपर रिपब्लिक रोड, आईजोल (मिजोरम)	15,54,390
49.	नव अभिलाषा शिक्षण संस्थान, बुधवानी, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)	3,48,399

1	2	3
50.	नायक स्टूडेंट फाउंडेशन, गोकाक, बेलगाम (कर्नाटक)	3,31479
51.	न्यू लाइफ एजेंसी फार ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट, वेल्लोर (तमिलनाडु)	7,52,93
52.	आर्गेनाइजेशन फार दि रूरल वूमेन एण्ड यूथ डेवलपमेंट, मयूरभंज (उड़ीसा)	5,30,190
53.	उड़ीसा हरिजन सेवक संघ, भंजीपुरा, जिला-मयूरभंज (उड़ीसा)	14,21,394
54.	उड़ीसा खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन, जयदेव विहार, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	2,21,265
55.	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, नुआपाडा (उड़ीसा)	2,24,915
56.	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल, धालसीमल, पोस्ट-मोल, जिला-झालोद (गुजरात)	11,86,920
57.	पश्चिम बानकी खेरिया साबर कल्याण समिति, राजनवागढ़, पुरूलिया (पश्चिम बंगाल)	2,20,965
58.	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, बार लिब्राग, नौगांव (असम)	3,12,390
59.	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, गेराहल्ली, कोलार (कर्नाटक)	3,78,180
60.	प्रनव कन्या संघ, मध्यग्राम, नार्थ 24 परगना (पश्चिम बंगाल)	1,54,597
61.	प्रतिभा एजूकेशनल सोसायटी, नांदयाल, जिला-कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	6,96,870
62.	पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति, माधव धाम, तेजपुर (असम)	3,36,408
63.	पुष्पा कान्वेंट शिक्षा समिति, पुष्पा नगर कालोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश)	2,08,350
64.	आर.के. मिशन, नरोत्तम नगर, जिला-तिराप (अरूणाचल प्रदेश)	2637325
65.	आर.के. मिशन, कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी (आंध्र प्रदेश)	346123
66.	आर.के. मिशन, शिलांग	542650
67.	आर.के. मिशन, भुवनेश्वर	458230
68.	आर.के. मिशन पुरी,	366572
69.	आर.के. मिशन आश्रम, नरायनपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़)	778899
70.	आर.के. मिशन आश्रम, चेरापूंजी (मेघालय)	13587812
71.	आर.के. मिशन आश्रम, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	401670
72.	आर.के. मिशन आश्रम, गुवाहाटी (असम)	421830
73.	आर.के. मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची (झारखंड)	2903606
74.	आर.के. मिशन ब्वायज होम, राहाड़ा, जिला-नार्थ 24 परगना (प. बंगाल)	815497
75.	आर.के. मिशन अस्पताल, इटानगर (अरूणाचल प्रदेश)	2183355
76.	आर.के. मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची (झारखण्ड)	31978000
77.	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची (झारखण्ड)	2419746

1	2	3
78.	रामा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वारियाखेड़ा, भोपाल (म.प्र.)	5,16,600
79.	रामकृष्ण शारदा मिशन, खोसा, जिला-तिराप (अरूणाचल प्रदेश)	22,60,181
80.	राष्ट्रीय सेवा समिति, 9, औल्ड हजूर आफिस बिल्डिंग, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)	5,19,435
81.	रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इम्फाल (मणिपुर)	3,16,440
82.	रूरल आर्गेनाइजेशन फार सोशल एक्टीविटी, मानथेनावानीपलेम, जिला-गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	10,39,320
83.	रूरल वालंटरी सविर्स, थाउबाल (मणिपुर)	4,01,670
84.	ऋषिकुल सेवाश्रम ट्रस्ट, धूमूमल, पोस्ट-कुन्तरा, जिला-संबलपुर (उड़ीसा)	21,66,641
85.	सैकरेड हर्ट सोसायटी, बंगकांव नर्सरी, आईजोल (मिजोरम)	5,47,785
86.	सदाऊ असम ग्राम पुथीभारल संस्था, नौगांव (असम)	3,92,957
87.	संत श्री आसाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात)	8,01,990
88.	सारदा एजूकेशन सोसायटी, विनूकोण्डा, जिला-गून्टूर, आंध्र प्रदेश	10,39,320
89.	सरस्वती विद्या मंदिर परिचालन समिति, बोरो हाफलांग, एन.सी. हिल्स (असम)	2,69,862
90.	सीमात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सेवा संस्थान, पिथोरागढ़ (उत्तरांचल)	5,52,483
91.	सेवा भारती, शिलांग (मेघालय)	3,98,104
92.	सेवा समाज, गुनुपुर, रायगाडा (उड़ीसा)	2,29,813
93.	सेवा भारती, झण्डेवालान, नई दिल्ली	6,20,595
94.	श्रद्धालय आश्रम समिति, सूरजपोल, कोटा (राजस्थान)	4,45,320
95.	श्री मंगलम एजूकेशन ट्रस्ट अखण्डानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला-वलसाड (गुजरात)	3,00,915
96.	श्री सद्गुरूदेव स्वामी अखण्डानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला-वलसाड (गुजरात)	3,87,107
97.	सोशल गाइडेंस एजेंसी, आईजोल (मिजोरम)	1,06,875
98.	श्रीमंत शंकर मिशन, नौगांव (असम)	1,77,435
99.	श्री गोंविदराजा स्वामी सोशल डेवलपमेंट सोसायटी, कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	5,19,660
100.	श्री परमेश्वरी एजूकेशनल सोसायटी, आलमकूर, कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	3,31,072
101.	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, कालाडी, जिला-एरनाकुलम (केरल)	4,23,250
102.	श्री सद्गुरूदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल ट्रस्ट, बारूमल, वलसाड (गुजरात)	3,87,107
103.	श्री सांई राम सेवा संघ, ग्राम-अन्नाराम, जिला-करीमनगर (आंध्र प्रदेश)	5,19,660
104.	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, वायानाड (केरल)	7,39,881

1	2	3
105.	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, मैसूर (कर्नाटक)	21,19,903
106.	तमिलनाडु विलेज कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल, तिरूवल्लूर (तमिलनाडु)	2,30,063
107.	ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट फार रूरल डेवलपमेंट, तामेंगलांग (मणिपुर)	7,72,560
108.	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस थाऊबाल (मणिपुर)	17,20,053
109.	उत्तर पूर्वांचल जनजाति सेवा समिति, हाफलांग, एन.सी. हिल्स (असम)	2,46,359
110.	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, पेरिया, जिला-वायानाड (केरल)	9,22,487
111.	वनवासी सेवा मंडल, महाराजपुर मंडल (मध्य प्रदेश)	3,00,915
112.	विनोबा निकेतन, त्रिवेन्द्रम (केरल)	16,07,535
113.	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, चामराजनगर, कर्नाटक	13,94,400
114.	यूथ इन एक्शन सोसायटी, सत्या एपार्टमेंट, चप्पल बाजार, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	10,05,750

वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता

क्र.सं.	संगठन का नाम	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3
1.	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, सतना (मध्य प्रदेश)	13,51,500
2.	अग्रगामी सेवा संस्थान, तिवारीगंज, लखनऊ	5,52,000
3.	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल (मध्य प्रदेश)	11,58,000
4.	भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, जिला-मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	14,74,400
5.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	16,94,405
6.	ब्राइट कैरियर एकेडमी, कोरापुट, उड़ीसा	13,07,000
7.	ग्राम स्वराज संघ, कच्छ (गुजरात)	9,41,000
8.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम, इन्दौर (मध्य प्रदेश)	88,000
9.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल ब्रांच, रायागाडा (उड़ीसा)	1,45,558
10.	लोक निकेतन, बांसकांठा (गुजरात)	5,35,900
11.	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, उदयपुर (राजस्थान)	2,60,000
12.	मानव विकास एवं शिक्षा संस्थान, हिंद नगर, लखनऊ	20,28,311
13.	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, उदयपुर (राजस्थान)	10,53,000

1	2	3
14.	पुष्पा कान्वेंट शिक्षा समिति, भोपाल (म.प्र.)	14,28,000
15.	राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर (राजस्थान)	6,09,000
16.	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, झाबुआ (म.प्र.)	4,51,000
17.	रूरल महिला वेलफेयर सोसायटी, कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	8,58,000
18.	सर्वोदय समिति, कोरापुट (उड़ीसा)	6,90,000
19.	सर्वेन्टस आफ इंडिया सोसायटी, रायगाडा (उड़ीसा)	2,25,000
20.	सेवा भारती, भोपाल (म.प्र.)	2,70,000
21.	सेवा समाज, रायगाडा (उड़ीसा)	3,37,500
22.	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, शहडोल (मध्य प्रदेश)	1,40,000
23.	सोशल एक्शन फार सोशल डेवलपमेंट, संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	10,89,500
24.	सोशल एजूकेशन फार इनवायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	4,98,000
25.	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, ढेंकानाल (उड़ीसा)	2,49,000
26.	सोसायटी फार नेचर, एजूकेशन एण्ड हेल्थ, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	10,02,000
27.	श्री रामकृष्ण आश्रम, आंगुल (उड़ीसा)	5,94,000
28.	सुशील ट्रस्ट, कच्छ (गुजरात)	3,52,000

[अनुवाद]

डीडीए द्वारा प्राप्त शिकायतें

1061. श्री लालमणि प्रसाद: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिनांक 28.6.04 को ''आल इंडिया एसोसिएशन फार एससी/एसटी एंड फिजिकल हैंडीकेप्ड पीपल अपलिफ्टमेंट'' से शिकायतों का पुलिंदा प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो की गयी कार्यवाही और प्रत्येक शिकायत हेतु दिये गये उत्तर का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी शिकायतों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी हां। रोहिणी रेसिडेन्शियल स्कीम 1981 के तहत पंजीकरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को रिहायशी प्लाट आवंटित करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की पदोन्नति, दुकानों के स्थान परिवर्तन की नीति के संशोधन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों के आवंटन और एसोसिएशन को भूमि आवंटित करने संबंधी विभिन्न नीतिगत मुद्दों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ''आल इंडिया एसोसिएशन फार एस सी/एस टी एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड अपलिफ्टमेंट'' से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति उनकी बारी आने पर और आरक्षण नीति के आधार पर की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ नियुक्त

संपर्क अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण 25% फ्लैट/दुकानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1% फ्लैट/दुकानें शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण उन्हें प्राप्त शिकायतों के संबंध में कार्रवाई अपने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार करता है।

इस्पात की दोहरी मूल्य निर्धारण नीति

1062. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात की दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस्पात के दाम बढ़ रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस्पात के दामों में स्थिरता लाने के बारे में चर्चा करने हेतु वित्त मंत्री ने सेल और अन्य इस्पात कंपनियों के अधिकारियों से भेंट की थी;

(छ) यदि हां, तो इन कंपनियों से हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले; और

(ज) इस्पात के दामों को विनियमित करने हेतु क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) उदारीकरण के दौर में सरकार फर्मों के मूल्यन जैसे वाणिज्यिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अगस्त, 2004, जब सरकार ने आयात शुल्क दरों में कमी की घोषणा की तब से इस्पात मूल्य सामान्यत: स्थिर हैं। तथापि, मुख्यत: वैश्विक परिस्थितियों और मानसून के महीनों के बाद देश में निर्माण और अन्य इस्पात संबंधी घरेलू कार्य-कलापों के कारण अक्तूबर, 2004 में इस्पात की अधिकांश श्रेणियों के मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई।

(च) और (छ) सरकार घरेलू बाजार में इस्पात की पर्याप्त उपलब्धता और इस्पात के मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य इस्पात उत्पादकों के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रही है। इन विचार-विमर्शों के निष्कर्ष के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं; जैसे इस्पात तथा इस्पात उत्पादन के आदानों के आयात शुल्क में पर्याप्त कमी करना, इस्पात मदों पर डीईपीबी दरों में कमी करना, लोहे और इस्पात तथा फैरो मिश्र की सभी मदों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करना, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए लोहे और इस्पात सामग्री का आबंटन बढ़ाना तथा सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों को घरेलू आवश्यकता पूरा करने के पश्चात ही निर्यात करने की सलाह दी गई है।

(ज) जैसाकि ऊपर बताया गया है, अगस्त, 2004 से इस्पात के मूल्य आमतौर पर स्थिर रहे हैं। मूल्य की स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जा रही है।

हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कॉन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

1063. **श्री सुनील खां:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कांन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के पुनरूद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितना धन दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उन कर्मचारियों के सभी बकाये का भुगतान कर दिया गया है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी;

(घ) यदि नहीं; तो इन्हें कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रबंधन स्थायी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की धमकी दे रहा है जिनके न लेने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है; और

(च) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सरकार ने हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पुनरूज्जीवन के लिए जुलाई, 1999 में एक व्यापक वित्तीय पुनर्संरचना एवं वित्तीय सहायता पैकेज अनुमोदित किया। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

* 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार योजना व्यय की 97.10 करोड़ रुपए की राशि का साम्या में परिवर्तन।
* 10 वर्षों के लिए 31.3.1999 तक के भारत सरकार (जीओआई) ऋणों की अदायगी और ब्याज में छूट पर अधिस्थगन काल का अनुमोदन।
* 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार लगभग 975.17 करोड़ रुपए की राशि के भारत सरकार के ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज और बकाया में छूट।
* 1999-2000 के दौरान पांच वर्षों के अंत में समीक्षा पर निर्भर करते हुए पांच वर्षों के लिए अदायगी का अस्थगन काल और ब्याज में छूट के साथ 79.33 करोड़ रुपए का गैर-योजना-ऋण।
* ऋणों पर ब्याज के अधित्याग के कारण अप्रत्याशित लाभ की वजह से 1999-2000 में निगमित कर के भुगतान से छूट।
* 1% प्रत्याभूति कमीशन के अधित्याग सहित 12 करोड़ रुपए के नकद ऋण और 80 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी सुविधाओं के लिए सरकार की प्रत्याभूति को जारी रखना।
* पुनर्संरचना पैकेज के रूप में सरकार ने 6000 कर्मचारियों को पृथक करने के लिए पूर्ण ब्याज इमदाद के साथ ऋण जुटाने के लिए भारत सरकार की गारंटी भी प्रदान की है। इस गारंटी के आधार पर कंपनी ने 318 करोड़ रुपए जुटाए और 7373 कर्मचारी पृथक हुए।

2001-02 में कंपनी ने निम्नलिखित सहित अन्य वित्तीय सहायता पैकेज अनुमोदित किए थे:

* कर्मचारियों के बकाया वेतन और वैधानिक देयताओं का भुगतान करने के लिए 89.44 करोड़ रुपए का गैर-योजना ऋण।
* 5000 कर्मचारियों को पृथक करने के लिए और ऋण जुटाने हेतु ब्याज इमदाद सहित भारत सरकार की गारंटी में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि।

कंपनी को निम्नलिखित योजना और गैर-योजना सहायता भी दी गई:

(करोड़ रुपए)

ऋण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
योजना ऋण	-	4.00	4.00	3.00
गैर-योजना ऋण	89.44	61.11	-	71.89

(ग) और (घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत पृथक किए गए सभी कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देयताओं को स्वीकार किया गया है। सभी पृथक हुए कर्मचारियों, जिनके संबंध में क्षेत्रीय प्रोविडेन्ट फंड कमिश्नर ने अनुमोदन दिया है, को प्रोविडेन्ट फंड देयों का भुगतान कर दिया गया है। वेतन संशोधन के कारण बकाया को छोड़कर और जिसका भुगतान कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार पर निर्भर है, वेतन और मजदूरी का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन द्वारा इस प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई।

(च) उपरोक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम हेतु विदेशी निधियां

1064. श्री एम. अप्पादुराई: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी संस्थाएं देश में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और देश में पवन चक्कियों को प्रोत्साहन देने हेतु किस प्रकार से ऋण सहायता दी जा रही है;

(ग) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पवन चक्कियों के लिए संभावना, भू-भाग और पवन संवेग है; और

(घ) वर्तमान में देश में राज्यवार कुल कितनी पवन चक्की कार्य कर रही हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हां। नौवीं और दसवीं योजना के दौरान अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए विदेशी संस्थाओं से प्राप्त ऋणों और अनुदानों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है और पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) समग्र तथा तकनीकी पवन विद्युत संभाव्यता का राज्यवार विवरण-III में दिया गया है।

(घ) 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत क्षमता का राज्यवार विवरण विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

नौवीं एवं दसवीं योजना अवधि के दौरान विदेशी संस्थाओं से प्राप्त ऋणों एवं अनुदानों का विवरण

क्र.सं.	परियोजना	विदेशी संस्था	ऋण[क] अनुदान[ख]	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लघु पनबिजली संसाधनों के विकास को ईष्टतम करना (एमएनईएस द्वारा कार्यान्वित)	यूएनडीपी/जीईएफ	0[क] 7.5 मिलियन अमरीकी डालर[ख]	पूर्ण
2.	ग्रीन हाउस गैस को कम करने के साधन के रूप में उच्च दर बायोमिथेनेशन प्रक्रियाओं का विकास (एमएनईएस द्वारा कार्यान्वित)	यूएनडीपी/जीईएफ	0[क] 5.5 मिलियन अमरीकी डालर[ख]	परियोजना सितम्बर, 1994 से कार्यान्वयनाधीन है
3.	भारतीय अक्षय संसाधन विकास परियोजना (इरेडा द्वारा कार्यान्वित)	विश्व बैंक/जीईएफ/ एसडीसी/डानिडा	118.96 मिलियन अमरीकी डालर[क] 30 मिलियन अमरीकी डालर[ख]	पूर्ण
4.	बायोमास ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करना (ग्रामीण विकास विभाग, कर्नाटक द्वारा कार्यान्वित)	यूएनडीपी/जीईएफ/ आईसीईएफ	0[क] 8.0 मिलियन अमरीकी डालर[ख]	परियोजना जून, 2001 से कार्यान्वयनाधीन है
5.	दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना (इरेडा द्वारा कार्यान्वित)	विश्व बैंक/जीईएफ	130.0 मिलियन अमरीकी डालर[क] 5.0 मिलियन अमरीकी डालर[ख]	परियोजना जनवरी, 2001 से कार्यान्वयनाधीन है
6.	अक्षय ऊर्जा परियोजना का संवर्धन (इरेडा द्वारा कार्यान्वित)	केएफडब्लू, जर्मनी	120.0 मिलियन डीएम[क] 0[ख]	परियोजना अक्तूबर, 2000 से कार्यान्वयनाधीन है।

1	2	3	4	5
7.	अक्षय ऊर्जा विकास परियोजना (इरेडा द्वारा कार्यान्वित)	एशियाई विकास बैंक	100.0 मिलियन अमरीकी डालर[ए] 0[बी]	पूर्ण
8.	सी-वैट के अंतर्गत पवन परीक्षण केन्द्र हेतु तकनीकी सहायता (एमएनईएस द्वारा (कार्यान्वित)	डानिडा, डेनमार्क	0[ए] 15.88 मिलियन डीकेके[बी]	पूर्ण
9.	ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सहायता (एमएनईएस द्वारा कार्यान्वित)	यूएनडीपी	0[ए] 2.8 मिलियन अमरीकी डालर[बी]	पूर्ण
10.	ग्रामीण जीविका हेतु अक्षय ऊर्जा (एमएनईएस द्वारा कार्यान्वित)	यूएनडीपी	0[ए] 3.5 मिलियन अमरीकी डालर[बी]	परियोजना सितम्बर, 2003 से कार्यान्वयनाधीन है।

एमएनईएस : अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
इरेडा : भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
सी-वैट : पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र
यूएनडीपी : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
जीईएफ : विश्व पर्यावरण सुविधा
एसडीसी : स्विस विकास निगम
डानिडा : डैनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी
आईसीईएफ : भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा

विवरण-II

पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण और अनुदान

क्र.सं.	परियोजना	विदेशी संस्था	ऋण[ए] अनुदान[बी]	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	अक्षय ऊर्जा विकास परियोजना	एशियाई विकास बैंक	40.35 मिलियन अमरीकी डालर[ए]	पूर्ण
2.	भारतीय अक्षय संसाधन विकास परियोजना	विश्व बैंक/जीईएफ/ एसडीसी/डानिडा	आईडीए-28.28 मिलियन एसडीआर[ए]	पूर्ण

1	2	3	4	5
			डानिडा-3.96 मिलियन अमरीकी डालर[क] जीईएफ-13.53 मिलियन एसडीआर[ख]	
3.	अक्षय ऊर्जा परियोजना का संवर्धन	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	44.16 मिलियन यूरो[ग]	परियोजना अक्तूबर, 2000 से कार्यान्वयनाधीन है।

विवरण-III

राज्यवार कुल एवं तकनीकी पवन विद्युत संभाव्यता*

	कुल संभाव्यता (मेगावाट)	तकनीकी संभाव्यता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	8275	1920
गुजरात	9675	1780
कर्नाटक	6620	1180
केरल	875	605
मध्य प्रदेश	5500	845
महाराष्ट्र	3650	3040
उड़ीसा	1700	780
राजस्थान	5400	910
तमिलनाडु	3050	1880
पश्चिम बंगाल	450	450
कुल	45195	13390

*उपलब्ध ग्रिड क्षमता पर निर्भर

विवरण-IV

दिनांक 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार स्थापित राज्यवार ग्रिड इंटरएक्टिव पवन विद्युत क्षमता

राज्य	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2
आंध्र प्रदेश	101.30
गुजरात	216.18
कर्नाटक	266.30
केरल	2.00
मध्य प्रदेश	27.60
महाराष्ट्र	411.25
राजस्थान	240.51
तमिलनाडु	1638.90
पश्चिम बंगाल	1.10
कुल	2905.14

फार्मास्युटिकल्स एसोसिएशन

1065. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्मा मैन्युफैक्चरर्स की एक अग्रणी एसोसिएशन आईपीए ने 31 मार्च, 2005 तक मूल्यों में वृद्धि न करने का वचन दिया है;

(ख) क्या आईडीएमए और ओपीपीआई जैसी अन्य एसोसिएशनों ने मंत्रालय के अनुदेशों को मानने से इन्कार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अन्य एसोसिएशनों द्वारा आईपीए के वचन को कार्यान्वित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) रसायन एवं उर्वरक और इस्पात मंत्री के साथ एक बैठक के दौरान इंडियन फार्मास्यूटिकल एलायंस (आईपीए) के प्रतिनिधियों ने स्वैच्छिक रूप से 31.3.2005 तक औषधियों के वर्तमान मूल्य स्तर को बनाए रखने की सहमति दी थी।

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

मातृभाषा हिन्दी को बढ़ावा

1066. श्री अधीर चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैक्षिक क्षेत्र में मातृभाषा हिन्दी का महत्व पूरे देश में दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शैक्षिक क्षेत्र में हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षण हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हिन्दी भाषा तथा साहित्य का सामान्य विकास करने और इसे बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1997 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर 82 प्रतिशत विद्यालयों, उच्च माध्यमिक स्तर पर 35.97 प्रतिशत विद्यालयों तथा माध्यमिक स्तरों पर 28.50 प्रतिशत विद्यालयों में हिन्दी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

[हिन्दी]

शिक्षा हेतु विदेशी सहायता

1067. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2004-05 में शिक्षा हेतु सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है;

(ख) यह आवंटन पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए कितना लाभदायक रहा है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सभी को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान और आज तक प्राथमिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 2002-03 और 2003-04 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में से शिक्षा पर किए गए व्यय की प्रतिशतता क्रमश: लगभग 3.79 और 3.75 है। 2004-05 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से की गई दखलों के परिणामस्वरूप कक्षा I से X के संबंध में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर जो 1980-81 में 82.5% थी, 2002-03 में घटकर 62.58% रह गई।

(ग) सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम हेतु विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता की राशि नीचे दर्शाई गई है:

2001-02	909.34 करोड़
2002-03	1015.32 करोड़
2003-04	907.25 करोड़

(घ) विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता और प्रत्येक योजना के तहत पूर्व में जारी निधियों के उपयोग की प्रगति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत राज्य सरकारों/कार्यान्वयन सोसायटियों को अनुदान जारी किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रारंभिक शिक्षा और इसके सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए जारी अनुदानों की राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

प्रारंभिक शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा		सर्व शिक्षा अभियान	
		2002-03	2003-04	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24745.10	20817.76	8226.10	9884.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	1474.20	765.91	1412.00	675.35
3.	असम	17054.76	12783.63	10175.92	12190.43
4.	बिहार	14634.47	32348.75	7914.97	19515.75
5.	छत्तीसगढ़	9118.32	7539.75	3639.73	6589.02
6.	गोवा	47.64	53.64	0.00	0.00
7.	गुजरात	20633.44	15043.20	14004.30	11660.13
8.	हरियाणा	7197.75	7982.63	2735.87	6895.55
9.	हिमाचल प्रदेश	4315.10	6312.38	1717.62	5462.17
10.	जम्मू और कश्मीर	1998.85	5346.62	1948.85	5236.62
11.	झारखंड	7344.2	18624.31	3244.32	11474.31
12.	कर्नाटक	14657.80	11448.16	8270.46	10426.67
13.	केरल	4118.52	5652.45	2250.78	4966.00
14.	मध्य प्रदेश	25274.15	36302.11	11017.10	35237.91
15.	महाराष्ट्र	20405.30	21575.80	11000.00	20526.67
16.	मणिपुर	98.84	621.14	0.00	500.00
17.	मेघालय	904.86	845.77	711.37	825.77
18.	मिजोरम	1902.37	1572.57	903.29	1182.37
19.	नागालैंड	1216.45	295.91	973.28	0.00
20.	उड़ीसा	10109.55	19831.47	2214.15	13453.27
21.	पंजाब	5757.00	7081.74	4680.00	6492.49
22.	राजस्थान	22554.97	35120.54	9995.58	15627.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	431.83	332.87	425.14	269.73
24.	तमिलनाडु	17274.08	11054.02	13526.90	10505.84
25.	त्रिपुरा	1202.18	2896.50	1162.18	2752.39
26.	उत्तर प्रदेश	46110.67	47664.34	20245.40	34043.30
27.	उत्तरांचल	4067.69	5461.74	2067.69	3522.02
28.	पश्चिम बंगाल	18815.62	24950.73	10867.61	16748.23
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	283.96	0.00	283.96
30.	चंडीगढ़	0.00	224.54	0.00	224.54
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	447.42	0.00	447.42
32.	दमन और दीव	12.00	0.00	12.00	0.00
33.	दिल्ली	629.84	2330.62	161.27	1959.62
34.	लक्षद्वीप	69.98	48.31	19.98	28.31
35.	पांडिचेरी	175.04	193.36	116.46	141.06
	गैर सरकारी संगठन/अन्य				
36.	एजेंसियां	10189.65	17629.24	1046.68	3391.69
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	314542.34	381483.89	156875.00	273230.00

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन

1068. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आज की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों, अस्पतालों और कालेजों को कुल कितने एकड़ भूमि आबंटित की गयी है;

(ख) किसी संगठन को भूमि आबंटन संबंधी वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं को भूमि आबंटन में अनियमितताओं की जांच करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक सदस्यीय योगेश चन्द्र समिति गठित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस एक सदस्यीय समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ज) आबंटन क्षेत्र की निर्धारित/आवश्यक शर्त की अनदेखी करके किये गये आबंटनों का ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने विभिन्न संस्थागत प्रयोजनों के लिए लगभग

3590 भूखण्ड आबंटित किए हैं। इन आवंटनों के अंतर्गत कितना भूमि क्षेत्र है उसका रिकार्ड उसके द्वारा नहीं रखा गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नाजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के अनुसार भूमि आवंटित की जाती है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस मामले की जांच करने तथा वर्ष 1998-99 से विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि और विकास कार्यालय द्वारा किए गए आवंटनों के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए श्री योगेश चन्द्र, आईएएस (सेवानिवृत्त) के रूप में एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

(1) भूमि आवंटन की मौजूदा प्रक्रिया के संदर्भ में वर्ष 1998-99 से अब तक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि और विकास कार्यालय द्वारा आवंटित भूमि के सभी मामलों की समीक्षा करना;

(2) उन मामलों में कार्रवाई की सिफारिश करना जिनमें यह देखा गया हो कि आबंटन की निर्धारित प्रक्रिया और/अथवा शर्तों को पूरा किया गया है; और

(3) भूमि और विकास कार्यालय द्वारा भविष्य में निष्पक्ष, यथार्थ और पारदर्शी तरीके से भूमि का आवंटन करने हेतु दिशानिर्देशों का सुझाव देना।

(ङ) और (च) इस समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) और (ज) इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस मामले में आगे कार्रवाई समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

इस्पात और लौह का उत्पादन/निर्यात

1069. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री जुएल ओराम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात, लौह और स्पंज आयरन का संयंत्रवार उत्पादन और निर्यात तथा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन मदों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के लिए मदवार कितना अनुमान लगाया गया है; और

(घ) इस्पात विनिर्माताओं पर लौह और इस्पात के मूल्य में वृद्धि न करने के लिए दबाव डालने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

1070. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य:**
प्रो. चन्द कुमार:
श्री मुन्शी राम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र स्रकार द्वारा राज्यवार विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार का विचार इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गरीब और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में भी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जिन जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को समय-समय पर आरंभ किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं, उनके नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। अब देश के सभी जिले भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत पात्र हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल राज्य एवं जिले

क्र.सं.	राज्य का नाम	डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	असम	9	दरांग, धुबरी, कर्बी, अंगलांग, मोरीगांव, बारपेटा, बोंगाईगांव, गोलपाडा, सोनितपुर, कोकराझार
2.	हरियाणा	7	हिसार, जींद, कैथल, सिरसा, भिवानी, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़
3.	कर्नाटक	16	बेलगाम, कोलार, माण्डया, रायचूर/कोप्पल, बेल्लारी, बीदर, गुलबर्ग, मैसूर/कामराजनगर, बीजापुर/बागलकोट, बंगलौर (ग्रामीण), धारवाड/गडग/हवेरी
4.	केरल	6	कासरगोड, मालापुरम, वायनाड, तिरूवनन्तपुरम, इडडुक्की, पालक्कड
5.	मध्य प्रदेश	33	बेतूल, छत्तरपुर, धार, गुना, मंदसौर/नीमच, पन्ना, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रीवा, सतना, शिहोर, शहडोल/उमरीया, सिधी, टिकमगढ़, मांडला/डिंडोरी, शिओनी, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना/शिवपुर, विदिशा, झबुआ, दतिया, खड़गां/बड़वनी, देवास, शाजापुर, खण्डवा, दामोह
6.	छत्तीसगढ़	15	बिलासपुर/जांजगीर, कोरवा, रायगढ़/जशपुर, राजनंदगांव, कवर्धा, सरगुजा/कोरिया, बस्तर/दांतेवाड़ा/कांकेर, रायपुर/धामतरी/महासमुंद
7.	महाराष्ट्र	11	औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभनी/हिंगोली, बीड, धूले/नन्दुरबार, गदचिरोली, जालना
8.	तमिलनाडु	8	धर्मापरुरी, कुड्डालोर/बिल्लुपुरम, तिरूवन्नामलाई, पुधुकोट्टे, रामनाथपुरम, पेरमलूर/अरियालूर
9.	आंध्र प्रदेश	19	करीमनगर, कुर्नूल, नेल्लोर, विजियानगरम, वारंगल, अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डपपा, गुन्टूर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नालगोण्डा, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम तथा विशाखापटनम
10.	गुजरात	11	दांग, बानसकांठा, पाटन, पंचमहल, दाहोद, कच्छ, साबरकंठा तथा सुरेन्द्रनगर (भावनगर, जामनगर, जूनागढ़–राज्य क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित)
11.	हिमाचल प्रदेश	4	चम्बा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, सिरमौर
12.	उड़ीसा	16	बोलनगीर, धेनकनाल, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, बारागढ़, संबलपुर, क्योंझर, बौद्ध, कोरापुट, मलकांगीरी, सोनपुर, कंधमल, नबरंगपुर, नौपाड़ा, मयूरभंज
13.	पश्चिम बंगाल	10	बांकुरा, बीरभूम, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, दक्षिण परगना, जलपाईगुड़ी, मालदा, पुरूलिया, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर

1	2	3	4
14.	उत्तर प्रदेश	54	बदायूं, बरेली, देवरिया, फिरोजाबाद, हरदोई, खेरी, ललितपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बस्ती, संत कबीरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, मुरादाबाद, ज्योतिबा फूले नगर, बाराबंकी, रामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुलतानपुर, उन्नाव
15.	उत्तरांचल	6	बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी
16.	बिहार	20	भागलपुर (बांका), भोजपुर (बक्सर), दरभंगा, गया, मुंगेर (जमुई, लखीसराय, शेखपुरा), मुजफ्फरपुर, पूर्णिया (अररिया, किशनगंज), रोहतास (कैमूर), सीतामढ़ी, (शिवहर) वैशाली, पश्चिम चंपारन
17.	झारखंड	9	चतरा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, (कोडरमा) रांची, दुमका, जमतारा, पश्चिमी सिंहभूम, सराईकेला
18.	राजस्थान	19	अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुनझुनू, कोटा, नागौर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, चूरू, दौसा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़
	कुल	273	

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च न की गई धनराशि

1071. श्री मनोरंजन भक्त: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन के पास अभी भी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त भारी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार उक्त योजना के कार्यान्वयन तथा इसके लिए जारी निधियों के उचित उपयोग की निगरानी किस प्रकार कर रही है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अभी तक अंडमान व निकोबार संघ प्रदेश प्रशासक को पूर्ण यूपीए कार्यक्रमों से उपलब्ध अव्ययित शेष राशि सहित 381.37 लाख रु. जारी किए गए हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि 226.75 लाख रु. का उपयोग किया गया है। अनेक कारणों से धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका, यथा 9वीं कक्षा से अधिक शिक्षित लाभार्थियों के लिए यह स्कीम लागू नहीं है, जबकि अंडमान व निकोबार संघ प्रदेश में शैक्षिक स्तर की प्रतिशतता अधिक है, समुचित प्रशिक्षण के जरिए स्व-रोजगार उद्यम लगाने तथा कौशल विकास कार्यक्रम के लिए सहायता हेतु पात्र बीपीएल लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा, सरकारी विभागों में प्रचलित दैनिक मजदूरी 100 रुपए है, जबकि निजी क्षेत्रों में यह 150 से 200 रुपए है। लाभार्थी मौजूदा वजीफा दर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इच्छुक भी नहीं हैं।

(ग) राज्यों/संघ प्रदेशों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा साथ ही मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकों के जरिए केन्द्रीय स्तर पर स्कीम की मानीटरिंग की जा रही है ताकि जारी की गई धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय को सहायता

1072. श्री पी. करूणाकरन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि केरल में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता हेतु मान्यता नहीं मिली है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के तहत विश्वविद्यालय को शामिल करने का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है। एक विशेषज्ञ समिति ने 28-30 नवम्बर, 2004 तक विश्वविद्यालय का दौरा किया। समिति की रिपोर्ट इसके विचारार्थ आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन केंद्रों की स्थापना

1073. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या साक्षरता पर इन केंद्रों के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम स्वयंसेवक आधारित है और इसमें स्वयंसेवक शिक्षकों द्वारा निरक्षरों को साक्षर बनाया जाता है। स्वयंसेवक शिक्षक शिक्षार्थियों को सुविधाजनक स्थानों पर साक्षरता प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और इसमें स्थायी अध्ययन केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना नहीं है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (30.11.2004 की स्थिति के अनुसार) के दौरान इस कार्यक्रम के लिए जारी अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 26 करोड़ रु. की राशि आवंटित की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) विभिन्न समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश के 346 जिलों में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है। इन एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कुछ सकारात्मक विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- इन कार्यक्रमों ने महिलाओं की मनोवृत्ति परिवर्तन में योगदान किया है और समाज के विभिन्न कार्यकलापों में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ किया है।
- साक्षरता कार्यक्रमों ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जागरूकता, वैज्ञानिक वृत्ति और स्वास्थ्य चेतना पैदा की है।
- इन कार्यक्रमों से स्कूलों में विशेषत: बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि में सहायता मिली है।
- लोग छोटा परिवार के मापदंडों, धर्मनिरपेक्षता, महिला समानता, भ्रष्टाचार, बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन, मद्यपान, दहेज, बहु-विवाह आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में अधिक सक्षम हुए हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.11.2004 की स्थिति के अनुसार) के दौरान साक्षरता अभियान योजना के तहत जारी अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	320.43	30.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	171.00	0.00	108.68

1	2	3	4	5	6
3.	असम	22.69	48.65	10.28	76.58
4.	बिहार	570.10	808.24	662.32	514.87
5.	छत्तीसगढ़	60.15	252.98	23.02	86.59
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	25.80	0.00	15.02	11.47
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	6.15
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	272.96	88.40
11.	झारखंड	119.43	307.54	95.31	110.04
12.	कर्नाटक	0.00	20.37	50.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	75.38	88.21	90.46	1.14
15.	महाराष्ट्र	76.18	10.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	151.10	63.80
17.	मणिपुर	0.00	0.00	18.31	153.30
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	153.42	115.30
20.	उड़ीसा	155.98	282.45	131.42	73.55
21.	पंजाब	0.00	43.14	39.00	0.00
22.	राजस्थान	40.63	77.47	25.77	0.00
23.	सिक्किम	0.00	36.60	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	18.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	673.09	247.97	277.62	5.00
27.	उत्तरांचल	44.47	11.63	18.61	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	118.10	50.00	144.95	0.00
29	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2000.00	2456.25	2500.00	1444.87

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला

1074. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, राष्ट्रपति निवास, शिमला द्वारा आवास सुविधा प्रदान करने हेतु सामान्य किराए की बजाय बाजार की दर से किराया वसूलने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान, शिमला एक स्वायत्त निकाय है जिसके शासी निकाय ने यह निश्चय किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार से बकाया सामान्य किराया राशि के भुगतान हेतु बातचीत की जाए ताकि यह संस्थान इस मामले पर आगे विचार कर सके।

एन.पी.के. के वास्तविक मिश्रण पर प्रतिबंध

1075. श्री पी.सी. थामस:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य को एन.पी.के. के वास्तविक मिश्रण पर प्रतिबंध से छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, हां। केरल सरकार ने एन.पी.के. के वास्तविक मिश्रण पर प्रतिबंध से छूट देने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) वास्तविक मिश्रणों पर प्रतिबंध 22 जनवरी, 2005 तक आस्थगित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि

1076. श्री महबूब जाहेदी: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि के आबंटन में विश्व बैंक के निदेशों का अनुपालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के तहत 39 करोड़ रुपये की प्राप्य धनराशि के स्थान पर पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2002 में केवल 7 करोड़ 88 लाख रुपये तथा वर्ष 2003 में करोड़ 97 लाख रुपये ही प्राप्त हुए;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार को बकाया धनराशि जारी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) राज्य को बकाया धनराशि जारी करने हेतु क्या कदम, यदि कोई हों, उठाए जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां।

(ख) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यूआरआईएफ) के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा वित्त मंत्रालय को धनराशि का नियतन किया जाता है। इन परिस्थितियों में विश्व बैंक से निदेश का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष स्कीम वित्त वर्ष 2003-04 से लागू है। पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2003-04 के दौरान 39.40 करोड़ रु. का नियतन किया गया था और उनसे करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने चार सुधार क्षेत्रों के संबंध में करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यथा-पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया (भारिता-10%) संपत्ति कर सुधार (भारिता-10%), उपभोक्ता प्रभार लगाना, (भारिता-20%) तथा शहरी स्थानीय निकायों में लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (भारिता-10%)। प्रत्येक सुधार क्षेत्र के लिए निर्धारित भारिता के अनुसार पश्चिम बंगाल का आनुपातिक नियतन 19.70 करोड़ रु. होता है (नियतन का 50%)। इसके अलावा, पात्र नियतन का 50%, अर्थात् 9.85 करोड़ रु. राशि, करार ज्ञापन हस्ताक्षर की गई राशि के रूप में पश्चिम बंगाल को जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय को संस्तुति की गई। करार ज्ञापन की निबंधन और शर्तों के अनुसार पात्र नियतन का शेष 50% निर्धारित उपलब्धि हासिल करने में हुई प्रगति का आकलन करने के बाद जारी किया जाना है।

(च) पात्र नियतन की शेष 50% राशि (9.85 करोड़ रु.) में से 2003-04 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उसे दूसरी किस्त के तौर पर 1.97 करोड़ रु. जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश की गई थी।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

1077. **श्री किरिप चालिहा:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीय से संबंधित, अमरीका स्थित मित्तल स्टील कारपोरेशन विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी के रूप में उभरी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कारपोरेशन ने भारत में अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इस्पात विनिर्माण में निवेश करने हेतु बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार मित्तल स्टील कार्पोरेशन विश्व के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में उभरकर आया है।

(ख) और (ग) भारत में प्रचालन शुरू करने के लिए उनकी इच्छा के बारे में इस्पात मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) इस्पात क्षेत्र के संबंध में, वर्तमान औद्योगिक नीति के प्रावधान और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित नीति बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा इस क्षेत्र में निवेश के प्रति पहले ही सहायक है।

लौह और इस्पात संयंत्रों का निरीक्षण

1078. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ दिनों में राज्यों को लौह और इस्पात कारखानों का राष्ट्रव्यापी निरीक्षण करने का निदेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है और इस निदेश पर प्रत्येक राज्य द्वारा क्या कार्रवाई की गई और इसके राज्यवार क्या परिणाम निकले?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जामा मस्जिद के आस-पास अवैध निर्माण

1079. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जामा मस्जिद के आस-पास अवैध निर्माण से दिल्ली के पर्यावरण और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय ने बार-बार वहां से उक्त ढांचों को हटाने के आदेश दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन ढांचों को अब तक न हटाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे ढांचों को हटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसके द्वारा नियमित आधार पर जामा मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्र से अनधिकृत अतिक्रमण हटाए जाते रहे हैं। इस प्रकार के ढांचे हटाए जाने के उच्च न्यायालय के आदेशों का भी अनुपालन किया गया है। तथापि, यह सही है कि जामा मस्जिद के आसपास खुले क्षेत्र में कुछ फेरीवाले दिन के समय अस्थाई अतिक्रमण करते पाये गए हैं जो शाम को वहां से चले जाते हैं। दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेशानुसार इस प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के लिए उपायुक्त (केंद्रीय) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है जिसका क्रियान्वयन स्थानीय निकायों द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

गृह निर्माण हेतु निधियों के आवंटन में वृद्धि

1080. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार को कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा तथा अकाल के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण हेतु निधियों के आवंटन में वृद्धि के अनुरोध संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय महिला आयोग

1081. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने में विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर मेघालय सरकार के उदासीन रवैये पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने मेघालय सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया है, ताकि वहां वास्तविक स्थिति तथा महिलाओं के सरोकारों का पता लगाया जा सके। दौरे करने के पश्चात् आयोग ने सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अपने निष्कर्षों से अवगत करा दिया है, जिससे कि वे आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) द्वारा इस्पात विकास कोष से लिया गया ऋण

1082. श्री जुएल ओराम: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) द्वारा इस्पात विकास कोष से कुल कितना ऋण लिया गया;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा ऋण लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऋण की धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात विकास निधि से सेल को कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप फास्फेट को घाटा

1083. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप फास्फेट्स में सरकारी हिस्सेदारी खरीदने वाले जुआरी मोराक फास्फेट्स ने संविदात्मक खंड के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 के दौरान पारादीप फास्फेट द्वारा उठाए गए इतनी ही राशि के घाटे के लिए सरकार पर दावा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जुआरी मोराक फास्फेट्स के दावे की विधिमान्यता की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों में परस्पर सहमति न होने के कारण अब दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से दोबारा लेखा-परीक्षा प्राधिकृत की गयी है।

मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषधियों की संख्या में कमी

1084. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भेषज उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहन देने हेतु मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषधियों की संख्या में कमी करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आवश्यक औषधियों के मूल्य नियंत्रण से उनकी गुणवत्ता और उपलब्धता प्रभावित होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की पेशकश करके आवश्यक औषधियों के उत्पादन हेतु और कंपनियों को अनुमति देना चाहता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आवश्यक औषधियों की उच्चस्तरीय गुणवत्ता और उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) समय-समय पर यथाघोषित औषध-नीति का उद्देश्य उचित कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता की औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

राज्य महिला आयोग की स्थापना

1085. श्रीमती करुणा शुक्ला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने अब तक राज्य महिला आयोग की स्थापना नहीं की है;

(ख) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन राज्यों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन और महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) निम्नलिखित राज्यों ने अब तक राज्य महिला आयोगों का गठन नहीं किया है-

1. अरुणाचल प्रदेश
2. गुजरात
3. झारखण्ड
4. मणिपुर
5. मेघालय

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने सभी राज्य सरकारों से राज्य महिला आयोग स्थापित करने का अनुरोध किया था।

(घ) और (ङ) सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

निधि की कमी

1086. श्री सीताराम सिंह: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के पास जनजातीय कल्याण संबंधी योजनाओं के लिए निधि की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों को उक्त योजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां तो विभिन्न राज्यों को, विशेषत बिहार को उपरोक्त योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जायेगी; और

(घ) जनजातीय व्यक्तियों की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार क्या प्रणाली अपनायेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कई केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें/योजनाएं कार्यान्वित करता है इन स्कीमों का विस्तृत विवरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही वेबसाइट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ट्राइबलनिक.इन. पर उपलब्ध है। ये परियोजनाएं जनजातियों को आय एवं रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे के विकास शैक्षिक विकास और साक्षरता में वृद्धि के रूप में सहायता करती हैं। कुछ योजनाएं जनजातियों के लिए लघु उत्पाद के उचित मूल्य एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों का आयात

1087. श्री सुरेश कलमाडी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधियां, विशेषकर जीवन रक्षक औषधियों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कुल कितने की ऐसी औषधियों का आयात किया गया; और

(ग) नई औषध नीति के अंतर्गत देश में औषधियों का उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) औषधों का आयात चालू विदेश व्यापार नीति से शासित होता है तथा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टांशेज एक्ट और औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के अधीन है।

(ख) किसी साधारण प्रतिबंध के नहीं होने के चलते विश्व के किसी भाग से आयात किया जा सकता है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में चिकित्सकीय और भेषज उत्पादों का आयात निम्नानुसार है:

वर्ष	चिकित्सकीय और भेषज उत्पादों का आयात (करोड़ रु.)
2001-02	2026.58
2002-03	2865.20
2003-04	2955.63 (अनंतिम)

(ग) विद्यमान औषध नीति प्रावधानों के तहत औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा स्वीकृत सभी प्रपुंज औषधों तथा उनके मध्यवर्तियों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग, री-काम्बिनेंट तकनीकी के प्रयोग से उत्पादित प्रपुंज औषधों और सक्रिय प्रिंसिपल के रूप में न्यूक्लिक एसिड के इन-वीवो प्रयोग की जरूरत वाले प्रपुंज औषधों के मामलों को छोड़ कर, समाप्त कर दी गई है। स्पेसिफिक सेल/टिश्यु टार्गेटिड सूत्रयोगों को छोड़ कर सूत्रयोगों के लिए लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई है। इन उदारीकृत प्रावधानों से भेषज सेक्टर में इकाइयों की स्थापना के लिए कई कंपनियां उत्साहित हुई हैं।

शिक्षा उपकर

1088. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के केंद्रीय बजट में लगाये गए 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर से एकत्र धनराशि वास्तव में प्राथमिक शिक्षा के वित्तपोषण में व्यय की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य हेतु अव्यपगतीय निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ग) मंत्रालय द्वारा अब तक इस निधि का किस सीमा तक उपयोग किया गया है; और

(घ) शिक्षा के विकास में इस निधि के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सिद्धांत रूप से यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा हेतु एक नान-लैप्सेबल निधि सृजित की जाए जिसमें शिक्षा कर की प्राप्तियां जमा की जाएंगी और वे रौल-ओवर आधार पर उपलब्ध होंगी। ज्यों ही इस निधि की स्थापना और कार्यकरण की रीतियां तय कर ली जाती हैं, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए योजनागत आवंटन को प्रथम पूरक अनुदान मांगों के माध्यम से बढ़ाया जाना अपेक्षित होगा।

ए.एस.पी. और एस.एस.पी. का नवीकरण

1089. श्री सुनील खां: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.ए.आई.एल. एलॉय स्टील प्लांट और सेलम स्टील प्लांट के लिए घाटा कम करने की योजनाओं को लागू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन संयंत्रों को पृथक रूप से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अब मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी) और सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) की हानि को कम करने और निष्पादन में सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है। ए एस पी, दुर्गापुर में कुछ परियोजनाएं जैसे इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिरर (ई एम एस), आप्टिकल इमीशन स्पेक्ट्रोमीटर तथा स्लैग फ्री टैपिंग पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और चालू कर दिए गए हैं। अन्य परियोजनाएं जैसे वैक्यूम आर्गन डिकार्बनाइजेशन (वी ए डी) यूनिट, आर्गन आक्सीडेशन डिकार्बनाइजेशन (ए ओ डी) यूनिट तथा इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस आदि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

ए एस पी में कार्बन स्टील स्लैबों की रोलिंग करके मिल का उच्च उपयोग और निर्यात बाजार के लिए वर्धित रोलिंग जैसे आंतरिक उपाय किए गए हैं। इससे 2003-04 के दौरान 1.94 करोड़ रुपए का सीमान्त निवल लाभ हुआ। किफायती मूल्य पर बेदाग इस्पात के स्लैब प्राप्त करने में एस एस पी समस्याओं का सामना कर रहा है और इस प्रकार सेल ने ए एस पी में ए ओ डी सुविधा स्थापित करने के बाद ए एस पी से इस्पात के स्लैब उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके कार्यान्वयन के बाद एस एस पी की हानि कम होगी और लाभप्रदा में सुधार होगा।

(ग) इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा पृथक रूप से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती। परियोजनाओं का निधियन सेल द्वारा किया गया है।

जनजातीय कल्याण हेतु व्यापक नीति

1090. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने जनजातीय कल्याण के लिए व्यापक नीति तैयार करने पर निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित नीति में सम्पूर्ण देश में फैली 698 अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं;

(ग) यदि हां तो इस नीति की घोषणा कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस नीति को लागू करने के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी हां।

(ग) जनजातियों के हेतु राष्ट्रीय नीति अभी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, इस स्थिति में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) यह नीति जनजातियों से संबंधित मामलों को विशद रूप रेखा प्रदान करेगी। यह प्रत्यक्षत: निधियों के परिमाणीकरण से नहीं जुड़ी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शापिंग माल का निर्माण

1091. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण वसंत कुंज, फेज-II में जल आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ कोई करार किये बिना एक शापिंग माल का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि वसंत कुंज पहले ही अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहा है और वहां के निवासी निजी आबंटकों से जल खरीदने के लिए बाध्य हैं तथा ऐसे माल के निर्माण से इस क्षेत्र की जलाभाव की समस्या और बढ़ जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो जलापूर्ति के लिए कोई व्यवस्था किये बिना माल के निर्माण के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि वसंत कुंज में शापिंग माल काम्प्लैक्स की दिल्ली जल बोर्ड के साथ परामर्श करके योजना बनायी गई है जिससे सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र शुरू किए जाने के बाद पर्याप्त जल आपूर्ति का आश्वासन दिया है। वसन्त कुंज को की जा रही मौजूदा जल आपूर्ति में से जल आपूर्ति किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना

1092. श्री परसुराम माझी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार अवस्थितिवार उड़ीसा में उन महाविद्यालयों की संख्या कितनी है जो स्वायत्त घोषित किये गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राज्य में कुछ और महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुमोदित प्रस्ताव में से उन महाविद्यालयों की संख्या कितनी है जिन्हें 2004-05 के दौरान स्वायत्तता प्रदान की जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा में अब तक उन्नीस कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है। इन कालेजों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य में निम्नलिखित नौ और कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

1. केन्द्रपाड़ा कालेज, केन्द्रपाड़ा
2. बंकी कालेज, बंकी
3. प्राणनाथ कालेज, खुर्द
4. एस.वी.एम. कालेज, जगत सिंहपुर
5. नयागढ़ कालेज, नया गढ़
6. के.एस.यू.बी. कालेज, भंजनगर
7. लाराम्बा कालेज, ब्रज विहार, जिला बारगढ़
8. राजकीय कालेज, सुन्दरगढ़
9. डालमिया कालेज, राजगंगपुर, जिला सुन्दरगढ़

तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति को इस प्रकार का दर्जा देने हेतु कालेजों का मूल्यांकन करने के लिए अभी कालेजों का दौरा करना है।

विवरण

उड़ीसा स्थित स्वायत्त कालेजों की सूची

1. खालीकोटे कालेज, बहरामपुर
2. एस.के.सी.जी. कालेज, पारालखेमुंडी
3. विक्रमदेव कालेज, जेपोर
4. राजकीय कालेज, फुलबनी
5. रवैनशो कालेज, कटक
6. सामान्त चन्द्रशेखर कालेज, पुरी
7. बी.जे.बी. कालेज, भुवनेश्वर
8. रामादेवी महिला कालेज, भुवनेश्वर
9. नरसिंह चौधरी कालेज, जाजपुर

10. महाराजा पूर्णचन्द्र कालेज, बारीपाड़ा

11. एफ.एम. कालेज, बालासोर

12. धेनकनाल कालेज, धेनकनाल

13. भद्रक कालेज, भद्रक

14. धारानिधार कालेज, क्योंझर

15. गंगाधर महेर कालेज, सम्बलपुर

16. विश्वविद्यालय इंजीनियरी कालेज, बुरला

17. राजकीय कालेज, राउरकेला

18. राजेन्द्र कालेज, बोलंगीर

19. राजकीय कालेज, भवानीपटनम्

[हिन्दी]

सोलर फोटो वोल्टिक कार्यक्रम

1093. श्री मोहन रावले : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सोलर फोटो वोल्टिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए दो चरणों में राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में एस.पी.वी. कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है और 2002-2003 और 2003-04 के दौरान प्रदत्त अनुदान राज्यवार कितना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) सरकार अपने सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत तीन योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। ये सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन योजना, सौर जल पंपन योजना और ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत योजना हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों में राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन योजना के कार्यान्वयन में कुछ प्रसिद्ध गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत सौर रोशनी, सौर जल पंप, स्टैंड एलोन एवं ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत संयंत्र आदि की खरीद/स्थापना करने के लिए उपयोगकर्त्ताओं को सब्सिडी प्रदान की जाती है। उपयोगकर्त्ताओं को सब्सिडी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां दो या तीन चरणों में जारी की जाती है। सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन योजना के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसियों को सब्सिडी दो चरणों में तथा गैर-सरकारी संगठनों को तीन चरणों में जारी की जाती है। सौर जल पंपन योजना और ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत योजना के अंतर्गत, सब्सिडी तीन चरणों में जारी की जाती है।

विभिन्न चरणों में सब्सिडी जारी करने के कार्यक्रम की अच्छी मानीटरिंग में सहायता मिलती है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश के विभिन्न भागों में आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। इन कार्यालयों के अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर अपने संबंधित क्षेत्रों में राज्यों के साथ परस्पर संपर्क में रहते हैं तथा परियोजना स्थलों का क्षेत्रीय निरीक्षण भी करते है। मुख्यालय के अधिकारी समय-समय पर क्षेत्र का दौरा भी करते हैं तथा राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बैठकें करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार स्वतंत्र व्यावसायिक संगठनों द्वारा संस्थापित प्रणाली का मूल्यांकन भी कराती है।

(ङ) लोगों के बीच सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिए लागत में कमी और जागरूकता पैदा करना दो महत्वपूर्ण विषय हैं। उपयोगकर्त्ताओं को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर इन प्रणालियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार चुनिंदा प्रणालियों पर प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करने के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पर छूट, रियायती सीमा शुल्क और अन्य कर-लाभ प्रदान कर रही है। यह लागत में कटौती के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान कर रही है तथा इन प्रणालियों की क्षमता बढ़ा रही है।

सरकार ने देश में सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया है। अक्षय ऊर्जा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यकलापों के आयोजन द्वारा 20 अगस्त, 2004 को समूचे देश में ''राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस'' मनाया गया। दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 को दिल्ली में 'शहरी प्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा' पर महापौरों और नगर आयुक्तों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। सरकार के अनुरोध पर आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर निगम, नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों को शहरी क्षेत्रों में कुछ अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा का अनिवार्य प्रयोग

करने के लिए आदेश जारी किया है। अन्य राज्य भी इसी प्रकार का आदेश जारी करने पर विचार कर रहा हैं। व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशवोल्टीय पर लीफलेट और अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई है।

(च) ऐसे गैर-सरकारी संगठन जो सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन योजना के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं, था वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान उनको दिए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	वर्ष 2002-03 के दौरान गैर-सरकारी संगठन को दिए गए अनुदान (रु.)	वर्ष 2003-04 दौरान गैर-सरकारी संगठन को दिए गए अनुदान (रु.)
1.	वर्ल्ड रिन्युअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, माऊंट आबू, राजस्थान	27,48,500	8,49,300
2.	रामकृष्ण मिशन, नरेन्द्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	88,85,900	1,09,42,500
3.	आल इंडिया वूमन कान्फ्रेंस, नई दिल्ली	32,59,676	–
4.	सोशल वर्क रिसर्च सेंटर, तिलोनिया, राजस्थान	2,46,73,700	–
5.	एलईडीईजी, लेह लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर	34,85,000	–
6.	राजागिरि कालेज आफ सोशल साइसेंज, केरल	33,76,700	–
7.	अंद्योदय, केरल	4,24,500	22,53,000

चंडीगढ़ आवास बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन

1094. श्री पवन कुमार बंसल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ आवास बोर्ड भारत सरकार के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन के स्वामित्व वाला सांविधिक निकाय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं;

(ग) क्या इस बोर्ड के कर्मचारी संघ शासित प्रदेश प्रशासन के अन्य विभागों, महानगर पालिका निगम आदि के समान एक पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए अभ्यावेदन करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसको अब तक मंजूरी न देने के कारण क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) चंडीगढ़ आवास बोर्ड एक ऐसा निगमित निकाय है जिसे हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1973, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित, की धारा 3 के तहत गठित किया गया है। यह प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के नियंत्रणाधीन है। चंडीगढ़ आवास बोर्ड में 9 सदस्य हैं जिनमें से अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया

जाता है और बाकी 7 सदस्यों में से 3 गैर-सरकारी सदस्य होते हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के अध्यक्ष ने पेंशन योजना तैयार करने के लिए बोर्ड के कृत्यकारियों की एक समिति गठित की है।

आवास कर

1095. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास कर लगाने की पद्धति अब लागत आधारित प्रणाली के बजाय यूनिट एरिया प्रणाली आधारित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के कारण क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का फ्लैट धारकों से वसूल की गई अधिक धनराशि को वापस करने का कोई प्रस्ताव है जो उन्होंने यूनिट एरिया प्रणाली दरों के आधार पर आवास कर अदा किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह सूचित किया है कि आवास कर लगाने की पद्धति अब लागत आधारित प्रणाली के बजाय यूनिट एरिया प्रणाली आधारित हो गई है। पूर्ववर्ती प्रणाली में मौजूद विसंगतियों को दूर करने हेतु यह परिवर्तन किया गया है। यूनिट एरिया प्रणाली अन्य राज्यों में भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है।

(ग) जी, नहीं। उन मामलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिनपर पुरानी प्रणाली अनुसार गुण-दोषों के आधार पर पहले निर्णय लिया जा चुका है।

(घ) संशोधित अधिनियम 1.4.2004 से कार्यान्वित किया गया है तथा इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में जल आपूर्ति

1096. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकासशील देशों में जल आपूर्ति का आकलन करने वाली विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2004 से अवगत है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली की जल आपूर्ति विकासशील देशों के बड़े शहरों में सबसे खराब है;

(ख) यदि हां, तो विश्व में प्रमुख विकासशील देशों की तुलना में इस शहर की जल आपूर्ति की स्थिति के संबंध में विश्व बैंक के निष्कर्षों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि उसे "वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट, 2004" की जानकारी है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में औसतन प्रति दिन 4 घंटे पानी सप्लाई किया जाता है और 30% पानी बर्बाद हो जाता है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि कराची में पानी सप्लाई की अवधि न्यूनतम अर्थात 3 घंटे प्रतिदिन है और अनोम पेन्ह में पानी की बर्बादी सबसे ज्यादा अर्थात लगभग 60% है।

जहां तक दिल्ली का संबंध है, इसकी आबादी लगभग 140 लाख है और दिल्ली जल बोर्ड अपने सभी स्रोतों से करीब 675 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) उत्पादन/सप्लाई कर रहा है। पानी के उत्पादन/सप्लाई में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय/प्रयास किए गए हैं:

1. सोनिया विहार में 140 एमजीडी जल शोधन संयंत्र चालू किए जाने के लिए तैयार है और टिहरी बांध से कच्चे पानी की प्रतीक्षा की जा रही है।
2. जल वितरण प्रणाली में रिसाव से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मुनाक से हैदरपुर तक 102 किमी लंबे समानांतर लाइन चैनल के निर्माण से लगभग 80 एमजीडी पानी बचाया जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड का इस पानी से निम्नलिखित जल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है:-

   (1) बवाना 20 एमजीडी

   (2) द्वारका 40 एमजीडी

   (3) ओखला 20 एमजीडी

3. पल्ला क्षेत्र में 100 ट्यूब वेल लगाना। करीब 70 ट्यूब वेल पहले ही लगाए जा चुके हैं और चालू हैं।

4. दिल्ली के लगभग सभी भागों में निर्धारित समय में पानी सप्लाई करने की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर पीने के पानी की सर्वत्र 24 × 7 सप्लाई तथा सीवरेज सेवाओं अर्थात 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन पानी की सप्लाई की परियोजना कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए गए हैं। प्रारंभ में 2 जोन अर्थात साउथ-II तथा साउथ-III में उपर्युक्त कार्यक्रम का फेस-I शुरू करने का निर्णय किया गया है और बाद में अनुभव के आधार पर यह परियोजना अन्य जोनों में भी चलाई जाएगी।

एस.जे.एस.आर.वाई. को लागू करने हेतु धनराशि का आबंटन

1097. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री गिरिधारी यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार किया गया बजटीय आबंटन कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित निधि कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित की संख्या कितनी है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में उक्त कार्यक्रम को लागू करने के लिए आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी राशियां और वर्तमान वर्ष के लिए राज्यवार अनन्तिम बजट नियतन संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) घटक के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को राज्यवार जारी राशियां विवरण II में दी गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित मानव कार्य दिनों की राज्यवार संख्या विवरण III में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष के अंत में राशियों की उपलब्धता पहले जारी राशियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के आधार पर तथा संबंधित राज्यों द्वारा की गई मांग के आधार पर भी बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सामान्य अनन्तिम नियतन से अधिक और उससे अतिरिक्त राशियां जारी की जाती हैं।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 के दौरान राज्यवार जारी केन्द्रीय अंश तथा वर्ष 2004-05 के लिए राशियों का अनंतिम आवंटन का ब्योरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2001-02 के दौरान जारी	2002-03 के दौरान जारी	2003-04 के दौरान जारी	2004-05 के दौरान अनंतिम बजट नियतन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	331.51	904.15	1390.19	773.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	0.00	7.84	53.26
3.	असम	-	0.00	0.00	496.32
4.	बिहार	-	0.00	425.38	468.09

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	128.44	236.41	229.65	278.58
6.	गोवा	–	0.00	0.00	7.50
7.	गुजरात	166.67	1717.07	260.19	356.82
8.	हरियाणा	50.40	238.39	569.95	68.47
9.	हिमाचल प्रदेश	23.98	63.64	32.58	44.75
10.	जम्मू व कश्मीर	12.81	62.98	30.41	52.88
11.	झारखण्ड	66.64	0.00	0.00	156.02
12.	कर्नाटक	395.16	668.68	577.46	565.15
13.	केरल	266.23	301.99	610.50	254.95
14.	मध्य प्रदेश	304.02	683.93	818.32	753.15
15.	महाराष्ट्र	–	618.73	322.56	1306.75
16.	मणिपुर	–	0.00	0.00	137.64
17.	मेघालय	–	0.00	0.00	70.91
18.	मिजोरम	70.52	105.15	522.79	93.84
19.	नागालैंड	37.00	68.78	1.90	58.38
20.	उड़ीसा	300.00	381.48	0.00	322.65
21.	पंजाब	–	67.38	0.00	54.49
22.	राजस्थान	32.64	402.53	122.96	340.19
23.	सिक्किम	28.86	31.20	163.21	17.47
24.	तमिलनाडु	285.32	751.22	648.58	634.76
25.	त्रिपुरा	84.99	114.31	354.26	102.18
26.	उत्तरांचल	27.88	16.33	46.27	74.82
27.	उत्तर प्रदेश	733.07	1671.76	1571.74	1422.61
28.	प. बंगाल	293.86	501.66	883.26	424.02
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	0.00	0.00	131.03
30.	चंडीगढ़	–	269.09	278.37	154.29
31.	दादर व नगर हवेली	–	23.91	14.63	16.38

1	2	3	4	5	6
32.	दमन व दीव	–	0.00	0.00	27.30
33.	दिल्ली	–	0.00	0.00	132.47
34.	पांडिचेरी	191.00	191.00	191.00	58.53
	कुल	3831.00	10091.77	10074.00	9910.00

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम घटक पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी राशियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2001-02 जारी केन्द्रीय अंश	2002-03 जारी केन्द्रीय अंश	2003-04 जारी केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	81.21	161.37	159.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	7.84
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	66.51
5.	छत्तीसगढ़	37.26	0.00	29.70
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	46.92	74.45	73.76
8.	हरियाणा	12.77	44.65	114.15
9.	हिमाचल प्रदेश	0.50	0.00	0.00
10.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	34.27	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	166.27	206.52	116.82
13.	केरल	0.00	0.00	52.70
14.	मध्य प्रदेश	77.28	185.30	183.58
15.	महाराष्ट्र	0.00	272.67	739.95
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
18.	मिजोरम	39.90	31.99	219.60
19.	नागालैंड	0.22	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	300.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	70.32
23.	सिक्किम	4.04	6.66	41.74
24.	तमिलनाडु	87.68	231.97	131.21
25.	त्रिपुरा	30.98	19.66	21.35
26.	उत्तरांचल	11.93	0.00	15.47
27.	उत्तर प्रदेश	242.53	518.31	594.07
28.	प. बंगाल	101.04	319.19	8, .65
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़			
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली			
34.	पांडिचेरी	0.00	0.00	191.00
	कुल	1274.80	2072.74	2917.28

विवरण-III

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम घटक पिछले तीन वर्षों के दौरान सृजित मानव कार्य दिनों की संख्या (लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.17	1.70	1.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.19	0.71	3.07
3.	असम	0.43	0.65	1.23
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00

1	2 .	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	4.45
6.	गोवा	0.75	0.00	0.00
7.	गुजरात	3.71	1.06	7.94
8.	हरियाणा	0.46	0.10	0.36
9.	हिमाचल प्रदेश	0.67	0.00	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	0.01	0.07	0.05
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	20.45	4.67	7.56
13.	केरल	0.00	0.11	0.00
14.	मध्य प्रदेश	2.68	1.81	0.74
15.	महाराष्ट्र	7.17	5.93	3.19
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.49
17.	मेघालय	0.00	1.00	0.63
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.13	0.32
20.	उड़ीसा	0.19	3.37	0.92
21.	पंजाब	0.82	0.03	0.34
22.	राजस्थान	2.56	3.82	0.80
23.	सिक्कम	0.44	0.30	0.55
24.	तमिलनाडु	3.96	1.19	2.24
25.	त्रिपुरा	0.97	0.14	0.42
26.	उत्तरांचल	0.15	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	5.34	3.12	3.63
28.	प. बंगाल	2.85	0.91	2.42
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.47	0.29	1.58
30.	चंडीगढ़	–	–	–
31.	दादर व नगर हवेली	0.05	0.13	0.04

1	2	3	4	5
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	–	–	–
34.	पांडिचेरी	0.00	0.02	0.39
	कुल	57.49	31.26	45.30

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में छात्रावासों का निर्माण

1098. श्री सुरेश चन्देल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को 3,25,40,000 रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता का 50 प्रतिशत मांगने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है जिसमें मंत्रालय के समक्ष अभी तक लंबित आर.के.एम.वी. सरकारी उच्च विद्यालय ताबों के लिए छात्रावासों का निर्माण शामिल है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को भेजने की तिथि क्या थी और उनकी प्राप्ति से आज की तिथि तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने आर.के.एम.बी राजकीय डिग्री कालेज शिमला, राजकीय मिडिल विद्यालय, की स्पीती, राजकीय डिग्री कालेज कुल्लू एवं हाई-स्कूल टाबों में लड़कों/लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने हेतु कई बार अनुरोध भेजा था। इन स्थान पर छात्रावास निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमानित कुल लागत 262.70 लाख रुपये थी राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि इस धनराशि का 50% अर्थात 131.35 लाख रुपये उन्हें केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किये जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस विषयों के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय को जिन तिथियों को भेजे गए और उन पर अब तक की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ऐसे प्रस्तावों को निस्तारित करने पर कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। लेकिन राज्य सरकार से सारे प्रलेख प्राप्त होने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव	हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र की तारीख जिसके तहत प्रस्ताव भेजा गया	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गयी कार्रवाई
1	2	3	4
1.	आर.के.एम.बी राजकीय महाविद्यालय शिमला	15-2-2002	राज्य सरकार ने जिन पत्रों के तहत ये दो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे वे जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुए। यह मामला इस मंत्रालय के संज्ञान में तब आया जब राज्य सरकार ने 30.4.2003 को एक अनुस्मारक भेजा। तब राज्य सरकार को
2.	राज्यकीय हाई स्कूल टाबू	13.9.2001	

1	2	3	4
			सलाह दी गयी कि चूंकि मूल प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है इसलिए उन्हें शीघ्र भेजा जाए जिससे केन्द्र सरकार मामले पर कार्रवाई कर सके। उसके बाद राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: इस मामले में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आगे कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, की स्पीति	18.6.02	जनजातीय कार्य मंत्रालय में इन दो प्रस्तावों की सघन जांच की गयी और यह पाया गया कि लड़कों/ लड़कियों के लिए छात्रावास के लिए निर्माण हेतु विगत में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को जो निधियां जारी की गयी थी उनमें से 200.72 लाख रुपये की बड़ी अव्ययित धनराशि उनके पास पहले से ही बची हुई है। इसलिए इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया। राज्य सरकार को सलाह दी गयी कि पूर्व में जिन परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की गयी भी उनके संदर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि कुल्लू एवं की स्पीती में छात्रावास निर्माण के नए प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। राज्य सरकार से 200.72 लाख रुपये के संदर्भ में आज तक पूर्ण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए है इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए इन दो मामलों पर विचार करना संभव नहीं हो पाया।
4.	राज्यकीय डिग्री कालेज, कुल्लू	4.12.02	

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को खोलना

1099. **श्री धावरचन्द गेहलोत:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नये इंजिनियरिंग, तकनीकी महाविद्यालयों को आरंभ करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) को प्राप्त हुए प्रस्तावों की कुल संख्या क्या है;

(ख) आज की तिथि तक राज्य-वार विचार किये गए और अनुमोदित प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ग) आज की तिथि में देश में राज्य-वार इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी हैं;

(घ) क्या सरकार के पास उच्च तकनीकी शिक्षा को सुचारू बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार देश में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की कमी को देखते हुए और अधिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान नए इंजीनियरी कालेजों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार कुल संख्या और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या, विवरण I में दी गई है।

(ग) 1.12.2004 की स्थिति के अनुसार इंजीनियरिंग कालेजों की राज्यवार सूचना विवरण II में दी गई है।

(घ) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के उपयुक्त योजनाबद्ध और समन्वित विकास को ध्यान में रखते हुए संसद अधिनियम के अन्तर्गत की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अगले शैक्षिक वर्ष में नए इंजीनियरी कालेजों की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

विवरण-I

नए डिग्री इंजीनियरी कालेजों की स्थापना के लिए प्राप्त/अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003 प्राप्त प्रस्ताव	2002-2003 अनुमोदित प्रस्ताव	2003-2004 प्राप्त प्रस्ताव	2003-2004 अनुमोदित प्रस्ताव	2004-05 प्राप्त प्रस्ताव	2004-05 अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्र	1. मध्य प्रदेश	88	11	69	10	14	6
	2. छत्तीसगढ़	2	0	10	0	6	2
	3. गुजरात	37	2	28	1	14	11
	कुल	127	13	107	11	34	19
पूर्व	1. मिजोरम	0	0	0	0	0	0
	2. सिक्किम	0	0	0	0	0	0
	3. पश्चिम बंगाल	23	7	24	7	10	2
	4. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
	5. मेघालय	0	0	0	0	0	0
	6. अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
	7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
	8. असम	1	0	1	0	0	0
	9. मणिपुर	0	0	0	0	0	0
	10. नागालैंड	0	0	0	0	0	0
	11. उड़ीसा	17	3	22	0	9	3
	12. झारखंड	10	0	13	1	5	2
	कुल	51	10	60	8	24	7

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर	1. बिहार	2	1	4	0	2	2
	2. उत्तर प्रदेश	38	9	45	0	26	7
	3. उत्तरांचल	3	0	8	0	2	0
	कुल	43	10	57	0	30	9
उत्तर-पश्चिम	1. चंडीगढ़	1	0	0	1	1	1
	2. हरियाणा	15	1	13	3	6	2
	3. जम्मू व कश्मीर	0	0	2	0	1	0
	4. नई दिल्ली	11	1	24	1	6	0
	5. पंजाब	23	11	14	6	11	6
	6. राजस्थान	13	6	19	10	9	5
	7. हिमाचल प्रदेश	0	1	5	1	1	0
	कुल	63	20	77	22	35	14
दक्षिण	1. आन्ध्र प्रदेश	86	41	167	5	88	18
	2. पांडिचेरी	1	1	1	0	0	0
	3. तमिलनाडु	47	21	62	1	11	4
	कुल	134	63	230	6	99	22
दक्षिण पश्चिम	1. कर्नाटक	21	8	27	2	11	6
	2. केरल	67	29	73	10	10	7
	कुल	88	37	100	12	21	13
पश्चिम	1. महाराष्ट्र	86	4	52	0	36	5
	2. गोवा	0	0	0	0	0	0
	3. दमन और द्वीव, दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0
	कुल	86	4	52	0	37	5
	कुल योग	592	157	683	59	280	89

विवरण-II

1.12.2004 तक डिग्री इंजीनियरी कालेजों की राज्यवार संख्या

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
1	2	3
केन्द्र	1. मध्य प्रदेश	62
	2. छत्तीसगढ़	14
	3. गुजरात	37
	कुल	113
पूर्व	1. मिजोरम	1
	2. सिक्किम	1
	3. पश्चिम बंगाल	52
	4. त्रिपुरा	1
	5. मेघालय	1
	6. अरूणाचल प्रदेश	1
	7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
	8. असम	3
	9. मणिपुर	1
	10. नागालैंड	0
	11. उड़ीसा	40
	12. झारखंड	9
	कुल	110
उत्तर	1. बिहार	9
	2. उत्तर प्रदेश	86
	3. उत्तरांचल	9
	कुल	104
उत्तर-पश्चिम	1. चंडीगढ़	4
	2. हरियाणा	38
	3. जम्मू व कश्मीर	6
	4. नई दिल्ली	14
	5. पंजाब	45
	6. राजस्थान	44
	7. हिमाचल प्रदेश	5
	कुल	156
दक्षिण	1. आन्ध्र प्रदेश	240
	2. पांडिचेरी	6
	3. तमिलनाडु	253
	कुल	499
दक्षिण पश्चिम	1. कर्नाटक	118
	2. केरल	89
	कुल	207
पश्चिम	1. महाराष्ट्र	157
	2. गोवा	3
	3. दमन और द्वीव, दादर और नगर हवेली	0
	कुल	160
	कुल योग	1349

[अनुवाद]

लापता महिला और बच्चे

1100. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल लापता व्यक्तियों, विशेषत: महिला एवं बच्चों में से केवल 60% मामलों की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकतम मामले पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की छत्रछाया में गठित विशेषज्ञ दल ने इस तथ्य का गहन अध्ययन के बाद पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं और इस संबंध में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को जारी किये जाने वाले विशेष दिशानिर्देश क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार लापता व्यक्तियों के संबंध में बहुत सी घटनाएं पुलिस रिकार्ड में दर्ज नहीं की जाती है तथा चाइल्डलाइन और अन्य हेल्पलाइनों के रिकार्डों की तुलना में इन आंकड़ों में व्यापक विसंगति है। तथापि, इस अध्ययन ने इस निष्कर्ष के समर्थन में कोई सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका आपराधिक संख्या 190/2002-शक्ति वाहिनी बनाम संघ सरकार एवं अन्य में दिनांक 2.11.2004 के अपने आदेश के तहत उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के वकील को उपलब्ध करायी जाए। यह मामला न्यायाधीन है और अगली सुनवाई की तारीख 4.1.2005 निर्धारित की गई है।

औषधि एककों के पुनरुद्धार संबंधी समिति

1101. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधि एककों के पुनरूद्धार के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. और हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक्स लि. के पुनरूद्धार के लिए तकनीकी वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है;

(ङ) इन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया हैं;

(च) इन औषधि एककों के पुनरूद्धार की वजह से प्रभावित होने वाले संभावित कामगारों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(छ) प्रभावित कामगारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ज) इन कार्यक्रमों हेतु एकक-वार निर्धारित कोष कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) आईडीपीएल और अन्य औषध यूनिटों के पुनरूद्धार के लिए संसद सदस्यों, भेषज पीएसयूज के कर्मचारी संघों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार ने केवल आई डी पी एल के पुनर्वास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति को 31 दिसम्बर, 2004 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए कोई ऐसी समिति गठित नहीं की गई है।

(घ) से (ज) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

वृहत शहरों में विकास

1102. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वृहत शहरों का अवसंरचनात्मक विकास संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें और लघु एवं मध्यम कस्बों की एकीकृत विकास की योजनाओं को एक शीर्ष के अंतर्गत लाने का हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) "मेगा शहरों में अवस्थापना विकास" तथा "छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास" की मौजूदा स्कीमों की समीक्षा तथा पुनर्मूल्यांकन, विशेषत: आबादी मानदण्ड के आधार पर कुछ शहरों को छोड़ने के संदर्भ में की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर को आर्थिक पैकेज

1103. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मोहन सिंह:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में दोनों के द्वारा की गई पैकेज की घोषणा सहित महत्वपूर्ण घोषणाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में उनके दौरे के दौरान वहां हुई उग्रवादी घटनाओं का ब्योरा क्या है;

(घ) विभिन्न राजनैतिक और कट्टरपंथी गुटों के साथ उन दोनों की मुलाकात का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जम्मू और कश्मीर में उनके दौरे का क्या परिणाम रहा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जम्मू और कश्मीर में अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्य में ऐसे हर किसी के साथ जो हिंसा का परित्याग करें, बिना शर्त बातचीत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना की भी घोषणा की है। इस योजना में मुख्य रूप से बिजली और सड़कों जैसी आधारभूत परियोजनाओ, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करना, रोजगार और पर्यटन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों में आय अर्जित करने पर ज्यादा जोर देना तथा प्रवासी परिवारों को राहत और उनका पुनर्वास शामिल है।

(ग) जम्मू और कश्मीर में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के दौरों के दौरान दो बड़ी घटनाएं हुई। 6 नवम्बर, 2004 को आतंकवादियों ने सोपोर में फल मंडी में सीमा सुरक्षा बल के शिविर में जबरन घुसने का प्रयास किया जिसमें सीमा सुरक्षा बल का एक जवान और एक आतंकवादी मारा गया और सीमा सुरक्षा बलों और पुलिस के एक तलाशी दल पर गोलियां चलाई जिसमें दो आतंकवादी मारे गए और सीमा सुरक्षा बल का एक जवान तथा तीन सिविलियन जख्मी हो गए।

(घ) राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों के अतिरिक्त, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद के कार्यकारीगण, विभिन्न ग्रुपों, प्रवासियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि-मंडलों ने दौरे पर आए गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की।

(ङ) इन दौरों से राज्य में शांति स्थापना में और उसके आर्थिक विकास में तेजी लाने में सफलता मिली है।

[हिन्दी]

दाभोल विद्युत परियोजना

1104. श्री रामजी लाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री प्रकाश बापू वी. पाटिल:
मो. मुकीम:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दाभोल विद्युत परियोजना को पुन: आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय लेने से पहले उपरोक्त परियोजना की व्यवहार्यता का कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन के लिए उपरोक्त परियोजना में प्रयुक्त होने वाले ईंधन का नाम क्या है; और

(ङ) विद्युत उत्पादन पर प्रति इकाई कितनी लागत आने की संभावना है और विद्युत को किस दर पर बेचा जाना प्रस्तावित है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) भारत सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना से संबंधित सभी मामलों की जांच करने एवं उन पर निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया है। ईजीओएम ने इस संबंध में कई बैठकें आयोजित की हैं, और डाभोल परियोजना के पुनर्गठन के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। सभी आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ईजीओएम परियोजना को शुरू करने के लिए पुनर्गठन रूट को निर्धारित करेगा।

विद्यालय विकास निधि

1105. श्री अजेश पाठक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों (लड़के/लड़कियों) से विद्यालय विकास निधि फीस लेने के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा किन कार्य मदों पर विद्यालय विकास निधि खर्च की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विद्यालय विकास निधि के दुरूपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्यालय विकास निधि को मानीटर करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विद्यालय विकास निधि कक्षा XI और XII के विज्ञान के छात्रों से 200/- रु. प्रतिमाह छात्र की दर से तथा उनके अलावा सभी छात्रों से 160/- रु. प्रति माह की दर से ली जा रही है ताकि इस राशि से सरकार द्वारा संस्वीकृत किए जा रहे गैर-योजनागत अनुदान में से होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(ख) विद्यालय विकास निधि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक उत्तम शिक्षा सुविधाएं और खेल की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने, विद्यालय के भवनों के रखरखाव, अंशकालीन संविदा शिक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान, बिजली के बिलों, सम्पत्ति कर इत्यादि के भुगतान के लिए केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा खर्च की गई। विद्यालय विकास निधि वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों की भूमि खरीदने, अस्थाई निर्माण की व्यवस्था करने और फर्नीचर को खरीदने के लिए उपयोग की गई।

(ग) और (घ) जी हां। विद्यालय विकास निधि को अस्थाई आवास के निर्माण के लिए खर्च करने के संबंध में शिकायत है।

(ङ) और (च) जी हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक और उप लेखा नियंत्रक को इन शिकायतों की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व ने विद्यालय विकास निधि के उपयोग के संबंध में दस्तावेजों की जांच करने के लिए एक दल भी प्रतिनियुक्त किया है।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के साथ केरल के सांसदों की बैठक

1106. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ केरल के सांसदों की बैठक बुलाई थी तथा मंजूरी के लिए लंबित केरल की विद्युत परियोजनाओं की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्री ने दिनांक 19.07.2004 को केरल के सांसदों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में केरल राज्य में हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीमों के विकास की स्थिति की समीक्षा की गई। यह सूचित किया गया कि 1980 के बाद केरल राज्य की 9 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पुन: प्रस्तुतीकरण के लिए वापस की गई हैं। इनमें से राज्य की छ: स्कीमें तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच अन्तर-राज्यीय विवाद का शिकार है। दो स्कीमों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बड़े परिवर्तन सुझाए गए थे तथा एक स्कीम को आवश्यक निवेश न दर्शाने के कारण वापस कर दिया गया था। इन स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

केरल राज्य सरकार से तमिलनाडु व कर्नाटक राज्य सरकारों के साथ अन्तर-राज्य मामलों को हल करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि कुछ विशिष्ट मुद्दों, जिन पर संबंधित राज्य सरकारों के बीच असहमति हो, के समाधान के लिए यदि केन्द्र सरकार के सहयोग की अपेक्षा हो तो उसके ब्यौरे केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित किए जाएं ताकि किसी सहमत समाधान तक पहुंचा जा सके।

तीनों स्कीमें अर्थात अधिरापल्ली, मानकुलम तथा थोट्टियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाएं (एचईपी) पर्यावरण व वन स्वीकृति हेतु लंबित है। मानकुलम एचईपी को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में 2.8.2004 को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। (सीडब्ल्यूसी) तथा पर्यावरण व वन मंत्रालय के बीच हाइड्रोलाजी व पर्यावरण से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श में लगा हुआ है।

राज्य सरकार ने कुरियर-कुट्टी (30 मे. वा.) तथा करपाया (36 मे.वा) तथा एचईपी की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की तैयारी का सीईए से अनुरोध किया हैं।

यह सूचित किया गया था कि तीन स्कीमें नामत: ओकेकोबिल (60 मे.वा.) चेलपूजा (60 मे.वा.) तथा कारापारा कुरियर कुट्टी (84 मे.वा.) कुल संस्थापित क्षमता 204 मे.वा. राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण व जांचाधीन है।

केरल के हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशनों के नवीकरण, आधुनिकीकरण व उच्चीकरण कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श किया गया था। 349 करोड़ रु. की लागत से 115.5 मे.वा. उपार्जित लाभ वाली 3 स्कीमों को दसवीं योजना के दौरान पहले ही पूरा कर लिया गया है तथा एक स्कीम, 31.92 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जिसका लाभ 54 मे.वा. होगा, क्रियान्वयनाधीन है तथा इसके 2006-07 में पूर्ण होने की संभावना है।

राज्य सरकार को अतिरिक्त विद्युत आबंटन के बारे में यह सूचित किया गया कि पूर्वी क्षेत्र से राज्य को अतिरिक्त विद्युत आबंटन पहले ही किया जा चुका है।

विवरण

केरल में पुन: प्रस्तुतीकरण हेतु लौटाई गई जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्कीम का प्रकार	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	प्राप्ति/वापसी की तिथि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	केरला भवानी	स्टोरेज लाइव स्टोरेज 265 एसीएम	3×50=150	168.75 (1991 पीएल)	अगस्त. 91/ जनवरी 1992	अंतरराज्यीय पहलू शामिल है। कावेरी बेसिन में स्थित है।
2.	मनंथवड़ी	स्टोरेज प्रास कैपेसिटी 608 एमसीएम	4×60=240	69.17 (विद्युत) (1980 पीएल)	मई, 80/ जुलाई, 1980	अंतरराज्यीय पहलू शामिल है। कावेरी बेसिन में स्थित है।
3.	पाम्बर	स्टोरेज लाइव कैपेसिटी 37.3 एमसीएम	2×15=30	65.46 (1989 पीएल.)	फरवरी, 90/ मार्च, 1990	अंतरराज्यीय पहलू शामिल है। कावेरी बेसिन में स्थित है।
4.	कुटियाड़ी संवर्धन	स्टोरेज (*)लाइव कैपेसिटी 155 एमसीएम	2×50=100	61.72	मई, 92/ मई, 1992	अंतरराज्यीय पहलू शामिल है। कावेरी बेसिन में स्थित है। यह परियोजना केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा निर्माणाधीन है।
5.	पांडियार पुन्नापुजा	आरओआर	2×35=70	22.0	दिसंबर, 76/ जुलाई, 1982	तमिलनाडु सहित अंतरराष्ट्रीय पहलू शामिल है।
6.	बारापोल	आरओआर	2×3+2×1.5=9	12.7	जून, 91/ अगस्त., 1991	कर्नाटक सहित अंतरराज्यीय पहलू शामिल है, केरल सरकार के अनुसार डीपीआर पहले ही तैयार की गई है और इसके कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए गए हैं।
7.	पल्लीवसल पुनर्स्थापन	स्टोरेज(*) लाइव कैपेसिटी 58.9 एमसीएम	3×20=60	45.48	जुलाई, 90/ अगस्त, 1992	सीईए/सीडब्ल्यूसी के सुझाव के अनुसार कार्य क्षेत्र में वृहत परिवर्तन होने के कारण। केरल सरकार के अनुसार विद्यमान यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण और सेवाकाल विस्तार कार्य वर्ष 2002-03 को पूरा किया गया। अत: पुनर्वास स्कीम की जरूरत नहीं होने के कारण वापस।
8.	कारापारा-कुरियारकुट्टी (बहुउद्देशीय)	स्टोरेज लाइव कैपेसिटी 106.9 एमसीएम	2×12+3×20=84	85.64 (1990 पीएल.)	नवंबर., 90/जून, 1991	परियोजना की प्रथम किस्त में जल संसाधन मंत्रालय के टीएसी द्वारा अनुमोदन किया जाना है। केरल सरकार के अनुरोध पर परियोजना हेतु आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है।

1	2	3	4	5	6	7
9.	अथिरापिल्ली (**) जल विद्युत परियोजना (संशोधित डीपीआर)	आरओआर साइव स्टोरेज 6.8 एमसीएम	2×80+1×3=163	331.88 (आईडीसी छोड़कर) (2003-04 पीएल)	सितंबर, 04/ सितंबर, 2004	संशोधित डीपीआर अधूरी/आवश्यक सूचनाओं के अधूरेपन/अधूरे विवरणों के कारण दिनांक 10.9.2004 को वापस कर दी गई। केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृत स्थगित की गई है। ईआईए अध्ययन पूरा हो गया है। राज्य सरकार को फिर से सुनवाई करने की सलाह दी है।
	कुल		906 मेगावाट			

(1) विद्युत मंत्रालय

(**)2×80 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को दिनांक 13.5.1996 को सीईए द्वारा पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है।

निजी क्षेत्र में नए इस्पात संयंत्रों की निगरानी

1107. श्री बी. विनोद कुमार: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में नए इस्पात संयंत्रों की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक निगरानी समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं; और

(ग) क्या निजी क्षेत्र के कई इस्पात संयंत्रों का निर्माण वित्तीय कारणों से रूका हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) सरकार के निजी क्षेत्र में नए इस्पात संयंत्रों की प्रगति को देखने के लिए कोई प्रबोधन दल गठित नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बताया गया है कि 1990 के दशक के आरंभ में शुरू की गई कुछ इस्पात परियोजनाओं ने चालू होने से पूर्व की स्थिति में कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का सामना किया। ऐसा इस्पात उद्योग में मंदी के कारण हुआ था जो कि 90 के दशक में अंतिम वर्षों में शुरू हुई थी। इन परियोजनाओं के प्रवर्तक योजनागत साम्या पूंजी ऋण हेतु वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहे जिससे इनकी परियोजनाओं में निधि के प्रावधान जैसे मुद्दे परियोजना प्रवर्तकों/प्राधिकारियों, निवेशकों और ऋण देने वाली एजेंसियों के बीच तय होने वाले मुद्दे हैं तथा इस मामले में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, परियोजना प्रवर्तकों/ प्राधिकारियों और ऋण देने वाली एजेंसियों में परस्पर समन्वय के लिए इस्पात मंत्रालय ने परियोजना समन्वय समूह का गठन किया है।

भारत-पाक समझौता

1108. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री के.एस. राव:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक नौ-सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ कुछ अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं;

(ङ) सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने में उक्त समझौते किस सीमा तक सक्षम होंगे; और

(च) इन समझौतों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (च) वर्ष 2004 के दौरान, सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजरों

के बीच महानिरीक्षक/अपर महानिदेशक स्तर पर दो बैठकें हुई थीं। सीमा की रक्षा करने वाले दोनों देशों के बलों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत-पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोकने हेतु उचित कदम उठाने, उन सिविलियनों की वापसी को सुकर बनाने जो अनजाने से सीमा पार कर आते हैं, दोनों देशों के उन राष्ट्रिकों को ढूंढ़ निकालने जिनके गुम होने की सूचना है, स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर कमांडरों के बीच फ्लैग मीटिंग प्रणाली को पुन: शुरू करने इत्यादि पर सहमति जताई। इन मुद्दों को कार्यान्वित करना एक सतत प्रक्रिया है।

बंगलादेश के साथ महानिदेशक स्तर की वार्ता

1109. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 2004 के दौरान बंगलादेश के अपने समकक्ष अधिकारी से भेंट की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने पूर्वोत्तर के उग्रवादियों तथा जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए लाए गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप के बंगलादेश में पकड़े जाने के बारे में पूछताछ की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं;

(ङ) इस संबंध में बी डी आर प्रमुख की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(च) अब तक ऐसी बातचीत का क्या परिणाम निकला है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2004 के दौरान महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल और महानिदेशक, बंग्लादेश राइफल्स के बीच नई दिल्ली और ढाका में विचार-विमर्श के तीन दौर हुए हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। सीमा सुरक्षा बल और बंग्लादेश राइफल्स के बीच अप्रैल/मई, 2004 में ढाका में और सितम्बर/अक्तूबर, 2004 में नई दिल्ली में हुई महानिदेशक स्तर की बातचीत के दौरान महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ने हथियारों और गोली बारूद के उस बड़े जखीरे पर अपनी गहरी चिंता प्रकट की थी जिसे बांग्लादेश के प्राधिकारियों ने जून, 2003 में बोगरा में और अप्रैल, 2004 में चिटगांव में पकड़ा था। महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ने महानिदेशक, बग्लादेश राइफल्स से अनुरोध किया था कि वे इन हथियारों और गोलाबारूद तथा उनके अंतिम गंतव्य स्थान के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करें।

(ङ) महानिदेशक, बंग्लादेश राइफल्स ने कहा कि प्रचुर मात्रा में अवैध हथियारों/गोली-बारूद का मिलना बंग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है।

(च) बंग्लादेश राइफल्स ने बंग्लादेश में पकड़े गए हथियारों के मूल स्रोत और उनके अंतिम गंतव्य स्थान के संबंध में सीमा सुरक्षा बल को अभी तक कोई ब्योरा नहीं दिया है।

स्थानान्तरण नीति

1110. श्री पी. के. वासुदेवन नायर:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री के. सी. सिंह 'बाबा':
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों का दूर-दराज के स्कूलों में स्थानान्तरण किया गया था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार स्थानान्तरित किए गए बहुत से शिक्षक नए स्कूलों में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तत्पश्चात् उन्हें बर्खास्त कर दिया गया;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के स्थानान्तरण संबंधी अपनी नीति की समीक्षा के लिए अब एक समिति का गठन किया हैं तथा ऐसे स्थानान्तरित शिक्षकों को अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए कहने अथवा उनकी बर्खास्तगी को निरस्त करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो समिति, उसके कार्यकाल, कृत्यों तथा सदस्यों की जिम्मेदारियों आदि का ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किए गए स्थानान्तरणों के कारण देश में व्यापक पैमाने पर शिक्षकों का

विस्थापन हुआ था। उनमें से अधिसंख्यक अपने निवास और परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर के स्थानों पर स्थानान्तरित किए गए थे। बहुत से दंपत्ति एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हो गए थे। इस कारण पूरी प्रणाली में दुखद स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सैकड़ों शिक्षकों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया और कुछ को दूरस्थ स्थानों पर कार्यग्रहण न करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। इस कदम से न केवल परिवार ही प्रभावित हुए, अपितु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अनुभवी शिक्षकों से भी वंचित होना पड़ा। ऐसे स्थानान्तरणों की संख्या और इन स्थानान्तरणों के परिणामस्वरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने वाले और बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

7 जुलाई, 2004 को जारी किए गए स्थानान्तरण दिशानिर्देशों में इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान स्थानान्तरण नीति में इस दृष्टिकोण की व्यापक प्रशंसा की जा रही है और आशा है कि एक दो वर्षों के भीतर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभी प्रभावित शिक्षक की शिकायतों को बहुत हद तक दूर करने में सफल होगा।

(ख) से (ङ) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उन शिक्षकों, जिन्होंने केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवाएं त्याग दी थीं, की प्रार्थना पर विचार करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने एक समिति गठित की है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), अध्यक्ष तथा दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य शामिल हैं। समिति 15.12.2004 तक प्राप्त प्रार्थनाओं पर विचार करेगी और 15 जनवरी, 2005 तक अपनी सिफारिशें निर्णय हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सौंप देगी।

विवरण

पूर्व के स्थानानांतरण विस्थापन नीति (2000-2001, 2001-2002, 2002-03, 2003-मार्च, 2004) को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा कोड 81-डी के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने वाले/पद छोड़ने वाले/सेवा से निकाले जाने वाले कर्मचारियों का ब्योरा

क्र.सं.	क्षेत्र	विस्थापित कर्मचारियों की संख्या		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी	पद छोड़ने वाले	81-डी के तहत
		पुरूष	महिला			
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	98	138	23	22	08
2.	बंगलौर	107	138	15	02	-
3.	भोपाल	156	349	88	04	21
4.	भुवनेश्वर	213	102	04	01	03
5.	कलकत्ता	149	127	10	-	03
6.	चंडीगढ़	78	198	19	08	13
7.	चेन्नई	169	361	40	12	01
8.	देहरादून	145	177	07	01	-
9.	दिल्ली	82	263	35	-	01
10.	गुवाहाटी	41	43	05	01	-
11.	हैदराबाद	169	213	06	01	06

1	2	3	4	5	6	7
12.	जबलपुर	119	115	04	-	02
13.	जयपुर	161	137	17	-	22
14.	जम्मू	123	170	02	-	-
15.	लखनऊ	644	599	16	-	10
16.	मुम्बई	72	168	19	02	01
17.	पटना	407	110	16	03	05
18.	सिल्चर	17	08	-	-	-
	उप योग	2950	3416			
	कुल योग		6366	326	57	96

ग्रामीण विद्युतीकरण

1111. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को आवंटित धनराशि का राज्यों द्वारा उचित प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा राज्यों ने उसका कितना प्रयोग किया; और

(ग) धनराशि के उचित प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सिंगल प्वाइंट लाईट कनैक्शन प्रदान करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के माध्यम से राज्यों को अनुदान दे रही है। इसके अलावा, वह गांवों के विद्युतीकरण के लिए ऋणों पर त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी) के अंतर्गत 4% ब्याज सब्सिडी दे रही है।

गत दो वर्षों के दौरान धनराशि के आबंटन और उसके उपयोजन के ब्यौरे विवरण I और II के रूप में दिए गए हैं।

ये दोनों ही कार्यक्रम "एक लाख गांवों और एक करोड़ परिवारों का त्वरित विद्युतीकरण" नामक नई योजना में सम्मिलित किए गए हैं। राज्यों द्वारा धनराशि के उपयोजन का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन मानीटर करता है। राज्य इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को जारी की जाने वाली राशि के समुपयोजन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आबंटित एवं उनके द्वारा उपयोग की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	2002-03			2003-04		
		आवंटित अनुदान	स्वीकृत अनुदान	उपयोग किए गये अनुदान	आवंटित अनुदान	स्वीकृत अनुदान	उपयोग किए किए गये अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	309.90	2010.00	1722.00	719.64	2250.00	2160.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	27.90	27.90	20.00	24.84	372.42	187.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	720.00	720.00	360.00	663.61	0.00	0.00
4.	बिहार	1327.05	1327.05	991.00	1243.94	1243.94	153.00
5.	गोवा	7.50	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00
6.	गुजरात	242.70	91.50	67.00	340.65	75.00	38.00
7.	हरियाणा	150.00	150.00	130.00	86.49	76.06	85.00
8.	हिमाचल प्रदेश	61.49	22.86	19.00	49.18	18.00	17.00
9.	जम्मू और कश्मीर	73.80	0.00	0.00	104.38	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	373.80	3555.00	5155.00	378.83	2266.89	1541.00
11.	केरल	218.40	218.40	509.00	307.29	307.29	416.00
12.	मध्य प्रदेश	627.15	627.15	314.00	635.90	635.90	149.00
13.	महाराष्ट्र	753.75	225.00	110.00	663.90	150.00	50.00
14.	मणिपुर	48.42	0.00	0.00	75.74	0.00	0.00
15.	मेघालय	54.18	54.18	27.00	48.15	48.15	51.00
16.	मिजोरम	12.60	54.00	54.00	22.70	27.00	27.00
17.	नागालैंड	36.90	90.90	85.00	27.31	54.00	44.00
18.	उड़ीसा	549.15	1000.00	473.00	764.52	0.00	0.00
19.	पंजाब	69.15	69.15	48.00	111.75	111.75	100.00
20.	राजस्थान	369.15	225.00	229.00	360.75	225.00	222.00
21.	सिक्किम	13.86	13.86	7.00	15.62	34.68	15.00
22.	तमिलनाडु	473.85	600.00	609.00	470.82	470.82	146.00
23.	त्रिपुरा	86.15	216.00	97.00	122.04	216.00	66.00
24.	उत्तर प्रदेश	1834.05	1050.00	1050.00	1212.81	0.00	0.00
25.	झारखंड	430.65	430.65	294.00	372.29	0.00	67.00
26.	छत्तीसगढ़	216.00	457.50	342.00	243.15	571.42	510.00
27.	उत्तरांचल	94.05	728.10	729.00	84.08	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	818.40	818.40	424.00	845.69	845.69	0.00
	कुल यूटीज						
	सकल योग	10000.00	14782.60	13865.00	10000.00	10000.00	6044.00

विवरण II

त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी) के अंतर्गत 2003-04 के दौरान ब्याज सब्सिडी के उपयोग की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2002-2003 के दौरान आरईसी को जारी ब्याज सब्सिडी	वर्ष 2003-2004 के दौरान वितरित ब्याज सब्सिडी
1.	आंध्र प्रदेश	46.58	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.78	1.78
3.	गुजरात	5.88	0.77
4.	हरियाणा	7.05	0
5.	हिमाचल प्रदेश	2.00	2.00
6.	जम्मू और कश्मीर	3.92	3.92
7.	कर्नाटक	4.61	4.61
8.	केरल	24.80	24.80
9.	महाराष्ट्र	9.01	0
10.	मणिपुर	0.04	0
11.	मिजोरम	1.42	0
12.	नागालैंड	2.01	2.01
13.	पंजाब	16.02	16.02
14.	राजस्थान	22.23	22.23
15.	तमिलनाडु	10.36	10.36
16.	त्रिपुरा	0.16	0.16
	कुल (राज्य)	157.87	88.66

नोट-ब्याज सब्सिडी केवल वर्ष 2002-03 के लिए जारी की गई थी।

एन.पी.पी.ए.

1112 **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में बिलकुल विफल रहा हैं जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संगठन को बंद करने के लिए कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सरकार द्वारा अगस्त 1997 में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसे अन्य बातों के साथ-साथ औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (डीपीसीओ, 95) के तहत प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण करने और उसमें हुए परिवर्तनों, यदि कोई हों, को अधिसूचित करने का काम सौंपा गया है। एन पी पी ए अपना कार्य प्रभावी रूप से कर रहा है। एन पी पी ए ने अपनी स्थापना के समय से व्युत्पादों और 2658 सूत्रयोग के मामले सहित 184 प्रपुंज औषधों की कीमतों का निर्धारण/संशोधन किया है। एन पी पी ए, डी पी सी ओ, 95 के तहत कीमत निर्धारण लागू करने लिए कदम उठाता रहा है और इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर, 2004 तक उन विनिर्माताओं से जो डी पी सी ओ 95 के अंतर्गत मूल्य निर्धारित करते हुए नहीं पाए गए थे, उनसे 80.08 करोड़ रूपए अधिक ली गई राशि की वसूली हुई है।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

जैव-गैस संयंत्रों के लिए राजसहायता

1113. **श्री देविदास पिंगले:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जैव गैस संयंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता बढ़ाने का है, जैसाकि दिनांक 08.11.2004 के "राष्ट्रीय सहारा" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाया जा रहा है तथा इस समय कितने प्रतिशत राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या जनजातीय क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त रियायत बढ़ा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मुख्यतया बायोगैस संयंत्रों की निर्माण लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते कुछ श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए

वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय सब्सिडी बढ़ा दी गई है। परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए वर्तमान अनुमानित लागत के संबंध में संगत प्रतिशतता सहित सब्सिडी की वर्तमान दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस वृद्धि में अन्य के अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी भी शामिल हैं।

विवरण

परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय सब्सिडी

श्रेणी	2 घनमीटर संयंत्र की अनुमानित लागत	प्रति संयंत्र सब्सिडी की दर
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एवं सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	13,000 रु.	11,700 रु. (अनुमानित लागत का 90%)
असम के मैदानी क्षेत्र	10,000 रु.	9,000 रु. (अनुमानित लागत का 90%)
जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु का नीलगिरि, दार्जिलिंग जिले (पश्चिम बंगाल) में सदर कुर्सोंग और कालिमपोंग सब-डिविजन, सुंदरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11,500 रू.	4,500 रु. (अनुमानित लागत का लगभग 40%)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मरूस्थली जिले, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन, श्रमिक, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र, पश्चिम घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	9,000 रु.	3,500 रु. (अनुमानित लागत का लगभग 40%)
अन्य सभी	9,000 रु.	2,700 रु. (अनुमानित लागत का 30%)

[अनुवाद]

आदिवासियों तथा देशवासियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

1114. श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में आदिवासियों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में विकास के नाम पर आदिवासी लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास का विरोध किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया पर केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) मंत्रालय ने ऐसी किसी संगोष्ठी का आयोजन नहीं किया है, तथापि इस विषय पर एक संगोष्ठी एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दिल्ली में अक्टूबर 2004 में आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) मंत्रालय में संगोष्ठी की कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है। तथापि मसौदा नीति को अंतिम रूप देने से पहले संगोष्ठियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों, विद्वानों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस बीच में, जनजातियों के लिए एक अतिरिक्त मसौदा राष्ट्रीय नीति परिचालित की गई है।

वी आई पी सुरक्षा

1115. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कुछ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों को पहले ही इन ड्यूटियों के लिए तैनात किया गया है। अन्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों को इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

1116. श्री अधीर चौधरी:
योगी आदित्यनाथ:
श्री निखिल कुमार:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका की खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. पड़ोसी देशों से भारत के विरुद्ध चलाई जा रही आई एस आई तोड़-फोड़ की गतिविधियों में सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या देश में पूर्वोत्तर राज्य आई एस आई की विध्वंसक गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि पाक आई एस आई, पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के कुछ विद्रोही-ग्रुपों को सहायता प्रदान कर रही है।

(ङ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरस्त करना, प्रौद्योगिकी में सुधार करना, केन्द्र और राज्यों दोनों में सुरक्षा बलों के लिए हथियार और उपकरण मुहैया कराना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित अभियानों द्वारा आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र विरोधी तत्वों/आई.एस.आई. एजेन्टों की योजनाओं को विफल करना शामिल है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा

1117. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की कोई समीक्षा की हैं;

(ख) यदि हां, तो किस अवधि के दौरान यह समीक्षा की गई; और

(ग) इस समीक्षा का क्या परिणाम निकला?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम में जनवरी, 2005 से आगे छमाही समीक्षा किए जाने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र

1118. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में इस्पात क्षेत्र के निष्पादन खामियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस्पात क्षेत्र में सक्रिय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को देश में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार में कितनी प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जहां, तक सरकारी क्षेत्र के इस्पात

क्षेत्र का संबंध है, इनके वास्तविक और साथ ही वित्तीय निष्पादन में मामूली से समायोजनों को छोड़कर हाल में कोई खामी नहीं पाई गई है। 2004-05 की पहली तिमाही के दौरान सेल के इस्पात संयंत्रों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में मामूली कमी हुई और उत्पादन 2371000 टन हुआ जबकि 2003-04 की चौथी तिमाही में 292500 टन उत्पादन हुआ था। दूसरी तिमाही में यह बढ़कर 2782000 टन हो गया। इसी प्रकार कोकदर, विशेष उर्जा खपत और धमन भट्टी उत्पादकता में भी कुछ कमी हुई। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

प्राचल	इकाई	2003-04	2004-05	
		चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
कोक दर	के जी/टी एच एम	555	549	555
विशेष ऊर्जा खपत	जी कैल/टी सी एस	7.44	7.52	7.48
धमन भट्टी उत्पादकता	टी/सी यू एम/दिन	1.42	1.32	1.40

जहां तक निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का संबंध हैं, उपलब्ध सूचना के आधार पर निजी क्षेत्र के प्रमुख इस्पात संयंत्रों के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन में हाल में सुधार दिखाई दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कृभको की ग्रामीण विकास परियोजना

1119. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ने अपनी व्यापक विकास परियोजना के अंतर्गत सैकड़ों गांवों तथा सहकारिताओं को गोद लिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गांवों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृभको, खेतों में प्रदर्शन के जरिए किसानों को उन्नत तथा नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षित और शिक्षित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाए गए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी हां।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान गांवों और सोसायटियों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	गोद लिए गए गांवों की संख्या	गोद ली गयी सोसायटियों की संख्या
1.	हरियाणा	10	12
2.	पंजाब	26	27
3.	राजस्थान	5	13
4.	गुजरात	31	81
5.	महाराष्ट्र	44	43
6.	मध्य प्रदेश	8	11
7.	बिहार	3	3
8.	उत्तर प्रदेश	23	15
9.	आन्ध्र प्रदेश	20	71
10.	कर्नाटक	2	41
11.	तमिलनाडु	3	5

कृभको की अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में कोई विपणन तथा प्रोत्साहन और शैक्षिक गतिविधियां न होने के कारण किसी भी गांव और सोसायटी की गोद नहीं लिया गया है।

(ग) कृभकों विकसित और नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के आधार पर विभिन्न प्रोत्साहन और शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे किसान मेलों/फसल सेमिनारों, क्षेत्र प्रदर्शनों, कृषक बैठकों, कृषक अध्ययन दौरे, मृदा नमूना परीक्षण, तकनीकी वाल पेन्टिगों, तकनीकी साहित्य वितरण कार्यक्रमों, मिनी किटों के वितरण, कृषि अभियानों आदि का आयोजन कर रही है।

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान कृभको द्वारा आयोजित विभिन्न प्रोत्साहन और शैक्षिक कार्यक्रम निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	वर्ष		
		2001-02	2002-03	2003-04
1.	किसान मेले/फसल सेमिनार	118	67	48
2.	प्रदर्शनियां	214	34	40
3.	कृषक बैठकें	259	-	36
4.	कृषक अध्ययन दौरे	46	18	38
5.	परीक्षण किए गए मृदा नमूने	30728	28124	41133
6.	तकनीकी वाल पेन्टिंगे	453	181	222
7.	तकनीकी साहित्य वितरण कार्यक्रम	504000	76466	222498
8.	मिनी किटों का वितरण	-	20	-
9.	कृषि अभियान	91	52	8

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नरेला आवासीय योजना के अंतर्गत फ्लैटों का कब्जा

1120. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरेला आवासीय योजना, विशेषकर ईएचएस योजना के अंतर्गत जिन आवेदकों ने पूरी धनराशि जमा करा दी है, उन्हें कब्जा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो योजना के अंतर्गत कब्जा देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) आवेदकों को कब तक कब्जा दिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) फ्लैटों का कब्जा सौंपा जाना, मांगी गई राशि की अदायगी सहित आबंटियों द्वारा कोडल औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर निर्भर करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण में इस समय प्रचलित नीति के अंतर्गत नकद आधार पर आबंटित जनता/ईएचएस/एलआईजी/ एच आई जी फ्लैटों के सभी मामलों में आबंटियों को फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व निर्धारित स्टाम्प शुल्क अदा करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्टाम्प क्लैक्टर कार्यालय में विधिवत स्टाम्प सहित हस्तांतरण विलेख प्रपत्र प्रस्तुत करना होता है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी संबंधित को निर्देश प्रपत्र प्रस्तुत करना होता है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी संबधित को निर्देश दिए हैं, कि वे संभावित आबंटित द्वारा हलफनामा, वचनबद्धता फोटोग्राफ, स्टाम्प सहित हस्तांतरण विलेख पत्र, इत्यादि प्रस्तुत करने व आबंटन सह-मांग पत्र के अनुसार अदायगी जैसी सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद 60 दिनों के भीतर कब्जा पत्र जारी करें। नरेला आवास स्कीम-2001 के अंतर्गत ईएचएस में किए गए 404 आबंटन में से कब्जा पत्र जारी किए जा चुके हैं। अन्त 90 मामलों में भुगतान प्राप्त हो गया है लेकिन आबंटियों ने स्टाम्प सहित हस्तांतरण विलेख प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

आठवीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना

1121. श्री दुष्यंत सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ क्षेत्रीय भाषाओं, विशेषकर राजस्थानी भाषा को शामिल करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए उद्देश्यमूलक मानदण्ड तैयार करने संबंधी सीमाकान्त महापात्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। राजस्थानी भाषा सहित अन्य भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु लंबित मांग पर निर्णय इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन है।

दिल्ली में आर टी वी, निजी बसें

1122. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में अनधिकृत/घटिया सी एन जी किट लगाकर आर टी वी, बसें, निजी टैक्सियां इत्यादि चल रही हैं, जिसके कारण उनमें आग लगती रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि स्कूल के बच्चों को लाने-जे जाने वाली बहुत सी निजी वैन घरेलू एल पी जी सिलेंडरों का प्रयोग कर रही है जिससे कि बच्चों की जान को खतरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी हां, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर लगे अनेक वाहन स्कूली बच्चों को लाते-ले जाते पाए गए हैं।

निजी वाहनों के मालिकों की ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा जांच करना/अभियान चलाना, ऐसे वाहनों पर मुकदमा चलाना/उन्हें जब्त करना तथा उनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द करना शामिल है।

सर्व शिक्षा अभियान को निधियों का आवंटन

1123. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
श्री के. सी. पलनिस्वामी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने योजना आयोग द्वारा प्रतिष्ठित सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) कार्यक्रम को निधियों के आवंटन पर असंतोष व्यक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उक्त कार्यक्रम को प्राथमिकता प्राप्त एजेण्डा से अलग कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या थे;

(घ) योजना आयोग द्वारा उक्त कार्यक्रम हेतु कितनी निधियां आवंटित की गई थीं; और

(ङ) केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान को योजना आयोग से प्राथमिकता प्राप्त दर्जा दिलवाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम भारत सरकार का प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम है। योजना आयोग ने वर्ष 2004-05 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए कुल बजट अनुमानों के अतिरिक्त 2004-05 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 2000 करोड़ रु. का अतिरिक्त आवंटन किया है।

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास

1124. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री अनवर हुसैन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों हेतु कोई पुनर्वास नीति शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न भागों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान आत्मसमर्पण कर चुके राज्य-वार कितने उग्रवादियों का पुनर्वास किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पुनर्वास कार्यक्रम के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 01.04.1998 से "आत्मसमर्पण और पुनर्वास की 100% केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित योजना" को कार्यान्वित कर रही है। यह योजना उन उग्रवादियों पर लागू होती है जिन्होंने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया हो। जिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें शुरू मे एक वर्ष की अवधि तक पुनर्वास शिविर में रखा जाता है जहां उन्हें उनकी रूचि के अनुसार किसी ट्रेड/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें 12 माह की अवधि 2000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक की मासिक वृत्तिका का भुगतान किया जाता है और आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को इस अवधि के दौरान बसाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। आत्मसमर्पण किए हुए जिन उग्रवादियों का सफलतापूर्वक पुनर्वास कर दिया जाता है उनके विरूद्ध मामूली अपराधों को वापस ले लिया जाता है। समर्पित हथियारों/गोली बारूद की योजना में मौद्रिक प्रोत्साहनों को भी शामिल किया गया है।

जम्मू और कश्मीर में लागू नीति में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए 2000/- रुपये मासिक की दर से मासिक वृत्तिका देना; आत्मसमर्पित उग्रवादी के नाम पर तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक में एफ डी आर के रूप में 1.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान रखना जिसे आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा अच्छे व्यवहार के अध्यधीन आहरित किया जा सकता है; निर्धारित दरों के अनुसार समर्पित हथियारों के लिए प्रोत्साहन देना; और स्व-रोजगार से जुड़े बैंक ऋण देना; और जो स्व-रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हों उन्हें ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

नक्सल प्रभावित राज्यों की आत्मसमर्पण और पुनर्वास की अपनी सुविधायें हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उनका राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी		
	2002	2003	2004 (15.11.04 तक)
1	2	3	4
असम	81	328	709
त्रिपुरा	118	268	182
नागालैंड	116	29	20
मणिपुर	06	05	05
मेघालय	14	20	87
अरूणाचल प्रदेश	11	18	23
मिजोरम	02	01	32
कुल पूर्वोत्तर (क)	350	669	1058
जम्मू और कश्मीर	159	119	123(30.11.04 तक)
कुल जम्मू और कश्मीर (ख)	159	119	123
नक्सल प्रभावित राज्य (31 अक्तूबर, 2004 तक)			
आन्ध्र प्रदेश	557	928	261

1	2	3	4
झारखंड	37	21	39
छत्तीसगढ़	1	27	03
बिहार	63	175	03
महाराष्ट्र	11	65	13
उड़ीसा	4	73	04
मध्य प्रदेश	-	-	07
अन्य	20	30	-
कुल (ग)	693	1319	330
कुल जोड़ (क+ख+ग)	1202	2107	1511

(घ) और (ङ) आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को मौद्रिक लाभ देने के अतिरिक्त आजीविका अर्जित करने और सम्मानित जीवन जीने में भी उनकी सहायता/उनका पुनर्वास किया जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले कुछ उग्रवादियों को सुरक्षा बलों/प्रादेशिक सेना खपाया गया है और अन्यों को उनकी रुचि के प्राइवेट कारोबार में लगाया गया है।

अमरीका स्थित शिक्षा कंपनियों का कार्यकरण

1125. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका की शिक्षा कंपनियां-प्रिंसटन रिव्यू, केपलन एंड सिलवेन, बी.पी.ओ. की तरह भारत से शिक्षा प्रक्रिया को आऊटसोर्स करने में गहरी रुचि दिखा रही है;

(ख) क्या जैसा कि समाचार है, अगले 7/8 वर्षों में अमरीका को 8,00,000 शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण उसे विदेशों से शिक्षा प्रक्रिया को आऊटसोर्स करने की आवश्यकता तेजी से कार्य करना पड़ रहा है;

(ग) क्या अनुमानित संभावना के मद्देनजर, भारत, अमरीका के शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शिक्षाविदों/शिक्षकों का पूल तैयार करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) भारत शिक्षा प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग करने वाली ऐसी संयुक्त राज्य स्थित कम्पनियों के बारे में माध्यमिक और उच्चतम शिक्षा विभाग से न तो कोई सम्पर्क किया गया है और न ही कोई सूचना है। तथापि, एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड (एड.सिल) ने भ्रमणकारी शिक्षक कार्यक्रमों, मैसर्स शिक्षक प्लेसमैट ग्रुप के अन्तर्गत भारतीय शिक्षकों के अनुमोदनार्थ शिक्षा विभाग, साउथ कैरोलिना, संयुक्त राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य राज्यों के साथ इसी प्रकार के प्रबंध के लिए एड.सिल से सम्पर्क स्थापित किया है।

(ख) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े जिलों के लिए पृथक कोष की स्थापना

1126. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री मोहन रावले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े जिलों के लिए विद्युत क्षेत्र में मूलभूत ढ़ांचा प्रदान करने हेतु एक पृथक कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्योरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्रांसमिशन सिस्टम में भारी निवेश करने का हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र में ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार की सम्भावना है; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र पारेषण स्कीमों में 28840 करोड़ रुपये निवेश की परिकल्पना की गई है।

(ङ) जी हां।

(च) उन पारेषण स्कीमों का ब्यौरा विवरण I और II में दिया गया है जिन्हें क्रमशः पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में पावरग्रिड ऑफ इण्डिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल) द्वारा क्रियान्वित/नियोजित किया जा रहा है।

विवरण I

पश्चिमी क्षेत्र में पीजीसीआईएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही पारेषण स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाले राज्य/संघ शासित राज्य
1.	तारापुर पारेषण प्रणाली	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
2.	विंध्याचल-III पारेषण प्रणाली	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
3.	खंडवा उप-केन्द्र	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
4.	रायपुर-भद्रावती पारेषण स्कीम	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
5.	भद्रावती-चन्द्रापुर पारेषण स्कीम	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीस गढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
6.	विंध्याचल-कोरबा पारेषण स्कीम	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
7.	बीना-नागदा पारेषण स्कीम	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
8.	सिपत-I पारेषण स्कीम	महराष्ट्र, गुजरात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
9.	सिपत-II पारेषण प्रणाली	महराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
10.	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-I	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
11.	कहलगांव द्वितीय परियोजना के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली (पश्चि क्षेत्र भाग)	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव

पश्चिमी क्षेत्र में पीजीसीआईएल द्वारा नियोजित पारेषण स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाले राज्य/संघ शासित राज्य
1	2	3
1.	सिपत-II पूरक पारेषण प्रणाली	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नागर हवेली व दमन व दीव
2.	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़करण स्कीम-II	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नागर हवेली व दमन व दीव

1	2	3
3.	गांधार-II और कवास-II विद्युत परियोजनाओं के साथ संबंद्ध पारेषण प्रणाली	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर व नगर हवेली व दमन व दीव
4.	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-III	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव
5.	पूर्वी-पश्चिमी सुदृढ़ीकरण स्कीम	महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव

विवरण-II

उत्तरी क्षेत्र में पीजीसीआईएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाले राज्य/संघ शासित राज्य
1	2	3
1.	दुलहस्ती पारेषण	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
2.	टिहरी एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
3.	धौलीगंगा एचईपी से संबंद्ध पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
4.	रिहंद-II विद्युत परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
5.	ताला एचईपी के लिए पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
6.	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
7.	उत्तरांचल सुदृढ़ीकरण पारेषण नेटवर्क	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
8.	उत्तरी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-I	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
	उत्तरी क्षेत्र में पीजीसीआईएल द्वारा नियोजित पारेषण स्कीमें	
1.	कोटेश्वर पारियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
2.	सेवा-II परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़

1	2	3
3.	आरएपीपी-5 व 6 से संबद्ध पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
4.	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-5	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
5.	कोलडेम व पार्बती-II एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
6.	उत्तरी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम-VI	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
7.	बाढ़ के लिए पारेषण प्रणाली (उत्तरी क्षेत्र भाग)	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
8.	आरएपीपी विस्तार के लिए पारेषण प्रणाली-7 व 8	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
9.	उड़ी-II परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
10.	पार्बती-III एचईपी के लिए पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
11.	किशनगंगा एचईपी के लिए पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
12.	ऊंचाहार-III परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
13.	चमेरा-III एचईपी के लिए पारेषण प्रणाली	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
14.	रूड़की क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
15.	मोगा और अमृतसर में रूपान्तरण क्षमता का संवर्द्धन	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
16.	उत्तर-पश्चिमी सुदृढ़ीकरण स्कीम	हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

1127. श्री सीताराम सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में नवोदय विद्यालयों की स्थापना में राज्यवार कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या उक्त राशि की लेखा परीक्षा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान लेखा परीक्षा में अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) पिछले वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां

(ग) नवोदय विद्यालय समिति के पिछले तीन वर्षों के लेखों की लेखा परीक्षा महानिदेशक, लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व द्वारा की गई। लेखा परीक्षा में पेशगी जमा राशि और प्रतिभूति जमा, निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए एजेंसियों के पास जमा, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि, आय के रूप में दर्शाए गए अग्रिम किराए की वापसी, जी एस एल आई एस के तुलन पत्र का तैयार न किया जाना, गैर कार्यात्मक आंतरिक लेखा परीक्षा, लेखे के संशोधित प्रपत्र में वार्षिक लेखों को तैयार करने आदी के संबंध में कतिपय टिप्पणियां दी। नवोदय विद्यालय समिति ने इन टिप्पणियों पर आवश्यक उत्तर, जहां, कही भी अपेक्षित थे, लेखापरीक्षा को पहले ही भेज दिए हैं।

(घ) नवोदय विद्यालय समिति की रिपोर्ट के अनुसार महानिदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में कोई भी वित्तीय अनियमितताएं निहित नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2001-2002 से 2003-2004) के दौरान नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर खर्च की गई राशि के राज्यवार ब्योरे

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	16.84
2.	बिहार	–	–	12.28
3.	छत्तीसगढ़	5.65	20.58	23.93
4.	गुजरात	2.92	13.68	25.26
5.	झारखंड	15.89	50.00	107.24
6.	कर्नाटक	80.83	416.67	362.16
7.	केरल	10.23	158.97	42.85
8.	महाराष्ट्र	–	–	21.76
9.	मणिपुर	–	15.14	24.26
10.	मध्य प्रदेश	43.35	200.20	317.56
11.	उड़ीसा	14.86	68.38	124.09
12.	पंजाब	–	52.66	323.73
13.	राजस्थान	–	0.18	13.46
14.	उत्तर प्रदेश	61.63	733.80	969.30
15.	उत्तरांचल	194.23	122.27	265.19
16.	प. बंगाल	–	–	51.50

[अनुवाद]

'फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर' के लिए पुनरुद्धार पैकेज

1128. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. के लिए एक 700 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है जिसमें 609 करोड़ रुपए के ऋण को बट्टे खाते में डालना भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो पुनरूद्धार पैकेज का ब्योरा क्या है;

(ग) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) ये पैकेज फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर के लिए कितने सहायक रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) सरकार 31.3.2004 तक के 609.26 करोड़ रुपए के बकाया सरकारी ऋण को बट्टे खाते में डालने की एफ.ए.सी.टी. की मांग को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के पुनरुद्धार के लिए एक तीसरे और दीर्घावधि पैकेज पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधियों को शामिल करना

1129. श्री मोहन रावले: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कई अन्य औषधियों को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विधान लाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठते।

चंडीगढ़ में पथकर

1130. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश प्रशासन तथा चंडीगढ़ नगर पालिका निगम के नियंत्रणाधीन क्रमश: कितनी किलोमीटर लम्बी सड़क है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चंडीगढ़ में कुल कितना पथकर संग्रहीत हुआ;

(ग) क्या इसका कुछ हिस्सा नगर पालिका निगम को आबंटित किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) चंडीगढ़ प्रशासन 7.12.2004 द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिलहाल उनके प्रभार में आने वाली सड़कों (सिंगल लेन चौड़ाई) की कुल लंबाई इस प्रकार है:-

1. नगर सड़कों की लंबाई	-	355.87 किमी.
2. ग्रामीण/लिंक सड़कों की लंबाई	-	78.51 किमी.
3. चंडीगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-21 की लंबाई	-	77.00 किमी.
योग		511.38

चंडीगढ़ नगर के प्रभार में सड़कों की कुल लंबाई सिंगल लेन 12''-0'' चौड़ाई में 1536 किमी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान चंडीगढ़ में सड़क कर वसूली की कुल राशि क्रमश: 1339.26 लाख रु 1231.99 लाख रु. तथा 1558.08 लाख रु. थी।

(ग) से (ङ) वसूल किए गए सड़क कर का कोई हिस्सा चंडीगढ़ नगर निगम को सीधे नहीं दिया जाता क्योंकि राजस्व रसीदें भारत की संचित निधि में जमा कराई जाती हैं। तथापि, दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों पर निम्नलिखित धनराशि चंडीगढ़ नगर निगम को रिलीज की गई है।

प्रथम दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ नगर निगम को 1998-99 में कुल कर

वसूली के 20% तक अनुदान सहायता (गैर योजना) दी गई जिसे 2000-01 तक प्रतिवर्ष 2.5% घटाया गया। चंडीगढ़ नगर निगम को रिलीज की गई वर्षवार अनुदान सहायता (गैर योजना) की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है:

वर्ष	कर राजस्व (करोड़ रु. में)	प्रस्तावित प्रतिशत	गैर योजना अनुदान (करोड़ रु. में)	वास्तविक प्रतिशत
1998-99	238.98	20.0	48.00	20.08
1999-2000	262.45	17.5	48.00	18.28
2000-01	340.00	15.0	45.00	13.23
2001-02	376.70	12.5	50.00	13.27
2002-03	409.89	10.0	52.90	12.90
2003-04	458.47	7.5	72.29	15.76

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा द्वितीय दिल्ली वित्त आयोग की अगस्त, 2002 में प्राप्त सिफारिशों के अनुसार निर्णय अवधि अर्थात 2001-05 के पांचों वर्षों में चंडीगढ़ प्रशासन के कर राजस्व का 17% भाग चंडीगढ़ नगर निगम को अनुदान सहायता के रूप में अंतरित कर दिया जाए। इन सिफारिशों को गृह मंत्रालय द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

[अनुवाद]

दिल्ली में कृषि भूमि का सर्वेक्षण

1131. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** दिनांक 13 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 814 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक जानकारी एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सूचना के कब तक एकत्रित कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे 108 मामलों की संख्या, नाम तथा मामलों की मौजूदा स्थिति दर्शाते हुए ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पंचायत विभाग द्वारा अपील दायर की गई है।

ऐसे 30 मामलों के ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं जिनमें कोई अपील दायर नहीं की गई तथा संबंधित विभाग द्वारा कब्जा दे दिया गया है।

ऐसे 9 मामलों के ब्यौरे विवरण III में दिए गए हैं जिनमें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

कलेक्टर (दक्षिण) के न्यायालय में अपील किये गये उन मामलों के ब्यौरे जिनमें राजस्व सहायक (हौजखास) के न्यायालय में कार्यवाही बंद कर दी गई थी

क्र.सं.	मामला सं.	मामले का टाइटल	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	20/आरए/97	पवन अरोड़ा बनाम जीएस, रजोकरी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
2.	389/आरए/93	चंद्र लेखा पोद्दार बनाम जीएस, रजोकरी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित

1	2	3	4
3.	30/आरए/97	ड्यूरेबल इन्टरप्राइजेज बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
4.	393/93	पुणे हीट ट्रीटमेंट बनाम जीएस, स्जोकरी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
5.	445/92	जी सोलोमन बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
6.	49/97	सगुन फैब्रिक बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
7.	54/आरए/97	दीपा सुरेरा बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
8.	184/आरए/99	प्रभु बनाम जीएस, कापसडेहा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
9.	221/99	कृपाल सिंह चावला बनाम जीएस, रजोकरी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
10.	228/99	ऋषिराज बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
11.	147/89	मंजुला सिंघल बनाम जिएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
12.	53/97	लता जैन बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
13.	272/99	जय भारत डेवलपर्स बनाम जीएस रजोकरी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
14.	47/97	दुर्गा सिंमेट बनाम जीएस घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
15.	140/98	नंदलाल कोठारी बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
16.	124/98	शकुंतला देवी बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
17.	84/97	केवल कृष्ण बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
18.	31/97	नरेश कपूर बनाम जीएस, विजवासन	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
19.	72/93	योगेश खोसला बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
20.	41/97	एस सी जैन बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
21.	40/97	पी सी जैन बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
22.	69/2000	श्री किशन बनाम जीएस, विजवासन	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
23.	53/2000	शोभा नारायण बनाम जीएस, विजबासन	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
24.	134/91	जयपाल बनाम जीएस, रजोकरी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
25.	59/97	सुबाष चन्द्र बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
26.	71/2000	ऋषिराज जैन बनाम जीएस, रजोकरी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
27.	47/2000	मंजुला सिंघा बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
28.	40/2000	जयभारत डेवलपर्स बनाम जीएस, रजोकरी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
29.	262/99	विमला बंसल बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित

1	2	3	4
30.	245/98	मेहर सिंह बनाम जीएस, मंडेला खुर्द	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
31.	465/97	जेना लाल एवं अन्य बनाम जीएस, पंडवाला खुर्द	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
32.	41/2000	लता बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
33.	7/98	रामकिशन एवं अन्य बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
34.	428/97	शिशराम बनाम जीएस, ख.ख. जटमल	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
35.	73/2000	शीर्ष इस्टेट बनाम जीएस, जफरपुर कलां	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
36.	72/2000	बीनानारा हाउसिंग बनाम जीएस, जफरपुर कलां	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
37.	160/98	शांति स्पोटर्स बनाम जीएस, मसूद पुर	जीएस के पक्ष में निरस्त किया गया
38.	334/97	तारेफ सिंह बनाम जीएस, मंडेला खुर्द	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
39.	43/2000	रघुबीर सिंह बनाम जीएस, विजवासन	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
40.	334/99	जयलाल बनाम जीएस, मुंडेला कलां	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
41.	147/95	यूनाईटिड मोटर्स बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
42.	241/98	गीता शर्मा बनाम जीएस, ताजपुर खुर्द	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
43.	242/98	देवी सिंह बनाम जीएस, ताजपुर खुर्द	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
44.	292/98	विशम्भर बनाम जीएस, खेराडावर	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
45.	243/98	प्रदीप कुमार बनाम जीएस, ताजपुर खुर्द	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
46.	24/2000	आर के वुड प्लांटेशन बनाम जीएस, समालखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
47.	162/2000	ओम प्रकाश अजूका बनाम जीएस, पंडवाला	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
48.	307/99	जगदीश बनाम जीएस, समलखा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
49.	331/99	ओंकार बनाम जीएस, असलापुर खाबद	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
50.	53/2000	शोभा नारायण बनाम जीएस, विजवासन	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
51.	273/99	भूप सिंह एवं अन्य बनाम जीएस, महिपालपुर	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
52.	276/99	आशा जैन बनाम जीएस, झांटीकारा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
53.	244/98	देवी सिंह बनाम जीएस, ताजपुर खुर्द	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
54.	32/2000	वसंती देवी बनाम जीएस, घिटोरनी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
55.	5/01	हरीलाल बनाम जीएस, इस्सापुर	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
56.	308/99	ताराचंद बनाम जीएस, गुमानहेडा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित

1	2	3	4
57.	318/99	पीएम भोजवानी बनाम जीएस, झांटीकारा	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
58.	381/99	खजान सिंह बनाम जीएस, विजवासन	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
59.	325/99	ईश्वर सिंह बनाम जीएस, इस्सापुर	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
60.	10/आरए/एचव के/00	सूडान बनाम जीएस, सैदुलाजैब	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
61.	118/आरए/00	ज्ञान प्रकाश बनाम जीएस, सैदुलाजैब	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
62.	99/आरए/00	जगदेव सिंह बनाम जीएस, नेबसराय	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
63.	97/आरए/00	जे के जैन बनाम जीएस, नेबसराय	कार्यवाही न्यायालय मे लंबित
64.	483/आरए/00	किताबो बनाम जीएस, नेबसराय	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
65.	95/आरए/00	हरीशंकर सिंघानिया बनाम जीएस, नेबसराय	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
66.	207/आरए/00	योगेश सरोहा बनाम जीएस, नेबसराय	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
67.	141/आरए/00	दया राम एवं अन्य बनाम जीएस, मैदानगढ़ी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
68.	153/आरए/99	रंधीर सिंह बनाम जीएस, मैदानगढ़ी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
69.	17/आरए/00	डिहाइन यूनाइटेड आर्गेनाइजेशन बनाम जीएस, सहोर	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
70.	15/आरए/00	डिहाइन यूनाइटेड आर्गेनाइजेशन बनाम जीएस, सहोरपुर	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
71.	142/आरए/00	सिमरन एस्टेट बनाम जी.एस. असोला	-वही-
72.	210/आरए/00	संजय सिंह बनाम जी. असोला	-वही-
73.	आरए/95	गुड लक एस्टेट प्रा. लि. बनाम जी एस. असोला	-वही-
74.	209/आरए/01	गौरव मोटर्स बनाम जी.एस. असोला	-वही -
75.	478/आरए/96	केहरी बनाम जी.एस. भाटी	-वही -
76.	25/आरए/00	पुष्प कुमार जैन बनाम सी.एस भाटी	-वही-
77.	26/आरए/00	अदार कुमार जैन बनाम जी. एस. भाटी	-वही-
78.	321/आरए/96	ग्रुप बेनिफीट ट्रस्ट जी.एस. भाटी	-वही-
79.	178/आरए/00	मानसी अग्रो बनाम जी.एस. चत्तरपुर	-वही-
80.	189/आरए/00	राजकुमार एंड अन्य बनाम जी.एस. मुल्तानपुर	-वही-
81.	आरए/एचके	स्प्रींग विठ एस्टेट बनाम जी.एस. असोला	-वही-
82.	3/आरए/00	कृष्णा कुमारी भनोट बनाम जी.एस. आया नगर	-वही-
83.	102/आरए/00	राम किशोर अग्रवाल बनाम जी.एस. डेरा मंडी	-वही-
84.	101/आरए/00	सुनीता अग्रवाल जी.एस. डेरा मंडी	-वही-

1	2	3	4
85.	152/आरए/00	गॉडफ्री फिलीप्स इंडिया बनाम जी.एस. डेरा मंडी	कार्यवाही न्यायालय में लंबित
86.	आरए/एचके/98	कमल कौल बनाम जी.एस. डेरा मंडी	-वही-
87.	आरए/एचके/	परमानन्द बनाम जी.एस. छत्तरपुर	-वही-
88.	105/आरए/99	नाफेसिंह बनाम जी.एस. देवली	-वही-
89.	220/आरए/01	भीम सिंह एंड अन्य बनाम जी.एस. देवली	-वह-
90.	19/आरए/99	रामजी, राजकुमारी बनाम जी.एस. जौनपुर	-वही-
91.	60/आरए/00	एस.पी. सचदेवा बनाम जी.एस. जौनपुर	-वही-
92.	18/आरए/99	पुलवती बनाम जी.एस. जौनपुर	-वही-
93.	16/आरए/99	प्रकाशचन्द्र बनाम जी.एस. जौनपुर	-वही-
94.	63/आरए/00	जिनिया एग्रो एक्सपोर्ट बनाम जी.एस. जौनपुर	-वही-
95.	62/आरए/00	श्याम साहनी बनाम जी.एस. जौनपुर	-वही-
96.	133/आरए/99	गुलाब सिंह एंड अन्य बनाम जी.एस. जौनपुर	-वही-
97.	132/आरए/00	नरेन सिंह एंड अन्य बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
98.	183/आरए/00	सुरेन्द्रर सिंह बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
99.	182/आरए/00	रणजीत सिंह, कौशल्या देवी बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
100.	184/आरए/00	गोपीराम एंड अन्य बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
101.	185/आरए/00	राजकुमार बनाम जी.एस. सुल्तान	-वही-
102.	191/आरए/00	रजिन्दर सिंह बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
103.	151/आरए/00	सुभाष अग्रवाल बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
104.	256/आरए/00	बी एंड बी एस्टेट प्रा. लि. बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
105.	आरए/एचके	हरनन्दी बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
106.	188/आरए/00	जगदीश, जगबीर बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
107.	217/आरए/01	सुरेन्दर मोहन कोचर बनाम जी.एस. सुल्तानपुर	-वही-
108.	190/आरए/00	जगबीर सिंह बनाम जी.एस. सुल्तान	-वही-

विवरण II

उन मामलों के ब्यौरे, जिनमें अपील नहीं की गई, जिनमें भूमि अधिग्रहण और भूमि तथा भवन विभाग/डीडीए को कब्जा सौंप दिए जाने के कारण राजस्व सहायक (हौजखास) के न्यायालय में कार्यवाही बंद कर दी गई

क्र.सं.	मामला सं.	मामले का टाइटल	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	4/आरए/99	अनिता गौतम बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	न्यायालय में अपील दाखिल नहीं की गई
2.	148/आरए/99	समय सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
3.	133/आरए/00	मांगे राम बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
4.	125/आरए/00	सुखबिर सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
5.	126/आरए/00	अन्नु देवी बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
6.	100/आरए/00	सुधाजजादिया बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
7.	32/आरए/00	मांगेराम जैपाल बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
8.	107/आरए/00	चन्दरभान बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
9.	109/आरए/00	रामफल सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
10.	10/आरए/00	नारायण सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
11.	143/आरए/00	हरपाल बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
12.	104/आरए/00	होशियार सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
13.	117/आरए/00	राजपाल सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
14.	123/आरए/00	धरमपाल बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
15.	116/आरए/00	चट्टान बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
16.	105/आरए/00	मनजीत सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
17.	117/आरए/00	मनजीत सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
18.	121/आरए/00	बलराम सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
19.	115/आरए/00	खजान सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
20.	114/आरए/00	राम सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
21.	113/आरए/00	उत्तम सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
22.	134/आरए/00	मनजीत सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
23.	128/आरए/00	भगत सिंह बनाम जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-
24.	127/आरए/00	भीकु बनाम सिंह जी.एस. सैदुलाजैब	-वही-

1	2	3	4
25.	150/आरए/00	श्रीलाल, चट्टर सिंह बनाम जी.एस. सतबारी	न्यायालय में अपील दाखिल नहीं की गई
26.	73/आरए/00	डी. एस. हिम्मत सिन्धा बनाम जी.एस. सतबारी	-वही-
27.	72/आरए/00	रजत इन्वेस्टमेंट बनाम जी.एस. सतबारी	-वही-
28.	147/आरए/00	श्रीलाल एंड अन्य बनाम जी.एस. सतबारी	-वही-
29.	280/99	राजेश कुमार बनाम जी.एस. बिजबासन	-वही-
30.	111/92	शान्ति देवी बनाम मसूदपुर	-वही-

विवरण III

उन मामलों के ब्यौरे, जिनमें अपील नही की गई, जिनमें विकास आयुक्त, दिल्ली द्वारा मामले पर पहले ही निर्णय ले लिए जाने के कारण राजस्व सहायक (हौजखास) के न्यायालय में कार्यवाही बंद कर दी गई थी।

क्र.सं.	केस सं.	केस का शीर्षक	स्थिति
1.	46/97	बृज मोहन भाटिया बनाम जी.एस. घिटोरनी	मामले पर पहले ही निर्णय हो गया है।
2.	140/98	नन्द लाल बनाम जी.एस. घिटोरनी	-वही-
3.	300/99	वेद टेक्स इंडिया लि. बनाम जी.एस. झाटिकरा	-वही-
4.	18/2000	अमर सिंह बनाम जी.एस ढ़ासा	-वही-
5.	3/2001	किरोली मल बनाम घुमनहेड़ा	-वही-
6.	288/99	इंदर सिंह एंड अन्य बनाम जी.एस. इसापुर	-वही-
7.	323/99	गोपी चन्द एंड अन्य बनाम जी.एस. मितरों	-वही-
8.	251/98	अजाद सिंह बनाम जी.एस. इसापुर	-वही-
9.	51/आरए/00	प्रह्लादी बनाम जी.एस. चंदनहोला	-वही-

संयंत्रों से आयरन स्पंज

1132 श्री परसुराम माझी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में स्पंज आयरन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए उद्योगपतियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए;

(ख) इन उद्योगपतियों को पट्टे पर दी गई खानों का ब्योरा क्या है;

(ग) पट्टे पर दिये जाने के आधार क्या हैं; और

(घ) इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा में स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी उद्यमी के साथ कोई समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं किया गया हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आतंकवाद पर भारत-नेपाल प्रयास

1133. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री के.एस. राव:
श्री अनन्त नायक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ रही माओवादी गतिविधियों तथा अन्य अवैध और उग्रवादी गतिविधियों के मद्देनजर सीमा पर सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के संबंध में नेपाल सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो उन सीमान्त राज्यों के नाम क्या हैं जहां से सर्वाधिक घुसपैठ और अवैध गतिविधियों की सूचना सरकार को मिली हैं;

(ग) क्या इन सीमाओं पर माओवादियों की घुसपैठ, तस्करी और देह व्यापार की घटनाएं बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना सरकार को मिली है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान, यथापि, सीमा-प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीमा रक्षक बल के रूप में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल द्वारा पकड़े गए माओवादियों और निषिद्ध माल का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

क्र.सं.	घटनाएं	2002	2003	2004 (30.10.2004 तक)
1.	पकड़े गए माओवादी	15	09	11
2.	तस्करी			
	(क) पकड़े गए हथियार	06	16	182
	(ख) पकड़ा गया गोला बारूद	12	71	23
	(ग) निषिद्ध माल (कीमत)	30619340 रुपए	9544090 रुपए	17335373 रुपए
3.	अवैध मानव व्यापार/देह व्यापार	अब तक किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।		

सबसे ज्यादा संख्या में माओवादियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई है।

(ङ) भारत सरकार ने सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाने और सीमा पार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल के रूप से सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की है। नेपाल की सीमा से लगे सभी राज्यों की सरकारों को सतर्कता बढ़ाने और गश्त को तेज करने को कहा गया है ताकि माओवादी तत्वों के प्रवेश को रोका जा सके, सीमा के भारतीय क्षेत्र में अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिंसा आगे नहीं फैलने पाए।

आंगनवाड़ी केन्द्रों को खोलना

1134. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी. के. चन्द्रप्पन:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों को आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए राज्यवार कितनी राशि दी गयी है;

(ख) इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता हैं;

(ग) इनके कब तक खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को एक वर्ष के भीतर 1.85 लाख आंगनवाड़ी या दिन में शिशु देखभाल केन्द्र स्थापित करने का संभावना हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को राज्यों से और अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ज) अब तक ऐसे स्वीकृत केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(झ) क्या इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सरकार को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ट) इस सहायता से स्वीकृत केन्द्रों की राज्यवार विशेषत: पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण I में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) इस समय, आईसीडीएस स्कीम के अन्तर्गत 5652 परियोजनाओं में 7,54,315 आंगनवाड़ी केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं। 31.8.2004 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत तथा परिचालित परियोजनाओं/केन्द्रों की राज्य-वार संख्या विवरण II में दी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने 29.4.2004 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार स्पष्ट करे कि कब तक आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, ताकि 14 लाख बस्तियों को आईसीडीएस का लाभ प्रदान किया जा सके। तदनुसार, राज्यों से अतिरिक्त परियोजनाएं/ आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए अपनी मांग सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था। इस स्कीम के मौजूदा जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विवरण III के अनुसार 467 अतिरिक्त परियोजनाओं तथा 1,88,168 आंगनवाड़ी केन्द्रों की मांग की है। इन अतिरिक्त परियोजनाओं/ केन्द्रों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) कतिपय राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए थे, परन्तु इन पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि 10वीं योजना में स्कीम के विस्तार को अनुमति नहीं दी गई थी। तथापि, कुल मिलाकर इन अनुरोधों को उपर्युक्त भाग (ख) एवं (ग) में संदर्भित प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है।

(झ) से (ट) 5652 संस्वीकृत परियोजनाओं में से 922 परियोजनाएं 12 राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरांचल तथा आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण I

आईसीडीएस (सामान्य), विश्व बैंक तथा उदिशा के अंतर्गत निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 निर्मुक्त	2002-03 निर्मुक्त	2003-04 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12530.61	14884.25	11135.88
2.	अरूणाचल प्रदेश	1970.39	2530.72	1552.73
3.	असम	6243.61	8121.08	4489.45
4.	बिहार	3145.11	7833.94	5354.59
5.	गोवा	344.35	435.75	420.70
6.	गुजरात	8170.09	7055.287	9894.54
7.	हरियाणा	3730.50	4349.41	4446.88
8.	हिमाचल प्रदेश	2029.42	2194.40	1603.66
9.	जम्मू-कश्मीर	2824.16	3728.75	2415.88

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	7710.68	19699.29	11341.87
11.	केरल	6666.30	6621.08	9585.50
12.	मध्य प्रदेश	10346.08	15528.51	16002.77
13.	महाराष्ट्र	10643.48	18935.09	19598.87
14.	मणिपुर	961.60	2360.06	1453.55
15.	मेघालय	1105.15	1181.87	881.52
16.	मिजोरम	617.95	1149.44	852.63
17.	नागालैंड	1957.00	2416.47	1509.28
18.	उड़ीसा	7131.86	8726.42	11523.81
19.	पंजाब	3730,77	3777.09	4943.21
20.	राजस्थान	9997.07	11625.54	11727.65
21.	सिक्किम	192.35	280.97	173.69
22.	तमिलनाडु	9289.80	13459.18	10855.27
23.	त्रिपुरा	1521.36	1403.95	1822.82
24.	उत्तर प्रदेश	15972.42	13659.04	19095.23
25.	पश्चिम बंगाल	12800.02	16629.63	15873.69
26.	छत्तीसगढ़	2700.79	7294.93	6581.19
27.	उत्तरांचल	1246.76	947.15	1862.83
28.	झारखंड	2381.66	6495.63	3081.25
संघ राज्य क्षेत्र				
29.	दिल्ली	821.41	1014.18	1172.42
30.	पांडिचेरी	159.85	241.05	205.54
31.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	154.85	164.32	193.18
32.	चण्डीगढ़	97.35	121.50	142.54
33.	दादर नगर हवेली	33.85	42.00	48.50
34.	दमन एवं दीव	37.45	43.24	41.41
35.	लक्षद्वीप	33.12	30.83	39.64
	कुल	149298.69	195982.03	191924.17

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आइसीडीएस परियोजनाओं की संख्या		आंगनवाड़ियों की संख्या	
		स्वीकृत	परिचालित	स्वीकृत	परिचालित
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	363	351	54312	53635
2.	अरूणाचल प्रदेश	58	57	2359	2329
3.	असम*	196	195	25416	25302
4.	बिहार	394	185	60813	24965
5.	छत्तीसगढ़	152	152	20289	20288
6.	गोवा	11	11	1012	1012
7.	गुजरात	227	227	37961	36778
8.	हरियाणा	116	116	13546	13546
9.	हिमाचल प्रदेश	72	72	7354	7354
10.	जम्मू व कश्मीर	121	120	11821	10227
11.	झारखण्ड	204	152	23078	15624
12.	कर्नाटक	185	185	40301	40301
13.	केरल	163	163	25393	24453
14.	मध्य प्रदेश	336	336	49787	49163
15.	महाराष्ट्र	370	368	62716	58994
16.	मणिपुर	34	34	4501	4499
17.	मेघालय	32	32	2218	2218
18.	मिजोरम	21	21	1361	1341
19.	नागालैण्ड	54	54	2700	2700
20.	उड़ीसा	326	326	34201	34201
21.	पंजाब	142	142	14730	14730
22.	राजस्थान	275	275	35821	35710
23.	सिक्किम	5	5	500	500
24.	तमिलनाडु	434	434	42377	42279

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	40	39	3786	3759
26.	उत्तर प्रदेश	836	742	106059	82791
27.	उत्तरांचल	99	99	6658	6202
28.	पश्चिम बंगाल	358	354	57540	53889
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	5	527	429
30.	चण्डीगढ़	3	3	300	300
31.	दिल्ली	29	28	3902	3842
32.	दादरा एवं नगर हवेली	1	1	138	138
33.	दमन व द्वीप	2	2	87	87
34.	लक्षद्वीप	1	1	74	74
35.	पांडिचेरी	5	5	677	677
	अखिल भारत	5652	5274	754315	674337

#30.11.2003 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण III

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की जाने वाली प्रस्तावित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			
		परियोजनाएं	आंगनवाड़ी केन्द्र		
			नयी आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	मौजूदा आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	1468	8094	9562
2.	अरूणाचल प्रदेश	27	959	-	959
3.	असम	23	1659	5000	6659
4.	बिहार	139	-	22066	22066
5.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	6683	6683

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	33	259	3264	3523
8.	हरियाणा	12	534	2453	2987
9.	हिमाचल प्रदेश	4	शून्य	10894	10894
10.	जम्मू-कश्मीर	19	725	6092	6817
11.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	11313	11313
12.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	31	4657	4880	9537
14	छत्तीसगढ़	6	599	8889	9497
15.	महाराष्ट्र	44	2493	10371	12864
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	7	307	654	961
18.	मिजोरम	2	13	218	231
19.	नागालैण्ड	2	35	230	265
20.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	3279	3279
21.	पंजाब	6	463	2228	2691
22.	राजस्थान	17	1855	9186	11041
23.	सिक्किम	6	124	364	488
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	3049	3049
25.	त्रिपुरा	11	550	1670	2220
26.	उत्तर प्रदेश	1	99	31399	31498
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	1134	1134
28.	पश्चिम बंगाल	63	5752	11977	17729
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	शून्य	शून्य	94	94
30.	चण्डीगढ़	शून्य	29	-	29

1	2	3	4	5	6
31.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दादर एवं नगर हवेली	1	77	-	77
33.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	10	10
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	11	11
	कुल	467	22657	165511	1,88,168

सिनेमा घरों को मल्टीप्लेक्स में बदला जाना

1135. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री के.एस. राव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में कुछ सिनेमा घरों को मल्टीप्लेक्स में बदले जाने की अनुमति दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस और रेजिडेंज वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं और अंतिम निर्णय क्या लिया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

1136. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'
श्री पंकज चौधरी:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2004 के दौरान आतंकवादी घटनाओं की बारंबरता और गंभीरता में कोई स्पष्ट परिवर्तन आया है;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान नियंत्रण रेखा और सीमा पर उग्रवादी गतिविधियों का ब्योरा क्या है;

(ङ) गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्रकाश में आई उग्रवादी गतिविधियों और घुसपैठ की घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल नागरिकों, रक्षा कर्मियों की संख्या कितनी है तथा कितने उग्रवादी मारे गए/गिरफ्तार किए गए; और

(छ) ऐसी उग्रवादी घटनाओं को रोकने तथा जम्मू और कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) प्रशासन में दक्षता, विकास में तेजी और लोगों के सभी वर्गों की सर्जनात्मक क्षमता का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से सरकार राज्यों को व्यापक शक्तियां सौंपने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के कार्यान्वयन पर व्यापक सहमति तैयार करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के प्रति प्रतिबद्ध है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष में अक्तूबर, 2004 तक के दौरान हुई आतंकवादी घटनाओं की संख्या (2223) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई आतंकवादी घटनाओं की संख्या (2887) से कम रही है। इसी प्रकार जनवरी-अक्तूबर, 2004 की अवधि में घुसपैठ की संख्या (496) वर्ष 2003 की इसी अवधि के दौरान घुसपैठ की संख्या (1211)से काफी कम दिखाई देती है।

(ङ) और (च) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:

मद/गतिविधियां	जनवरी से अक्तूबर, 2003 तक	जनवरी से अक्तूबर, 2004 तक
घटनाएं	2887	2223
मारे गए सिविलियन	703	624
घायल हुए सिविलियन	1376	1305
मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	277	239
घायल हुए सुरक्षा बल कर्मी	685	579
मारे गए आतंकवादी	1265	856
गिरफ्तारी किए गए/पकड़े गए आतंकवादी	373	266
घुसपैठ की संख्या	120	100
अनुमानित घुसपैठ की संख्या	1211	496
घुसपैठ के विफल हुए प्रयासों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या	162	84

(छ) सरकार ने राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से सीमा-पार से होने वाले आतंकवाद को विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में होने वाले आतंकवाद को रोकने के लिए एक बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा-प्रबंधन को सुदृढ़ करना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ-साथ तथा निरंतर बदलते रहने वाले घुसपैठ के रास्तों के नजदीक बहुराष्ट्रीय और बहुरुपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण उपलब्ध कराना, घुसपैठ को रोकने के लिए उन्नत आसूचना और ऑपरेशनल समन्वय स्थापित करना, राज्य के भीतर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी (प्रोएक्टिव) कार्रवाई इत्यादि करना शामिल हैं। घुसपैठ-विरोधी प्रयासों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरों को सुविधाएं

1137. श्री मुनव्वर हसन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरों में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं का शहर-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) इन शहरों में इन सुविधाओं के कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरों में सुविधाएं संबंधित राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) केन्द्र सरकार के अंतर्गत एक योजना तैयार करने वाला निकाय है। क्षेत्रीय योजना 2001 में प्राथमिकता आधार पर विकास के लिए निम्नलिखित 6 दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र (डीएमए) नगरों तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों की पहचान की गई है।

क्र.सं.	डीएम नगर	क्र.सं.	क्षेत्रीय केन्द्र
1.	गाजियाबाद (लोनी सहित)	1	रोहतक
2.	गुड़गाव	2	पानीपत
3.	नोएडा	3	पलवन
4.	फरीदाबाद	4	रेवाड़ी
5.	बहादुरगढ़	5	धारूहेडा
6.	कोंडली	6	मेरठ
		8.	बुलंदशहर
		9.	खुर्जा
		10.	अलवर
		11.	भिवाड़ी

क्षेत्रीय योजना में अवस्थापना और सेवाओं के प्रावधान करके इन केन्द्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ताकि वे न केवल संभावित बाहर जा रही आबादी को बाहर जाने से हतोत्साहित कर सके बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली की सीमा में रह रहे प्रवासियों को आकर्षित कर सकें और उन्हें खपा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों की चुनिंदा परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना का विकास भी करता है।

[अनुवाद]

आदिम जनजातियों के लिए बीमा योजना

1138. श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों के लिए एक बीमा योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं; और

(ग) सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार के विचाराधीन अन्य कल्याणकारी योजनाओं का ब्योरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (घ) मंत्रालय अन्य योजनाओं के अलावा, वर्ष 1998-99 से आदिम जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 के दौरान उपयुक्त मौजूदा स्कीम के अधीन उपलब्ध निधियों से आदिम जनजातीय समूहों से संबंधित एक लाख परिवारों को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के लिए 16 राज्य सरकारों को 5.00 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की है।

(ग) मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जिनका ब्यौरा मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया है। तथापि, वर्तमान में मंत्रालय के विचारार्थ कोई नई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा

1139. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र द्वारा प्रायोजित 'सर्व शिक्षा' योजना के संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा कुल कितनी निधि मांगी गई है और अब तक कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत आंकड़े गलत पाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या 'सर्व शिक्षा' योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा केवल मध्याह्न भोजन दिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 'सर्व शिक्षा' के विशेष नाम से, जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, कोई केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु कार्यान्वित की जा रही तीन प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन हैं। इन योजनाओं के तहत 2004-05 के दौरान बजटीय आवंटन और व्यय निम्नानुसार हैं

क्र.सं.	योजना	बजट अनुमान 2004-05	25.11.04 तक जारी निधियां
1.	सर्व शिक्षा अभियान	3057	3031
2.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	600	318
3.	मध्याह्न भोजन	1675	721

इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन की मात्रा की जानकारी 2004-05 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगों के पारित होने के बाद पता चल सकेगी।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों से अपेक्षा होती है कि वे उपर्युक्त योजनाओं के तहत प्रगति, व्यय इत्यादि के आंकड़ों की सही रिपोर्ट दें। तथापि, यदि प्रथम दृष्टया कोई विसंगति जानकारी में आती हैं तो उनका सत्यापन किया जाता है। इन योजनाओं की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा भी की जाती है।

(ङ) और (च) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लेख किया गया है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ

बनाने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में से एक है। चालू वर्ष में इसमें लगभग 10.89 करोड़ बच्चों को शामिल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल नीति में सुधार

1140. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बाल नीति में सुधार करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बाल रोग हेतु राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परिवहन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग

1141. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाइड्रोजन को यातायात ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पाद हेतु संसाधन जुटाने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इसका व्यावसायिक उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) हाइड्रोजन परिवहन ईंधन के रूप में आंतरिक दहन इंजन और ईंधन सैल आधारित वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जा सकती है। हाइड्रोजन को डीजल और सीएनजी के साथ भी मिलाया जा सकता है। मंत्रालय एक दशक से भी अधिक समय से हाइड्रोजन तथा ईंधन सैल प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों को विकसित करने हेतु अनुसंधान एवं प्रदर्शन कार्यकलापों को सहायता प्रदान कर रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में अन्य अनुप्रयोगों के साथ हाइड्रोजन चालित मोटर-साइकिलों, थ्रीव्हीलरों और हाइड्रोजन ईंधन सेल-बैटरी चालित हाइब्रिड वैन का भी विकास किया जा चुका है। अब तक विकसित किए गए प्रोटोटाईप वाहनों की प्रौद्योगिकी में और अधिक संशोधन करने हेतु अनुसंधान कार्य प्रगति पर है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया है जिसमें सरकार, उद्योग, शैक्षिक संस्थाओं तथा विशेषज्ञों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व है। बोर्ड द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, आपूर्ति, सुरक्षा से लेकर अनुप्रयोगों तक इसके सभी पहलुओं को शामिल करने हुए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप की तैयारी और कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। रोड मैप में विकास तथा कार्यान्वयन को तेज करने के लिए निधियों की आवश्यकता सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, दीर्घ आवधिक लक्ष्यों विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वयन हेतु कदमों राजकोषीय व वित्तीय उपायों की पहचान की जाएगी। बोर्ड द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी के साथ विशिष्ट परियोजनाओं के विकास में भी सहायता की जाएगी जिससे निजी क्षेत्र से संसाधनों को जुटाने में भी सुविधा मिलेगी।

(च) इस समय हाइड्रोजन का उत्पादन फर्टिलाइजर तथा पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योगों में वाणिज्यिक रूप से किया जा रहा हैं। हाइड्रोजन का उत्पादन क्लोर-अल्कली उद्योग में उपोत्पाद के रूप में भी किया जाता है। बोयमास, जैविक ऊष्मा-रासायनिक, फोटोकैटेलिटिक तथा अन्य अक्षय ऊर्जा पद्धतियों जैसी उभरती हुई तकनीकों से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। जो अभी

अनुसंधान एवं प्रदर्शन स्तर पर हैं तथा वाणिज्यिक उत्पादन के व्यवहार्य होने से पहले और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

राजस्व सहायक के न्यायालय के अन्तर्गत लंबित मामले

1142. श्री विजय कृष्ण: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बसंत विहार, नजफगढ़ हौज खास, डिफेन्स कालोनी और कालकाजी, नई दिल्ली के राजस्व सहायकों के न्यायालयों में धारा 65-क, 74(4) 81, 85 और 86-क के अंतर्गत लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं;

(ख) आदेश के लिए सुरक्षित रखे गए उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें 15 दिन से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद कोई आदेश नहीं दिया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सब आदेशों को कब तक दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु धनराशि का आवंटन

1143. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्व अनुवर्ती शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत अल्पावधि कम्प्यूटर प्रचालन प्रशिक्षण हेतु महाराष्ट्र सहित राज्यों को धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक की उक्त परियोजना के अन्तर्गत अल्पावधि कम्प्यूटर प्रचालन प्रशिक्षण दिए गए अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है और इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि कम्प्यूटर प्रचालन प्रशिक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रवेश देते समय अनियमितताएं बरती जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनसंख्या रिपोर्ट में विलम्ब

1144. श्री गुरूदास कामत: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नयी जनसंख्या रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

फार्म हाऊस

1145. श्री कैलाश बैठा: क्या शहरी विकास मंत्री 13.7.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 946 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान उन मामलों का मामलेवार ब्यौरा क्या है जिनमें हौजखास, डिफेन्स कालोनी, वसन्त विहार, नई दिल्ली के राजस्व सहायक के न्यायालय द्वारा डी. एल. आर. अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत सुनवाई बन्द कर दी गई है, विवादित भूमि पर स्थित ढ़ांचे अनुमत्य क्षेत्र/सीमा से अधिक भूमि पर बने हैं और वास्तव में विवादित/कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हैं;

(ङ) क्या ग्राम सभा ने ऐसे सभी मामलों में अपील दायर की है;

(च) यदि नहीं, तो डिवीजनल/विकास आयुक्त के निर्देशों के बावजूद अपील दायर न करने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या ऐसे सभी मामलों में अपील दायर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले

1146. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने अपोलो और गंगाराम अस्पतालों को गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में संलिप्त पाया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) दिल्ली पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली और सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली के अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण में शामिल होने के संबंध में तीन मामले दर्ज किए हैं;

(ख) इन अस्पतालों के विरुद्ध सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई उपर्युक्त तीन मामलों की जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

1147. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष साम्प्रदायिक दंगे भड़कने से पूर्व उपाय के तौर पर पूर्णकालिक आयोग को गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों की कानून एवं व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और ऐसे प्रकोष्ठों के प्रभारी और अन्य अधिकारियों की ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकोष्ठ के गठन के बाद से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा और उन पर की गई कार्यवाही क्या है; और

(ङ) इस प्रकोष्ठ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अथवा उठाए जा रहे प्रभावी कदम क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) इस मंत्रालय को समय-समय पर कानून और व्यवस्था तथा अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त होती रहती है। चूंकि संविधान के तहत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए इन शिकायतों/रिपोर्टों पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया जाता है। जब कभी आवश्यक समझा जाता है, शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाने के वास्ते उचित सलाह/निदेश भी जारी किए जाते हैं। इस संबंध में एक और पूर्णकालिक आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान

1148. श्री पी. मोहन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है;

(ख) यदि हां, तो सर्व शिक्षा अभियान के प्रसार के लिए अनुमानित कुल कितना खर्च होगा;

(ग) इस उद्देश्य हेतु अब तक संग्रहित शैक्षिक उपकर कितना है;

(घ) इस संबंध में केंद्र और राज्यों द्वारा बांटे जाने वाले प्रस्तावित खर्च का प्रतिशत कितना है;

(ङ) इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(च) इस मिशन का विस्तार सभी राज्यों में कब तक कर दिया जाएगा; और

(छ) इस कार्यक्रम की मानीटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब तक हो जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शुरू करने के समय योजना आयोग के परामर्श से यह अनुमान लगाया गया था कि दसवीं योजना अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु 32,000 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता होगी। दसवीं योजना में अब तक 17,000 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है।

(ग) वित्त मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया है कि शिक्षा उपकर का संग्रह प्रतिवर्ष 4000-5000 करोड़ रु. होगा।

(घ) दसवीं योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान पर होने वाले खर्च को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में तथा इसके पश्चात 50:50 के अनुपात में बांटा जाएगा।

(ङ) राज्यवार अनुमोदित वर्षवार परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(च) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गोवा राज्य अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुआ है।

(छ) सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के लिए अनुमोदित परिव्यय

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5375.7	16990.27	39534.77	57010.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	356.65	2331.89	4834.64	6403.34
3.	असम	7651.88	15040.01	41859.25	31746.45
4.	बिहार	6712.4	23885.31	77166.19	88482.78
5.	छत्तीसगढ़	779.96	6763.67	21830.05	39396.35
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	4156.38	12957.58	23492.94	29184.05
8.	हरियाणा	496.46	8138.40	15087.87	22918.55
9.	हिमाचल प्रदेश	1617.59	2906.37	11004.15	12156.45

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू और कश्मीर	0	5148.55	16611.68	20703.5
11.	झारखंड	1335.73	9564.91	32808.36	44696.15
12.	कर्नाटक	6508.62	10465.58	33791.55	43532.62
13.	केरल	2372.98	8684.05	12742.87	16789.72
14.	मध्य प्रदेश	6461.06	16522.03	84428.2	125043.89
15.	महाराष्ट्र	10448.92	36957.33	76526.07	85602.18
16.	मणिपुर	0	938.06	3160.52	4601.13
17.	मेघालय	1871.25	451.00	4028.27	5427.12
18.	मिजोरम	1017.79	1602.24	3152.79	4670.57
19.	नागालैंड	0	1971.17	2951.49	3449.7
20.	उड़ीसा	7474.59	13407.38	47197.47	64004.24
21.	पंजाब	12980.79	9946.34	20145.75	20034.92
22.	राजस्थान	753.75	17434.48	45031.05	64089.92
23.	सिक्किम	146.22	580.91	1233.11	1600.68
24.	तमिलनाडु	6863.35	18422.49	40493.03	43330.26
25.	त्रिपुरा	1047.95	1131.01	5116.96	6255.74
26.	उत्तर प्रदेश	18042.67	38447.74	109513.5	160446.44
27.	उत्तराचंल	2579.74	4783.33	12577.19	13039.61
28.	पश्चिम बंगाल	3546.99	22146.98	59818.63	87773.91
29.	अंडमान और निकोबार दीप समूह	0		757.23	589.9
30.	चंडीगढ़	0		598.77	1401.31

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0	–	1193.14	877.66
32.	दमन और दीव	0	–	0	271.18
33.	दिल्ली	0	15.00	5225.65	4224.68
34.	लक्षद्वीप	0	34.69	110.16	132.07
35.	पांडिचेरी	38.3	341.58	730.82	1059.7
		110637.72	308010.35	854754.11	1110937.58

[हिन्दी]

उर्वरकों की कीमत

1149. श्री महेन्द्र प्रसाद भिखाद:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव के कारण डीएपी उर्वरक की कीमत निर्धारित नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम.ओ.पी. (म्यूरेट आफ पोटाश) की अप्रैल, 2004 तथा नवम्बर, 2004 में खरीद और आयात हेतु दो बार कीमत निर्धारित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो अप्रैल और नवम्बर, 2004 में निर्धारित की गई एम.ओ.पी. की कीमत क्या थी और सरकार द्वारा नई मूल्य निर्धारित नीति के तहत गत वर्ष की तुलना में कितनी राजसहायता प्रदान की गई थी;

(ङ) क्या कई राज्यों, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश से यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त मात्रा में ये उर्वरक जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) म्यूरेट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) के आयात का माध्यमीकरण समाप्त कर दिया गया है। एम.ओ.पी. के आयातक सामान्यत: पूरे वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य तय कर लेते है। तथापि, इस वर्ष 1.4.2004 से 31.10.2004 तक की आपूर्ति के लिए 180 दिनों के क्रेडिट सहित एम.ओ.पी. का मूल्य 180 अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन लागत एवं भाड़ा निर्धारित किया गया था। सरकार ने भी रियायत योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2004 को समाप्त तिमाही के लिए रियायत दरें तय करने के लिए इस मूल्य को अपनाने का निर्णय लिया है। जनवरी, 2005 के बाद अपनाए जाने वाले मूल्य पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) से (छ) वर्ष 2004-05 के दौरान किसी राज्य से यूरिया की कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. के मामले में कुछ सरकारों ने अतिरिक्त मात्रा की मांग की थी जो उन्हें उपलब्ध करा दी गई थी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 192 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 जो 8 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 951/2004]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2003-04 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 952/2004]

(ख) (एक) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के वर्ष 2003-04 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 953/2004]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 954/2004]

(2) (एक) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 955/2004]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1075(अ) जो 1 अक्तूबर, 2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा रबी मौसम 2004-2005 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यूरिया की आपूर्ति को दर्शाने वाले आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 956/2004]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कैलेण्डर वर्ष 2003 के दौरान किए गए विवेकाधीन आवंटनों के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 957/2004]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 958/2004]

(3) (एक) सेंटर फार विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 959/2004]

(4) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपेंट एजेंसी लिमिटेड तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 960/2004]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1076(अ), जो 1 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री एच.एस. ब्रह्मा की अभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 961/2004]

(2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) समीक्षा समिति के सदस्यों के लिए अर्हता नियम, 2004 जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 675(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आवेदन ग्रहण तथा निपटान प्रक्रिया नियम, 2004 जो 14 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 962/2004]

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी एवं विधि अधिकारी भर्ती तथा सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2004 जो 22 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 760(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 963/2004]

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 जो 11 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 964/2004]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में ल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 965/2004]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 966/2004]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 967/2004]

(5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 968/2004]

(6) उपर्युक्त (3 से 5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 969/2004]

अपराह्न 12.01 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मो. सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मैं 'संविधान के भाग 9क का क्रियान्वयन के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर-पूर्व परिषद को पुनः सक्रिय बनाना

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करने और अन्तर्राज्यीय समन्वयन के लिए एक संसद अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना 1972 में की गई थी। इसके अलावा क्षेत्र में सुरक्षा और जन व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा का कार्य परिषद को सौंपा गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। जो बाहर जाना चाहते हैं, वे शांति से चले जाएं।

श्री पी.आर. किन्डिया: एनईसी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया था। संशोधित एन.ई.सी. अधिनियम में यह प्रावधान है कि एनईसी उत्तर पूर्व के लिए क्षेत्रीय आयोजना निकाय के रूप में कार्य करेगी और ऐसी विशिष्ट परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करेगी जो दो अथवा अधिक राज्यों को लाभान्वित करेंगी। इसके अलावा एनईसी परियोजनाओं और स्कीमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और ऐसी परियोजनाओं और स्कीमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और ऐसी परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन के मामले में समन्वय स्थापित करने के लिए सुझावों की सिफारिश करेगी। एन ई सी अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि एन ई सी, सुरक्षा और जनव्यवस्था को बनाये रखने के लिए पूर्वोत्तर

राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी और राज्यों को आवश्यक सिफारिशें करेगी।

जुलाई, 2003 में संघ-मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में अन्य बातों के अलावा एनईसी के रीवाईटलाइजेशन को 2003-2004 की प्राथमिकता/ग्रस्ट मदों की सूची में शामिल करने और इसके कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए डोनर मंत्रालय को निर्देश के अनुसार एनईसी के संशोधित अधिदेश को जारी करने और इसके रीवाईटलाइशन करने हेतु उपायों की सिफारिशें करने के लिए एक 11-सदस्यीय समिति गठित की गई थी।

समिति ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पूर्वोत्तर परिषद के सदस्यों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, सिविल सोसायटी समूहों, उत्तर पूर्व के संसद सदस्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य पणधारियों के साथ गहन परामर्श किया। समिति ने 30 जुलाई, 2004 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी।

डोनर मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श करके समिति की रिपोर्ट की जांच की है। भारत सरकार ने कुल मिला कर समिति की सिपारिशें स्वीकार कर ली हैं। सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं: एनईसी सचिवालय की संगठनात्मक और कार्यात्मक पुन:संरचना, सेक्टरवार अधिकार प्राप्त समितियां स्थापित करना, सतत वृद्धि और विकास हेतु क्षेत्रीय आयोजना के लिए उपाय, एन एल सी पी आर के स्थान पर जी बी एस से क्षेत्रीय योजना का वित्त पोषण, क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए उपाय, विकास परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन, सीमा व्यापार में एन ई सी की भूमिका और सुरक्षा और जनव्यवस्था से संबंधित अधिदेश को संचालित करना।

सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री को एन ई सी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने के संबंध में सिफारिशें भी स्वीकार कर ली हैं। इसी प्रकार एन ई सी के तीन सदस्यों के नामांकन से संबंधित सिफारिशें भी स्वीकार कर ली हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि योजना आयोग के सदस्य (उत्तर पूर्व) को एन ई सी के एक सदस्य के रूप में नामित किया जाये। शेष दो सदस्यों का नामांकन पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनके अनुभव और सामाजिक आर्थिक आयोजना में उनकी विशेषज्ञता पर आधारित होगा। मनोनीत सदस्यों को योजना आयोग के सदस्यों के बराबर दर्जा, कार्यकाल और परिलब्धियां दी जाएंगी।

सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णयों से एनईसी की पुन: संरचना और इसे सुदृढ़ बनाने में बहुत अधिक मदद मिलेगी जिससे यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सतत् आर्थिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी भूमिका निभा पायेगी।

अपराह्न 12.06 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3(4)(ञ) और 4(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3(4)(ञ) और 4(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2004-2005

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं वर्ष 2004-05 के लिए बजट (रेल) के बारे में अनुपूरक अनुदान की मांग को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक*, 2004—*पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने में कोई परेशानी नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह एक अध्यादेश हो सकता है परन्तु फिर भी, कोई इमरजैंसी नहीं है, कोई रिपील नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसे स्टैंडिंग कमेटी को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सर्वप्रथम इसे पुर:स्थापित करने दें। इसके बाद हम निश्चित तौर पर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसमें आपत्ति की है।

अध्यक्ष महोदय: आपको बुलाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए।

[अनुवाद]

उनके बोलने से पहले ही ये सब बातें कही जा ही हैं। अब मैं प्रस्ताव करने हेतु मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 7.12.2004 में प्रकाशित।

अब मैं श्री वी. राधाकृष्णन को बोलने का मौका देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने नोटिस दिया था, इसलिए इनको बुला रहा हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विरोध करता हूं क्योंकि इस समय निजी प्रबंधन, स्ववित्त पोषित व्यावसायिक कॉलेजों की शक्तियों को कम करने की राष्ट्रीय मांग है। मैं अल्पसंख्यक समुदाय को यह सुविधा दिये जाने के मार्ग में बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता। तथापि, कैपिटेशन फीस लगाए जाने के बारे में व्यावसायिक कालेजों के प्रबंधन की शक्तियों को कम किये बगैर सरकार अल्पसंख्यक संस्थाओं को लाइसेंस दे रही है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसके गुणों का बखान कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: फीस तय करने के मामले में स्ववित्तपोषित कालेजों को निर्देश देने के संदर्भ में कोई केन्द्रीय विधान बनाए बिना अल्पंसख्यकों के नाम पर लाइसेंस देना ठीक नहीं होगा। व्यावसायिक कॉलेज कैपिटेशन और अन्य फीस लगाते रहेंगे और इससे शोर-शराबा मचेगा। अल्पसंख्यक के नाम पर हम उन्हें लाइसेंस नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय: आप तो इसके गुणावगुणों के बारे में बोल रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सरकार को सर्वप्रथम कालेज प्रबंधकों की शक्तियों को निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून लाना चाहिए। उसके बाद ही हम इस मुद्दे को उठाएंगे। यदि हम अल्पसंख्यकों के नाम पर इस समय इसे पारित कर देते हैं तो ये संस्थाएं कैपिटेशन फीस लगाती रहेंगी तथा इससे विद्यार्थी समुदाय परेशानी में ही रहेगा। इसलिए यही बेहतर होगा यदि माननीय मंत्री पहले एक केन्द्रीय विधान लाएं। तत्पश्चात् आप प्रबंधन को अधिकार दे सकते हैं। इसके बगैर इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सूचना में दिये गये विषय से भटक रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत, आपने कोई कारण नहीं बताया है। तथापि, जैसाकि आपको पता है, हमने अब नियम बदल दिया है।

संभवत: यह शीघ्र ही अस्तित्व में आने जा रहा है। भविष्य में, आपको कारण देना होगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित करने से अपनी असहमति व्यक्त करता हूं और अपना विरोध प्रकट करता हूं। शिक्षा मूलत: राज्य का विषय है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों से इस बारे में राय ले ली गई है? इसी संदर्भ में मेरी आपत्ति यह है कि 3 जुलाई, 2004 को जब नयी सरकार ने काम संभाला था, तब उन्होने एक सम्मेलन बुलाया था। बुद्धिजीवियों के नाम पर, अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर और उस समय बीजेपी को जान-बूझकर आमंत्रित नहीं किया गया था। बीजेपी जिसके करोड़ों समर्थक इस देश के अंदर हैं। कांग्रेस को 146 सीटें मिलीं और बीजेपी को 138 सीटें मिलीं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इसके गुणावगुण के बारे में बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं जो बताना चाहता हूं, वह यह है कि इतने बड़े बहुमत को इस प्रकार से तिरस्कृत करना, निरादर करना जिसमें यह निश्चय किया गया था कि एक आयोग लाया जाएगा, उस बैठक में हमको नहीं बुलाया गया। हमारी पार्टी के नेताओं को, बीजेपी के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, इतना बड़ा भेदभाव जानबूझकर किया गया। तीसरी मेरी आपत्ति यह है कि *...(व्यवधान)* भारतीय संविधान के अंदर समानता का अधिकार जब दिया गया है तो यह अल्पसंख्यकवाद का विषय केवल वोट-बैंक की राजनीति के नाम पर इस प्रकार से अलग आयोग बनाना है जबकि अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। मानवाधिकार आयोग बनाने की बात करें तो बात हो सकती है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग अलग से बनाने की क्या आवश्यकता है? जब कमीशन बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है और मदरसा बोर्ड बनाने की बात हो रही है तो इसकी क्या आवश्यकता है? *...(व्यवधान)* अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने की संविधान में व्यवस्था है। हम भी चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले और तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबको न्याय मिले और किसी की तुष्टीकरण की नीति नहीं चले। लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर, वोट-बैंक के नाम पर, कांग्रेस यह विधेयक लेकर आई है *...(व्यवधान)*

देश की आजादी को 57 साल हो गये हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू से बढ़कर इस देश के बारे में सोचने वाला और कौन हो सकता है? लेकिन वह भी ऐसा विधेयक नहीं लाए। जो सरकारें आईं, वे भी कई ऐसा विधेयक नहीं लाई और अब केवल अल्पसंख्यकवाद के नाम पर इस आयोग को लाने की आवश्यकता पड़ी। इसकी क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संख्या आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इस बिल को कमेटी में भेजने की मैंने रिक्वैस्ट की थी। उस पर कृपा करके अपना निर्णय बताएं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता परन्तु मैं इस पर निश्चित रूप से विचार करूंगा। आप जानते हैं कि मैं इस संबंध में बड़े ही सख्त व्यक्तियों में से हूं। परन्तु मुझे कतिपय बातों पर गौर करना होता है।

अब मंत्री महोदय विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.13½ बजे

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश 2004 (2004

का संख्यांक 6) द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 970/04]

अपराह्न 12.14 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) तहलका मामले में कुछ नेताओं के विरुद्ध सीबीआई द्वारा मामले दर्ज करने में कथित रूप से बदले की भावना से कार्य करने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया शांत हो जाएं। श्री मल्होत्रा एवं श्री मोदी ने एक ही मामले पर सूचनाएं दी हैं। इस पर कौन बोलना चाहेंगे? मैं दोनों ही सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दे सकता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) महोदय, मूल्य वृद्धि से संबंधित मेरी सूचना कल से लंबित है।

अध्यक्ष महोदय: अगर ऐसा है, तो मैं इस पर गौर करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी: यह एक ज्वलंत मुद्दा है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मेरी सूचना लंबित है।

अध्यक्ष महोदय: इस पर एक प्रश्न के संबंध में पूरी तरह चर्चा की गई है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, कल अचानक यह समाचार आया कि सी.बी.आई. ने तहलका के मामले में एफआईआर रजिस्टर की है। हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि सी.बी.आई. केसेज चलाए। जितने चाहे, केसेज चलाएं जाएं। उसके बारे में हमें कोई डर नहीं है परंतु जिस तरह से फुकन कमिशन खत्म किया गया, जब उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी थी, जब उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट फरवरी के महीने में दे दी थी। चूंकि वह रिपोर्ट ज्यूडिशिअल कमिशन की थी और वह इनके पक्ष में नहीं जाती थी, इसलिए उसको वाइंड-अप करके, उसकी जगह सीबीआई को मामला दिया गया और सीबीआई को मामला देने के बाद यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, विंचहंटिंग कर रही है। जिनते लोग हैं, उनके खिलाफ कोई न कोई केस बनाने की वजह ढूढ़ रहे हैं। इस तरीके से जो यह व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, यह बहुत आपत्तिजनक है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें ही इस बारे में कहना चाहता हूं। दो राजनीतिक व्यक्तियों और छः अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। परंतु कांग्रेस पार्टी के जितने पूर्व मंत्री थे उनके ऊपर जो केस थे, उनको वापस लिया जा रहा है। सरकार चाहे तो सीबीआई को खुली इजाजत दे दे कि वह जो चाह करे। सतीश शर्मा जी के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन सीबीआई को कहा गया कि उनके खिलाफ केस चलाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह से पचासों केस विदड्रा किए गए। अर्जुन सिंह जी के खिलाफ भी नरसिंह राव जी की सरकार ने केस चला रखा था, वह विदड्रा करने का इस सरकार से निर्णय किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज है। *...(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद के समक्ष प्रदर्शन का मामला था। न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। इसे वापस लेने का कोई मामला नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सरकार ने तय किया कि इनके खिलाफ केस वापस लिया जाएगा। इस तरह से शीला दीक्षित जी, तिवारी जी के खिलाफ जो केस चल रहे थे, वे भी यह सरकार विदड्रा करना चाहती है। *...(व्यवधान)* या तो सभी के खिलाफ केस वापस लिये जाएं या फिर कोर्ट का फैसला सभी केसेज में होना चाहिए। सतीश शर्मा जी के खिलाफ पेट्रोल पम्पों का इतना गम्भीर मामला था, उसके बारे में कहा गया कि हम केस चलाने की इजाजत नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आजमी साहब, उनको बोलने दें। उन्हें बोलने का हक है, क्योंकि मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बहुत गम्भीर मामला है कि इस तरह से सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, यह बहुत आपत्तिजनक है। सीबीआई को हम लोगों के खिलाफ काम करने की खुली छूट दे दी है इस तरह से उसका सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। पहली बार सीबीआई के द्वारा केसेज को लॉज किया जा रहा है। हम इसका स्ट्रांग्ली प्रोटेस्ट करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं दोनों को एक ही विषय पर बोलने का मौका नहीं दे सकता। आपके डिप्टी लीडर ने अपनी बात कह दी है। आप चाहें तो एसोसिएट कर सकते हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी: मैं सिर्फ दो लाइनें ही बोलना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मोदी जी, इससे दूसरों को भी विचार मिलेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसे कैसे काम चलेगा।

श्री सुशील कुमार मोदी: जो तहलका नाम की कम्पनी है, उसके एडवाइजरी बोर्ड में श्री कपिल सिब्बल शामिल थे और उसके फाइनेंशियल एडवाइजर शंकर शर्मा जी थे। लेकिन उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है। आपके उप नेता ने इसी विषय पर बोला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके उपनेता को अनुमति दी है, मोदी जी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमने भी एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नोटिस देख रहा हूं।

श्री सुशील कुमार मोदी: सरकार का कहना है कि उसको खत्म कर दिया गया है और अब बदले की भावना से हम लोगों के खिलाफ काम कर रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोदी जी, मैंने आपके डिप्टी लीडर को अलाऊ किया था।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चर्चा करने के लिए कई मुद्दे हैं। सभा का बहुमूल्य समय नष्ट न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में स्लम बस्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस पर रोक लगाई जाए। स्लम सुधार कमेटी शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दुकानें या व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाए, तभी स्लम समस्या दूर हो सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों के कारण भू माफिया भी वहां पैदा हो रहे हैं, जो सरकारी जमीन और उस पर बनी झुग्गी-झोपड़ियों को हथियाने का काम भी करते हैं। सभी बड़े शहरों में मास्टर प्लान में स्लम मुक्त करने के लिए ट्राइब्यूनल स्थापित हों, ताकि झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने के मामले में जो विवाद पैदा हुए हैं, उनका जल्दी निपटारा हो सके। कमेटी के अनुसार स्लम बस्तियों में जब भी कार्रवाई होती है, लोग न्यायालय से स्थगन आदेश ले आते हैं, जिससे मामलों का निपटारा नहीं हो पाता और वर्षों तक ये मामले चलते रहते हैं। इससे सुधार की प्रक्रिया में भी रुकावट आती है। कमेटी ने स्लमवासियों के पुनर्वास के लिए जमीन आबंटित करने की बात कही है। स्लम बस्तियों में दुकानें अथवा व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे लोगों को न दुकानें दी जाएं और न उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सरकार वित्तीय सहायता भी न दे। कमेटी ने सिंगापुर की तर्ज पर मजदूर कालोनीज बनाने की सिफारिश की है। कंस्ट्रक्शन कंपनी शहर से दूर मजदूर कॉलोनियां स्थापित करती है जिसमें परिवहन सुविधा भी उपलबध होती हैं। लेकिन भारतीय कंस्ट्रक्श नकंपनी इस व्यवस्था से परहेज करती हैं। कंपनी पर कुछ जिम्मेदारी डाली जाए ताकि कानूनी दायरे में उनको लाया जाए और काम खत्म होने के बाद भी बसी झुग्गी-झोपड़ियां हट सकें। कमेटी ने लुटियन-जोन, सिविल लाइन्स जैसे क्षेत्र में झुग्गी-कॉलोनी के स्थापित न करने की भी सलाह दी है। उन स्लम-बस्तियों को भी नियमित किया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप यहां पढ़ना जारी नहीं रख सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: मैंने मूल्यवृद्धि पर चर्चा करने हेतु नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: मैंने इस संबंध में कल नोटिस दिया था। मेरा नोटिस कल से लंबित पड़ा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन जी के द्वारा कही गई बातों के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: सर, मैंने नोटिस दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, मैंने भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, आपको बुलाएंगे।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मेरे नोटिस का पता लगाएं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पता लगाया है। मुझे जो सूची दी गई है वह लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। इससे क्या होता है?

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: नियम 184 के अधीन मूल्य वृद्धि से संबंधित मेरी सूचना लंबित है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नियम 184 के अधीन सूचना को अभी नहीं लिया जाता। आपको यह ज्ञात होना चाहिए। यह उचित समय नहीं है। विशेष मामलों को उठाने हेतु, जिसके लिए नोटिस दिया जाता है, प्रश्न काल के पश्चात 'शून्य काल' में उसे उठाया जाता है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए। आपने लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सूचना दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नियम 184 पर नोटिस अभी नहीं लिया जाता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया उनसे बात करें।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: मैंने नियम 184 के अधीन सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: कुमारी बैनर्जी जी, ऐसा करने के तरीके हैं। यह समय इसे उठाने का नहीं है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: यह लंबित है।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि ऐसा है तो इस पर गुणावगुण के आधार पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। इसे ही शून्य काल कहते हैं। आपकी सूचना का संबंध लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण से है।

आप कुछ और मुद्दा उठा रहे हैं। अब श्री रामजी लाल सुमन बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह भारतीय संसद है। हम सब यह बात भूल जाते हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बैनर्जी: मैंने नियम 184 के अधीन सूचना दी है जो कि कल से लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे को उठाने का यह समय नहीं है।

कुमारी ममता बैनर्जी: चूंकि यह एक ज्वलंत मुद्दा है। मैं आपसे इस पर विचार करने का अनुरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर उचित समय और उचित अवसर पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: आपने कहा है कि "मैंने कोई सूचना नहीं दी है।" यह उचित नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस समय आपका प्रश्न नहीं ले रहा हूं। मैं इस समय केवल 'शून्य काल' पर ही चर्चा कराऊंगा।

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं जानना चाहती हूं कि क्या नियम 184 के अधीन दी गई सूचना 'शून्य काल' से संबंधित नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इस समय यह बात आपको पता होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सदन का समय बर्बाद कर रही हैं। अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, खादी एवं ग्राम-उद्योग की स्थापना सन् 1956 में की गयी थी, जिसका मकसद खादी एवं ग्राम-उद्योग के कामों को विकसित करना था। बहुत प्रतिष्ठावान लोग जो खादी और ग्राम-उद्योग को समर्पित थे, वे इस आयोग के अध्यक्ष रहे। श्री बैंकुठ लाल मेहता और श्री यू.एन. ढेबर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, वे इस कमीशन के अध्यक्ष रहे। उनके बाद ही श्रीमती गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थीं। अध्यक्ष महोदय, इस समय खादी कमीशन अस्तित्व में नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि खादी कमीशन का तत्काल गठन किया जाए और ऐसे लोग जो खादी एवं ग्राम उद्योग के प्रति समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, उनको खादी कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाए।

आज यह हो गया है कि जो लोग राजनीतिक दलों में कही खप नहीं पाते हैं, उन्हें विभिन्न कमीशनों का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जो लोग चुनाव हार गए उनको पिछले दिनों धड़ाधड़ राज्यपाल बनाया गया। इसका कोई मतलब नहीं है। पिछली दो बार से जो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष रहे, उनकी प्रतिबद्धता खादी और ग्रामोद्योग से नहीं थी। उनकी प्रतिबद्धता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से थी। उन्होंने इस कमीशन के चरित्र को बिगाड़ने और बरबाद करने का काम किया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अब अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय नेताओं से अपील करता हूं। यदि हर माननीय सदस्य दस मिनट का समय लेता है तो हम सदन में कार्यवाही को कैसे चलाएंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हम चाहते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन का पुनर्गठन हो। इसके साथ हम यह भी चाहेंगे कि उनका जो दो बार का कार्यकाल रहा, उसकी जांच की जाए। *...(व्यवधान)* उन्होंने खादी को पांच सितारा होटल की चीज बना दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी, आप बोलते नहीं रह सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सुशील मोदी जी, यह बहुत बुरी आदत है। मोदी जी आप हर बात पर खड़े हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि यह ग्राह्य नहीं होगा तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करूंगा। आप इस तरह का कार्य नहीं कर सकते। आप हर मिनट में खड़े हो जाते हैं और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने लगते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर ध्यान दूंगा। लेकिन मैं इसे सुन भी नहीं सकता। यदि आप ऐसा ही करते रहे तो हम सभा को कैसे चलाएंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप हर क्षण बात भी करते रहते हैं। मैं एक सदस्य की बात भी नहीं सुन सकता हूं। यह बड़ी गलत बात है। यह कुछ ऐसी बात है जिसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा, कृपया, मेरा ध्यान इन बातों की ओर आकृष्ट करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। इस मौके का दुरुपयोग न करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर सदस्य का एक मिनट का समय यहां 10 मिनट का समय हो जाता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस समय खादी ग्रामोद्योग कमीशन को अत्यधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है तभी गांवों से जो लोग पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोका जा सकेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बातों को दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: देश में ग्रामोद्योग को तवज्जो देंगे तो लोगों को काम मिलेगा। मेरा आग्रह है कि ऐसे लोग जो खादी और ग्रामोद्योग के लिए समर्पित हुए, उनको इसमें रखा जाए और इस कमीशन को जल्दी अस्तित्व में लाया जाए। ऐसे लोग जो पहले कमीशन में रहे और जिन्होंने इस कमीशन की मार्फत भाजपा के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जो लोग हाथ उठाएंगे, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरे पास नामों की सूची है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक नोटिस है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो हाथ उठाएंगे, मैं उनको बोलने के लिए नहीं बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको जो करना है करिए। आप रिमूवल के लिए एक नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रभुनाथ सिंह जी बोलें। मैंने आपका नाम पुकारा है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियमों को जानते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि किसी के विरुद्ध भी कोई व्यक्तिगत आरोप न लगाया जाये।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सच है, मैं उसे कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको फिर भी नोटिस देना चाहिए था।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से किसी पर ऐलिगेशन लगाना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि

भारत सरकार के कैबिनेट में दो मंत्रियों के परस्पर विरोध के चलते देश की जनता संशय में है और देश की जनता जानना चाहती है कि सच क्या है? हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जहां भारत के रेल मंत्री का एक बयान आया है कि—''पासवान ने किया क्रेन घोटाला''। मैं किसी के ऊपर कोई ऐलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। जिम्मेदार पद पर बैठे जिम्मेदार मंत्री का यह बयान है कि 800 करोड़ रुपये का घोटाला तत्कालीन रेल मंत्री और आज के इस्पात मंत्री ने किया है। वहीं दूसरी तरफ पासवान जी ने एक बयान दिया है कि लालू बिहार को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अखबार में तीसरा बयान यह आया है कि प्रधानमंत्री डंडे से मार कर दोनों मंत्रियों की जुबान बंद करा रहे हैं। देश की जनता यह जानना चाहती है। ...** .....**

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह टिप्पणी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे हटा दिया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): *.....* तो प्रधानमंत्री जी को उस संचिका की जांच करानी चाहिए। यह मेरा बयान नहीं है यह अखबार में आया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने डिलीट करने के लिए कह दिया है और वह डीलीट हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए *.....* *...(व्यवधान)* इस विषय में बहस करानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, चौधरी लाल सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से कहिए कि वह इस बारे में रिस्पौंस करे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री चौधरी लाल सिंह की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही उस शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकलवा चुका हूं। आप अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, चौधरी लाल सिंह जी बोले हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, देश की जनता संशय में है। पूरे तरीके से *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, आपका हो गया। अब बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी आयें और बयान दें।

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री बयान देंगे या नहीं देंगे, यह उन पर निर्भर करता है, मुझ पर नहीं।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारी रियासत में *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ चौधरी लाल सिंह कहेंगे वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आपकी बात हो गयी। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उन्हें सभा को विश्वास में लेना ही होगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां माइग्रेंट्स को दो किस्म का रिलीफ मिलता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। मैं निर्देश नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

इन्होंने ऐलीगेशन लगाया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, आप निर्देश दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, क्या सरकार बयान नहीं देगी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ, आपने मेरा अनुरोध नहीं माना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा के नेता यहां उपस्थित हैं, वह इस बात का निर्णय लेंगे, मैं इस बात का निर्णय नहीं ले सकता, मैं निर्णय नहीं लूंगा।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर में माइग्रेंट्स को अलग-अलग तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है। सब को एक जैसा रिलीफ नहीं दिया जा रहा है मेरी रिक्वैस्ट है कि रिलीफ सब को एक प्रकार का मिलना चाहिए। डोडा, कठुआ, पुंछ, ऊधमपुर और राजौरी जिलों में जितने माइग्रेंट्स हैं, उनके साथ इन्साफ नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके साथ इन्साफ किया जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या हमें अपने पर शर्म नहीं आनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस तरह आप गडबड़ मत करें। हमने उन्हें मौका दिया, हमने उनसे रिक्वैस्ट की। जो रूल था, उसके मुताबिक उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि वे कोई ऐलीगैशन नहीं लगायेंगे। इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी बात कही और अब कहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री को उत्तर के लिए बाध्य करना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, आप प्रधानमंत्री जी से कहें कि वे बयान दें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रधानमंत्री को फोर्स नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, कोई तो यह बताये कि यह दोनों मंत्री जो एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसकी वास्तविकता क्या है। इन दोनों को निकाल दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों खड़े हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी सरकार के वरिष्ठ मंत्री यहां मौजूद हैं, वह इस मामले में रिस्पांस दें। वह बतायें कि इस मामले में क्या होगा। प्रधानमंत्री जी इस पर कब जवाब देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): यह विपक्ष ही नहीं कह रहा है। मंत्रीजी भी यही कह रहे हैं। वे स्वयं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिए। यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपने मुद्दा उठाया है। आपने प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग की है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मामले को सिर्फ रेज करने से क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जरा एक मिनट। आप लोग एक मिनट भी स्पीकर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे या नहीं। आपने ही इसे उठाया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसका समय बतायें कि कब रिप्लाई होगा। कब प्रधानमंत्री जी बयान देंगे। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें देखना चाहिए। मैं क्या करूंगा या क्या नहीं करूंगा इस बात का निर्णय मैं ही लूंगा। आप मुझे इस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे भी इस सभा की प्रतिष्ठा की उतनी ही चिंता है जितनी कि किसी और को है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

ठीक है। आप इसी तरह का व्यवहार जारी रख सकते हैं। मैं सभा की बैठक स्थगित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या कर रहे हैं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): श्री राम विलास पासवान ने जो कहा है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हाउस को चलने दीजिए। यह हाउस की गरिमा के अनुसार नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोग बैठिये और हाउस को चलाने दीजिए। यह आपका हाउस है, पार्लियामैन्ट तुम्हारी है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: कौन हाउस नहीं चलने दे रहा है, लेकिन पहले सरकार रिस्पांस दे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा की कार्रवाई चलने दीजिए। आपने इस मामले को जितनी बार उठाया है वह पर्याप्त है। आपने इसे बहुत अधिक महत्व दिया है। सभा की कार्रवाई चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, मैं आपसे अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपसे रिक्वैस्ट करते हैं कि आप बैठिए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है कि कैबिनेट के दो मिनिस्टर एक-दूसरे पर घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। आप आज दोपहर को अथवा शाम को सरकार से बात कर के सदन को बताएं कि प्रधानमंत्री कब स्टेटमेंट देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप हमें मौका दीजिए। हम सरकार से बात करेंगे। उसका एक तरीका है। हमें मौका दीजिए। आप कृपया बैठिए। हमें यह हाउस चलाना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। (सभा के नेता उपस्थित हैं।)

[अनुवाद]

सभा के नेता उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए। कृपया आप यह न सोचें कि मैं मूक दर्शक बना रहूंगा। आप निश्चिंत रहें, कुछ भी हो मैं अध्यक्षपीठ की खुली अवमानना की अनुमति नहीं दूंगा। इस देश की जनता यह जान ले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, आप बैठ जाइए और मुझे आपको नाम लेकर चेतावनी देने के लिए बाध्य मत कीजिए। जानबूझ कर अध्यक्षपीठ की अवमानना करने वाले किसी भी सदस्य को परिणाम भुगतने होंगे। इस बात को समझ लीजिए।

[हिन्दी]

हम आपसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हमको मौका दें। आपने रिक्वैस्ट की है। हम सरकार से बात करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं तुरन्त जवाब दूं। यह कैसे हो सकता है।

[अनुवाद]

आप चाहते हैं कि तत्काल उत्तर दिया जाए और वह भी उस तरह से जैसा आप चाहें।

[हिन्दी]

मुझे इस बारे में सरकार से बात करनी होगी। ऐसे यह हाउस कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

अन्य सदस्यों के भी अपने अधिकार हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अब श्री लाल सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, इस सदन की परम्परा रही है कि जब भी यहां कोई गम्भीर मामला उठाया जाता है, तो आसन की तरफ से उसके बारे में स्टेटमेंट देने के लिए सरकार को निर्देशित किया जाता है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, ऐसी परंपरा है कि इसके बारे में सभा की सूचित किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल सिंह की बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जायेगी। इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री थामस, आप भी मंत्री रहे हैं। आप जानबूझकर अध्यक्षपीठ की अवमानना कर रहे हैं। यह क्या है? परंपराओं के बारे में आपको सभी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है आप अपनी ही चला रहे हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में जो मायग्रेंट बसे हुए हैं। अलग-अलग मायग्रेंट्स की डिफरेंट-डिफरेंट पैसे रिलीफ के रूप में दिये जाते हैं।

महोदय, मेरे क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो मायग्रेंट बसे हैं, उनमें पुंछ के मायग्रेंट हैं, उनमें उड़ी के मायग्रेंट हैं, उनमें उधमपुर के मायग्रेंट हैं और उनमें कठुआ के भी मायग्रेंट हैं। उन्हें जो कंपैन्सेशन दिया जाता है और जो रिलीफ दी जाती है, वह दूसरे मायग्रेंट के मुकाबले कम दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि मायग्रेंट को दी जाने वाली रिलीफ और कंपैन्सेशन में अंतर नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां हीरा नगर और राजौरी का बार्डर लगता उसमें हमारे लोगों की जो जमीनें मुतास्सिर हुई थीं, उनका आज तक कंपैन्सेशन नहीं मिल पाया है। मेरी आपके माध्यम से रिक्वैस्ट है कि उनकी तरफ खास ध्यान दें ताकि उन्हें केपैन्सेशन मिल सके। बार्डर माइग्रेंट्स और जो दूसरे माइग्रेंट्स बुरी हालत में हैं, उनकी हालत को सुधारा जाए।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं भी अपने आपको उनसे संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, झारखंड के हजारीबाग जिले में भुरकुन्डा की एण्डो-एशियाई ग्लास फैक्ट्री 27 अक्तूबर, 2004 को बंद हो गई। 28 अक्तूबर को मैं और झारखंड विधान सभा के विपक्ष के नेता हाजी हुसैन अंसारी झारखंड के मुख्यमंत्री, श्री अर्जुन मुंडा से मिले और उनसे प्रार्थना की है कि कारखाने को बंद न होने दें। उन्होंने इसके लिए आश्वासन भी दिया, लेकिन एक महीना बीत चुका है, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें पांच हजार मजदूर काम करते थे। अभी तक वह कारखाना नहीं खुला, इस कारण से वहां के लोग धरने एवं आंदोलन पर हैं। 1 दिसम्बर को वहां के लोगों ने रांची, पटना नेशनल हाईवे को जाम किया और तीन दिन पहले रेलवे लाईन को मजदूरों ने जाम किया।

महोदय, अभी तक कारखाने को खोला नहीं गया, जब कि वह कारखाना मुनाफे में था। कारखाने का मालिक पूंजीपति है, उसने मिल कर भाजपा के मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये लेकर इस कारखाने को बंद कराया है। कारखाने के मजदूर मरने की स्थिति में हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो पांच हजार मजदूर मरने पर आतुर हैं और भुखमरी के कगार पर हैं, उनका पानी एवं बिजली काट दिया है, उसे खुलवाएं, अन्यथा वहां मजदूर आत्मदाह करने को तैयार हैं। छोटे-छोटे बच्चे एवं महिलाएं आंदोलन पर उतर गए हैं। वे उपवास एवं आमरण-अनशन पर हैं। वहां लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करे और उस कारखाने को खुलवाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सूची है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के चलते आज मध्य प्रदेश में विद्युत का गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है। महाराष्ट्र चुनाव के पूर्व 284 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के हिस्से की केन्द्र सरकार ने काट ली और आज तक वह बिजली उन्होंने नहीं दी।

[श्री गणेश सिंह]

महोदय, पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है। हमारे थर्मल पावर को पूरी तरह से कोयला भी नहीं मिल रहा। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से की बिजली को तत्काल दिया जाए और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही को तत्काल रोका जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी कृपया आप अपने आपको उनसे संबद्ध करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): जी हां, मैं एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आशा करता हूं कि अन्य सदस्य आपका अनुकरण करेंगे।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन-अनुपस्थित।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सूची में 48 माननीय सदस्यों के नाम हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि मैं 48 सदस्यों को एक के बराबर कैसे रख सकता हूं? प्रत्येक सदस्य पहले बोलना चाहता है।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरी तथा दिल्ली के अंदर शैक्षणिक संस्थाओं और कार्पोरेशन में जो आरक्षण साढ़े सात प्रतिशत मिलता था, वह बंद कर दिया। महोदय, यह पूरे देश का सवाल है। पिछली बार जब श्री अटल जी की सरकार थी, 1998 में इसे बैन कर दिया गया था। सारे देश भर के आदिवासी और पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने प्रधानमंत्री जी से मिल कर इसे नियमित करने की प्रार्थना की। पिछली पांच जुलाई को यूपीए की सरकार बनने के बाद दिल्ली सरकार और यूपीए की सरकार ने टोटल आरक्षण बंद कर दिया। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के आदिवासी और दिल्ली में अनेक ऐसे क्षेत्रों से यहां लोग आते हैं, परन्तु उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला नहीं मिलता। आदिवासियों के नाम पर रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी वेकेंसियां निकलीं, परन्तु उन्हें रोक दिया गया और सारे का सारा आरक्षण बंद कर दिया।

महोदय, यह सारे देश के आदिवासियों का सवाल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के लिए जिस प्रकार से 1955 से निरंतर अभी तक दिल्ली के अंदर आदिवासियों को आरक्षण मिलता रहा है, उसे बंद क्यों कर दिया? सरकार को बताना चाहिए कि इसका कौन सा कारण है? हमारे देश के आदिवासियों के लिए यह बड़ा गंभीर सवाल पैदा हो गया है। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में कार्यवाही करे। आदिवासियों को मिलने वाली जो 7.5 परसेंट की सुविधा है, यह निरन्तर हमारे आदिवासियों को दिल्ली के अन्दर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था और संरक्षण मैं चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पारादीप पत्तन से आरंभ होता है और कोणार्क मंदिर पर समाप्त होता है जो कि विश्व के आश्चर्यों में से एक है। हाल ही में पारादीप और केन्द्रपाड़ा के कुछ क्षेत्रों में अमोनिया गैस रिसने के कारण जगतसिंहपुर और केन्द्रपाड़ा दोनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोग दहशत में हैं। सामान्य जनजीवन ठप्प हो गया है। आजकल यह मामला विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित भी किया जा रहा है। लेकिन किसी ने भी इतने गंभीर मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया है। इस बात की पूरी आशंका है कि पारादीप में किसी भी समय दूसरी भोपाल गैस त्रासदी घटित हो सकती है।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री तथा माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वे इस भयप्रद स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि एक केन्द्रीय दल इस स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे। मुझे उम्मीद है कि जब तक इतनी भयप्रद स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए निवारक उपाय नहीं किये जाते हैं तब तक लोगों की जान जाने की पूरी आशंका है जिसके लिए केवल केन्द्र सरकार उत्तरदायी होगी।

अपराह्न 12.52 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार ने इस देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी। उससे राजस्थान और

देश के कई गांवों को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। वर्तमान सरकार, खासकर ग्रामीम विकास मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से राजस्थान में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम शुरू हुआ था, वह काम रुका पड़ा है, क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो राजस्थान में अकाल है और दूसरी तरफ यह काम रुकने से गांवों में लोगों में एक आक्रोश की भावना पैदा हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ग्रामीम विकास मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अकाल को देखते हुए और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पैसा रोका हुआ है, वह पैसा तुरन्त वहां भेजें ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और लोगों को सुविधा भी मिल सके। यह मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): तुरन्त 150 करोड़ रुपया राजस्थान को भेज दिया है और वहां सब काम दनादन शुरू हो गया है, माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। हमने 150 करोड़ रुपया तुरन्त भेज दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तुरन्त जवाब भी मिल गया और रुपया भी मिल गया।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं उन्नाव जनपद से चुनकर आता हूं। उन्नाव जनपद हिन्दुस्तान का मैनचैस्टर कहे जाने वाले कानपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच में स्थित है। वहां गंगा नदी पर मात्र एक पुल है। जो दूसरा पुल है, वह काफी जर्जर है और इतना संकरा है कि आये दिन वहां जाम लगा रहता है, आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं और सैकड़ों लोग दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। हमने पूर्व में, पिछले सत्र में भी सरकार से आग्रह किया था कि शुक्लागंज में गंगा नदी पर एक चौड़ा पुल बनाया जाये, जिससे यातायात के साधनों को, जनता को निकलने में आसानी हो सके। हमने सरकार से बक्सर में भी गंगा नदी पर पुल बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार से जो जवाब हमारे पास आया है, उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से आप अनुरोध करिये। हम भारत सरकार की संसद में चुनकर आते हैं और हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ नहीं है, वहां दूसरे दल की सरकार है, वह सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे क्षेत्र में विकास हो।

हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि भारत सरकार से आप हमारी तरफ से अनुरोध करिये कि शुक्लागंज में गंगा नदी पर एक बड़ा पुल और बक्सर में भी उसी तरीके से फतहपुर जनपद को सीधे जोड़ने के लिए एक पुल बनाने का काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जरा बोलकर हल्का कर लेने दीजिए न, उनके भी तो वोटर्स हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष जी, कुछ महीने पहले माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एम.पी. लेड्स की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हम एम.पीज. से पूछा गया था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि समय अन्य बातों में नहीं लगाया जाता तो हम और अधिक सदस्यों को अवसर दे सकते थे।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: कुछ डिमांड्स रखी गई थी कि आखिर एम.पीज. की अपने क्षेत्र के लिए क्या डिमांड्स हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको हम कल पूरे समय यहां बिठाएंगे।

श्रीमती रंजीत रंजन: उसमें हम लोगों ने कुछ मांगें रखी थीं, जिसमें हम लोगों ने फंड को बढ़ाने की डिमांड रखी थी। क्योंकि एक विधायक को जो फंड मिलता है, वह प्रति विधान सभा एक करोड़ रुपये है जबकि एम.पीज. के क्षेत्र में कहीं छः विधानसभा, कहीं नौ विधान सभा या कहीं-कहीं तो 17 विधान सभा क्षेत्र भी हैं। हम लोगों ने उस समय यह डिमांड रखी थी कि कम से कम इसे विधान सभा क्षेत्र-वाइज एक करोड़ रुपये किया जाये। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो इस फंड को पांच या छः करोड़ करने की डिमांड भी हमने रखी थी। *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: हम सब लोगों की यही डिमांड है कि इस फंड को बढ़ाया जाये, नहीं तो इसे खत्म किया जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यहां केवल व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। वह भी आपके हित की वकालत कर रही हैं। आप केवल उन्हें टोक रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, इसमें मैक्सिमम एम.पीज., जैसा आप देख रहे हैं, उनकी डिमांड थी कि आप इस फंड को बंद कर दीजिए या फिर इसे बढ़ा दीजिए क्योंकि हर एम.पी. से लोगों की बहुत एक्सपैक्टेशन्स होती हैं। उनके मन में भ्रम होता है कि आप सैंटर से जुड़े हुए हैं इसलिए आप जो चाहते हैं वह करा सकते हैं।

मेरी दूसरी तरफ महत्वपूर्ण डिमांड थी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वह कोसी क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र की आधी आबादी कोसी नदी और आधी गंगा नदी से पीड़ित है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने जो कहा है, वह ठीक है। आपने बहुत पापुलर मुद्दा उठाया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: वहां पर मैक्सिमम पुल हैं। हम यह डिमांड रखते हैं कि 40 से 50 लाख रुपये *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरे विषय पर नहीं बोल सकती।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: मैं वही मुद्दा कह रही हूं। हमारी डिमांड यह थी कि एक योजना में हमें 40 से 50 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दी जाये जबकि एमपीलैड फंड में इतना प्रावधान नहीं है। उसमें अभी तक केवल 20 से 25 लाख रुपये ही खर्च किये जा सकते हैं। मेरे ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रश्नो का जवाब हमें नहीं मिला है। मैं चाहती हूं कि इस फंड को या तो खत्म कर दिया जाये या इसे बढ़ाया जाये।

श्रीमती अनुराधा चौधरी (कैराना): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। केन्द्र सरकार ने जो रबी फसल का समर्थन मूल्य घोषित किया है, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि इससे किसान को किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हुई है। डीजल तथा खाद की कीमतों में लगातार जो वृद्धि हो रही है, उससे उत्तर प्रदेश के किसान बुरी तरह से पीड़ित हैं। किसान खेती में बढ़ती हुई लागत तथा इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कर्ज में डूबता जा रहा है। किसानों को इस समर्थन मूल्य से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि इस तुलना में डीजल का मूल्य बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है।

दूसरी तरफ खाद की कीमतों में हर साल वृद्धि होती जा रही है। आज गेहूं की कीमत 6.30 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि डीजल की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है। वर्ष 1971 में गेहूं 80 पैसे प्रति किलोग्राम था तथा डीजल 74 पैसे प्रति लीटर था। इसके बाद भी पैसे की बचत थी लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। डीजल और गेहूं की कीमत में चार गुणा अंतर आ चुका है। तेल की कीमतों में वृद्धि तथा खेती की बढ़ती हुई लागत के कारण उत्तर प्रदेश के किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से अपने प्रदेश की ओर से मांग करना चाहती हूं कि किसानों को अपनी खेती के लिए डीजल प्राप्त करने के लिए अलग से सब्सिडी दी जाये तथा खाद की जो कमी उत्तर प्रदेश में है, उसका कोई न कोई बंदोबस्त केन्द्र सरकार तत्काल करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहिए।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे मिर्जापुर जनपद में आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी, वनवासी जो वहां के मूल निवासी हैं, वे वहां सदियों से रहते हैं। उनके घर, मकान, खेती, गृहस्थी आदि सारा काम होता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ी धीरे बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: वहां हजारों घर ऐसी भूमि पर बने हैं जहां जंगल नहीं हैं, झाड़ी नहीं है, केवल परती भूमि है। वे वहां घर बनाकर अपने बाल-बच्चों के साथ सदियों से रह रहे है। परन्तु भारत सरकार का वन मंत्रालय आज तक उनके घर जमीन को अपने नाम, खसरा खतौनी में अपने नक्शे में दर्ज कराकर रखे हुए हैं। उस विषय पर जब बातचीत होती है तो जिलाधिकारी कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपका वन विभाग जब वहां जाता है तब डंडा लेकर जाता है और वहां के गरीबों को पीट देता है और कहता है कि हट जाओ, यह मेरी भूमि है।

अपराह्न 1.00 बजे

जहां एक ही असेम्बली कौन्सटीटूएंसी में 24,400 बीपीएल लोग रहते हैं, ऐसी दशा में मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वन मंत्री के माध्यम से ऐसा आदेश पारित करवाएं जिससे जिलाधिकारी एवं प्रभारी वनाधिकारी दोनों का ज्वाईंट इंस्पैक्शन हो और सत्यापन

करने के बाद, जो मूल आदिवासी सदियों से वहां रह रहे हैं, उन्हें उनका स्वामित्व दिलाया जाए।

एमपीलैड्स का पैसा*

अध्यक्ष महोदय: एमपीलैड्स वाली बात रिकार्ड पर नहीं आएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.10 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब नियम 377 के अधीन मामले लेगी।

श्री मनोरंजन भक्त—उपस्थित नहीं

(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए एक स्थायी मजदूरी बोर्ड बनाने या छठा वेतन आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता

श्री अजय माकन (नई दिल्ली): सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए किसी भी सरकार के लिए उनकी भलाई को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम किसी सरकार के पास ईमानदार और अभिप्रेरित कर्मचारियों का दल चाहते हैं तो उनकी नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की ओर ध्यान देना होगा। इस उद्देश्य हेतु, मैं यह महसूस करता हूं कि निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल अपेक्षित है:

(1) स्थायी मजदूरी बोर्ड अथवा छठे वेतन आयोग की स्थापना;

(2) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाया जाना;

(3) सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से कम न करना;

(4) सेवाकाल के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी के मरने पर उसके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करना;

(5) सरकारी कर्मचारियों के आवासीय परिसर जर्जर हालत में होने के कारण उनकी उचित देखरेख और मरम्मत की आवस्यकता है। इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

(6) सरकारी कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य उपचर्चा संबंधी सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

(दो) आंध्र प्रदेश में भीषण सूखे के कारण राज्य के किसानों और कृषि कर्मकारों द्वारा बीमा किस्त का भुगतान न किये जाने से व्यपगत हो चुकी बीमा पालिसियों के नवीकरण की आवश्यकता

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): आंध्र प्रदेश के कृषकों और कृषि कामगारों की पांच लाख से अधिक बीमा पालिसियां गत तीन वर्षों में बन्द हो गईं क्योंकि वे लगातार सूखे की वजह से बीमा किस्त अदा नहीं कर सके। परन्तु कई लोगों ने दो वर्षों की बीमा किस्त अदा कर दी है। परन्तु जीवन बीमा निगम के नियमों के अनुसार उन्हें कोई भी प्रतिपूर्ति अथवा अदा की गई बीमा किस्त की वापसी नहीं हो रही है क्योंकि पालिसीधारकों ने कम से कम तीन वर्षों तक लगातार बीमा किस्त जमा नहीं करवाई है। चूंकि उन्होंने दो वर्षों की बीमा किस्त चुकाई है, किन्तु उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है और उनके द्वारा अदा की गई बीमा किस्तें भी जब्त हो गई हैं। इसलिए, फसल बीमे से निर्धन कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ जिन्हें बारम्बार सूखे और फसल की क्षति का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, केवल कुडपह में 4.3 लाख पालिसियां बन्द हो गईं तथा अनन्तपुर की कादिरी शाखा में कृषकों की 10 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जब्त हो गई है। इसलिए मैं भारत सरकार से फसल बीमा पालिसी पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करती हूं और सूखा पीड़ित क्षेत्रों के कृषकों की बीमा पालिसियों के नवीकरण तथा नियमों में संशोधन करके प्रतिदाय की वापसी के लिए कृषकों की सहायता हेतु कदम उठाने के लिए जीवन बीमा निगम को निदेश दें। निजी बीमा कम्पनियां भी अपनी बाध्यताओं को पूरा करें इसे सुनिश्चित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

करने के लिए एक बीमा विनियामक को नियुक्त करने का मैं अनुरोध करती हूं। भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह की बीमा पालिसियों का भी नवीकरण किया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रभावित कृषक और निर्धन भूमिहीन श्रमिक कल्याणकारी राज्य में रहने के सभी लाभ उठा सकें।

(तीन) हैदराबाद में दिलकुशनगर और अमीरपेट के बीच एक उपरिपुल के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एम. अंजन कुमार यादव (सिकन्दराबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र के हैदराबाद की जनसंख्या 60 लाख से ज्यादा हो गई है और वाहनों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसके कारण हैदराबाद के कई इलाकों में आए दिन जाम होते रहते हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में काफी देर होती है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हैदराबाद के दिलकुशनगर में अमीरपेट के 11 किलोमीटर के बीच एक फ्लाईओवर बनाने की योजना, इस मार्ग पर जाम को दूर करने के लिए बनाई गई थी, जिसे पूरा नहीं किया गया है। इस पुल के बनाने में केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे इस फ्लाईओवर का निर्माण शीघ्रता से पूरा किया जा सके। इस मार्ग पर कई व्यावसायिक वाहन भी चलते हैं। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सात पर मिलता है इससे निश्चय ही यातायात की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त फ्लाई ओवर के निर्माण में केन्द्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता तत्काल दी जाए।

(चार) राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): राजस्थान और विभिन्न अन्य राज्यों के करोड़ों लोग अपनी मातृभाषा अर्थात् राजस्थानी में बोलते हैं। किन्तु राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान विधान सभा में संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करने संबंधी एक विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करने से भारत के करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा को बहुत बढ़ावा मिलेगा। भारत और अन्य देशों में रहने वाले राजस्थानी लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे यदि भारतीय संविधान में उनकी मातृभाषा को उचित स्थान मिलता है। इसके अलावा, संवैधानिक दर्जा पाने से राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन भी होगा।

इसलिए, मैं भारतीय संविधान में बिना किसी विलम्ब के राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करता हूं।

(पांच) मध्य प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति को बढ़ाकर राज्य में विद्युत की कमी की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): मान्यवर, देश में तथा मध्य प्रदेश में बिजली की मांग और पूर्ति में काफी अंतर है। बिजली की कमी के कारण जहां जन-सामान्य जीवन एवं कारोबार प्रभावित हो रहा है वहीं बिजली की कमी के कारण कृषि सिंचाई में किसानों को अपनी फसल को सिंचित करने में अत्यन्त ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा इससे कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है।

अतएव बिजली उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है तथा जहां बिजली की कमी है, वहां बिजली उपलब्ध कराएं।

मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार बिजली आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराए, जिससे किसानों की फसलों को हो रही क्षति से बचाया जा सके तथा जन-सामान्य को और छात्रों को बिजली की कमी से हो रही मुश्किलों से राहत मिले।

(छह) कर्नाटक के बेल्लारी जिले में सिरुगुप्पा चीनी मिल को पुनः चालू करने और कामगारों की बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, देशनुर, सिरुगुप्पा तालुक, बेल्लारी जिला, कर्नाटक की सिरुगुप्पा चीनी फैक्टरी की स्थापना 1972 में हुई और यह 1983-84 तक लाभ कमाती रही। इस फैक्टरी के कर्मचारियों की वर्तमान में संख्या 338 है। 25 फरवरी, 2003 को बिना कोई अधिसूचना जारी किये

फैक्टरी बन्द कर दी गई और इस फैक्टरी के सभी 338 कामगार बेरोजगार और नौकरीविहीन हो गये।

इस फैक्टरी के बन्द होने के समय, लगभग 70,000 टन गन्ना पेराई हेतु पड़ा था। अचानक बन्द होने से गन्ना कृषकों के पास गन्ने को अन्य फैक्टरी में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो कि इस फैक्टरी से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, जिससे दूरस्थ स्थान पर गन्ने के आवागमन से कृषकों को बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई।

उपश्रम आयुक्त, गुलबर्गा मण्डल ने उपायुक्त, बेल्लारी को कामगारों के वेतन, पूर्व बकाया बोनस और अन्य बकाया धनराशि 1,67,13,543 रुपये को तत्काल अदा करने की व्यवस्था करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये। परन्तु उपायुक्त, बेलारी ने अब तक कुछ नहीं किया है। इस फैक्टरी के कामगारों को पिछले 20 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता हूं कि नौकरीविहीन कर्मचारियों को तत्काल बकाया वेतन अदा किया जाए और इस फैक्टरी को पुन: खोलने के लिए प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाएं जिससे कि सभी 338 कर्मचारी और उनके परिवारों के जीवन को बचाया जा सके।

सभापति महोदय: आपने पाठ से अलग जो भी उल्लेख किया है उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(सात) मध्य प्रदेश के इंदौर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण में सुधार किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मान्यवर, गत 6 माह से मेरे लोक सभा क्षेत्र एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बीएसएनएल के टेलीफोन तथा मोबाइल सेवाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मोबाइल सेवाओं में कोई भी विस्तार नहीं किया गया है तथा नए कनैक्शन बिल्कुल भी नहीं दिये जा रहे हैं। पुराने नेटवर्क की भी हालत खराब है एवं मोबाइल से भी एक दूसरे से बात भी नहीं हो पा रही है। यही स्थिति तरंग सेवाओं की तथा बेसिक टेलीफोन की भी है और न केवल इंदौर अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है।

नए मोबाइल कनैक्शन देने तथा सेवाओं में सुधार हेतु उच्चाधिकारियों से बात करने पर वे एक-दो माह में स्थिति सुधरने का आश्वासन देते हैं लेकिन स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है।

पूरे प्रदेश के उपभोक्ता टेलीफोन समस्या से त्रस्त हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि इन समस्याओं पर उच्च स्तर पर ध्यान देकर नए सीम कार्ड, ड्राप वायर, तरंग एक्सचेंज उपकरण प्रदेश को प्रथम प्राथमिकता से उपलब्ध करवाए जाएं ताकि आम उपभोक्ता को राहत मिल सके।

(आठ) राजनीतिक दलों और श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल/बंद पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अदालती हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्या का समाधान करने के लिए विधेयक लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): देश की कार्यरत जनता द्वारा हड़ताल के अधिकार का प्रश्न राजनैतिक दलों/व्यापार संघों आदि द्वारा हुई हड़तालों/बन्दों को प्रतिबंधित करने संबंधी न्यायिक हस्तक्षेप को देखते हुए, महत्वपूर्ण हो गया है।

बन्द/हड़ताल सामूहिक विरोध का हथियार है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है। किन्तु वैध जनआंदोलन में न्यायिक हस्तक्षेप से हमारी लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के मूल उद्देश्यों का हनन होगा।

महोदय, इस स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि संसद मूकदर्शक नहीं रह सकती है।

सभापति महोदय: आप अपने पाठ के अतिरिक्त नहीं बोलिये। कृपया अपने पाठ तक सीमित रहें।

श्री सांताश्री चटर्जी: सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए एक विधेयक लाना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री रघुराज सिंह शाक्य—उपस्थित नहीं।

श्री मनोज कुमार—उपस्थित नहीं।

(नौ) उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की सवायजपुर तहसील में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अंतर्गत नहर की मरम्मत का कार्य आरंभ किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के हरदोई जिले के सवायजपुर तहसील में एक नहर

[श्री इलियास आजमी]

है। यह नहर शाहजहांपुर से आती है और इस नहर में 20 साल से पानी नहीं है जबकि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और सिंचाई के अन्य कोई साधन यहां के गरीब किसानों के पास नहीं हैं। यह नहर पूरी तरह से क्षग्रिस्त हो चुकी है जिसके कारण पानी की आपूर्ति इस नहर से नहीं हो पा रही है और गरीब किसानों को अपनी भूमि पर फसल बोने से वंचित होना पड़ रहा है। मैं इस संबंध में कई सालों से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं लेकिन उनका जवाब है कि उनके पास पैसा नहीं है। इस नहर की मरम्मत कर उसमें पानी की आपूर्ति कर किसानों के खेतों को पानी पहुंचाने के लिए केन्द्र स्तर पर चलायी जा रही "काम के बदले अनाज योजना" के माध्यम से इस नहर के मरम्मत कार्य को शुरू किया जाये।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त योजना के माध्यम से कार्य शुरू करने के लिए केन्द्र स्तर पर राज्य सरकार को शीघ्र निर्देश दिये जाने का कष्ट करें जिससे यहां के किसानों के खेतों को पानी मिल सके।

(दस) झारखंड के बोकारो जिले में दामोदर नदी पर खेतको और कथारा के बीच पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): सभापति महोदय, झारखंड राज्य के बोकारो जिला अन्तर्गत खेतको-कथारा के बीच दामदोर नदी पर एक पुल बनाए जाने की अविलम्ब आवश्यकता है। इस नदी पर पुल नहीं होने के कारण चांपी, खेतको, अंगवाली, चलकरी, रोहर और पिछरी पंचायत के लाखों लोगों का वहां सीसीएल एवं डीवीसी में काम पर आने-जाने में काफी असुविधा होती है। प्रति वर्ष जानमाल की हानि काफी होती है तथा स्थानीय निवासियों को काफी कठिनाई होती है। अत: जनहित में दामोदर नदी पर एक पुल खेतको-कथारा में शीघ्र निर्माण कराया जाए ताकि उपरोक्त क्षेत्र के लाखों निवासियों की समस्या का निराकरण हो सके।

(ग्यारह) दूरदर्शन पर बंगला के स्थानीय दर्शकों के लाभ के लिए पश्चिम बंगाल के बागमुंडी में एल पी टी सेंटर का उन्नयन करने या पुरुलिया जिले के अजध्या हिल में एक एच पी टी सेंटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तथा झारखंड के रांची और सरायकेला खरसांवा जिलों में बड़ी संख्या मे रहने वाले बंगला भाषी लोग दूरदर्शन के बंगला कार्यक्रमों को नहीं देख पाते हैं। बागमुण्डी और बलरामपुर के एलपीटी केन्द्र स्थानीय लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बागमुण्डा के एलपीटी केन्द्र का उन्नयन कर उसे एचपीटी केन्द्र बनाए अथवा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अजध्या हिल पर एक एचपीटी केन्द्र स्थापित करे।

(बारह) पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोनारपुर तथा केनिंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण और केनिंग टाउन रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं वाले एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में अपने संसदीय क्षेत्र जयनगर में सोनारपुर और कैलिंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण तथा सियालदाह मंडल में कैनिंग टाउन रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने के मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण कैनिंग से काफी मात्रा में समुद्री खाद्य पदार्थ तथा डेयरी उत्पाद रेलगाड़ियों के माध्यम से देश के वभिन्न भागों में भेजे जाते हैं। अत: सोनारपुर और कैनिंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण से इस क्षेत्र से समुद्री खाद्य पदार्थ, डेयरी उत्पादों आदि का परिवहन आसान हो जाएगा।

कैनिंग, सुंदर वन के लिए सबसे नजदीकी संपर्क स्थान है, जहां कि हजारों पर्यटक आते हैं। कैनिंग टाउन रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने से उन पर्यटकों को आवश्यक और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी जिन्हें अपनी संपर्क रेलगाड़ियों को पकड़ने के लिए कैनिंग रेलवे स्टेशन पर घंटों रुकना पड़ता है।

अत: सोनारपुर और कैनिंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण तथा मेरे संसदीय क्षेत्र में सियालदाह मंडल में कैनिंग रेलवे स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है, और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जनहित में इस मामले में तेजी लाई जाए।

अपराह्न 2.26 बजे

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 15 और 16 पर एक साथ चर्चा करेगी। इन मदों के लिए हमारे पास दो घंटे का समय

है। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, हम यह कार्य दो घंटे के भीतर समाप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्तूबर, 2004 को प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, सदन के सामने जो अध्यादेश है, मैं समझता हूं कि 1992 में हर्षद मेहता वाला कांड और पिछले दो साल पहले केतन पारेख के जो मामले प्रकाश में आए, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ और हजारों लोग जालसाजी का शिकार हुए। इसके बावजूद भी जो जांच-पड़ताल हुई, उस जांच-पड़ताल में सारा दोष व्यवस्था पर डाला गया और अपराधियों को बचाने का काम किया गया। स्टॉक एक्सचेंज के काम में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। उसके लिए नियमों में तब्दीली हो, यह अलग सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो छोटा निवेशक है, उन छोटे निवेशकों के हितों की कैसे रक्षा हो तथा उनमें कैसे विश्वास पैदा हो, यह असली और बुनियादी सवाल है। जिस तरह से शेयर बाजार के क्षेत्र में जो घोटाले हुए, उनके चलते छोटे निवेशकों का विश्वास टूटा है। ऐसी परिस्थिति में छोटे निवेशकों का हित सुरक्षित हो, उनमें विश्वास पैदा हो, यह अत्यधिक आवश्यक है। मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि पहले जो गलतियां हुई हैं भविष्य में उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो और शेयर बाजार जगत में एक नया विश्वास पैदा हो, छोटे निवेशकों के हित सुरक्षित हों।

इस दिशा में सरकार को बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी यहां बैठे हैं, जब वे अपनी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से इन सब चीजों को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्तूबर 2004 को प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

कि प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि जो छोटे निवेशक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा निवेश किया हुआ है, उनके पैसे की सिक्यूरिटी की व्यवस्था की जाये। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं ताकि विस्तृत प्रैक्टीकल दिक्कतें न हों। विधेयक के सैक्शन-5 में अलग-अलग जगहों पर लम्बित मामले को इकट्ठा किये जाने की बात कही गई है। उस सैक्शन में यह जोड़ दिया जाये कि जो कम्पनियां अपील दायर करती हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाये। अगर किसी ने लोन लिया है, और उसने केस किया है तो उसे नोट देना होगा कि वह केस चल रहा है या नहीं, ताकि वे इकट्ठे किये जा सकें।

सभापति महोदय, यह भी कहा गया है कि चल रहे मुकदमों को इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन किन कारणों से इकट्ठा किया जा सकता है, वे नहीं बताये। यदि ऐसे कारण उसके बीच में आ जायें तो अच्छा हो ताकि इस ऑर्डर पर अपील न हो।

सभापति महोदय, सैक्शन-8 में कहा गया है कि अंत में जब आवेदक की अपील अस्वीकार कर दी जाती है तो उसे सूचित कर दिया जाये। मेरा सुझाव है कि यह सूचना उसे डाक द्वारा उसके पते पर दी जाये ताकि वह सूचना न मिलने का लाभ न उठा सके। इसी प्रकार सैक्शन-10 के सब सैक्शन (1) में कहा गया है कि वह अपील कर सकेगा। ऐसा फीस के साथ निहित किया जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे लगता है कि माननीय सदस्य अगले विधेयक के बारे में बोल रहे हैं *...(व्यवधान)* आप प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक के बारे में बोल रहे हैं या प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक को लागू करने के बारे में बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि आप ऋण न्यायाधिकरण

के बारे में बोल रहे हैं। यह अगला विधेयक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों, एक साथ हैं ...*(व्यवधान)*। वह अगला विधेयक है। यह एक अलग विधेयक है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री के.एस. राव, मुझे लगता है कि आपके मामले में कोई कठिनाई नहीं होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव (एलूरू): सभापति महोदय, हालांकि अधिनियम पें यह संशोधन करने में विलंब हुआ है। मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस संशोधन को लाकर तत्काल पहल की है। यह संशोधन देश में शेयरधारकों विशेषकर छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हर्षद मेहता का घोटाला हुआ तो उससे शेयर व्यापार में पूरे निगमित क्षेत्र से छोटे निवेशकों का भरोसा उठ गया था। परन्तु दुर्भाग्यवश संभवत: 1956 में जब यह अधिनियम पारित किया गया था तो हालत अलग रहे होंगे और नैतिक मूल्य अलग रहे होंगे। परन्तु आज समय के साथ-साथ समाज में विशेषकर व्यापारी वर्ग में मूल्यों का ह्रास हो रहा है तथा उनमें स्वार्थ के अतिरिक्त कोई और भावना नहीं है।

हर्षद मेहता के घोटाले में कल्पना से परे व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी हुई थी। परवर्ती सरकारों को इस अधिनियम में संशोधन करने में इतने वर्ष नहीं लगने चाहिए थे। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इस प्रतिभूति अधिनियम में तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता बताए जाने के बाद भी पिछली सरकार ने पांच वर्ष लिए परन्तु उसने संशोधन नहीं किया। अब, हमारी सरकार के सत्ता में आने के छह माह के भीतर ही वे तत्काल यह विधेयक ले आए। मैं इससे प्रसन्न हूं।

मैं केवल कुछ उपबंध पढ़कर सुनाऊंगा। पहले वाले अधिनियम के अनुसार धोखाधड़ी चाहे 10 करोड़ रु. की हो, चाहे 100 करोड़ या 10,000 करोड़ रु. की हो "अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन किये जाने पर कोई व्यक्ति या एक कंपनी दण्डनीय है तथा उस पर एक वर्ष तक की अवधि की सजा अथवा अर्थदंड अथवा दोनों हो सकते थे।" किसी का भी जिक्र नहीं है सिवाय एक वर्ष के जोकि अधिकतम है।

इसका अर्थ यह हुआ कि कई बार वे ऐसा कर लेते थे कि दो दिन से अधिक सजा न हो। अब माननीय मंत्री महोदय ने इसे इस प्रकार बदल दिया है कि "अगर कोई व्यक्ति गलती करता है अथवा इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे 25 करोड़ रु. का जुर्माना अदा करना होगा अथवा उसे 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। नि:संदेह इससे जनता विशेषकर छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के इच्छुक व्यक्तियों पर लगाम लगेगी।

वह 10 वर्ष के कारावास से डरेगा। वह सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद 25 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा कर सकता है। लेकिन यदि उसे 10 वर्ष का कारावास दिया जाता है तो उसके जीवन का बड़ा हिस्सा जेल में गुजरेगा और तब वह लोगों को उस प्रकार धोखा नहीं देगा जैसाकि उसने पूर्व में दिया था। इसलिए मैं न केवल 25 करोड़ के जुर्माने को ठीक समझता हूं बल्कि इससे ज्यादा 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास को भी ठीक समझता हूं।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा था और हमेशा कहता आया हूं कि इस प्रकार के दंड से उधारकर्त्ता या व्यापारी पर काफी हद तक लोगों को धोखा देने पर रोक लगेगी। जैसाकि मैंने पहले ही कहा था कि जब हैदराबाद के एक शहरी बैंक के अध्यक्ष और उसके प्रबंधन द्वारा छोटे निवेशकों के कई सौ करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में कानून के अनुसार उन्हें कारावास की सजा दी गई तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें जेल हो सकती है। मुझे बताया गया था कि यही सोचकर उसकी मृत्यु हो गई थी। यदि समाज लोगों को धोखा देने वाले लोगों का बहिष्कार करता है तो वह लोगों को धोखा देने का प्रयत्न नहीं करेगा। इसीलिए मैं प्रस्तावित दंड को ठीक समझता हूं।

इसी प्रकार यदि कोई कंपनी कोई त्रुटि करती है तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा उसे दंडित किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अधिनियम के उपबंध के अनुसार केवल सूचना न देने पर भी एक दिन के विलंब के लिए एक लाख रुपये का दंड दिया जा सकता है जो बढ़कर एक करोड़ रुपए हो सकता है। यह दंड केवल इस चीज के लिए ही नहीं है अपितु यह दंड सूचना न देने और किसी व्यक्ति द्वारा अपने कार्यार्थियों के साथ समझौता न करने इत्यादि के लिए भी दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में 25 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 वर्ष की कारावास हो सकती है। इसी प्रकार निवेशकों की शिकायतों को न सुनने के लिए भी दंड दिया जा सकता है। यदि किसी निवेशक की कोई शिकायत है और यदि शिकायत सुनने वाला व्यक्ति शिकायत नहीं सुनता है तो उसके लिए भी इसी प्रकार के दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसी प्रकार जहां बंद कार्यार्थियों की प्रतिभूतियों और धन को अलग-अलग नहीं करता है तो इसके लिए धारा 23(घ) और 23(ङ) में अन्य उपबंध किए गए हैं। इसी प्रकार के अन्य दंड भी हैं जो 25 करोड़ रुपये तक हैं।

मुझे पूरा यकीन है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा लाए गए इस संशोधन से लोगों से धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति अब

धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे। आम आदमी जैसे रिक्शा वाले 10 या 100 या 200 रुपए का निवेश करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें लाभ होगा। लेकिन वह अपना मूलधन भी गवां देते हैं।

इस सन्दर्भ में, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में एक चीज और लाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में किस प्रकार मूल्यों की बढ़ोत्तरी हुई है। 10 रुपए का शेयर का मूल्य बढ़कर 5,000 रुपए हो गया है। लेकिन जब हम कंपनी के तुलन-पत्र को देखते हैं तो पाते हैं कि उस कंपनी को 100 करोड़ रुपये का लाभ नहीं हुआ है। लेकिन शेयर का मूल्य 500 गुणा बढ़ चुका है। वह कहते हैं कि यह इक्विटी का पूंजीकरण है जोकि सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये की है या दस हजार करोड़ रुपये का है या सारा केवल हजारों करोड़ रुपए में है। लेकिन जब आप तुलन-पत्र को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि केवल 30 या 50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और कंपनी का मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। यह केवल नाममात्र के लिए है सभी बढ़ोत्तरी केवल व्यापारिक समुदाय द्वारा की जाती है, उन लोगों द्वारा की जाती है जो अधिनियम के उपबंधों का लाभ उठाकर लोगों को धोखा देते हैं। यदि इसमें उदार रुख अपनाया गया तो वह किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।

कुछ वर्षों पूर्व मैं अमरीका गया था। वहां मैंने पाया कि न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और गृहिणियों द्वारा भी लगातार शेयर बाजार पर नजर रखी जाती है। वह टेलिविजन में प्रदर्शित होने वाले शेयरों के मूल्यों पर लगातार नजर रखती हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि किस शेयर के मूल्य में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है, जब उन्हें पता चलता है कि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि में वृद्धि हुई है और 100 डालर बढ़कर 10,000 डालर हो गए हैं और 10,000 डॉलर बढ़कर 1,00,000 डॉलर हो गए हैं। तब वे अति प्रसन्न होती हैं। निवेशकों ने न केवल व्यापारिक समुदाय और शिक्षित लोगों को बल्कि अशिक्षित लोगों को भी शेयर खरीदने के लिए आकर्षित किया।

अगले वर्ष एक वर्ष की अवधि से कम समय में जब मैं पुनः अमरीका गया तो मैंने देखा कि वही लोग शेयरों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो निवेश किया था वह यह सोचकर किया था कि इससे उन्हें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने जितना निवेश किया था वह मूलधन भी गवां दिया। इसलिए वे शेयर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी मात्रा में हस्तांतरण की अनुमति देने से पूर्व सरकार की अनुमति लिये जाने को आवश्यक बनाने के लिए कुछ और उपबंध किये जाने चाहिए ताकि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। यदि 100 रुपए वाले या 10,000 रुपए के एक लाख शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण किया जाता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ये शेयर दलाल या शेयर बाजार टेलीफोन द्वारा प्रत्याशा में शेयरों का हस्तांतरण कर रहे थे। वे मूल्यों में सैकड़ों करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी कर रहे थे। इसे रोका जाना चाहिए।

इसी प्रकार किसी कंपनी का गठन करते समय यदि प्रोमोटर्स उद्योग या परियोजना को शुरू करने के प्रति गंभीर है तो उन्हें कंपनी की विश्वसनीयता बनाने के लिए लोगों के पास जाना चाहिए। यदि लोग उन पर विश्वास करेंगे तो वे स्वयं ही अपनी क्षमता के अनुसार शेयर खरीदेंगे। दूसरी तरफ निजी प्लेसमेंटों के द्वारा यह प्रचार व अफवाह फैलाई जाती है कि उनकी कंपनी के 10 रुपए के शेयर कल 30 या 50 रुपए में बिकेंगे। वे कहते हैं कि शेयर उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसा कहकर वह लोगों को शेयर खरीदने का प्रलोभन देते हैं कि वह निजी प्रोमोटर्स से ऐसे शेयर खरीदें। इसके परिणामस्वरूप प्रोमोटर्स निजी प्लेसमेंट की सहायता से कंपनी को शुरू करने से पूर्व ही धन जुटा लेते हैं और कल को वे खुदरा निवेशकों को भी धोखा देने से नहीं हिचकते हैं। इसे भी रोका जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 10 वर्ष का कारावास जैसे अनेक बड़े दंड का उपबंध किया है। मैं माननीय मंत्री से यह पुनः कहना चाहता हूं कि यदि यह बात सिद्ध हो जाती है कि कुछ लोगों और व्यक्तियों ने कंपनी को गुप्त रूप से सहयोग दिया है तो लोगों के विरुद्ध भी दंड देने के उपबंध करने से मंत्री जी को नहीं हिचकना चाहिए। यह समय की मांग है। इसमें कई वर्ष नहीं लगने चाहिए। यदि कोई धोखा देता है तो अधिनियम में इस बात का उपबंध होना चाहिए कि उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाएगी और संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। मैं इस विधेयक को ठीक समझता है और इसका समर्थन करता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के अधिनियमों में ऐसे अनेक संशोधन किये जाने चाहिए। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, मैं पिछली लोक सभा के भंग होने के बाद पुनः पुरःस्थापित किये गये। इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके परिणामस्वरूप इस विधेयक को कानून में परिवर्तित नहीं किया जा सका था। मैं कुछ सामान्य टिप्पणियां करना चाहता हूं।

भारत में पूंजी बाजार का तीव्र गति से विकास हो रहा है। वस्तुतः मुंबई शेयर बाजार का शेयर सूचकांक जोकि शायद इस समय अपने सर्वोच्च ऊंचाई पर है, इस बात को प्रदर्शित करता है

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

कि भारत में पूंजी बाजार किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आज से पहले यह कभी भी इतनी ऊंचाई पर नहीं रहा है। माननीय वित्त मंत्री को इससे प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि यदि शेयर बाजार में अच्छा हो रहा है तो यह इस सच्चाई को प्रदर्शित करता है कि देश की अर्थव्यवस्था में निवेशकों को विश्वास है।

हमारा शेयर न केवल घरेलू निवेशकों द्वारा चलाया जाता है बल्कि संस्थागत विदेशी निवेशकों के माध्यम से देश में पंजीकृत निवेशकों द्वारा देश में निवेश किये जाने वाली बड़ी धनराशि से भी चलाया जाता है। इसलिए हमें इनके विश्वास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। लंबे समय से यह मांग की जाती रही है कि शेयर बाजार को शेयर दलालों के निजी क्लब के रूप में नहीं चलाया जाना चाहिए। हमारे द्वारा लंबे समय से इसे एक मूर्त संकल्पना के आधार पर परिचालित किया जा रहा है जैसे एक सामान्य क्लब जैसे दिल्ली क्लब को चलाया जाता है। इसमें सदस्यों द्वारा अंशदान करके सदस्य बनते हैं और वे क्लब को इस प्रकार चलाते हैं जैसे कि वह उनकी अपनी निजी संपत्ति हो। इसे इस प्रकार चलाया जा रहा है। लेकिन भारत में शेयर बाजार को इस प्रकार नहीं चलाया जाता। विशेषकर जब हम उदारीकरण के दौर से गुजर रहे हों और देश में बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा हो। हमें इस प्रकार के संशोधनों की वास्तव में आवश्यकता है जिससे शेयर बाजार इस प्रकार कार्य करे ताकि देशी और विदेशी निवेशकों को निवेश करने के विश्वास को प्रोत्साहन मिले।

महोदय, मैं दो बातों पर सामान्य टिप्पणी करना चाहता हूं, पहला हमें अपने देश में एक विनियामक खाके की आवश्यकता है। वस्तुत: जिस प्रकार से सरकार इस पर अधिकाधिक विचार कर रही है और इस पेशे का निजीकरण कर रही है तो इसके लिए यह आवश्यक होगा कि विनियामक प्राधिकरण किस प्रकार से कार्य करेगा। भारत के पूंजी बाजार में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियामक के हैं।

वास्तव में इक्विटी बाजार और ऋण बाजार से देश के पूंजी बाजार का गठन होता है। वास्तव में भारत में ऋण बाजार तेजी से प्रगति कर रहा है। वस्तुत: सरकार ऋण विलेख के सबसे बड़े जारी कर्त्ताओं में से एक है। अत: मैं यह मानता हूं कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि भारत में विनियमन किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार बाजार का विनियामक लोगों में किस प्रकार विश्वास पैदा करे।

हम एक महत्वपूर्ण बात यह कह रहे हैं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति कानून में संशोधन कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक पारदर्शी तरीके से काम करे और इस पर स्टॉक ब्रोकरों का स्वामित्व न हो। स्टाक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज में अकेले संचालक हैं जबकि स्वामित्व उनका नहीं होगा और इसे वास्तव में इसी प्रकार काम करना चाहिए। यह एक स्वागतयोग्य उपाय है।

हमें एक मजबूत विनियामक तंत्र लाना है, विनियामक को काफी शक्तियां देनी हैं और बहुसंख्यक विनियामकों से बचना होगा। वस्तुत: कई बातों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। क्या अब यह देखने का समय आ गया है कि विनियमन किस प्रकार काम करे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ-साथ घरेलू निवेशकों में विश्वास पैदा करे। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें। यह कोई सामान्य मुद्दा नहीं है और किसी विशेष स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है। पूंजी बाजार, घरेलू मुद्रा बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार तीन प्रमुख बाजार हैं। इसके बाद आर.बी.आई. है जो एक विनियामक के रूप में काम करता है। क्या हम एक उपयुक्त विनियामक ढांचा नहीं बना सकते हैं?

दूसरी बात यह है कि हर बार जब हम कोई विधान पुर:स्थापित करते हैं अथवा कानून बनाते हैं तो हम संसद, जो देश में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, में खुलकर इस पर चर्चा करते हैं। कानून इसी प्रकार बनाया जाता है। तथापि, जब हम कानून बनाते हैं हम सरकार को अधीनस्थ विधान, नियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। कई बार हमने यह देखा है कि संसद द्वारा पारित विधान की आत्मा कार्यपालिका द्वारा बनाये गये नियमों से बिगड़ जाती है। अत: मेरा यह मानना है कि हमें इस बात पर काफी ध्यान देने की जरूरत है कि कानून बनाने वाली सत्ता और सरकार की कानून बनाने की शक्तियां, जिस भावना से कानून को पारित किया गया है, उसमें बलात प्रवेश न करें। चूंकि यह एक अधीनस्थ विधान है इसलिए इसे कानून की भावना के एक साधन के रूप में होना चाहिए। हालांकि, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए, मैं पुन: यह मानता हूं कि वास्तव में हम एक अन्य तरीके का अधीनस्थ विधान बना रहे हैं जो कई बार अनिवार्य होता है। इसके साथ-साथ, मेरा यह मानना है कि हमें यह सुनिश्चित करने हेतु इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा उसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम वास्तव में विरोधी स्वरूप के न हों, अपितु उसी उद्देश्य की पूर्ति करें। वास्तव में, नियमों को जैसा कि किसी विधायी विधि शास्त्र के अनुसार, कानून के लिए उपयोगी होना चाहिए। अत:, मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

तीसरे, मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयरधारिता संबंधी ब्रोकरों के अधिकारों और शक्तियों को किस प्रकार प्रतिबंधित किया जाएगा? हम यह विधान इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वे एक निगमित निकाय में इक्विटीधारक नहीं

होने चाहिए जो उन्हें प्रबंधकीय अधिकार प्रदान करे और जिससे वे कंपनी पर अधिकार कर सकें। अत: उस पर और उस शेष राशि जिसे हम उन शेयरधारकों को देने जा रहे हैं जो वास्तव में उन शेयरों के धारक हैं, पर कितना प्रतिबंध होगा? ऐसा कैसे होगा? क्या इसके लिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट है और यदि ऐसा है तो आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ब्रोकरों की सत्ता जिस पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रोकरों का स्वामित्व न होकर उनके अधीनस्थों का स्वामित्व है, वे किसी अन्य माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण न कर सके? आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे?

एक अन्य बात यह है कि हमें यह जानने की जरूरत है कि हम प्रगति कर रहे हैं और पूंजी बाजारों का विकास हो रहा है तथा नई संस्थाओं का सृजन किया जा रहा है। वास्तव में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये संस्था बनाने के उपाय हैं। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एक संस्था बनाने के उपाय के फलस्वरूप संसद ने एक विधान पारित किया है। संसद सर्वोच्च संस्था है। जब हम स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में नई संस्थाएं सृजित कर रहे हैं तो छोटे निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे निवेशक को संगठनों की ऐसे निकायों में क्या भूमिका होगी? क्या वित्त मंत्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कुछ शेयरधारक संठन, निवेशक संगठन ऐसे संगठनों में कुछ शेयर रख पाएं? क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई विनिर्दिष्ट सीमा होगी अथवा उन्हें अधिमान्य शेयर आवंटित किये जाएंगे? यदि ऐसा किया जाता है तो इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये स्टॉक एक्सचेंज इस तरीके से काम करें जो उन निवेशकों के हितों का दर्शाये जो वास्तव में पूंजी बाजार सहित ऐसे बाजारों को चला रहे हैं जिनके लिए यह संशोधन करने की मांग की गई है।

जैसाकि मैंने कहा है कि मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि ऐसे उपायों की समय-समय पर समीक्षा किये जाने की जरूरत है।

यह परिवर्तनशील बाजार पर आधारित है, बाजार में बदलाव आता रहता है। अत: एक विधान, एक संशोधन और विधायिका द्वारा हस्तक्षेप करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें निरन्तर इसकी निगरानी करने की जरूरत है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस पर भी विचार कर रहे हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंध अधिनियम में यह उपबंध है कि अर्थव्यवस्था की आवधिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाएगी। क्या मंत्री जी इस कार्य में विधायिका की अधिक भागीदारी लाने के एक उपाय पर पुन: विचार कर रहे हैं? क्या वे अपने तरीके से स्टॉक बाजार के व्यवहार के तरीके को आवधिक रूप से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने पर विचार कर रहे हैं? क्या वे अपने तरीके से यह सोचते हैं कि वे बुनियादी रूप से मजबूत हैं अथवा यह ऐसा है कि स्टॉक बाजार को कुछ अन्य कारक चला रहे हैं?

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहां तक कि पूंजी बाजार भी शेयर बाजार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। रुपये की कीमत बढ़ रही है और डॉलर की कीमत घट रही है। 70 के दशक में ब्रेटनवुड संस्था के पतन के कई वर्षों बाद पहली बार डॉलर की कीमत घट रही है और रुपया मजबूत हो रहा है। इसका पूंजी बाजार और वित्तीय बाजार पर पुन: प्रभाव पड़ेगा।

अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री ऐसा कुछ सोच रहे हैं। मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि इससे पूंजी बाजार में अपेक्षित चिरलंबित सुधार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी और मुझे विश्वास है कि ऐसा इस उपाय के माध्यम से होगा। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले इस विधेयक को दिये गये व्यापक समर्थन के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

यह सच है कि इस स्वरूप का एक विधेयक अगस्त, 2003 में पुर:स्थापित किया गया था किंतु वह व्यपगत हो गया। मैंने सोचा कि इस मामले में देर करने की गुंजाइश नहीं है। अत: हमने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया और हम अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक लाए। मैं समझता हूं कि अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक के महत्व को समझा है।

आज, हमारे पास कई स्टॉक एक्सचेंज हैं जो विभिन्न तरीकों से संगठित हैं। बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज और मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एक स्वैच्छिक गैर-लाभकारी संघों के रूप में स्थापित किये गये हैं चाहे इसका कुछ भी अर्थ हो। मैं यह नहीं जानता हूं कि गैर-लाभकारी संघ का क्या अर्थ है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: दलाल लाभ कमाते हैं और संघ को घाटा होता है।

श्री पी. चिदम्बरम: ठीक है, मैं और अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं यह बता रहा हूं कि वे स्वैच्छिक गैर-लाभकारी संघ हैं।

हमारे पास सात स्टॉक एक्सचेंज हैं जो कंपनियों के रूप में स्थापित किये गये और उसमें सीमित शेयर हैं। कंपनियों के रूप

[श्री पी. चिदम्बरम]

में स्थापित तेरह स्टॉक एक्सचेंजों में सीमित गारंटी है ये सब बहुत ही पुराने माडल हैं। ये एक आधुनिक अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने का सही रास्ता वह मॉडल है जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनाया है।

स्टॉक एक्सचेंज के तीन कार्य हैं। पहला काम कारोबार का अधिकार अर्थात् स्टॉक ब्रोकर है। दूसरा काम है—स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंधन और तीसरा है—कारोबार का स्वामित्व। मैं समझता हूं कि संसार भर के सभी आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज इन तीनों कामों को अलग-अलग तरीके से करते हैं। इन कामों को अलग-अलग तरीके से करने को निगमितीकरण और अपारस्परीकरण कहते हैं जिसे हम अब कर रहे हैं।

इस विधि के लागू होने के पश्चात्, सभी स्टॉक एक्सचेंजों को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। योजना को कतिपय मानदंडों को पूरा करना होगा। एक बार इस योजना के अनुमोदित होने पर उसे एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित करना होगा। कार्यान्वयन की अवधि के अंत में, स्टॉक एक्सचेंजों का डिम्युचुअल और निगमितीकरण किया जा चुका होगा। प्रबंधन के कार्य की देखभाल निर्वाचित निदेशक बोर्ड द्वारा की जायेगी। इसमें शेयरधारक होंगे और शेयरदलालों को प्रबंधन में भागीदारी का सीमित अधिकार होगा।

इस विधेयक का कारण संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट है। सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 2001 की संयुक्त संसदीय समिति ने इस संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की थी और यह सिफारिश की थी कि कारपोटाइजेशन और डिम्युचुअलाइशन की प्रक्रिया की गति को तीव्र किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक में अधिकांशत: विनियामक विषयों पर चिंता प्रकट की गयी है। जहां तक योजना का संबंध है, हम 12 महीनों से अधिक अवधि का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं जिसे अच्छे कारणों से अपवाद मामलों में 12 महीने और बढ़ाया जा सकेगा ताकि शेयर दलाल और शेयरधारक अपने शेयर बेच सकें। शेयर दलालों और शेयरधारकों के वोट डालने के अधिकार को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। उनका प्रतिनिधित्व केवल 25 प्रतिशत होगा। योजना में उस ढंग का निरूपण करना होगा जिसके तहत नये शेयर जारी किये जायेंगे, नये शेयर खरीदे जा सकेंगे। योजना, नि:सन्देह, एक्सचेंजवार अलग-अलग होंगी। वह आज के एक्सचेंज की प्रकृति पर आधारित होगी। लेकिन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को इस योजना को अनुमोदित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। योजना को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा एक बार अनुमोदित किये जाने पर, उस योजना को एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना होगा। हम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को अधिकार सौंप रहे हैं ताकि वह स्टॉक एक्सचेंजों के लिए निर्देश जारी कर सके। हम बंधपत्र अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान भी बना रहे हैं।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र, श्री राव ने बताया है विधेयक में कदाचार और अपराध को रोकने के लिए दंड को बढ़ा लिया गया है; आर्थिक दंड को लागू किया गया है और इन अर्थदंडों को भारत की संचित निधि में जमा कराना होगा। मैं इस अवसर का उपयोग इस अधिनियम में कुछ अन्य संशोधन करने के लिए भी करूंगा। उदाहरण के लिए, हम अब 'बंधपत्र' को परिभाषित कर रहे हैं ताकि 'म्युचुअल फंड की यूनिटों' को शामिल किया जा सके। 'म्युचुअल फंड की यूनिट' एक नये प्रकार का लोकप्रिय होता जा रहा बंधपत्रों का एक रूप है। अब हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 'बंधपत्र' में 'म्युचुअल फंड की यूनिट' शामिल होगी। सूची से हटाने संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अब हम डिलिस्टिंग और उल्लंघन के परिणामों के मानदंड निर्धारित कर रहे हैं। अब हमें यह भी जरूरत है कि अनुमोदन कार्य एक अनुमोदन करने वाले निगम को सौंपा जाये, एन.एस.ई. भी इस प्रक्रिया को अपना रहा है। मैं समझता हूं अन्य सभी एक्सचेंजों को यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हम कुछ छोटे संशोधन कर रहे हैं ताकि गत कुछ वर्षों में देखी गयी समस्याओं को दूर किया जा सके।

महोदय, मैं समझता हूं इस नये विधेयक के लागू होने के उपरांत, हमारे स्टॉक एक्सचेंज मजबूत हो जायेंगे। व्यापार अधिक पारदर्शी हो जायेगा। सबसे बढ़कर, स्टॉक एक्सचेंजों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और अधिक जवाबदेह हो जायेगा। जैसाकि श्री सुरेश प्रभु ने कहा, यह अब कुछ लोगों का निजी क्लब नहीं बने रह सकता जिसमें कोई पारदर्शिता न हो। अब यह शेयरों द्वारा नियंत्रित कंपनी होगी। शेयर दलालों की भागीदारी सीमित होगी और प्रबंधन का अधिकार भी सीमित होगा।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के छोटे निवेशकों के संबंध में व्यक्त भावनाओं को नोट कर लिया है। अब, छोटे निवेशक शेयर बाजार को चलाने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मैं यह अवश्य मानूंगा कि ऐसा लगता है कि एफ.आई.आई.एस. बाजार की प्रेरक शक्ति बन गई है। मैं चाहता हूं कि छोटे निवेशक ही बाजार में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करें। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, गत दस वर्षों का इतिहास यह रहा है कि शेयर बाजार में कई घोटाले हुए हैं। छोटे निवेशक, जो घाटा सह चुके हैं अब बाजार में पुन: उतरना नहीं चाहते। लेकिन अब मैं यह देखता हूं कि गत दो-तीन महीनों से बाजार में छोटे निवेशकों की ओर से

अधिक निवेश हुआ है। इससे भी अधिक, ऐसा लगता है कि डिलीवरी आधारित व्यापार में वृद्धि हुई है। नॉन-डिलीवरी आधारित सौदों के स्थान पर अब हमारे पास डिलीवरी आधारित सौदे अधिक संख्या में हैं। निपटान प्रणाली 'टी' प्लस टू की है जो कि बहुत कठोर प्रणाली है। विफलता की संभावना कम है। 17 मई को, काले रविवार को हम जानते हैं कि बाजार मंदी का शिकार हो गया था। लेकिन जो प्रणाली हमने शेयर बाजार में विकसित की थी और शेयर बाजार का विनियंत्रण इस प्रकार किया गया था कि वह इस अचानक आयी मंदी को सह पाये और एक भी चूककर्त्ता नहीं पाया गया। प्रत्येक सौदे को सम्मान दिया गया और उसे पूरा किया गया। एक भी चूककर्त्ता नजर नहीं आया। मैं समझता हूं कि नियमन में सुधार हुआ है। मैं समझता हूं कि बाजार व्यवहार में सुधार हुआ है। लेकिन मैं यह कहने वाला पहला व्यक्ति हूंगा कि सुधार की गुंजाइश है। और सुधार की गुंजाइश है। जैसाकि श्री सुरेश प्रभु ने कहा, मैं समय-समय पर शेयर बाजारों की आवधिक समीक्षा करने के लिए कदम उठाऊंगा और आवश्यक हुआ तो मैं इस सभा में और संशोधन लेकर वापस लौटने से नहीं हिचकिचाऊंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं समझता हूं कि शेयर बाजार अब अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब चुनाव हुए थे और सरकार ने कार्य करना आरंभ किया था, बाजार 21 मई, 2004 को बाजार 4962 पर था। इस सरकार के बारे में कुछ गलत जानकारी को धन्यवाद, बाजार प्रथम दो सप्ताह के दौरान मंदी का शिकार रहा। जिस दिन मैंने बजट प्रस्तुत किया, सूचकांक 4844 पर था। आज यह 6300 है। यहां आने से पहले मैंने सूचकांक चैक नहीं किया था। यह 6300 से अधिक है। यह दो या तीन महीनों की अल्प अवधि में सबसे अधिक वृद्धि है। किन्तु यह अच्छी अर्थव्यवस्था का एक संकेत है। हमें इस संकेत से बहकना नहीं चाहिए। अन्य संकेत भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मैं समझता हूं देशी निवेशकों और विदेशी निवेशकों ने इस सरकार के टिकाऊपन, स्थायीत्व और कार्यनिष्पादन के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मुझे विश्वास है कि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की देखभाल अच्छी तरह करते रहे तो शेयर बाजार में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और हम निवेश की वृहत् राशि आकर्षित कर सकेंगे जो इस देश के लिए आवश्यक है। मैं सभी सदस्यों का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप शेयरधारकों को जनता के साथ उचित अनुपात में करने पर विचार करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: आप कृपया पृष्ठ 4 पर पंक्ति 10-15 पढ़ें, विधेयक के खंड 8 के अनुसार:

> "ऐसा प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी बाबत निगमीकरण या अपारस्परिक समन्वय के लिए स्कीम का उपधारा (2) के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, या तो जनता को साधारण शेयरों के नए प्रोद्धरण द्वारा या ऐसी किसी अन्य रीति से, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यह सुनिश्चित करेगा कि उपधारा (7) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से बारह मास के भीतर उसकी साधारण शेयर पूंजी का कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत व्यापार अधिकार रखने वाले शेयरधारकों से भिन्न जनता द्वारा धारित ..."
>
> इसलिए, 51 प्रतिशत शेयरधारिता जनता के पास होगी।"

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मेरा सुझाव है, अब आप इस विधेयक में संशोधन मत कीजिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप निवेशकों के किसी खास संगठन के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: आप के दिमाग में जो बात है, वह आप मुझे क्यों नहीं बताते?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: बहुत कम निवेशकों की रुचि होगी। इस तरह के संशोधन द्वारा हम उन संस्थाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो आपने बनायी है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: क्या आप यह कह रहे हैं कि निवेशकों का परिसंघ शेयरधारक होना चाहिए?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे इस बारे में सोचने दें।

सभापति महोदय: इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री पी. चिदम्बरम: निवेशक एसोसिएशन के शेयरधारक बनने से यह भय है कि इससे गुट बन सकते हैं। ऐसे लोग इकट्ठे होकर गैंग बना सकते हैं। हम इस पर तब विचार करेंगे जब यह योजना तैयार हो जायेगी।

मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: जी हां, सभापति महोदय, जो शंकाएं थीं, उनका काफी समाधान मंत्री जी ने किया। मैं समझता हूं कि छोटे निवेशकों के हित को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है। मैं इसे वापिस लेता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या सभा श्री रामजीलाल सुमन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 23 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.05 बजे

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 17 तथा 18 पर एक साथ चर्चा करेगी। श्री बची सिंह रावत सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करता हूं।"

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन करने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा': सभापति जी, 11 नवम्बर को यह अध्यादेश लाया गया है और इसी के साथ आज यह विधेयक विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। उसके कारण और उद्देश्यों का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उसे 29 नवम्बर को हस्ताक्षरित किया है। विधेयक और अध्यादेश के बीच में इतनी अधिक अवधि नहीं थी। यह उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 123(1)ए में महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि तात्कालिक कारण हैं जिससे तुरंत कार्यवाही करना

आवश्यक हो गया है, परन्तु ऐसी कोई आवश्यकता उस समय नहीं थी। एक प्रकार की प्रैक्टिस है और हमेशा हम लोग उल्लेख करते आये हैं कि मूल रूप से जो विधेयक आ रहा है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। जैसा पहले श्री रामजी लाल सुमन का डिसएप्रूवल आया था, उसी तरीके से डिसएप्रूवल है। जो आर्डिनैंसेस लाये जा रहे हैं, वे अति आवश्यक नहीं हैं। जबकि एक दिसम्बर से पार्लियामैंट असेम्बली हो रही है और उसके सारे काम की जानकारी सरकार को है। उसमें अनेक संशोधन लाये जा सकते हैं और उसमें अधिक विचार-विमर्श किया जा सकता है। एक प्रैक्टिस व्यवहार में आ रही है कि जो कमेटीज की व्यवस्था माननीय संसद की ओर से की गयी है, उन स्टैंडिंग कमेटीज को अवाइड करने के लिए शार्ककट रूट अपनाते हुए आर्डिनैंसेस के माध्यम से और फिर सब्सीक्वेंटली उसको बिल के माध्यम से लाये जाने का प्रयास इस सदन में लगातार हुआ है।

इस विधेयक को लाने के लिए जो कारण इसमें दर्शाये गये हैं, वे आर्डिनेंस के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जैसा मैंने उल्लेख किया है कि विधेयक का कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं भी उसका समर्थन करता हूं क्योंकि वर्ष 2002 में जब यह विधेयक लाया गया था, देश भर की जो पैरिस्थितियां थीं कि लगभग 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बकायेदारी में है।

अपराह्न 3.08 बजे

[**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन हुईं*]

जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनके जरिये जो बॉरोवर्स हैं, कम्पनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने ऋण लिया है। ऋण की वसूली का कोई मैकेनिज्म नहीं था। पिछली सरकार में पहली बार यह प्रयास हुआ। इसको प्रभावी तरीके से इस ऋण की वसूली के लिए एक मैकेनिज्म बना। एक रेगुलेटर सामने आया और उसी का नतीजा था कि लगभग 15 हजार नोटिसेस जारी हुए और 20 हजार करोड़ रुपये की वसूली का प्रयास हुआ। अब चूंकि इसमें जो बॉरोवर्स हैं, उनके विरुद्ध अनेक न्यायालयों के सामने मामले आये। प्रमुख रूप से आज भी जो विधेयक व आर्डिनैंस का उद्देश्य व कारण सामने आया है, उसमें जिस केस का उल्लेख आया है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का केस था—माडिया केमिकल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसके अंडर सैक्शन 17 में दो धाराओं का उल्लेख किया गया है। इसमें एक व्यवस्था थी कि 75 प्रतिशत डिपाजिट अपील के समय में करेंगे। उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया और उसको अल्ट्रावायरेस डिक्लेयर किया। एक कारण यह बताया गया है और दूसरा यह कि जो बकायेदार हैं, जिनसे वसूली होनी है, उनको एक नैचुरल जस्टिस के तहत अवसर मिलना था और उसको रीजन्स बताये जाने चाहिए थे कि क्यों उससे यह वसूली की जा रही है। दो प्रावधान दिये गये हैं और एक अन्य कारण बताया गया है कि कर्ज लेने वालों की वसूली टालने की एक परम्परा है, एक व्यवहार है कि जिसे ऋण चुकता करना है, वह हर कोशिश करता है कि अपना कोई न कोई बहाना बनाकर कि उसको भुगतान न करना पड़े, अत: उसको हतोत्साहित करने के लिए यह आर्डिनेंस लाया गया है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं था। इसलिए टैक्नीकली जो मेरा डिसएप्रूवल था, स्टेच्युटरी रिजोल्यूशन लाने के पीछे जो भावना थी, वह यह है कि अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए और चेयर से भी निर्देश होना चाहिए और इस प्रकार से जबकि पार्लियामेंट का सैशन बहुत नजदीक हो, वह ऑर्डिनेंस के बजाए जनरली इसका बिल लेकर आए। जो बोरोअर्स बैंक्स हैं, जो क्रैडिटर्स हैं, इसमें दो व्यवस्थाएं अलग-अलग आ रही हैं, मैकेनिज्म या रेगुलेटर सैट हो रहा है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वे वसूली के लिए ट्राईब्यूनल के पास या दूसरा जो नियामक बनाया है, उसके पास चले जाएंगे। जो दूसरा मैकेनिज्म तय किया गया है या फिर उसको वापस लेकर वहां जाया जा सकता है, ये दो ऑप्शंस रखे हैं। मेरा एक अनुरोध होगा कि इसका सरलीकरण किया जाए कि केवल ट्राईब्यूनल के सामने ही सारी व्यवस्था रखी जाए और दो-दो प्रक्रियाएं अलग-अलग अपनाने के लिए ऐसी व्यवस्था न हो। माननीय वित्त मंत्री जी इस मामले में काफी विद्वान हैं और उनको काफी अनुभव भी है। वह जरूर इस पर विचार करेंगे। आने वाले समय में बोरोअर्स से वसूली होने में जो विलम्ब अभी तक हुआ है, आगे भी कितना कट-शॉर्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डाइरेक्शंस हैं, उनको कैसे ध्यान में ले सकते हैं, इस पर आप ध्यान देंगे।

सभापति जी, यह विषय इससे संबंधित तो नहीं है लेकिन चूंकि फाइनेंशियल विषय पर बातचीत चल रही है, अनेक वित्तीय विधेयकों पर बातचीत चल रही है और शेयर-मार्केट के संबंध में सुरेश प्रभु जी के भी विचार आए हैं। वह यह है कि एमपीज को और सोशल वर्कर्स को यह बात अत्यन्त प्रभावित करती है। वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे डिपॉजीटर्स हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां पर इंवेस्टमेंट का कोई साधन नहीं है, जहां नॉन-फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां छोटी-छोटी कंपनीज बनी हैं और उनको आरबीआई से लाइसेंस मिले हुए हैं, वे वहां लोगों का पैसा डिपॉजिट कराते हैं और उसके बाद कंपनियां गायब हो जाती हैं। उनके लिए एक प्रभावशाली विधेयक आना चाहिए और ऐसी कंपनियों के पास जमा धनराशि की तादाद करोड़ों रुपयों में है। मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं, वहां एक क्रैडिट कॉरपोरेशन है, वह कंपनी लोगों का पैसा लेकर चली गई। उसने छोटे-छोटे लोगों से एक हजार, दो हजार, एक लाख-दो लाख पैसा जमा किया और आरबीआई का लाइसेंस

[श्री बर्ची सिंह रावत 'बचदा']

दिखाकर वह कंपनी चली गयी। इसी तरह से अपेस इंडिया लिमिटेड, फ्रंटलाइन इन्डस्ट्रियल एण्ड क्रैडिट्स का आदि है और दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं। आपसे इस संबंध में लगातार पत्र-व्यवहार होता है। उसमें उनका इंटरेस्ट भी सेफगार्ड हो। मैं इस बारे में बाद में निवेदन करूंगा। जो विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी लाए हैं, उसका समर्थन करते हुए और अध्यादेश के संबंध में अपना डिसएप्रूवल दर्ज करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

"कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन करने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और कंपनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री के.एस. राव—अनुपस्थित।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति महोदया, मैंने पहले भी वह बात रखी थी और दुबारा इसको रखना चाहता हूं। इसमें जो एपीलैट आथोरिटी को पावर दी गई है, अगर दो केस चलते हैं तो उनको इकट्ठा करके किया जा सकता है, उस पर आवेदन दिया जा सकता है। किन-किन कारणों से वह इकट्ठा कर सकता है, अगर उसमें यह आ जाए कि जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उनकी एनफोर्स करने में होती हैं, वह नहीं होंगी। अगर अधिकरण उसका आदेश पारित कर देता है तो शायद उसकी अपील का भी प्रयोजन न रहे, अन्यथा वह लिटिगेशन में ही फंसा रहेगा और अगर अपीलेट अथारिटी उसको पास करती है, तो भी बहुत ही डिलेड हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि धारा-8 के लास्ट में है कि अगर अपेक्षित की प्रति एक सप्ताह के भीतर आ जाए, अभ्यावेदन जहां अपेक्षित का सुधार करने का कार्यभार लेने वाले को सुनिश्चित करेगा, तो इसके बारे में अगर डिटेल्स सहित यह बात आ जाए कि उसको डाक द्वारा सूचित किया जाए, तो फिर चैलेंज करने की कठिनाई नहीं रहेगी।

सेक्शन-10 में बात अस्पष्ट है कि ऐसी फीस जो निर्धारित की जाए, के साथ आवेदन कर सकेगा, फीस का प्रतिशत कितना होगा, यह रिफंडेबल है या नान-रिफंडेबल, लमसम है या कैसी है, इसको भी अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो यह काफी विस्तृत हो जाएगा। इसी प्रकार सेक्शन-12 के सब-सेक्शन-3 में अपील अधिकरण में जो 50 प्रतिशत की राशि रखी गई है, उसको कम किया जाए क्योंकि कई बार डिस्प्युट इतना होता है कि जो अपील करने वाला इतना पैसा जमा नहीं करा पाता, तो उसको न्याय नहीं मिल पाता। इसको भी कम किया जाए।

मैं इन्हीं सुझावों के साथ आशा करता हूं कि अगर मंत्री जी को ये सुझाव ठीक लगें, तो इनको साथ लेकर इस बिल को पास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन की अत्यंत आवश्यकता थी। माननीय वित्त मंत्री ने सही समय पर अधिनियम प्रख्यापित किया है तथा आज अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम को पेश किया जो वित्तीय संस्थानों को लम्बे समय से लंबित पड़े ऋणों की त्वरित वसूली करने में सहायक होगा।

महोदय, पूर्ववर्ती राजग सरकार ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को विशेषकर जानबूझकर चूककर्ताओं से उनके ऋण की त्वरित वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए इस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को पेश किया था। लेकिन ऐसे विधेयक के अधिनियमित होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कारणों से इस पर स्थगन आदेश दे दिया था।

यदि किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या किसी पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित किसी कर्जदार की वित्तीय आस्तियां जिसमें सुरक्षित ऋण एक से अधिक बैंक या वित्तीय संस्थानों के हैं इसकी वसूली के लिए ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों ने दो या अधिक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के समक्ष आवेदन किये थे, तो प्रतिभूति कंपनी या पुनर्गठन कंपनी सभी लंबित आवेदनों को किसी भी ऋण वसूली न्यायाधिकरण में स्थानान्तरण के लिए ऐसे न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकती हैं जो उस न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में है तथा वहां ऐसे मामले लंबित हैं।

यदि कोई वसूली प्रमाण-पत्र ऋण वसूली न्यायाधिकरण जिसमें सभी लंबित आवेदन स्थानांतरित कर दिये गये हैं द्वारा जारी किया

जाता है तो ऋण की वसूली के लिए ऐसे निष्पादन हेतु बैंक तथा वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

इस संशोधन के पश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थान दीर्घ-कालिक आस्तियों की वसूली कर सकते हैं, तरलता की समस्या का प्रबन्धन कर सकते हैं, अपनी प्रतिभूतियां बेच सकते हैं तथा वसूली या पुनर्गठन के उपाय अपनाकर गैर-निष्पादित आस्तियों में कमी कर सकते हैं। इससे पट्टे के माध्यम से स्थानांतरण के अधिकार सौंपने या बिक्री सहित कर्जदार की भी सुरक्षित आस्तियों को कब्जे में लेने सुरक्षित आस्तियों की वसूली करने में तथा कर्जदार के व्यवसाय के प्रबन्धन के हाथ में लेने से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को सहायता मिलेगी।

यदि मैं यह कहूं कि यह विधेयक जानबूझकर चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की सहायता के लिए एक हथियार हैं तो यह गलत नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): सभापति महोदया, मैं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मूलत: यह विधेयक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन करने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए हैं।

कई वर्षों से यह हो रहा था कि उद्योग वाले बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से धनराशि उधार लेती थी तथा उसका पुनर्भुगतान नहीं करते थे। यह विधेयक वर्ष 2002 में आये विधेयक में और संशोधन करता है क्योंकि इन संस्थाओं की कुछ समस्याएं थीं। यह इसलिए कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादित आस्तियां अत्यधिक हो गई थीं तथा प्रारम्भ में लोग उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते थे तथा यह जानने के लिए तरीके ढूंढ़ते थे कि पुनर्भुगतान के लिए उनके पास धनराशि नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री को इस विधेयक को पेश किये जाने की सीमा तक बधाई देता हूं लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि इसे अध्यादेश के जरिए ही दिया जाता। इस पर मुझे आपत्तियां है क्योंकि किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति नहीं थी कि एक अध्यादेश लाया जाए। अन्यथा मैं समझता हूं कि विधेयक आवश्यक था।

गत सप्ताह मैं संसदीय शिष्टमंडल के साथ जापान में था। वहां प्रणाली बहुत ही अलग थी। आज लोगों को दस से ग्यारह प्रतिशत तक देना पड़ता है तथा यह सीमा 17 प्रतिशत तक होती थी तथा इस प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक विश्व में, उद्योगों के लिए टिका रहना बहुत मुश्किल है। मंत्रीजी इस बात से अवगत हैं। उन्हें वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ब्याज दर कम करवानी होंगी ताकि ये उद्योग अपना अस्तित्व बचा सकें। अन्यथा सैकड़ों तथा हजारों उद्योग ऐसे हैं जो रुग्ण हो चुके हैं क्योंकि वे प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में टिक नहीं सकते हैं। यह एक कारण है।

अब आप कह सकते हैं कि गैर-निष्पादित आस्तियां हैं। लेकिन यदि आप पता लगाएं कि गैर-निष्पादित आस्तियां होने के क्या कारण हैं तो आपको पता चलेगा कि यह इस कारण है कि वे टिक नहीं पाते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैं जापान में था तो मुझे ज्ञात हुआ कि वहां ऋणात्मक ब्याज दर है।

पेंशनभोगियों की सावधिक जमा पर उनको दी जाने वाली ब्याज दर जिसकी हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं, जिसके सहारे सेवानिवृत्ति के बाद हम जीवन-यापन करते हैं 12 प्रतिशत रही है। हमें इसे घटाकर नौ और ग्यारह प्रतिशत करने की क्या जरूरत है? हम जीवनयापन कैसे करेंगे? परन्तु यदि उन्हें सावधिक जमा पर नौ अथवा दस अथवा ग्यारह प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करना पड़ेगा तो ऋण लेने की दर ऊंची हो जाएगी तथा ऋण देने की दर और भी ऊंची हो जाएगी। तब आप इन दो चीजों में संतुलन कैसे बनाएंगे।

आपने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को प्राप्त करने हेतु सही कार्य किया है। इस विधेयक में उन कम्पनियों हेतु एक खण्ड है जो नहीं चलायी जा सकने वाली कम्पनियों का अधिग्रहण कर सकेंगी तथा उनकी पुन: बिक्री कर सकेंगी ताकि ऋणों और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली हो सके। परन्तु मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें उद्यमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यम वास्तव में विकसित नहीं हुए हैं। जापान में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यम सशक्त हैं क्योंकि उन्हें एक या डेढ़ या दो प्रतिशत की ब्याज दर पर पैसा मिलता है। हमें 10 प्रतिशत या 11 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत ब्याज दर पर पैसा मिलता है। कार्यशील पूंजी के लिए और भी अधिक 11 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत ब्याज दरों पर पैसा उपलब्ध है। आप इसे संतुलित कैसे करेंगे और अपने अस्तित्व को कैसे बनाए रखेंगे? इसी वजह से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं वह इस बात की जांच करें।

मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। जापान में जापान क्रेडिट एंड लीजिंग बैंक नामक एक बैंक था। यह जापान के सबसे बड़े बैंकों में से एक था। यह दिवालिया हो गया। मंत्री महोदय को यह नोट करना दिलचस्प होगा कि भारत के चार उद्यमी जो सिटी

बैंक से थे वहां गए और उस बैंक का प्रबंधन सम्भाल लिया तथा अब उस बैंक की स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। आज यह जापान के अग्रणी बैंकों में से एक है। जापान में प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में बात कर रहा है। उस बैंक में कोई कागजात नहीं है। सब कुछ कम्प्यूटर पर होता है। हम वस्तुत: इस पर गर्व कर सकते हैं। अन्यथा, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अन्य तथ्य भी हैं जिनकी मंत्री महोदय को जांच करनी चाहिए। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली मात्र ही महत्वपूर्ण नहीं है। इन रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करना भी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में हमें योजनाएं बनानी होंगी। हमारी अभिरुचि इन विफल कम्पनियों से गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली मात्र में ही नहीं है। हमारे पास उन्हें पुन: चालू करने तथा उनको पुनर्जीवित करने के लिए योजनाएं होनी चाहिए थी। उनके बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

श्री के.एस. राव (एलूरू): सभापति महोदय, यदि मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं तो यह पुनरावृत्ति मात्र होगी तथा संभवत: कुछ दल मुझे गलत समझें क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं और सरकार कांग्रेस की है तथा मंत्री महोदय भी कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा जिसकी वजह से मैं उनकी प्रशंसा करता रहा हूं। जिस तरीके से वे अनेक पुराने अधिनियमों को संशोधित कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। ये संशोधन बिल्कुल आवश्यक हैं। मैंने इस बात को किसी अन्य दिन भी कहा था। ये संशोधन मात्र वित्त मंत्रालय के संबंध में ही आवश्यक नहीं हैं बल्कि उन अनेक अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है जो पचास वर्ष अथवा साठ वर्ष अथवा सत्तर वर्ष पुराने हैं तथा जो देश और जनता की वर्तमान जरूरतों के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक हैं। उन्होंने ऐसे सुदृढ़ और अच्छे संशोधन उन अधिनियमों में लाए हैं जिनका फायदा आज तक धोखेबाज और अवांछित तत्व उठाते रहे हैं। इसी वजह से मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

दुर्भाग्यवश, आज देश में मूल्यों में काफी गिरावट आयी है। हम संयुक्त मद्रास प्रांत से आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी, तांगुतुरी प्रकाशम के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। जब पुलिस ने उन्हें गोली से उड़ाना चाहा तब उन्होंने अपनी कमीज खोलकर कहा, "आप गोली चलाइए, मैं तैयार हूं।" वे दिन थे जब अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए त्याग किए जाते थे। दुर्भाग्यवश, आज हम समाज में गुण्डों और असामाजिक तत्वों को देख रहे हैं जो हत्याएं करते हैं तथा लोगों को अपनी इच्छानुसार पैसा देने पर मजबूर करते हैं। जब पुलिस आती है तो वह कहता है कि "मुझे गिरफ्तार कर लो।" उसे तंत्र और पुलिस का भय नहीं होता। यही हाल बैंकिंग उद्योग का है। वित्तीय संस्थाओं से धन लेने हेतु कर्जदार की बुद्धिमता, प्रतिमा और क्षमता का उपयोग किया जाता है।

वह संस्थाओं से ऋण लेने के साथ यह सोचता है कि उसका काम समाप्त हो गया और उसे ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम समाचार-पत्र की खबरों में देखते हैं कि वित्तीय संस्थाओं की 50,000 करोड़ रुपये की राशि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में बकाया पड़ी है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि तुलन-पत्र में कहीं और अधिक राशि छिपी होगी जिसकी बाद में अथवा कुछ समय बीत जाने पर घोषणा की जाएगी। वे देश में अफरा-तफरी का माहौल पैदा करना नहीं चाहते हैं। जहां तक बैंकों में कुल गैर निष्पादनकारी आस्तियों का प्रश्न है, वे इसे धीरे-धीरे जनता की जानकारी में लाना चाहते हैं। तत्पश्चात् वे प्रतिवर्ष अर्जित होने वाले अपने लाभों में से पैसे की व्यवस्था करके गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करते हैं।

मान लीजिए कोई कर्जदार अथवा प्रोमोटर किसी संस्था से कर्ज लिया है, यदि उसका इरादा नेक है तो हम इसकी प्रशंसा कर सकते है। कानून अथवा बाजार की स्थितियों में बदलाव की वजह से यदि वह विफल होने वाला है तो हम यह बात समझ सकते हैं। संबंधित संस्था भी उस कर्जदार की रक्षा हेतु आगे आ सकती है और उसकी मदद कर सकती है अथवा पैसा पुन: निवेश कर सकती है या उसका पुन: वित्तपोषण कर सकती है और इसे व्यवस्थित हालत में ला सकती है। परन्तु यहां स्थिति कुछ अलग है जहां प्रवर्तक कभी उत्पादन शुरू होने से काफी पहले तो कभी उत्पादन होने के पश्चात् पैसा को अन्य प्रयोजनों हेतु निकाल लेते हैं। इस संबंध में मैं वर्ष 1986 में ही संसद में कह रहा था कि यदि कोई प्रवर्त्तक को किसी कम्पनी का प्रवर्तन करना है और यदि वह उस पैसे को लेकर अपने बच्चों के नाम पर किसी अन्य कम्पनी में उसका निवेश करता है तो उसके द्वारा शुरू की गयी कम्पनी को, जो संस्था से लिए गए पैसे को लौटाने में विफल रही, आगे कोई ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। उस प्रवर्तक का स्थायी रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी कोई ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। तभी जाकर एक नैतिक भय होगा कि जब तक वह संस्था का पैसा नहीं लौटाता है तब तक वह इस देश में बचा नहीं रह सकता।

आज कुछ धनी लोग बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को काफी चूना लगा रहे हैं। यदि कोई कम्पनी अथवा व्यक्ति किसी बैंक को एक करोड़ का चूना लगाते हैं तो उस कम्पनी के संचालक या उस व्यक्ति को बुद्धिमान और सक्षम व्यक्ति समझा जाता है और उसका समाज में सम्मान होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी संस्था को एक करोड़ रुपये का चूना लगाता है तो उसे महान

व्यक्ति समझा जाता है। उसकी समाज के सभी सम्पन्न व्यक्तियों के पास पहुंच होती है। वह बैंक के अध्यक्ष की परवाह नहीं करता है। जब तक अधिनियम में इस प्रकार के प्रावधान नहीं किए जाते तब तक हम ऐसी परिस्थिति से नहीं निपट सकते हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने प्रावधान किया है अगर ये लोग बिना किसी वास्तविक कारण के पैसा नहीं लौटाते हैं यद्यपि कि उनके पास परिसम्पत्तियां व सम्पत्ति होती हैं तो ये प्रावधान संस्थाओं को इनका प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत करते हैं।

हाल ही में मैंने स्वयं हैदराबाद में एक ऐसा मामला देखा है जब ऐसे प्रावधानों के अंतर्गत एक संस्थान द्वारा किसी व्यक्ति की सम्पत्ति की नीलामी की जानी थी तो वह इस प्रयास में दर-दर भाग रहा था कि ये नीलामी न हो। ऐसा इस कारण से था क्योंकि उस संस्था के पास बंधक रखी गयी परिसम्पत्ति का बाजार मूल्य इतना अधिक हो गया था कि इससे ऋण की राशि चुकायी जा सकती थी। जब इसकी नीलामी हुई तो नीलामी पूरी सम्पत्ति को बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परिसम्पत्ति के मात्र एक भाग को बेचने से ही संस्था को चुकाए जाने वाली ऋण-राशि प्राप्त हो गयी। इस प्रकार, मात्र यही प्रावधान नहीं है जिसे मंत्री महोदय द्वारा शामिल किया जा रहा है बल्कि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से निपटने में कोई दया न दिखायी जाए। इस पर ज्यादा विचार नहीं किया जाना चाहिए। किसी राजनीतिज्ञ अथवा समर्थ नागरिक को संस्था के साथ धोखा करने की कोशिश करने वाले कर्जदार को नहीं बचाना चाहिए।

इसी प्रकार मामले को डी.आर.टी. तथा अपीलीय अधिकरण को भेजने के प्रावधानों से भी ऐसे संस्थानों से ठगी करने वाले निरुत्साहित होंगे। इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होगा कि वे पैसा लौटाएं और तब फिर जाकर समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करें। अधिनियम में इन प्रावधानों की व्यवस्था किए जाने के अलावा प्रचार भी किया जाना चाहिए। समाज में यह एक संदेश जाना चाहिए कि ये लोग जो संस्थानों से ठगी कर रहे हैं चाहे जितना भी धनी व समर्थ हों, समाज में उनको अपराधी और अनपेक्षित व्यक्ति के रूप में देखा जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो मैं आश्वस्त हूं कि हजारों करोड़ रुपये जिसका अच्छे कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की यह समस्या हमारे सामने नहीं होगी। वर्तमान में हजारों करोड़ रुपये बैंक के साथ ठगी करने वाले धनी लोगों के हाथों में पड़े हुए हैं। यदि इस पैसे को समाज में एक गरीब व्यक्ति को 150 रुपया देने में खर्च किया जाता है तो यह मददगार साबित होगा। कौन गरीब व्यक्ति?

महोदया, मेरे नेता भी यहां उपस्थित हैं। मैं गांवों में रहने वाले उन निर्धन लोगों के लिए संसद में एक विधेयक लाना चाहता था जो 10 वर्ष की उम्र से 70 वर्ष की उम्र तक काम करते रहते हैं। जब हम गांवों का दौरा करते हैं तो हम उन्हें झोपड़ियों में पड़ा हुआ पाते हैं। कुछ स्थानों पर तो, जहां वे दृष्टिहीन और भूखे पेट टूटी-फूटी खाट पर असहाय पड़े होते है और उनके ऊपर छत भी नहीं होती। हो सकता है ऐसे लोग ज्यादा नहीं हों। लेकिन यदि आप ऐसे सभी लोगों पर ध्यान दें, तो पूरे देश में इनकी सहायता के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम उनके कल्याण हेतु इस धन को खर्च करते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही कम आयु में सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक काम करता है और वह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, तो एक अधिकारी, जो किसी कार्यालय में 20 वर्ष कार्य करता है, तो वह अन्य आय के अलावा सभी विशेषाधिकार और जीवनभर पेंशन कैसे ले सकता है? गांवों में रहने वाले इन अभागे निर्धन लोगों, जो अपने जीवन-भर काम करते हैं, को कम विशेषाधिकार क्यों मिलने चाहिए? इसलिए, धनी लोगों पर धन बर्बाद करने के बजाय इन करोड़ों हजार रुपयों को उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जिन्हें इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

इसलिए, मैं इस कदम के पीछे छिपी भावना की प्रशंसा करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसे मंत्री महोदय द्वारा इस विधेयक में यह प्रावधान करने हेतु लाया गया है। मैं उनसे सच्ची भावना से इसके अनुपालन की अपेक्षा रखता हूं। उन्हें बस विधेयक लाने और उसमें खण्ड जोड़ने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। संस्थाओं को यह स्पष्ट अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वे अवश्य कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो तो इन सभी सम्पत्तियों की नीलामी करें और दोषी कंपनियों के प्रबंधन अपने हाथ में ले। यदि वे ऐसी 10 कंपनियों के प्रबंधन को अपने हाथ में लेती हैं, तो हर कोई दौड़ता आएगा और बकाया एक-एक पैसे की अदायगी करेगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री द्वारा लाये गये प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 का समर्थन तथा स्वागत करता हूं। इससे पूर्व 2002 में इस संबंध में जो बिल पारित हुआ था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालना की उसमें शायद कमी रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मारिया और अन्य बनाम भारत सरकार के संदर्भ में जो निर्णय दिया, उस निर्णय की अनुपालना के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी उस एक्ट में संशोधन करने पुनः सदन के सामने लाये हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का एन.पी.ए.

[प्रो. रासा सिंह रावत]

बढ़ता चला जा रहा हैं। ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान, चाहे वह आई.डी.बी.आई हो, चाहे आई.सी.आई.सी.आई हो, चाहे एस.बी.आई. हो, एल.आई.सी. हो या दूसरे बैंक हों, इन सब बैंकों के एन.पी.ए. बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक तरफ माया से माया मिले, कर-कर लम्बे हाथ, तुलसी हाय गरीब की पूछे नहीं कोई बात। दूसरी तरफ सामान्य किसान किसान क्रेडिट कार्ड से थोड़ा बहुत ऋण लेने के लिये बैंकों में जाता है, तब उसे कहा जाता है कि इसकी वसूली ठीक नहीं हुई या अकाल के कारण जमा नहीं करा पाया या अन्य किसी कारण से बिना जांच किये उसकी वसूली हो जाती है, जबरदस्ती की जाती है। लेकिन अगर करोड़पति कोई उद्योग लगाता है, उसके लिये उसे बैंकों से या बड़े बड़े बैंकों से बड़ी राशि ऋण के रूप में मिल जाती है। उसके बाद उसकी नीयत में खोट आ जाता है। पता नहीं किस कारण से वह दिवालिया या घाटा दिखाकर या कोई बहाना बनाकर उपक्रम बंद कर देता है। वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे नामों से बैंक से लोन ले लेता है और इस तरह धोखाधड़ी करता है। इस प्रकार एन.पी.ए. की संख्या बढ़ती जा रही है। यह वास्तव में चिन्ता का विषय है। जो पैसा देश के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, वह बट्टे-खाते में एडजस्ट कर दिया जाता है या कम्प्रोमाइज या सैटलमैंट या अन्यान्य तरीके अपनाकर उसे कम किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की उदारता नहीं बरतनी चाहिये। कर्ज देते समय इस बात की जांच की जानी चाहिये कि उद्यम की स्थापना करने के लिये, उसे प्रोत्साहित करने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिये जो पैसा दिया जा रहा है, उसकी वसूली या उपयोग सही नहीं होगा, उससे हमारे देश के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा या नहीं, या बेईमानी तो नहीं करेगा, इन सब बातों की जांच की जानी चाहिये।

महोदया, मैं कुछ आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एन.पी.ए. कितना बड़ा खतरा बन रहा है। हालांकि, इस बिल के अंदर भविष्य में जो डिफाल्टर्स होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन प्राकृतिक न्याय का तकाजा था कि उन्हें एक बार सुना जाए और इसलिए यह लाया गया है कि वर्तमान में बैंकों का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अशोध्य ऋण है। एक लाख करोड़ से ज्यादा लोन बैड लोन्स के रूप में माना जा रहा है और उसकी वसूली नहीं हो रही है। एक प्रकार से उनको आगे-पीछे राइट ऑफ करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा या ऐसी स्थिति में।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय के इस इस निर्देश के पश्चात् संशोधन किया गया कि बैंकों को आदेश जारी करने और संपत्तियों को जब्त करने से पूर्व ऋण प्राप्त करने वालों को अभ्यावेदन देने का अवसर देना चाहिए।

[हिन्दी]

उनकी सम्पत्ति को नीलामी से पहले उनको सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए यह अमैन्डमैन्ट लाया गया है। इसके साथ-साथ

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए अधिनियम के 17(2) के अधीन प्रावधानों को समाप्त किया था जिसमें का चूककर्ताओं से कानूनी समाधान प्राप्त करने से पहले कुल बकाये का 75 प्रतिशत जमा करने के लिए कहा गया था।

[हिन्दी]

यह धारा 17(2), पहले वाले एक्ट के अंदर जो प्रावधान था, जिसके अंतर्गत 75 परसेन्ट जमा कराना पड़ता था, उन सारी कमियों को उन्होंने दूर कर लिया है। लेकिन यह बड़ी चिंता का विषय है कि 30 नवम्बर, 2004 का सरकार द्वारा उत्तर दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि ग्रौस एन.पी.ए. की मात्रा केवल सार्वजनिक उपक्रमों में बैंक के अन्दर 48724.3 करोड़ और नैट एन.पी.ए. 16886.4 करोड़ है, टोटल रिकवरी साल भर में 4220.6 करोड़ की हुई। इतने कानून बनाने के बाद भी 2197.2 करोड़ एन.पी.ए. राइट ऑफ किया गया और इतना बट्टे खाते में डाल दिया। रिकवरी केवल 4220 करोड़ की रही और एन.पी.ए. कितनी बड़ी संख्या में पहले था, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सार्वजनिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों की स्थिति कितनी दयनीय होती जा रही है। इसके अंदर एक और आंकड़ा है—राइट ऑफ कम्प्रोमाइज और राइट आफ का जो कुल टोटल हुआ, जैसे तीन साल के अंदर 20,704 करोड़ रुपए था और उसमें से कम्प्रोमाइज और राइट ऑफ जो समझौता होकर कम हुआ है, वह 11308.3 करोड़ रुपए है। इन आंकड़ों से पता लगता है कि वास्तव में मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। जैसे-जैसे हम कानून बनाते चले जाते हैं, वैसे-वैसे राइट ऑफ वाली या एन.पी.ए. की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। वित्त मंत्री जी बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस जमाने में हमारी सरकार ने इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में यहां पर आकर इतने करोड़ों रुपये की राशि इस प्रकार से बट्टे-खाते में चली जाए, समझौते के नाम पर छूट जाए या लोग बचने का कोई न कोई रास्ता निकाल लें और कानून की निगाहों से बच जाएं, ऐसी स्थिति में नये पग कठोरता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है। यह

चिंतनीय विषय है कि भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने और वित्तीय संस्थानों ने वसूली करने के लिए बैंकों द्वारा वसूली नीति बनाना एवं उसका कार्यान्वयन जो उपाय किये गये, वे उपाय मैं गिनाकर बता रहा हूं, इन उपायों के बावजूद हमें अपेक्षित या अभीष्ट सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। इसके बारे में वित्त मंत्री जी को थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। वे उपाय थे

[अनुवाद]

दीवानी अदालतों में मुकदमे दायर करना ऋण वसूली अधिकरण में मामले दर्ज करना समझौता मंत्रणा समितियों के माध्यम से समझौता समाधान लोक अदालतें एन.पी.ए. की विभिन्न स्तरों पर निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई क्रेडिट सूचना ब्यूरो।

[हिन्दी]

जिससे पता लगता रहे कि क्या स्थिति है। कारपोरेट डैब्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम भी आपने लागू की है। ये सब ट्रांसपेरेन्ट मैकेनिज्म हो, इस बात का भी प्रयास किया। इन बातों के बावजूद असैट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लि. वगैरह भी बढ़ाकर उसमें भी कुछ फंड्स आपने रखे। इन सारी बातों के बावजूद हमें वसूली के बारे में, रिकवरी के बारे में, पूरी रिकवरी हो, पर्याप्त रिकवरी हो, निर्धारित समय में रिकवरी हो, इन तीनों बातों के अंदर असफलता का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने से इस एक्ट के अंदर जो लेकुना था, उसे दूर किया है।

हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इन रिकवरियों के अंदर तेजी आएगी और ऐसे उपाय ढूढने पड़ेंगे। लोग डीआरटी या डी.आर.ए.टी. के माध्यम से चक्कर काटते रहते हैं। हमने तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना करने के लिए उनको कहने का, सुनने का, आपत्ति व्यक्त करने का अवसर प्रदान कर दिया, परंतु इसके बाद भी उनकी सम्पत्ति जब्त हो गई या कुछ और हो गया, तो वसूली नहीं होगी, उसको हमें देखना पड़ेगा। वैसे तो मैंने बिल का प्रारम्भिक स्वागत कर दिया है लेकिन आपके माध्यम से इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन सारे उपायों के बाद भी हमको अभीष्ट सफलता नहीं मिलने का क्या कारण है? एक बैंक से लोन लेने वाला व्यक्ति है, जिसने उस बैंक को धोखा दिया है, उस से पैसे की वसूली नहीं हो रही है। वह गोपनीय रखते हैं, दूसरे बैंकों को बताते नहीं हैं। उसका नाम, उसका पता, उसकी फैक्ट्री और उसके बारे में सब कुछ सारे देश के बैंकों को भेजना चाहिए ताकि दूसरी जगह वह धोखा न दे सके और किसी दूसरे नाम से नकली कम्पनी बनाकर वह बैंक से पैसा वसूल न कर सके। इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए।

महोदया, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैं इस विधेयक को व्यापक समर्थन देने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मेरे विचार से, कुछ सदस्यों को परेशान करने वाला प्रमुख प्रश्न यह है कि इस अध्यादेश को क्यों प्रख्यापित किया गया था? 8 अप्रैल, 2004 को उच्चतम न्यायालय ने मार्डिया केमिकल्स मामले में उक्त फैसला दिया था। मेरे दिमाग में कोई शंका नहीं है कि यदि तत्कालीन सरकार अध्यादेश लाने के लिए स्वतंत्र थी, तो उसे अध्यादेश लाना चाहिए था। परन्तु, हमारे यहां चुनाव हो रहे हैं और शायद इसीलिए, सरकार संयम बरतते हुए अध्यादेश नहीं लाई। इसलिए, मेरे विचार से स्थिति को वहीं पर छोड़ देना अत्यंत आवश्यक नहीं था जहां उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 17 की उपधारा 2 के पश्चात् स्थिति पैदा हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप ऋणदाताओं द्वारा अधिकरण से संपर्क करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऋणदाता उधार प्राप्त करने वालों को अवश्य अवसर प्रदान करें और फिर कारणों को बताने वाला आदेश पारित करें तथा केवल तभी आप धारा 13 की उपधारा 4 के अन्तर्गत कदम उठा सकते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय के इन दो फैसलों को बिना किसी सुधार के लंबे समय तक लागू रखा जाता, तो उस पूरी अवधि तक, यह अधिनियम एक निरर्थक दस्तावेज बन गया होता। अतएव, मेरे विचार से हमने ठीक किया। जैसे ही इस सरकार ने पदभार संभाला, और बजट सत्र समाप्त हुआ। हमने तत्काल इस मामले पर गौर किया और मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह अध्यादेश अत्यंत ही आवश्यक था। इसलिए, हमने भारतीय रिजर्व बैंक, प्रमुख ऋणदाता बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के विचार-विमर्श से 11 नवंबर, 2004 को अध्यादेश प्रख्यापित किया। आज, हम अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। मेरे विचार से, हम लगभग छह बाद बर्बाद कर चुके हैं। किसी पर आरोप नहीं लगाया जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की उद्घोषणा की गई है। हम कानून का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। मेरे विचार से, छह माह की अवधि तक यह अधिनियम बहुत प्रभावी रहा है। अब मेरे विचार से, इस सभा और राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात् यह कानून एक बार पुन: प्रभावी हो जाएगा और हम चूक करने वाले उधारकर्ताओं से ऋण वसूल करने में समर्थ होंगे।

महोदया, ये मुख्य परिवर्तन हैं। जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं, हमने उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के विपरीत धारा 17 की उपधारा 2 का लोप किया और हमने एक ऐसा प्रावधान भी लागू किया है जिसके द्वारा धारा 13 की उपधारा 4

[श्री पी. चिदम्बरम]

के अंतर्गत कदम उठाने से पूर्व अपने मामले को उठाने का अवसर दिया जाएगा तथा उधार प्राप्तकर्त्ता तत्काल अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है। यदि अधिकरण ऋणदाता को सही ठहराता है और उधार प्राप्तकर्ता अपील करना चाहता है, तो इस चरण में, एक प्रावधान लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत उसे उस पर बकाया धनराशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा।

प्रथम चरण में, वह कुछ भी जमा नहीं करता और दूसरे चरण में, अपीलीय चरण में, उसे 50 प्रतिशत जमा करना होगा। मेरे विचार से, यह एक उचित प्रावधान है। यह ऋणदाता और उधार प्राप्तकर्ता दोनों के हितों के बीच संतुलन रखता है। मुझे कोई शंका नहीं है कि इस अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु यह प्रावधान एक हितकारी प्रावधान होगा।

सभापति महोदया, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की अवस्थिति के बारे में कुछ संदर्भ दिया गया था। यह सत्य है कि गैर-निष्पादनकारी आस्तियां मौजूद हैं परन्तु जैसे-जैसे ऋण बढ़ता है, कुछ राशि की चूक तो होगी। मैं नहीं समझता कि हमें बैंकिंग को और कुछ नहीं बल्कि एक व्यवसाय के रूप में देखना चाहिए। जैसे कुछ व्यवसाय असफल होते हैं वैसे ही बैंकिंग में भी कुछ ऋण अशोध्य होंगे। बाजार में परिवर्तन हो सकता है, उत्पाद बेकार हो सकता है, प्रौद्योगिकी परिवर्तित हो सकती है और व्यवसाय अथवा उद्योग में भयंकर हड़ताल हो सकती है। कुछ ऋण अशोध्य हो सकते हैं और केवल इस बात से हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली में कुछ गलत है। यदि 100 लोगों को 100 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाता है, तो इन 100 लोगों में से एक या दो ऋण अशोध्य होंगे। मैं नहीं समझता कि यह एक बड़ा मुद्दा है। प्रमुख मुद्दा यह है कि, ऋण देने की गुणवत्ता क्या है, संपत्ति की गुणवत्ता क्या है, क्या हमारे पास संपत्तियों को वसूल करने की प्रणाली है अथवा क्या ये चूककर्ता जानबूझकर चूक करते हैं और धन लेकर भाग जाते हैं अथवा गबन कर जाते हैं। ये ऐसे मामले हैं जिन पर हमें चिंतित होना चाहिए। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में नहीं। प्रत्येक देश में, गैर-निष्पादनकारी आस्तियां मौजूद होती हैं। चीन में, मुझे बताया गया है कि बैंकिंग प्रणाली में 40 प्रतिशत के करीब गैर-निष्पादनकारी आस्तियां हैं। मैं इतनी की इच्छा नहीं रखता। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हमारी सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां केवल 7.8 प्रतिशत है और निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां केवल तीन प्रतिशत है।

श्री रावत सही कह रहे थे। उनके पास सही आंकड़े थे। सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 48,724 करोड़ रुपये की हैं और निवल गैर-निष्पादक आस्तियां 16,886 करोड़ रुपये की हैं। लेकिन इस आंकड़ों को कुल उधारी के रूप में देखा जाना चाहिए, चालू वर्ष के लिए गैर-खाद्य ऋण को ही लीजिए। गत वर्ष, इस समय, गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि लगभग 47,000 करोड़ थी। इस वर्ष यह पहले ही 1,17,000 करोड़ है। इस वर्ष यह अत्यधिक ऋण वृद्धि है। उद्योग में बहुत तेज गति से वृद्धि हो रही है। विनिर्माण क्षेत्र में 7.9 या 8 प्रतिशत के आसपास वृद्धि हो रही है। लोक उधार ले रहे हैं। लोक निवेश कर रहे हैं। इसलिए, गैर-खाद्य ऋण गत वर्ष के 47,000 करोड़ रुपये से इस वर्ष की समवर्ती अवधि में लगभग 1,17,000 करोड़ बढ़ गया है। इन ऋणों में से कुछ अशोध्य हो जाएंगे। इन अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए हमने यह कानून बनाया है, संसद ने इस कानून को बनाया है और हम इस कानून में बतायी गई कुछ खामियों को दूर करने के लिए संशोधन ला रहे हैं।

सभापति महोदया, हमें कुछ ऐसे प्रासंगिक सुधार और परिवर्तन करने का अवसर मिला है जिन्हें हमने इस अधिनियम को लागू करने के अनुभव में आवश्यक पाया है। ये सारे परिवर्तन उद्देश्यों और कारणों के रूप में बताए गए हैं। रिजर्व बैंक को कंपनियों की संवीक्षा और पुनर्गठन के अधिकार दिए गए हैं। ऋण (डेट) शब्द को परिभाषित किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि उधार देने वाला व्यवसाय को भी अधिग्रहित कर सकता है। मसौदा में ड्राफ्टिंग संबंधी कमी थी। हमने उस कमी को दूर कर दिया था, हमने अब प्रावधान किया है कि आवेदन का 60 दिनों में निपटान किया जाएगा और किसी भी मामले में यह चार माह की अवधि से अधिक नहीं होगी। हमने अपीलीय न्यायाधिकरण को विभिन्न ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लम्बित पड़े सभी संबंधित मामलों को एक ही न्यायाधिकरण में चलाने की अनुमति दी है। यह पूरी आन्तरिक व्यवस्था कानून के कुछ प्रावधानों जहां ड्राफ्टिंग में कमी थी को ठीक करने के लिए की गई है, लेकिन मुख्य प्रावधान उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 17(2) में की बताई गई त्रुटियों को दूर करके ऋणी को अवसर दिया जाना है। हमने इन दोनों को कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब यह कानून ऋण वसूली के लिए कारगर कानून बन गया है।

मैं माननीय सदस्यों का उनके समर्थन के लिए आभारी हूं और मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। मैं बची सिंह रावत से अपने सांविधिक संकल्प को वापस लेने का अनुरोध भी करता हूं।

सभापति महोदया: श्री रूपचंद पाल, आपको केवल स्पष्टीकरण की मांग करनी चाहिए। कृपया, कोई भाषण न दें क्योंकि हमें नियम 193 के अधीन अपराह्न 4.00 बजे चर्चा आरम्भ करनी है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मैं शेयर बाजारों को वर्तमान व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों का स्वागत करता हूं। शेयर

बाजारों के कार्यकरण की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य के रूप में, मैं एक ही बात का उल्लेख करूंगा कि संयुक्त संसदीय समिति की एक आलोचना यह थी कि वे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान में असफल रहे हैं, जो उद्योगपतियों, दलालों और बैंकरों के बीच सांठगांठ की है। यहां तक कि हमने सेबी से उन कंपनियों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा था जिन्होंने दलालों से सांठ-गांठ की थी जिससे कि छोटे निवेशकों में भय व्याप्त था। सरकार ने आज तक इस विशेष पैराग्राफ का उत्तर नहीं दिया है। आज तक हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार में क्या हो रहा है ...*(व्यवधान)* मुझे केवल स्पष्टीकरण चाहिए।

सभापति महोदया: श्री रूपचन्द पाल, वह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।

श्री पी. चिदम्बरम: आप किस विधेयक की बात कर रहे हैं?

श्री रूपचंद पाल: मैं प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक की बात कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: वह पारित हो चुका है।

सभापति महोदया: वह विधेयक पारित हो चुका है।

श्री रूपचंद पाल: इसलिए आप इनफोर्समेंट आफ सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट एण्ड डेट्स लाज (अमेडमेंट) बिल पर चर्चा समाप्त कर रहे हैं। अभी भी मैं मंत्री जी से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मैं यहां उपस्थित नहीं था। मैं कार्य-मंत्रणा समिति में था। मैं अभी आया हूं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप औद्योगिक घरानों, दलालों और बैंकरों के बीच के संबंध से संबंधित उस पैराग्राफ की जांच कराइए ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं, श्री बची सिंह रावत से इस संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी ने काफी विस्तार से हमारी आशंकाओं का समाधान किया है। इस बात को सभी लोग मानते हैं कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी सरकमस्टांसेस में यह आर्डीनेंस लाया गया है, इससे सभी लोग संतुष्ट हैं। विशेषकर जो फाइनेंशियल बिजनेस है, वह बिल्कुल अलग है। क्योंकि पैनल लॉ में, सोशल लैजिसलेशन में वेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस में वेट नहीं कर सकते। आप इस आर्डिनेंस को लेकर आए हैं, लेकिन भविष्य में, यह प्रथा नहीं चलानी चाहिए।

मैं पुन: अपने सबमिशन को दोहराते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं कि भविष्य में इस बारे में जरूर ध्यान दें कि जो रिमोट और फार-फ्लंग्ड एरियाज में स्माल डिपोजिटर्स हैं, जो फाइनेंस कम्पनी में पैसा जमा कर रहे हैं, वे अभी भी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हम लोगों को एप्रोच करते हैं। उसके लिए कोई न कोई रेमिडी आनी चाहिए कि उनका भी इंटरस्ट सेफगार्ड हो, जो चिट फंड कम्पनी और फाइनेंस कम्पनी में जमा करते हैं, वे लोग जमा रुपया लेकर फरार हो जाते हैं, उनके लिए भी सुरक्षा करने के लिए कोई बिल लेकर आएंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा हाउस सपोर्ट करेगा। इन परिस्थितियों में पुन: विधेयक का स्वागत करते हुए, उसका समर्थन करते हुए मैं अपना डिसएप्रूवल का प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदया: धन्यवाद।

[अनुवाद]

क्या माननीय सदस्य को अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

अनेक माननीय सदस्यगण: जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन करने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और कंपनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 23 विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदया: अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.00 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकार की विदेश नीति

सभापति महोदया: अब, सरकार की विदेश नीति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा होगी, श्री सुधाकर रेड्डी।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं माननीय विदेश मंत्री और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का ध्यान कतिपय महत्वपूर्ण नीतियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आजादी से ही विदेश नीति साम्राज्य विरोधी विदेश नीति रही है। यह उपनिवेशवाद विरोधी विदेश नीति है। बाद में यह गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के रूप में जानी जाने लगी। स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की गई और देशभर में इस पर लगभग मतैक्य था। इस नीति को पूरे देश में स्वीकार किया गया। तत्कालीन, प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु इस विदेश नीति के वास्तुकार रहे हैं। हमारी विश्व भर में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को समर्थन करने की ऐतिहासिक भूमिका रही है। हमने लोगों के संघर्ष जो कि उनके देश की मुक्ति से संबंधित था, का समर्थन किया चाहे यह वियतनाम लाओस, कम्बोडिया, दक्षिण अफ्रीका या फिलस्तीन हो या जहां कहीं यह जरुरी था। हमने यह नीति गत पांच दशकों से जारी रखी। दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान, यद्यपि, विदेश नीति में परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन इसको बहुत अधिक बदल दिया गया। इसके कई अन्य कारण भी हैं।

स्वाभाविक रूप से विदेश नीति को हमारी पूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा स्वतन्त्र राजनीतिक आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है। वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में तथा उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण (एल.पी.जी.) की पृष्ठभूमि में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए अनेक दबाव थे और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपनी विदेश नीति में भी हल्कापन लाना पड़ा। उदाहरणार्थ, भारत जैसा देश जो हमेशा ही राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों और विभिन्न देशों की आजादी के साथ खड़ा रहा, पंचशील, अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का समर्थक रहा हो, वह भी अफगानिस्तान पर अमेरिकी साम्राज्यवाद के नग्न आक्रमण के समय वक्तव्य नहीं दे सके।

हम किसी प्रकार से तालिबान समर्थक नहीं हैं। लोकतंत्र के हत्यारों के रूप में जाने जाने वाले तालिबानियों के पतन पर कोई आंसू नहीं। इस समय, न अमरीका और नहीं किसी अन्य देश की अफगानिस्तान की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से कोई लेना-देना नहीं है और अब बात यह है कि अफगानिस्तान का शासन किसे चलाना चाहिए। यह तय करना अफगानिस्तान की जनता का काम है कि वहां किसे शासन करना चाहिए।

इसके बाद इराक पर हमले की बात आती है। इराक भारत का मित्र था। हो सकता है कि राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन द्वारा अपनाई जा रही आंतरिक नीतियों के तरीके में हमारे उनसे मतभेद रहे हों, लेकिन सद्दाम हुसैन शासन भी भारत का मित्र था। जब कभी भारत पर संकट आया, इराक हमारे साथ खड़ा हुआ। लेकिन अमरीका, जिसने कुछ देशों को 'दुष्ट देश' घोषित करके विभिन्न अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए अपने आप को विश्व पुलिस घोषित किया था, उसने इराक पर हमला किया। उसने निर्णय किया कि वह अनेक देशों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। संभव है कि परसों यह देश अफगानिस्तान था, कल इराक था, आने वाले कल ईरान हो और परसों भारत हो सकता है।

हमारी विदेश नीति के मामले में यह आवश्यक है कि हम अपनी बात की निर्भीकता से अभिव्यक्त करने के लिए साहस के साथ खड़े हो जाएं कि हम इस प्रकार के हमलों से सहमत नहीं हैं। दुर्भाग्यवश, तत्कालीन सरकार ने इराक में सेना भेजने तक की बात पर विचार किया था। वह भारत में भाड़े के सैनिक भर्ती करने पर सहमत हो गई। यह बात केवल तब खुलकर सामने आई जब इराक में भारतीय मारे गए थे। यह कैसे संभव है कि भारतीय सरकार की जानकारी के बिना भारतीय जमीन पर भाड़े के सैनिकों की भर्ती की जा सकती है और भारतीय अमरीकी साम्राज्य की ओर से जाकर इराक में लड़ सकते हैं।

एक नेता ने तो दंभपूर्वक इतना तक कहा था कि भारत में विपक्षी दलों ने इराक में सेना भेजने के विरुद्ध फतवा दिया है, मानों यह एक पवित्र निर्णय था जो कि राजग सरकार तो लेना

चाहती थी लेकिन विपक्षी दल इसके विरुद्ध थे और भारतीय जनता इनके विरुद्ध थी। उन्होंने बड़े गर्व से उचित कार्य किया।

देश भर में प्रदर्शन किए गए थे जिनमें भाग लेने वाले लाखों और लाखों व्यक्तियों ने इराक के साथ एकजुटता दिखाई। इराक पर हमले के बाद लगभग एक लाख व्यक्ति मारे गए। उनमें से अधिकतर नागरिक थे। दुर्भाग्यवश, हमने इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया। अब, स्व-नियुक्त पुलिस अमरीका तथा अन्य विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके इसी प्रकार की विदेश नीति जारी रखना चाहता है। यह नीति स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। यह शरीफ आदमी की हत्या वाली 19वीं सदी की नीति है कि वह विश्व के भाग्य का निर्णय करेगा, वह यह निर्णय करेगा किस-किस देश का शासन किस प्रकार चलना है।

अपराह्न 4.07 बजे

[**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन हुए*]

अब, नई सरकार आई है। कांग्रेस जो कि इस देश पर कई दशकों से शासन कर रही थी और जो गुट-निरपेक्ष विदेश नीति के लिए उत्तरदायी है वह भी आजकल कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर हिचकिचा रही है। समाचार-पत्रों में इस प्रकार की काफी खबरें प्रकाशित हुई थी कि भारत इराक के चुनावों के लिए पर्यवेक्षक भेज सकता है। ये चुनाव कौन करा रहा है? क्या यह लोकतंत्र है। क्या यह इराक के चुनावों में जनता की भागीदारी है?

प्रतिदिन अनेक आत्मघाती बमवर्षकों तथा आत्मघाती दस्तों द्वारा सैंकड़ों व्यक्ति मारे जा रहे है। इन परिस्थितियों में, भारत द्वारा चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक अथवा अधिकारियों को भेजने के किसी प्रकार के कार्य को करना अमरीकी आक्रमण व तथा तथाकथित लोकतंत्र को स्वीकार करना होगा जोकि इराक की जनता पर उनकी स्वीकृति के बिना थोपा गया है। इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं माननीय विदेश मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कुछ समय पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति ने अहंकारपूर्वक फिलस्तीन की जनता से कहा था कि यासर अराफात को फिलस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख के पद से हटा दिया जाना चाहिए और इससे ही फिलस्तीन की समस्या हल होगी। अब उस महान नेता की मृत्यु हो चुकी है लेकिन गाजा और अन्य स्थानों पर अब भी इस्राइली हमले जारी है तथा फिलस्तीन का उत्पीड़न हो रहा है।

फिलस्तीन मुक्ति संगठन हमेशा भारत का मित्र था। क्या फिलस्तीन के साथ खड़े होना तथा खुले रूप से यह घोषणा करना हमारा उत्तरदायित्व नहीं है कि हम अमरीकी आक्रमण की नीति को अस्वीकार करते हैं? निसंदेह, हम संयुक्त राष्ट्र के मंच तथा कतिपय अन्य अवसरों पर हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह जरूर कहा कि हम फिलस्तीनी जनता के साथ खड़े होंगे। लेकिन हमें संयुक्त राज्य अमरीका को यह बात और अधिक स्पष्ट तथा खुले रूप से कहने की आवश्यकता है कि हम उस इस्राइल को इस प्रकार के समर्थन को स्वीकार नहीं करते है जो कभी भी भारत का मित्र नहीं रहा है और हमेशा भारतीय व्यक्तियों के हितों के विरुद्ध लड़ता रहा है।

इसके बाद, क्यूबा पर अमरीका के आर्थिक प्रतिबंध का प्रश्न आता है। हम क्यूबा की जनता का समर्थन कर रहे हैं। जहां तक क्यूबा का प्रश्न है तो इस बारे में स्थिति स्पष्ट है। लेकिन क्यूबा जैसे देश के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध, कमोबेश नाममात्र के हैं। यह आवश्यक है कि इस प्रश्न पर हम और अधिक खुलकर आएं तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के इस निर्लज्ज हमले के विरुद्ध क्यूबा की जनता की लड़ाई का पूरा समर्थन करें।

अब, जार्ज बुश के पुनः अमरीका का राष्ट्रपति चुना जाना विश्व में लोकतांत्रिक देशों के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। खैर, यह निर्णय करना अमरीका की जनता का काम है कि उनके भाग्य का फैसला कौन करेगा। लेकिन जार्ज बुश जूनियर की विदेश नीति और आक्रमणकारी स्वभाव भारत के लिए भी खतरा है हमें इन विभिन्न मुद्दों पर और अधिक सतर्क रहना चाहिए। यदि यही नीति जारी रही तो स्वभाविक है कि यह हमारे हितों के लिए खतरनाक होगी।

राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के बाद, यह घोषणा की गई की सीआईए के कार्मिकों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। अगले कुछ महीनों में सीआईए की भर्ती दोगुना की जाएगी। सीआईए वह संगठन है जो मुख्यतः तीसरी दुनिया के देशों के व्यक्तियों के हितों पर आघात करने का कार्य कर रहा है। हमें सभी ऐहतियात बरतनी होंगी क्योंकि पिछले कुछ दशकों में अमरीका परीक्षा की घड़ी में कभी भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। यह हमेशा हमारे हितों के विरुद्ध रहा है। वह भारत पर सैनिक संधियों के घेरे डालने का प्रयास करता रहा, चाहे वह हिंद महासागर हो या पाकिस्तान या कोई अन्य देश ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): श्री रेड्डी, क्या हम भारतीय विदेश नीति या अमरीकी विदेश नीति की बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सुरवरम रेड्डी: मैं समझता हूं कि जब हम अमरीका की आलोचना करते हैं तो आपको बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे खेद है

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

...*(व्यवधान)*। हम आपकी तकलीफ समझते हैं। लेकिन, मेरे विचार से, भारतीय विदेश नीति में अमरीका के साथ संबंध का प्रश्न, सबसे अधिक खतरनाक आक्रमणकारी देश जिसने पूरे विश्व को अनुशासित करने के लिए अपने आप को विश्व पुलिस के रूप में जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया है, से रक्षा का प्रश्न भी शामिल है। मुझे आशा है कि आपको इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं होगी।

इसके बाद अमरीका के साथ संबंध का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। हाल ही में, अमरीका के सहायक विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की थी।

प्रेस में ऐसी खबरें थीं कि सामरिक साझेदारी की दिशा में अगले कदम के बारे में चर्चा की गई थी। संभवत: यह सामरिक साझेदारी स्वभावत: अमरीकी प्रक्षेपास्त्र रक्षा सहयोग के बारे में है। अमरीकी प्रक्षेपास्त्र रक्षा सहयोग अति विवादास्पद मुद्दा है। इससे विश्व में हथियार खरीद-फरोख्त की दौड़ पुन: आरंभ होने का खतरा है। इस सहयोग का इरादा अमरीकी वैश्विक आधिपत्य स्थापित करना है। मैं माननीय विदेश मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार की ओर से कोई ऐसा वादा किया गया है कि हम इस प्रकार की रक्षा प्रणाली अपनाएंगे या नहीं। माननीय विदेश मंत्री को यह बात स्पष्ट करनी होगी।

भारत की सुरक्षा परिषद की सदस्यता के बारे में काफी चर्चा चल रही है। निश्चय ही हम सुरक्षा परिषद की सदस्यता के पात्र हैं और वह भी वीटो अधिकार के साथ। राष्ट्रपति पुतीन की यह घोषणा निश्चित रूप से एक बड़ा प्रोत्साहन है कि रूस भारत के साथ खड़ा होगा तथा उसका समर्थन करेगा। लेकिन यहां, मैं इस बात पर बल देता हूं कि हमें अन्य विभिन्न देशों के समर्थन की आवश्यकता है। हम अन्य विभिन्न देशों का समर्थन साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने झुककर नहीं बल्कि साहसपूर्वक पंचशील नीति पर चलकर प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक नेता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों से कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि भारत को सुपर पावर बनना चाहिए। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों में सक्रिय नेतृत्व प्रदान करके, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सक्रिय योगदान देकर सर्वसम्मत अग्रणी बनना चाहिए न कि इस प्रकार की सदस्यता पाकर ऐसी सुपर पावर बनना।

मैं भारत-पाक सम्बन्धों पर चुप्पी तोड़ने के लिए माननीय प्रधान मंत्री महोदय और माननीय विदेश मंत्री का धन्यवाद करता हूं। अमेरिका में माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ वार्ता निश्चित ही एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कुछ भी निराशा नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के रवैये के बावजूद पांच दशक लम्बे वैमनस्य को समाप्त करना चाहिए।

कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग किया जा सकता है। भारत-चीन के बीच सम्बन्ध बेहतर होने चाहिएं। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि संसार में हमारे दोस्त कौन हैं, हमारे शत्रु कौन हैं, विभिन्न मुद्दों पर पिछले छह दशकों में किसने हमारा साथ दिया। दुर्भाग्यवश भारत और चीन के बीच 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के बाद सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से सम्बन्धों में सुधार हुआ है और इनमें और सुधार होना चाहिए। सभी मित्र देशों के साथ इस तरह के सम्बन्धों में भारत को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस विदेश नीति ढांचे में स्वतंत्र शैक्षणिक नीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पिछले कुछ वर्षों से वैश्वीकरण की नीति विदेश नीति को भी प्रभावित कर रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार 1991 से 2000 तक दस वर्षों में विश्व की धन सम्पदा में लगभग ढाई गुना अथवा 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

किन्तु इसकी अपनी ही रिपोर्ट के अनुसार, 85 प्रतिशत धन सम्पदा ऊपरी 20 प्रतिशत जनसंख्या के हाथों में है, और निम्नतम 20 प्रतिशत जनसंख्या सम्पूर्ण संसार में सृजित प्रत्येक 100 रुपये का केवल 1.40 रुपये प्राप्त कर रही है। इसका वितरण समान रूप से नहीं होता है। धन सम्पदा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय देश, जी-8 देश आदि में सिमटी हुई है। एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका वैश्वीकरण के दौर में निर्धन और निर्धन होते जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर, आगामी दशकों में आर्थिक क्षेत्र में भी बड़े युद्ध होंगे। हमें तृतीय विश्व के देशों के हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठनों आदि से संघर्ष करने के लिए एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के देशों के सहयोग की आवश्यकता है।

पांच दशक पूर्व तैयार की गई पंचशील नीति अब भी वैध है। मैं विदेश नीति के प्रवर्तकों और माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि भारत की विदेश नीति को साहसपूर्वक प्रस्तुत करें। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने से भारत की छवि खराब होगी और हम और अधिक अलग-थलग हो जायेंगे। हमें एक सुदृढ़ और गतिशील विदेश नीति की आवश्यकता है। हमारी विदेश नीति पंचशील नीति और नेहरू युग की विदेश नीति पर आधारित होनी चाहिए।

मैं यह महसूस करता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, जिसने न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणा की है, अपनी एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति को रोकने की घोषणा का पालन करेगी और बहुध्रुवीय विश्व के लिए योगदान देगी। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी विदेश नीति में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, हम अपने देश की वैदेशिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी

वैदेशिक नीति की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, आधारभूत संचरचनाएं हैं। भारत एक सम्प्रभुता सम्पन्न देश है। हम वैश्विक सौहार्द चाहते हैं। हम गुट निरपेक्ष हैं। विश्व के देशों की भारत से यह अपेक्षा है कि भारत वेश्विक शांति प्रक्रिया में अगुवाई करे, वह आगे आए और हमारा मार्गदर्शन करे। इस दृष्टि से भारत कितना खरा उतरा है, उसकी नीतियों के आधार स्तम्भों पर वह कितना आगे बढ़ रहा हैं, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

पिछली सरकार की विदेश नीति और आज की सरकार की विदेश नीति दोनों को हम देखें, यद्यपि इस संप्रग सरकार ने भी उसी नीति का अनुसरण करने की बात कही है, जिस पर पिछली सरकार चल रही थी। मैं इस बात का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। विदेश नीति के मामले में कहीं हम इधर-उधर नहीं होते हैं। लेकिन विदेश नीति में जो उतार-चढ़ाव आते हैं, उनके बारे में बिल्कुल निष्पक्षता और गम्भीरता से हमें चिंतन करना चाहिए और विचार करना चाहिए।

हम इस बात की चिंता न करें कि दूसरे देश हमारे बारे में या हमारी विदेश नीति के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन भारत की सम्प्रभुता को खतरा तो नहीं है। भारत वैश्विक शांति के लिए जो कार्य कर रहा है, उसके मार्ग में कोई रूकावट तो नहीं हैं। इस बारे में हम विचार करेंगे तो हमें कुछ चिंतन इस पर करना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैदेशिक नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हम आसियान के बारे में, सार्क के बारे में चर्चा करें या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करें या चीन के संदर्भ में चर्चा करें या फिर पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करें। इस समय सदन में हो रही वैदेशिक नीति पर चर्चा के समय हमें कुछ सीमित क्षेत्रों तक रहना पड़ेगा। उसी ओर मैं अपनी चर्चा को ले जाना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं अमरीका, यूरोपीय संघ या आसियान के बारे में चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हुआ हूं क्योंकि इन पर चर्चा करने के लिए बड़े लम्बे समय की आवश्यकता होगी। हमारा संबंध पड़ोसी देशों के साथ जैसा होना चाहिए, उसी तक सीमिति रहते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। पड़ोसी देशों के साथ हमारे सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनने चाहिए और हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन आज उन संबंधों में जो तनाव दिखाई देता है, थोड़ा सा अंतराल दिखाई देता है, उसके बारे में निश्चत रूप से सरकार को सावधान करना चाहूंगा। माननीय वाजपेयी जी की सरकार ने 6 जनवरी को मुशर्रफ साहब से भारत पाक संबंधों पर चर्चा की थी, उससे एक शांति प्रक्रिया बहाल हुई थी और हम शांति बहाल करने की ओर आगे बढ़े थे। आज अंतर यह पड़ गया है कि एक दिन पाकिस्तान के प्रधान मंत्री एक बात कहते हैं और दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं और हम भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर वही बात कहने लगते हैं। इस बात को जनता गंभीरता से देखती है, विश्व भी गंभीरता से देखता है। हमें अपनी बात पर सुदृढ़ रहना चाहिए। आज हमें अपनी बात पर सुदृढता से जमें रहने की आवश्यकता है। हमने यह साफ शब्दों में कहा है कि भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आज जो स्वर सुनाई दे रहे हैं कि अगर अमरीका या ब्रिटेन कोई दबाव लाता है तो मध्यस्थता भी स्वीकार की जा सकती है। समाचार पत्रों में ऐसी खबरें हैं। हमें ऐसी बातों से सावधान रहना चाहिए और सदन में भी यह बात कई बार कही गयी है कि हम पाकिस्तान के साथ शांति बहाल की प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं लेकिन किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं होगी।

अभी कुछ दिन पहले हुर्रियत नेता यहां आये थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से चर्चा की लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी से चर्चा करने की इच्छा पता नहीं क्यों जाहिर नहीं की। एक तरफ वे हमारे साथ शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ चर्चा भी करना नहीं चाहते और कहते हैं कि तीसरे पक्ष को सम्मिलित करना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और हम अपनी उस बात से पीछे नहीं हटें, जो हमने यहां भी कई बार कही है कि हमें किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। चाहे अमरीका कहे या ब्रिटेन कहे, हमारी नीति स्पष्ट है कि हम द्विपक्षीय आधार पर ही किसी समझौते या शांति-प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगे। जब शांति प्रक्रिया की बातें की जाती हैं तो अमरीका का पाकिस्तान के बारे में रूख क्या है? अमरीका कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की लड़ाई में मदद कर रहा है और दूसरी तरफ अमरीका पाकिस्तान को एफ-16 विमान देने की बात करता है या ऐसा हथियार देता है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं या हमारी रक्षा-पंक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब हमें निश्चित तौर पर विचार करना पड़ेगा कि अमरीका के साथ हमारे संबंध कैसे हों? मैं माननीय विदेश मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में हमें गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

आज आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं और सीमा पर भी घुसपैठ बढ़ रही है। हमारे प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी जब जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे तो उसी दिन आतंकवाद की घटना वहां हुई। क्या इसे ही आतंकवाद की घटनाओं में कमी होना कहा जा सकता है। जिस दिन माननीय प्रधान मंत्री जी वहां हो और उसी दिन आतंकवाद की घटनाएं घटें और माननीय मुशर्रफ साहब यह कहें कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए हम तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और अमरीका उनकी पीठ थपथपाए, तो यह गंभीरता के साथ विचार करने की बात है। आज घाटी की स्थिति और खराब हुई है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हुर्रियत नेता जब यहां आये तो उन नेताओं की यहां क्या बातचीत हुई, यह भी हमारी जानकारी में नहीं है। हमारी भूमि पर आकर जो लोग भारत को विघटित करना चाहते हैं, उनसे मिलें यह चिंता की बात है। यहां आने से पहले हमें हुर्रियत नेताओं को चेतावनी देनी चाहिए थी कि जो हमारे देश के हितों के विरुद्ध हों, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हमारे

[डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय]

लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा तो यह होता कि वे यहां आते ही नहीं। माननीय वाजपेयी जी की सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। परमाणु परीक्षण करके सिद्ध कर दिया कि भारत भी एक ताकतवर देश है, परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है। विभिन्न देशों ने जिन में बड़े-बड़े देश थे, शक्तिशाली देश थे, सम्पन्न देश थे, हमारे ऊपर आर्थिक सैंक्शन्स लगा दिए थे। अमेरिका और कुछ दूसरे देशों ने लगा दिए थे। लेकिन हमने इन सब से निपट करके सिद्ध कर दिया था कि भारत इतना सक्षम है और उसमें इतनी क्षमता है, भारत की जनता में इतनी क्षमता है कि वह किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, हमने उस स्थिति का मुकाबला किया और आगे बढ़े। आज जो स्थितियां बनी हैं, जिस प्रकार से हमें घेरा जा रहा है, यदि अलकायदा से निपटना है तो अमेरिका को चिन्ता लग जाती हैं, अफगानिस्तान में कोई बात है तो अमेरिका को चिन्ता लग जाती है इराक पर आक्रमण करना है तो अमेरिका को चिन्ता लग जाती है क्योंकि अब आतंकवाद उसे प्रभावित करता है तो वह सीख देता है। भारत उससे कहता है कि हम आतंकवाद से प्रभावित हैं, इसे रोकने के लिए हम भी कदम बढ़ा रहे हैं। उन कदमों में चाहे आप सहायता न करें, उन कदमों को रोकने का प्रयत्न न करें लेकिन दूसरे देशों को सहायता देकर, हमारे उन पड़ोसियों को सहायता देकर जो अभी भी आतंकवाद के प्रशिक्षण केन्द्र चला रहे हैं रोकने में हमारी मदद करें। आज भी पाकिस्तान में आतंकवाद के प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। हम रेल मार्ग खोलना चाहते हैं पाकिस्तान तैयार नहीं है। हमारी इस संबंध में कैसी नीति होनी चाहिए, इस बारे में निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। हमने सीमा से फौजें कम करके बता दिया है कि हम शान्ति चाहते हैं।

महोदय, हमारा जो दूसरा पड़ोसी देश है, वह बंगला देश है। उसके बारे में हमारी चिन्ता स्वाभाविक है और इसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में अखबारों में सुर्खियों से यह प्रकाशित हो रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी वहां खेलने के लिए नहीं जा सकेंगे क्योकि उनके ऊपर आक्रमण होने की संभावना है। अभी हमारा दल इसे देखने के लिए वहां गया है कि हमारी सुरक्षा की स्थिति कैसी है? भारत में बंगला देश से घुसपैठ करके जो लोग आ रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत की स्थिति उन्होंने जिस प्रकार से खराब की है, जिस प्रकार कमजोरी खड़ी की है, वहां आतंकवाद से प्रभावित जो लोग हैं, उसके बारे में आज के राष्ट्रीय सहारा के अन्दर सम्पादकीय आया है। मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। ''बंगला देश सरकार की पूर्ण सुरक्षा का भरोसा भारत को दिया है लेकिन वहां कानून व्यवस्था के जो हालात है, उसे देखकर वहां की सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बंगला देश में भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का एक प्रत्यक्ष नमूना है जिसे बंगला देश अभी तक नकारता आया है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की तरह बंगला देश में भी अघोषित सरकारी नीति के तहत क्रमिक रूप से भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है। बंगला देश के एक महत्वपूर्ण मंत्री पर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े होने का आरोप लग चुका है। खास करके खालिदा की सरकार का रवैया भारत के खिलाफ काफी मुखर है। लाख प्रयासों के बावजूद केन्द्र सरकार इस मामले में बंगला देश को समझाने में नाकाम रही है। आम तौर पर पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करने वाले वामदलों ने भी मुखर तरीके से बांग्लादेश में सक्रिया भारत विरोधी आतंकवादी गुटों की मौजूदगी की बात उठायी है और बंगला देश ने इससे इंकार किया है। कहने का मतलब यह है कि अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के मामले में हम बंगला देश सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, न तो कानून व्यवस्था के मामले में और न ही उसके राजनीतिज्ञों के वादों पर।'' जागृति मुस्लिम जनता बांग्ला देश या बांग्ला भाई संगठन क्या भारत के खिलाफ कार्य नहीं कर रहा हैं?

उन्होंने जिस प्रकार हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया था, फौज पर जिस प्रकार आक्रमण किया था, लाखों की संख्या में जिस प्रकार घुसपैठ करके देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहे हैं उसके बारे में सबक लेने की और चिन्ता करने की आवश्यकता है। अति आधुनिक हथियारों का जखीरा बंगला देश में पकड़ा जाए, एक नहीं दो-दो जहाज वहां पर आएं और वह जहाज भी बंगला देश के एक मंत्री के जहाज हों और पकड़े जाएं और उनमें शस्त्र पकड़े जाएं, फिर वह हमें कैसे भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं। मै चाहूंगा कि आप इसके बारे में निश्चित रूप में चिन्ता करें। पिछली बार जलवाहक पोत जब जब्त हुए थे तो उसमें बंगला देश के संसदीय कार्य मंत्री का भी नाम था। क्या हम उस बांग्लादेश पर भरोसा करें? हमारी जो पॉलिसी है मित्रता की हम उस पर कायम हैं लेकिन चाहे वह बंगला देश या पाकिस्तान के बारे में हो, उनके बारे में हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है। हमने बांग्ला देश को वहां चल रहे आतंकवादी शिविरों की सूची भी दी किन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया।

नेपाल के साथ हमारे बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हम उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध निभाते आ रहे हैं। वहां जब-जब कठिनाइयां खड़ी हुई हैं, हमने उन्हें हल करने में उनकी मदद की है। माओवादियों से नेपाल परेशान है। हमने इस कठिनाई में नेपाल की मदद के लिए भरपूर सहायता देने का वचन दिया है और हमने सहायता दी भी है। लेकिन क्या माओवादी हमारे देश में दिखाई नहीं दे रहे हैं? उनसे निपटने में नेपाल असमर्थ रहा है। उन्हें रोकने में हमारे

क्या कोशिश होगी? क्या हम नेपाल को बाध्य करें? हमारे देश की सीमा से लगे जो गांव हैं, वहां आकर माओवादी आक्रमण करते हैं। यह विसंगति है। वह एक प्रकार से पैरेलल सरकार चला रहे हैं। इसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। मैंने आपसे निवेदन किया कि पूरी समग्र वैदेशिक नीति और समग्र उन संगठनों के बारे में चाहे वैश्विक संगठन हों- चाहे सार्क हो, एशियान हो, जी-8 हो-मैं इनके बारे में चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आज वास्तव में हमें चिन्ता पड़ोसी देशों की है।

उन पड़ोसी देशों के बारे में चिन्ता ले लेगे तो निश्चित रूप से इस पर वैदेशिक नीति की सफलता निर्भर करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि आज सरकार असमंजस की स्थिति में है, वह किंकर्तव्यविमूढ़ है कि क्या करे और क्या न करे। हमें अमरीका से संबंध रखने चाहिये तो किस तरह से रखें और दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे रखें? ईराक में सेना भेजनी चाहिये या नहीं, इस पर भी सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ होकर सोच रही है। सरकार किसी निर्णय पर न जाकर असंमजस की स्थिति में बैठी हुई है।

सभापति महोदय, आपने घंटी बजाई है। इसलिए मैं अधिक समय न लेकर अपनी बात जल्दी ही समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि अभी मेरे दो साथियों को भी बोलना है। इसलिए अपने पड़ोसी देशों के बारे में निश्चित रूप से हमारी चिन्ता आवश्यक है। अभी चीन ने पाकिस्तान को मानव-रहित टोही विमान दिये है जिसने भारत के चित्र लेने प्रारम्भ कर दिये हैं- क्या यह हमारे लिये चिन्ता का विषय नहीं है? हम चीन के साथ सीमा-विवाद समाप्त कर दोस्ती करना चाहते हैं लकिन शायद चीन दुश्मनी के रास्ते अपनाकर पाकिस्तान को जहाज दे रहा है। इससे हमारी सीमा पर खतरा बना हुआ है। क्या इससे सीमा विवाद सुलझ गया-नहीं सुलझा है।

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में बताना चाहूगा कि हमारी वैदेशिक नीति में दृढ़ता हो और उसका दृढ़ता से ही पालन हो। केवल कहने भर से दृढ़ता नहीं आ जाती। मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं और कुछ व्यवस्था हो सकती है परन्तु राष्ट्र की सुरक्षा उसकी सार्वभौमिकता सर्वोपरि है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। हमारी वैदेशिक नीति ढुलमुल तरीके से नहीं चल सकती। हमारी दृढ़ वैदेशिक नीति से पाकिस्तान भी समझेगा कि. हमारे साथ ठीक उसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिये, जो व्यवहार अपेक्षित है। हमारे कहने और करने में अंतर नहीं हो। इस विदेश नीति से पाकिस्तान चेते बंगलादेश सरकार भी चेते, चीन भी सावधान रहे कि यदि भारत के साथ गलत व्यवहार किया, तो भारत उसका उत्तर देने में सक्षम है। यदि यह दृढ़ता अपनाई गई तो निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति सफल होगी अन्यथा इस सरकार की मजबूरियों के चलते मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि यह सफल होगी।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरु): सभापति महोदय, विदेश नीति पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लोक सभा में अपने चार कार्यकालों के दौरान मैंने कभी भी विदेश नीति पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं। खैर, मुझे आज यह अवसर मिला, मैं इसके लिए प्रसन्न हूं।

श्री सुधाकर रेड्डी ने विदेश नीति पर अपने विचार व्यक्त किये। उनका दल आरम्भ से ही विदेश नीति, साम्राज्यवाद विरोध, पूंजीवाद विरोध के बारे में बहुत स्पष्ट रहा है। जब वे विदेश नीति पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो मेरे मित्र श्री स्वाई ने उनसे पूछा: क्या आप भारतीय विदेश नीति अथवा अमेरिका की विदेश नीति पर विचार व्यक्त कर रहे हैं? मैंने भी हमारे प्रबुद्ध सदस्य डा. पाण्डेय के सम्भाषण को ध्यानपूर्वक सुना।

मैं नहीं जानता कि क्या श्री स्वाई ने डा. पाण्डेय के सम्भाषण को ध्यान से सुना है। किन्तु उन्होंने तभी ध्यान दिया जब कम्युनिस्ट दल के सदस्य श्री सुधाकर रेड्डी अपना सम्भाषण दे रहे थे। यद्यपि डा. पाण्डेय ने भी, अमेरिका का उल्लेख किये बिना, एक भी वाक्य नहीं बोला। मुझे इसमें उनकी कोई गलती प्रतीत नहीं होती। दुर्भाग्यवश, विशेषत: अब विश्व का सबसे अधिक विकसित देश अमेरिका है जो यह सोचता है कि प्रत्येक राष्ट्र को उसके सामने समर्पण करना चाहिए और वहीं करें जो वह कहे। यह एक गलत प्रवृत्ति है। डा. पाण्डेय ने जो भी कहा मैं उससे सहमत हूं। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखती। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कांग्रेस सरकार, एन.डी.ए. सरकार अथवा भाजपा सरकार हो राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है और विदेश नीति कुछेक परिवर्तनों को छोड़कर एक समान है। मुझे इस पर गर्व है। यह नीति क्या है? गुट-निरपेक्षता की नीति हमारे महान दृष्टा पण्डित जवाहर लाल नेहरु ने स्वतंत्रता के आरम्भिक दिनों में तैयार की जब विश्व में युद्ध की ओर प्रवृत्त दो शक्तियां थी। उन्होंने गुट निरपेक्षता के बारे में निर्णय लेने का साहस किया।

हम किसी भी महाशक्ति का उपग्रह नहीं बनेंगे। हमारी अपनी स्वतंत्रता है। हमारी मुक्त रहने की इच्छा है। चाहे हम विकासशील देश हों, चाहे हमारे पास पर्याप्त धन हो अथवा जितना उनके पास है उतना न हो किन्तु फिर भी सम्प्रभुता के मामले में, आत्म-सम्मान के मामले में, राष्ट्र-हित के मामले में हम समझौता नहीं करते हैं। हम किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। वास्तव में, हम राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन सरकार की तुष्टिकरण की नीति को भी अपनाते हैं, तो भी कुछ सीमा तक यह प्रश्न

[श्री के.एस. राव]

उठता है कि हमने ब्रिटिश लोगों के साथ युद्ध क्यों किया? क्या देशवासियों के पास भोजन और आवास की कमी थी? उन्हें उन दिनों में भी इन चीजों की कमी नहीं थी। उनमें अपनी स्वतंत्रता के प्रति और अपने राष्ट्र पर स्वयं शासन करने की दृढ़ इच्छा थी। वह हर इच्छा आज भी मौजूद है। मैं एक चीज के बारे में व्यथित हूं। जब भी मैं विदेश नीति के बारे में सोचता हूं विशेषत: अमेरिका द्वारा अपनाये गए तौर तरीकों के बारे में तो मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं। जब मैंने अमेरिका का दौरा किया तो मैं छह-सात अथवा दस वर्ष के एक बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। यदि वहां कोई बच्चा यह महसूस करता है कि वह उसके माता-पिता द्वारा त्रस्त किया जा रहा है, जिन पर बच्चे का लालन-पालन से लेकर प्यार, स्नेह, धन और प्रत्येक चीज देने का पूर्ण दायित्व है, तो अमेरिकी कानून उसे पुलिस स्टेशन जाने की अनुमति देता है और अपने माता-पिता के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अमेरिकी सरकार स्वतन्त्रता देने के मामले में बहुत प्रतिबद्ध है। किन्तु क्या अमेरिकी सरकार केवल अपने नागरिकों की स्वतन्त्रता का ध्यान रखती है न कि सम्पूर्ण विश्व के नागरिकों का? क्या हमें ऐसा विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिएं? क्या हम दूसरी जाति से सम्बन्ध रखते हैं? क्या हमारा खून अलग है? क्यों समान विचारधारा और समान प्रतिबद्धता दूसरे राष्ट्रों पर लागू नहीं होती? यदि यह प्रत्येक राष्ट्र में मौजूद है तो इस पर विवाद क्यों है।

मैंने अपने मित्र को ध्यान से सुना। यह सही है कि यदि हमारे सम्बन्ध पड़ोसियों के साथ सर्वोत्तम हैं तो हमें कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। कोई भी भारतीय किसी भी पाकिस्तानी के विरुद्ध नहीं है। हम एक लोकतन्त्र देश में रह रहे हैं। हमारी पहले के राजाओं की तरह कोई अभिलाषा नहीं है जो अपने राज्य के क्षेत्र में विस्तार के लिए दूसरे राज्यों को हड़पने की इच्छा रखते थे। आज हमारे पास भारत में जो कुछ भी है हम उससे संतुष्ट है। हम अपने साधनों में ही सीमित रहना चाहते हैं। उन्हें भी यह पता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद क्यों है? ऐसा विश्व के कुछ निहित स्वार्थों की वजह से उत्पन्न हुई गलतफहमी की वजह से है। उनमें से एक अमेरिका भी है। इसने पाकिस्तान को हर कदम पर हथियार उपलब्ध करवाये हैं। उसने यह धारणा उत्पन्न की है हमें भी मजबूत बनना चाहिए। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच मतभेद हैं और अविश्वास बना हुआ है। केवल इसी कारण हम अपने अधिकतर संसाधनों को रक्षा पर बर्बाद कर रहे है। अगर हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो इस देश की सुरक्षा पर हमें एक रुपया खर्च करने की भी क्या आवश्यकता है? इसका सीधा सा कारण है कि यह तनाव विकसित राष्टों द्वारा पैदा किया जा रहा है जो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाना चाहते है, उस पर शासन करना चाहते हैं। हम आज पीड़ा झेल रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद हमारे नेताओं के पास यह कहने का साहस है कि: "नहीं। हम नहीं झुकेंगे। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। हमें स्वतंत्रता से प्यार है। हम किसी की परवाह किए बिना अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हम आपसे डरते नहीं हैं। " मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि विश्व में हाल में हुई कुछ घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि हथियारों और धन की ताकत से आप अपनी बात नहीं मनवा सकते अथवा पूरे विश्व पर राज नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति भी प्रतिबद्ध और समर्पित है तो वह शक्तिशाली राष्ट्रों को सबक सिखा सकता है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन की परवाह नहीं करेगा, अगर सौ लोग अपने जीवन की परवाह नहीं करेंगे तो वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर हथियारों से ही विश्व के फैसले हो रहे होते तो बात ही अलग होती। एक समय था, जब जागरुकता नहीं थी, एक समय था जब वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ, एक समय था जब लोग अपने बाहुबल अथवा अपने हाथों में लिए हथियारों पर पूरी तरह निर्भर रहा करते थे। वह एक अलग बात थी।

उनके पास घोड़े थे, उनके पास हाथी थे तथा ऐसे लोग थे जो लड़ सकते थे। वह सब अलग था। परन्तु, आज प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है। वे केवल उस तरीके से निर्णय नहीं कर सकते। महोदय, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि हममें से प्रत्येक, चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो, सबके मस्तिष्क में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। साधनों के विषय पर हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, हम लड़ते हैं-मेरा मतलब है कि राष्ट्र को कैसे समृद्ध बनाया जाए, कौन-सी नीतियां अपनाई जाएं और दूसरी ऐसी सभी बातों पर परन्तु बात जब लड़ाई की आती है, जब कोई हमारी स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, हमारी संप्रभुता का अतिक्रमण करता है, तो हम सब एक हैं। हमने कई बार ये सिद्ध किया है, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार रही हो। उन सभी देशों को, जो कि वह सोचते हैं कि वे प्रत्येक देश से अपनी बात मनवा सकते हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, मैं इस संदर्भ में केवल कुछ बिंदू उठाना चाहता हूं, जोकि हमारे माननीय विदेश मंत्री महोदय के लिए लंबे समय से मेरे मस्तिष्क में हैं। मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि अगर एक राष्ट्र मजबूत है तो उससे ज्यादा मजबूत अन्य देश, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जब वे समझते हैं कि ये राष्ट्र कमजोर हैं तो वे मनमानी करने की सोचते हैं। चीन का उदाहरण लीजिए। वह बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है। वे वृद्धि की परवाह नहीं करते, वे ये परवाह नहीं करते कि यहां वहां क्या हो रहा है। परन्तु, वे प्रतिबद्ध हैं। वे आज विकसित है। पूरी तरह अलग नीतियां-एक ओर अमरीका और दूसरी ओर चीन। इसके बावजूद क्या एक बार भी

ऐसा हुआ कि अमरीका ने चीन की संप्रभुता का अतिक्रमण करने का प्रयास किया हो? क्यों? इसका कारण है कि वे शक्तिशाली हैं, उन्हें डर है कि यदि वे उनके विरुद्ध कुछ करेंगे तो उसका बदला लिया जाएगा तथा जिससे कई समस्याएं पैदा होंगी। अत: मूल बात यह है कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना है। अगर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो हमें इसकी परवाह करने की जरुरत नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं तथा दूसरे हमसे क्या करवाना चाहते हैं। इसलिए हमारा ध्यान अपने देश को मजबूत बनाने, अपने देश को समृद्ध बनाने, देशवासियों को मजबूत तथा और सक्षम बनाने पर ज्यादा होना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजदूतों की भूमिका बदल गई है। हमारे राजदूत पहले देशों के साथ राजनीतिक संबंधों के बारे में सीमित तरीके से सोचा करते थे। परन्तु आज व्यापार और अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिएं। मंत्री महोदय को भी उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। आज लाखों लोग खाड़ी देशों में रह रहे हैं। जब उन्हें कोई समस्या होती है तो वे वहां के राजदूतों की ओर देखते हैं। यदि राजदूत यह समझता है कि वह महामहिम है, उसे वहां आम लोगों से मिलना नहीं चाहिए-वहां के आम लोगों का क्या होगा-किससे संपर्क करना चाहिए? इसलिए राजदूत को यह समझना चाहिए। उसे वहां उन नागरिकों का अभिभावक होना चाहिए। उसे उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। फिलीपींस जैसे कुछ देशों के नागरिकों को अगर किसी दूसरे देश में कोई समस्या होती है तो उनका देश इस बारे में पूरा ध्यान देता है। हमारे देश, हमारे राजदूतों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। मैं यह संदेश देना चाहता हूं।

इसी प्रकार से, राजदूतों को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिससे कि हमारे नागरिक वहां की स्थिति का लाभ उठा सकें-दूसरे देश के लिए रूकावट न बनें। मुझे विश्वास है कि कई देशों में अवसर उपलब्ध हैं जहां हमारे तकनीशियन तथा प्रौद्योगिकीविद्, उद्यमी तथा कुशल लोग भी छा सकते है। राजदूतों को इसका नियमित अध्ययन करना होगा और मंत्रालय को रिपोर्ट भेजनी होगी तथा उन्हें सलाह देनी होगी ताकि वे लोगों को तदनुसार प्रोत्साहित कर सकें और यह सुनिश्चित करें कि मानव संसाधन के रुप में उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल हो सके, जोकि देश के लिए अच्छा है।

मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। हालांकि, मेरा भी यही विचार है जैसा कि डा. पांड्या ने कहा था कि हमें अपने पड़ोसियों को हर तरीके से यह समझना चाहिए कि उन्हें अविश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कहना चाहिए कि हम उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करने के इच्छुक नहीं है और न ही उन्हें हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण का इच्छुक होना चाहिए। वे अपने कारणों से हमारी तरह की नीति नहीं अपना रहे परन्तु हमें उनको समझाना चाहिए ताकि कम से कम भविष्य में ऐसी बातों से बचा जा सके और ऐसी बातों के बजाय विकास के लिए हमारे संसाधनों का प्रयोग हो सके।

श्री रूपचंद पाल: सभापति महोदय, पिछली भाजपा सरकार ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): एन डी ए सरकार

श्री रूपचंद पाल: ठीक है, मैं सही करता हूं। भाजपा के नेतृत्व वाली पिछली एन डी ए सरकार।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: आप इस सरकार की किस प्रकार से व्याख्या करेंगे।

श्री रूपचंद पाल: मैं इसकी व्याख्या करूंगा, परन्तु आपकी भाषा में नहीं।

भाजपा के नेतृत्व वाली पिछली एन डी ए सरकार ने हमारे धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर हमला करने के अतिरिक्त और भी कई बड़ी गलतियां की। एक गलती यह थी कि वह एकाधिकारवाद के प्रति समर्पित रही और उसके अमरीका की नीति के आगे आत्मसमर्पण कर दिया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): श्री रुपचंद पाल जी, आप उधर देखकर बोलिए।

श्री रूपचंद पाल: इधर से उधर चला जाएगा।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहा हूं। एन डी ए सरकार ने विदेश नीति की राष्ट्रीय सर्वसम्मति जिसके कि प्रमुख घटक साम्राज्यवाद-विरोधी हैं, जोकि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है, की घोर अवहेलना करते हुए भारत-अमरीका सामरिक गठबंधन बनाना। वह क्या था? वह एकाधिकार के सामने आत्मसमर्पण था।

हम याद कर सकते हैं कि क्या हुआ। जब हम इराक पर हमले की निन्दा करने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहते थे तो भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार ने 'कंडेमनेशन' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। हिन्दी में निन्दा मान लिया, फिर भी

[श्री रूपचंद पाल]

अंग्रेजी में कंडेमनेशन नहीं चलेगा। पिछली एन डी ए सरकार इस देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने रक्षा मिसाइल मुद्दे पर समझौता किया। किसी देश ने ऐसा नहीं किया था। जब अमरीका हम पर दबाव डाल रहा था तो उस सरकार ने ऐसा किया।

भारत-अमरीका सामरिक गठबंधन क्या है? क्या उन्होंने हमें कुछ दिया है। मैं सिर्फ तुलना कर रहा हूं। एक भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक हुई और एक भारत-अमरीका सामरिक गठबंधन हुआ। अमरीका ने हमें प्रौद्योगिकी देने से मना किया है और इस प्रौद्योगिकी का दोहरा उपयोग करने से भी मना किया है। उन्होंने यह कहते हुए प्रतिबंध लगाए है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ईरान को यूरेनियम या कुछ गुप्त नाभिकीय जानकारियां दी है। हमारे वैज्ञानिक कभी भी ईरान नहीं गए है। केवल एक वैज्ञानिक ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एसोशिएसन के सदस्य के रुप में ईरान की यात्रा की थी। लेकिन यह अब भी जारी है। यदि ऐसी नीतियों के बारे में कुछ कहा जाता है तो अमरीका द्वारा उस पर प्रतिक्रिया की जाती है। वे किसी भी स्वतंत्र विदेश नीति की परवाह नहीं करते है।

हम नई सरकार की उस पहल का स्वागत करते है जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा अपनाई गई पूर्व विदेश नीति को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। अब सरकार द्वारा ऐसा कहा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार अपनी प्राचीन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगी। पिछली सरकार ने हमारी परम्पराओं को भुला दिया था उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उपेक्षा की थी उन्होंने हमारे राष्ट्रीय सर्वसम्मति की परम्पराओं को भी भुला दिया था और उन्होंने विश्व के अनेक विकासशील देशों में भारत द्वारा अर्जित सम्मान को भी भुला दिया।

अब हम नई सरकार का स्वागत करते है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी प्राचीन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगी।

इस नीति में बहुध्रुवीयता को बढ़ावा मिलेगा न कि आक्रामक एकात्मवाद को और एकात्मवाद की सभी कोशिशों का विरोध किया जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री न्यूयार्क गए थे तो उन्होंने वहां पर कहा था कि बहुध्रुवीयता उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वह बहुध्रुवीयता और उसे मूर्त रुप देने के प्रति भारत की वचनबद्धता और संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान समय के अनुकूल बनाने के लिए उसे नया रुप देने पर जोर देंगे।

मैं माननीय मंत्री को भारत और पाकिस्तान के लोगों के परस्पर संपर्क बढ़ाने के मोर्चे पर संबंधों को सामान्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों के लिए और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति मुशर्रफ से वार्ता हेतु की गई पहल के लिए भी बधाई देता हूं। ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद और तत्पश्चात् ही इस पर विचार-विमर्श हुआ था। वास्तव में आपको पाकिस्तान सरकार को यह चेतावनी देनी चाहिए कि वह संकीर्ण मुद्दे उठाकर लोगों की भावनाओं को न भड़काए और वे केवल कश्मीर पर ही बात करने पर अत्यधिक जोर न दे। यह वार्ता संयुक्त वार्ता होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने लोगों के परस्पर संबंधों में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए है। हमें विश्वास है कि यह सरकार व्यापार के मोर्चे पर भी कदम उठा रही है। उस सरकार ने क्या किया था? यूरोपियन साझा बाजार में अब 25 सदस्य है जिसकी आबादी 450 मिलियन है। अब तुर्की इसमें प्रवेश करना चाहता है और शीघ्र ही अनेक अन्य देश भी इसमें प्रवेश प्राप्त कर लेंगे। यूरो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है।

हमारे पास दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) हैं क्योंकि इसकी बैठक पाकिस्तान में हो रही थी इसी कारण से पूर्व प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं गए। छोटे देशों के परेशान किया गया था। नेपाल, भूटान, मालद्वीव, और श्रीलंका सभी ने इसकी शिकायत की है। अब यह सरकार पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठा रही है। अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए थे और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था।

माननीय विदेश मंत्री बहुत ही कुशल मंत्री है पूरे विश्व में इनका सम्मान किया जाता है। जब वह कुछ कहते है तो उसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि नेपाल में विकास का न होना हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब भूटान ने अपने यहां पर शरण लिए हुए चरमपंथियों को खदेड़ने के लिए कदम उठाए है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, सार्क देशों और यूरोपियन देशों से भी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे है। हमने यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। हम गैलिलियो परियोजना और नाभिकीय फ्यूजन परियोजना में भी भागीदार है। क्या भारत अमरीका के गठबंधन में भी ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा नहीं हुआ है?

अब सरकार कह रही है कि इराक में चुनाव होने जा रहे है और हम इससे अलग नहीं रह सकते। लेकिन इन सबके बावजूद वहां की सरकार अविधिक है। यह सरकार न्यायसंगत नहीं है। हम सरकार से यह अपील करते है कि वह चुनावकर्मियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त और कुछ न करें। इराक सरकार न्यायसंगत नहीं है। वहां अब तक एक लाख से अधिक लोग मारे गए है जिनमें अधिकतर नागरिक है। फलुजा में क्या हुआ? वहां पर नरसंहार हुआ है। अमरीका में चुनाव होने के बाद सरकार पर

ज्यादा दबाव है और हमें विश्वास है कि इस सरकार में इतनी शक्ति है कि वह अपने-आपको स्वतंत्र रख सकती है। सरकार द्वारा कहा गया है कि यह सरकार अमरीका के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगी. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत की विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखेगी।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, इजराइल के मुद्दे पर मुझे सरकार से शिकायत है क्योंकि सरकार इजराइल के साथ विशेष संबंध जारी रखना चाहती है। विश्व में एक नई व्यवस्था का सृजन हो रहा है जो वेस्ट बैंक को छोटे-छोटे एंक्लेव में विभाजित कर देगी, जिसके बाद पृथक फिलस्तीन राज्य का गठन अव्यवहारिक हो जाएगा। इस सरकार को इसका निर्धारण करना चाहिए। इससे मुस्लिम समुदाय को संदेश मिलेगा। इससे विश्व को भी यह संदेश मिलेगा कि हम फिलीस्तीन के प्रति वचनबद्ध है। उनके महान नेता की मृत्यु हो चुकी है। इस स्थिति में हमें इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि पिछले छः वर्ष में उनके द्वारा शुरु किए विशेष संबंध और पिछली सरकार द्वारा जारी रखे गए विशेष संबंधों को, यह सरकार जारी रखने की इच्छुक नहीं है। हमें मुस्लिम और विश्व को सही संकेत और सही संदेश देना चाहिए। इस सरकार को पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई इजराइल उन्मुख नीति को समाप्त करना चाहिए। इस सरकार से हमारा यही अनुरोध है।

महोदय, क्यूबा के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में देशों ने, मैं सोचता हूं कि 179 देशों ने क्यूबा के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए वोट दिया है। इन देशों ने तेरह बार इन प्रतिबंधों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप समूह देश है। इस देश पर कई वर्षों से प्रतिबंध लगे हुए है। इस देश में दूसरे देशों से दवा भेजने की अनुमति नहीं है इस देश में मुक्त आवाजाही और दृष्टिहीनों के लिए निर्मित बेल लिपि तक भेजने की अनुमति नहीं है। लेकिन इन हालातों के बावजूद यह देश अपने समाजवाद की शक्ति पर जीवित है। इस देश के लोग दशकों से इन प्रतिबंधों से संघर्ष कर रहे है। इस देश के महान नेता फिदेल कास्त्रो पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वे महान है क्योंकि वह साम्यवादी है।

श्री रूपचंद पाल: यदि आप ऐसा कहना पसन्द करते है तो आप ऐसा कह सकते है। लेकिन वह एक महान नेता है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): यह एक समाजवादी देश है।

श्री रूपचंद पाल: मुझे पता है कि वह एक समाजवादी देश है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: वहां चुनाव नहीं होते।

श्री रूपचंद पाल: आपको सच का पता नहीं है।

महोदय, सरकार ने कुछ मामलों में जरुरत के समय भोजन, दवाईयां जैसी सहायता प्रदान करके इस देश की मदद की है।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैं अपने दल का एकमात्र वक्ता हूं। मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करुंगा।

सभापति महोदय: आप अपने आवंटित समय का उपयोग कर चुके है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस आशय का संदेश उस देश को राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए या कुछ अन्य चैनलों के माध्यम से यह संदेश भेजा जाना चाहिए कि उनके आंदोलन की नेता आंग सांग स्यू की घर में नजरबंदी को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे इस देश के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। भारत सरकार को इस पर अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि जो आपके यहां हो रहा है वह बात अच्छी नहीं है।

महोदय, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमरीका के राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने के बाद लिखे गए पत्र का हवाला देना चाहता हूं। उन्होंने क्या निर्णय लिया है यह उनकी चिंता है इसके क्या परिणाम निकले यह भी उनकी चिंता है और जार्ज डब्ल्यु बुश के दोबारा निर्वाचित होने के क्या कारण है यह भी उनकी चिंता है। अपने पत्र में माननीय प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में भारत एक भागीदार हो सकता है। लेकिन अमरीका से बड़ा आतंकवादी कौन है? ऐसा संदेश नहीं दिया जाना चाहिए। हमें यह कहना चाहिए कि आतंकवाद से अपने बलबूते पर लड़ सकती है। हमें पता है कि आतंकवाद से किस प्रकार लड़ना है। अमरीका के राष्ट्रपति ही उपयुक्त नहीं है। आतंकवाद से लड़नें के लिए अमरीका की नीति उपयुक्त नहीं है। इराक में आतंकवाद के नाम पर लड़े गए युद्ध के बाद क्या हुआ? बचा आतंकवाद समाप्त हो गया? क्या इसमें कमी आई है? नहीं, ऐसा कतई नहीं हुआ बल्कि इससे नई आतंकवादी गतिविधियों का जन्म हुआ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जिस आशय से भी ऐसा

[श्री रूपचंद पाल]

पत्र लिखा, इससे हमारी स्वतंत्र विदेश नीति की प्रकृति के प्रति गलत संदेश जा सकता है। जब माननीय विदेश मंत्री जबाब देंगे तो उस समय उन्हें इस बात पर जोर देना होगा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति वचनबद्ध हैं और भारत कभी भी किसी शासक या आक्रामक एकात्मवाद के मार्ग पर नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त वह किसी भी प्रकार के आत्मसमर्पण से समझौता नहीं करेगा। उन्हें अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से मुद्दों को देखना चाहिए।

सभापति महोदय: मैं अगले सदस्य को बुलाने से पहले सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि सभा का समय सायं 7.00 बजे तक बढ़ा दिया गया और माननीय मंत्री कल इस चर्चा का उत्तर देंगे।

अब श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया। हमारे पास पुराने अनुभव के विदेश मंत्री हैं और इनको भारत के राष्ट्रीय हितों की गहरी समझ है। भारत के राष्ट्रीय हितों को सिद्ध करने की अन्तर्राष्ट्रीय रणनीति क्या हो, इसका इनका पुराना तजुर्बा है। इसलिए बहुत सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी देश की विदेश नीति की सफलता की कसौटी उस देश की विदेश नीति से अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में कितनी सफल रही है और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उस देश के किसी भी हित रक्षा के लिए कितने मददगार हैं, पड़ौसी देशों के साथ उसके संबध कितने मधुर हैं और इसी के साथ-साथ समय और परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलती रहती है।

एक दौर था जब हमारी विदेश नीति के खाके का निर्धारण हो रहा था, हम एक गुलाम देश थे और हमको दुनिया में ऐसे मित्रों की तलाश थी जो हमारी आजादी की लड़ाई में हमारे सहयोग बन सकें तथा लोकतंत्र की अवधारणा में उनकी पूरी आस्था हो। इस हिसाब से हमने अपनी विदेश निति की 1935-36 में आधारशिला रखी लेकिन देश की आजादी के साथ ही दुनिया की दूसरी लड़ाई खत्म हो गई थी और लड़ाई के वक्त दुनिया का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया था। एक तरफ कथित लोकतांत्रिक देश और दूसरी तरफ कथित तानाशाह और ऐसे देश जिन्होंने लोकतंत्र का अपने देश में गला घोंटा था। उस दौर में भी भारत की आजादी के जो लड़ाकू लोग थे, उनके ऊपर दबाव पैदा हुआ कि हमको अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी लोकशाही बनाम तानाशाही संघर्ष चल रहा है। लेकिन हमारी आजादी के दीवानों ने कहा कि यह सही समय है जब हम औपनिवेशिक शक्तियों पर हमला करके अपने देश को आजाद करा सकते हैं और ऐसी सोच के लोगों ने 1942 का अंतिम संग्राम किया था। आजादी के साथ ही दुनिया की दूसरी लड़ाई खत्म होने के बाद पूरे विश्व का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया। एक वारसा संघ के आधार पर तैयार पूर्वी यूरोप के देश थे जिनका अगुवा बनकर रूस दुनिया के सामने आया और दूसरी तरफ नाटो, सीटो संघ संगठन उसका नेतृत्व अमरीका कर रहा था। इन दो ध्रुवों में हमको तीसरी ऐसी ताकत खड़ी करनी थी जो विचारधारा के आधार पर समाजवादी हो जिसके राष्ट्रीय उसूल लोकतांत्रिक हों और अपनी विचारधारा के आधार पर समूची दुनिया को उपनिवेशवाद से मुक्त कराना चाहते हों। ऐसे ही देशों का एक ब्लॉक भारत के नेता के नेतृत्व में दुनिया में बना जिसको हम गुटनिपेक्ष देशों के रूप में इतिहास के रूप में देखते हैं और उस दौर में हमने अपनी विदेश नीति का निरूपण किया। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति द गॉल ने उस भयंकर तनाव के युग में अमरीकी राष्ट्रपति आयजन होवर और रूस के प्रधान क्रुस्वेव को अपने देश में बुलाया था और उन दोनों का शिखर सम्मेलन विफल हो गया था तथा तनावपूर्ण स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई थी। उस जमाने से हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों गुटों के भीतर जो दुनिया को तनावग्रस्त किये हुए हैं, दुनिया का समरस वातावरण बने, इसके लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर दुनिया के अधिकांश देशों ने नेहरू जी के उस कदम का, उस प्रस्ताव का स्वागत किया था। लेकिन उस जमाने में भी रूस के प्रधान मंत्री खुश्चेव संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में अपना जूता मेज पर रख कर उस मेज को पीट रहे थे। हमारी संसद में तो यह कभी घटना देखने को मिल जाती है और बाहर उसकी निंदा भी होती है कि भारत की संसद में किस तरह की घटनाएं होती हैं। वह पहली घटना थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया के एक बड़े राष्ट्र के बड़े नेता ने इस तरह का व्यवहार किया था। लेकिन उस वातावरण में भारत को मित्रों की तलाश थी। दुनिया की स्थिति बदली। अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हमारे पाकिस्तान से जो तनावपूर्ण सम्बन्ध थे, उसमें भारत की सुरक्षा को स्थाई करना था। ऐसे समय में जब बांग्लादेश की आजादी की तैयारी शुरू हुई, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस के साथ एक संधि की। यह संधि भारत-रूस संधि के नाम से विख्यात है। उस संधि में हमने स्वीकार किया कि भारत के हितों पर हमला रूस के हितों पर हमला माना जाएगा। इसी तरह से रूस के हितों पर हमला भारत के ऊपर हमला माना जाएगा। ऐसा करके एक ताकतवर मुल्क के साथ एक स्थाई शक्ति का भारत ने प्रदर्शन किया।

जय प्रकाश नारायण जी विपक्ष में थे। वे कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे, यानी सरकार के साथ नहीं थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में उन्हें भेज कर बांग्लादेश की आजादी में जो सैनिक थे, उसके समर्थन में विश्व जनमत तैयार करने में सहायता ली और उनका सहयोग लिया। उसके बाद भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में एक अहम् कड़ी की भूमिका निभाई। इस उपमहाद्वीप में भारत के भूभाग को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश आजाद हुआ और पाकिस्तान से अलग हुआ। उस समय भी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की वकालत करने वाले बहुत सारे देश थे, जिन्होंने ताकत के साथ भारत के पक्ष का स्वागत किया और बांग्लादेश एक आजाद और सार्वभौम मुल्क के रूप में दुनिया में उभर कर आया। जिसको भारत के बाद दुनिया के अधिकांश देशों ने तत्काल मान्यता दी और उसको स्वीकार किया।

जब कभी भी कसौटी पर भारत की गुट निरपेक्षता की नीति, भारत के हितों के हिसाब उसको तौलने की कोशिश हुई है, तो हमारी वैदेशिक नीति पर खरी उतरी है। आज की तारीख में दुनिया तीसरे दौर में पहुंच गई है। यह दौर है अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए, अपने आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रचार-प्रसार के लिए दुनिया का नए सिरे से पुनर्गठन हो रहा है। नए सिरे से उस जमाने में अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की हिफाजत करने के लिए गुट बनते थे। उस जमाने में अपने देश को आजाद कराने के लिए लोकतंत्र और सार्वभौम बनाने के लिए गुट बनते थे। आज की दुनिया में आर्थिक सुरक्षा के लिए गुट बन रहे हैं। आपने स्वीकार किया है कि हम एक ध्रुवीय दुनिया को स्वीकार नहीं कर सकते, बहुध्रुवीय दुनिया होनी चाहिए। इसको दुनिया के बहुत सारे देश मान रहे हैं। इसलिए यूरोपीय संगठन बना, यूरोप के देशों का एक संघ बनाया गया। आज वे लोग अमेरिका के पिछलग्गू होने को तैयार नहीं हैं, जैसे दुनिया की दूसरी लड़ाई के समय उनके साथ थे। आज वे सीना तान कर आर्थिक क्षेत्र में उसकी बराबरी करने के लिए खड़े हैं। उनका यूरो डालर आज की तारीख में दुनिया में अमेरिकन डालर से ज्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर हो गया है और उसकी कीमत भी अधिक हो गई है। तमाम सवालों पर चाहे इराक का युद्ध हो, चाहे इस्त्राइल हो, फिलीस्तीन का सवाल हो, यूरोपीयन संघ ने स्वतंत्र ढ़ंग से अपनी आवाज को अमेरिका के सामने सीना तान कर, खड़े होकर रखने का काम किया है। एक नया अंदाज दुनिया को उन्होंने दिया है।

हमे आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि भारत ने जिस जमाने में गुट निरपेक्ष देशों का संगठन बनाया था, आज जरूरत है भारत की वैदेशिक नीति में ऐसी रणनीति बने की दुनिया के जो कमजोर देश हैं, दुनिया के ऐसे देश जिनको आज की तारीख में विश्व के औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्रों के बाजार चंगुल से मुक्त कराना है, ऐसे देशों का एक ध्रुव भारत के नेतृत्व में बने। यह हमारी रणनीति होनी चाहिए। इसीलिए जो सार्क देशों का संगठन है, उसकों हमें तेज करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो आसियान देशों के साथ हमारे बढ़ते रिश्ते है, उनको मजबूत करना चाहिए। इसीलिए आज दुनिया छद्म युद्ध में लगी हुई है। पहले संघर्ष आमने-सामने होता था, लेकिन आज भाड़े के आतंकवादी भेजकर, किसी भी देश की शांति-व्यवस्था को भंग कर, उस देश में आराजकता की स्थिति पैदा करने का एक छद्म प्रयास दुनिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसीलिए आज गृह मंत्रालय से प्रश्नकाल में सवाल पूछा गया तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो आतंकवादी हैं, उनके ठिकाने बर्मा और बंगला देश में भी हैं और इस आतंकवाद को सैद्धांतिक रूप से हथियार और आर्थिक मदद पाकिस्तान की आईएसआई से मिल रही है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि जब हमारे देश के गृह मंत्री सदन में स्वीकार कर रहे हैं तब इसका मुकाबला हमारी विदेश-नीति ही कर सकती है।

पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश आज की नहीं है। पिछली सरकार और इस सरकार में एक अंतर है। एनडीए की सरकार ने जो कोशिश की वह किसी देश के दबाव में कोशिश थी लेकिन आज की तारीख में रिश्ते सुधारने के प्रयास हो रहे है। हमारी रणनीति यह होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब वे हमारे देश के आंतरिक संबंधों में हस्तक्षेप करना बंद कर दें।

नेपाल का लोकतंत्र भारत की देन है। हमारी आजादी के बाद अगर भारत का नेतृत्व जगा नहीं होता तो दूसरी लड़ाई के बाद पूर्वी एशिया के देशों में साम्राज्यवाद का राज हो गया होता। चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या थाईलेंड हो, सभी जगह भारत ने साम्राज्यवाद के प्रसार को रोका और लोकतंत्र के पौधे को रोपा था। बर्मा में आज लोकतंत्र की जगह तानाशाही आ गयी। वहां आतंकवाद के ठिकानों को खत्म करने के लिए वहां के सैनिक तानाशाह को हमसे मदद लेनी है, इसलिए उसका आपने स्वागत किया, कोई ऐतराज की बात नहीं है। लेकिन वहां की जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं अगर वे मजबूत रहेंगी, तभी हम अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूत मान सकते हैं और तभी भारत भी मजबूत रहेगा, यह हमारी विदेश-नीति की बुनियादी सोच थी। इसी आधार पर हमने नेपाल और बर्मा में लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश की। आजादी के बाद हमने नेपाल में आजादी का माहौल देखा था लेकिन आज नेपाल आतंकवाद की चपेट में है और आज बर्मा में सैनिक तानाशाही है लेकिन भारत की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे वहां जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, उनका खात्मा किसी भी

[श्री मोहन सिंह]

कीमत पर न हो। भारत का मानना यह रहा है कि दुनिया के किसी भी देश में लोकतांत्रिक शक्तियों की मदद करना, उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। इसी आधार पर हमने दक्षिणी अफ्रीका के लोकतांत्रिक आंदोलन की नैतिक और दूसरे तरीकों से मदद की।

हमारे देश के लाखों लोग पश्चिमी एशिया के देशों में रहते है। खाड़ी देशों में आतंकवाद के चलते सबसे ज्यादा शिकार भारतीय हो रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? भारत ने इराक के मामले में गत् 4-5 वर्षों में अपनी नीति कई बार बदली है। उसका नतीजा है कि जिन खाड़ी के देशों ने कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पक्ष का समर्थन किया था, आज वहां भारतीय बंधक बनाये जा रहे हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि भारत सरकार भारतवंशियों को मुक्त कराने के लिए लम्बी-चौड़ी रिश्वत दे रही है। कहां तक ये खबरें सही हैं, मै नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि खाड़ी देशों से हमारे परम्परागत संबंध अच्छे थे, उनको बनाए रखना चाहिए और वह तभी बनेंगे, जब फिलीस्तीन आन्दोलन में भारत की जो साझेदारी पिछले 50 वर्षों से थी, उसमें थोड़ी कमजोरी आ रही है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। फिलीस्तीन आन्दोलन के सबसे प्रमुख यासर अराफात के बाद फिलीस्तीन के लोग दुनिया में अपने को अनाथ न समझें, उनके पीछे भारत का हाथ है, यह विश्वास फिलीस्तीन जनता को सदैव रहना चाहिए। यही एक ऐसा हथियार है, जिससे खाड़ी की जनता का दिल भारत की सरकार और भारत देश जीत सकता हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि आप मजबूर हैं और हम भी मजबूर हैं, मैं माननीय विदेश मंत्री जी को थोड़े से सुझाव देकर आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): सभापति महोदय प्रारंभ में मैं इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने साथी सदस्य को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसे विषय पर चर्चा की शुरूआत की जिसकी सामान्य रुप से संसद में चर्चा नहीं की जाती। एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय, जिसमें विदेश नीति के संबंध में देश के हितों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम संसद में कभी-कभी ही चर्चा करते हैं। तथापि विदेश नीति एक ऐसी चीज है जो कि देश का एक विशेष तरीके से दिशा प्रदान कर सकती है। इसे ठीक अथवा संशोधित करने में काफी समय लगता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है और मैं इस विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए अपने साथी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

किसी देश तथा आवश्यक रूप से भारत के लिए भी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना होता है। इसे विदेशी मामलों में हमारे अपने देश के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना होता है। अत: विदेश नीति इस तथ्य पर निर्धारित होती है कि क्या हमें हमारे अपने घरेलू हितों से स्वयं को लाभ हो रहा हैं या नहीं। मेरे विचार में यह परीक्षा है जिससे हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम कितना सफल हो पाए हैं।

मेरे अनेक साथी सदस्य ऐसे राजनैतिक मुद्दों पर बोले हैं। जो विदेश नीति में अहम हैं। यह अपरिहार्य है। अत: हमारी विदेश नीति ऐसी नहीं हो सकती जो कि देश अथवा विश्व के राजनैतिक मुद्दों से अलग हो तथा जिसे अलग-थलग रखा जा सके। परन्तु मेरे विचार से हमें अब विश्व में विद्यमान कई अन्य विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करने की आवश्यकता है जो कि हमारी विदेश नीति में भी दिखाई दिये जाने चाहिएं।

सर्वप्रथम मेरे विचार से हमें अपनी शक्तियों का अब काफी अच्छा प्रयोग करना चाहिए जिनका वास्तव में अपने हित के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देश का आर्थिक विकास स्पष्ट रूप से विदेश नीति पर हावी है। हम विकास करना चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका काफी शक्तिशाली है। सभी संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में बात करते हैं। यह देश इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वह आर्थिक रुप से शक्तिशाली है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी सदस्य ने कहा था कि हमें भारत के हितों को संयुक्त राज्य अमरीका के पक्ष में केन्द्रित करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु भारत का हित यह सुनिश्चित करने में है कि हमें ऐसे शक्तिशाली देश से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वास्तव में आर्थिक रूप से विकास करने में ही भारत का हित है। अत: यह एक तरीका है जिसे हमें करना चाहिए।

वास्तव में कूटनीति ही है जिसे काफी वर्षों तक अहम समझा जाता रहेगा। एक अन्य क्षेत्र भी है जिस पर वास्तव में हमें ध्यान देना चाहिए-और वह है पर्यावरण क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दे। वास्तव में इसे सुनिश्चित करने में भारत काफी लाभकारी स्थिति में है। पूरे विश्व में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है वे हैं आर्थिक मुद्दे तथा पर्यावरणीय मुद्दे हैं। अत: पर्यावरण के मद्देनजर हम काफी लाभकारी स्थिति में हैं क्योंकि भारत एक ऐसा देश नहीं है जो जी-7 क्लब में आने का पात्र बन सके। परन्तु ब्राजील तथा चीन सहित भारत एक ऐसा देश है जो कि तेजी से विकसित हो रहा है। इस वृद्धि का पर्यावरणीय प्रभाव शेष विश्व द्वारा महसूस किया

जाएगा। अत: हम निश्चित तौर पर इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते है कि भारत अपनी इस शक्ति का प्रयोग करे। हम जी-7 क्लब में नहीं हैं परन्तु हम पी-7 के सदस्य हैं क्योंकि हमारे अन्दर उत्पादन की भारी संभावना हैं। यदि हम वास्तव में इसका अपने लाभ के लिए प्रयोग नहीं करते तो यह अच्छा नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि हम भारतीय समुदाय, भारतीय विविधता-जो कि पूरे विश्व में विद्यमान है-का अपने लाभ के लिए कैसे प्रयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते रहे है जो कि एक अच्छी चीज है। वे लोग अपनी मातृभूमि पर वापस आ सकते हैं। उन्हें एहसास होगा कि भारतवासी वास्तव में उनका आदर करते हैं। भारतवासियों को उनकी चिंता है। पर इसी तरह हमें यह भी पता लगाना होगा कि भारतीय हितों को आगे बढ़ाने में अप्रवासी भारतीय हमारे राजदूतों के रूप में कैसे उपयोगी हो सकते हैं।

मुझे इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य की कांग्रेस में भारतीय प्रसम्मिलन अब इतना मजबूत है कि इसके कई सदस्य हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका में रह रहे भारतीय लोग उन्हें भारतीय प्रसम्मिलन में शामिल होने के लिए प्रभावित कर सके। अत: इसी प्रकार हमें इसका प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, हमारे वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। हमारे वैज्ञानिक पूरे विश्व में फैले हैं। इस विश्व में अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रधानता है। इसलिए अब ज्ञान-अर्थव्यवस्था दुनिया को प्रभावित कर रहा है। हमें यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे लाभ के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है क्योंकि पूरे विश्व में उनका काफी महत्व है।

इसके अतिरिक्त सर्वप्रथम हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पड़ौसियों के भी हक में हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी हमारे अच्छे मित्र हों। वास्तव में अभी हमें इस बात की चिंता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है।

सभी ने बांग्लादेश का उल्लेख किया। महोदय हम हैरान है कि वास्तव में हमें इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। महोदय बांग्लादेश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर हमले हुए हैं। भगवान की सहायता से, भगवान की कृपादृष्टि से वे बच गई अन्यथा वो आज हमारे साथ नहीं होती। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है; बांग्लादेश में मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और इसका बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर गहरा असर पड़ा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है मुझे उसकी वास्तव में चिंता है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के बारे में हमारी भारतीय संसद की चिंताओं को विदेश नीति बनाते समय ध्यान में रखा जाए।

महोदय, हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान भी है। अभी हम भ्रमित हैं क्योंकि सरकार एक भ्रामक संदेश भेज रही है। दूसरी ओर हम कह रहे है कि जब हम हुर्रियत से बातचीत करेंगे तो हम किसी भी चीज पर बिना किसी शर्त के बातचीत करने को तैयार हैं। साथ ही जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री जी ने पहले ही भारत की क्षेत्रीय अखण्डता के बारे में कहा-हमें देश के भूगोल का कोई खास ज्ञान नहीं हैं-यह जनरल मुशर्रफ द्वारा पहले की गई टिप्पणी की प्रतिक्रिया में था। कश्मीर की समस्या जो कि भारत-पाक संबंधों का केन्द्र है, सरकार से हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि इसका विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

महोदय, संयुक्त राज्य ने हमेशा से कहा है कि भारत संयुक्त राज्य का एक मित्र है। परन्तु हैरानी की बात यह है कि जब भी भारत किसी चीज का दावा करता है तो मौखिक रूप से तो वह हमारी अच्छी सहायता करता है परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं। हमने यह देखा है कि शस्त्रों तथा वित्तीय सहायता मामले में संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को भारी सहायता करता है। अत: ये वास्तव में कैसे आत्मसार किया जाएगा? दूसरी ओर संयुक्त राज्य के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं तथा वास्तव में मेरे साथी श्री रूपचंद पाल ने राष्ट्रपति बुश के पुनर्निर्वाचित होने पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया वक्तव्य पढ़ा। अत: मैं पता लगाना चाहूंगा कि हम यह स्पष्ट रूप से विवादास्पद कथन को कैसे आत्मसात करेंगे तथा यह हमारे घरेलू हितों से कैसे संबंधित है।

महोदय हम अपने पड़ोसियों जिसमें से एक बांग्लादेश भी है-को यह बताना चाहते है कि नेपाल में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे हमें सतर्क हो जाना चाहिए। लोग पहले से ही नेपाल के माओवादियों तथा भारत के नक्सलियों के बीच संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। संभवत: यदि ऐसा होने वाला है तो भारत के 600 जिलों में से एक-चौथाई जिले 120 जिलों में अब नक्सली संकट का प्रभाव पड़ेगा। अत: इससे भारत के हित कैसे प्रभावित होने वाले हैं? सरकार यह सुनिश्चित कैसे करेगी कि नेपाल में हो रही घटनाओं का भारत की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव न पड़े तथा मैं वास्तव में इसके बारे में जानना चाहूंगा?

महोदय, मैं भारत सरकार से भारत की विदेश नीति का आवधिक मूल्यांकन करने का अनुरोध करना चाहूंगा। हमारे वित्तीय दायित्व हैं जिस पर हमारे वित्त मंत्री सभा के समक्ष कहने के लिए बाध्य हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। इसी प्रकार मेरे विचार से संसद को विश्वास में लेकर भारत सरकार द्वारा स्पष्ट

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

रूप से विदेश नीति के लघु-अवधि, मध्यम अवधि तथा दीर्घावधि उद्देश्य बताना तथा वे इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में बताना एक अच्छा विचार होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे वाद-विवाद वर्ष में दो बार या तीन बार किए जा सकते है तथा इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि भारत की यह विदेश नीति की प्रकृति सहभागी होगी।

महोदय पड़ोसियो के पश्चात् मैं कहना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने आसियान के साथ हमारी सदस्यता का उल्लेख किया है। महोदय वास्तव में हमारी सीमा म्यांमार से लगती है, जो कि आसियान का एक सदस्य है। मेरे विचार से वास्तव में यदि सोचा जाए तो यदि तुर्की यूरोपीय संघ का एक सदस्य बन सकता है क्योंकि तुर्की का कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीप में आता है तो इसी प्रकार हम म्यांमार के साथ भारत की लम्बी सीमा को देख सकते हैं। इससे हम आसियान का एक सदस्य बनने का पात्र बन जाते हैं।

हमें वास्तव में केवल संवाद सदस्य नहीं बनना चाहिए। वस्तुत: हमें आसियान का पूर्णकालिक और पूर्ण सदस्य बनना चाहिए। मेरे विचार में सरकार को इसके लिए प्रयास करने चाहिए क्योंकि हम विश्व से विश्व व्यापार संगठन के मंच से बातचीत कर रहे हैं जिससे कि सभी सीमाऐं टूट रही हैं। वस्तुएं और सेवाएं बिना किसी बाधा के आवागमन कर सकती है किन्तु फिर भी नये व्यापार संगठनों का गठन हुआ है। भारत को इन अवसरों को नहीं छोड़ना चाहिए। सम्भवत: भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई नई पहल जिसमें आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ.टी.ए.) हेतु सरकार कार्यरत है, को उत्साहसपूर्वक लागू करना चाहिए। मैं यह भी कहता हूं कि दीर्घकालिक हितों के साथ अल्पकालिक और मध्यकालिक हितों को भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि हम कैसे आसियान के पूर्ण सदस्य बनें।

महोदय, चीन हमारा अन्य पड़ौसी देश है। एक दिन संसद में प्रश्न का उत्तर देते समय विदेश मंत्री जी ने कहा कि यद्यपि हम चीन के साथ सीमा सम्बन्धी विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है फिर भी हम चीन के साथ अपने आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि हम चीन के साथ इस अवसर को खो नहीं सकते हैं जो विश्व में तीव्रतम गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है जो इतनी तेजी से विकास कर रही है कि शायद आने वाले कुछ वर्षों में एक दिन यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी मात दे देगी।

इसलिए, चीन के साथ भी हमारे सम्बन्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने अभी-अभी हमारी अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक नीतियों के बारे में कहा है। एक ओर, अल्पकालिक नीति में हमें यह पता होना चाहिए कि सरकार चीन के साथ क्या नीति अपना रही है तो दूसरी ओर, हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि हमारे निकटतम पड़ौसी चीन के साथ कोई साझा बाजार हो सकता है जो हमें वास्तव में अत्यधिक लाभदायक स्थिति में पहुंचा देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत और चीन विश्व की दो सबसे बड़ी आबादियां हैं। भारत में विश्व की 16 प्रतिशत आबादी भारत में और 18 प्रतिशत आबादी चीन में निवास करती है। इसलिए, भारत और चीन में विश्व की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है और यदि इनके बीच कोई साझा बाजार बन जाता है तो यह विश्व अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकता है।

महोदय, मेरे विचार में लातिनी अमेरिकी देशों के साथ हमें सम्बन्धों को मजबूत बनाना चाहिए। हम पूर्व की ओर अग्रसर हैं; हमें पश्चिम की ओर पहले ही अग्रसर हो चुके है; और अब हमें यह देखना चाहिए कि हम किस प्रकार लातिनी अमेरिकी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत बना सकते हैं और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है कि हम लातिनी अमेरिकी देशों के बारे में बात करें। यह एक व्यापक पैकेज होना चाहिए जिसमें लातिन अमेरिका में हमारे मित्र, लातिन अमेरिका में हमारे कुछ पारम्परिक मित्र भी हैं, हमसे केवल इसलिए बातचीत न करें कि उनकी और हमारी भाषाएं अलग-अलग हैं और इसलिए, हमें इस पर कड़ाई से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रमण्डल मंच भी हमें उपलब्ध है। आजकल हम इस पर बहुत कम बात करते हैं। राष्ट्रमण्डल की स्थापना उस समय हुई ब्रिटिश साम्राज्य बिखर रहा था। वास्तव में यह राष्ट्रमण्डल के रूप में पुन: जीवित हुआ। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने लाभ के लिए राष्ट्रमण्डल को किस तरह उपयोग में ला सकते हैं। क्या सरकार ने वास्तव में कूटनीति के भाग के रूप में राष्ट्रमण्डल मंच को प्रयोग करने पर विचार किया है? यह विषय ऐसा है जिस पर मैं मंत्री जी की भी राय चाहूंगा।

महोदय, मैं तीन या चार छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। जब हम विदेश नीति के बारे में बात करते है तो इसमें सिद्धान्त होते हैं, इसके कुछ अवयव होते हैं और कुछ राजनीतियां होती है किन्तु इन्हें व्यवहार में लाने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए, विश्व के विभिन्न भागों में कार्यरत हमारे अपने मिशन हमें उपलब्ध साधनों में से एक हैं। कुछ देशों की तरह भारत भी एक देश है जिसके सम्पूर्ण विश्व में कई मिशन हैं। शायद ही किसी देश के इतने मिशन हो जितने भारत के हैं। इन मिशनों को अब महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की सोच रही है कि इन मिशनों का कुछ दायित्व है और इन मिशनों को कुछ परिणाम दर्शाने चाहिए। निर्यात

हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। क्या सरकार की ओर से विभिन्न देशों के बीच वास्तव में तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने के कोई प्रयास किये जा रहे हैं? क्या इनमें से प्रत्येक मिशन से आशान्वित कार्य को हम वास्तव में दर्ज नहीं कर सकते हैं?

साथ-साथ हमें इस कार्य को पूरा करने के लिए इन मिशनों में समुचित रूप से जनशक्ति की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए क्योंकि अब पारम्परिक राजनय, कूटनीति केवल अभिकल्पित राजनीति तक वैध नहीं है। अब मौजूदा कूटनीति को बहु-विषयक होना चाहिए। जैसा कि हम बहु-ध्रुवीय विश्व के बारे में बात करते हैं वैसे ही बहु-विषयक कूटनीति आज की जरूरत है और इसके लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या हम न केवल भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को अपितु विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों और कार्मिकों को भी प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहे हैं जिससे कि वे विश्व द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों से निपट सकें।

इसी प्रकार मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हम कुछ विशेष सेवा कार्मिकों के सृजन के बारे में भी विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि अपने सम्भाषण में पहले भी उल्लेख किया है कि पर्यावरण आज कल प्रमुख नीतिगत मुद्दा बनता जा रहा है। जैसे कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को कोई एक विदेशी भाषा सीखनी होती है उसी प्रकार मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हम आर्थिक कूटनीति और पर्यावरण से सम्बन्धित कूटनीति आदि पर कुछ विशेष अधिकारियों के बारे में विचार कर सकते हैं। अगर यह हो जाता है तो इससे बहुत सहायता मिलेगी।

महोदय, मुझे इतिहास याद आ रहा है जिसमें हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते थे और इस पर गर्व करते थे। दुर्भाग्यवश, अब गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनी महत्ता खो चुका है क्योंकि चाहे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एकजुट रखना चाहे, अन्य सदस्य पहले ही गुट विशेष से जुड़ चुके हैं। यह जीवन की सच्चाई है जो हमें स्वीकार करनी होगी। इसलिए, उन दिनों में हमें बहुत महत्वपूर्ण लाभ यह था कि हम अफ्रीका और एशिया से विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए आमंत्रित करते थे। उनमें से कई अब अपने सम्बन्धित देशों में राष्ट्र-अध्यक्ष और सरकार अध्यक्ष बन चुके हैं। इसलिए, आप इसके प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं कि अब यह उनकी उस देश के बारे में अवधारणा पर निर्भर करता है जहां वे शिक्षित हुए हैं। क्या हम ऐसी संभावना पर विचार कर रहे हैं जिसमें जहां तक सम्भव हो उतने छात्रों को आमंत्रित किया जाए और उन्हें भारत में अध्ययन और प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि जब वे वापस जाए तो वे हमारे सचमुच में राजदूत, ब्राण्ड सृदश राजदूत बन जाए और वे वास्तव में भारत के विषय में विचार करेंगे तथा अपने सम्बन्धित देशों में अपने घरेलू मामलों में भी भागीदारी करें? इस बारे में यह जानना चाहूंगा कि सरकार क्या कर रही है।

इसके अलावा 'इण्डियन ओसेन रिम इनीसियटिव' के रूप में नई पहल हुई थी। मैं मंत्री जी से इस बारे में भी जानना चाहूंगा क्योंकि आजकल इस बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं हो रही है। यद्यपि बहुत अधिक नई पहलों का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि इससे वास्तव में कोई परिणाम नहीं निकलता है। किन्तु इण्डियन ओसेन रिम इनीसियटिव बहुत महत्वपूर्ण पहल थी क्योंकि वास्तव में यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जो हमने उन देशों में रहने वाले लोगों के लिए पारम्परिक रूप से देखा था। इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस पहल को किस सीमा तक विकसित किया गया है और क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है।

महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा समय ले लिया है किन्तु मैं अपनी बात जल्द ही समाप्त करता हूं। भारत आधिकारिक तौर पर मांग कर रहा है–इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी देश से किसी अनुग्रह की मांग कर रहे हैं–कि भारत को संशोधित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का भाग होना चाहिए जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जायेगा और भारत वास्तव में स्थायी सदस्य के रूप में मुख्य भूमिका निभायेगी, और वीटो का अधिकार सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा स्थायी सदस्यों के समान अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा।

इस मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। किन्तु दुर्भाग्यवश इस रिपोर्ट में भारत को इस प्रकार का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। जिसका भारत पात्र है। मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत के हितों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी। संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होंगे, इसमें बदलाव किये जाने आवश्यक है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शेष विश्व से बदलाव के लिए कह रहा है और यदि संयुक्त राष्ट्र में संशोधन नहीं होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होना चाहिए, किन्तु बदले हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत जिस दर्जे का हकदार उसे वह दर्जा किस प्रकार मिलेगा यह मैं सरकार से जानना चाहूंगा।

मैं अपना अंतिम मुद्दा उठाऊंगा और तत्पश्चात् भाषण समाप्त करूंगा। भारत के बारे में एक बात चलती रही कि वह कई वर्षों से आतंकवाद के हमलों का सामना करता रहा है। कई निर्दोष लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। इराक में क्या हो रहा है उसके बारे में हम चिन्तित हैं। असंख्य लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन, इसी तरह, हमें अपने ही देश में मर रहे निर्दोष लोगों के

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

प्रति चिंतित और संवेदनशील होना चाहिए। कई लोग मारे गए है, हमारी भारतीय संसद पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। हमें इसके बारे में चिन्ता है। लेकिन हमारी राय में आतंकवाद 9/11 से आरम्भ नहीं हुआ। जबकि अमेरिका का मानना है कि आतंकवाद 9/11 से आरम्भ हुआ और इसलिए यह इतिहास की शुरुआत है। हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि हम इस महत्वपूर्ण विषय आतंकवाद, आतंकवाद विरोधी विषय पर देशों के गठबंधन कैसे बना रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, इस बदले विश्व में, हमें इस बात को सुनिश्चित करना ही होगा कि ये सब देश आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं क्योंकि आतंकवाद से आम आदमी, निर्दोष आदमी और वे देश प्रभावित होते हैं जो अकेले इसका प्रतिरोध नहीं कर सकते इसलिए उन्हें गठबंधन बना कर कार्य करना चाहिए। अमेरिका के पास प्रतिरोध की क्षमता है लेकिन जो देश गरीब हैं और जिनके पास इतनी वित्तीय क्षमता नहीं है वे सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित होते हैं, इसलिए, मैं जानना चाहता हूं हम इसके विरुद्ध गठबंधन कैसे बना रहे हैं।

मैं इस विशेष चर्चा में चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय संसद में विदेश नीति पर आवधिक रूप से चर्चा होनी चाहिए ताकि हम सब इस संबंध में अपने विचार रख सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश नीति कुछ ऐसी चीज है जो कि राजनीति, भारत की घरेलू राजनीति से परे हैं। इस दृष्टि से हमें सरकार पर इस बात पर ही हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि हम विपक्ष में है और सरकार को विपक्ष में दोषान्वेशण नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वे सरकार में है क्योंकि विदेश नीति को टिकाऊ होना चाहिए और इस राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, हम इस बात का समर्थन करेंगे और पता लगाएंगे कि यह नीति किस प्रकार से उसकी सहायता करेगी।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं देश के इस उच्चतम सदन में कर्नाटक की कनकपुरा के अपने उन 28 लाख मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे देश के इस उच्चतम सदन में इस वाद-विवाद विशेषकर विदेश-नीति के मुद्दे पर भाग लेने के लिए चुना है।

महोदय, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सच्चाई, प्रेम, शांति, अहिंसा और पारस्परिक सहयोग के उपदेश दिए। हमारे पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु ने पंचशील तत्व को लागू किया, वे शांति, भाईचारे, आपसी विश्वास, आपसी सम्मान, अहिंसा, सहयोग और विकास में विश्वास करते थे। हमारी महान नेता, स्व. इन्दिरा गांधी ने इस मातृभूमि को वास्तविक अर्थ में महान भारत बनाया है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व करके इन्दिरा जी ने भारत को विश्व की अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी। इन्दिरा जी के योगदान को याद करने का यह सबसे सही स्थान है। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेतृत्व के रुप में इस मातृभूमि को सुदृढ़ बनाने के लिए हर अवसर का दोहन किया।

शीत युद्ध के समय, विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के दबाव से जूझ रहा था। इन्दिरा जी ने तृतीय विश्व और विकासशील देशों को साहसपूर्वक गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के तले संगठित किया। यह सर्वथा उचित है कि विश्व ने इन्दिरा जी को वर्ष 2000 में सहस्राब्दी का नेता के शीर्षक से नवाज कर अपनी सम्माननीय श्रद्धांजलि अर्पित की।

महोदय, हमारे स्व. प्रधानमंत्री राजीव जी ने भी हमारे पूर्वजों के पथ का अनुसरण किया। उन्होंने भी हमारी विदेश नीति में योगदान दिया और इसे मजबूत बनाया। सभी लोग यह तो जानते है कि उन्होंने श्रीलंका से हमारी मित्रता के कारण अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

महोदय, मैं उन सभी राजनेताओं का स्मरण करना चाहूंगा चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हों जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने अनुभव से इस सभा में भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति को मजबूत किया। आज मैं, डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में अपनी संयुक्त प्रगतिशील सरकार विशेषकर इसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनियाजी को बधाई देना चाहता हूं जो कि हमारे गतिशील और अनुभव नेताओं जैसे नटवर सिंह जी, जिन्होंने नेहरु जी, इन्दिरा जी और स्व. श्री राजीव जी के साथ हमारी स्वतन्त्र विदेश नीति को समृद्ध बनाने के लिए काम किया, के ऊपर भरोसा जताया है। आज वह भारत को अपना योगदान दे रहे है। यह बात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की विदेश नीति में देखी जा सकती है। यहां हमारी विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना उचित होगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार हमारी स्वतन्त्र विदेश नीति पर इसकी विगत परम्पराओं को ध्यान में रखकर विचार करेगी। यह नीति विश्व मामलों में बहु-ध्रुविता को प्रोत्साहित करेगी और एकपक्षीयवाद का विरोध करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। संयुक्त प्रगतिशील सरकार दक्षिण एशिया में अपने पड़ौसियों के साथ नजदीकी राजनीतिक, आर्थिक और अन्य संबंध बनाने और दक्षेस को सुदृढ़ बनाने को उच्चतम प्राथमिकता देगी।

पाकिस्तान के साथ सभी मामलों पर बातचीत क्रमिक रूप से और सतत आधार पर चलाई जाएगी। जहां तक श्रीलंका का संबंध है संयुक्त प्रगतिशील सरकार का रुख स्पष्ट है कि यह श्रीलंका में शांति वार्ता का समर्थन करेगी जिससे कि तमिलों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की वैद्य आकांक्षाओं की पूर्ति श्रीलंका को क्षेत्रीय

अखण्डता और एकता के अन्तर्गत हो सके। बांग्लादेश के साथ बकाया मामलों को सुलझा दिया जाएगा। नेपाल के साथ आपसी लाभ के लिए जल संसाधनों के विकास हेतु गहन वार्ता शुरू की जाएगी। जहां तक चीन का संबंध है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन के साथ व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाया जाएगा और सीमा मुद्दे पर बातचीत गम्भीरतापूर्वक की जाएगी। यह सच है कि हमारे प्रधानमंत्री चीनी शासन प्रमुख से मिले और कोई भी चीन के साथ हमारे संबंध विशेषकर व्यापार और अन्य पहलुओं के संदर्भ में सुधार की आशा कर सकता है।

महोदय यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि चाहे इस नीति में अमेरिका के साथ हमारा नजदीकी गठबंधन और संबंध रहा है लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत की विदेश नीति की स्वतन्त्रता कायम रखेगी। संयुक्त गठबंधन सरकार रूस और यूरोप के साथ गहन संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत व्यापार और अन्य पहलुओं में सुधार के लिए यूरोपीय संघ के साथ भी प्रयास को देखा जा सकता है। स्वर्गीय श्री मुरासोली मारन द्वारा दोहा में अपनाए गए रुख के मद्देनजर संयुक्त प्रगतिशील सरकार राष्ट्रीय हित विशेषकर विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखेगी। पूर्व में दिए गए वचनों का पूरा पालन किया जाएगा। यहां तक कि हमारी चिंताओं से संबंधित सभी समझौतों विशेषकर बौद्धिक सम्पदा और कृषि के क्षेत्र में, को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार वर्तमान विश्व व्यापार संगठन समझौतों में भारतीय कृषि और उद्योग की सुरक्षा के लिए दी गई लोच का पूरा उपयोग करेगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार विश्व व्यापार संगठन में जी-20 के ढांचे में विकासशील देशों की उभरती एकता मजबूत करने में सक्रिय भूमिका अदा करेगी।

महोदय, आज भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का दावा सभी अधिप्रमाणों से कर रहा है। मैं इसका जिक्र संयुक्त राष्ट्र और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों की वार्षिक रिपोर्ट से कर रहा हूं। 31 मार्च 2003 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि जहां तक शांति अभियानों में योगदान का संबंध है ''भारत वहां भी प्रमुख सैन्य सेवा योगदान देने वाला देश बना रहेगा। वर्तमान में वह 15 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 11 में योगदान कर रहा है, इनमें से दो को पैदल सेना उपलब्ध करा रहा है और इथोपिया और इरिट्रीया (यू.एन.एन.ई.ई.) में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में पैदल सेना उपलब्ध करा रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगों और कोसोवों में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम प्रशासन मिशन (यू.एन.एम.आई.के.) के प्रमुख सिविलयन पुलिस घटक को हेलिकाप्टरों सहित कर्मीदल उपलब्ध करा रहा है। भारत ने सिद्धान्त सूडान में लम्बे समय से चले आ रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए परिकल्पित संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है।

महोदय, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने की कोशिश करके, भारत कई राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

जैसाकि सभी जानते हैं कि इन वर्षों के दौरान केवल कुछ ही देशों ने ही वैश्विक परिदृश्य में आधिपत्य स्थापित किया है। गुटनिरपेक्ष देश के रुप में भारत इसकी ऐतिहासिक घटनाओं से जानता है कि औपनिवेशिक शक्तियों के हाथों उसे कैसे-कैसे कष्ट उठाने पड़े। यही कारण है कि वह स्वतन्त्रता आन्दोलन का मूल्य जानता है। उसने दक्षिण अफ्रीका से बांग्लादेश और कई अन्य ऐसे ही देशों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन किया है। उसने नेल्सन मंडेला, यासर अराफत और यहां तक कि म्यांमार की अन संग सुई की को मुक्त कराने हेतु उनके आन्दोलनों मे मदद की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनकर, भारत मानव अधिकारों और विश्व भर में सामाजिक और सतत विकास के क्रियाकलापों तथा आतंकवाद जिससे आज विश्वग्रस्त है को समाप्त करने के लिए प्रमुख और निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निकाय है। भारत समझता है कि उसे विश्व के घटनाक्रम पर अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने का संबंध है, तो भारत इसके इतिहास का पहला और सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। हम हाल ही में आतंकवादियों द्वारा अपनी आंखों के सामने अपनी संसद पर किए गए हमले का हवाला दे सकते हैं।

महोदय, जहां तक गुट-निरपेक्ष आंदोलन का संबंध है, हाल ही में मुझे अपनी सरकार की कृपा से कोलम्बों में ''संघर्ष से प्रभावित देशों में संसद की भूमिका विषय पर आयोजित एक अध्ययन समूह में भाग लेने का अवसर मिले। वहां मुझे अफ्रीका के युवा सांसदों से बातचीत करने का अवसर मिले। उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। मुझे इस उच्च सभा को यह बताकर खुशी होगी कि वे क्या महसूस करते हैं। आज विश्व के विभिन्न देशों विशेषकर अफ्रीकी देशों के निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं कि भारत को गुट-निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक बहुत जिम्मेदार तथा प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। विश्व समझता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व परिदृश्य में शक्ति असंतुलन पैदा हो गया है।

जहां तक इराक का संबंध है तो मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि वह भारतीय ट्रक ड्राइवरों के अपहरण के मामले

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

में बातचीत या फिरौती की मांगों के सामने नहीं झुकी। हमारे विदेश मंत्री नटवर सिंह जी तथा हमारे राज्य मंत्री श्री ई. अहमद के दिशानिर्देश में हमारी सरकार का यहां विशेष उल्लेख होना चाहिए। हम उनके दबाव में आए बिना अपने ट्रक ड्राइवरों को रिहा कराने में सफल रहे और मेरे देश ने बाहरी ताकतों के दबाव का भी दृढ़तापूर्वक सामना किया। मेरे देश ने इराक में अपने सैनिक न भेजने का दृष्टिकोण अपनाया, जिसके लिए मैं डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को बधाई देना चाहूंगी।

जहां तक फिलस्तीन का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भारत औपनिवेशिक शासन का मुख्य भुक्तभोगी रहा है। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के उपयोगी मूल्यों से अवगत है। अत: इसने विश्व में अनेक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को समर्थन दिया। भारत ने उनकी मातृभूमि के संघर्ष के लिए उनके अधिकार का हमेशा समर्थन किया। जब हम कुछ मुद्दे उठाएं तो हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि अरब देशों में लगभग 40 लाख भारतीय मुसलमान रह रहे हैं। इसका अर्थ है, कुछ भी दृष्टिकोण अपनाते समय हमें भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए।

जहां तक चीन का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री से भेंट की। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक अपना दृष्टिकोण है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बातचीत के अलावा विकास और व्यापार में हमें बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत, कभी भी विदेशी शक्तियों के दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

जहां तक सिक्किम का संबंध है, हमने बड़ी सफलता प्राप्त की है। आज हम चीन को यह समझाने में सक्षम हैं कि सिक्किम, भारत का अभिन्न अंग है।

जहां तक श्रीलंका का संबंध है, मैं बताना चाहूंगी कि मुझे सतारुढ़ दल के स्पीकर तथा विपक्षी दलों से बातचीत का अवसर मिला।

मैंने सत्तारूढ़ श्रीलंकन पार्टी, यू एन पी के सांसदों, विपक्षी नेताओं तथा श्रीलंकन मुस्लिम कांग्रेस के अनेक सांसदों से भी बातचीत की। यह संसद है इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि भारत ने कभी भी अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन यह समय की मांग है। श्रीलंका के लोग समझते है कि भारत इस शांति वार्ता से दूर नहीं रह सकता है। जहां तक श्रीलंका के लोगों का संबंध है, वे सोचते है कि जब तक भारत उनकी राष्ट्रीय अखण्डता और उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता का समर्थन करेगा, भारत के साथ श्रीलंका के संबंध सुरक्षित हैं। वे ऐसा समझते हैं। कई सांसदों ने भी यही भावना व्यक्त की। मैं समझती हूं कि जब तक भारत, श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों की समस्या को झेल रहा है और चूंकि हम शरणार्थियों की देखभाल कर रहे हैं तब तक श्रीलंका का घटनाक्रम भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता तथा अखण्डता के लिए चिंता का विषय बना रहेगा। भारत में ही कई ताकतों को श्रीलंका में सक्रिय विघटनकारी शक्तियों द्वारा भड़काया जा रहा है तथा उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। इसलिए भारत इस नकारात्मक घटनाक्रम के बारे में खामोश नहीं रह सकता। मैं यह बात हमारे नेता नटवर सिंह जी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि वह श्रीलंका के लोगों की आकांक्षा और धारणा है कि भारत को श्रीलंका की राष्ट्रीय अखण्डता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

हम जानते है कि जब तक हमारे तमिल जातीय तथा मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यक समूह श्रीलंका में उनके संविधान तथा कानूनी ढांचे के अंतर्गत रह रहे हैं, श्रीलंका पड़ोसी देश की सहायता से अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। इतिहास यह नहीं भुला सकता कि श्रीलंका में शांति स्थापित करने तथा उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए मित्रता और हमारे हजारों शांति सैनिकों ने तथा हमारे महान नेता स्वर्गीय राजीव जी ने अपना बहुमूल्य जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं पूरे सम्मान और गहरे दुख के साथ उनके बलिदान को नमन करती हूं।

महोदय, जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, पाकिस्तान देश आज वास्तविकता है। इसे दुनिया के नक्शे से कोई नहीं हटा सकता। कई बार यह याद कर मुझे दुख होता है कि पहले वह भारत का अभिन्न अंग था, यह हमारे जीवन का हिस्सा था तथा यह हमारी महान मातृभूमि का भाग था। हम पाकिस्तान से किसी अन्य दुश्मन देश की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। कोई अपनी इच्छा से किसी विशिष्ट धर्म अथवा विशिष्ट स्थान या विशिष्ट देश में जन्म तो नहीं ले सकता, परन्तु हम अपनी इच्छा से शांति और सद्भाव के साथ एक-दूसरे के साथ मिलकर तो रह सकते है। मैं मानती हूं कि हम विपक्ष के नेता श्री एल.के. आडवाणी जी की देशभक्ति पर संदेह नहीं कर सकते। जिस स्थान में उनका जन्म हुआ था वह अब पाकिस्तान में है। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन जी का जन्म जहां हुआ था, वह स्थान भी पाकिस्तान में है। यदि हम अपने विपक्ष के नेता और अपने प्रधानमंत्री की देशभक्ति का सम्मान कर सकते हैं तो हम पाकिस्तानी लोगों और भारतीयों की आकांक्षाओं को क्यों नहीं समझते? भारत के लोग आज शांति चाहते है। पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। अगर हम ईमानदार है, अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो जहां चाह वहां राह वाली बात है। मैं जानती हूं कि मेरे सभी पूर्वज इस मुद्दे पर लड़े

थे। मेरे सभी बड़े इस मुद्दे पर लड़े। कम से कम अपने जीवनकाल में हम पाकिस्तान के साथ सद्भाव और मित्रता देखना चाहते हैं। भारत जब तक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं समझती हूं कि हमारी क्षेत्रीय अखण्डता, क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करके यूपीए सरकार पड़ोसी देश के साथ सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए सभापति महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं यूपीए सरकार की विदेश नीति का भी धन्यवाद करती हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह सायं 7 बजे तक जारी रहेगी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, मैं सरकार की विदेश नीति के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं इस वाद-विवाद का आरम्भ करने के लिए सदस्यों, श्री सुधाकर रेड्डी और श्री चन्द्रप्पन का धन्यवाद करता हूं।

जब हम स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीछे जाएं तो हम पाते हैं कि आरम्भ में हमारी विदेश नीति हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी द्वारा बनाई गई थी।

वह शीत युद्ध के दिन थे और वे स्वयं में इतने सक्षम और महान थे कि उन्होंने पंचशील के सिद्धान्तों और गुट-निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमने उसके साथ शुरुआत की। शीत युद्ध के बाद की अवधि में काफी परिवर्तन आया। पहले की तरह कोई सोवियत संघ नहीं था बल्कि अमरीका जैसा एक देश है, जोकि निर्विवाद रूप से अर्थव्यवस्था के हिसाब से और हथियारों के लिहाज से महानतम देश है।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति लगभग एक ही समय में हुई। उस समय 51 देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। अब 191 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र आज वह शक्ति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हमने इराक और ऐसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में देखा कि जब भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो संयुक्त राष्ट्र की नहीं चलती है। यह हमारे जैसे देशों के लिए एक चिन्ता की बात है।

हम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यता चाहते हैं, यह उन महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिस पर हमारी विदेश नीति केन्द्रित होनी चाहिए. मैं माननीय मंत्री महोदय से, जिन्हें गहन *जानकारी और अनुभव है, जानना चाहूंगा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए हम क्या नीति तैयार कर रहे हैं।*

मैं कुछ समय पहले जापान में था। जापान तथा ब्राजील भी सुरक्षा परिषद में सदस्यता के आकांक्षी हैं। हम जानना चाहेंगे कि हम मिलकर कैसे रास्ता बना सकते हैं और बड़े राष्ट्रों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का छठा हिस्सा है। हमारा देश में पिछले 57 वर्षों से लोकतंत्र रहा है। हमारे अन्दर वह शक्ति है तथा मेरे विचार से यह हमारा अधिकार है कि हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।

यह एक व्यापक विषय है जो सामने आया है। हम केवल कुछ चीजों पर ही विचार कर सकते हैं। विदेश नीति इतना व्यापक विषय है कि हमें यह नहीं पता कि कहां से शुरू किया जाए। यदि हम पड़ोसी देशों से शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी समस्याएं चल रही हैं। ऐसा पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ भी है। नेपाल भी हमारा एक पड़ोसी है। नेपाल सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं पर समस्याएं भी हैं। हमें विचार करना होगा कि हम वास्तव में भूटान तथा नेपाल से कैसे कुछ लाभ उठा सकते हैं।

भारत में बिजली की कमी है। यदि हम नेपाल से बातचीत कर पाते हैं तो हम दो समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। हम बिहार और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जल-विद्युत की उनकी क्षमता का अन्वेषण एवं दोहन भी किया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि नेपाल में 50,000 मेगावाट से अधिक विद्युत की संभावना है और भूटान में भी इतनी हो या इससे थोड़ी कम संभावना है। हम भूटान से बातचीत कर रहे हैं।

सायं 6.00 बजे

परन्तु नेपाल के समस्याओं के कारण हम इस संबंध में आगे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

आज महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम डब्ल्यू.टी.ओ. के कार्यक्षेत्र में आते हैं चाहे हम इसे पसन्द करें या नहीं हम इस प्रणाली में है तथा हम इससे बाहर नहीं जा सकते-कुछ देश द्विपक्षीय व्यापार संबंध बना रहे हैं तथा वे ई.पी.ए. तथा एफ.पी.ए. बना रहे हैं अत: हमें भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए। यूरोपीय संघ तथा अन्य एन ए एफ टी ए विद्यमान है तथा अब आसियान देश हैं, *एशिया के छोटे देशों ने आसियान शुरू किया था। अब वे चीन, जापान, भारत तथा कोरिया जैसे बड़े देशों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं ...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सभापति महोदय, छः बज गए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: समय को पहले ही एक घंटा और बढ़ा दिया गया है। आपकी पार्टी के दो और सदस्यों ने बोलना है। इसलिए कृपया जल्दी समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय अभी-अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। यह काफी व्यापक विषय है। *...(व्यवधान)* यदि हम केवल आसियान या पड़ोसी देश या संयुक्त राष्ट्र पर ध्यान देते तो हम वास्तव में कुछ कह पाते। तथापि मैं दो मिनट में इस पर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सुरेश प्रभु ने काफी चीजों पर बहुत ही अच्छे विचार प्रकट किए हैं। मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि हमारी सरकार ने क्या किया और हम विदेश नीति में सफल कैसे रहे क्योंकि श्री रूपचन्द पाल ने इसके बारे में काफी बातें बताई। मैं उनका उत्तर नहीं देना चाहता। परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वह वास्तव में फिदेल कास्त्रों की तारीफ कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं वे क्यों ऐसे तानाशाह की प्रशंसा कर रहे थे।

खैर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज भारत के पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं। मुझे एस दा एफ एम दा प्रतिनिधिमण्डल के साथ पाकिस्तान जाने का अवसर मिला। जब हम वहां के संसद सदस्यों से बातचीत कर रहे थे मैंने वहां पाया कि सभी हमारे साथ व्यापार संबंध रखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कश्मीर समस्या है परन्तु हमें इसे अलावा रखकर भारत के साथ बेहतर व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंध बनाने चाहिए। वीजा में छूट, अधिक रेल तथा बस सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं। यदि हम यह सब करते हैं तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में वास्तव में सुधार होगा।

अपनी बात पूरी करने से पहले मैं एक और विषय पर भी प्रकाश डालूंगा। जहां तक विदेश नीति का प्रश्न है नेहरू के समय से हमारी काफी स्थिर नीति रही है और हम वर्तमान सरकार से चाहेंगे कि वह उन प्रमुख परिवर्तनों अथवा प्रमुख दृष्टिकोणों पर हमेशा विपक्ष से सलाह लें जिन्हें वह हमारे समक्ष रखना चाहती है ताकि हम इनमें अपना योगदान दे सकें।

अब मैं एन.पी.टी. तथा सी.टी.बी.टी. की बात करता हूं। हमने एन.टी.पी.सी. या सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परन्तु इसके साथ ही आज हमारे देश में बिजली की कमी है। परमाणु ईंधन विश्व में सबसे सस्ता है। इस तक हमारी पहुंच नहीं है और न ही इस प्रौद्योगिकी तक हमारी पहुंच है। फ्रांस अपनी विद्युत आपूर्ति की मांग को परमाणु ऊर्जा द्वारा पूरा करता है। पूरे फ्रांस की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा में 85% परमाणु ऊर्जा है। वे इसे हमें देने के लिए तैयार हैं। परन्तु क्या हमने इसके बारे में बातचीत की है? क्या हम एन.पी.टी. तथा सी.टी.बी.टी. को अलग रख सकते हैं? कृपया जापान के साथ बाचतीच करें जिसके पास परमाणु क्षमता तथा सामर्थ्य है। रूस के साथ हमने पहले ही नए लाइट वाटर रिएक्टर के लिए समझौता किया है तथा वे आगे आ रहे हैं। हमने उनके साथ समझौता कर लिया है। वे हमें प्रौद्योगिकी तथा ईंधन दे रहे हैं।

परन्तु क्या हमें शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए परमाणु ऊर्जा मिल सकती है? मेरे विचार से अधिकांश देश महसूस करते हैं कि भारत परमाणु शक्ति रखने वाला एक जिम्मेदार देश है-मैं इसे परमाणु शक्ति कहूंगा और इस जिम्मेदारी के साथ हम कह सकते है कि हमें एक शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री के यह जानना चाहूंगा कि वह क्या कहना चाहेंगे तथा हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): धन्यवाद महोदय। यहां काफी विचारशील और उत्कृष्ट भाषण दिया गया है। इससे सभा का मान बढ़ा है तथा हम सभी स्वयं को प्रबुद्ध महसूस करते हैं क्योंकि इस सभा के सभी माननीय सदस्यों ने भारत की विदेश नीति जैसे उलझे हुए विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का गम्भीरता से प्रयास किया। मैं कम बोलूंगा क्योंकि मैं कथनी की तुलना में करनी में विश्वास करता हूं। परन्तु चूंकि इस सभा में शब्दों का ही महत्व है, अत: मैं संक्षेप में कहूंगा।

क्या वास्तव में हमारी कोई विदेश नीति है? यह पहला तथा सर्वप्रथम प्रश्न है जो मेरे मन में उठता है। क्या यह सही है कि भारत आज राजनयिक दृष्टि से भटकाव की स्थिति में है? हम यह नहीं जानते कि हम कहां जा रहे है और हम क्या चाहते हैं? जी हां हम बच्चों की तरह रोते हैं-कृपया हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सीट दीजिए, कृपया एक वीटो पावर भी दे दीजिए। हम ब्राजील, जापान तथा जर्मनी जैसे दो या तीन अन्य देशों को भी साथ ले लेते हैं। परन्तु फिर जर्मनी के 'फादर' वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और वह कहते हैं: ''देखो बेटा तुम इन काले रंग वालों के साथ क्या कर रहे हो? इनसे दूर हो जाओ''। तो जर्मनी मैदान के बाहर हो जाता है और बेचारे भारतीय राजनैतिक दूतवर्ग को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है।

हम ऐसी स्थिति में क्यों हैं? ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि-मैं वही कहूंगा जो कुछ समय पहले राजस्थान के माननीय

सदस्य ने सुझाव दिया और उन्होंने काफी हद तक ठीक कहा–शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हमारी विदेश नीति का एक लक्ष्य होता था जहां हम गमाल अब्दुल नासरे या टीटो या कुछ अन्य देशों के साथ रहते है जो सोचते थे–क्योंकि वो अमरीका के साथ नहीं जुड़ सकते थे या सोवियत का सहारा नहीं ले सकते थे–यदि हम साथ आते हैं तो हम ऐसा गठबंधन बना सकेंगे जिससे हम ऐसे विश्व में जमे रह सकते हैं जो कि भीषण शीत युद्ध से गुजर रहा था।

परन्तु इसके बाद यदि हम अपने इतिहास को देखते हैं तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के दौरान हमारा राजनय ऊंचाइयों को छूता दिखाई दे रहा था जब उस समय विदेश मंत्री श्री दिनेश सिंह रावत गए जहां राष्ट्रों के मुस्लिम देशों की बैठ हो रही थी तथा उन्हें अपमानित किया गया क्योंकि उन्हें राष्ट्राध्यक्षों को सम्बोधित करने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं उन्हें प्रवेश भी नहीं करने दिया गया। साठ से दशक के उत्तरार्द्ध में भारतीय विदेश मंत्री को रावत में सभागार में प्रवेश नहीं करने दिया गया जहां मुस्लिम राष्ट्रों के सभी राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हो रही थी। यह सबसे बुरी स्थिति थी, और यह भारतीय विदेश नीति के आकर्षक की शुरुआत थी।

इसके उज्जवल पल भी रहे हैं। उदाहरण के लिए, मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक इच्छा थी और राजनीतिक पहल की गई थी जो कूटनीतिक क्षेत्र में सामने आई। शायद, यह कुछ मामलों में काम आई, और कुछ अन्य मामलों में काम नहीं आई लेकिन उस दौरान निश्चय ही, एक राजनीतिक इच्छा थी। हम पाकिस्तान के साथ मित्रता चाहते थे। हमने उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बदले में उन्होंने हमें चोट पहुंचाई। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने दावा किया था कि हम प्रयास कर रहे हैं और हम उनसे निकटता बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।

श्री वाजपेयी ने भी स्वयं पाकिस्तान जाकर यह संकेत दिया और उन्होंने यह बात कही कि हम केवल बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारा इरादा है कि हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर अमल भी करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वह जिसमें विश्वास करके उसका प्रयास करके अपनी जान जोखिम में डाली। उस समय भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा हुआ क्योंकि यदि आप इतिहास देखे तो विशेषकर मुशर्रफ काल को देखें तो पाकिस्तान हर बार भारत को मात देने में सफल रहा है।

जनरल परवेज मुशर्रफ दिल्ली में पले हैं। और संभवत: वह भारतीय जनता के मन की बात जानते हैं। अब, वह अपने देश की भाग्य का फैसला करने की स्थिति में हैं, और उन्होंने हम सभी को पूरी तरह से बेवकूफ बनाया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह पहल कर रहे हैं।

सायं 6.12 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

आज, हम विश्व को वैश्विक गांव कह रहे हैं। यदि आईवरी कोस्ट में राजनीतिक अस्थिरता या गृहयुद्ध की स्थिति हो तो यूरोपीय समुदाय के लिए चाकलेट या काफी की कमी हो जाती है या मूल्य बढ़ जाता है। मैंने केवल यह दिखाने के लिए उदाहरण दिया है कि विश्व किस प्रकार छोटा होता जा रहा है। इस प्रकार के विश्व में जहां तक कूटनीतिक का संबंध है तो मुशर्रफ हमेशा भारत से पांच कदम आगे रहते हैं क्योंकि हम उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर पाते। संभव है कि वह बेतुकी बातें करते हो, जो कि मैं नहीं सोचता कि वह हमेशा बेतुकी बातें करते हैं सिवाय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता जैसे मुद्दे के जहां हम यह चिल्ला रहे हैं कि "सुरक्षा परिषद की सदस्यता हमें दो।" इसी प्रकार, पाकिस्तान के साथ हम भी नहीं कह रहे हैं। हर बात के लिए हम 'नहीं' कह रहे हैं। हम तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहते। ठीक है। हम कश्मीर को अशांत क्षेत्र के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और मुशर्रफ यह दावा कर रहे हैं कि वह अशांत क्षेत्र है और हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम केवल आपसे बात करेंगे।

यदि हमने कश्मीर को अशांत क्षेत्र के तौर पर स्वीकार नहीं करते तो हम यह कह सकते थे कि: "वहां कोई अशांति नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते चलते हैं।" लेकिन हम यह बात नहीं कह पाए। हमारे पास यह कहने के लिए दूरदृष्टि नहीं थी, और अब है कि हमने इसे स्वीकार किया है, समस्या यह है कि विदेश मंत्रालय में बैठे हमारे अधिकारी–कुछ समाधान नहीं सुझा पाए जिन्हें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचा पाता और यह कह सकता कि : "देखिए हमारे पास यह प्रस्ताव है। क्या आप इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते है, और क्या आप इस पर मध्यस्थता करना चाहते हैं?" "नहीं" हमारे पास कोई संकल्पना नहीं है। हमारे पास संकल्पनाएं नहीं है। हमारे पास बताने के लिए समाधान नहीं हैं और वह सज्जन–जिसके पास राष्ट्रपति पद हर समय की शक्ति है, और थलसेना के प्रमुख हैं–हर समय हमें तंग करने के लिए तथा घेरने के लिए काफी समझदार है। वह अनोखे सुझाव दे रहे हैं और वह हमें दुख पहुंचा रहे हैं।

हमें कुछ नहीं कहना है। हमारे पास क्या है? हमारी अफगानिस्तान, के बारे में कोई राय नहीं हैं, हमारे पास इराक के

[श्री तथागत सत्पथी]

बारे में कोई राय नहीं है और हमारी कभी भी बोस्निया के बारे में कोई राय नहीं थी। हमारा व्यवसाय समुदाय यह निर्णय करता है कि 'यूरो' और भारतीय 'रुपये' के बीच विनियम दर क्या होनी चाहिए। आज यदि मैं यूरोप के साथ व्यवसाय करता हूं मैं भारतीय रुपये के संबंध में उसे पसंद करूंगा, 'यूरो' को चढ़ने दीजिए। जब मुझे मेरा पैसा मिलेगा तो मुझे बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसका अर्थ है कि, हम आर्थिक रूप से भी पूरे घाटे में है और हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम अपने आप को कहां रखना चाहते हैं। आज के विश्व में, चाहे वह राजनीति हो या कुछ और व्यक्ति इधर से उधर या उधर से इधर छलांग लगा रहे हैं यह स्थितीय विषय है–आप अपने आप को कहां रखेंगे। इसी प्रकार कूटनीति के साथ, भारत यह निर्णय नहीं ले पाया है कि वह अपने आपको कहां रखना चाहता है। इसलिए, जब अमरीका ने जर्मनी को आदेश दिया कि भारत को भूल जाओ तो हमें पूरा घाटा हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विषय में मत उलझो, मैं तुम्हारे हितों का ध्यान रखूंगा। उससे दूर रहो, बोला। जर्मनी ने हमारा साथ छोड़ दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा .....

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री तथागत सत्पथी: मैं अपनी मुख्य बात पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय: यदि आप सहयोग करें तो हम चर्चा को सात बजे तक पूरा कर लेंगे। यदि आप बोलते रहे तो हम चर्चा को सात बजे तक पूरा नहीं कर पाएंगे।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, आप 'राधा' और 'कृष्ण' दोनों आप में समाहित है। आप में धैर्य और सहिष्णुता दोनों का वास है। आप जैसे महान व्यक्ति में धैर्य होना आवश्यक है।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें समय लेने दीजिए। यदि समय बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो उसे बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय: हमें यह चर्चा सात बजे से पहले समाप्त करनी होगी। मैं चर्चा के समय को और बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूं। हम इस चर्चा को सात बजे से ज्यादा समय तक जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री तथागत सत्पथी: समस्या यह है कि भारत के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। मेरी जानकारी में जब राजग के सिवल राजनीतिक दल चुनाव लड़ने जा रहे तो किसी अन्य राजनीतिक दल के पास मतदाताओं के सामने रखने के लिए विदेश नीति से संबंधित मुद्दे नहीं थे क्योंकि ...*(व्यवधान)*

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): ऐसा आपसे किसने कहा?

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैंने पढ़ा था, समस्या यह है कि हमारे वामपंथी भाई उस विचारधारा को लेकर चलना चाहते हैं जिसका राज्य के रुप में पतन हुआ है–सोवियत राज्य का पतन हो गया है। बहरहाल, चिंतन प्रक्रिया जारी रहती है। मैं भी एक प्रगतिवादी व्यक्ति हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें उस विश्व पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए जो एक ध्रुवीय है, और ईश्वर की कृपा से एक ध्रुवीय विश्व नहीं हो सकता। अत: पूर्व सोवियत विचारधारा या चीनी विचारधारा या अमरीकी विचारधारा को लेकर चलने के बजाय क्या कोई भारतीय विचारधारा को लेकर चलना चाहता है। यह समझ में नहीं आता या अर्थात्, संभवत: हमारे कई साथियों और कामरेडों को स्वीकार्य नहीं है। भारत कहां जाना चाहता है।

यदि आप किसी बड़े राष्ट्र को देखें, यदि आप उत्तर अमरीकी महाद्वीप में जाते हैं तो आप देखेंगे कि कनाडा के लोग अमरीका से नफरत करते हैं, आप आप महसूस करेंगे कि मैक्सिको के लोग अमरीका से नफरत करते हैं, लेकिन वे सभी रोजगार के लिए सीमाओं को भुलाकर रोजगार के लिए अमरीका जाना चाहते हैं। इसी प्रकार, यदि आप हमारे पड़ोसी देश, चाहे यह श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, पाकिस्तान या नेपाल के लोग भी, चाहे वह चौकीदार बनना चाहें या कुछ भी वे सभी भारत आना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई भी पड़ोसी देश भारत को पसंद नहीं करता। इस बारे में हमने क्या किया है? क्या हमने इन देशों के बीच जन संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है? हम अमरीका या फिर किसी साम्यवादी देश के साथ उलझे हुए हैं। लेकिन आज बन रहे नए राष्ट्रों का क्या होता है? क्या होता है, कहें तो, सी.आई.एस. देश?

मेरा विचार है कि यदि हम भारत के अधिकांश लोगों से पूछें तो वह सी.आई.एस. देशों के नाम भी नहीं जानते होंगे। यह सच्चाई हैं। हम इन सच्चाइयों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह देश राजनीति उन्मुख विदेश नीति नहीं बना पाया। अन्य अमरीका पर नजर डालिए। जब कभी अमरीका में राष्ट्रपति बदलता है तो विभिन्न महत्वपूर्ण देशों के राजदूत बदलते हैं क्योंकि वे राष्ट्रपति विशेष की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता।

हमारे नौकरशाह हमें बीजिंग, वाशिंगटन तथा यूरोप के ब्रुसेल्स में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह वही व्यक्ति हैं। कल उन्हें चाड, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या थाइलैंड स्थानांतरित किया जा सकता है। अत:, आखिरकार भारत में विदेशी मामलों पर विशेष अध्ययन करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है। हमें विश्व के

कतिपय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन बुद्धिजीवी वर्गों का सृजन करने की जरूरत है जो इन क्षेत्रों का ब्यौरा जानेगा, और जो बनाई जाने वाली नीतियों पर सरकार को सलाह दे पाएगा। वाजपेयी सरकार की 'लुक ईस्ट' की नीति थी। हमें उत्तर और पूर्व की पर नजर डालने की जरूरत है। हमें सीआईएस देशों पर नजर डालने की जरूरत है क्योंकि वे देश हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। जब सीआईएस देशों में इस्पात का आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ था, तो हमारे देश में इस्पात के मूल्य में काफी कमी आ गई।

इसी तरह से, पूर्व में खजाना छिपा पड़ा है। इतिहास गवाह है कि प्रत्येक यूरोपीय देश पूर्व में पहुंचने की कोशिश करता रहा है। वाजपेयी जी ने विदेश नीति के रूप में "लुक ईस्ट" देखने के लिए दूरदर्शिता था, समझ था। वे यह भी चाहते थे कि भारत से वियतनाम तक, सैगोन में हो ची मिन्ह शहर तक सड़क बननी चाहिए जिससे न केवल भारत में आर्थिक विकास होगा बल्कि पूरे रास्ते में एक सुखद एहसास, खुशी आएगी जिससे भारत के प्रति उनमें अच्छी सोच विकसित होगी।

भारत सरकार को नौकरशाही के चंगुल से निकलना होगा। विदेश नीति की चर्चा संसद में होनी चाहिए तभी हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में या आने वाले दिनों में हमारा राष्ट्र ऐसा बन जाएगा जिसका आदर न केवल हमारे पड़ोसी देश करेंगे बल्कि विश्व के अन्य सभी देश आदर करेंगे।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मै इस चर्चा को शुरू करने के लिए अपने मित्र सुधाकर रेड्डी का आभारी हूं। इससे हम सभी को एक अवसर मिला है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: चर्चा में भाग ले रहे सभी माननीय सदस्यों को मेरी सलाह है कि पांच-सात मिनट से ज्यादा समय न लेकर मेरा सहयोग करें। हम सभी आज चर्चा को समाप्त करने में समर्थ होंगे। नहीं तो, हम आज चर्चा को समाप्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह से सभा की बैठक को समय को सायं सात बजे के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मंत्री कल ही जवाब देंगे। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, जब मंत्री कल ही जवाब देंगे और चर्चा भी आज आधे घंटे देर से शुरू हुई है, तो हम क्यों नहीं सभी की बैठक बढ़ा दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय: हमें इसे किसी भी तरह सायं 7 बजे तक समाप्त करना होगा।

श्री खारबेल स्वाईं: पहले कभी भी इतना कड़ाई से समय का पालन नहीं हुआ। कभी-कभी चर्चा 9 बजे रात तक भी हुई है।

सभापति महोदय: इसके लिए समय पहले से ही निर्धारित है। हमें इसका पालन करना है।

श्री खारबेल स्वाईं: इसे सिर्फ इस विषय तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर सभी बोलना चाहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह सिर्फ सायं 7 बजे तक ही सीमित रहेगी। मेरा अनुरोध है कि यदि यह सायं 7 बजे के बाद तक भी चलती है तो कृपया आधे घंटे के लिए इसे बढ़ाएं। माननीय मंत्री को कल जवाब देने दें, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय: यदि सदस्यगण सहयोग नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? हमें समय के अनुसार चलना है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, हम सभी आपके साथ सहयोग करेंगे।

श्री विक्रम केशरी देब: महोदय, इस सभा में विदेश नीति पर काफी लंबे समय बाद चर्चा हो रही है। हम इसे इस तरह से कैसे सीमित कर सकते हैं?

सभापति महोदय: श्री स्वाईं सहित कई सदस्य हैं जिन्हें अभी बोलना बाकी है। मैं जानता हूं वे समय लेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। हम संदर्भ से हटकर कुछ भी नहीं बोलेंगे।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, क्या मैं अपनी बात जारी रख सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं अलोकप्रिय व्यक्ति बनता जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): मुझे एक बात कहनी है। मोरक्को के प्रधानमंत्री यहां हैं। प्रधानमंत्री उनसे सात बजे मिल रहे हैं। मुझे वहां उपस्थित रहना जरूरी है। यदि मैं सभा छोड़कर जाता हूं तो आप यह कहने के हकदार होंगे कि मुझे यहां होना चाहिए था। यदि मैं वहां नहीं जाता हूं तो मुझे बताया जाएगा कि मुझे वहां होना चाहिए था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?

सभापति महोदय: हम इस चर्चा को आज सात बजे तक पूरा कर लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय नहीं लिया गया था कि इस पर आज चर्चा होगी। सरकार का और कोई काम नहीं है और इसलिए वे इसे हमारे ऊपर थोप रहे हैं। *...(व्यवधान)* अब, माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि उनका कोई और काम है। हम यह मांग नहीं करते हैं कि इस विषय पर आज चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)* सरकार ने इस विषय को इसलिए रखा है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति में इस पर निर्णय नहीं लिया गया था। *...(व्यवधान)* आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सिर्फ इस कारण नहीं कि माननीय मंत्री यहां नहीं होंगे। इसलिए, किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी। *...(व्यवधान)* आप इस विषय पर आज ही चर्चा क्यों कराना चाहते हैं?

श्री के. नटवर सिंह: विचार-विमर्श के बाद इस पर निर्णय लिया गया था। मुझे इसकी सूचना कल दी गई थी। यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं। इस पर कभी निर्णय नहीं लिया गया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, कृपया अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): हमने समय को सिर्फ सात बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सिर्फ सात बजे तक।

श्री विजय हान्डिक: हां, हमने निर्णय लिया है। उस समय माननीय सभापति द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। यह घोषणा की गई थी कि चर्चा सात बजे तक समाप्त हो जाएगी और माननीय मंत्री कल जवाब देंगे। आप समय बढ़ाने के लिए क्यों कह रहे हैं? फिर तो यह कभी खत्म ही नहीं होगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समय बढ़ाना संभव नहीं है।

श्री विजय हान्डिक: सात बजे तक, कृपया चर्चा पूरी कर ली जाए। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: पिछली लोक सभा में इस सभा में यह घोषणा किए जाने के बाद भी समय बढ़ाया गया था कि यह चर्चा उस विशेष समय तक पूरी कर ली जाएगी *...(व्यवधान)* आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी पार्टी, जब आप इस तरफ थे, तो समय को सात बजे तक और 9 बजे तक बढ़ाया गया था। *...(व्यवधान)* मैंने इस बात को जोरदार तरीके से रखा था *...(व्यवधान)* सरकार को अपने तरीके से काम करना चाहिए लेकिन विपक्ष के सदस्यों को भी अपनी बात कहनी है *...(व्यवधान)*

आप कैसे कह सकते हैं कि समय को सात बजे तक सीमित कर दिया गया है? *...(व्यवधान)* इस बात का निर्णय लिया गया था। *...(व्यवधान)* यह सब ठीक है।

श्री विजय हान्दिक: आप इसे कैसे स्थगित कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: कल अन्य सदस्य बोलेंगे और तब माननीय मंत्री जवाब देंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम निर्णय करेंगे कि 7 बजे क्या करना है।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: माननीय सभापति महोदय, इससे इस सभा को भारत की विदेश नीति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने का अवसर मिला है। कई सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं वे बातें नहीं बताना चाहता हूं जिन पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। भारत की विदेश नीति हमारी आजादी के संघर्ष से उद्भूत हुई थी और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जारी रही, यह एक स्वतंत्र विदेश नीति थी जो साम्राज्यवाद विरोधी नीति थी और शांति की नीति का और संसार भर में आजादी की लड़ाई का भी समर्थन कर रही थी।

राजग सरकार ने इस नीति में एक आधारभूत परिवर्तन यह किया कि वे यह कह रहे हैं कि नीतियां वही हैं। मैं समझता हूं कि राजग सरकार ने मुख्य परिवर्तन यह किया है कि एक स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुसरण करने की बजाय वह अपनी विदेश नीति के संदर्भ में अमेरिकी साम्राज्यवाद की और अधीन हो गई। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

पहला उदाहरण राष्ट्रीय मिसाइल नीति है, एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से अमेरिका सारे संसार पर नियंत्रण करना चाहता है। राजग सरकार उसके प्रति नरम रवैया अपना रही है।

जब पर्यावरण नीति अर्थात् क्योटो करार को संसार के सारे देश स्वीकार कर रहे थे तो अकेले अमेरिका ने यह रूख अपनाया कि वह उससे सहमत नहीं है। 'ग्लोबल वार्मिंग' की समस्या पर उन्होंने एक कड़ा रूख अपनाया और कहा कि वे क्योटो करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। राजग सरकार ने तो इसका विरोध भी नहीं किया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप अमेरिकी साम्राज्यवाद के और अधीन हो गए हैं।

कुछ सदस्यों ने अमेरिका के बारे में विस्मय और भय से अभिभूत होकर यह कहा है कि वह इतना अमीर है इतना शक्तिशाली है कि हमारे पास उसकी अधीनता स्वीकार करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। स्थिति ऐसी नहीं है। आखिरकार, हमारा इतिहास क्या है? हम उन अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़े और जीते जो उन दिनों सारे संसार पर शासन कर रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। हम उनसे लड़ रहे थे और हम उनके विरुद्ध लड़े। हम न केवल इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े बल्कि हमने उन सभी लोगों को भी पूरा समर्थन दिया जो दूसरे देशों में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। हम साम्राज्यवाद से नहीं डरे थे। फिर हम आजाद हो गए और इस स्थिति को जारी रखते हुए, हमने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जिसका आधार स्वतंत्रता, शांति और साम्राज्यवाद के विरुद्ध सभी नव-स्वतंत्र देशों की एकता थी। गुट-निरपेक्षता मात्र तटस्थ रहना ही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुट-निरपेक्षता की व्याख्या की थी। यह साम्राज्यवाद का विरोध करने की एक नीति है, यह नव-स्वतंत्र देशों का समर्थन करने की एक नीति है, और यह युद्ध के प्रयासों के प्रति शांति की नीति है। मैं इस नीति को आगे बढ़ाने हेतु उन दिनों में किए गए कार्यों के कई उदाहरणों को उद्धृत कर सकता हूं। यह किए गए मूल परिवर्तन वाली वह स्थिति है जब उनकी बड़ी विदेश नीति की बातों के बावजूद राजग सत्ता में आई थी।

सायं 6.33 बजे

[**श्री पवन कुमार बंसल** *पीठासीन* हुए]

आज क्या स्थिति है? आज, नई सरकार आ गई है। गत सप्ताह रूस के राष्ट्रपति यहां थे। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति की शुरूआत कर रहे हैं जिसके द्वारा भारत-चीन और रूस एक साथ मिलकर चलेंगे। इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें हम आर्थिक रूप से साथ-साथ समृद्ध होंगे, जिससे विश्व शांति को संरक्षित किया जा सकेगा। इससे दूसरे देशों के साथ व्यापार और अन्य संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे पास सोवियत संघ के पूर्व एशियाई देशों के लिए भी एक नीति है। हम शंघाई-7 देश के सदस्य हैं जिसमें चीन, भारत और इस क्षेत्र के अन्य देश है। बात यह है कि हम और अधिक व्यापारिक और मैत्री संबंध बनाने की कोशिश करेंगे और ये सारे संबंध विश्व शांति को बचाने और राज्यों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के विचार पर आधारित होंगे। अत: भारत के इर्द-गिर्द हम अन्य देशों, चाहे वे श्रीलंका, नेपाल, बर्मा अथवा अन्य देश हों, के साथ ऐसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि इस स्वतंत्र विदेश नीति में अमेरिका के सम्पूर्ण विश्व पर प्रभुत्व जमाने के प्रयास की भी चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं, यह सरकार विदेश नीति को पूर्व स्थिति में लाने में सफल होगी।

हमारे पास एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए जो इस देश के उन लोगों की शांति और भाईचारे के मार्ग पर ले जाएगी जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है।

अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह है कि हम अमेरिका को सबसे बड़ा लोकतंत्र मानने की भूल न करें। साथ में यह न मानें कि वे अमीर हैं तो हमें आत्मसमर्पण करना होगा, जैसा कि भाजपा के हमारे मित्र कहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): क्या माननीय सदस्य केवल दो मिनट के लिए चुप रहेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि हमें चर्चा पूरी करनी है।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: मेरा एक आग्रह है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको अनुमति नहीं दे सकूंगा।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: माननीय सदस्य इसके लिए मान रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लेकिन उनके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ और बात कह रहा हूं। आप बोल नहीं सकते, आप मेरा साथ दीजिए। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: मैं एक मिनट का समय लूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी से कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं। मैंने सूची में कहीं आपका नाम देखा था। इसलिए, जब भी आपको समय मिले, आप यह बात सामने रख सकते हैं। अब, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: माननीय सदस्य इसके लिए मान रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह बात नहीं है। आप कृपया बैठ जाइए। कृपया समझें। ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। अब आप नहीं बोल सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपका नाम बाद में पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, मैं असहाय हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उन बातों को ध्यान में रखें जो वह यहां बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, मैं असहाय महसूस करता हूं क्योंकि मुझे अध्यक्षपीठ की ओर से संरक्षण नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। श्री देव, मैं आपको बोलने का पर्याप्त समय दूंगा। आपको समय मिलेगा। लेकिन अभी हम समय नष्ट न करें। आप उन बातों को ध्यान में रख सकते हैं जो वह यहां कह रहे है और बाद में आप उनका उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे खेद है, हम यह नहीं कर पायेंगे।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: मैं तो आपसे केवल अनुरोध कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, मुझे दु:ख है। अब श्री चन्द्रप्पन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री देव, यदि आप चुप रहेंगे, तो आपको समय दिया जायेगा।

सभापति महोदय: नहीं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री देव, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और इसीलिए, आप कृपया मत बोलिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री देव, आप कृपया माननीय सदस्य को संबोधित मत कीजिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री चन्द्रप्पन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री देव, मुझे आपका सहयोग चाहिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मेरी अंतिम बात यह है। जब हम अमेरिका और उसके महान महत्व की बात करते हैं, हम सदैव उनकी साम्राज्यवादी नीति के विरोध में रहे हैं। अमेरिका के राज्य सचिव ने गुट निरपेक्ष नीति को "अनैतिक" कहा था। वे गुट से बाहर होने को अनैतिक मानते हैं। वे ही हमारे देश में सभी प्रकार की तोड़-फोड़ का समर्थन और सहायता प्रदान करते रहे हैं।

मेरी आखिरी बात यही है। हाल ही में जब असम में समस्या उत्पन्न हुई थी, सी.आई. ने बिना मांगे अपनी पेशकश प्रस्तुत की थी। हमने उनसे किसी भी चीज की पेशकश की मांग नहीं की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास बेहतर तंत्र है और यहां पर आतंकवाद से निपटने के लिए उनके पास विशेषज्ञता है। आतंकवाद से निपटने के नाम पर, हम नहीं चाहते कि अमरीकी साम्राज्यवाद हमारे आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। इस संबंध में हमारी राय स्पष्ट होनी चाहिए। हमें एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए। हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले का पक्ष लेना चाहिए। हमें अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए। उनके साथ हमारे अच्छे पड़ोसी के

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संबंध होने चाहिए। वर्तमान विदेश नीति हमें इस दिशा में ले जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: धन्यवाद। किसी भी देश की विदेश नीति एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है–तथा सरकार के बदलने के साथ यह नहीं बदलती। इसी वजह से इस नई सरकार के बनने के बाद भी इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है।

मैं, सर्वप्रथम इस सरकार को कम से कम दो चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा–पहला यह कि उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर से सेना वापस बुलाने हेतु पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बात स्वीकार नहीं की तथा दूसरी, इस सरकार के इराक में बंधक संकट को हल करने के तरीके को। मैं इन दो बातों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

तत्पश्चात्, मैं वामदलों विशेषकर उन लोगों द्वारा जो अमरीका के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं हमारे विरुद्ध की गयी आलोचना की चर्चा करूंगा।

जिस तरह से पुराने रिकार्ड की सुई किसी एक जगह ठहर जाने से उसके द्वारा एक ही बात बार-बार दोहराई जाती है, ठीक उसी प्रकार ये वामदल हमेशा उपनिवेशवाद, प्रभुत्व, साम्राज्यवाद, चापलूसी आदि का जिक्र करते रहते हैं। यदि आप पिछले 20-30 वर्षों का रिकार्ड देखें तो आप पायेंगे वे इन्हीं बातों को बार-बार दोहराते आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* साम्राज्यवाद पर सिर्फ इन्हीं को विशेषज्ञता हासिल है हमें नहीं। खैर जो भी हो, अब वे कहते हैं कि इराक में अपने चुनाव अधिकारी न भेजें क्योंकि इराक में एक गैर कानूनी सरकार है। इस बात पर हम भी सहमत है। जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो हम इराक में शांति सेना भेजने पर सहमत नहीं थे। मैं इस बात से सहमत हूं।

हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, श्री कोफी अन्नान द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर चर्चा करेंगे। थाईलैंड के प्रधान मंत्री, श्री आनन्द पन्याराचुम की अध्यक्षता में एक सिफारिश की गयी थी कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए। उन्होंने सिफारिश की थी कि किस देश को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह सिफारिश की गयी थी कि देशों द्वारा शांति बहाली सहित परिषद के शांति व सुरक्षा प्रयासों में योगदान देने की उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर उनको सदस्य बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक नए निकाय, शांति स्थापना मिशन की स्थापना करने की भी सिफारिश की गयी है जिसका कार्य हिंसक संघर्ष की संभावना वाले देशों की पहचान करना, इसके रोकथाम की व्यवस्था करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के प्रयासों को जारी रखना होगा।

यदि भारत विश्व शक्ति बनना चाहता है तो इसके पास तीन या चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले इसे अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होना चाहिए। यदि हम अपनी कश्मीर समस्या का समाधान नहीं कर पाते है तथा इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप चाहते हैं तो कोई भी हमें महाशक्ति (सुपर पावर) या विश्व शक्ति नहीं मानेगा। अमेरिका अपनी समस्या स्वयं सुलझाता है यदि भारत महाशक्ति बनना चाहता है तो इसे भी अपनी समस्याएं सुलझाने में समर्थ होना होगा। दूसरी, भारत को उप-क्षेत्रीय मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ दक्षिण एशिया अथवा एशिया के नेता हैं। हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हम यह सोचें कि हम विश्व शक्ति हैं और तदनुरूप व्यवहार करें। इस प्रयोजनार्थ भारत को पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों में अधिक से अधिक भागीदारी करनी चाहिए। भले ही इराक में शांति सेना न भेजी जाए परन्तु भारत को अन्यत्र जहां भी आवश्यक हो अपनी शांति सेना भेजनी चाहिए अन्यथा, विश्व हमें विश्व शक्ति के रूप में क्यों मान्यता देगा?

अंतिम किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को छोटे देशों से ऋण लेने की बजाय उन्हें ऋण देना चाहिए। मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान मंत्रित्वकाल में पहली बार हमने सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया था कि हम हालैण्ड जैसे छोटे देशों से ऋण नहीं लेंगे बल्कि हमने अल्प विकसित देशों को ऋण माफ कर दिया था। इसलिए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को भी इसका अनुसरण करना चाहिए।

अब हम कश्मीर समस्या की बात करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बता दूं कि हुर्रियत कान्फ्रेंस प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री से बात नहीं करना चाहता बल्कि वे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि वे इस सरकार को हल्के रूप में ले रहे हैं? इसका अर्थ यह नहीं कि वे हमें कमजोर मान रहे हैं? माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं। उनके द्वारा यह कहने का क्या अर्थ है कि सभी विकल्प खुले हैं? क्या उनका यह मंत्रालय हैं कि वे कश्मीर में तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप के इच्छुक है? क्या यह कुछ और क्षेत्रों के लिए लड़ने हेतु जम्मू एवं कश्मीर के भारतीय हिस्से को विभाजित करने के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक हैं? क्या वह नियंत्रण रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक है? क्या वह नियंत्रण रेखा को द्विपक्षीय सेनाओं अथवा संयुक्त राष्ट्र सेनाओं के नियंत्रण के अधीन रखने के इच्छुक हैं? क्या वे इन सब चीजों के इच्छुक हैं? इस प्रकार के वक्तव्य कि सभी विकल्प खुले हैं, भ्रम पैदा करते हैं।

[श्री खारबेल स्वाईं]

6 जनवरी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो वक्तव्य दिया था, वह अथक प्रयासों का नतीजा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि वह हिंसा और आतंकवाद से बचेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह अपने क्षेत्र का आतंकवादियों द्वारा उपयोग नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि उन्होंने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख नहीं किया था। परन्तु अब वह कहते हैं कि कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन्होंने ही गत जनवरी में यह कहा था कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, परन्तु अब वह ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसलिए, हम राजग के लोगों का यह मानना है कि धीरे-धीरे विश्व, पाकिस्तान और आतंकवादी यह सोचने लगे हैं कि यह एक बहुत ही नरम और कमजोर सरकार है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि माननीय विदेश मंत्री उन शंकाओं को दूर करें जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है।

हाल ही में, रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन भारत आए। उन्होंने पहले कहा कि वह भारत को सुरक्षा परिषद के सदस्य के रुप में देखना चाहते हैं परन्तु वह यह चाहते हैं कि भारत के पास वीटो की शक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक एक दिन के पश्चात्, उन्होंने कहा कि वह इससे सहमत हैं। इस तरह के भ्रमपूर्ण वक्तव्य से बचा जा सकता था। आज फिर समाचारपत्रों में एक खबर यह प्रकाशित हुई है कि तारापुर परमाणु ईंधन रिएक्टर को दी जाने वाली सहायता रोक दी जाएगी। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं। यदि यह सही है, तो सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे कि रूस उस समझौते का उल्लंघन न कर सके जिसे उसने तारापुर परमाणु ईंधन रिएक्टर के संबंध में भारत के साथ किया था?

कई माननीय सदस्यों द्वारा बहुत ही बढ़िया भाषण दिए गए हैं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। मैं बस दो या तीन सुझाव देना चाहता हूं। सिक्किम के निकट अब स्थित नाथू-ला-दर्रे को शीघ्र खोल दिया जाना चाहिए जिससे कि चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हो सके। वस्तुतः, पिछले कुछ माह पूर्व मैं नाथू ला दर्रे पर गया था। लोक बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसे खोला जाना चाहिए ताकि भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध स्थापित हो सके।

मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि यह एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है-इसलिए ट्रैक-2 कूटनीति के माध्यम से चीन की सरकार से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि उसे धर्म गुरू दलाई लामा को वार्ता के लिए अनुमति देनी चाहिए। चीन की सरकार को उनके साथ वार्ता करनी चाहिए क्योंकि धर्मगुरु ने तिब्बत नाम से एक स्वतंत्र देश के विचार को त्याग दिया है। तिब्बत को चीन देश में एक वास्तविक स्वायत्तता का दर्जा दिया जाना चाहिए।

बांग्लादेश के संबंध में, सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए ताकि और घुसपैठ न हो सके। इजराइल के संबंध में, यह आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत का सहभागी है। हमारे यहां भी यही समस्या है। इस प्रकार, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हमें इसके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए? पानी की इतनी कमी के बावजूद इजरायल ने विश्व को दिखा दिया है कि ड्रिप सिचाई के माध्यम से कृषि विकसित की जा सकती है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। यदि संयुक्त राज्य अमरीका एक साथ भारत और पाकिस्तान से संबंध रुख सकता है, तो हम मध्य एशियाई इस्लामिक देशों और इजराइल, दोनों के साथ संबंध क्यों नहीं रख सकते हैं? इन देशों के साथ अच्छे संबंध रखना हमारे हित में हैं।

महोदय, अंत में, मैं श्री रूपचंद पाल द्वारा दिए गए कथन के बारे में संदर्भ देना चाहता हूं कि भारत-अमरीका सामरिक गठबंधन हमारे द्वारा समर्पित अपेक्षित था। वह शायद जानते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय वायु सेना और अमरीकी वायु सेना ने ग्वालियर में संयुक्त अभ्यास किया और उन्होंने फ्लोरिडा में भी संयुक्त अभ्यास किया था। क्या ऐसा कभी हुआ था? क्या इसका अर्थ अपेक्षित समर्पण से है? संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नासा के 36 प्रतिशत वैज्ञानिक भारतीय हैं, अमरीका के 26 प्रतिशत चिकित्सक भारतीय हैं तथा सिलिकॉन वैली में 38 प्रतिशत कम्प्यूटर प्रोग्रामर भारतीय है। तब भी वह यह चाहते हैं कि हमें उक्त देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। क्या उनके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल अमरीका ही हमारे साथ अपने संबंधों का लाभ उठा रहा है और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है? अमरीका एकमात्र ऐसा देश है जो आतंकवाद से लड़ रहा है। वह आतंकवाद से लड़ने के लिए आगे बढ़ा है।

महोदय, भारत ने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र है, जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समूह-8 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिलता है। यह हमारे पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों में से एक है। पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा किया और हम यह अपेक्षा करते हैं कि यह सरकार भी उक्त सरकार की उत्कृष्ट विदेश नीति का अनुपालन करेगी।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं किसी बात को दोहराऊंगा भी नहीं।

महोदय, मुझे माननीय सदस्य की उस टिप्पणी पर आश्चर्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को एक महाशक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत को

एक महाशक्ति होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र महाशक्ति बनना चाहता है और स्वीकार करता है कि एक महाशक्ति है। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि देश एक महाशक्ति है तो इस महाशक्ति का सुपरमैन कौन है? किसी देश को रक्षा मंत्री वहां के सुपरमैन है। हमारे महान भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज अमरीका गए थे और वहां पर आव्रजन सुरक्षा जांच के नाम पर उनकी शारीरिक जांच की गई थी। क्योंकि श्री जार्ज फर्नान्डीज मेरे पुराने सहयोगी है मैंने उनसे पूछा था कि क्या हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपने हाथों को ऊपर उठाना पड़ा और अपने जूते उतारने पड़े। अब यदि सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर हमारे देश के रक्षा मंत्री की शारीरिक जांच की जाती है तब हमारी महाशक्ति की संकल्पना कहां चली जाती है?

महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं 'राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन' में भाग लेने गए प्रतिनिधि मंडल का सदस्य था। माननीय अध्यक्ष जी श्री सोमनाथ चटर्जी उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। आपको पता है कि उन्होंने अमरीकी आव्रजन के लोगों से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्पीकर है, यदि उनकी शारीरिक जांच की गई तो वे इस देश में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। हमें उनके साथ जाने का गौरव प्राप्त हुआ। अब हमारे जैसे लोगों को, संसद सदस्यों को सुरक्षा चिंताओं को मद्देनजर अमरीका जैसे देशों में जाने के लिए अपने जूते उतारने चाहिए? वे हमसे ऐसा कहते है और हमें उनके कहे का पालन करना पड़ता है क्योंकि वे महाशक्ति है।

महोदय, हम कहते है कि अमरीका हमसे लाभान्वित हो रहा है। यह सही है। लेकिन क्या हमें उनके प्रभुत्व को स्वीकार करना चाहिए? कृषि के संबंध में क्या समझौता हुआ है? अब अमरीका के किसानों को घरेलू राजसहायता के रूप में 375 बिलियन डालर दिए जा रहे है। हमने इस संबंध में हाल ही में जिनीवा में हुए सम्मेलन में चर्चा की है। क्या हम अमरीका को यह नहीं समझा सकते कि हम इस नीति को जारी नहीं रख सकते? अमरीका हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखता है उनकी अपनी नीति है उनके अपने कानून और अपना दृष्टिकोण है। लेकिन उनकी अपने देश के लिए भी एक नीति है। क्या हमारे पास किसी की अधीनता के अलावा कोई ऐसी नीति है?

महोदय, माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि अमरीका आतंकवाद से लड़ रहा है। आतंकवाद का सृजन किसने किया है? ओसामा बिन लादेन को अमरीका ने पैदा किया है।

सभापति महोदय: कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करे? कृपया माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों का हवाला दीजिए लेकिन आप केवल अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करे।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: प्रत्येक बात का कोई कारण होता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप इनके भाषण में व्यवधान न डाले। आप अपनी बारी पर बोल चुके है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, ओसामा बिन लादेन को अमरीका द्वारा प्रशिक्षित किया गया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार के भाषण के अलावा और किसी के भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: उसे अमरीका द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और सोवियत संघ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था। अब यही व्यक्ति अमरीका के लिए आतंकवादी बन गया है। महोदय, इराक और ईरान के युद्ध के बाद अमरीका के उप विदेश सचिव ने कहा कि सद्दाम हुसैन मध्य-एशिया का उद्धारक है। ईरान में कितने लोग मारे गए? कुवैत युद्ध के बाद बगदाद पर आक्रमण होने के बाद, अमरीका के उपराष्ट्रपति जोकि उस समय हैलीबर्टन एंड कंपनी के अध्यक्ष थे, वे बगदाद के साथ व्यापार कर रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरीका आतंकवाद का सृजन कर रहा है। आप कह सकते है कि अमरीका आतंकवाद को चुनौती दे रहा है। अमरीका ने इराक में, फिलीस्तीन में और पूरे विश्व में आतंकवाद का सृजन कर रहा है।

अब मैं पाकिस्तान पर आता हूं। दुर्भाग्यवश दोनों सरकारें संकट चाहती है। यदि पाकिस्तान भारत में संकट पैदा करना चाहता है तो भारत भी पाकिस्तान में संकट पैदा करना चाहता है। राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए हमेशा ऐसा किया जाता है। मुझे याद है डा. लोहिया ने कहा था, महोदय हमने उनके साथ कार्य किया है और भारत-पाक परिसंघ की बात करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करना चाहिए। हम लम्बा संकट नहीं चाहते है। अमरीका ऐसा ही चाहता है। पाकिस्तान ने अमरीका को नाटो शक्ति स्वीकार कर लिया है। अमरीका उन्हें हथियार दे रहा है। अमरीका द्वारा विश्व की सबसे बड़े युद्ध तंत्र को चलाया जा रहा है। वे पाकिस्तान को हथियार दे रहे है। वे अफगानिस्तान और सभी को हथियार दे रहे है। विश्व के सभी संकटों का सृजन भी उन्होंने ही किया है। हम उनका प्रभुत्व नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

चाहते। वास्तव में यह सच है कि विश्व आज एकध्रुवीय हो गया है। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपनी बात रख सके। अधीनता हमारी नीति नहीं हो सकती। प्रभुत्व हमारी नीति नहीं हो सकती। अब्दुल गारेल नासीर में स्वेज नहर को लेने का साहस था क्योंकि भारत ने उसका समर्थन किया था। इसलिए हमारी विदेश नीति से मिस्र को सहायता मिली थी। क्या ऐसा नहीं हुआ था? हमारी नीति सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। हमारी नीति प्रभुत्व वाली या महाशक्ति को स्वीकार करने वाली नहीं होनी चाहिए और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में हमारा उपयोग नहीं होना चाहिए।

मैं समाप्त करता हूं। उदाहरण के लिए क्योटो प्रोटोकाल को ही लीजिए। विश्व में कौन बही:स्राव उत्पन्न कर रहा है। विश्व के भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के क्या कारण हैं? 25 से 30 वर्षों में अमरीका भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का पहला शिकार होने जा रहा है। हम भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के जिम्मेदार नहीं है। बांग्लादेश भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है। अमरीका भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के जिम्मेदार है। क्या क्योटो प्रोटोकोल के संबंध में अमरीकी नीति के विरुद्ध हमने कुछ कहा है? इसलिए, मैं नहीं कहता कि हमें अमरीका साथ लड़ना चाहिए। कभी भी नहीं। हमें सम्मान के साथ अमरीका के साथ संबंध रखने चाहिए।

महोदय, अब मैं अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के बारे में बताता हूं। क्या आपको पता है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है? हमें मालूम है कि अमरीका के प्रभुत्व के कारण मैक्सिको और पूरे लैटिन अमरीकी देशों में क्या हो रहा है। हमें उन सभी शक्तियों को संगठित करना चाहिए। हमें अफ्रीकी और अन्य देशों का नेतृत्व करना चाहिए। हमें लैटिन अमरीका के उन सभी देशों को एकजुट करना चाहिए जो वास्तव में अमरीका से शिकायत रखते हैं और वास्तव में अमरीका से लड़ रहे है। हमें फिलस्तीन के लोगों का साथ देना चाहिए और इराक के लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमें अपना सम्मान गवाएं बिना अमरीका से निपटने के लिए अपनी शक्ति और आधार तैयार करना चाहिए।

वर्ष 2000 में, हमने राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा के कारण आयात-निर्यात नीति बनायी। अन्यथा क्या अब तक इतना आयात हो पाता? हम नकदी फसलों की कीमतों में कमी के कारण कष्ट झेल रहे हैं। मैं इन सभी की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। ऐसा केवल राष्ट्रपति क्लिंटन को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। हमें केवल उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। किसी ने कहा था कि हमें अपनी सेना इराक भेजनी चाहिए और हमें वहां चुनाव करवाने के लिए अपने लोग भेजने चाहिए। अमरीका में किस प्रकार के चुनाव होंगे? कोफी अन्नान का उद्धरण दिया गया था। कोफी अन्नान कौन हैं? क्या अमरीका द्वारा उनका सम्मान किया गया था? क्या संयुक्त राष्ट्र की सम्मति के बिना ही अमरीका ने इराक में सेना नहीं भेजी थी? कॉलिन पावेल ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था और विश्वास के साथ यह कहा था कि इराक के पास महाविनाशक हथियार (डब्लूएमडी) हैं। इसके बाद, उन्होंने क्या कहा? अब वे कहते हैं कि महाविनाशक हथियार नहीं हैं और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र को धोखे में रखा गया। अमरीका द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए अन्य राष्ट्रों को अनुशासित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का उपयोग के माध्यम के रूप में किया गया है। अत: हमारे पास अपनी ताकतों पर आधारित अपनी एक स्वतंत्र नीति होनी ही चाहिए। हमें उन सब ताकतों को इकट्ठा करना चाहिए जो अमरीकी प्रमुख से लड़ रहे हैं और जो साम्राज्यवादी हाव-भाव को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। हमें एक बार फिर उनका नेतृत्व करना होगा। अमरीका ही एकमात्र महाशक्ति है ऐसी स्थिति हमें नहीं बनने देनी चाहिए अथवा ऐसी स्थिति हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यदि अमरीका एकमात्र महाशक्ति है तो मेरे विचार से भारत विश्व मत बनाने में मदद कर सकता है और विश्व मत एक मंच बनेगा। हमें अवश्य ही स्वतंत्र नीति का अनुपालन करना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय: दो और सदस्य बोलना चाहते हैं। क्या पन्द्रह मिनट और समय बढ़ाने के लिए सभा सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापति महोदय, धन्यवाद। आरंभ में मैं भाजपा के माननीय विद्वान सदस्य जिन्होंने इस बारे में बात की थी कि भारत शांति सेना के साथ पर्याप्त रूप से भागीदारी नहीं कर रहा है, को बताना चाहूंगा। इस संबंध में मैं संयुक्त राष्ट्र के तथ्यात्मक विवरण को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र को शांति सेना उपलब्ध कराने वालों में तीसरा स्थान भारत का है। वर्तमान में, विभिन्न शांति मिशनों में 2735 भारतीय सैन्य दलों की तैनाती की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमें पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय सेना को परमवीर चक्र, पांच महावीर चक्र, एक कीर्ति चक्र और 19 वीर

चक्र से सम्मानित किया गया था। वहां अत्यधिक जोखिम होता है। 200 से अधिक वीर जवानों ने वीरगति प्राप्त की है। एक घटना में भारतीय शांति सैनिकों को एड्स ग्रसित होने का खतरा था। एक सैन्य दल जो कंबोडिया गया था, जब लौटा तो उसके 28 सैनिकों को एच.आई.वी. पाजीटिव पाया गया। अत: हम शांति सेनाओं में भागीदारी कर रहे हैं। किन्तु अन्तर यह है कि हम चाहते हैं कि उसे सुरक्षा परिषद से स्वीकृति प्राप्त हो। यही कारण है कि हम यहां किसी भी सैन्य दल के इराक भेजे जाने के खिलाफ हैं। इसके लिए सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृति मिली होनी चाहिए और यह संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत होना चाहिए न कि अमरीका के अन्तर्गत।

इसके बाद उन्होंने तिब्बत की बात की। चीन के साथ कई मसले सुलझाए जाने हैं। हमें हमेशा पंचशील नीतियों को याद रखना चाहिए। पंचशील नीतियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू था कि हम किसी अन्य देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब भाजपा सत्ता में थी प्रधानमंत्री वहां गए और हमारे देश के लिए हमें बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। उसके बाद सिक्किम को भारत के अंग के रूप में मान्यता मिली थी। उसे चीन की अधिकारिक वेबसाइट और मानचित्रों से हटाया गया था। वे सहमत हुए कि यह स्वतंत्र देश नहीं था। अत: यह हमारे देश के हित में होगा कि हम दूसरे देशों के बारे में बात न करें।

दलाई लामा की बात करें, तो दलाई लामा के साथ हम क्या कर रहे हैं और हमारी स्थिति क्या है इसे दलाई लामा बखूबी जानते हैं। हमने अपने महान देश का इस्तेमाल किसी अन्य देश के विरुद्ध कभी नहीं होने दिया है। इसी सिद्धान्त का पालन होता रहा है और इसका पालन जारी रहना चाहिए।

मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं कि भारत के पास विदेश नीति नहीं है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसका स्पष्ट उल्लेख है। मैं यहां वह दोहराना भी चाहूंगा जो कुछ विदेश मंत्री ने कहा था। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि भारत की विदेश नीति किसी हठधर्मिता या निश्चित सिद्धान्तों वाली नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में समय-समय पर आने वाली समस्याओं को हल करने के प्रति लचीली है। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? यह सुस्पष्ट है।

अब मैं इस्रायल के साथ हमारे संबंधों की बात पर आता हूं। मैं भारत के इस्रायल के साथ सुदृढ़ संबंधों के विरुद्ध हूं क्योंकि हम हमेशा फिलीस्तीन आंदोलन के प्रति समर्पित रहे हैं। इनके इस्रायल के साथ अच्छे संबंधों को मैं समझ सकता हूं। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि इस्रायल इस्लाम विरोधी है। अत: हिन्दुत्व विचारधारा और जियोनवादी विचारधारा में कुछ समानताएं है ...*(व्यवधान)* मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया मुझे सुनिए। व्यवधान मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, मैंने आपको किसी के भाषण में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी है, अब, मैं किसी को उनके भाषण में बाधा डालने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, आपने अपनी बात कह दी है। कृपया सदस्य को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदस्य को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उनके बोलते समय व्यवधान न डालें। मैं स्थिति से निपट लूंगा। श्री ओवेसी जो बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री ओवेसी, कृपया जारी रखें।

*...(व्यवधान)**

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, उन्होंने कुछ कहा है। मेरे मित्र, मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। वस्तुत:, यदि आप हैदराबाद जाएं और हमारे बारे में एवं हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछें तो आपको बहुत चीजों का पता चलेगा। आपको हिन्दू होने पर गर्व है, हमें मुसलमान होने पर गर्व है। हमें भारतीय होने पर भी गर्व है। हमें इस बात पर गर्व है। कृपया ऐसा न कहें कि हम उससे भयभीत हैं। यहां कोई डरपोक नहीं है। लोगों ने हमें अपना मत दिया है। इसलिए, हम यहां हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री ओवेसी, आपको भी उन्हें नहीं संबोधित करना चाहिए। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। तब आप इन सब चीजों से बच सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, मुझे खेद है, मैं अध्यक्ष पीठ को संबोधित करूंगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठिए। श्री ओवेसी जो बोल रहे हैं, सिर्फ उसे ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। व्यवधान कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जाएगा उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसलिए, कृपया बैठिए। श्री ओवेसी, कृपया जारी रखें। माननीय सदस्यगण, उनके भाषण में व्यवधान न डाले।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री ओवेसी, अध्यक्षपीठ के अलावा किसी को संबोधित न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप उनको बोलने दीजिए वरना समय बर्बाद होगा।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मेरा उद्देश्य मुद्दे उठाकर उन्हें क्रोधित करना नहीं था।

सभापति महोदय: आप उसे भूल जाएं। कृपया जारी रखें। कृपया अपनी बात कहें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: वे बेवजह अपना आपा खो रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं *...(व्यवधान)* श्री स्वाईं, आपको इस बात से सहमत होना होगा कि अब आप सत्ता में नहीं हैं *...(व्यवधान)* मैं इसे समझ सकता हूं क्योंकि अब आपने सत्ता खो दी है। आपको इस बात से सहमत होना होगा कि अब आप सत्ता में नहीं हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बात को बिगाड़ने से क्या फायदा है? आप अपनी बात कहिए, कुछ और नहीं।

...(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, ओवेसी जी यदि इधर इशारा करके बोलेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने उनसे कह दिया है कि वह चेयर को एड्रेस करके बोलें। यदि किसी ने कोई बात कही है तो उसका जिक्र कर सकते हैं लेकिन चेयर को एड्रेस करके ही बोलें।

...(व्यवधान)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मोहतरिम, मैं आपकी तरफ मुखातिब होकर ही बोल रहा हूं। यह गैर-जरूरी इंटरप्ट कर रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं। मैं आपको ही अपनी बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अब मैं इस्राइल के बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूं। ड्रिप सिंचाई के बारे में इस्राइल की बात करना काफी सही है। माननीय

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदस्यों ने इसके बारे में कहा है। यदि हम आंध्र प्रदेश को देखें। भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू जिन्हें हाई-टेक मुख्य मंत्री माना जाता था, के विधान सभा चुनाव क्षेत्र–कुप्पम चुनाव क्षेत्र की बात करें। यह पूरी तरह से असफल रहा है। कुप्पम में कर दाताओं के करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। मैं अपनी शंकाएं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। मुझे आशंका है कि इस्राइल में राजनैतिक परामर्श का दौर आने वाला है। भारत का प्रस्ताव अस्त्रों का एक नया सौदा करने का है। हमने एक अच्छा काम किया है। हमने पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित किए हैं। अरब राष्ट्रों के साथ हमारे अच्छे संबंध है विशेष रूप से जबसे वर्तमान सरकार सत्ता में आई है। हमारे इरान के साथ अच्छे संबंध हैं। हमारे चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। यदि हम इस्राइल से हथियार प्राप्त करते रहते हैं तो अब तक जो भी अच्छा कार्य किया गया है, पिछले छः माह में बनाए गए संबंधों, विशेष तौर पर विदेश मंत्रालय द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया है, इस सब पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर, भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में इस्राइल के खिलाफ वोट दिया है। ऐसा करते रहना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे संबंधों के बारे में मैं यह कहूंगा कि संयुक्त राज्य से साथ हमारे संबंध समानता तथा आपसी लाभ के आधार पर होने चाहिएं। हमें भारतीय होने पर गर्व है। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे या संयुक्त राज्य की जी हुजूरी नहीं करेंगे। यदि यह समानता या आपसी हित के आधार पर है तो ठीक है। इससे कोई समस्या नहीं है। संयुक्त राज्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, जिससे हमारे देश का प्रत्यक्ष रूप से संबंध है किन्तु हमारा देश संयुक्त राज्य का आधिपत्य बनाने वाली महत्वाकांक्षाओं के लिए एक सहायक नहीं बन सकता। ऐसा हम कह रहे हैं। हम संयुक्त राज्य अमरीका के खिलाफ नहीं हैं। जी हां, हमें अच्छे संबंध रखने चाहिएं। परन्तु हमें आधिपत्य बनाने की महत्वाकांक्षाओं को स्वीकारना नहीं चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: मैं समाप्त कर रहा हूं। अंत में एक प्रस्ताव आया है कि हमारी सरकार संसदीय लोकतंत्र की जटिलताओं से इराकियों को वाकिफ कराने के लिए इराक में चुनाव पर्यवेक्षक भेजने जा रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करें। इसका कारण यह है कि यदि हम अपने चुनाव पर्यवेक्षकों तथा लोगों को वहां भेजते हैं तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित अंतरिम सरकार को मौन सहमति मिलेगी।

हम उन्हें मान्यता देंगे। इराक में अंतरिम सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित की गई है तथा यह हम सभी जानते हैं।

अंततः अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अहम भूमिका अदा करने के लिए परिस्थितियां भारत के पक्ष में हैं, पहला कारण हमारे पाकिस्तान से सुधरे सम्बन्ध हैं तथा दूसरा कारण इराक में अमेरिका को तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को भले ही इराक में सैन्य सफलता मिली होगी लेकिन राजनैतिक तौर पर इराक में वह पूर्णतया असफल रहा है तथा सम्पूर्ण विश्व इराक में सेना न भेजने के हमारे रवैये के कारण भारत की ओर देख रहा है।

अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा। अनावश्यक व्यवधान के कारण मेरा समय नष्ट किया गया है। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि अरब देशों, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और सभी जी.सी.सी. देशों से हमारे सम्बन्ध और अधिक मजबूत होने चाहिए।

महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: अब श्री बिक्रम केशरी देव बोलेंगे।

श्री बिक्रम केशरी देव, हमें सभा 7.15 बजे स्थगित करनी है, इसलिए कृपया अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करें कि आप अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर सकें।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): ठीक है सभापति महोदय। मैं उन बिन्दुओं पर बोलूंगा जिनके बारे में मैं सभा को जानकारी देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं दोनों माननीय सदस्यों श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी तथा श्री चन्द्रप्पन को बधाई देता हूं जिन्होंने चर्चा शुरू की क्योंकि विदेश नीति पर चर्चा सभा में बहुत लम्बे समय बाद हो रही है। राजग के सदस्य के रूप में मेरे छह वर्ष के कार्यकाल में, मैं समझता हूं कि विदेश नीति पर ऐसी लम्बी चर्चा नहीं हुई है। सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा ही कुछ वक्तव्य पढ़े गए थे लेकिन विदेश नीति पर इस सम्माननीय सभा में गत छह वर्षों के दौरान कोई वास्तविक बहस नहीं हुई। इसलिए यह चर्चा स्वागत योग्य है।

आज, भारत तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है तथा उसी विदेश नीति का पालन कर रहा है जो नेहरू जी के काल में आरम्भ हुई थी तथा श्री स्वर्ण सिंह से आज श्री नटवर सिंह तक इसका पालन किया जा रहा है। विदेश नीति के निर्धारण के लिए हमारे पास बहुत ही सक्षम विदेश मंत्री थे तथा हमारे पास बहुत ही अच्छे राजनायक हैं जिन्होंने विदेश नीति को अच्छी तरह सम्भाला है।

महोदय, सत्ता पक्ष से हमारे मित्र कह रहे थे कि हम अमेरिका के चापलूस बन गये हैं तब हम अमेरिका के सेवक बन गए हैं। मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा। जब राजग सरकार सत्ता में आई, तब हमने पोखरण परमाणु परीक्षण किये तथा अमेरिका ने अमेरिका

[श्री बिक्रम केशरी देव]

में कार्यरत हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को आऊटसोर्स करने की धमकी दी लेकिन इस नीति का अमेरिका में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ अभी भी अमेरिका में कार्यरत हैं।

दूसरी बात यह है कि कुछ सदस्यों ने क्योटो प्रोटोकाल की बात उठाई है। जोहन्सबर्ग में सतत विकास के बारे में हुए विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी 187 देशों ने क्योटो प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए अमेरिका की निंदा की है।

अब, 9/11 की घटना के बाद विश्व का सम्पूर्ण परिदृश्य बदल गया है। वर्ष 1993 में विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सम्पूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है। अत: भारत को भी बदलना होगा तथा बड़ी तीव्रता से बदलना होगा। हमें अन्य देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने होंगे तथा राजग सरकार ने इस प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया था।

उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के मामले में, विश्व की शक्तियां चाहती थीं कि भारत तथा पाकिस्तान बातचीत करें और हमने बातचीत की। इससे पूर्व, शिमला समझौते के बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई लाहौर बस यात्रा तक हमारे सम्बन्धों में बहुत हद तक रूकावट पैदा हो गई थी। इसके बाद आगरा सम्मेलन हुआ। पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य बनाने की लिए थे समस्त प्रयास किये गए। पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के विकास तथा दक्षेस में शांति और हिंद महासागर रिम क्षेत्र में शांति के लिए ये अत्यावश्यक थे।

ये कार्रवाईयां राजग सरकार द्वारा की गई थीं। इसलिए उन्हें यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के लिए अलग प्रकार की विदेश नीति अपनाई गई। नहीं, देश की बेहतरी के लिए कुछ परिवर्तनों सहित वही नीतियां जारी रहीं। क्या उनकी सरकार ने पूर्व में मुस्लिम भाइयों का ध्यान रखा था? क्या उन्होंने हज विधेयक पर पहल की? राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान, विदेश मंत्री ने मक्का तथा मदीना की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले मुस्लिमों के लाभ के लिए हज विधेयक पेश किया। स्वतंत्रता के बाद ऐसा विधेयक पहली बार पेश किया गया था तथा राजग सरकार द्वारा पारित किया गया और बहुत सारे अधिकार एवं राजसहायता दी गई और अब उन्हें कट्टर हिंदू दल की संज्ञा दी जाती है। *...(व्यवधान)*

इसलिए, भारतीय मूल के लोगों ने बहुत योगदान दिया है। हमें उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनकी व्यावसायिकता का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्हें भारत आना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सके। हमारी अर्थव्यवस्था तीव्रता से वृद्धि कर रही है। राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान औसत सकल घरेलू उत्पाद 5.4 या 6.5 से नीचे नहीं रहा तथा मुद्रास्फीति दर औसतन 4.5 प्रतिशत से कभी भी अधिक नहीं हुई। लेकिन आज मुद्रा-स्फीति अधिक हो गई है...*(व्यवधान)* इसके अच्छे प्रभाव नहीं हुए है। इसलिए हमारी विदेश नीति टिकाऊ होनी चाहिए क्योंकि यदि हम सावधान नहीं रहते हैं और हम अपने उठाए गए कदमों पर ध्यान नहीं देते हैं-तो इसके अच्छे वैश्विक प्रभाव नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री कोफी अन्नान ने मिलेनियम लक्ष्य की घोषणा की थी। मैं समझता हूं कि हमें उसका अनुपालन करने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक सुरक्षा परिषद में सदस्यता का प्रश्न है, मैं समझता हूं लोग सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता दिलाने में सही रास्ते पर हैं। पिछले छह वर्षों में इसे पूरे जोर शोर से उठाया गया।

मैं श्री जसवन्त सिंह को पहली बार चीन द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मानने पर बधाई देता हूं। इसे पहले कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं माना गया था सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मान लिया गया है। कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग है और इसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जब देश की 545 रियासतों ने अंगीकार विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, कश्मीर भी उनमें से एक था तथा कश्मीर के लोग भारत अर्थात् इंडिया में शामिल हो गए।

इसलिए, यह चर्चा स्वागत योग्य है। भविष्य में, हमारे माननीय मंत्री जी, जो उत्कृष्ट राजनयिक हैं, के सक्षम हाथों से सरकार भारत की विदेश नीति को सुदृढ़ बनायेगी तथा भारत को और सशक्त बनाएगी तथा राजनयिक रूप से भारतीय लोकतंत्रवादियों को और सक्षम बनायेगी।

सभापति महोदय: सभी माननीय सदस्य जिन्होंने चर्चा में भाग लेने के लिए अपने नाम दिए थे, बोल चुके हैं। माननीय मंत्री जी कल उत्तर देंगे।

अब, सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 8 दिसम्बर, 2004/17 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न की संख्या
1	2	3
1.	श्री सुग्रीव सिंह श्री के. सुब्बारायण	81
2.	श्री संतोष गंगवार श्री बृज किशोर त्रिपाठी	82
3.	श्री थावरचंद गेहलोत श्री मोहन सिंह	83
4.	श्री पवन कुमार बंसल	84
5.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री दलपत सिंह परस्ते	85
6.	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी श्री राजनरायण बुधौलिया	86
7.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर डा. सत्यनारायण जटिया	87
8.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू श्री ब्रजेश पाठक	88
9.	श्री रामजी लाल सुमन श्रीमती जयाप्रदा	89
10.	श्री पी. राजेन्द्रन प्रो. रासा सिंह रावत	90
11.	श्री सी. के. चन्द्रप्पन श्री सुरेश अंगड़ि	91
12.	श्री वाई.जी. महाजन श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	92
13.	श्री एन. एन. कृष्णदास	93
14.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्रीमती करूणा शुक्ला	94
15.	डा. एम. जगन्नाथ	95
16.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री हरिभाऊ राठौड़	96
17.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता श्री मणी कुमार सुब्बा	97
18.	श्री चंद्रकांत खैरे	98
19.	श्री निखिल कुमार चौधरी	99
20.	श्री सीताराम सिंह	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1016, 1068
2.	आदित्यनाथ, योगी	1116
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठौबा	926, 1044, 1057, 1084, 1126
4.	अंसारी, श्री फुरकान	979, 1018
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	1064
6.	आठवले, श्री रामदास	976, 1010, 1143, 1147
7.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1002, 1110
8.	'बचदा' श्री बची सिंह रावत	1036, 1136,
9.	बैठा, श्री कैलाश	930, 1145
10.	बंसल, श्री पवन कुमार	1024, 1094, 1130
11.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	966, 1012, 1067
12.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	933, 1052
13,	भड़ाना, श्री अवतार सिंह	999,
14,	भक्त, श्री मनोरंजन	986, 1071, 1119
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	937
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	965,
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	960, 1036, 1049 1101
18.	चालिहा, श्री किरिप	996, 1077
19.	चंदेल, श्री सुरेश	941 1033 1098

1	2	3
20.	चन्द्र कुमार, प्रो.	951, 1070, 1074
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1042, 1106, 1134
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	959
23.	चिन्ता मोहन, डा.	956, 1104
24.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	998, 1079
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	989, 1073, 1120, 1134
26.	चौधरी, श्री पंकज	965, 1136
27.	चौधरी, श्री अधीर	925, 1055, 1066, 1116
28.	चर्चील, श्री अलीमऊ	988
29.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1036, 1101, 1110
30.	देवरा, श्री मिलिन्द	922, 980, 1134
31.	फर्नान्डीज, श्री जार्ज	947
32.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	950, 1045
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1069
34.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	950, 980, 1068, 1103
35.	गंगवार, श्री संतोष	1032
36.	गेहतोत, श्री थावरचन्द	1034,1099
37.	गोहेन, श्री राजेन	938, 1043
38.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1134
39.	हमजा, श्री टी.के.	992
40.	हसन, श्री मुनव्वर	1055, 1112, 1137
41.	हुसैन, श्री अनवर	1124
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	1048
43.	जयप्रदा, श्रीमती	956
44.	जेना, श्री मोहन	1007
45.	झा, श्री रघुनाथ	940, 1026, 1095, 1122, 1131
46.	जोगी, श्री अजीत	952, 1019
47.	कलमाड़ी, श्री सुरेश	1011, 1036, 1077, 1087
48.	कामत, श्री गुरूदास	1059, 1104, 1144
49.	कनोडीया, श्री महेश	953
50.	करूणाकरन, श्री पी.	987, 1072
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1062, 1115
52.	खां, श्री सुनील	924, 960, 965, 1063, 1089
53.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1013
54.	खन्ना, श्री अविनाश राय	978
55.	खारवेनथन, श्री एस.के.	983, 1009,
56.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1027
57.	कृष्ण, श्री विजय	945, 1028, 1122, 1142,
58.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1044
59.	कुरूप, श्री सुरेश	987
60.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	979, 1003, 1067, 1117, 1139
61.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	968, 1031
62.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1099
63.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	949, 969, 1083, 1125
64.	महाजन, श्री वाई.जी.	965
65.	महतो, श्री बीर सिंह	944, 973, 1060
66.	महतो, श्री सुनील कुमार	928, 1060
67.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1049, 1108, 1135

1	2	3
68.	महताब, श्री भर्तृहरि	971, 1058
69.	माझी, श्री परसुराम	920, 1020, 1092, 1132,
70.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	972, 1059
71.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	961
72.	मनोज कुमार, श्री	954
73.	मेघवाल, श्री कैलाश	929, 970, 1021, 1118, 1140
74.	मेहता, श्री आलोक कुमार	977, 1046, 1055, 1065
75.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1054
76.	मिश्रा, डा. राजेश	965
77.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	965
78.	मोहन, श्री पी.	932, 982, 1030, 1148
79.	मुकीम, मो.	1104
80.	मोल्लाह, श्री हन्नान	927, 1050
81.	मुन्सी राम, श्री	979, 1001, 1003, 1056, 1070
82.	मुर्मू, श्री हेमलाल	995, 1068, 1120
83.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	1052, 1106, 1110,
84.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	950, 1045
85.	श्री नायक, अनन्त	963, 999, 1133
86.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	1149
87.	निखिल कुमार, श्री	1116
88.	नीतीश कुमार, श्री	968
89.	ओराम, श्री जुआल	1001, 1054, 1069, 1028
90.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1022, 1100, 1134
91.	पलनिसामी, श्री के.सी.	1044, 1103, 1123
92.	पाण्डा, श्री प्रबोध	981, 1069, 1101
93.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1039, 1103
94.	पासवान, श्री रामचन्द्र	962, 1091
95.	पासवान, श्री सुकदेव	958, 1046
96.	पाठक, श्री ब्रजेश	955, 1038, 1040 1105
97.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1103
98.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	970, 1104
99.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	946
100.	पाटले, श्री शिशुपाल एन.	994, 1056
101.	पिंगले, श्री देविदास	969, 1056, 1113
102.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1004
103.	हरिकेवल, प्रसाद श्री	984
104.	लालमणि, प्रसाद श्री	974, 1061
105.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1038
106.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1041
107.	रामदास, प्रो. एम.	1036, 1136
108.	राणा, श्री काशीराम	928, 952, 1097
109.	राव, श्री के.एस.	1049, 1108, 1133, 1135
110.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	980, 1014, 1062, 1088, 1108
111.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1081, 1099, 1103, 1124
112.	रावले, श्री मोहन	936, 1023, 1093, 1126, 1129
113.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	970, 1000, 1080, 1123
114.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	969, 1006

1	2	3
115.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	975
116.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	939, 1025
117.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1036, 1101, 1134
118.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	944, 952
119.	साई प्रताप, श्री ए.	1005, 1052
120.	सरडगो, श्री इकबाल अहमद	980, 1014, 1015, 1090, 1128
121.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	967
122.	सरोज, श्री तूफानी	1149
123.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	957
124.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	980, 993, 1067
125.	सेन, श्रीमती मिनाती	982
126.	सेठी, श्री अर्जुन	1010
127.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	964, 1053, 1111, 1136
128.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	943, 1055
129.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	985, 1070
130.	शिवाजी राव, श्री अधलराव पाटील	934, 1044, 1057, 1114, 1138
131.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	965, 969, 994, 1003, 1069
132.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	1085
133.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1037
134.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1038, 1102
135.	सिंह, श्री रामसेवक	1027
136.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	975, 1110
137.	सिंह, श्री चन्द्रभान	994
138.	सिंह, श्री दुष्यंत	997, 1078, 1121, 1141
139.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	1046
140.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	948
141.	सिंह, श्री मोहन	1103
142.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	931, 968, 1096, 1122, 1146
143.	सिंह, श्री सीताराम	1009, 1086, 1127
144.	सिंह, श्री सुग्रीव	1029, 1097, 1133
145.	सिंह, श्री सूरज	1008
146.	सिंह, श्री उदय	1017
147.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	1046
148.	सुब्बा, श्री एम.के.	923, 967
149.	सुमन, श्री रामजीलाल	1031, 1104
150.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1075
151.	स्वाई, श्री खारबेल	1036
152.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	987, 1038, 1110
153.	थामस, श्री पी.सी.	991, 1075
154.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	935, 1035
155.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1051, 1103, 1109, 1136
156.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1099
157.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	966
158.	विनोद कुमार, श्री बी.	921, 1047, 1107
159.	यादव, श्री बालेश्वर	942, 982, 1103,
160.	यादव, श्री भाल चन्द्र	965
161.	यादव, श्री गिरिधारी	1097
162.	यादव, श्री पारसनाथ	965, 1056
163.	यादव, श्री रमाकान्त	962, 990
164.	येरननायडू, श्री किन्जरपु	980, 998
165.	जाहेदी, श्री महबूब	1076

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	88, 95
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	81, 82, 83, 85, 93
मानव संसाधन विकास	:	84, 86, 89, 90, 91, 94, 96
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	87, 99
इस्पात	:	
जनजातीय कार्य	:	97
शहरी विकास	:	92, 98
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	100.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	920, 923, 925, 936, 943, 958, 965, 978, 981, 990, 1011, 1016, 1039, 1051, 1055, 1056, 1065, 1075, 1083, 1084, 1087, 1101, 1112, 1119, 1128, 1129, 1149
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	1004
गृह	:	922, 926, 929, 935, 937, 938, 941, 947, 949, 951, 953, 972, 974, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 995, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1013, 1015, 1017, 1021, 1022, 1024, 1030, 1036, 1037, 1041, 1042, 1044, 1047, 1050, 1094, 1100, 1103, 1108, 1109, 1115, 1116, 1121, 1122, 1124, 1133, 1136, 1144, 1146, 1147
मानव संसाधन विकास	:	932, 933, 937, 939, 942, 957, 961, 963, 966, 968, 969, 975, 976, 977, 982, 994, 996, 998, 1002, 1003, 1010, 1012, 1018, 1019, 1023, 1032, 1038, 1040, 1048, 1052, 1053, 1066, 1067, 1070, 1072, 1073, 1074, 1081, 1085, 1088, 1092, 1099, 1105, 1110, 1117, 1123, 1125, 1127, 1134, 1139, 1140, 1143, 1148
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	934, 956, 960, 983, 1033, 1057, 1064, 1093, 1113, 1141
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	924, 967, 979, 993, 1000, 1014, 1020, 1029, 1058, 1104, 1106, 1111, 1126
इस्पात	:	921, 954, 971, 980, 1001, 1046, 1054, 1062, 1063, 1069, 1077, 1078, 1082, 1089, 1107, 1118, 1132
जनजातीय कार्य	:	952, 997, 1031, 1060, 1086, 1090, 1098, 1114, 1138
शहरी विकास	:	927, 928, 930, 931, 940, 944, 945, 946, 948, 955, 959, 962, 964, 970, 973, 984, 985, 999, 1025, 1026, 1027, 1028, 1035, 1045, 1049, 1059, 1061, 1068, 1079, 1091, 1095, 1096, 1102, 1120, 1130, 1131, 1135, 1137, 1142, 1145
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	950, 1071, 1076, 1080, 1097.

पी.एल.एस.–4/5/5/2004 (एन०)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।